

**DUE DATE SLIP**

**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

**KOTA (Raj.)**

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

# A VARIETY OF THINGS

The Kotah Book Depot  
KOTAH

# २५ सुन्दर, उपयोगी, महत्वपूर्ण प्रकाशन

भारतीय प्रशासन	के० आर० बम्बवाल	५.००
भारत का वैधानिक एवं राष्ट्रीय विकास	गुहमुख निहालसिंह	१०.००
शासन-पथ-निर्दर्शन	श्रीपुरुषोत्तमदास टण्डन	६.००
राजनीति-शास्त्र के मूल सिद्धान्त	योगेन्द्र मल्लिक	१०.००
प्रेट ब्रिटेन का संविधान	योगेन्द्र मल्लिक	४.००
संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान	योगेन्द्र मल्लिक	४.००
अगले पाँच साल	जी० एस० पथिक	५.००
अगला कदम	हरेकृष्ण महताव	१.२५
सत्याग्रह और विश्व-शान्ति	रंगनाथ दिवाकर	१.५०
कान्तिवाद	विश्वनाथराय	५.००
सभा-शास्त्र	न० वि० गाडगिल	६.००
भारत का सचित्र संविधान	प्र० इन्द्र	२.००
नागरिक-शास्त्र के सिद्धान्त	के० आर० बम्बवाल	५.००
नेपाल की कहानी (पुरस्कृत)	काशीप्रसाद श्रीवास्तव	८.००
प्राचीन भारतीय परम्परा और इतिहास (पुरस्कृत)	डौ० रामेय राघव	१२.००
भारत का सांस्कृतिक इतिहास (सचित्र)	हरिदत्त वेदालंकार	७.००
भारत का चित्रमय इतिहास	महावीर अधिकारी	७.००
भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय और अस्ति (सचित्र)	इन्द्र विद्यावाचस्पति	७.५०
सिद्ध-सम्यता का आदि-केन्द्र—हड्डपा (सचित्र, पुरस्कृत)	केदारनाथ शास्त्री	८.००

**आत्माराम एण्ड संस, दिल्लो-६**

# A VARIETY OF THINGS

BY

MAX BEERBOHM



---

WILLIAM HEINEMANN LTD  
MELBOURNE   LONDON   TORONTO

COPYRIGHT © BY ATMA RAM & SONS, DELHI-6

प्रकाशक

रामलाल पुरी, संचालक  
आत्माराम एण्ड संस  
काइमीरी गेट, दिल्ली-६

मूल्य	:	रुपए	१०.००
द्वितीय संस्करण	:	१ ६ ६ १	
मुद्रक	:	सेटल इलैक्ट्रिक प्रेस, दिल्ली	

## CONTENTS

	<i>page</i>
NOTE . . . . .	vii
THE DREADFUL DRAGON OF HAY HILL . . . . .	1
THE GUERDON . . . . .	75
T. FENNING DODWORTH. . . . .	81
A NOTE ON THE EINSTEIN THEORY . . . . .	99
A STRANGER IN VENICE . . . . .	107
THE SPIRIT OF CARICATURE . . . . .	137
AUBREY BEARDSLEY . . . . .	151
A SOCIAL SUCCESS . . . . .	163
THE STORY OF THE SMALL BOY AND THE BARLEY-SUGAR . . . . .	197
YAI AND THE MOON . . . . .	209

## NOTE

"A Variety of Things" was published in 1928 as one of the volumes in a limited edition of my writings. (From the present edition one item, "The Happy Hypocrite" is omitted)

I should mention that "The Guerdon" was written when Henry James was given the Order of Merit, and that "The Dreadful Dragon of Hay Hill" was conceived in the course of the 1914-1918 war, and that "A Social Success" was produced in 1913 by George Alexander

M. B

1953

THE DREADFUL DRAGON  
OF HAY HILL

राज्य के अन्त के साथ ही भारत में लिटिशा साम्राज्य के स्थापन और संगठन का कार्य भी पूरा हो गया। विदेशी शासन की छाया इस विस्तृत प्रायद्वीप के एक कोने से दूसरे कोने तक प्रसरित हो गई। वस्तुतः अंग्रेजों की भारत विजय एक मंद, अव्यवस्थित और खंडका सम्पन्न प्रक्रिया थी। यह विजय केवल सामरिक विजय ही नहीं थी। भारत में अपने राज्य-विस्तार के लिए अंग्रेजों ने कई उपायों का प्रयोग किया। इनमें सबसे प्रभावशाली उपाय देवी नरेशों की पारस्परिक ईर्ष्य से लाभ उठाना था। इस चाल में अंग्रेज अपने विपक्षी फांसीसियों से बाजी मार ले गए। पहले पहल उन्होंने दीवानी के रूप में भारतीय प्रदेश पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया, तत्पश्चात् दुहरे शासन का छापवेश उतार फेंका और अन्त में वे स्वयं शासक ही बन बैठे। इंगलैण्ड के अधिपति चालस द्वितीय ने बम्बई को १० पौंड प्रति वर्ष के पट्टे पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हवाले कर दिया। कम्पनी ने निजाम के शासनाधीन प्रदेश में लिटिशा संचालन के प्रति पालन हेतु बरार को निजाम से नकद वेतन के बदले में ले लिया। लॉड डलहौजी की बेदखली की नीति भी बहुत से देशी राज्यों को लिटिशा शासन के अन्तर्गत लाने में सफल हुई। पंजाब को तलबार की नोक के बल पर जीता गया। इस प्रकार, अंग्रेजों ने कूट-नीति, संनिक-विजय और अनैतिक उपायों का अदलम्बन लेकर भारत में अपने साम्राज्य का निर्माण किया।

वहां अंग्रेजों ने भारत, मस्तिष्क की अद्दृ-चेतन अवस्था में जीता?—अंग्रेज भारत में व्यापारी बनकर आए थे और यहाँ शासक बन कर रहे। कठिपय कहा करते हैं कि यह परिवर्तन आकस्मिक ही हो गया। माना कि भारत में लिटिशा राज्य की स्थापना और विस्तार करते समय किसी पूर्व निश्चित योजना के अनुसार काम नहीं हुआ। फिर भी इस सम्बन्ध में यह ध्यान देने योग्य है कि सत्रहवीं शताब्दी की समाप्ति के पूर्व भी ईस्ट इण्डिया कम्पनी के प्रधान रार जोशिया चाइल्ड ने “भारत में संदेश के लिए एक विदाल और सुरक्षा अंग्रेजी राज्य की नींव डालने” का उद्देश्य अपने सम्मुख रखा था। लेकिन सर जोशिया के उत्तराधिकारी इस नीति से सहमत नहीं थे और उन्होंने साधारणतया साम्राज्य-स्थापन की नहीं, प्रत्युत वारिगाज्य-विस्तार की ही नीति का पालन किया। १७८६ ई० में कर्नल जेम्स मिल्स नामक एक व्यक्ति ने बंगाल की विजय के लिए एक योजना तैयार की थी। परन्तु नूँकि लिटिशा अधिकारी ऐसी किसी योजना के प्रति उदासीन थे, अतः उसने अपनी योजना आरिद्या के समाद के सम्मुख रखी। यह ठीक है कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी के संचालकों ने राज्य-विस्तार सम्बन्धी नीति का बहुधा विरोध भी किया, परन्तु फिर भी यह तर्क विलकुल निराधार है कि अंग्रेजों ने भारत, मस्तिष्क की अद्दृ-चेतन अवस्था में जीता। हो सकता है कि सुदूर लिटेन में स्थित कम्पनी के संचालकों ने भारतीय प्रदेशों में सत्त्वर बढ़ते हुए अंग्रेजों

## THE DREADFUL DRAGON OF HAY HILL

I

IN the faint early dawn of a day in the midst of a golden summer, a column of smoke was seen rising from Hay Hill, rising thickly, not without sparks in it. Danger to the lives of the dressmakers in Dover Street was not apprehended. The fire-brigade was not called out. The fire-brigade had not been called into existence. Dover Street had not yet been built. I tell of a time that was thirty-nine thousand years before the birth of Christ.

To imagine Hay Hill as it then was, you must forget much of what, as you approach it from Berkeley Square or from Piccadilly, it is now. You knew it in better days, as I did?—days when its seemly old Georgian charm had not vanished under the superimposition of two vast high barracks for the wealthier sort of bachelors to live in? You remember how, in frosty weather, the horse of your hansom used to skate hopelessly down the slope of it and collapse, pitching you out, at the foot of it? Such memories will not serve. They are far too recent. You must imagine just a green hill, with some trees and bushes on it. You must imagine it far higher than it is nowadays, tapering to a summit not yet planed off for the purpose of Dover Street; and steeper; and with two caves aloft in it; and bright, bright green.

And conceive that its smiling wildness made no contrast with aught that was around. Berkeley Square smiled wildly

भारत का आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दासतंद—राजनीतिक स्वाधीनता का अपहरण तो अंग्रेजों की भारत-विजय का एक ऐसा परिणाम था, जो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता था। लेकिन इस राजनीतिक परावीनता के साथ-ही-साथ कुछ और भी नहीं हुए जो यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से तो दिखाई नहीं दिए परन्तु जिन्होंने भीतर ही भीतर भारत की आर्थिक समृद्धि की जड़ें काट डालीं तथा देश के आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पतन का पथ प्रशस्त किया।

जब अंग्रेज भारत में आए, देश समृद्ध था। वस्तुतः भारत के धन और ऐश्वर्य ने ही अंग्रेजों को अपनी ओर आकृष्ट किया था। लेकिन अंग्रेजी राज्य की स्थापना देश के आर्थिक हास का कारण बन गई। भारत के श्रेष्ठ हस्त-कला-कौशल एवं उच्चोग-धन्धे सभी कुछ धीरे-धीरे चौपट हो गए क्योंकि उन्हें विदेशी उच्चोग-धन्धों से अत्यन्त प्रतिकूल एवं विषम परिस्थितियों में टक्कर लेनी पड़ी।

यत्तायात के साधनों के शीघ्र विकास ने अंग्रेजों को भारतवर्ष में अपनी जाकित सबल करने में सहायता दी। इसी समय इंगलैण्ड से मशीनों की बनी वस्तुओं का भारत में आता और बिकना शुरू हो गया। इसका स्वाभाविक फल यह हुआ कि भारत की शिल्पकलाओं और घरेलू उच्चोग-धन्धों को अपार धति पहुंची। अंग्रेजों ने गिर रहे भारतीय उच्चोग-धन्धों को तनिक भी सहारा नहीं दिया। उन्होंने तो भारतवर्ष को नियिक यन्त्रोदयों के बास्ते कच्चे माल का प्रदाता और अपने माल का ग्राहक बनाने की निर्धारित नीति का पूर्णरूप से अनुसरण किया। नियिक सरकार वी इस नीति ने भारत के विश्वविश्रृत जुलाहों के भूम की रोटी छीनते के लिए लंकाशायर और मानसेटर के विशाल यन्त्रोदयों का भारी निष्पाप्तक कर दिया। दूसरी कोई सदय सरकार इस विनाश को रोक सकती थी। अंग्रेज सब कुछ थे, न थे, तो केवल भारत के हितनी। इसका धातक परिणाम यह हुआ कि सहस्रों शिल्पियों की जीविका का अन्त हो गया और उन्हें कृषि का आशय लेना पड़ा। जब भूमि पर अधिक दबाव पड़ना ग्रामभ हुआ, उसकी उर्वरा शब्दित जबाब देने लगी। ऐसी स्थिति में जधता हुँख-दैन्य से कराह उठी। इस प्रकार, यह स्पष्ट हो जाता है नियिक राज्य के कारण भारत को न केवल राजनीतिक परावीनता ही भोगनी पड़ी, प्रत्युत उसके पैरों में आर्थिक दासता की बेहियी भी पड़ गई।

विदेशी शासन की खाया में भारत के आर्थिक और राजनीतिक पतन के साथ ही साथ, यहाँ के गाँवों में सहस्रों धरों से जो स्व-शासन चला आ रहा था, उसकी भी नींवें हिल गई। भारतीय ग्रामों की पंचायती शासन-ध्यवस्था में मुगल सम्राटों ने भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। उन्होंने अपनी सत्ता के प्रयोग को लगान-बसूली और सेना की भरती तक ही सीमित रखा था। सोकप्रिय पंचायतें अधिकांशतः उन समस्त

## THE DREADFUL DRAGON

voices of choristers and the golden voices of senators. Westminster is firm underfoot nowadays ; yet, even so, as you come away from it up the Duke of York's steps, you feel that you are mounting into a drier, brisker air ; and this sensation is powerfully repeated when anon you climb St. James's Street. Not lower, you feel, not lower than Piccadilly would you have your home. And this, it would seem, was just what the average man felt forty-one thousand years ago. Nature had placed in the steep chalky slopes from the marshes a fair number of commodious caves ; but these were almost always vacant. Only on the higher levels did human creatures abound.

And scant enough, by our present standards, that abundance was. In all the space which the forest had left free—not merely all Mayfair, remember : all Soho, too, and all that lies between them—the population was hardly more than three hundred souls. So low a figure is hard to grasp. So few people, in a place so teeming now, are almost beneath our notice. Almost, but not quite. What there was of them was not bad.

Nature, as a Roman truly said, does not work by leaps. What we call Evolution is a quite exasperatingly slow process. We should like to compare favourably with even the latest of our predecessors. We wince whenever we read a declaration by some eminent biologist that the skull of the prehistoric man whose bones have just been unearthed in this or that district differs but slightly from the skull of the average man in the twentieth century. I hate having to tell you that the persons in this narrative had well shaped heads, and that if their jaws were more prominent, their teeth sharper, their backs less upright, their arms longer and hairier, and their feet suppler than

नहीं कि विद्रोह उम्म स्वतन्त्रता-आनंदोलन से सर्वथा भिन्न था जिसका सूचपात १८५८ में कांग्रेस की स्थापना के पश्चात् हुआ। विद्रोह के संगठन में शिथिलता थी एवं उसे जनता की वास्तविक तथा अनवरत महायता भी नहीं मिली। इसके अतिरिक्त विद्रोह एक प्रजातांत्रिक और प्रगतिशील आनंदोलन होने की अपेक्षा एक प्रतिगामी आनंदोलन ही अधिक था। लेकिन फिर भी, वह भारत की स्वतन्त्रता का प्रथम युद्ध था, विटिश शासन को जड़ से उखाड़ कर फेंक देने का एक प्रबंध और गौरवपूर्ण प्रयास था। उसने विदेशी शासन के प्रति भारत की निष्क्रिय आधीनता के युग का अन्त कर दिया। इसके उपरान्न राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का संघर्ष, यद्यपि अब उसका रूप दूसरा था, बराबर आगे बढ़ता गया और वह १५ अगस्त, १८४७ तक जवाहि भारत ने विदेशी शासन से मुक्ति प्राप्त की, जारी रहा।

असन्तोष का प्रचण्ड विस्फोट—उन सत्तावन का विद्रोह विटिश शासन के प्रभाव से उत्पन्न हुए भारतीय जनता के अतुल असन्तोष का आकस्मिक विस्फोट था। हैस्ट इण्डिया कम्पनी के लोलुप नौकरों के दुष्टतापूर्ण कृत्यों, देश के निर्मम आंशिक शोषण और जनता की बढ़ती हुई दरिखता, क्रिश्चियन मिशनरियों के प्रचार एवं पाइचात्य संस्कृति के प्रसार ने भारत में व्यापक असन्तोष की भावना को उत्पन्न कर दिया था। भारत से विदा लेते समय लॉर्ड डलहौजी का यह हड़ विश्वास था कि मैं अपने पीछे जान्त भारत को छोड़े जा रहा हूँ। लेकिन वास्तव में उस समय भारत एक ऐसे ज्वालामुखी के तुल्य था जो अब फटने ही वाला था। सेना में चरवी लगे कारतूसों के प्रदोष ने तो बालूद में दियासलाई लगाने भर का काम किया। अबध सतारा, बीदर और नागपुर के पदच्युत जासकों तथा झांसी की रानी दीरांगना लक्ष्मीवाई ने उस धनीभूत अमन्नोप को नेतृत्व एवं दिशा प्रदान की।

उन् मत्तावन का विद्रोह अपने उद्देश्य में सफल न हो सका। अंग्रेज उसका दमन करने में नफल हुए, लेकिन विद्रोह को दवाने में अंग्रेजों ने जिस निर्दय और प्रति-हिंसात्मक नीति का आचरण किया, हिसा का सामना करते समय जिस पश्चात् और वर्षरता को अपनाया, चारों ओर जिस भय और आतंक की सृष्टि की, वह उनके जातीय जीवन पर कलंक का टीका है। गैरेट ने “एन इण्डियन कमेण्ट्री” में उसका निन्द-लिखित घट्टों में बर्णन किया है; “अंग्रेजों ने अपने सहलों बन्दियों को बिना किसी अभियोग की मुनव्वाई के मीत के घाट उतार दिया; यह सभी भारतीयों की हड़ि में वर्षरता की चरम सीमा थी। मुसलमानों को मारने से यहले सूचर की खालों में सी दिया जाता था, उनपर सूचर की चरवी मल दी जाती थी, फिर उनके ज़रीर जला दिए जाते थे और हिन्दुओं को बलभूत क वर्षभ्रष्ट किया जाता था। हजारों की संख्या में स्त्री, पुरुष और बालकों को न केवल दिली में प्रत्युत देहातों में जा-जा कर कत्ल

## THE DREADFUL DRAGON

eyed nomad, passed this way, blinking from the forest or soaked from the river ; and glad always was such an one to rest awhile here, and tell to his good hosts tales of the outlying world. Tales very marvellous to the dwellers in this sleek safe homeland !—tales of rugged places where no men are, or few, and these in peril by night and by day ; tales of the lion, a creature with yellow eyes and a great mop of yellow hair to his head, a swift and strong creature, without pity ; and of the tusked mastodon, taller than the oldest oak, and shaking the ground he walks on ; and of the winged dragon, that huge beast, poising so high in the air that he looks no bigger than a hawk, yet reaching his prey on earth as instantly as a hawk his ; and of the huge crawling dragon, that breathes fire through his nostrils and scorches black the grass as he goes hunting, hunting ; of the elephant, who fears nothing but mastodons and dragons ; of the hyena and the tiger, and of beasts beside whom these seem not dreadful.

Wide-eyed, open-mouthed, the homelanders would sit listening. ‘O wanderer,’ would say one, ‘tell us more of the mastodon, that is taller than the oldest oak.’ And another would say, ‘Make again for us, O wanderer, the noise that a lion makes.’ And another, ‘Tell us more of the dragon that scorches black the grass as he goes hunting, hunting.’ And another, ‘O you that have so much wandered, surely you will abide here always ? Here is not hardship nor danger. We go not in fear of the beasts whose roast flesh you have tasted and have praised. Rather go they in great fear of us. The savoury deer flees from us, and has swifter feet than we have, yet escapes not the point of the thrown spear, and falls, and is ours. The hare is not often luckier, such is our skill. Our goats and our

अपनी वर्वर इच्छाओं की पूर्ति की थी। अंग्रेज भी इसी लकीर के फकीर बने।”<sup>१</sup> ब्रिटिश शासकों ने भारतीयों को जरा-जरा सी बात के लिए, अलुमान अपराध होने पर भी भयंकर दण्ड दिए। इसके विपरीत यदि कोई यूरोपीय किसी भारतीय के प्राण तक ले लेता, तब भी उसे बहुत हरका दण्ड दिया जाता था। संक्षेप में महारानी विकटोरिया की वह नीति जिसमें कहा गया था कि “प्रजा की प्रसन्नता में ही हमारा खल है, उसके संतोष में ही हमारी सुरक्षा है और उसकी कुतश्ता ही हमारे लिए सर्वथेष्ठ पारितोषिक है” व्यवहार में किंचिन्मान भी प्रयुक्त न की गई।

नीति का परिणाम—“रक्त और लोहे की नीति” भारतीयों के सिए असह्य थी; इसने उनके हृदय में अंग्रेजों के प्रति भयंकर विद्वेष की अभिन वो प्रज्वलित कर दिया। कोई भी दास अपने स्वामी से स्नेह नहीं कर सकता। वह स्वामी जो वर्वर पशु के तुल्य आचरण करता है, निश्चय ही घुणा का पात्र बन जाता है, जाहे यह घुणा प्रकट न हो सके। भारतीयों के साथ भी यही हुआ। अंग्रेजों को अपना “छिपा जनु” समझने लगे। यदा-कदा घुणा की इस अधोमुखी धारा ने १८७२ के “मालेरकोटला विद्रोह” जैसी हिंसक चेष्टाओं में अपना निकास पाया। अंग्रेजों ने इन घटनाओं का भयंकर प्रतिशोध लिया। उन्होंने “मालेर कोटला विद्रोह” के प्रश्न को लेकर ४६ सिवर्खों को विना किसी अभियोग की सुनवाई के फौरी के तस्वीर पर चढ़ा दिया था। यद्यपि इस प्रकार के विस्फोट अधिक तो नहीं हुए, परन्तु घुणा की आग लोगों के दिलों में वरावर सुलगती रही। अंग्रेजों के दर्प और अत्याचार ने घुणा की इस आग को, जिसने धीरे-धीरे परन्तु असंदिग्ध रूप से भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को दुर्बल कर दिया, और भी भड़काया।

भारतीयों का शासन से निष्कासन—भारतीयों के प्रति अविश्वास की नीति पर आचरण करने का फल यह हुआ कि ब्रिटिश शासकों ने उन्हें शासन के समरत भहत्वपूर्ण पदों से बंचित कर दिया। प्रजा में से जो बहुत ही स्वामिभवत थे, शासकों की हृषि में वे भी संदेह के पात्र थे। महारानी विकटोरिया के इस बचन की कि बंश, जाति और धर्म के आधार पर किसी भी भारतीय को कोई भी पद बारण करने से बंचित नहीं किया जायगा, पग-पग पर अबहेलना की गई। विदेशी शासकों ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के फौलादी ढाँचे—आई० सी० एस०—में भारतीयों का प्रवेश कठिन कर देने के उद्देश्य से परीक्षा में वैठने की अवस्था २१ वर्ष से बढ़ा कर २० वर्ष और २० वर्ष से बढ़ा कर १६ वर्ष कर दी। चूंकि ये परीक्षाएँ इंगलैण्ड में होती थीं,

१. जी० एन० सिंह द्वारा उद्धृत—“लैंड मार्स इन इण्डियन कास्टीट्यूशनल एण्ड नेशनल डेवलपमेण्ट, पृ० १०८।”

## THE DREADFUL DRAGON

wattles. Such huts were already numerous, dotted about in all directions. Elder folk thought them very ugly, and said that they spoilt the landscape. Yet what was to be done? It is well that a people should multiply. Though these homelanders now deemed themselves very many indeed (their number, you see, being so much higher than they ever could count up to, even incorrectly), yet not even the eldest of them denied that there was plenty of room and plenty of food for more. And plenty of employment, you ask? They did not worry about that. The more babies there were, the more children and grown folk would there be anon to take turns in minding the ample flocks and herds, and the more leisure for all to walk or sit around, talking about the weather or about one another. They made no fetish of employment.

I have said that they were not bad. Had you heard them talked about by one another, you might rather doubt this estimate. You would have heard little good of any one. No family seemed to approve of its neighbours. Even between brothers and sisters mutual trust was rare. Even husbands and wives bickered. To strangers, as you have seen, these people could be charming. I do not say they were ever violent among themselves. That was not their way. But they lacked kindness

• Happiness is said to beget kindness. Were these people not happy? They deemed themselves so. Nay, there was to come a time when, looking back, they felt that they had been marvellously happy. This time began on the day in whose dawn smoke was seen rising from Hay Hill.

देशवासियों के विरुद्ध देशवासियों को लड़ा देने की इस नीति में उस साम्प्रदायिकता के बीज हिस्पे हुए हैं जिसने कलान्तर में भारत के राजनीतिक जीवन को इतना प्रभावित, विपाक्त और कल्पित किया। विद्रोह के पश्चात् मुसलमान अंग्रेजों के विशेष रूप से कोपभाजन हो गए थे जिनकि उन्होंने अन्तिम मुगल सम्राट् बहादुरशाह के झण्डे के नीचे खड़े होने और विदेशी शासकों के विरुद्ध शास्त्र उठाने का अक्षम्य अपराध किया था। एक जाति के तौर पर मुसलमान सरकारी अनुग्रह से हाथ थोंवेठे। शासन ने मुसलमानों के प्रति तिरस्कार एवं हिन्दुओं के प्रति पक्षपात का भाव प्रदर्शित किया। यह भारत की दो विशिष्ट जातियों के बीच भेदभाव की सृष्टि करने और उन्हे जान-दूकर एक दूसरे से अलग करने की नीति का स्पष्ट प्रमाण था। अंग्रेज लोग एक-दूसरे को आपस में लड़ाकर अपनी स्थिति सुरक्षित कर लेने की कला में अत्यन्त निपुण थे। बाद में सर सव्यट अहमदखाँ जैसे उत्साही मुस्लिम नेता ही अपनी जाति के प्रति अंग्रेजों के अविश्वास-भाव को दूर करने में सफल हुए। आगे चलकर परिस्थिति ने पलटा खाया। जैसे-जैसे राष्ट्रीयता की भावना बढ़ती गई, अंग्रेजों ने हिन्दुओं के प्रति विरक्ति एवं मुसलमानों के प्रति अनुरक्ति का भाव प्रदर्शित करना प्रारम्भ किया। ऐसा करने में अंग्रेजों का स्वार्थ यही था कि मुसलमानों को प्रोत्साहित करके, उन्हें कतिपय रियायतें देकर राष्ट्रीयता की बढ़ती हुई तरंगिणी को रोकने के लिए दृढ़ चट्ठान की तरह प्रयुक्त किया जाए।

#### ४. विद्रोह के पश्चात् वैधानिक परिवर्तन

विद्रोह के पूर्व का भारतीय शासन—१८५७ के विद्रोह के सम्बन्ध में यह तो नहीं कहा जा सकता कि वह किन्हीं वैधानिक कारणों का फल था, तथापि उसने भारत की शासन-प्रणाली में कई मौलिक परिवर्तन उपस्थित किए। विद्रोह के पूर्व भारतीय शासन का निरीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण ‘बोर्ड ऑफ कॉम्ट्रोल’ के हाथों में था। कोई ऑफ डाइरेक्टर्स की स्थिति १८५३ के अधिनियम के फलस्वरूप परामर्शदात्री समिति के तुल्य ही रह गई थी। भारत में काय়পালিকা-দাকित स-परिषद् गवर्नर-जनरल में निहित थी। प्रान्तीय शासन स-परिषद् गवर्नर्सों के कर्त्त्वों पर था। सम्पूर्ण भारत के लिए विधि-निर्माण का कार्य सा-परिषद् गवर्नर-जनरल अपने छ: विधायी सदस्यों की सहायता से करता था। विधायी सदस्यों में से दो तो कलकत्ते के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा शेष चार सदस्य मद्रास, बम्बई, बंगाल और आगरे की स्थानीय सरकारों द्वारा नियुक्त सरकारी कर्मचारी होते थे।

कम्पनी के शासन का अन्त—१८५७ के विद्रोह ने कम्पनी के शासन का अन्त कर दिया। जैसे तो कम्पनी के शासन को विद्रोह के पूर्व भी बांछनीय नहीं समझा

## THE DREADFUL DRAGON

slipped, tumbled head over heels, rolled, picked himself up, saw Thia, and rushed weeping towards her.

'What ails you, O child?' asked Thia, than whom Thol was indeed a year younger and much smaller.

'O!' was all that the child vouchsafed between his sobs, 'O!'

Thia thought ill of tears. Scorn for Thol fought the maternal instinct in her. But scorn had the worst of it. She put her arms about Thol. Quaveringly he told her what he had just seen, and what he believed it to be, and how it lay there asleep, with just its head and tail outside Gra's cave, snoring. Then he broke down utterly. Thia looked at the hill. Maternal instinct was now worsted by wonder and curiosity and the desire to be very brave—to show how much braver than boys girls are. Thia went to the hill, shaking off Thol's wild clutches and leaving him behind. Thia went up the hill, quickly but warily, on tiptoe, wide-eyed, with her tongue out upon her underlip. She took a sidelong course, and she noticed a sort of black path through the grass, winding from the mouth of Gra's cave, down one side of the hill, and away, away till it was lost in the white mists over the marshes. She climbed nearly level with the cave's mouth, and then, peering through a bush which hid her, saw what lay behind the veil of smoke.

Much worse the sleeping thing was than she had feared it would be, much huger and more hideous. Its face was as long as a man's body, and lay flat out along the ground. Had Thia ever seen a crocodile's face, that is of what she would have been reminded—a crocodile, but with great pricked-up ears, and snuffing forth fiery murk in deep, rhythmic, luxurious exhalations. The tip of the creature's

था। परिषद् के आवे से अधिक सदस्यों के लिए यह आवश्यक था कि वे कम-से-कम इस वर्ष तक भारत में रह चुके हों और उन्हें अपने नए पद को सम्बालते समय अर्थात् परिषद् के सदस्य बनते समय भारत छोड़े दस वर्ष से अधिक समय न बीता हो। पौरषद् के सदस्य सदाचारपर्यन्त अपने पद पर स्थित रहते थे यद्यपि संसद के दोनों सदनों की प्रारंभिक पर उन्हें अपदस्थ किया जा सकता था। परिषद् के प्रत्येक सदस्य का वेतन १२,००० पौंड प्रतिवर्ष था। यह वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाता था। परिषद् का अध्यक्ष भारत-मन्त्री था और उसे मताधिकार प्राप्त था। वरावर मत होने की स्थिति में वह अपने एक नियुक्ति का प्रयोग कर सकता था। यदि परिषद् का बहुमत भारत-मन्त्री के किसी प्रस्ताव से सहमत न होता तो भारत-मन्त्री परिषद् की सम्मति का उल्लंघन कर सकता था। लेकिन ऐसा करते समय उसे कारणों का निर्देश करना पड़ता था। भारतीय राजस्व के अनुदान और विनियोग के सम्बन्ध में भारत-मन्त्री के लिए परिषद् के बहुमत का निर्णय स्वीकार करना आवश्यक था। भारत के विभिन्न अधिकारियों के नाम-निर्देशन, अथवा पद-नियुक्ति के अनुग्रहाधिकार के विभाजन और वितरण सम्बन्धी विनियम बनाने में भी भारत-मन्त्री परिषद् के बहुमत का निर्णय मानने के लिए वाल्य था। इसके अतिरिक्त क्रय, विक्रय सौदा करने और भारत-सरकार की सम्पूर्ण सम्पत्ति के मामले में भी परिषद् के बहुमत की ही चलती थी। भारत-मन्त्री को गवर्नर जनरल से गुप्त पत्र-व्यवहार करने की अनुमति थी। भारत-मन्त्री के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वह अपने गुप्त पत्र-व्यवहार को परिषद् के सामने रखे।

१८५८ के अधिनियम की एक विशेषता यह थी कि उसने पद-नियुक्ति के अनुग्रहाधिकार को 'क्राउन', स-परिषद् भारत-मन्त्री और भारतीय अधिकारियों के बीच बांट दिया। अधिनियम ने नियित किया कि वे समस्त नियुक्तियाँ और पदोन्नति जो इस समय भारत-स्थित अधिकारियों के हाथों में हैं, भविष्य में भी उन्हीं के हाथों में बनी रहेंगी। सिविल सेविस की नियुक्तियाँ प्रतिवेमी परिक्षाओं द्वारा होंगी। इन परीक्षाओं के नियम लोक-सेवा-आयोगों की सहायता से स-परिषद् भारत-मन्त्री बनाएगा। अधिनियम का एक अन्य महत्वपूर्ण उपबन्ध यह था कि उसने भारत-मन्त्री के लिए प्रति वर्ष संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत की नैतिक और भौतिक प्रगति का खेला उपस्थित करना अनिवार्य कर दिया। अधिनियम ने यह भी नियित किया कि भारत का राजस्व विदिश संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति के बिना भारतीय सीमाओं के बाहर किन्हीं सैनिक कार्यों के लिए प्रयुक्त नहीं होगा। अंशतः, १८५८ के अधिनियम ने स-परिषद् भारत-मन्त्री को एक संयुक्त निकाय घोषित किया जो इंगलैण्ड और भारत में अभियोग का बादी अथवा प्रतिबादी हो सकता था।

## THE DREADFUL DRAGON

his mother had died in giving him birth ; and one day, when he was but seven years old, his father, who was a shepherd, had been attacked and killed by an angry ram. In the sleek safe homeland this death by violence had made a very painful impression. There was a general desire to hush it up, to forget it. Thol was a reminder of it. Thol was ignored, as much as possible. He was allowed to have the cave that had been his father's, but even the widow Gra, in the cave so near to his, disregarded him, and forbade her children to play with him. However, there dwelt hard by in the valley a certain shepherd, named Brud, and he, being childless, saw use for Thol as helping-boy, and to that use put him. Every morning, it was Thol's first duty to wake his master. It was easy for Thol himself to wake early, for his cave faced eastwards. To-day in his great excitement about the dragon he had forgotten his duty to Brud. He went running now to perform it.

Brud and his dog, awakened, came out and listened to Thol's tale. Truthfulness was regarded by all the home landers as a very important thing, especially for the young. Brud took his staff, and 'Now, O Thol,' he said, 'will I beat you for saying the thing that is not.' But the boy protested that there was indeed a dragon in Gra's cave ; so Brud said sagely, 'Choose then one of two things : either to run hence into Gra's cave, or to be beaten.' Thol so unhesitatingly chose to be beaten that it was clear he did believe his own story. Thia, moreover, came running up to say that there truly was a dragon. So Brud did not beat Thol very much, and went away with his dog towards the hill, curious to know what really was amiss up there.

Perhaps Thia was already sorry she had called Thol a coward, for, though he was now crying again loudly, she

उसकी सदस्य-संख्या २४ से घटाकर १८ ही रहने दी गई थी। इन १८ डायरेक्टरों में से भी ६ को 'क्राउन' नियुक्त करता था। १८५३ के पूर्व संसद ने जितने भी चार्टर-अधिनियम पास किए थे उनका कार्यकाल २० वर्ष ही रहता था। १८५३ के अधिनियम ने कम्पनी के चार्टर को २० वर्ष के लिए संशोधित नहीं किया था। उसने केवल यही कहा कि कम्पनी 'क्राउन' की ओर से उस समय तक, जब तक संसद कोई अन्य व्यवस्था न करे, भारतीय प्रदेशों पर धरोहर के रूप में शासन कर सकती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि १८५३ के अधिनियम ने भारतीय शासन को कम्पनी के हाथों से लेकर 'क्राउन' के हाथों में सौंप देने का पथ प्रशस्त कर दिया था। १८५८ के अधिनियम ने तो पूर्वकाल से ही प्रारम्भ की गई प्रक्रिया को पूर्णभर किया। १८५८ के पश्चात् भारत-मन्त्री ने बोर्ड ऑफ कल्टोल के अध्यक्ष तथा भारत-परिषद् ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का स्थान प्रहरण किया।

**महारानी विक्टोरिया की घोषणा**—‘क्राउन’ हारा भारतीय सत्ता के ग्रहण के समाचार से भारतीय जनता को महारानी विक्टोरिया की घोषणा ने परिचित कराया। इस सम्बन्ध में लॉडिंग कैनिंग ने जो 'क्राउन' की ओर से भारत के प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे, पहली नवम्बर, १८५८ को इलाहाबाद में एक शानदार दरबार किया और उसमें महारानी विक्टोरिया के घोषणा-पत्र को स्वर्व पढ़कर सुनाया। यह घोषणा-पत्र ‘सदयता, उदारता और धार्मिक सहिष्णुता’ की भावनाओं से परिपूर्ण था। इसमें देशी नरेशों को यह विश्वास दिलाया गया था कि 'क्राउन' उनके स्वत्वों पूर्व अधिकारों की रक्षा करेगा। घोषणा-पत्र ने भारत-स्थित अधिकारियों को यह आदेश दिया था कि वे जनता के धार्मिक मामलों में रंचमान्त्र भी हस्तक्षेप न करें और उसे पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता का उपभोग करने दें। घोषणा-पत्र ने यह भी निर्धारित किया था कि भारत के लिए विधि-निर्माण करते समय देश के रीति-रिवाजों, परम्पराओं और लोकाचारों का निरन्तर ध्यान रखा जाएगा। उसमें यह भी विश्वास दिलाया गया था कि 'हर मैजिस्ट्री' की भारतीय प्रजा को ड्रिटिक्स साम्राज्य के अन्य भागों की प्रजाओं के समकक्ष ही मान्यता प्राप्त होगी। घोषणा-पत्र ने समस्त भारतीयों को विनाकिरी भेद-भाव और पक्षपात के योग्यतानुसार शासन के उच्च-से उच्च पद देने और समाज अधिकार व अधिसर प्रदान करने का वचन दिया। घोषणा-पत्र में यह भी कहा गया था कि बिद्रोहियों के साथ देश का व्यवहार किया जाएगा और ईस्ट इण्डिया कम्पनी के समय की समस्त सम्बिधान जारा रहेंगी। घोषणा-पत्र के अन्त में भारतीयों को यह विश्वास दिलाया गया था कि ड्रिटिक्स सरकार उनकी भीतिक तथा नीतिक उन्नति करने में कुछ उठा न रहेगी।

घोषणा-पत्र का महस्त्र-महारानी विक्टोरिया के घोषणा-पत्र का भारत के

## THE DREADFUL DRAGON

she love parents whom she did not remember? She was full of love for the homelanders; and naturally she hated the thought they hated: that some day two wanderers might come and whisk her away.\* She loved this people and this place the more deeply perhaps because she was not of them. Forget the harsh things she has just said to Thol. He surely was to blame. And belike she would even have begged his pardon had she not been preoccupied with thoughts for the whole homeland, with great fears of what the dreadful dragon might be going to do when he woke up.

### IV

And a wonder it was that he did not wake forthwith, so loud a bellow of terror did Brud and his dog utter at the glimpse they had of him. The glimpse sufficed them: both bounded to the foot of the hill with incredible speed, still howling. From the mouths of caves and huts people darted and stood agape. Responsive sheep, goats, geese, what not, made great noises of their own. Brud stood waving his arms wildly towards the hill. People stared from him to the column of smoke, and from it to him. They were still heavy with sleep. Unusual behaviour at any time annoyed them, they deeply resented behaviour so unusual as this so early in the morning. Little by little, disapproval merged into anxiety. Brud became the centre

\* Lest the reader assume that in the course of this narrative one or both of Thia's parents will return to claim her, let me at once state that within a few months of her being left in the homeland her father was killed by a lion, and her mother by a lioness, in what has since become Shropshire

आवश्यकमात्रों के सम्बन्ध में एक जोरदार पत्र लिखा। ६ जून, १८६१ को सर चार्ल्स बुड ने भारत-परिषद्-अधिनियम कॉमिन-प्रभा (House of Commons) के सामने प्रस्तुत किया।

**प्रमुख उच्चबन्ध** — १८६१ के भारत-परिषद्-अधिनियम ने पहला काम तो यह किया कि गवर्नर जनरल की कार्यपालिका-परिषद् में एक और—पौंचवाँ—सदस्य बढ़ाया। यह सदस्य कानूनी पेशे से सम्बन्ध रखता था। अधिनियम ने दूसरी बात वह की कि गवर्नर जनरल को परिषद् का कार्य सुचाह रूप से चलाने के लिए नियम और आदेश बनाने का अधिकार दिया। गवर्नर जनरल अपनी अनुपस्थिति में परिषद् की बैठकों का सभापतित्व करने के लिए परिषद् में से ही किसी एक सदस्य को मनोनीत कर सकता था। अधिनियम ने गवर्नर जनरल को यह शक्ति दी थी कि वह भारत में विभाग-बद्धवस्था चला सकता है अर्थात् अपनी कार्यपालिका-परिषद् के प्रत्येक सदस्य को शासन का कोई एक महत्वपूर्ण विभाग संौंप सकता है। विभाग-बद्धवस्था का मूल मिथ्कान यह था कि प्रत्येक विभागाध्यक्ष अपने विभाग के छोटे-छोटे प्रश्नों का स्वर्ण ही निर्णय करे और वे-वे प्रश्नों का अन्य विभागाध्यक्षों से विचार-विनियम करके तथा गवर्नर जनरल से पश्चामर्श लेकर निर्णय करे। १८६१ के अधिनियम ने तीसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन यह किया कि उसने विधि और विनियम बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद् का विस्तार किया। अधिनियम ने निश्चित किया कि परिषद् में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम-से-कम ६ और अधिक-से-अधिक १२ रहनी चाहिए। यह आवश्यक था कि इन अतिरिक्त सदस्यों में कम-से-कम आवे सदस्य गैर-सरकारी हों। अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष था। परिषद् के कार्य और अधिकार विधि और विनियम बनाने तक ही सीमित थे। उसे कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं थी। परिषद् के ऊपर अनेक प्रतिबन्ध लगे हुए थे। सार्वजनिक ऋण और राजस्व, धर्म और सेना आदि विषयों से सम्बन्ध रखने वाले प्रस्ताव गवर्नर जनरल की पूर्व-स्वीकृति के बिना उपरिक्षेत्र नहीं किए जा सकते थे। गवर्नर जनरल परिषद् द्वारा पास किए गए किसी भी कानून पर न केवल विशेषाधिकार का ही प्रयोग कर सकता था, प्रत्युत उसे आपात-काल में अव्यादेश निकालने की भी शक्ति थी। गवर्नर जनरल के आधारेश का वही बल और प्रभाव होता था जो कि परिषद् द्वारा पास किए गए किसी कानून का।

अधिनियम ने प्रान्तीय विधि-निर्माण के लिए प्रत्येक प्रेसीडेंसी के गवर्नर को यह अधिकार दिया था कि वह अपनी परिषद् में एक तो प्रेसीडेंसी के महाधिवक्ता को तथा कम-से-कम चार और अधिक-से-अधिक आठ अतिरिक्त सदस्यों को नियुक्त कर सकता है। परिषद् का कार्य विशुद्ध रूप से विवायी था। प्रान्तीय परिषद् द्वारा

## THE DREADFUL DRAGON

far and near. Up, straight up through the windless air went the column of smoke steadfastly, horribly, up higher than the eyes of the homelanders could follow it.

What was to be done? Could nothing be done? Could not some one, at any rate, say something? People who did not know each other, or had for years not been on speaking terms, found themselves eagerly conversing, in face of the common peril. Solemn parties were formed to go and view the dragon's track, its odious scorched track from the marshes. People remembered having been told by wanderers that when a dragon swam a river he held high his head, lest his flames should be quenched. The river that had been crossed last night by this monster was a great god. Why had he not drowned the monster? Well, fire was a great god also, and he deigned to dwell in dragons. One god would not destroy another. But again, would even a small god deign to dwell in a dragon? The homelanders revised their theology. Fire was not a god at all.

Then, why, asked some, had the river not done his duty? The more rigid logicians answered that neither was the river a god. But this doctrine was not well received. People felt they had gone quite far enough as it was. Besides, now was a time rather for action than for thought. Some of those who were skilled in hunting went to fetch their arrows and spears, formed a sort of army, and marched round and round the lower slopes of the hill in readiness to withstand and slay the dragon so soon as he should come down into the open. At first this had a cheering and heartening effect (on all but Thol, whose personal aspiration you remember). But soon there recurred to the minds of many, and were repeated broad-

परिषद्-अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य यही था कि भारत में नौकरशाही जैसे-तैसे करके अपना कार्य चलाती रही।

#### ५. भारतीय राष्ट्रीयता का जन्म-काल १८७६-१८८४

भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम के उद्भव एवं विकास के अध्ययन में १८६७ से १८८४ तक के समय की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। लाइंगिटन एवं लाईंसिन के इस शासन-काल को भारतीय राष्ट्रीयता के जन्मकाल के नाम से ठीक ही सम्बोधित किया जाता है। हम देख चुके हैं कि विद्रोह के पश्चात् सरकार हार प्रयुक्त अविश्वास एवं दमन की नीति, देशवासियों को आपस में लड़ाने के साम्राज्यवादी दाव-पेंच और जनता के बढ़ते हुए दारिद्र्य आदि तथ्य भारतीयों को विदेशी शासन के दोषों का समुचित परिज्ञान करा रहे थे। यद्यपि भारतीयों ने अभी तक ड्रिटिश शासन का विरोध स्पष्ट एवं संगठित रूप से तो नहीं किया था परन्तु उनके हृदय में विदेशी राज्य के प्रति विरक्ति की मावना दिन दूनी रात चौमुनी बढ़ती जाती थी। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि उस समय राष्ट्रीयता का बातावरण होने के लिए भूमि तैयार हो रही थी। ड्रिटिश इण्डियन एसोसिएशन औफ बंगाल, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इस्ट इण्डियन इसोसिएशन, वॉन्वे प्रेसीडेन्सी एसोसिएशन और पूना सार्वजनिक सभा आदि राजनीतिक संस्थाएँ भारत के राजनीतिक रंगमंच पर पहले से ही प्रकट हो चुकी थीं तथा शासन सुधार सम्बन्धी अन्दोलन करने में संलग्न थीं। तथापि इन संस्थाओं का एक निर्धारित क्षेत्र था। राष्ट्रीय अन्युदय, एवं राजनीतिक स्वाधीनता के किसी तांगोपांग ग्रोग्राम का उनके पास अभाव था। लाइंगिटन के शासनकाल में कातिपय ऐसे अन्यथा एवं दमन के कार्य किए गए जिनके फलस्वरूप जन-साधारण और शिक्षित भारतीयों, दोनों के हृदयों में समान रूप से, विदेशी शासन के प्रति रोष की वह भावना जागृत हो गई जिसने १८८५ में राष्ट्रीय महासभा (Indian National Congress) के संस्थापक का भाग राफ़ कर दिया।

देहली दरवार—लिटन डिजरेली की विचारधारा का साम्राज्यवादी था एवं राजकीय शक्ति-सामर्थ्य के प्रदर्शन में उसकी हड़ अवस्था थी। राजनीतिक दूरदर्शिता का उसमें अभाव था और भारतीय जनता की भावनाओं एवं उच्चाकांबाओं के प्रति उसके हृदय में तनिक भी सहानुभूति नहीं थी। उसके शासन काल में महाराजा विंडोरिया की नई उपाधि, ‘कैसरे-हिन्द’ (भरत साम्राज्य) की घोषणा करने के लिए १८७३ में शानदार देहली दरवार किया। इसी दरवार में ड्रिटिश नौकरशाही, भारतीय नरेण्ठों, सामन्ती मुखियों और अन्य राजभक्तों ने भाग लिया, परन्तु यह ‘व्यवसाध्य एवं विराट् प्रदर्शन’ अत्यन्त अनुप्रवृत्त अवसर पर किया गया। उस समय दक्षिण

## THE DREADFUL DRAGON

But Thia answered them, 'My heart is too sad. We are all in peril. For myself I am not afraid. But how should I dance, who love you? Not again, O dear ones, shall I dance, until the dragon be slain or gone back across the water. Neither shall I put flowers in my hair nor sing'

She went her way, and was presently guiding a flock of geese to a pond that does not exist now.

. V

She sat watching the geese gravely, fondly, as they swam and dived and cackled. She was filled with a sense of duty to them. They too were homelanders and dear ones. She wished that all the others could be so unknowing and so happy.

A breeze sprang up, swaying the column of smoke and driving it across the valley, on which it cast a long, wide, dark shadow.

Thia felt very old. She remembered a happy and careless child who woke—how long ago!—and went looking for mushrooms. And this memory gave her another feeling. You see, she had eaten nothing all day.

Near the pond was a cherry tree. She looked at it. She tried not to. This was no day for eating. The sight of the red cherries jarred on her. They were so very red. She went to the tree unwillingly. She hoped no one would see her. In your impatience at the general slowness of man's evolution, you will be glad to learn that Thia, climbing that tree and swinging among the branches, had notably more of assurance and nimble ease than any modern child.

आलोचनाओं में जनता का रोप व्यक्त होता था। वे राष्ट्रीय चेतना के विकास में एवं जनता के क्रोध को तीव्रता देने में सहायता पहुँचा रहे थे। बर्नाक्युलर प्रेस के नित्यप्रति बहुते प्रभाव को देखकर नीकरशाही के सिर में दर्द होने लगा। लॉई लिटन ने भारत-मन्त्री को 'देशी प्रेस के' इस बहुते हुए प्रभाव के सम्बन्ध में जो अब प्रत्यक्ष विद्रोह का सूचक था, लिखा। वायसराय इस बात को अच्छी तरह समझता था कि समाचार-पत्रों की स्वाधीनता और विदेशी शासन का साथ-साथ निभ सकना असंभव है। परिणामतः बर्नाक्युलर प्रेस-विधेयक अथवा 'गलाघोट कानून'—जैसा कि वह उस समय बिल्यात था—अति शीघ्रता से, भारतीय व्यवस्थापिकान्तभा ढारा, एक ही दैठक में पास किया गया। यह भारतीय पत्रों की स्वाधीनता पर प्रत्यक्ष आक्रमण था। इस विधेयक के द्वारा जिलाधीशों के हाथों में यह अधिकार आ गया कि वे समाचार-पत्रों के मुद्रकों और प्रकाशकों से जमानतें माँग सकते हैं और उनसे ऐसे किसी समाचार के, जो शासन के प्रति असूचि या जातियों के बीच कटुता की भवना को उत्पन्न करे, प्रकाशित न करने की प्रतिज्ञा करवा सकते हैं। कानून भेंग करने पर वह जमानत अवृत्त की जा सकती थी और इस निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी। बर्नाक्युलर प्रेस-विधेयक इतना घातक था कि भारत-परिषद के एक सदस्य सर एरस्काइन मेरी ने भी उसको 'अदूरदर्शी, असामयिक और भारत की भावी उन्नति के लिए घातक' घोषया था। इस 'गलाघोट' कानून ने और उस संकुचितता ने जिसके साथ वह कार्यान्वयित किया गया, विरोध का एक तूफान खड़ा कर दिया। सारे देश में असंतोष की एक लहर दौड़ गई। भारत के लोक-नेताओं ने इस विधेयक के विरोध में एक देशव्यापी अल्दोलन खड़ा किया। पांच वर्षों के अविराम प्रयत्नों के पश्चात् १९५२ में यह विधेयक रद्द हुआ। इस विधेयक के निर्माण ने भारतीयों को पराधीनता के पाश से अवगत करा दिया और उनके हृदय में राष्ट्रीय जागरण की ऊर्जा प्रज्ज्वलित की।

कपास आयात-कर—लॉई लिटन ने कपास को बनी बस्तुओं पर से आयात-कर हटा कर भी भारतीयों के हृदय में अंग्रेजी शासन के प्रति अशङ्का उत्पन्न की। भारत में पहली कपास टैक्साइल मिल १९५१ में चालू हुई थी और प्रतिकूल परिस्थितियों के होते हुए भी धीरे-धीरे उन्नति कर रही थी। लंकाशायर और मानचेस्टर के व्यापारियों ने इसका विरोध किया। क्योंकि भारतीय टैक्साइल उद्योग के विकास को उन्होंने अपने एकाधिकार के लिए एक चुनीती समझा, उन्होंने गृह-सरकार पर इस बात के लिए दबाव डाला कि वह भारत सरकार को, बाहर से आए हुए कपास के कपड़े पर लगाए गए ५ प्रतिशत कर को उठा देने के लिए विवश करे। भारत-मन्त्री ने इस धोधी दलील के आधार पर कि, इस कर से भारतीय व्यापारियों को अनुचित प्रोत्सा-

## THE DREADFUL DRAGON

forward, flush with the ground, but the tail, which was longer still, swung its barbed tip slowly from side to side, and sometimes rose, threshing the air. Neck, body and tail were surmounted by a ridge of upstanding spurs. In fact, the dragon was just what I have called him : dreadful.

Spears flew in the twilight. Ringing noises testified that many of them hit the mark. They rang as they glanced off the scales that completely sheathed the brute, who, now and again, coiled his neck round to have a look at them, as though they rather interested and amused him. One of them struck him full on the brow (if brow it can be called) without giving him an instant's pause.

Anon, however, he halted, rearing his neck straight up, turning his head slowly this way and that, and seemed to take, between his great puffs of fiery smoke, a general survey of the valley. Twilight was not fading into darkness, for a young moon rode the sky, preserving a good view for, and of, the dragon. Most of the homelanders had with one accord retired to the further side of the valley, across the dividing stream. Only the spearmen remained on the dragon's side, and some sheep that were in a fold there. One of the spearmen, taking aim, ventured rather near to the dragon—so near that the dragon's neck, shooting down, all but covered the distance. The clash of the dragon's jaws resounded. The spearman had escaped only by a hair's breadth. The homelanders made a faint noise, something between a sigh and a groan.

The dragon looked at them for a long time. He seemed to be in no hurry. He glanced at the moon, as though saying, 'The night is young.' He glanced at the sheep fold and slowly went to it. Wanderers had often said of dragons that they devoured no kind of beast in any land

एक स्मृतिपत्र भेजा गया और अन्त में, जिस उत्साह के साथ आनंदोलन का संचालन किया गया था, उसके फलस्वरूप वह अपने उद्देश्य में सफल हुआ। इष्टियन सिविल सर्विस में बैठने वाली अबस्था दुबारा १६ वर्ष से बढ़ाकर २१ वर्ष की कर दी गई।

इल्वर्ट विल सम्बन्धी वाद-विवाद ने जो लार्ड लिटन के अनुबर्ती लार्ड रिपन के उदार शासनकाल में उठ खड़ा हुआ था, भारत के राष्ट्रीय जागरण को और भी उत्तेजना दी। लार्ड रिपन के हिट्कोण, चरित्र एवं व्यवहार में आकाश-पाताल का अन्तर था। लार्ड रिपन अत्यन्त सहृदय एवं उदाराशय वायसराय थे। इंगलैण्ड में लैंडस्टन के नेतृत्व में उदारवादी शासन की स्थापना हो चुकते के पश्चात् वह भारतवर्ष में आए थे। भारतीयों की भावनाओं के प्रति उनके हृदय में आदर का भाव था। बनाक्युलर प्रेस-विधेयक रह करके उन्होंने भारतीयों को लान्त्वना देने का प्रयत्न किया। उन्होंने अफगानिस्तान से ऐसी जर्ती पर सन्धि की जिससे कि क्रिटिश सरकार के सम्मान में वृद्धि हुई। परिणामतः सेना के व्यय में अपने आप कमी हो गई। उन्होंने स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन दिया और १८८२ में अपनी सुविधात रिपोर्ट लिखी। इस प्रकार लार्ड रिपन की नीति जनहित की भावनाओं से प्रेरित थी। इसलिए भारत के शिक्षित समाज में वे अत्यन्त लोकप्रिय हो गए। ‘हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक प्रत्येक अंग्रेजी भाषाभाषी परिवार में उनका नाम अत्यन्त आदर के साथ स्मरण किया जाते लगा।

**इल्वर्ट विल**—स्वाभाविक रूप से, लार्ड रिपन के उक्त सुधार, जहाँ भारतीयों के सर्वधा मनोनुकूल थे, भारत में रहने वाले यूरोपियनों की हिट्ट में वे कॉटे की तरह खटकते थे। रिपन यूरोपीय समाज के कोषभजन वन गए। १८८३ में सर इल्वर्ट कोट्नी ने भारतीय लेजिस्लेटिव कॉर्सिल में एक विल उपस्थित किया जिसका उद्देश्य यह था कि भारतीय एवं यूरोपीय न्यायाधीशों के बीच विद्यमान भेदभाव को हटा दिया जाए। इससे पूर्व भारतीय न्यायाधीशों को, चाहे वे कितने ही ऊँचे पदों पर बर्यों न प्रतिष्ठित हों, किसी यूरोपीय के विरुद्ध अभियोग लुनते का अधिकार नहीं था।

अपने मौलिक रूप में इल्वर्ट विल ने सभी जिलाधीशों एवं सेवन जर्जों को यूरोपीय अपराधियों के अभियोगों के निर्णय करने का अधिकार प्रदान किया। इस विल में विस्तीर्ण को हानि पहुँचाने वाली कोई बात नहीं थी। किन्तु भारत स्थित यूरोपीय समाज इसे सहन न कर सका। लार्ड रिपन ने भारतीयों के सम्बन्ध जो उदार नीति अपनाई थी, यूरोपीय समाज उससे बहुत ही रुट्ट हो गया और इल्वर्ट विल ने तो उसके रोपानल में धूत का काम किया। यह विल उनको अपने विदेशाधिकारों पर कुठारधात प्रतीत हुआ। और उन्होंने इसके विरोध में प्रचण्ड आनंदोलन खड़ा कर दिया। यूरोपियनों ने अपने हितों के स्वार्थ एक सुरक्षा-संघ का निर्माण किया और यथेष्ट धन एक-

## THE DREADFUL DRAGON

never achieved ; but he had cunning, and had power to bewilder with fear. Before the night was out he was back again in his cave upon the hill. And the sleepless homelanders, forgathering in the dawn to hear and tell what things had befallen, gradually knew themselves to be the fewer by five souls.

### VII

It is often said that no ills are so hard to suffer as to anticipate. I do not know that this is true. But it does seem to be a fact that people comport themselves better under the incidence of an ill than under the menace of it ; better also in their fear of an ill's recurrence than when the ill is first feared. Some of the homelanders, you will have felt, had been rather ridiculous on the first day of the dragon's presence among them. They had not been so in the watches of the night. Even Brud and his dog had shown signs of courage and endurance. Even Thol had not cried much. Thia had behaved perfectly. But this is no more than you would expect of Thia. The point is that after their panic at the dragon's first quick onset, the generality of the homelanders had behaved well. And now, haggard though they were in the dawn, wan, dishevelled, they were not without a certain collective dignity.

When everything had been told and heard, they stood for a while in silent mourning. The sun rose from the hills over the water, and with a common impulse they knelt to this great god, beseeching him that he would straightway call the dragon back beyond those hills, never to return.

शासन का सफल विरोध तभी संभव है जब कि कोई देशव्यापी ज़ंगठन ऐसे कामों को अपने हाथों में ले ले और उसे जनता का सक्रिय सहयोग मिल सके। समय की यह पुकार व्यर्थ नहीं गई। इस्टर्न बिल के सम्बन्ध में यूरोपियनों ने जो हिट्कोण रखा था, उसे भारतीय नेताओं ने विस्मृत नहीं किया। दिसम्बर, १८८३ में सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी के पथप्रदर्शन में प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन कलकत्ते में तीन दिन होता रहा। इसने, बिभिन्न प्रान्तों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन अपार उत्साह के बातावरण में सम्पन्न हुआ और उससे भारत की उदीयमान राष्ट्रीयता का अच्छी तरह से परिचय मिलता था। १८८५ में बम्बई में राष्ट्रीय महासभा (Indian National Congress) की स्थापना हुई। बास्तव में उक्त सम्मेलन को राष्ट्रीय महासभा का अनुवात, पथप्रदर्शक अवादा निर्माता कहना उचित होगा। सम्मेलन ने अपने को राष्ट्रीय महासभा में विलीन कर दिया। अपर जो कुछ कहा गया है, उसका तात्पर्य यही है कि १८८६ से १८८५ तक के द वर्षों का, भारत के राष्ट्रीय इतिहास में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। इस काल की घटनाओं ने ही उस संघर्ष की नींव डाली जिसका अन्त भारत में त्रिटिया राज के अन्त के साथ हुआ।

### सारांश

अंग्रेजों ने भारतवर्ष पर धीरे-धीरे बिना किसी पूर्व निर्विचल योजना के साथ काम करते हुए अधिकार किया था। १८५२ तक सम्पूर्ण देश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के आधीन हो गया। यह बात विलकृत गलत है कि भारत में, अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य का निर्माण, स्थितिक की अद्वैतता के बावस्था में किया। १८वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक दशा अत्यन्त अव्यवस्थित एवं शोचनीय थी, अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाया; और अपने उद्देश्य को दूरण्ठ करने में सफलता प्राप्त की।

त्रिटिया राज की स्थापना से भारत की आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अवस्था हुई। प्रतिगामी त्रिटिया शासन के फलस्वरूप देश के पुराने उद्योग-धन्वे चौपट हो गए, और जनता दरिद्रता के दल-दल में फंस गई। केन्द्रित शासन की रथापना के कारण पंचायतें नष्ट हो गईं। ईसाई पादरियों के धर्म प्रचार और अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार ने भारत को सांस्कृतिक दासता की देहियों में ज़कड़ दिया।

सन् १८७ का विद्रोह त्रिटिया शासन की बुराइयों के कारण जनता में बढ़ते हुए असन्तोष का भयंकर विस्फोट था। भारत की राष्ट्रीय स्वाधीनता का यह प्रथम युद्ध असफल हुआ और अंग्रेजों ने अत्यन्त निप्पुरतापूर्वक इसका दमन किया। विद्रोह के पश्चात् अंग्रेजों ने अविश्वास तथा 'मूट डालों और राज करो' की नीति का आवश्य लिया जिसका कल यह हुआ कि भारतीयों और अंग्रेजों के बीच भेद की खाई बढ़ती

## THE DREADFUL DRAGON

crawling down the hill he is more beautiful than Thia dancing.'

Shib's ideas about beauty were academic. Thia dancing, with a rose-bush on one side of her and a sunset on the other, was beautiful. The dragon was ugly. But Shib was not going to waste breath in argument with his absurd brother. What mattered was not that the dragon was ugly, but that the dragon was a public nuisance, to be abated if it could not be suppressed. The spearmen had failed to suppress it, and would continue to fail. But Shib thought he saw a way to abatement. He had carefully watched throughout the night the dragon's demeanour. He had noted how, despite so many wanderers' clear testimony as to the taste of all dragons, this creature had seemed to palter in choice between the penned sheep near to him and the mobile people across the stream ; noted that despite the great talons on his feet he did not attempt to climb any of the trees ; noted the long rests he took here and there. On these observations Shib had formed a theory, and on this theory a scheme. And during the family meal in the cave he recited the speech he was going to make at the council. His parents were filled with admiration. Veo, however, did not listen to a word. Nor did he even attend the council. He stayed in the cave, making with a charred stick, on all vacant spaces, stark but spirited pictures of the dragon.

## VIII

I will not report in even an abridged form the early proceedings of the council. For they were tedious. The

## भारतीय राष्ट्रीयता का जन्म

### ६. भारत में राष्ट्रीय आनंदोलन के उदय के कारण

बहुत से कारणों का परिणाम—भारत में राजनीतिक चेतना के मन्द जागरण १९३५ में राष्ट्रीय महासभा की स्थापना के रूप में मूर्त आकार धारण कर लिया। यह स्मरणीय है कि कांग्रेस, जो देशभवित का आकर्षण केन्द्र और राष्ट्रीय स्वतन्त्र्य-संघर्ष की अग्रणी बन गई उसका जन्म कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। सच तो यह है कि वह उन्नीसवीं शताब्दी के राष्ट्रीय नवजागरण का ही एक भाग थी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह उस आपार आर्थिक और राजनीतिक असंतोष की अभिव्यक्ति थी जो डिटिश शासन के अन्यायों के कारण पनप रहा था। इसके साथ ही साथ वह उन राष्ट्रवादी शक्तियों की संझेपण थी जो पहले से ही धार्मिक-समाजिक सुधार-क्षेत्र में सक्रिय थी। बंगाल में रामगोपाल धोष, सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी और आनन्दमोहन बोस ने, बम्बई में दादाभाई नौरोजी और जगन्नाथ चंकर सेठ ने, मद्रास में जी० सुखद्वापण ग्रथर और महाराष्ट्र में राब बहादुर के० एल० नेल्कर तथा एस० एच० चिप्लोन्कर ने राष्ट्रीयता के बीज वपन के लिए भूमि अच्छी तरह तैयार कर दी थी। भारत के राष्ट्रीय आनंदोलन को यूरोप के राष्ट्रीय आनंदोलनों से प्रभूत प्रेरणा प्राप्त हुई। उन्नीसवीं शताब्दी में यूरोप में संष्ट्रवाद की प्रवाह लहर उठी थी जिसके कलस्वरूप विशृंखित जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ, यूनान और ब्रेलियम को विदेशी शासन से मुक्ति मिली। मध्यकालीन अधोगति की दशा से जापान के अभृतपूर्व आकस्मिक उल्कर्ष ने भी भारत की राष्ट्रीयता को पर्याप्त प्रभावित किया। सकेपतः भारत का राष्ट्रवादी आनंदोलन कई शक्तियों और कारणों के संयोग का परिणाम था। नीचे हम उनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारणों पर विचार करते हैं।

भारतीय राजनीतिक एकीकरण—यद्यपि भारतवर्ष में डिटिश शासन का स्वरूप प्रतिशामी ही था, फिर भी उसने भारत को राजनीतिक एकता प्रदान कर, जो उसके पास पहले कभी नहीं थी, भारतीय राष्ट्रसत्ता के विकास को प्रोत्साहन दिया। वस्तुतः भारतवर्ष में, विसेट स्मिथ के शब्दों में, “रक्त, रंग, भाषा, देष, रीति-रिवाज और सम्प्रदाय आदि की असंत्य विभिन्नताएँ रहते हुए भी एक मौलिक एकता रही है।” भौगोलिक हाइ से भारतवर्ष सदैव एक इकाई रहा है। इससे भी कहीं

## THE DREADFUL DRAGON

should any one of them be wanting to do work that others could do ? and willing to take a risk that others would take ? Really they did not know. It was a strange foible. But there it was. A child can carry the largest of ducks ; but as many as four men were lending a hand in portage of a duck to-day. Not one of the porters enjoyed this work. But somehow they all wanted to do it, and did it with energy and good humour.

Very soon, up yonder on the flat shelf of ground in front of the cave's mouth, lay temptingly ranged in a semicircular pattern two goats, three ducks, two deer, three geese and two sheep. All had been done that was to be done. The homelanders suddenly began to feel the effects of their sleepless night. They would have denied that they were sleepy, but they felt a desire to lie down and think. The valley soon had a coverlet of sleeping figures, prone and supine. But, as you know, the mind has a way of waking us when it should ; and the homelanders were all wide awake when the shadows began to lengthen.

Very still the air was ; and very still stood those men and women and children, on the other side of the dividing stream. The sun, setting red behind them, sent their shadows across the stream, on and on slowly, to the very foot of the hill up to which they were so intently looking. The column of smoke, little by little, lost its flush. But anon it showed fitful glimpses of a brighter red at the base of it, making known that the dragon's head was not inside the cave. And now it seemed to the homelanders, in these long moments, that their hearts ceased beating, and all hope died in them. Suddenly—clash ! the dragon's jaws echoed all over the valley ; and then what silence !

थे। परन्तु इसका परिणाम सर्वथा उनके मनोनुकूल नहीं हुआ। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में विदिश शासन द्वारा स्थापित भारत की राजनीतिक एकता “सामान्य आधीनता की एकता थी, लेकिन उसने सामान्य राष्ट्रीयता की एकता को जन्म दिया।”<sup>१</sup> अखण्ड और स्वतन्त्र भारत का विचार राजनीतिक एकीकरण का अनिवार्य परिणाम था। उसने लोगों के दिमागों में धर कर लिया। इस समय एकता का विचार कहीं ऊपर ने नहीं लादा गया था, वह स्वतःप्रेरित था। इस विचार ने प्रत्येक देशभक्त भारतीय को नई प्रेरणा एवं स्फूर्ति प्रदान की और राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य समर को आगे बढ़ाया। आगे चलकर एकता की इस बढ़ती हुई भावना ने अंग्रेजों को भयभीत कर दिया। अब उन्होंने इस एकता को भंग करने की चेष्टा की। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद की उन्मुक्त शक्ति को रोकने के लिए “देशवासियों के विरुद्ध देशवासियों के सन्तुलन” का सिद्धान्त प्रयुक्त किया तथा धार्मिक और साम्प्रदायिक वैभन्नस्थ के बीज बोए। अपनी इस चेष्टा में अंग्रेजों को कुछ सफलता भी मिली, परन्तु राष्ट्रीयता की वेगवती मन्दाकिनी जो एक बार वह निकली उसे न अंग्रेजों की कूटनीति ही और न उनका दमन ही रोकने में सफल हो सका।

**पाइवाट्य शिक्षा और संस्कृति—भारतीय राष्ट्रीयता के जन्म और विकास में पाइवाट्य शिक्षा प्रणाली ने भी बड़ी सहायता दी।** अंग्रेजी शिक्षा के फलस्वरूप भारतवर्ष का पश्चिम के सथि सम्पर्क स्थापित हुआ जिसके सुदूरव्यापी परिणाम हुए, सुशिक्षित भारतीय अंग्रेजी भाषा और साहित्य के सीन्दर्भ पर मुग्ध हो गए उन्होंने पाइवाट्य सभ्यता के अमृत का आपानक पान किया। शिक्षित भारतीयों ने इटली की राष्ट्रीयता के मन्त्रद्राष्टा मैरिजी, फ्रांसीसी राज्यकालित के प्रशस्त रूसो और चाल्टेयर, व्यक्तिगत स्वाधीनता, उदारवाद और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के अग्रदृष्ट योग्य पेन, लॉकवर्क, भैकाले और मिल, आदि लेखकों की रचनाओं का अत्यन्त मनोयोगपूर्वक अनुशीलन किया। उन्नीसवीं शताब्दी में जो राष्ट्रीय आन्दोलन हुए थे, उनसे भारतीय नवयुवकों को बड़ी प्रेरणा मिली। इन राष्ट्रीय आन्दोलनों का ही यह फल था कि नुकीं से यूनान को और हालैण्ड से बेल्जियम को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई। अपने देश की अधीनति देखकर भारतीय युवकों का हृदय रसाति से भर गया। बादामाई नौरोजी के अनुसार जो

१. “हिन्दुस्तान की राजनीतिक एकता गौण रूप से साम्राज्य की दृष्टि के द्वारा अरन्याय से प्राप्त हुई थी। बाद में जब यह एकता राष्ट्रीयता के साथ मिल गई और विदेशी राज्य को चुनीती देने लगी तो हमारे सामने फूट ढालने और साम्प्रदायिकता को जानवृक्ष कर बढ़ाए जाने के हृदय अपने लगे जो हमारी भावी उन्नति के मार्ग में जबरदस्त रोड़ देने।” जवाहर लाल नेहरू “ओटोबाइक्सी” पृ० ४३७

## THE DREADFUL DRAGON

there now, and saw no prospect of sleeping there at all until he had slain the dragon. But he bethought him of the many empty caves on the way down to the marshes. And he moved into that less fashionable quarter—sulkily indeed, but without tears, and sustained by a great faith in the future.

### IX

On the morning of next day the homelanders prayed again to the sun that he would call the dragon away from them. He did not so. Therefore they besought him that he would forbid the dragon to come further than the cave's mouth, and would cause him to be well pleased with a feast like yesterday's.

Such a feast, in the afternoon, was duly laid at the cave's mouth ; and again, when the sun was setting, the dragon did not come down the hill, but ate aloft there, and at the twelfth clash drew back his glowing jaws into the cave.

Day followed day, each with the same ritual and result.

Shib did not join in the prayers. He regarded them as inefficacious, and also as rather a slight to himself. The homelanders, be it said, intended no slight. They thought Shib wonderfully clever, and were most grateful to him , but it never occurred to them to rank him among gods.

Veo always prayed heartily that the dragon should be called away forthwith. He wanted to see the dragon by daylight. But he did not pray that the dragon should not come forth in the evening Better a twilit dragon than none at all.

Little Thol, though he prayed earnestly enough that the

पाइचात्य शिक्षा का सूत्रपात करने में अंग्रेजों का ध्येय भारत में अपने साम्राज्य की जड़ों को मजबूत करना था, लेकिन उसने इन जड़ों को उखाड़ने में सहायता दी। भारतीयों को अपने विदेशी शासकों के प्रति राजभवित का पाठ पढ़ाने के बजाय अंग्रेजी शिक्षा ने उन्हें स्वतन्त्रता और स्वशासन का पाठ पढ़ाया। “शिक्षित भारतीयों ने अमेरिका, इटली और आयरलैण्ड के स्वातन्त्र्य संग्रामों के सम्बन्ध में पढ़ा। उन्होंने ऐसे लेखकों की रचनाओं का अनुशीलन किया, जिन्होंने अकिञ्चित और राष्ट्रीय स्वाधीनता के सिद्धान्तों का प्रचार किया है। ये विभिन्न भारतीय, भारत के राष्ट्रीय आनंदोलन के राजनीतिक और वौद्धिक नेता हो गए।”<sup>१</sup> यह स्मरणीय है कि सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी, ‘दादा भाई नौरोजी, गोखले तथा भारत की राष्ट्रीयता के अन्यान्य ज्योति वाहक अंग्रेजी शिक्षा की ही देन थे। मैकाले ने कहा था कि उस दिन को जब यूरोपियन ज्ञान में निवृत्ता भारतीय यूरोपियन संस्थाओं की मार्ग करेंगे, ‘मैं “श्रिटिश इतिहास का सर्वाधिक गीरक्षपूर्ण दिवस” समझूँगा। मैकाले का यह स्वप्न बहुत शीघ्र सार्वका हो गया, इतना शीघ्र जिसकी उसने कभी कल्पना भी न की होगी।

अंग्रेजी भाषा से भारत की राष्ट्रीयता को प्रभूत बल प्राप्त हुआ। प्रान्तीय सीमाओं के ऊपर उठकर उसने अंगिल भारतीय भाषा का रूप धारण कर लिया। विभिन्न भागों के निवासियों के बीच विचारों के आदान-प्रदान का माध्यम बन गई। इसने उन्हें एक मंच पर मिलाये, सामान्य समस्याओं पर विचार करने और कार्य की सामान्य योजना के निर्माण का पथ प्रशस्त किया। दूसरे शब्दों में अंग्रेजों ने भारत की राजनीतिक छाता और राष्ट्रीयता के अभ्युत्थान में महत्वपूर्ण भाग लिया है।

**भारतीय प्रेस और वृत्तियालूर साहित्य—**अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से भारत में एककारिता का जन्म और प्रान्तीय भाषाओं के राहितों का विकास हुआ। विद्रोह के पश्चात् भारतीय समाचार पत्रों की आशातीत वृद्धि हुई। जब राष्ट्रीय महासभा का जन्म भी नहीं हुआ था, और भारतीयों के पास कोई सामान्य मंच नहीं था, समाचार-पत्रों ने राष्ट्रीयता की भावना के विकास में बहुत सहायता दी। उन्होंने जनता की शिकायतों को निर्भीक भाषा में व्यक्त किया और वे सरकारी कामों की तीक्ष्ण आलोचना करते से धीरे नहीं हटे। भारतीय प्रेसों ने अंग्रेजी और देशी भाषाओं, दोनों में राष्ट्रीयता के शिशु-पादप का सिचन किया और एंग्लोइण्डियन समाचार पत्रों का मुहूर्तोड़ उत्तर दिया।

१. ए० आर० देसाई—“सोशल वैक्याउण्ड ऑफ इण्डियन नेशनलिज्म”  
पृ० २६०।

## THE DREADFUL DRAGON

man recently wedded. From the hut's mouth crept forth clouds of smoke, and, as the dragon withdrew his head, the goat-herd, finding voice, raised such a cry as instantly woke many sleepers. That day lived long in the memory of the homelanders. The dragon was very active. He did not plod through the snow. He walked at his full speed upon the ground, the snow melting before him at the approach of his fiery breath. It was the homelanders that plodded. Some of them stumbled head foremost into snowdrifts and did not escape their pursuer. There was nothing slothful in the dragon's conduct that day. Hour after hour in the keen frosty air he went his way, and not before nightfall did he go home.

Thus was inaugurated what we may call the Time of Greater Stress. No one could know at what hour of night or day the dragon might again raid the homeland. Relays of guards had to watch the hill always. No one, lying down to sleep, knew that the dragon might not forthcoming before sunrise; no one, throughout the day, knew that the brute might not be forthcoming at any moment. True, he forthcame seldom. The daily offerings of slain beasts and birds sufficed him, mostly. But he was never to be depended on—never.

Shib's name somewhat fell in the general esteem. Nor was it raised again by the execution of a scheme that he conceived. The roe and buck stuffed with poisonous herbs were swallowed by the dragon duly, but the column of smoke from the cave's mouth did not cease that evening, as had been hoped. And on the following afternoon—a sign that the stratagem had not been unnoticed—one of the men who were placing the food in front of the cave perished miserably in the dragon's jaws.

दत्तार्थको संप्रत्यक्षेष्वपहता था, 'तीलदर्पण' नाटक एक बंगाली नाटक में उनका संकल्प-चिकित्सा किया गया। इस नाटक को पढ़कर देशभक्त भारतीयों की भावनाओं को उत्तेजना मिली। राष्ट्रवादी आदर्शों का प्रसार करने में, बंगाल में, प्रेस, थिएटर और गुप्त क्रान्तिकारी समितियाँ विशेष रूप से सक्रिय थीं। गैरीबाल्डी और मैजिनी के जीवन चरित्रों का अनुबाद किया गया और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के घ्येय को 'स्वप्न में हस्तगत भारत का इतिहास' (History of India gained in a Dream) जैसे शब्दों में घोषित किया गया।<sup>1</sup>

**धार्मिक पुनर्जागरण और राष्ट्रीयता**—उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारतीय राष्ट्रवाद की वेगवती धारा को उस युग के सुधार-आन्दोलनों ने अपूर्व बल प्रदान किया। शताब्दियों तक विदेशियों के पराधीनता पाश में फँसे रहने के कारण हिन्दू अपने सांस्कृतिक वैभव को भूल चुके थे। भारत में लिटिश राज्य की स्थापना के साथ-साथ ईसाई धर्म का भी आगमन हुआ और वह हिन्दू धर्म के अस्तित्व तक को चुनौती देता प्रतीत होने लगा। यह स्पष्ट था कि उस समय हिन्दू धर्म शाने-शाने: विनाश की ओर बढ़ रहा था और उसकी रक्षा तभी हो सकती थी जब कि वह अपनी खामाजिक कुरीतियों को दूर कर देता। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में पवित्रभी ज्ञान के आलोक से आँखें खुलने पर तथा पराधीनता की गीड़ा अनुभव करने पर दूरदर्शी भारतीयों ने अपने देश की दुरुस्था देखी। उन्हें उसमें संशोधन की आवश्यकता जान पड़ी। इसी के परिणाम आधुनिक धार्मिक सुधार आन्दोलन थे। इन धार्मिक सुधार आन्दोलनों ने देश में जिस पुनर्जागरण का सूजन किया वह भारत की विकासीन्मुख राष्ट्रीयता का एक अविभाज्य अंग तथा उसके लिए आपार क्षमित का स्रोत बन गया। भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में इन धर्म-सुधार आन्दोलनों का विशेष महत्व है। भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम के चर्चाभव में इन सुधार-आन्दोलनों का निर्णायक हाथ रहा है। नीचे हम सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुधार-आन्दोलनों तथा भारतीय जनता के राष्ट्रीय जागरण पर पढ़ा उनके प्रभाव का विवेचन करेंगे।

**ब्रह्मसमाज और राजा राममोहनराय**—ब्रह्मसमाज के प्रवर्तक राजा राममोहनराय (१७७२—१८३३) ने शताब्दी के अग्रण्य सुधारकों में से थे। डॉ० पट्टाभि सीतारामस्या के शब्दों में "उनका दर्शन वड़ा विस्तृत और हिट-विन्चु व्यापक था।"<sup>2</sup> उन्होंने २० अगस्त, १८२८ को ब्रह्मसमाज की स्थापना की। ब्रह्मसमाज के मुख्य सिद्धान्त निम्नलिखित थे:—(१) ईश्वर एक है। वह संसार का स्थाप्ता, प्रलक और

१. हंस कोहन—"ए हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन दी इंडिया" पृ० ३६०।

२. डॉ० पट्टाभि सीतारामस्या—"दि हिस्ट्री ऑफ दी कांग्रेस" पृ० १७।

## THE DREADFUL DRAGON

In the preceding years he had thought of little else than this, and as he never had said a word about it he was not accounted good company. Nor had he any desire to shine—in any light but that of a hero. The homelanders would have been cordial enough to him, throughout those years, if he had wished them to be so. But he never was able to forget how cold and unkind they had been to him in his early childhood. It was not for their sake that he had so constantly nursed and brooded over his great wish. It was for his own sake only.

An unsympathetic character? Stay!—let me tell you that since the dawn of his adolescence another sake had come in to join his own : Thia's sake.

From the moment when she, in childhood, had called him a coward, it always had been Thia especially that he wished to impress. But in recent times his feeling had changed. How should such a lout as he ever hope to impress Thia, who was a goddess? Thol hoped only to make Thia happy, to see her go dancing and singing once more, with flowers in her hair. Thol did not even dare hope that Thia would thank him. Thol was not an unsympathetic character at all.

As for Thia, she was more fascinating than ever. Do not be misled by her seeming to Thol a goddess. Remember that the homelanders worshipped cherry trees and rain and fire and running water and all such things. There was nothing of the statuesque Hellenic ideal about Thia. She had not grown tall, she was as lissom and almost as slight as ever; and her alien dark hair had not lost its wildness. On windy days it flew out far behind her, like a thunder cloud, and on calm days hid her as in a bush. She had never changed the task that she chose on the day of the

आन्दोलन को अकितशाली बनाया। विधा के प्रदेश पर आर्यसमाज में कालिज तथा गुरुकुल नामक दो दल हो गए। कालिज दल ने डी० ए० बी० कालिज की स्थापना करके विधा का प्रसार तथा वैदिक मिहान्तों का प्रचार किया। गुरुकुल दल के नेता स्वामी शदानन्द ने १९०२ में हरिहार के पास गुरुकुल काँगड़ी की स्थापना की। आर्यसमाज ने विधा, हिन्दी-प्रसार, द्वितोषार, जातिभेद के उच्छ्वेदन, लोक-सेवा तथा राष्ट्रीय जातुि के कार्यों में अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग लिया।

आर्यसमाज के दो परस्पर विरोधी पहलू रहे हैं—एक प्रतिगामी, दूसरा प्रगतिशील। दोनों की निश्चान्तता पर अत्यधिक बल, व्यवितरण तिर्गीय की उपेक्षा, अन्य धर्मों के प्रति निपेद्यात्मक तथा कतिपय थंगों में प्रतिकूल इटिकोण ने उसको सार्वजनीन अथवा सज्जा राष्ट्रीय वर्म नहीं बनने दिया। लेकिन दूसरी ओर जहाँ आर्यसमाज ने बाहुगों की प्रभुता, मूर्तिपूजा और बहुदेवबाद विषयक अंधविज्ञानों का विरोध किया है, तारी जाति के अभ्यूत्थान और विद्वान-प्रसार के लिए प्रयास किया है, वह एक प्रगतिशील आन्दोलन रहा है। आर्यसमाज राष्ट्रीय जागरण का वैराग्यिक था। एक समय राजनीतिक इटि ने आर्यसमाज सरकार दी इटि में कान्तिकारी आन्दोलन था और उसके दमन का प्रभूत प्रयास किया गया। मर दैलेष्टाइल विरोल ने उसे भारत में विटिश प्रभुता के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया था।<sup>१</sup>

रामकृष्ण मिशन और विवेकानन्द—श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म १८३४ में हुगली पश्चिम के एक अर्किचन बाहुगु कुल में हुआ था। वात्यकाल से ही उनका विद्वान् था कि परमात्मा के दर्शन ही मक्ते हैं, इसलिए उन्होंने कठोर साधना की और भक्ति का जीवन विताया। श्री रामकृष्ण का विचार था कि सब वर्म रास्ते ही और वे ईश्वर तक पहुँचाने के भिन्न-भिन्न साधन मात्र हैं।

श्री रामकृष्ण के शिष्यों में नरेन्द्रनाथ (स्वामी विवेकानन्द) बहुत प्रसिद्ध हैं। गुरु की मृत्यु के बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और वे ६ वर्ष तक तिच्छत में बीढ़ थर्म के अध्ययनार्थ भ्रमण करते रहे। १८६३ के सितम्बर मास में गिकागी के धर्म-सम्मेलन में सभिमित होकर उन्होंने अपना वह प्रसिद्ध ऐतिहासिक भाषण दिया जिससे अमरीका को भारत के धार्मिक गहर्ता का पहली बार पूरा जान हुआ। अमरीका और इंग्लैण्ड में हिन्दू धर्म का प्रचार करने के बाद वे भारत वापस लौटे। विवेकानन्द ने अपने गुरुदेव की दिक्षा के प्रचार के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की।

विवेकानन्द महान् धार्मिक नेता ही नहीं थे, वे महान् राष्ट्र-निर्माता भी थे। यद्यपि उन्होंने राजनीति में पदार्पण नहीं किया, परन्तु उनकी रचनाओं में उत्कृष्ट देश-

१. हरा कोहन—“ए हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन दि ईस्ट” पृ० ६८।

## THE DREADFUL DRAGON

mossy from the marshes, an aged wanderer. He turned his dark eyes on Thol and said with a smile, pointing towards the thick smoke on the hill, 'A dragon is here now?'

'Yea, O wanderer,' Thol answered

'There was none aforetime,' said the old man. 'A dragon was what your folk needed.'

'They need him not. But tell me, O you that have so much wandered, and have seen many dragons, tell me how a dragon may be slain!'

'Mind your sheep, young shepherd. Let the dragon be. Let not your sheep mourn you.'

'They shall not. I shall slay the dragon. Only tell me how! Surely there is a way?'

'It is a way that would lead you into his jaws, O fool, and not hurt him. Only through the roof of his mouth can a dragon be pierced and wounded. He opens not his jaws save when they are falling upon his prey. Do they not fall swiftly, O fool?'

'O wanderer, yea. But'—

'Could you deftly spear the roof of that great mouth, O prey, in that little time?'

'Yea, surely, if so the dragon would perish.'

The old man laughed 'So would the dragon perish, truly; but so only. So would be heard what few ears have heard—the cry that a dragon utters as he is slain. But so only.' And the old man went his way northward.

From that day on, Thol did not watch his sheep very much. They, on the other hand, spent most of their time in watching him. They rather thought he was mad, standing in that odd attitude and ever lunging his crook up at one of the nodding boughs of that ash tree.

ने हमें बताया कि हमारे धर्म में कौन-सी वातें अच्छी हैं, जिन्हें हम स्वीकार करे और कौन-सी वातें बुरी हैं, जिन्हें हम त्यागें। यह धार्मिक सुधार आनंदोलनों का ही फल था कि भारत अन्ध-विश्वासों के घेरे कुहरे से बहुत कुछ बाहर निकला और उसने प्रत्येक वरस्तु को तक, विज्ञान और विदेक के प्रकाश में देखना प्रारम्भ किया।

**प्रायः समस्त धर्म-सुधार-आनंदोलनों** ने भारत के अतीत वैभव का चित्र उपस्थित किया। भारतीय जनता ने जब इस चित्र से अपनी वर्तमान स्थिति का मिलान किया तो उसे अपार बेदना हुई। कहाँ तो भूतकाल का जगद्गुरु भारतवर्ष और कहाँ वर्तमान काल का पराधीन, निर्धन और अशिक्षित भारतवर्ष। स्वभावतः धार्मिक आनंदोलनों ने भारतीय जनता के अन्तस्तल में अपनी वर्तमान दुरवस्था से छुटकारा पाने की अद्यत्य लालसा उत्पन्न कर दी। इस प्रकार धर्म-सुधार-आनंदोलनों ने राष्ट्रवाद की भावना को धार्मिक क्षेत्र में व्यक्त किया।

यह समर्त्तव्य है कि राजा राजमोहनराय, केशवचन्द्र सेन, स्वामी दयानन्द और स्वामी विदेकानन्द प्रभृति सुधारक उच्चकोटि के राष्ट्रवादी थे। उन्होंने अपने अनुशासियों को देशभक्ति का पुनीत पाठ पढ़ाया। राजा राजमोहनराय को शास्त्रिक भारत का जनक कहा गया है। यद्यपि वे द्विटिश शासन के प्रशंसक थे, फिर भी वे उन अन्यार्थों से अवगत थे जिनसे भारतवर्ष धीमित था। दयानन्दजी का तो राष्ट्रप्रेम असन्दिग्ध है। उन्होंने अपने सर्व धेष्ठ ग्रन्थ 'सत्यार्थ प्रकाश' में लिखा है "कोई कितना ही करे, परन्तु जो स्वदेशी राज्य होता है, वह सर्वोपरि उत्तम होता है। अथवा मत्तमतान्तर के आगहरहित, अपने और पराये का पक्षपातशून्य प्रजा पर माता-पिता के समान कृपा, न्याय और दर्यों के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है।" स्वामी विदेकानन्द का हृदय जहाँ वेदान्त की शिक्षाओं से आप्नावित था वहाँ उनके हृदय में देशभक्ति की ताल तरंगें भी हिलोरें लेती रहती थीं। नवयुवकों के लिए उनका संदेश था, 'मेरे तरण मिथो ! बलवान् वनो ! तुम्हारे लिए मेरी यही सलाह है। तुम भगवद्गीता के स्वाध्याय की अपेक्षा कुट्टाल खेलकर कहीं अधिक सुगमता गे मुवित प्राप्त कर सकते हो। जब तुम्हारी रगें और पट्टे अधिक इड़ होंगे, तो तुम भगवद्गीता के उपदेशों पर अधिक अच्छी तरह चल सकोगे। गीता का उपदेश कावरों को नहीं प्रत्युत अर्जन को दिया गया था, जो बड़ा झूर्खीर, पराकरी और धर्मिय-शिरोमणि था।'

**शार्धिक कारण**—प्रूहमें जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी के बल मात्र वाणिज्य संस्था ही थी; विदेशों से कुछ सामान लाती और उसे भारत के बस्त्र, दस्तकारियों तथा अन्यान्य विलास की चीजों से बदल लेती, तब भारतीय उद्योगों को बड़ा बल मिला और कारी-गरी की चीजों ये भारत नियंत्रित वाणिज्य बहुत बढ़ गया। लेकिन उस समय हालत घिन्टकुल बदल गई जब कि इंग्लैण्ड में औद्योगिक कानून के परिणामस्वरूप शिल्पकारों

## THE DREADFUL DRAGON

with one accord the throng had moved from the western to the eastern foot of the hill, and stayed there gazing in reverence up to the home of a god greater than the sun

When at length the god showed himself, there arose from the throng a great roar of adoration. The throng went down on its knees to him, flung up its arms to him, half closed its eyes so as not to be blinded by the sight of him. His little mortal mate, knowing not that he was a god, thinking only that he was a brave man and her own, was astonished at the doings of her dear ones. The god himself, sharing her ignorance, was deeply embarrassed, and he blushed to the roots of his hair.

'Laugh, O Thol,' she whispered to him. 'It were well for them that you should laugh.' But he never had laughed in all his life, and was much too uncomfortable to begin doing so just now. He backed into the cave. The religious throng heaved a deep moan of disappointment as he did so. Thia urged him to come forth and laugh as she herself was doing. 'Nay,' he said, 'but do you, whom they love, dance a little for them and sing. Then will they go away happy.'

It seemed to Thia that really this was the next best plan, and so, still laughing, she turned round and danced and sang with great animation and good will. The audience, however, was cold. It gave her its attention, but even this, she began to feel, was not its kind attention. Indeed, the audience was jarred. After a while—for Thia's pride forbade her to stop her performance—the audience began to drift away.

There were tears in her eyes when she danced back into the cave. But these she brushed away, these she forgot instantly in her lover's presence.

जिनकी संख्या एक करोड़ तक पहुंचती थी जीविका से वंचित हो गए। इसके साथ ही साथ तीन करोड़ सूत कातने वाले जिनकी बजह से बीस लाख करबे बलते थे, अपनी रोजी से हाथ धो बैठे। इस प्रकार चार करोड़ व्यक्तियों की रोजी जाती रही। अन्यथा शिल्प जीवियों का भी यही हाल हुआ। नगरों में कूड़ा हटाने वाली गाड़ी के लिए सोटर टायरों के आवात ने बढ़ई की रोटी छीत ली। बमिघम और एण्टवर्प से आने वाले तार, खुण्टी, कब्जे, अर्गला, ताले और तालियों आदि के कारण लोहार की आवाय मारी गई। जूते भी दाहर से ही आने लगे, फलतः चमार की जीविका का भी कोई ठिकाना नहीं रहा। रोगन और चीरों के समान की बजह से कुम्हार अपनी जीविका सो बैठा।<sup>११</sup> अंगेजों ने भारत की पुरानी दस्तकारियों का अन्त करने के साथ ही साथ यहाँ के माल तैयार करने के नई उद्घोग-धन्धों को भी मसल हालने की कोशिश की।<sup>१२</sup>

**कृषि पर प्रभाव—निर्वनता और असंतोष—भारतीय कर्मियों की विपुल बेकारी**  
और शिल्पकालियों के हास के कारण नगरों की जने संख्या कम हो गई, लोग शहरों को छोड़-छोड़कर गाँवों में जा बसे और जीविकोपाजंन के लिए उन्होंने कृषि की कारणी ली। जमीन पर बढ़ते हुए दबाव, अंगेजों की भूमि सम्बन्धी नीति, जमीदारी प्रथा, और भारतीय कृषि की परम्परागत दुर्बलताओं से बेती को बड़ा घफका पहुंचा। फलतः चारों ओर दरिद्रता प्रसरित हो गई और लोगों के रहन-सहन का स्तर नीचे गिर गया। इसने स्वभाविक रूप से असन्तोष को जन्म दिया। यह स्पष्ट रूप से दीखने लगा कि भारत की दुर्दृष्टि आर्थिक भ्रमस्या, गरीबी को उस काल पर्यन्त नहीं सुलझाया जा सकता।

१. पट्टाभिसीत रामर्या—हिस्ट्री ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इण्डिया पृ० ५-६।

२. ब्रिटेन ने भारतवर्ष के साथ क्यास-बस्त्रों का जो बाणिज्य किया, उसके इतिहास को 'इंगलैण्ड की ओर से भारतवर्ष के प्रति किए गए अन्यतय का एक जबलन्त उदाहरण' बताते हुए हारेस विल्सन ने लिखा है—'यदि इस प्रकार के निषिद्ध कर और व्यवधान में लगे होते, तो मानचेस्टर और पैस्टो के कारखाने शुरू में ही बन्द हो जाते और फिर बाष्प की शक्ति से भी उन्हें चालित करना कठिन हो जाता। भारतीय शिल्प के बल पर उनका निर्माण हुआ। यदि भारत स्वतन्त्र होता, तो वह प्रतिकार करता। उसे आत्म-रक्षा के इस साधन से वंचित रखता गया। वह विदेशियों की दया का मुख्येक्षी रहा। विना किसी प्रकार का कर चुकाए विदेशी माल का यहाँ स्वतन्त्रतापूर्वक आयात किया गया। विदेशी व्यापारी ने अपने इस प्रतिपक्षी को पछाड़ने और बाद में उसका गलाघोट देने के लिए राजनीतिक अन्याय का आश्रय लिया जिसके सम्बुद्ध वरावरी की मर्यादा पर वह विल्कुल नहीं ठहर सकता था।' ज००८० मिल हारा उद्दत—'रिप्रेबेटिव गवर्नमेंट,' पृ० ३८५।

## THE DREADFUL DRAGON

Thisa laughed long but tenderly. 'And your sheep, beloved, what said they ?'

'How should I know ?' asked Thol.

'And you left them there ? Do you not love them ?'

'I have never loved them.'

'But they were your task ?'

'O Thisa, the dragon was my task.'

She stroked his arm. 'The dragon is dead, O Thol. You have slain the dragon, O my brave dear one. That task is done. You must find some other. All men must work. Since you loved not your sheep, you shall love my geese, and I will teach you to drive them with me.'

'That,' said Thol, 'would not be a man's work, O Thisa.'

'But they say you are a god ! And I think a god may do as he will.'

Her flock had swum out into the pond. She called it back to her, and headed it away towards some willows. From one of these she plucked for Thol a long twig such as she herself carried, and, having stripped it of its leaves, gave it to him and began to teach him her art.

### xv

There was, as Thisa had known there must be, a great concourse of people around and about the dragon.

There was a long line of children riding on its back, there were infants in arms being urged by their mothers never to forget that they had seen it; there were many young men and women trying to rip off some of its scales, as reminders; and there were elders exchanging reminis-

जायन ने अन्यनन्द उद्घन भाव ने आचरण किया, अतः उसके प्रति अमंतोप की भावना शीघ्र ही जाग्रत हो गई। अंग्रेज भारतीयों को अपने ने हीन नसल का, 'आवें' बनामानुप और आधे हड्डी' यमधकर चूमा की : टिट में देखते थे। इस प्रकार के हटिकोण से भारतीयों के बीच अनिवार्य स्पष्ट ने त्रिटिय विरोधी भावनाओं का विस्तार हुआ। इसकी बजह ने भारतीयों और उनके ज्वेन अल्पकों के बीच बहुत छोड़ी खाई उत्पन्न हो गई। चूंकि सभी उच्च भरकारी नौकरियों पर यूरोपियनों की ही नियुक्ति होती थी, इससे त्रिटिय विरोधी भावनाओं में और भी वृद्धि हुई। इस जातीय भेदभाव और भारतीय प्रतिभा के निरस्कार का शिथित भारतीयों ने प्रचण्ड रूप से विरोध किया। गैरेट ने ठीक ही कहा है कि भारतीय राष्ट्रीयता के उदय में जातीय भेदभाव एक प्रधान कारण था।

अंग्रेजों ने जिम ग्रिट्ट्वाम और दमन की नीति पर आचरण किया, उसके कारण अमंतोप और प्रचण्ड हो उठा। लाई लिटन के भान्तिमय जास्तनकाल में जो प्रतिक्रियावादी काम किए गए, उन्होंने असंतोप के जवालामुखी को उस स्थिति तक पहुंचा दिया कि वह उसके फूटने की ही देर रह गई थी। मूर्दतापूर्ण अफगान युद्ध के कारण भारत की आर्थिक स्थिति पर कुप्रभाव पड़ा। जबकि देश भव्यकर दुर्भिक्ष के पंजों में जकड़ा हुआ था, जनता की कठिनाइयों की सर्वथा उपेक्षा कर लाई लिटन ने आनंदार दिल्ली दशहार का आयोजन किया। उसने निरपराध भारतीयों के लिए हृथियार रखता अर्वथ कार दिया जब कि यूरोपियनों के ऊपर ऐसा कोई अंकुश नहीं लगाया। नमाचार पत्रों पर प्रतिवन्ध लगाकर उसने आलोचना के स्वर को बन्द करने की चेष्टा की। इन मध्य कामों की बजह से 'जनता के असंतोप का पुंजीभूत ज्वाल बढ़ता ही चला गया।'<sup>१</sup> मर विलियम वैडरवन के शब्दों में 'रक्सी पुलिस के दमन की विधियों में मंथुक इन सभी प्रतिगामी कामों के कारण लाई लिटन के जास्तनकाल में भारत कान्तिकारी विस्फोट के अतीव नरीप पहुंच गया था। मिस्टर ह्यूम का थोड़ा भी विलम्ब अव्यवहार का लिठ होता। लाई रिप्पन ने विराही हुई स्थिति की सम्भालने का भरक प्रयत्न किया, परन्तु इस्वर्ट विल को देकर यूरोपियनों ने विरोध का जो तूफान थाई कर दिया, उसने मध्य कियाकराय मिट्टी में मिल गया। जब भारतीयों को यह समझते देर न लगी कि यदि वे विदेशी जायन से टक्कर लेना चाहते हैं, उसके दमन और योग्यता में युटकारा पान के आकांक्षी हैं, तो उन्हें संगठन के सूत्र में बैंध जाना पड़ेगा। यह समरणीय है कि राष्ट्रीय भवानभा का जन्म इस्वर्ट विल सम्बन्धी वाद-विवाद समाप्त होने के पूर्व ही हो गया था।

<sup>१</sup>. पृ० आठ० डेवर्ड- 'मोगन वैक ग्राहण शॉफ इंडियन नेशनलिजम्' पृ० चूहे।

## THE DREADFUL DRAGON

she cried. 'He is new to his work. He will grow in skill. These geese will find that he is no fool. And it may be that hereafter, if you are all very good, I will teach him to sing and dance for you, with flowers in his bright red hair.'

Having thus spoken, she ran to overtake her husband, and soon, guiding the flock in good order, went her way with him back to the pond.

### XVI

There was a general desire that the dragon should not be buried anywhere within the confines of the homeland. Shib conceived that if the trunks of felled trees were used as rollers the carcass might be transported to the swamps and be sunk there. By its vast weight the carcass frustrated this scheme. A long deep trench must be dug beside it. All the able-bodied men of the homeland offered their services, and of course Shib was a most efficient director of the work.

You will be glad to hear that Shib was a more sympathetic character than he once was. The public spirit that had always been his was unmarred now by vanity and personal ambition. He was a quiet, disinterested, indefatigable worker for the common weal, burning always with that hard, gem-like flame which Mr. Pater discerned in the breasts of our own Civil Servants. He had forgotten, or he remembered without bitterness, the time when he was a popular hero. Thol's great deed was a source of genuine pleasure to him. Nay (for he had long ago outgrown his callow atheism), he accepted Thol as a god,

अशान्त कर दिया। भारतीय राष्ट्रीयता के प्रवाह के आदि कारण अंग्रेज स्वयं ही थे, उन्होंने उसे नियन्त्रित करने के लिए दमन के साधनों का प्रयोग किया। परन्तु राष्ट्रीयता का यह अजल प्रवाह उनके रोके नहीं रुका। भारतीय राष्ट्रवादी विदेशी शासन का समूल उच्छ्वेदन करने के लिए बढ़ परिकर हो गए।

### ८. राष्ट्रीय महासभा का जन्म।

एलेन अंग्रेजेबियन ह्यूम—हम देख चुके हैं कि, राष्ट्रीय महासभा (इण्डियन नेशनल कॉंग्रेस जिसे सुविधा के विचार से कॉंग्रेस ही कहेंगे) आर्थिक और राजनीतिक कारणों के संयोग और 'राजनीतिक दासत्व की अनुभूति' का परिणाम थी। "साथ ही वह राष्ट्रीय पुनरुत्थान का प्रतिपादन करने वाली संस्था भी थी।"<sup>१</sup> इसकी स्थापना का विचार एलेन अंग्रेजेबियन के मस्तिष्क में आया, जो एक अवकाश प्राप्त सिविलियन थे। वैसे इसके लिए भूमि पहले से ही तैयार की जा चुकी थी। देश के विभिन्न श्रान्तों में राष्ट्रीय संगठनों की नींव पड़ चुकी थी। ये संगठन राजनीतिक रूप से सक्रिय भी थे। सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी को राष्ट्रीय सम्मेलन (Indian National Conference) की स्थापना करने में सफलता मिल चुकी थी। परन्तु कॉंग्रेस ने इन सब सहायक नदियों को अपने में मिलाकर जीत्र ही एक महान् तरंगिणी का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार की एक संस्था का विचार बादु मण्डल में व्याप्त था, कॉंग्रेस ने एक अखिल भारतीय संस्था की उस आवश्यकता को पूर्ण किया जिसका अनुभव सभी देशभक्तों को हो रहा था।

यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कॉंग्रेस की स्थापना का विचार सबसे पहले किस व्यक्ति के मस्तिष्क में उदित हुआ। सामान्यतः ह्यूम को ही इस संस्था का जन्मदाता समझा जाता है। देश के अन्दर बढ़ते हुए असत्तोष के खतरे को पहचान कर तथा यह सोचकर कि यह असंतोष कहीं क्रान्ति का रूप धारण न कर ले उन्होंने १ मार्च, १८८३ ई० को कলকत्ता विश्वविद्यालय के ग्रेजुएटों के नाम एक पत्र लिखा, जो अत्यन्त हृदयस्पर्शी था। इसमें उन्होंने ५० ऐसे निःस्वार्थ और निर्भय आदिमियों की मांग की थी जो इस सिद्धान्त पर कि "आत्म विद्यान और निःस्वार्थता सुख और द्वातन्त्र्य के अन्तर्क पथप्रदर्शक हैं" काम करने के लिए तैयार हों। ह्यूम ने अपनी योजना के सम्बन्ध में नए बायवराय लार्ड डफरिन (Lord Dufferin) से बातें लाप किया। लार्ड डफरिन ने उनकी वानों को ध्यानपूर्वक सुना और योजना के क्षेत्र को बढ़ा दिया। उमेशचन्द्र बैनर्जी के अनुसार ह्यूम के मस्तिष्क में सबसे पहले यह

१. पट्टाभि नीतारामद्या—“दी हिस्ट्री ऑफ कॉंग्रेस” पृ० १७।

## THE DREADFUL DRAGON

The great occasion lacked only the god's presence. Of course the god had been invited. Shib, heading a deputation on the banks of the goose pond, had besought him that he would deign to throw the first clod of earth upon the dragon ; and he had diplomatically added that all the homelanders were hoping that Thia might be induced to sing and dance on the grave as soon as it had been filled. But Thia had answered that she could not give her husband leave, inasmuch as he had been idle at his work that day ; he would like very much to come ; but it was for that very reason that she would not let him : he must be punished. As for herself, she too would very much like to come, but she must stay and keep him to his work Thol saying nothing, the deputation had then withdrawn, not without many obeisances, which Thia, with as many curtseys, rouguishly took to herself.

However, even without the light of the god's countenance on it, the festival was a great and glorious one. Perhaps indeed the revellers enjoyed themselves more than would have been possible in the glare of that awful luminary. The revels lasted throughout the night, and throughout the next day, and did not cease even then. Dazed with sleepiness and heavy with surfeits of meat, the homelanders continued to caper around bonfires and to clap one another on the back ; and only because they had not the secret of fermented liquor were there no regrettable scenes of intoxication. The revels had become a habit. It seemed as though they would never cease. But human strength is finite.

Thia would have liked to be in the midst of the great to do. It was well that the homelanders should rejoice. And the homelanders were as dear to her as ever, though she

वास्तविक उद्देश्य थे, इस सम्बन्ध में विद्वान् एकमत नहीं हैं। (शुरू में संस्था का नाम 'इण्डियन नेशनल यूनियन निर्धारित किया गया था) सबसे अधिक लोकप्रिय मत लाला लाजपतराय का है जिसका उन्होंने अपनी पुस्तक 'यंग इण्डिया' (Young India) में उल्लेख किया है। उनके अनुसार 'कांग्रेस का सत्वर उद्देश्य त्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करना था।' सर विलियम वेडरबर्न (Sir William Wedderburn) का जो कांग्रेस के प्रारम्भिक नेताओं और ह्यूम के चनिष्टतम सहयोगियों में से एक थे, भी यही मत था।

**कांग्रेस—च्यापक असन्तोष के लिए अभयदीप (Safety Valve)**—लाला लाजपतराय के उक्त मत की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि ह्यूम साहब को आशा थी कि कांग्रेस के द्वारा तत्कालीन असन्तोष का पता लगाया जा सकता है। यह असन्तोष उस समय दिन प्रतिदिन प्रचण्ड होता जा रहा था। ह्यूम को सम्भाव्य खतरे का भान था। जिन कारणों का हम विश्लेषण कर चुके हैं, उनकी बजह से उस समय भारत द्वितीय क्रान्ति के मुख पर खड़ा प्रतीत होता था। लार्ड लिटन के दमनकारी शासन की समाप्ति पर "भारत क्रान्ति के अतीव समीप पहुँच चुका था।" भारतीय जनता की दयनीय दरिद्रता और शिक्षित नवयुवकों का घोर असन्तोष इस बात के स्पष्ट चिन्ह है कि क्रान्ति का ज्वालामुखी अब विस्फोट करने वाला था। दक्षिण के कृषक विद्रोह ने और बंगाल के उत्तर क्रान्तिकारियों की नतिविधियों ने त्रिटिश सरकार को आगामी खतरे के प्रति सजग कर दिया। ह्यूम को विश्वसनीय सूत्रों से इस बात के कि "राजनीतिक अव्याकृति अन्दर-ही-अन्दर बढ़ रही है" अकाद्य प्रमाण प्राप्त हो गए थे। इसलिए ह्यूम को ठीक मौके पर सूझी और उन्होंने इस काम में हाथ डाला। जनता के असन्तोष रूपी क्रान्ति विस्फोट को रोकने के लिए एक अभयदीप (Safety Valve) का निर्माण किया जो कि कांग्रेस थी। सर विलियम वेडर बर्न (Sir William Wedderburn) ने लिखा है कि मिं ह्यूम ने एक बार कहा था "भारत में असन्तोष की बढ़ती हुई शक्तियों से बचने के लिए एक अभय दीप की आवश्यकता है और कांग्रेस आन्दोलन से बढ़कर अभय दीप दूसरी कोई चीज नहीं हो सकती।"

कांग्रेस ने ह्यूम की आशाओं को पूर्ण किया—यह रपट है कि कांग्रेस ने मिं ह्यूम और उन त्रिटिश अधिकारियों की आशाओं को जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना में योग दिया था पूर्ण किया। वह शिक्षित मारतीयों की बेचैनी का आकर्षण केन्द्र बन गई। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस के मंच से इस बेचैनी और असन्तोष को बैधानिक रूप में व्यक्त किया जाने लगा और इस प्रकार आतंकवाद की गति रुकी। "कांग्रेस राष्ट्रीय असन्तोष को व्यक्त करने का शान्तिमय साधन बन गई।

१. सर विलियम वेडरबर्न—“एलेन आकटेवियन ह्यूम” पृ० ७१।

## THE DREADFUL DRAGON

larger than appetites. Eyes were duller, complexions less clear, chests narrower, stomachs more obtrusive, arms and legs less well developed, than they had been under the dragon's auspices. And prayers, of course, were not said now.

This in her childhood had thought the homelanders perfect ; and thus after the coming of the dragon she had observed no improvement in them. But now, with maturer vision, she did see that they were growing less worthy of high esteem. This grieved her. She believed that she loved the homelanders as much as ever, she told herself truly enough that it was much her own fault that they had ceased to love her. In point of fact, their coldness to her, in course of time, cooled her feeling for them . she was human. What she did love as much as ever was the home land. What grieved her was that the homeland should have an imperfect population.

She talked constantly to Thol about her sorrow. He was not a very apt auditor. Being a native of the homeland, he could not see it, as she could, from without. It was not to him an idea, as it was to This's deep alien eyes. It was just the homeland. As for the homelanders themselves, he had never, as you may remember, loved them ; but he liked them quite well now. He supposed he really was not a god ; but it no longer embarrassed him to be thought so ; indeed it pleased him to be thought so. The homelanders no longer knelt when he passed by. He had asked them not to, and they reverently obeyed his wish. He supposed This was right in saying that they were less good than in the days of the dragon ; but in those days he had hardly known them. He was glad to know them better now His nature had, in fact, become more expansive He wished

सम्बन्ध में अपना भत-परिवर्तन करने में भी उन्हें देर न लगी। शीघ्र ही उराके खतरे का उन्हें भान हो गया। वे तुरन्त ही उसके विरोधी हो गए। उन्हीं लाई डफरिन ने, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया था, अब उसे 'सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग' कहकर पुकारा। सर वैलेटाइन विरोल ने कांग्रेस के प्रति शासन की तृतीन प्रतिक्रिया को इन शब्दों में संक्षिप्त रूप से व्यक्त किया 'कांग्रेस भारत की केवल वार्ताव जन-संख्या का ही प्रतिनिधित्व करती है।' उन्होंने कांग्रेस को सम्प्रदायिक हिन्दू तेताओं की प्रवर्चना बताया। वस्तुत्त्वित्य यह है कि कांग्रेस शुद्ध राष्ट्रीय और स्वदेशी आनंदोलन के रूप में अवतरित हुई। इस प्रकार फी देशव्यापी संस्था के लिए भारत की प्रादेशिक राजनीतिक संस्थाओं ने पहले में ही भूमि तैयार कर ली थी, किन्तु इसे एक सार्व-जनिक राष्ट्रीय संस्था का रूप देने का श्रेय भी सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी को है जिन्होंने १८८३ में इसके सम्बन्ध में अपना मत प्रवर्त किया था। जब कांग्रेस का प्रथम अधिकेशन बम्बई में हो रहा था; राष्ट्रीय समेलन का अधिकेशन कलकत्ते में हो रहा था।<sup>१</sup> भारतवर्ष के महान् देशभक्त दादाभाई नीरोजी, उमेशचन्द्र बैनर्जी, सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी, दिनशां वाचा, एवं बद्रहमीन तैयब जी प्रभृति जन प्रतरम्भ में ही कांग्रेस में प्रविष्ट हो गए। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस साम्राज्यवाद की पृष्ठपोषक मात्र नहीं थी।

### सामौश

भूलकृप से तो राष्ट्रीय आनंदोलन का स्वरूप राजनीतिक था; परन्तु उसकी जड़ें आर्थिक, सांस्कृतिक, जातीय और राजनीतिक आदि विभिन्न कारणों में निहित हैं। आवागमन के साथनों की उन्नति, भारत के राजनीतिक एकीकरण और सामान्य आधीनता की भावना ने जनता को राष्ट्रीयता के सूत्र में पिरो दिया। अंग्रेजी शिक्षा और पादचाल्य संस्कृति के सम्पर्क से नदीदित भारतीय राष्ट्रीयता को अपूर्व बल प्राप्त हुआ। पादचाल्य शिक्षा के कारण भारतीयों का प्रशंस्य मतनस्क विकास हुआ। उनके हृदयों में व्यक्तिगत स्वाधीनता और राष्ट्रीय स्वतन्त्र्य के प्रति प्रगाढ़ भ्रंग की उन्नति और प्रातीय भाषाओं के साहित्यिक विकास ने राष्ट्रीय आनंदोलनों को तृतीन शक्ति प्रदान की। उनीसची शताब्दी के सामाजिक आर्थिक सुधार आनंदोलनों ने भी राष्ट्रीय आनंदोलनों पर विस्मयकारी प्रभाव डाला। पुरातन शिल्पकलाओं ने हास, कृषि की अधोगति और जनता की बढ़ती हुई दरिद्रता ने व्यापक असन्तोष को जन्म दिया था। जातीय विद्वेष यी भावना और अविच्वास तथा दमन की नीति के कारण भारतीय

१. जी० एन०—“लैण्डमार्क्स इन डिव्हियन कांस्टीट्यूशनल एण्ड डेव्हलपमेण्ट” पृ० ११२।

## THE DREADFUL DRAGON

and feeble. He replied, seriously, that he was younger than she ; and, as for feebleness, he asked her to remember that he, not she, had slain the dragon. He then walked away, leaving his goats to their own devices, and his wife to hers, and spent the rest of the day in company that was more appreciative of him. He returned of course before sundown, fearful of a lecture. Thia, who had already driven his goats into their pen, did but smile demurely, saying that she would always be glad to do his work for him, and that she was trustier than any lad.

14770

But, as time went on, her temper was not always so sweet. Indeed, it ceased to be sweet. In his steady, rather bovine way, he loved her as much as ever ; but his love of being with her was less great, and his pleasure in the society of others was greater, than of yore. Perhaps if Thia had borne a child, she might have been less troubled about the welfare of the homelanders. But this diversion and solace was not granted. Thia's maternal instinct had to spend itself on a community which she could not help and did not now genuinely love, and on a husband who did not understand her simplest thoughts and was moreover growing fat. Her disposition suffered under the strain. One day, when she was talking to him about the homeland, she paused with sudden suspicion and asked him what she had said last ; and he could make no answer ; and she asked him to tell her what he had been thinking about ; and he said that he had been thinking about his having slain the dragon ; and she, instead of chiding him tenderly, as she would have done in the old days, screamed. She screamed that she would go mad if ever again he spoke to her of that old dragon. She flung her arms out towards the hills across the waters and said, with no lowering of her voice,

## उदार राष्ट्रीयता—कांग्रेस का प्रारम्भिक स्वरूप

### १०. कांग्रेस, 'देश में एक शक्ति'

कांग्रेस को बढ़ती हुई शक्ति—वास्तव में कांग्रेस का इतिहास ही भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास है। वह संस्था जिसने बासठ वर्षों के अविराम और कठिन संघर्ष के उपरान्त स्वतन्त्रता प्राप्त की, प्रारम्भ में अत्यन्त नरम थी। इसके प्रथम अधिवेशन में जो १८८५ के अन्त में बम्बई में हुआ था, ७२ प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिन्होंने "अपने आपको प्रतिनिधि के रूप में चुन लिया था।" परन्तु कांग्रेस की शक्ति प्रतिवर्ष बढ़ती ही गई। दूसरे अधिवेशन में प्रतिनिधियों की संख्या ४३६, तीसरे में ६०७ और चौथे में १,२४८ तक जा पहुंची। "जिस प्रकार एक बड़ी नदी का सूल एक छोटे से सोते में होता है उसी प्रकार महान् संस्थाओं का आरम्भ भी बहुत मामूली होता है। जीवन की शुरुआत में वे बड़ी लेजी के साथ दीड़ती हैं; परन्तु ज्यों-ज्यों व्यापक होती जाती हैं, त्यों-त्यों उनकी गति मन्द किन्तु स्थिर होती जाती है। ज्यों-ज्यों वे आगे बढ़ती हैं, त्यों-त्यों उनमें सहायक नदियाँ मिलती जाती हैं और वे उसको अधिकाधिक सम्पन्न बनाती जाती हैं। यही उदाहरण हमारी कांग्रेस पर भी लागू होता है।" अपने जन्म के कुछ ही वर्षों के भीतर कांग्रेस ने एक अखिल भारतीय संगठन का रूप धारण कर लिया। १० मदन मोहन मालवीय के शब्दों में भारत ने 'अन्त में अपनी आवाज को इस महान् कांग्रेस में पाया'। सर हैनरी कॉटन ने, जिन्होंने कांग्रेस के जन्म-काल से ही उसके विकास का निरीक्षण किया था, उसको लक्ष्य करके कहा कि इसके नेता 'देश में एक शक्ति बन गए हैं जिनकी आवाज देश के एक कोने से दूसरे कोने तक निरादित होती है'।

कांग्रेस इतिहास की सीन अवस्थाएँ—भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास को सीन विशिष्ट अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है। पहली अवस्था १८८५ से १९०५ तक की है। २० वर्षों के इस काल में उदार अथवा नरम राष्ट्रीयता की प्रवान्तरा रही। यही इस काल की विशेषता है। इस युग में कांग्रेस किसी भी प्रकार एक क्रान्तिकारी संस्था नहीं थी। इस काल में कांग्रेस क्रिटिश शारान के प्रति अपनी राजभक्ति की बातों को बार-बार दुहराती रही और उसने आशा की थी कि अंग्रेजों से यह

१. पहाड़ि तीतारामथ्या—“दी हिस्ट्री आफ कांग्रेस” पृ० २६।

## THE DREADFUL DRAGON

youths and maidens intent on making the most of their freedom. Their freedom was their religion ; and, as every religion needs rites, they ritualistically danced. They danced much during the day, and then much by moonlight or starlight or firelight, in a grim and purposeful, an angular and inflexible manner, making it very clear that they were not to be trifled with.

This, when first she saw them engaged thus, had been very glad ; she imagined that they must be doing something useful. When she realised that they were dancing, she drew a deep breath. She remembered how she herself had danced—danced thoughtlessly and anyhow, from her heart, with every scrap of her body. She blushed at the recollection. She did not wonder that the homelanders had resented her dance on the morning after her marriage. She wondered that they had so encouraged her to dance when she was a child. And she felt that there must, after all, be in these young people a deep fund of earnestness, auguring well for their future.

Time had not confirmed this notion. The young people danced through the passing seasons and the passing years with ever greater assiduity and solemnity ; but other forms of seriousness were not manifested by them. Few of them seemed to find time even for falling in love and marrying. They all, however, called one another 'beloved,' and had a kind of mutual good will which their elders, among themselves, would have done well to emulate. And for those elders they had a tolerant feeling which ought to have been, yet was not, fully reciprocated.

Thol within five years of the dragon's death, Thol with his immense red beard and his stately deportment, was of course very definitely an elder ; and still more so was that

करती है। मेरे लिए यह बताना सबसे अधिक प्रसन्नता की बात है कि उसकी उपज आरम्भ में एक अंग्रेज के मस्तिष्क में हुई। ऐलेन आबटेवियन ह्यूम को कांग्रेस के पिता के रूप में हम जानते हैं। दो महान् पारसियों ने—फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी ने—जिन्हें सारा भारत 'वृद्ध पितामह' कहने में हमें अनुभव करता है, इसका पोषण किया। आरम्भ में ही कांग्रेस में मुसलमान, ईरानी, एंगलोइण्डियन आदि जातियाँ थे, वल्कि मुझे यों कहना चाहिए कि इसमें सब धर्मों, सम्प्रदायों और हितों का पूर्णता के साथ प्रतिनिधित्व होता था।

कांग्रेस का सामाजिक आधार—वैसे तो उपरोक्त कथनानुसार कांग्रेस का स्वरूप सर्व ही राजीय रहा है, परन्तु शुरू-शुरू में अपनी सबसे पहली अवस्था में उसको जन संगठन मान लेना भूल होगी। यद्यपि वह देश के सभी वर्गों की कठिनाइयों को मुख्यतः करती थी और राजनीतिक उत्कर्ष के लिए उनके हृदय की उदाम लालसा को भी व्यक्त करती थी; परन्तु मुख्यतः वह बुद्धिजीवियों, शिक्षितों और उच्च मध्य वर्गों तथा व्यापारी बोरजुआजी का ही प्रतिनिधित्व करती थी। कांग्रेस के प्रारम्भिक अधिवेशनों में वकीलों, विद्या विद्यारदों, पत्रकारों, चिकित्सकों तथा व्यापारियों की ही संख्या अधिक रहती थी।

प्रारम्भ में कांग्रेस क्रान्तिकारी संस्था नहीं थी—कांग्रेस के कार्यक्षेत्र एवं स्वरूप के सम्बन्ध में इसी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रारम्भ में वह क्रान्तिकारी संगठन नहीं था। उस समय उसकी विगड़ोर पूरी तरह से नरम राष्ट्रवादियों के हाथों में थी। अंग्रेजों की न्याय भावना में उनकी हड़ आस्था थी। उनका प्रमुख ध्येय यही था कि भारतीय शासन का प्रजातन्त्रीकरण हो तथा विदान सभाओं में भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ जाय। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उन्होंने किसी प्रकार के उच्च साधनों का अवलम्बन नहीं लिया, अपित सार्वजनिक भाषणों, प्रचार, प्रदर्शनों, आवेदनों तथा प्रतिनिधिमण्डलों द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति का प्रयास किया।

## १२. प्रारम्भिक कांग्रेस के कार्य का संक्षिप्त सिंहावलोकन

कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन १८८५—प्रारम्भिक वर्षों में कांग्रेस के प्रोग्राम और क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण हमें यह समझने में सहायता देगा कि उदार राष्ट्रवादियों के द्वा ध्येय थे; उनकी क्या कार्य पद्धति थी और उनके नेतृत्व में इस संस्था का क्या इष्टिकोण रहा। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बन्दर्वीमें हुआ था। उसके अध्यक्ष उमेशचन्द्र बैनर्जी थे और मन्त्री ए० ओ० ह्यूम। इस अधिवेशन ने भारत की कई सुप्रसिद्ध विभूतियों—दादा भाई नौरोजी, फिरोजशाह मेहता, दीनशा एंडलजी बान्ना, काशीनाथ ध्येयक, तैलंग, नारायण गणेश चन्द्रवरकर, पी० आनन्दाचार्ल, बी०

## THE DREADFUL DRAGON

not, as they supposed, think that he was too old to dance : he only thought that he might not dance well and might lose his power over them. He believed that they loved him. How should they not ? Thia, though she never told him so now, loved him with her whole heart, of course, and, for all the harsh words she spoke at times, thought that no man was his equal. How should not these much gentler young women not have given their hearts to him ? He felt that he himself could love one of them, if he were not Thia's husband. They were not beautiful, as Thia was ; and they were not wise, as she was ; but he felt that if he had never seen Thia he might love one of them, or even all of them.

### xx

For lack of a calendar, the homelanders had not the habit of keeping anniversaries. They never knew on what day of the year a thing had happened—did not even know that there was a year. But they knew the four seasons. They remembered that the apple trees had been in blossom when Thol slew the dragon, and that since then the apple-trees had blossomed four times. And it seemed good to them that at the close of a day when those blossoms were again on those branches, a feast should be held in that part of the valley where the great deed had been done. Shib, who organised the feast, was anxious that it should be preceded by a hymn in praise of the slayer god. He thought this would have a good effect on the rising generation. But Thol opposed the idea, and it was dropped. Shib had also been anxious that Thia should attend the

१८८६—कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ते में हुआ। इसके अध्यक्ष दादा-भाई नंदीजी थे। इस बार प्रतिनिधि “सार्वजनिक सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे।” सुगंदनाथ बैनर्जी और पंडित मदनमोहन मालवीय ने इसी बधाई कांग्रेस में प्रवेश किया। दूसरे अधिवेशन में विधान-सभाओं के सुधार की माँग को दुहराया गया और कहा गया कि उनमें ५० प्रतिशत सदस्य निर्वाचित होने चाहिए; तथापि कांग्रेस में “अप्रत्यक्ष चुनाव का सिद्धान्त मान लिया गया। कहा गया कि प्रान्तीय कौसिलों के सदस्यों का चुनाव तो म्यूनिसिपल और लोकल-बोर्डों, व्यापार-संघों तथा विश्वविद्यालयों के द्वारा हो और सर्वोच्च केन्द्रीय कौसिल (Supreme Central Council) का चुनाव प्रान्तीय कौसिलों के द्वारा हो।” देश के विधान मण्डलों में जनता के प्रतिनिधियों को भी स्थान मिलना चाहिए, इस माँग का समर्थन करते हुए एक डेलीगेट ने स्वीकार किया “हम राष्ट्रीय शासन की व्यवस्थाया में नहीं, अपितु विदेशी नीकरताही की अधीनता में रहते हैं।” आगामी कांग्रेस अधिवेशनों में यह प्रस्ताव बार-बार दुहराया गया, फलतः १८८२ का “इंडियन कौसिल एकट” पास हो गया। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में यह प्रस्ताव भी पास किया गया कि कार्यपालिका और म्यायपालिका को अलग-अलग कर देना चाहिए।

१८८७—कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन १८८७ में बद्रहीन तैयारी की अध्यक्षता में हुआ। यह कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में अन्य कई प्रस्तावों के साथ-साथ एक प्रस्ताव यह भी पास किया गया कि भारतीयों को शिक्षा देने के लिए सैनिक विद्यालयों की भी हस्थापना होनी चाहिए। एक नए सदस्य बर्डले नोर्टन (Bardley Norton) ने कांग्रेस के ऊपर लगाए गए इस दोषारोपण का बह एक राजद्रोही संस्था है, इस अधिवेशन में मुँह तोड़ उत्तर दिया।<sup>१</sup>

१. उसने कहा ‘सञ्जनों ! यदि अत्याचार का विरोध करना राजद्रोह हो, यदि यह कहना कि जनता का अपने देश के शासन में अधिकाधिक हाथ रहना चाहिए, राजद्रोह हो, यदि वर्ग अत्याचार का विरोध करना, दमन के खिलाफ अपनी आवाज उठाना, अन्यायों का मुकाबला करना, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताओं का समर्थन करना और उत्तरोत्तर किन्तु सदैव विकासशील सुधार के सामन्य अधिकार को प्रमाणित करना राजद्रोह हो तो मैं निःसंदेह राजद्रोही हूँ और मुझे राजद्रोही कहलाते समय अपूर्व प्रसन्नता होती है, जब मैं आज अपनी चारों ओर विरजमान राजद्रोहियों की गौरवपूर्ण पंक्ति में स्वर्य को भी सम्मिलित पाता हूँ। सी० बाई० चिन्तामणि द्वारा उद्धृत—“इंडियन पॉलिटिक्स सिन्स म्यूटिनी” पृष्ठ ४३।

## THE DREADFUL DRAGON

'O Thia,' he rebuked her, 'you speak empty words. You speak as though you did not love me.'

'I have long ceased to love you, O Thol,' she said in a low voice.

He stared at her blankly in the moonlight. His slow mind strove hard. 'But you are my wife,' he said at last. 'I am your husband. O Thia, is it indeed true that you have ceased to love me?'

'O Thol, it is most true.'

Then, by stress of the great anger that rose in him, his mind worked more quickly—or rather his tongue was loosened. He told Thia that she had never loved him. She denied this coldly. He said that she had never understood him. She denied this warmly. He reminded her that even when she was a little girl she had once called him a coward; and this too she denied; but he maintained that it was so; and she reminded him that after he had been beaten by his master for seeing the dragon he said that she too ought to have been beaten for seeing the dragon, and he denied this; but she persisted that it was so; and he then said that she ought to have been beaten; and she replied that she could be now, and she challenged him to beat her; but he did not accept her challenge; and this, she said, proved that he was a coward; and he asked her to repeat this, and she repeated it, and he then reminded her that he had slain the dragon; and she, stamping her foot, said she only wished the dragon had slain him; and she made a face at him, and rushed out of the cave, and if there had been a door she would have slammed it; and really he was quite glad that she had gone; and after she had run far she lay down upon the grass and slept till dawn, and then, rising and brushing the dew off her arms

(Official Secrets Act of 1904) जैसे दमनकारी कानूनों के हटा लेने की वारस्वार विनती की। १९०५ तक कांग्रेस समतल पथ पर दौड़ती रही। सार्वजनिक महत्व का ऐसा कोई भी विषय नहीं जिसने उसका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट न किया हो और विभिन्न विषयों पर पास किए गए प्रस्तावों में व्यक्त विचार आन्दोलन के नेताओं की राजनीतिक बुद्धिमत्ता के साथी थे।<sup>१</sup>

### १३. उदार राष्ट्रवादियों की मनोबृत्ति और कार्य-पद्धति।

ब्रिटिश शासन की प्रशंसा और राजभवित—इसमें कोई संदेह नहीं कि उदार राष्ट्रवादी जिन्होंने राजनीतिक उत्कृष्ट के लिए लड़े गए संघर्ष के प्रारम्भिक वर्षों में कांग्रेस का सूत्र संचालन किया, उच्चकोटि के देशभक्त थे। परन्तु उनके समय और सामाजिक पृष्ठभूमि को देखते हुए यह कहना पढ़ता है कि कुछ ऐसी सीमाएँ थीं जिनका उल्लंघन उनके लिए शब्द नहीं था। यह स्थिति सर्वथा स्वाभाविक भी थी। उनमें से अधिकांश उच्चवर्णीय थे और पाश्चात्य शिक्षा का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा था। यदि उस समय ब्रिटिश शासन का प्रचण्ड विरोध किया भी जाता तो प्रारम्भ से ही उसका दमन किया गया होता। अतएव हमें यह देखकर कोई आश्चर्य नहीं होता कि राष्ट्रीय संघर्ष के प्रभाल काल में भारतीय राष्ट्रीय ब्रिटिश शासन के उत्काट प्रशंसक थे; परन्तु यह भी समझ लेना अम होगा कि उन्हें ब्रिटिश शासन की बुद्धियों और दुर्बलताओं का कोई ज्ञान नहीं था। ब्रिटिश राज के उपकारी के प्रति उनके हृदय में कृतज्ञता का भाव था। जब ब्रिटिश शासन ने भारत को राजनीतिक एकीकरण नहीं किया था, उसे केवल भारतीय भौगोलिक नाम से बढ़ कर कुछ बस्तु नहीं बनाया था और उसमें राष्ट्रीय चेतना का संचार नहीं किया था? वे ब्रिटिश-सम्बन्ध को भारत के लिए लाभकर समझते थे। वे अंग्रेजों की इस बात के लिए जी खोलकर सराहना करते थे कि उन्होंने पश्चात्य सम्भवा और संस्कृति के संस्पर्श से भारत के सामाजिक जीवन को समृद्ध किया था, तूतन राजीवता की बहुक अंग्रेजी शिक्षा का सूचनात किया था और पाश्चात्य विचारधारा और साहित्य के संसर्ग से स्वाधीनता तथा प्रजातन्त्र के प्रति भारतीय नव-युवकों में प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न किया था। सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी कहा करते थे कि 'इंग्लैण्ड हमारा पथप्रदर्शक है।' ब्रिटिश शासन के सूचनात को एक ऐसा दैवी वरदान समझा गया जो भारत को मध्य युगीन अधोगति की दशा से ऊपर उठाकर राजनीति और आर्थिक उन्नति के धिक्कर पर पहुँचाने के लिए ही अवतीर्ण हुआ था।

इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि उदार राष्ट्रवादी ब्रिटिश सरकार के प्रति राज-

१. सी० वाई० चिन्तामणि—'वही' पृष्ठ ४६।

## THE DREADFUL DRAGON

go in quest of her. He freed his goats, guided them to some long grass and, sitting down, tried to take an intelligent interest in their doings and a lively interest in their welfare, and not wonder where Thia was.

For three whole days he tried hard—tried with all that fixity of purpose which had enabled him at last to slay the dragon. It was Afa's visit that unmanned him.

Not she nor any other of those maidens had ever come to him at the pond in Thia's time. If they happened to pass that way, they would gaze straight before them, or up at the sky, greeting neither the husband nor the wife, and simpering elaborately, as much as to say, 'We are unworthy.' But now it was straight at Thoi that the approaching Afa simpered. And she said, 'I am come to be the goat herd's help!'

He marvelled that there was a time when he had thought he might have loved one of these maidens. He was not even sure that he knew which of them this one was. He was sure only that he despised them all. And this sentiment so contorted his mild face that there was nothing for Afa to do but toss her head and laugh and leave him.

Presently the look of great scorn in his face was succeeded by a look of even greater love. He arose and went in search of Thia. But he did not in his quest of her throw dignity to the winds. He did not ask anybody where he should find her. He walked slowly, as though bent on no errand. It was near sunset when at length he espied his lost one near to a lonely pool at the edge of the forest.

She did not see him. She sat busily plaiting wattles. There was a great pile of these beside her. And in and around the pool were her geese.

गताध्यक्ष सरदार दयालसिंह मजीटिया ने कांग्रेस के विषय में कहा था कि 'यह भारत में ब्रिटिश शासन की कीर्ति का कलश है।' इस प्रकार के दिचार कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन में स्वतंत्रता समिति के अध्यक्ष पद से स्वामत-भाषण देते हुए सरटी० माधवराव ने व्यक्त किए थे—'कांग्रेस ब्रिटिश शासन का सर्वोच्च यज्ञःज्ञिष्ठ और ब्रिटिश जाति का कीर्ति मुकुट है।' यह बात नहीं थी कि कांग्रेस के उदार नेताओं को ब्रिटिश नौकरशाही की गलतियों का भान नहीं था। वे उसकी ब्रूटियों और गलतियों को अच्छी तरह से जानते थे, फिर भी उनका यह विश्वास था कि यदि भारत की समस्या को स्पृतः और प्रबलता-पूर्वक ड्रिटेन की संसद तथा जनता के सम्मुख रख दिया जाय तो वह मार्ग करेगी कि भारत की परिस्थिति में परिवर्तन होना चाहिए। यह आशा की जाती थी जैसा कि सर फिरोज खाह मेहता ने १८६० में कहा था 'मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञ अन्त में जाकर हमारी पुकार पर अवश्य ध्यान देंगे।' विष्वास की इस स्थिति में चूल के भारतीय राष्ट्रवादी पवरदर्शन और प्रेरणा के लिए अंग्रेजों की ही ओर लाकर थे। सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी के निम्न शब्द उदार राष्ट्रवादियों की मनोवृत्ति को भली भाँति स्पष्ट कर देते हैं। अंग्रेजों के न्याय, बुद्धि और दयाभावना में हमारी हड्ड आस्था है। संसार की महानतम प्रतिनिधि सभा, संसदों की जननी ब्रिटिश कॉमन सभा के प्रति हमारे हृदय में असीम धड़ा है। अंग्रेजों ने सर्वेत्र प्रतिनिधि आदर्दों पर ही शासन की रचना की है।'

उदार राष्ट्रवादियों की विचारधारा और मार्ग—इस बात को उदार राष्ट्रवादियोंने गुप्त नहीं रखा कि कांग्रेस आन्दोलन का ध्येय स्वशासन को प्राप्त करना है। यद्यपि उन्होंने अपनी अधिकांश शक्ति और ध्यान को शासन के कभी इस और कभी उस पहलू में सुधार करवाने के आन्दोलन में ही लगाया था; फिर भी वे उस भविष्य की कल्पना कर सकते थे जबकि भारतीयों के हाथों में अपने भाष्य निर्भाग का अधिकार आ जाएगा। १८८६ के कलकत्ता अधिवेशन में सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी ने कहा था, 'स्वशासन प्रकृति की व्यावस्था है, विवि का विधान है।' प्रकृति ने अपनी पुस्तक में स्वयं अपने हाथों से यह सर्वोपरि व्यवस्था लिख रखी है। प्रत्येक राष्ट्र अपने भाष्य का आप ही निर्माता होना चाहिए।<sup>१</sup> दादाभाई नौरोजी ने 'यूनाइटेड विगडम अथवा उपनिवेशों के जैसे स्वशासन या स्वराज्य' का जिक्र किया था। स्वशासन अथवा स्वराज्य से प्रारम्भिक कांग्रेसियों का आशय पूर्ण स्वाधीनता नहीं था जिसको १८२६ में कांग्रेस ने अपने ध्येय की भाँति ग्रहण किया। वास्तव में ब्रिटिश साम्राज्य से सब सम्बन्ध विच्छेद कर लेने का विचार तो उदारवादियों के मस्तिष्क में कभी आया नी नहीं था। सम्भवतः उन्होंने यह

१. एनीबीसेट—“हाऊ इण्डिया रॉट कार फीडम”, पृ० २६।

## THE DREADFUL DRAGON

somewhat the homelanders had become less good because of it. Thia had often said so. Of course she had never blamed him for that. Still, perhaps she would not have ceased to love him if his deed had not done harm. Was there no deed by which the harm could be undone? Day by day, night by night, Thol went on thinking.

After the lapse of what we should call a week or so, he began to act also.

He knew that there could be no great thickness of barrier between the back of his cave and the back of the cave that had been the dragon's; for in his childhood he had often heard through it quite clearly the sound of the voices of Gra and her children. To make in it now a breach big enough to crawl through on hands and knees was the first step in the plan that he had formed. With a great sharp stone, hour after hour, daily, he knelt at work. Fortunately—for else must the whole plan have come to naught—the barrier was but of earth, with quite small stones in it. Nevertheless, much of strength and patience had been exerted before the first little chink of daylight met Thol's eyes.

It was a glad moment for him when, that same evening, at sunset, at last he was able to crawl through into the western cave; but as he rose and gazed around the soot blackened lair he did not exult. His work had but begun. And his work would never end while he lived. He prayed earnestly to the sun that he might live long and always do his work rightly. Also he prayed that Thia might soon again love him.

That night, in his own cave, just as he was falling asleep, he had a doubt which greatly troubled him. He arose and went forth to a place where some ducks were. One of these

प्रियता में उनकी आस्था थी इसलिए उन्होंने सरकारी अधिकारियों के घमन को, सार्वजनिक भाषणों, समृद्धि-पत्रों, प्रस्तावों, आवेदन पत्रों तथा शिष्टमण्डलों द्वारा जनता की उचित मार्गों और कठिनाइयों की ओर आकृष्ट करना ही यथेष्ट समझा। कांग्रेस ने ब्रिटिश जनता और संसद के सामने भारत की समस्या को ठीक-ठीक उपस्थित करने के द्वारा से कई शिष्टमण्डल भेजे। इन साधनों के द्वारा नरम राजनीतिज्ञों ने भारतीय जनता को ऊपर उठाने और चिकित करने की कोशिश की और कोशिश की कि अंग्रेज भारतवासियों की न्याययुद्ध मार्गों को पूरा करना अपना कर्तव्य समझें। ब्रिटिश जनता को यह सम्यक् परिज्ञान कराने के लिए कि भारत में राजनीतिक सुधारों की महत्त्वीय आवश्यकता है; कांग्रेस ने १८८५ में एक ब्रिटिश समिति की स्थापना की और उसके संचालन के लिए पैंतालीस हजार रुपयों की स्वीकृत भी दी। चार वर्षों के उपरान्त कौमन-सभा में जनमत को भारत के राजनीतिक विकास के पक्ष में संगठित करने के लिए सर बिलियम बेडरवर्ट ने भारतीय संसदीय समिति (Indian Parliamentary Committee) की रचना की। उस जमाने के राष्ट्रवादियों के इन तरीकों को कभी-कभी 'राजनीतिक भिक्षावृत्ति' कहकर वर्णित किया जाता है।

**आवेदन और प्रार्थनाएँ**—यह वर्णन कुछ अप्रिय अवश्य है, पर गलत नहीं है। वे सरकार के पास, रियायतों और सुधारों के लिए, अत्यन्त विनीत भाव से हाथ जोड़कर जाने में, यकीन रखते थे। उनका आवेदनों और प्रार्थनाओं में कितना भरोसा था; वे इन पर कितना दब देते थे, यह १८०८ मदनमोहन मालवीय के निम्न शब्दों से स्पष्ट है जो उन्होंने कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन में कहे थे 'यद्यपि अपने प्रयत्नों में अभी तक हमें रफलता नहीं मिली है, फिर भी हमें सरकार के समीप पुनः जाना चाहिए और निवेदन करना चाहिए कि वह हमारी मार्गों, 'अथवा हमारी प्रार्थनाओं' पर शीघ्रातिशीघ्र विचार करे।'

#### १४. उदार राष्ट्रवादियों का मूल्यांकन

**उदार राष्ट्रवादियों की चुटियाँ**—कांग्रेस के शुरू के दिनों में उदार राष्ट्रवादियों ने जो काम किया; ग्राजकल उसके महत्व को कम समझा जाता है। कभी-कभी तो लोग उसे अत्यन्त हेतु इष्ट से देखते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनमें कुछ चुटियाँ स्पष्टरूप से विद्यमान थीं। जैसे—

ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति विद्या घारणा—भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का क्या वास्तविक आधार था अथवा उसकी क्या प्रकृति थी इस बात को उदारवादी नेता

## THE DREADFUL DRAGON

down the western side of the hill. And the man was not really frightened. He only seemed so.

He careered around the valley, howling now like one distraught. Responsive sheep, goats, geese, what not, made great noises of their own. From the mouths of caves and huts people darted and stood agape. Thol waved his arms wildly towards the cave upon the hill. People saw a great column of smoke climbing up from it into the sky.

'A dragon! Another dragon!' was Thol's burthen.

People gathered round him in deep wonder and agitation. He told them, in gasps, that he had come down early—very early—to look for mushrooms—and had looked back and—seen a dragon crawling up the hill. He said that he had seen it only for a moment or two: it crawled very quickly—far more quickly than the old one. He added that it was rather smaller than the old one—smaller and yet far more terrible, though its smoke was less black. Also, that it held high its head, not scorching the grass on its way.

There was no panic.

'O Thol,' said one, 'we need not fear the dragon, for here are you, to come between us and him.'

'Here by this stream,' said another, 'we shall presently bury him with great rejoicings, O high god.'

The crowd went down on its knees, thanking Thol in anticipation. But he, provident plodder, had foreseen what would happen, and had his words ready. 'Nay, O home landers,' he said, plucking at his great beard, 'I am less young than I was. I am heavier, and not so brave. Peradventure some younger man will dare meet this dragon for us, some day. Meanwhile, let us tempt him with the

अति सामान्य हो गई थीं।

**उनकी सफलताएँ**—परन्तु यह न तो आवश्यक ही है और न उचित ही कि हम प्रारम्भिक देशभक्तों के कार्यों को अवहेलना की हृष्टि से देखें। भारतीय राष्ट्रवादी आन्दोलन के इन मार्ग-दर्शकों के कार्य को सर्वथा निरर्थक नहीं कहा जा सकता उसके भी सुदूरब्बाधी और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण परिणाम हुए। हम १८६२ के इण्डियन कॉसिल्स एकट का उल्लेख कर चुके हैं जो कांग्रेस द्वारा राजनीतिक सुधारों के लिए किए गए आन्दोलन का ही सीधा परिणाम था। परन्तु यह और इसी प्रकार की अन्यान्य रियायतें जो उन्होंने प्राप्त कीं, उनकी सफलताओं में विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं रखतीं।

**भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा**—राष्ट्रीय आन्दोलन को उनकी वास्तविक देन यह है कि उन्होंने भारतीय जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान की और उसमें प्रजातात्त्विक आदर्शों को प्रसारित किया। उन्होंने सभी महत्त्वपूर्ण प्रश्नों के विचार-विमर्श के लिए एक 'फोरम' तथा सरकार की नीतियों और कार्यों से सम्बद्ध आलोचना की। 'सर्व लाइट' को दिशा प्रदान कर प्रबल जनसत् को संगठित किया था। न तो उनकी प्रार्थनाओं और न आलोचना ने ही नौकरशाही पर अधिक प्रभाव डाला परन्तु सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी को उस सरकार का खण्डन करते हुए पाना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है जो कि अपने मैंगनाचार्ट (Magna-Charta) और हेबियस कॉर्पस (Habias Corpus) एकट की शेखी बधारते हुए नहीं धकती। परन्तु भारतीय जनता को 'व्यक्तिगत स्वाधीनता का अनर्थ अधिकार' देने से इन्कार करती है।

**भारतीय राष्ट्रीयता के प्रणेता**—यह बात तो हमें मुक्त काण्ड से स्थीकार करनी ही चाहिए कि भारत की प्रथम राष्ट्रीय संस्था के प्रणेता उदार राष्ट्रवादी ही थे। उन्होंने देशवासियों को शिक्षा दी कि वे साम्राज्यिक और प्रान्तीय घरासलों से ऊपर उठें तथा सत्मान्य राष्ट्रीयता की भावना को अपने हृदय में विकसित करें। गुरुमुख निहालसिंह के शब्दों में प्रारम्भिक कांग्रेस ने 'राजभक्ति की प्रतिज्ञाओं, नरम नीति, आवेदन; आवेदन ही नहीं अपितु भिक्षा वृत्ति के बावजूद भी उन दिनों राष्ट्रीय जागरण, राजनीतिक शिक्षा, भारतीयों को एकता के सूत्र में यथित करते और उनमें सामान्य भारतीय राष्ट्रीयता की भावना का निर्माण करने में कठिन परिश्रम किया था।'१ शुक्ल के कांग्रेसियों की भी स्तुता और शिक्षा-वृत्ति को उपहारा की हृष्टि से देखना अत्यन्त मुगम है, परन्तु "उस समय जब भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में कोई नहीं था, उन लोगों

१. जी० एन० रिह—“लैण्डमार्क्स इन दी कान्स्टीट्यूशनल एण्ड नेशनल डेवलपमेण्ट ऑफ इण्डिया” पृ० १२३।

## THE DREADFUL DRAGON

glow rise and fall, in the old way, twelve times, with the sound of the clashed jaws? What was in store for the homeland to night?

None but Thol knew.

### XXIV

He, very wisely, had rested all day in preparation for the tasks of evening and night. Two or three times, moving aside the screen that kept the smoke out of his cave, he had crawled through the opening and, drawing the other screen across the other side of it, had tended the fire. For the rest, he had been all inactive.

As twilight crept into the cave, he knelt in solemn supplication to the departing sun. Presently, when darkness had descended, he struck two flints, lit one end of his pine wood staff, moved the screen aside, drew a long deep breath, and crawled swiftly into the other cave. Slowly he moved his torch from side to side of the cave's mouth, along the ground. He was holding it in his left hand, and in his right hand was holding one of the two flat stones. After a pause, still kneeling, he raised high the torch for a moment or two and then sharply lowered it in the direction of one of the smoke clouded animals. At the same time he powerfully clashed the one stone down upon the other. Another pause, and he repeated these actions exactly, directing the torch towards the next animal. He performed them ten times in all. Then he extinguished his torch and crept quickly home, puffing and spluttering and snorting, glad to escape into clear air.

When he had regained his breath, he crawled back to drag the carcasses in. The roe and the buck he left where

भेजा था। इसमें उन्हें हिदायत दी गई थी कि “भारत सरकार की आज्ञा के अनुसार ऐसी समझों में दर्शक रूप में भी सरकारी अफसरों का जावा ठीक नहीं है और ऐसी सभाओं की कार्यवाही में भाग लेने में सख्त मनाई की जाती है” १८६७ में ‘राजद्रोहात्मक’ भाषणों और कार्यवाहियों पर अंकुश रखने के विचार से ‘इण्डियन पीनल कोड’ में दफा १२४ (अ) तथा दफा १५३ (अ) और जोड़ दी गई। प्रेस पर वहुत से प्रतिवन्ध लगा दिए गए और १८६८ में गुप्त प्रेस समितियों की स्थापना हुई। देशवासियों को आपस में लड़ाने की पूर्व-परिचित नीति का अब राजनीतिक लेने में खुल कर प्रयोग किया गया; और कांग्रेस के विरुद्ध मुसलमानों को संगठित करने के प्रयास किए गए। विद्रोह के पूर्व और बाद में भारतीय मुसलमान अंग्रेजों के विशेष कोप-भाजन रहे थे; परन्तु अब जैसे-जैसे कांग्रेस की लोकप्रियता और शक्ति में बढ़ि होती गई; सरकार मुसलमानों के प्रति अपने रूप में परिवर्तन करती गई। मुसलमानों को विशेष सुविधाएँ देकर, उन्हें अपनी विशेष मार्गों रखने का प्रोत्साहन देकर नौकरशाही ने भारतवर्ष की दो प्रमुख जातियों के मध्य भेद की खाई को खोदले की कोशिश की। अविराम गति से बढ़ती हुई राष्ट्रीय एकता की भावना पर कुठारावत करके लिटिक सरकार ने शुरू-शुरू में ही राष्ट्रीय आन्दोलन को कुचल डालने का प्रयास किया। इस सम्बन्ध में कि मुसलमान “कुछ शठ पदाविकारियों द्वारा जिनका कि पूर्ण डालो और राज्य करो कि नीति में विश्वास था प्रयुक्त किए जा रहे थे” हमारे पास ए० औ० हूँम की साक्षी विद्महान है।<sup>१</sup> कांग्रेस के चौथे अधिवेशन (१८८८) में शेष रजा हुसैन ने घड़ले के साथ कहा कि “मुसलमान नहीं बल्कि उनके मालिक-सरकारी हुक्मकाम हैं जो कि कांग्रेस के विरुद्ध हैं।”<sup>२</sup>

### प्रारम्भिक भारतीय देशभक्त

#### १६. सुरेन्द्रनाथ बनर्जी

आधुनिक बंगाल के निर्माता और भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रणीताओं में अग्रगण्य सुरेन्द्रनाथ बनर्जी भारत के प्रतिष्ठा भाजन व्यक्तियों में एक उच्च स्थान के अधिकारी हैं। वे उन व्यक्तियों में से थे, जिन्होंने इण्डियन सिविल सर्विस की परीका में अत्यन्त शीघ्र सफलता प्राप्त कर ली थी। सन् १८७१ में वे सिलहट के असिस्टेंट मैजिस्ट्रेट-नियुक्त हुए। दो ही वर्ष के अन्दर सरकारी आचरण में कुछ दोष पाए जाने के कारण उन्हें नौकरी से हाथ छोना पड़ा। बाद में दो लैपिटनेंट गवर्नरों ने इस बात

१. डॉ० पट्टमी सीतारमन्था—“द्वी हिस्ट्री आफ दी कांग्रेस” पृ० १०८।

२. ‘वही’, पृ० ११०।

## THE DREADFUL DRAGON

In so far as they deigned to remember him at all, the homelanders supposed he had gone away, that first morning, across the waters or through the forests, to some land where he could look men in the face.

Here he was, however, in their midst, a strenuous and faithful servant.

He had a stern grim joy in the hardness of his life—save that he could never ask Thia to share it with him. He had not foreseen—it was the one thing he had not thought out well—how hard the life would be. The great deed by which he had thought to bring Thia back to him must forever keep them asunder. Thus he had done an even greater deed than he intended. And his stern grim joy in it was thereby the greater.

### XXVI

Had she so wished, Thia might have become very popular and have regained something of her past glory. After Thol's confession of cowardice she had instantly risen in the homelanders' esteem. How very right she had been to leave him! Friendly eyes and friendly words greeted her. But when they all knelt praying the sun to call the dragon away, she remained upright and mute. And afterwards, when she was asked why, she said that it was well that the dragon should abide among them, for thus would they all be the better, in heart and deed, and therefore truly the happier, could they but know it. She said that whether or not they could know it, so it was.

These sayings of hers were taken in bad part, and she was shunned because of them. This did not mar the joy

सुरेन्द्रनाथ वैनर्जी अत्यन्त प्रभावशाली बोलता थे। एक अंग्रेज ने तो यहाँ तक कहा था कि सार्वजनिक बक्साओं में ग्लैडस्टन के अलावा उनसे बढ़कर और कोई नहीं था। हॉम पट्टमिं सीतारामय्या के शब्दों में “भाषा-प्रभुत्व, रचना-निपुण्य, कल्पना-प्रबलता, उच्च भावुकता, वीरोचित हुकार इन गुणों में आपकी बवतृत्व कला को पराजित करना कठिन है। आज भी कोई आपकी समता तो क्या आपकी निकटता को भी नहीं प्राप्त कर सकता!”<sup>१</sup> मैंकॉले की तरह सुरेन्द्रनाथ की भी विलक्षणा स्मरणशक्ति थी। दोनों ही अवसरों पर जब कि उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की, विना मुद्रित प्रति की सहायता के, भाषण दिए, जिनमें मुद्रित प्रति से एक शब्द की भी गलती नहीं थी। यह उनकी अद्भुत स्मरण शक्ति का ही परिचायक था।<sup>२</sup>

सुरेन्द्रनाथ वैनर्जी हॉलिंग कोण और कार्य पढ़ति, दोनों में ही नरम राष्ट्रवादी थे। मैंजिनी के ग्रंथों द्वारा प्रभावित होने पर भी उन्होंने उनके क्रान्तिकारी कार्यक्रम को नहीं अपनाया। अंग्रेजी सम्यता और संस्थाओं के प्रति उनके हृदय में बहुत अनुराग था। एक अवसर पर उन्होंने कहा था “अंग्रेजी सम्यता संसार में सर्वोच्च है। यह इंगलैण्ड और भारत की अखण्ड एकता का चिन्ह है। यह सम्यता भारतवासियों के प्रति अपूर्व आशीर्वादों तथा प्रसादों से परिपूर्ण है और अंग्रेजों के सुनाम को अपूर्व-रूपाति दिलाने वाली है।” उनको आशा थी कि अंग्रेजों और भारतीयों का यह सम्पर्क अविभक्त रहेगा तथा “भारत, समय आने पर, चरित्र में अंग्रेजी, और संस्थाओं में अंग्रेजी, स्वतन्त्र राज्यों के महान् संघ में, अपना स्थान पा लेगा।” इसमें कोई आदर्शीय की बात नहीं कि अंग्रेजों के प्रति राजभवित सुरेन्द्रनाथ की विचारधारा का केन्द्र-विन्दु था। उन्होंने कहा “राजनीतिक कर्तव्यों के उच्च द्वेष में इंगलैण्ड हमारा राजनीतिक पथ-दर्शक और नीतिक गुरु है।” कांग्रेस के १८वें अधिवेशन में उन्होंने भारत में ब्रिटिश राज के स्थानिकता के लिए प्रार्थना की। लेकिन वे भारत में ब्रिटिश नौकरशाही की गम्भीर चुटियों से भी अच्छी तरह से परिचित थे और उन्होंने उनके निवारण का भी यथाशक्ति प्रयत्न किया। तो भी उनका आदर्श “ब्रिटिश सम्पर्क के प्रति अटल राजभवित के साथ काम करना आ बयोंकि उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन का अवरोध करना नहीं, अपितु उसके आधार का विस्तर करना, उसकी चेतना को उदार व्यापार, उसके चरित्र की प्रतिष्ठा-वृद्धि तथा उसे राष्ट्र के प्रेम की अपरिवर्तनीय आधार-शिला पर स्थित करना था।

१. पट्टमिं सीतारामय्या—“दी हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस,” पृ० १६७।

२. सी० वाई० चिन्तामणि—इण्डियन पॉलिटिकल सिना दी म्यूटिनी पृ० ७२।

# THE DREADFUL DRAGON

## XXVII

Some one presently came forth : and yes, it was Thol. Slowly he came down the hill, with his head bent forward, with his hands up to his bowed shoulders, and two burdens at his back—two goats, as Thia saw when presently Thol turned aside southward. He looked very strange. His hair and face seemed to have grown quite dark. And what was he doing with those two goats ? Thia lay still, with a fast-beating heart. She felt that her voice would not have come, even had she tried to call to him.

She watched him out of sight, then rose to her feet and, hesitatingly, went to the foot of the hill, and then, quickly and resolutely, went up it and into the cave.

Quick-witted though she was, the sight of three geese and three ducks and of two sheep puzzled her deeply ; and not less did she wonder at the quantity of stacked wood. And what was that fence of osiers against the wall ? She moved it slightly and saw a great breach in the wall ; and through this some smoke came drifting in. And now her quick wits began to work—but in such wise as to make her bewilderment the deeper.

Suddenly, drawing a deep breath, she went down on her hands and knees, and crawled, quick as a serpent, through the smoke.

She was soon back again. Blinking hard and shaking the smoke from her nostrils, she went to breathe the clear air at the cave's mouth. But, good though this air was, she hardly tasted it. She had burst out sobbing. She, who never in all her life had shed tears, sobbed much now. But she remembered that tears make people's eyes ugly.

१८६३ और १९०६ में क्रमशः तीन बार वे कांग्रेस के सम्भाषित निर्वाचित किए गए। दादा भाई नीरोजी का चरित्र अत्यन्त हङ्क था। अपने परिचितों को वे 'प्रशंसा, ईर्ष्या और निराशा' से परिपूर्ण कर देते थे। यदि किसी से कोई भूल हो जाती, तो वे कहु नहीं होते थे; उनका व्यवहार बड़ा सदय बना रहता था। उनका, कभी, कोई व्यक्तिगत शब्द नहीं रहा। चिन्तामणि ने लिखा है, 'उनसे अधिक सज्जन पुरुष का मैंने कभी दर्शन नहीं किया। उनकी तो उपस्थितिमाव ही शब्दों का संचार करती है। गोखले ने लिखा था 'यदि कभी मनुष्य में दिव्यता का वास रहा, तो वह दादा भाई नीरोजी में'। अधिकांश प्रारम्भिक राष्ट्रवादियों की तरह दादा भाई नीरोजी का भी अंग्रेजों की 'स्वभाविक न्यायप्रियता और युक्तियुक्त व्यवहार' में हङ्क विश्वास आ और यह विश्वास मृत्युपर्यन्त अविचल बना रहा। उनको इस बात में सन्देह लेयामात्र भी नहीं था कि भारत अपने राजनीतिक धर्यों को शान्तिपूर्ण दवाव के उपायों और शिंटिश जनमत के शिक्षिण द्वारा प्राप्त कर सकता था। उन्होंने घोषणा की थी 'हम भारतीय एक बात में यकीन करते हैं और वह यह कि यद्यपि जॉन बुल तनिक मन्दवुद्धि है लेकिन यदि एक बार उसे कोई बात समझा दी जाय कि वह अच्छी और उचित है तो आप उसके कार्यरूप में परिणत किए जाने के प्रति विश्वस्त हो सकते हैं'। सर्वजनिक बक्ता के रूप में दादा भाई नीरोजी की आवाज और भाषा बड़ी नरम रहती थी, परन्तु बाद के बर्षों में अंग्रेजों की प्रतिगामी नीति ने उन्हें कठोर भाषा का प्रयोग करने के लिए विवश कर दिया। १९०६ में जब दादा भाई कलकत्ते के कांग्रेस अधिवेशन के सम्भाषित हुए, सारा देश, बंगविच्छेद के कारण 'मानों एक खौलते हुए कछाक में था'। बंगाल असंतोष से उबल रहा था। सरकार ने लोकप्रिय आन्दोलन को विशेष कानूनों (आडिनेंसों) फौज और साजीरी पुलिस की हैनती, अपक गिरफ्तारियों और अन्धाधुन्ध लाठी प्रहारों द्वारा कुचल डालने का प्रयास किया। इस जन आन्दोलन और नीकरशाही दमन के

(ख) भारतमन्त्री की कौसिल, वायसराय और मद्रास तथा बम्बई के गवर्नरों की कार्यकारिणियों में भारतीय प्रतिनिधि पर्याप्त संस्था में हों।

(ग) भारतीय और प्रान्तीय कौसिल बड़ाई जाएं, उनमें जनता के अधिक और वास्तविक प्रतिनिधि रहें और उन्हें देश के आधिक एवं शासन-सम्बन्धी कार्यों में अधिकार रहें।

(घ) स्थानीय और म्युनिसिपल बोर्डों के अधिकार बढ़ाए जाएं और उन पर सरकारी नियंत्रण उससे अधिक न हो जितना ऐसी संस्थाओं पर इंगलैण्ड में लोकल गवर्नमेण्ट बोर्ड का रहता है।"

## THE DREADFUL DRAGON

'Yea. Begone, small dear one!' And he stooped down to take the two sheep.

'Once, long ago, you wished that a lad might help you in your hard work. O Thol, I am as I was, trustier than any lad. It were better that you should go twice, not thrice, every night, to the marshes. I will always take the birds.' And she rose to take them.

But a thought came to her, giving her pause. And she said, 'The fire must first be tended.'

'It has no need yet,' he answered. 'I tend it when I come back from the last journey.'

'To-night it shall be tended earlier. And I will so tend it that it shall last long.' She was down on her knees and off into the smoke before he could stop her. He followed her, protesting that such work was not for her. She did it, nevertheless, very well. And presently, side by side, he with two sheep, she with three birds' necks in either fist, they went forth into the starlight, and down away to the marshes.

There, having duly sunk their burdens, they took each other by the hand, and turned homeward. At one of the running brooks on their way home, Thia halted. 'Here,' she said, 'will I wash myself well. And do you too, O Thol, so that when we wake in the morning my face shall not displease you.'

### XXVIII

Every night Thia accompanied Thol on one of the two journeys; and during the other she would go to the forest and gather wood, so that there should always be plenty

कल्प कोई राजनीतिज्ञ नहीं था। १८८८ में गोखले वस्त्रद्विधान परिषद् के सदस्य हो गए। वाद में उन्होंने भारतीय विधान परिषद् (Indian Legislative Council) में प्रवेश किया और कई बर्पों तक उनके प्रभावशाली तदस्य बने रहे।

१८०५ में गोखले ने भारत-नेवक समिति नामक संस्था स्थापित की जो उनकी देव को सबसे बड़ी देन है। संस्था का उद्देश्य “ऐसे सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को शिक्षित करना था जो ‘अत्कल्प परिश्रमिक पर मालूम भूमि की सेवार्थ, कठोर अनुशासन के पाल-नार्य, साम्राज्य के प्रति राजभवित के लिए वचनबद्ध हों।’” समिति के विधान की प्रस्तावना में गोखले ने लिखा था, “अब हमारे देशवासियों को काफी संख्या में आगे आजाना चाहिए और देशहित के कार्य में स्वयं को उसी भावना से समर्पित कर देना चाहिए जिस भावना से कि धार्मिक कृत्य किया जाता है। सार्वजनिक जीवन को अन्यात्मिकतामय होना चाहिए। देश प्रेम हृदय को इस प्रकार आम्यायित कर दे, कि उनके सामने अन्यान्य सभी बहन्तुएँ अत्यन्त हृथ मालूम पड़ने लगें।” वे दृष्टिरण अपीका भी गए थे और उन्होंने कुछ ममय तक भहात्मा गांधी के साथ काम भी किया था। गांधीजी के सत्याग्रह-वर्ष के बे प्रशंसक हो गए थे।

गोखले का चरित्र और उनकी विचार धारा—गोखले के चरित्र में कई दुर्लभ गुण थे। अपनी स्पष्ट सत्यवादिता और बांधिक साहृन के लिए वे विल्यात थे। वे अपनी राय को उन समय तक कभी प्रकट नहीं करते थे, जब तक उनकी मच्छाई में उनका पूर्ण विश्वास न हो जाता था, जब वे एक बार कोई राय कायम कर लेते थे अबवा किसी आदर्श को अपना लेते थे, तब न तो आलोचना और न बदनामी ही उन्हें अपने निर्धारित पथ से विमुख कर पाती थी। वे एक निःवार्द्ध देशभक्त थे, जिनके हृदय में कदापि कोई ही निष्ठा विचार नहीं आया। यद्यपि उनका व्यवहार कभी-कभी रुक्खा प्रतीत होता था; फिर भी उनका व्यक्तित्व आकर्षक था जो हृदय में उनके प्रति न केवल आदर अपितु प्रेमभाव का भी मंचार करता था। यद्यपि उनके आदर्श बहुत ऊचे थे, परन्तु यथार्थ को भी वे अपनी आंखों से दोकल नहीं होने देते थे। वस्तुतः वे व्यावहारिक आदर्शवादी थे। वे एक ऐसे राजनीतिज्ञ थे जो सृहरणीय आदर्श और ऐसे आदर्शोंके बीच, जो स्पृहरणीय हो परन्तु साथ ही साथ प्राप्तेव्य भी हो, भेद समझ सकते थे। लाई मॉले के क्षयनानुसार इनका मस्तिष्क राजनीतिज्ञ का भण्डिष्क था और इनमें शासक के उत्तरदायित्व की मावना थी। मैचियोविली (Machiavelli) की भाँति वे उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी भी साधन को ठीक न समझते थे, वरन् जीवन के प्रत्येक कार्य को नैतिकता के आधार पर रखते थे। लाई कर्जन ने उनको एक बार लिखा था, “इन्हरे ने आपको अन्तायरण योग्यताओं से आमूलित किया है और आपने उन योग्यताओं को देश के हितार्थ प्रमुखत किया है।”

## THE DREADFUL DRAGON

very much and would not once falter in the work. He promised that he would not falter. Other days and nights passed. It seemed to Thol that Thia had ceased to know him. She did not even follow him with her eyes now. One morning, at daybreak, soon after his return from the third journey, she seemed, by her gaze, to know him. But presently she died in his arms.

On that night he went to the forest and dug a grave for his wife. Then, returning to the cave, he took her in his arms for the last time, and carried her away, and buried her.

In the time that followed, he was not altogether lonely. He felt by day that somehow she was in the cave with him still, and by night he felt that she walked with him. He never faltered in the work.

He faltered not much even when the marshes did to him as they had done to Thia. Shivering in every limb, or hot and aching, and very weak, he yet forced himself to tend the fire and at nightfall to brandish the torch and clash the stones and drag in the beasts and birds. It irked him that he was not strong enough to carry even one sheep away. Surely he would be strong again soon? For Thia's sake, and for the homeland's, he wished ardently to live. But there came an evening when the watchers in the valley saw no rising and falling, heard no clashing, of the dragon's jaws.

### XXIX

Would the dragon come forth to-night? The valley on the further side of the stream was now thickly crowded. On the nearer side were many single adventurers, with

तो बाल गंगाधर तिलक भी इसी युग में हुए, परन्तु उनमें और नरम राष्ट्रीयता के उपासकों में अन्तर था। उनके कर्तृत्व और चरित्र का हम अगले अध्याय में वर्णन करेंगे।

**उमेशचन्द्र बैनर्जी—**—उमेशचन्द्र बैनर्जी का यहाँ पर उल्लेख करना केवल इसलिए ही आवश्यक नहीं है कि वे कांग्रेस की नींव डालने वालों में से थे और उन्होंने कांग्रेस के प्रथम अध्यक्षपद को सुशोभित किया था अपितु सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी की भाँति कांग्रेस की स्थापना करने में उन्होंने भी बड़ा योगदान किया था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्षपद से दिया-गया उनका भाषण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। डाकटर पटुभाइ सीतारामग्न्या के शब्दों में “यदि प्रामाणिक रूप से जानना हो कि कांग्रेस का आरम्भिक उद्देश्य क्या था, तो उसके प्रथम अधिवेशन के सभापति उमेशचन्द्र बैनर्जी के भाषण की ओर ही निगाह दौड़ानी पड़ेगी।”

**दीनकांड एंडलजी बाचा—**—दीनकांड एंडलजी बाचा कांग्रेस के सर्वाधिक आदरणीय बुद्धिमत्ता में से थे। पच्चीस वर्षों से अधिक काल तक वे कांग्रेस की राजनीति में अग्रिम भाग लेते रहे। वर्से वे बहुत ही नरम थे और सरकार उन पर विवाद से बचती थी, लेकिन फिर भी वे ‘कांग्रेस के फौंटर आंड’ के नाम से विश्वात् ही गए थे। शासन की ओर से उन्हें ‘नाइटहूड’ की उपाधि प्रदान की गई थी और वे भारतीय विधान-परिषद् (Indian Legislative Council) के लिए नामजद किए गए थे।

**फिरोजशाह मेहता—**—फिरोजशाह मेहता पारसी ‘चिदेव’ में से एक थे—दूसरे दादाभाई नौरोजी और तीसरे दीनकांड एंडलजी बाचा थे जिन्होंने, प्रारम्भिक वर्षों में कांग्रेस की सेवा की ओर उसे शक्तिशाली बनाया। १९१५ में अपनी मृत्युपर्यन्त वे सार्वजनिक कार्यकर्ता रहे और उन्होंने अपने देश की प्रभूत सेवा की। अपनी रचनात्मक राजनीतिक मेधा के लिए वे मुख्यत्वात् थे और उन्होंने वम्बई कापोरिशन, वम्बई विधान परिषद् तथा वायसराय की परिषद् के सदस्य के रूप में विशेष यश अर्जित किया। उन्होंने कांग्रेस के छठे अधिवेशन (१९६०) का सभापतित्व किया था और अपने भाषण में लाई सेल्सवरी के इस विचार का खण्डन किया कि प्रतिनिधि-शासन, पूर्वी परम्पराओं अथवा पूर्व के निवासियों की मनःस्थिति के अनुरूप नहीं है और अपनी बात की पुष्टि में मिं चिसहाम एन्स्टेय (Chisohm Anstey) का यह उद्दरण पेश किया कि “स्थानिक-स्वराज्य का जनक तो पूर्व ही है; क्योंकि स्वशासन का अधिक-से-अधिक विस्तृत जो अर्थ हो सकता है, उस रूप में वह प्रारम्भ से ही यहाँ मौजूद रहा है।” अन्यत्व नरम राष्ट्रवादियों की तरह “अंग्रेजी शिक्षा तथा संस्कृति के प्राण-बान् और उर्वर सिद्धान्तों में” फिरोजशाह मेहता की भी असीम आस्था थी। वे “सभपानुकूल राजनीतिज्ञता दिखाने की प्रार्थना और वह भी नम्रता और संयम के के साथ” करने के विश्वासी थे। इस विषय में उन्हें सनिक भी सन्देह नहीं था कि

# THE DREADFUL DRAGON

FINIS

And thus—does our tale end unhappily? I think not. After all, the homelanders at large are rather shadowy to us. Oc and Loga, Shib and Veo, Afa and her like, and all those others, all those nameless others, do not mean much to us. It is Thol and Thia that we care about. For their sake we wish that the good they did could have been lasting. But it is not in the nature of things that anything—except the nature of things—should last. Saints and wise statesmen can do much. Their reward is in the doing of it. They are lucky if they do not live long enough to see the undoing. It should suffice us that Thol and Thia together in their last days knew a happiness greater than they had ever known—Thol a greater happiness than in the days of his glory, and Thia than in the days of hers

- (१) परिषदों के कम-से-कम आवे सदस्य निर्वाचित होने चाहिए ।
- (२) परिषदों को 'बजट समेत सभी आर्थिक प्रश्नों के विवेचन का अधिकार होना चाहिए ।'
- (३) 'सुरक्षा की सीमाओं में रहते हुए' परिषद् के सदस्यों को 'शासन-सम्बन्धी सभी मामलों में प्रबन्धने का अधिकार होना चाहिए ।'

इन माँगों को लेकर कांग्रेस ने दो शिष्टमण्डल इंगलैण्ड भेजे । इन शिष्टमण्डलों को भेजने में कांग्रेस का उद्देश्य यह था कि प्रतिनिधि शासन के व्यवस्था की ओर पर बढ़ाने की गम्भीर आवश्यकता है । १८६२ का एकट, स्पष्टतः इन प्रयासों का ही परिणाम था ।

प्रतिनिधित्व का श्रीनगेश---भारतीय शासन में प्रतिनिधित्व के सूत्रपात की ओर प्रथम पर १८६१ के इण्डियन कॉसिल एकट के अन्तर्गत ही उठा लिया गया था । इस एकट के अनुसार कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की कॉसिल के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और गवर्नर जनरल को कम-से-कम छः तथा अधिक-से-अधिक बारह सदस्यों के मनोनीत करने का अधिकार मिला । यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि मनोनीत सदस्यों में कम-से-कम आवे गैर सरकारी होंगे । इसी एकट में प्रान्तों में भी विधान परिषदों के संस्थापन की बात कही गई थी जिनमें कम-से-कम चार और अधिक-से-अधिक आठ मनोनीत सदस्यों को प्रवेश करने का अधिकार दिया गया था । इनमें कम-से-कम आवे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था । इस एकट के अन्तर्गत निर्मित विधान परिषदों को विधान परिषद कहना उचित नहीं भालूम पढ़ता; बस्तुतः वे तो दरवार थीं । इसमें भारतीय जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार नहीं दिया गया था । बस्तुतः अधिकांश निर्वाचित गैर सरकारी सदस्य फूरोपियन ही होते थे । इसके अलावा परिषदों के अधिकार बड़े परिमित थे । उन्हें न तो बजट पर ही वहस करने का और न शासन सम्बन्धी मामलों में कार्यकारिणी से प्रश्न करने का अधिकार था ।

१८६२ के एकट के उपदब्ध—भारतीय शासन विधान सम्बन्धी एकटों में १८६१ के एकट के पश्चात् १८६२ का ही एकट महत्व का है । इस एकट के अनुसार (१) भारतीय और प्रान्तीय विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई । भारतीय विधान परिषद् में गवर्नर जनरल की कॉसिल के अतिरिक्त, कम-से-कम दस और अधिक-से-अधिक दोस तदस्य बढ़ाए जा सकते थे और प्रान्तीय विधान परिषदों में कम-से-कम आठ और अधिक-से-कम दोस (२) गवर्नर जनरल को यह अधिकार मिला कि वे परोक्ष निर्वाचन प्रणाली का सुधारपात करें—यद्यपि निर्वाचन शब्द का प्रयोग सब अर्थवा कुछ अतिरिक्त सदस्यों के चुनने के लिए नहीं हुआ था । बस्तुतः यह

## THE GUERDON

1916.

THAT it hardly was, that it all bleakly and unbeguilingly wasn't for 'the likes' of *him*—poor decent Stamfordham—to rap out queries about the owner of the to him unknown and unsuggestive name that had, in these days, been thrust on him with such a wealth of commendatory gesture, was precisely what now, as he took, with his prepared list of New Year *colifichets* and whatever, his way to the great gaudy palace, fairly flicked his cheek with the sense of his having never before so let himself in, as he ruefully phrased it, without letting anything, by the same token, out.

'Anything' was, after all, only another name for *the* thing. But he was to ask himself what earthly good it was, anyhow, to have kept in its confinement the furred and clawed, the bristling and now all but audibly scratch ing domestic pet, if he himself had to be figured as bearing it company inside the bag. There wasn't, he felt himself blindly protesting, room in there for the two of them; and the imminent addition of a Personage fairly caused our friend to bristle in the manner of the imagined captive that had till now symbolised well enough for him his whole dim bland ignorance of the matter in hand. Hadn't he all the time been reckoning precisely *without* that Personage —*without* the greater dimness that was to be expected of *him*—*without*, above all, that dreadful lesser blandness in

यह नरम राष्ट्रवादियों का भ्रम था कि उन्होंने भारत और इंगलैण्ड के हितों को परस्पर सम्बद्ध समझा। साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करने में विशुद्ध वैधानिक-वाद की दुर्बलता का अनुभव करने में वे असफल रहे। परन्तु उनका कार्य भी निष्प्रयोजन नहीं था। वे भारतीय राष्ट्रीयता के निर्माता थे और उन्होंने उसे अपूर्व बल-प्रदान किया। सार्वजनिक भाषणों और सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों पर विचार-विमर्श के द्वारा उन्होंने जनता को राजनीतिक शिक्षा दी। इसके प्रलापा १८६२ का इण्डियन कॉसिल्स एवं नरम राष्ट्रवादियों के उद्योगों का ही कल था।

कांग्रेस की स्थापना शासकों के सहयोग से हुई थी, परन्तु ब्रिटिश अधिकारियों को शीघ्र ही कांग्रेस की भाँगें और आलोचनाएँ अरुचिकर और असह्य प्रतीत होने लगीं। परिणामतः उन्होंने उसकी उन्नति में रोडे अटकाने शुरू किए। लार्ड डफरिन तक भी, जिन्होंने कि कांग्रेस की स्थापना में योग दिया था, अब उसके विस्फ हो गए और उन्होंने भारतीयों की 'अतिसूक्ष्म अल्प मत' (Microscopic Minority) का प्रति-निधित्व करने वाली 'राजद्रोहात्मक' संस्था बताया। फिर भी सरकार ने कांग्रेस को असन्तुष्ट रखना उचित न समझा, उसे राजी करने की कोशिश की और १८६२ का एवं उसकी उक्त नीति का फल था।

## THE GUERDON

perspirational agony. So that when, at long last, that finger was placed, with a roll towards him of the blue, the prominent family eye of the seated reader, it was with a groan of something like relief that he faintly uttered an 'Oh well, Sir, he is, you know—and with all submission, hang it, just isn't he though?—of an eminence!'

It was in the silence following this fling that there budded for him the wild, the all but unlooked for hope that 'What sort, my dear man, of eminence?' was a question not, possibly, going to be asked at all. It fairly burst for him and blossomed, this bud, as the royal eye rolled away from his into space. It never, till beautifully now, had struck our poor harassed friend that his master might, in some sort, be prey to those very, those inhibitive delicacies that had played, from first to last, so eminently the deuce with him. He was to see, a moment later, that the royal eye had poised—had, from its slow flight around the mouldings of the florid Hanoverian ceiling, positively swooped—on the fat scarlet book of reference which, fraught with a title that was a very beam of the catchy and the chatty, lay beside the blotting-pad. The royal eye rested, the royal eye even dilated, to such an extent that Stamfordham had anticipatively the sense of being commanded to turn for a few minutes his back, and of overhearing in that interval the rustle of the turned leaves.

That no such command came, that there was no recourse to the dreadful volume, somewhat confirmed for him his made guess that on the great grey beach of the hesitational and renunciational he was not—or wasn't all deniably not—the only pebble. For an instant, nevertheless, during which the prominent blue eye rested on a prominent blue pencil, it seemed that this guess might be, by an immense

प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने सहकार्यता के प्रतिकूल अवज्ञा की नीति का प्रचार किया। उन्होंने अपने देश के लिए विलान करने और कष्ट सहने के लिए भारतीय जनता का आवाहन किया। उग्र और उदार दल के विरोध पर तिलक का कहना था “राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। उदार दल सोचता है कि वे समझने से प्राप्त हो सकते हैं। हम सोचते हैं कि वे तीव्र दबाव से ही प्राप्त हो सकते हैं।”

**आतंकवादी (Terrorists)**—१८६२ के सुधारों के बाद के वर्षों ने उग्र राष्ट्रीयता की एक अन्य धारा आतंकवादियों (Terrorists) का जन्म देखा। उग्रवादी उदारवादियों के विशुद्ध वंशानिकवाद (Constitutionalism) का खण्डन करते थे परन्तु उन्होंने हिंसा के प्रयोग का कदापि समर्थन नहीं किया। वे राजनीतिक आनंदोलन व शान्तिपूर्ण विरोध में भरोसा करते थे। परन्तु आतंकवादी उग्र प्रकृति के राष्ट्रवादी थे। उन्होंने हिंसा का आशय घरहरण किया। वे भारत की सम्पूर्ण साम्राज्यवादी व्यवस्था को कल्पों और डकैतियों आदि के प्रोग्राम द्वारा अस्त-व्यस्त करने की आशा रखते थे। राष्ट्रवादी आनंदोलन के एक भाग के रूप में हम आतंकवाद के अनुक्रम का इस अध्याय के अन्त में अध्ययन करेंगे।

## २२. उग्रवाद के प्रादुर्भाव के कारण

**नौकरशाही कुशासन और बमन—भारतीय राष्ट्रवादियों में क्रान्तिकारी भावना** के विकास के प्रसुल्तम कारणों में से एक क्रिटेन नौकरशाही की असाध्य प्रतिगामी नीति के प्रति बढ़ता हुआ असन्तोष था। १८६२ का ‘इण्डियन कोर्सिल एवट’ (Indian Councils Act) उदारवादियों तक को सम्मुख करने में असफल हुआ था। सरकार राष्ट्रीय आकांक्षाओं को कुचलने की नीति का कठोरता पूर्वक अन्धाखुन्ध अनुकरण करती रही। १८६२ में गोखले को यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि वे अधिकारियों को यह चेतावनी दें दें कि सरकार वो जो प्रतिगामी नीति है, उसके भयानक परिणाम हो सकते हैं। १८६७ में सरकार ने तिलक को मिरजतार किया और राजद्रोह के अपराध में उन्हें १८ मास के लिए कठोर कारावास का दण्ड दिया। इथिण के सुप्रसिद्ध और प्रभावशाली जर्मीदार—नटु-बंधुओं को देश निकाला दे किया गया और उनकी सम्पत्ति जब्त करली गई; उनके ठार सन्देह यह किया गया था कि वे प्रान्त के राजनीतिक आनंदोलन से सम्बद्ध हैं। इन्होंने और इस प्रकार के हूसरे कूरतापूर्ण कृत्यों ने सम्पूर्ण देश में क्रोध तथा अतिक्रोध की लहर फैला दी। रमेशचन्द्र दत्त के शब्दों में ‘क्रिटिश शासकों की न्याय और सम-हृष्ट-भावना में भारतीय जनता का जो विश्वास था वह ऐसा हिल गया, जैसा कि पहले कभी नहीं’।

उसकी गंस्कृति पर अभिमान करना सिखाया। उन्होंने भारत की राष्ट्रीय तरगिणी को नूतन प्रवाह से आवेषित कर दिया। पाश्चात्य मंस्कृति का प्रबोध, प्रचार और प्रसार भारतीय जनता के हृदय में हीन-भाव का संचरण कर सकता है, अतः उसके प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। भारत की आध्यात्मिक थेटिता में उनकी प्रपार निष्ठा थी और भारत के उच्च मनःविद्वर के मम्मूल वे परिचय को एक बच्चे के समान ही समझते थे। वे चाहते थे कि भारतीय अपने देश के अतीत गीरव में प्रेरणा ग्रहण करें। राष्ट्रीयता और धार्मिक पुनरुद्धार का गठबन्धन पूर्णतः प्रगतिशील विकास नहीं था और हिन्दू मंस्कृति पर दिया गया जोर भी खतरे में खाली नहीं था। परन्तु इन्होंने अर्यांदिष्प भाव ने कहा जा सकता है कि इसने जनता को एक नवीन चेतना प्रदाना पुरुषोचित आत्म-निर्भरता और विदेशी शासन के प्रतिकार करने का, कष्ट महने का और यदि आवश्यकता हो तो उत्सर्जन करने का हड़ निश्चय प्रदान किया।

कर्जन का प्रतिगामी शासन—लाड़ कर्जन के प्रतिगामी शासन ने भारत में सबसे अधिक घमन्तोप उत्पन्न किया। उन्होंने जिस माओज़्यवादी नीति का आधार लिया, उसमें शृङ्खला कर नवयुवक बहुत धड़ी मंख्या में विटिय शासन के तीक्ष्ण विरोधी हो गए। कर्जन तेजन्तरार प्रकृति के व्यक्तित थे और वे अपने कुछ थेट प्रदामनिक मुद्धारों के लिए याद किए जाते हैं। परन्तु भारत में उनका शासनकाल गतत भारत विरोधी नीति से परिपूर्ण था। कर्जन निर्गे पैर तक कट्टुर साप्राज्यवादी थे, भारतीयों के प्रति उनके हृदय में तीव्र अविद्यामुक्ती की भावना थी और वे भारत में विटिय नौकर-शाही के पात्रों को अधिक-से-अधिक भज्यूत करना चाहते थे। वे शासन में यत्नतुल्य कुशलता का मंचरण करना चाहते थे। यपने इस लक्ष्य को निष्ठा करने के लिये उन्होंने केन्द्रीकरण की नीति को अति तक पहुंचा दिया और समस्त महत्वपूर्ण पदों पर अशेज पदाधिकारियों की नियुक्ति की। कृषि, शिक्षा, सफाई और मिनाई आदि विषय प्रान्तीय गरकारों के नियन्त्रण में थे, कर्जन ने उनका केन्द्रीकरण करके और बहुत से विषेषज्ञों की नियुक्ति के द्वारा शासन में एकल्पता लाने का प्रयत्न किया। इसके ग्रन्थालय वे नम्बर एक के नौकरशाह थे, वे कुशलता को गरकारी नियन्त्रण का पर्याय मानते थे। उनका पहला प्रहार स्थानीय स्व-शासन की स्थापना के ऊपर हुआ। वे संस्थाएँ लाड़ रिपन के पश्चात् में अत्यन्त तीव्र गति से उन्नति कर रही थीं। लाड़ रिपन ने यह आशा ध्वक्त की थी कि स्थानीय स्व-शासन की संस्थाएँ भारतीयों को अपने देश का शासन शोप करने की कला में महत्वपूर्ण योग्यता प्रदान करेंगी। इनके ग्राफिकल कर्जन ने यह अनुभव किया कि भारतीयों को इस प्रकार की शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे लोक-उपक्रम (Popular Initiative) को अनुल्माहित करने और स्थानीय मंस्थायों के नौकरशाहीकरण में भरोसा रखते थे।

## T. FENNING DODWORTH

1922.

THIS name is seldom, if ever, on the lips of the man in the street. But it is a name highly esteemed by men whose good opinion is most worth having. When the idols of our market-place shall have been jerked from their pedestals by irreverent Time, Fenning Dodworth will not be utterly forgotten. His name will crop up *passim*, and honourably, in the pages of whatever Grevilles and Creeveys we have had among us during the past thirty years.—' Met Fenning Dodworth in Pall Mall this morning. He told me he had it on the best authority that St. John Brodrick would not be put up to speak on the Second Reading.'—' Heard an amusing and characteristic *mot* of Fenning Dodworth's. He was dining with some other men at E. Beckett's one night last week, when the conversation turned on Winston's speech at Oldham. Beckett said, "Whatever Winston's faults may be, he has genius." "That," said Dodworth, in the silence that ensued, "is a proposition on which I should like to meditate before endorsing it." Collapse of Beckett! —' Sat next to Dodworth at the Cordwainers' dinner. He said that he did not at all like the look of things in the Far East. Later in the evening I asked him point-blank whether the phrase "A Government of Peck-sniffs," which has been going the rounds, had been coined by him. "It may have been," he said drily. Characteristic!

'पुस्त मनितियों के कानूनों' ने भारत के हृथों में जो अधिकार प्रदान किए थे उनमें इनमें और बृद्धि कर दी । । उसके द्वारा सैनिक गुप्त वातों के ग्रतिरिक्त, सरकार की सर्वजनिक गुप्त वातों का भी प्रकाशन दण्डनीय निर्धारित हुआ और पथकारों को वे गलोचनाएँ भी अपराधी बतलाई गई जिनके कारण सरकार के प्रति सन्देह या पूरा उत्पन्न होती हो । मिस्टर नेविनान (Nevinson) के कबन्धनुसार इस विवेदक के कालस्व-भारतीय पत्र और पत्रकार केवल वे ही वात प्रकाशित कर सकते थे जिनको सरकार इसन्द करे । १९०८ के कानून में राजद्रोह की जो परिभाषा की गई थी, १९०५ के नानून ने उस परिभाषा में और अधिक विस्तार उत्पन्न किया ।

**कर्जन का अभिमान और भारत-विरोधी हृष्टिकोण—भारतीय जनता के प्रति अपने अभिमानी और चुणामूलक हृष्टिकोण द्वारा कर्जन ने रोप का तुफान खड़ा कर देया और विटिश विरोधी भावनाओं में बृद्धि की । उन्होंने भारतीयों के प्रति अपने प्रविश्वास को अत्यन्त उद्भूत भाषा में व्यक्त किया और खुलम-खुला इस वात की घोषणा की कि शामन के उत्तरदायित्वों के लिए भारतीय मर्वया अनुपयुक्त हैं । सन् १९०५ में लाई कर्जन ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षान्त भाषण में हिन्दू और मुसलमानों के चरित्र पर भयंकर ग्राहकेप किए और इस वात पर और दिया कि पाश्चात्य देशों के नैतिक आचरण में सत्य का विदेष स्थान है और पौर्वार्थ देशों के नैतिक आचरण में सत्य के स्थान पर भवकारी और कूटनीतिज्ञता का प्रचार है । उसके विचारानुसार भारतीय साहित्य में भी इसी आचरण की प्रतिष्ठा है । प्राच्य देशों पर उस प्रकार का दोपारोपण नीतिमत्ता के विश्व था, विदेषकर उस भाषण में जिसे उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति के पद ने दिया था । भाषण के विरोध में समर्पण देश में सावंजनिक सभाएँ नी गई । कर्जन ने भारतीयों के गर्व और आत्म-सम्मान को पैरों तले रोदा और यह घोषणा करके कि 'भारतीय राष्ट्र' नामका कोई वस्तु नहीं है असीम रोप को जन्म दिया । कांग्रेस के प्रति अपने विरोध भाव को घिपाने की उन्होंने कोई परवाह नहीं की और आगा प्रकट की कि उसका शीघ्र ही अन्त हो जाएगा ।**

**बंगाल का विभाजन १९०५—** लाई कर्जन के उक्त सभी हृत्यों में भारतीय जनता के हृदय में क्षेष का दावानल सुलग रहा था और यसन्तोष के बादल वडी तीव्रगति से झुमड़ रहे थे । परन्तु, जिस चीज से तुफान उमड़ा, वह बंगाल का विभाजन या और इसको लाई कर्जन की सबमें वडी भूर्खता के नाम से पुकारा गया है । इनमें कोई सन्देह नहीं कि, सरकारी पक्ष में जो यह बताया गया कि बंगाल का प्रान्त बहुत बड़ा हो गया है, मुशायर की हृष्टि से उसका दो भागों में बीटा जाना आवश्यक है, इस कथन में कुछ गत्वता अवश्य थी । उस समय बंगाल में, उडीसा व बिहार भी शामिल थे, और गुवा, मिलाकर कुन प्रान्त की आवादी द करोड़ थी । यदि

## T. FENNING DODWORTH

his wit, seems to me one of the most remarkable, the strongest and, in a way, most successful men of our time.

Dignity, a Roman dignity, is the keynote of his appearance. This is undoubtedly one of the causes of his success. Is it also, I sometimes ask myself, partly a result of his success? But no. Twenty years ago (when first I made his acquaintance) he was as impressive as he is, at the age of sixty, now. Moreover, had his mind any knack to remould his body, surely he would be taller. He remains very far below the middle height. But he carries his head high, thus envisaging the more easily the ruck of common objects, and making on such of those objects as are animate the kind of effect which his unaided stature might preclude. One of his eyebrows is slightly raised; the other is slightly lowered, to hold in position a black rimmed single eyeglass. His nose is magnificently Roman. His lips are small, firm, admirably chiselled, and every word that falls from them is very precisely articulated. His chin is very strong, and his chest (in proportion to his height) deep. He has the neatest of hands and feet. Draped in a toga, and without his monocle, he might pass for a statuette of Seneca. But he prefers and affects a more recent style of costume—the style, somewhat, of the Victorian statesmen who flourished in his youth—a frock coat and a rather large top-hat, a collar well open at the throat, and round it a riband of black silk tied in a loose bow. He is a good judge (and, I take it, the sole survivor among judges) of sherry. Nor is this the only way in which he imparts agreeably the flavour of a past age. In Thackeray, in Trollope, in the old volumes of *Punch*, you will have found a wealth of testimony to the fact that persons of high importance, meeting persons of slight importance, often

न बैठ सकते थे और निर्धारित काल के पश्चात् अपने घर में वाहरन निकल सकते थे। विदेशों में भारतीयों के माथ जो दुर्घट हार होता था, उग्रका कारण था या ? देश भवत भारतीयों को इस प्रश्न का यही उत्तर ब्रात होता था कि धूंकि भारत परायीनता के पास में आवद्ध है, इसलिए विदेशों में उमकी मन्त्रित को अनादर, अपमान व साक्षन महने के लिए विवरण होना पड़ता है। दक्षिणी अफ्रीका में महात्मा गांधी के नेतृत्व में जिस बीरतापूर्ण आन्दोलन का अचालन किया गया, भारत में उमकी भूरियः प्रशंसा हुई। इसके माथ ही साथ श्रिटिश विरोधी भावनाएँ भी तीव्र में तीव्रतर होती गईं।

**अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव**—जिन तत्त्वों ने भारतीय राष्ट्रीयता को उत्थापन की उनमें कठिपय महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव भी था। गोरी जातियों की अंजेयता और भारतीयों की अमहायता के विचार मन् १६०४ में इटली के अब्रीसीनिया में और मन् १६०५ में रूस के जापान द्वारा पराजित होने से मर्वेशा दूर हो गए। मिथ्र, ईरान और टर्की आदि यमी एवियाई राष्ट्र अपनी आलस्यमयी और तन्द्रामयी निन्दा को त्वाग कर अगढ़ाई से रहे थे, इन सभी देशों में स्वतन्त्रता आन्दोलन का जोर था, भारत इनमें केंद्र अद्यूता रह सकता था? जापान ने रूम को पराजित कर मण्डूर्ण एशिया के लालाट को उन्नत कर दिया। जापान की गोरतापूर्ण विजय का कारण यही छहराया गया कि बहीं के निवासी उग्र रूप में राष्ट्रवादी हैं। भारतवर्ष के राष्ट्रवादियों को इन अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं ने एक नूतन धारा और नूतन निष्ठ्य प्रदान किया। भारतीयों के हृदय में जिस आत्महीनता की भावना ने घर कर रखा था, वह ग्रीरे-बीरे नष्ट होने लगी और उसके स्थान पर विदेशी शामन की निष्ठ्यम करने की भावना बलवती होती गई।

**उदारवादियों के उपायों में विश्वास की रूमी**—हमने ऊपर जिन बातों का उल्लेख किया है, उनसे न केवल श्रिटिश विरोधी भावनाओं को ही तीव्र यत्न प्राप्त हुआ अपितु उन्होंने उदार प्रतिपादित उपायों में भी अविश्वास उत्पन्न कर दिया। तिलक, विपिन चन्द्रपाल और लालापत्रराय जैसे नए नेताओंने अनुभव किया कि उदारतादिमोद्वारा प्रतिपादित नीति के अद्यतन्मन में विश्वास की कमी करने में कोई लाभ नहीं, श्रिटिश जनता की सोकतन्त्रात्मक भावनाओं पर ही भरोसा किए रहने में भारत अपने राष्ट्रीय लक्ष्य को कदागि प्राप्त नहीं कर सकता, यदि हम अपने राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करता चाहते हैं तो हमें श्रिटिश नीकरताही को राजभवितपूर्ण सहयोग देने की नीति का परिवर्तन करके, अपने पैरों पर अपने थारं खड़ा होकर, विदेशी मान्यतावाद का प्राणपत्र में प्रतिकार करने के सिए बदलाविकर हो जाना चाहिए। रियायतों के बिए यत्वना करने की अपेक्षा राजनीतिक अधिकारों के लिए ताल ठोककर मर्याद करने की वस्त्रस्तु, उपराष्ट्रीयता का विधायक तत्व था।

for we do find '*Educ.* : Won open scholarship at Queen's Coll., Oxford, 1879' A presage, this, of coarse successes. But mark the sequel! 'Second Class in Classical Mods, 1881; Third Class, Lit. Hum, 1883. Treasurer of Union, 1882' He was thrice a candidate for the Presidency of the Union; and I happen to have met in later years two of his successful opponents, both of them men rather prominent in public life to day. One of them told me that Dodworth's speeches were the wittiest ever heard in the Union 'or, I do believe, anywhere else', the other described them as the most closely reasoned. And neither of these men spoke of Fenning Dodworth as one who had not lived up to his early promise. They seemed to pride themselves, rather, on having always foreseen his ascendancy.

Men prominent in public life are mostly hard to converse with. They lack small talk, and at the same time one doesn't like to confront them with their own great themes. I have found that the best way to put them at their ease, to make them expand and glow, is to mention Fenning Dodworth. They are all, from their various standpoints, of one mind about him. Judges think he would have been an ornament to the Bench, statesmen wish he were in the Cabinet, diplomatists wish he were one of them, and wish he could be at Tokyo or Pekin or wherever at the moment his grasp of things in the Far East and his unfailing dislike of the look of them would be most obviously invaluable. And all these gods console themselves with anecdotes of his wit—some mordant thing he said years ago, some equally mordant thing he said last week 'I remember,' a Judge will tell you, 'one night at mess on the Northern Circuit, somebody said "I call Bosanquet a very strong

महान् धीर की सृष्टि को पुनः प्रतिष्ठापित करने की योजना में जिसने कि महाराष्ट्र को मुगल नामन की आधीनता में सुकृत कर स्वतंत्रता के लक्षणम् प्रभाव में ला लड़ा किया था, सप्त शूण ने राजनीतिक उद्देश्य था। यह देश के नवयुद्धों के लिए एक प्रत्यक्ष आद्वान था कि वे निवाजी महाराज के उदाहरण को अपने भाग्यने रखें, उम पर आचरण करें और विटिय शासन के बन्धन में भारत को सुकृत दिलाएं। भाषण, नाठी-प्रदर्शन, जबूम, कथाएँ और समीत-दल इन उत्तमों के अनिवार्य माज़-वाज थे और स्वर्ण तिलक के अनुसार ही उन्होंने न केवल जनता के अन्तस्तल में धार्मिक उत्साह ही जागृत किया, अपितु उसमें राष्ट्रीय चेतना का मंचार किया और उन दिनों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उनके प्रति जनता के अन्तस्तल में अभिरुचि उत्पन्न ही।

**रेड और आपस्ट की हस्ता व तिलक की कारावास-धारा १८६६—**इस प्रकार एक तो महाराष्ट्र पहले से ही कान्तिकारी और उत्तर राष्ट्रीयता का गढ़ बना हुआ था, कि तभी दुर्भिक्ष और ज्लेग जैसी प्राकृतिक घाषनायों ने जनता को घर दबाया। मरकार ने जनता के कट्टों के प्रति उदाहीनता का परिचय दिया, और यदि उसने इस व्यापक रोग—ज्लेग—के निवारण में कुछ साधनों का प्रयोग भी किया, तो उसमें बहुत कठोरता बरती। यह एक प्रकार से जनता के क्रोधानल पर घृत छिड़क देने का काम हुआ। चापेकर वर्त्युदय जैसे ज्ञानिकारियों ने अपेक्षों के प्रति जनता के रोधानल को अधिकाधिक नीति किया, उसे हिंगा के लिए और “पूळी को अपने शपथों के जीवन रक्त में रंजित कर देने के लिए” उकाया। इस प्रकार के विल्वमात्रम् भवनायों में परिपूर्ण वाता-धरण में मिँ रेड और लैफिनेट आयस्ट के बच की घटनाएँ घटित हुईं। इस मम्बन्ध में दामोदर और बालकृष्ण चापेकर को गिरफ्तार किया गया और उन्हें प्राण-दण्ड हुआ। तिलक को इस जघन्य हृत्य में किसी प्रकार का भी कोई सम्बन्ध नहीं था, उन्होंने बस्तुतः “केनरी” में इसका लग्जन भी किया था। परन्तु श्रेष्ठजी समाचार-पत्रों ने तिलक के विरोद में एक तूकान लड़ा कर दिया और, वह इस आपार पर कि ऐसा धातारयरण उत्पन्न कर देने के लिए जिसने आलक्वाद के कुत्यों को ओलमाहन दिया, तिलक ही उत्तरदायी है। उनके ऊपर अभियोग चलाने की मार्ग की। २७ जुलाई १८६७ को राजद्रोह के अपराध पर तिलक गिरफ्तार किए गए। एक नवयुवक अंगेज न्याया-धीम (जस्टिस स्ट्रेनी) ने उनके अभियोग की सुनवाई की। जज ने पक्षपात यूनियन का कोई वहाना भी नहीं बनाया और तिलक को १८ मार्ग के कठोर कारावास का दण्ड दिया। तिलक के मार्ग होने वाले अन्याय ने न केवल महाराष्ट्र को ही, अनित् मारे भारत को और भी अधिक उप्र कर दिया।

**तिलक द्वारा सूरत की कूट १६०७—**तिलक ने इन बात की वरमार नेट्टा की थी कि कांग्रेस “राजनीतिक भित्तिवृत्ति” वाली हूलमूल नीति को त्याखर कियी

because of their titles. Dodworth was, I believe, the first publicist to use that magical affix, that somehow statesman-like, mysterious, intriguing formula, '—And After.' In later years I began to think him narrow in his views. I became a prey to that sentimentalism from which in one's schooldays one is immune, and ceased to regard the ideas of the Liberal Party as perverse. Dodworth as a political thinker seemed to me lacking in generosity, lacking even (despite his invariable '—And After') in foresight. But the older I grew, and the less capable of his doctrine, the more surely did I appreciate his command of literary form. Losing the taste which undergraduates have for conceits and florid graces, I rendered justice to the sombre astrin-gency of Dodworth's prose. Whatever his theme, what ever the Liberal Party was in office proposing, or in opposition opposing, his article was substantially the same as every other article he had written, but, like some masterpiece in music, it never palled. With perfect sobriety and fairness he would state the 'arguments on which the Liberal spokesmen had been basing their case; he would make these seem quite unanswerable, but then, suddenly, like a panther crouching to spring, he would pause, he would begin a new paragraph. What are the facts? The panther had sprung. It was always a great moment. I usually skipped the forthcoming facts and went on to the point where Dodworth worked back to first principles and historic parallels and (best of all) quotations from the mighty dead. He was always very adept in what may be called the suspensive method of quotation 'It was written long ago, by one who saw further and grasped more firmly than is given to most men to see and to grasp, that "the fate of nations is in the

राजनीतिक नमो-मण्डल को आच्छादित कर रखा था। वे एक जनमजात योद्धा एवं आदर्शभूत भराठे थे। तिलक का यदि कोई एक भाव जीवन व्येष्य था तो यही कि "इस महादेश की मुपुस्त आत्मा को अपनी गहरी नीद में से जगाकर पुनः उसके जर्जरीभूत कलेवर में उस प्रागुधाही जीवन धारा का सचार किया जाय, जिसके प्रताप में विसी समय उसके अतीत का भवन निर्माण हुआ था।"<sup>१</sup> अपने राजनीतिक विचारों और कार्यों के लिए तिलक ने जितने कष्ट सहे, उतने उसके समकालीन धन्य किसी राजनीतिज्ञ ने नहीं। उसका इष्टिकोण धार्मिक था, और प्राचीन भारतीय संस्कृति में जो कुछ भी थेष्ठ है, उस सबका वे हातिक समर्थन करते थे। भारत के पश्चिमीकरण में उन्हें पुण्य थी और प्राचीनकाल में भारत जिस गोरवपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित था, उसमें उसको पदच्युत करने का उत्तरदायित्व वे अंग्रेजों के सिर मढ़ते थे। तिलक को हम आधुनिक भारत का कृष्ण प्रयत्ना कौटिल्य कह सकते हैं। उनमें मण्डन करने की अपूर्व क्षमता थी। वे साध्य वस्तु के सम्मुख साधनों को गौण भमभते थे। उन्होंने अपने इस विश्वास की गीता की दिक्षाओं पर आधारित किया था। उनका कथन था—“यदि हमारे शिक्षक और निकट सम्बन्धी भी अन्याय का पक्ष ग्रहण करें, तो उनका भी वध कर देने में दोष नहीं है। वशर्तें कि हम यह कार्य अनासक्त भाव से करें।” तथापि तिलक ने हिमा का प्रतिपादन कदापि नहीं किया क्योंकि वे इस बात का अनुभव करते थे कि तत्कालीन परिस्थितियों में हिमा सफल नहीं हो सकती थी। तिलक के विचारों और उनके राजनीतिक माध्यमों ने उन्हें क्रान्तिकारी कांग्रेसियों का दिप्हार बना दिया। सी० वाई० चिन्तामणि के अनुसार माटेंग्यू (Montague) ने एक बार कहा था “भारत में केवल एक ही प्रकृतिम उत्तर राष्ट्रवादी था, और वे थे तिलक।”<sup>२</sup> तिलक उदारवादियों के इस विचार से सहमत नहीं थे कि भारत अपने लक्ष्य को 'स्मरण-पत्रों व प्रार्थनायों' द्वारा प्राप्त कर सकता है। उनकी यह मान्यता थी कि यदि भारत अपनी स्वतन्त्रता को प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए सतत मध्यम करने रहने की आवश्यकता है। उदारवादी वार्षी के चाहे कितने भी धनी हों परन्तु उनमें से धर्मिकां जन वैयक्तिक त्याग करने से गोद भागते थे। तिलक भी यह बात न थी। वे बड़े गोदा वैयक्तिक त्याग करने को प्रस्तुत थे। उन्होंने तीन बार कारावाग की याचा की और अपने लिए बहादूर का ताज हाँगिल किया<sup>३</sup>।

१. हृष्ण वल्लभ द्विवेदी—“भारत-निर्माता” भाग दो, पृ० ६२।

२. सी० वाई० चिन्तामणि—“इण्डियन पोलिटिक्स सिन्स दी म्युटिनी”, पृ० ११७।

३. जी० एन० मिह—“लेडमाकर्स इन इण्डियन कास्टीट्यूशनल एण्ड नेशनल डेवलपमेंट” पृ० १५७।

phrase *Quos deus vult* had no meaning. Half educated readers thought it meant 'The Lord watch between thee and me when we are absent one from another.' The circulation fell by leaps and bounds. Advertisers withdrew their advertisements. Within six months (for the proprietor was now a Sir, and oafishly did not want to become something better) that old-established newspaper ceased utterly to be. 'This,' I thought, 'really is a set-back for Dodworth.' I was far from right. The set-back was rather for myself. I received no payment for three or four of the book-reviews that I had contributed, and I paid two guineas for my share of the dinner offered to Dodworth at the Savoy Hotel, and five guineas towards a portrait of him 'in oils' by one of the oldest and worst of Royal Academicians. This portrait was presented to him after dinner by our chairman (the Prime Minister of that time) in a speech that would have been cloying if it had been more fluent. Dodworth bandied no compliments. This was a private occasion, and he lived up to his reputation of being privately as caustic about his friends as he was publicly about his foes. He 'twitted' his friend the Prime Minister with one thing and another, reducing that statesman and the whole company to paroxysms of appreciation . . . 'Our chairman has said that he will continue to do what in him lies to help the cause that we all have at heart (hear, hear). Well, wherever there is a cause there is also an effect (laughter). I hope that the effect in this instance will be of the kind that we all desiderate (much laughter). I do not say that it will be, I only say I hope that it will be (hysterics).' I wish I could recall more of what Dodworth said. Every one agreed that he was in his best vein and had never been more pungent.

मन्त्राद् थे। लोकमान्य तिलक जन्मजात योद्धा थे। राजनीति में उनके आदर्श धीकृपण, कोटिल्य, शिवाजी और पेशवा थे। उनकी 'जैसे को तैमा' नीति में आस्था थी। वे साधुजनों को राजनीति के लिए अनुष्ठुक्त मानते थे। भारत में त्रिटिथ शासन के कृष्ण-पक्ष को उन्होंने खूब अच्छी तरह समर्पण किया। उनका अंग्रेजों की न्यायपरायणता में वित्तकुल विश्वास नहीं था। वे कहा करते थे कि हमें स्वराज्य अंग्रेजों में दान के रूप में नहीं मिल सकता, प्रत्युत स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए हमें विदेशी शासकों में डटकर मध्यम करना है। वे राजनीति में साध्य और माध्यन के अभेद को स्वीकार नहीं करते थे। उनका मत था कि यदि हमारे आदर्श श्रेष्ठ हैं तो हम उनको हृत्तागत करने के लिए चाहे जैसे माध्यनों का प्रयोग कर मकती हैं। यद्यपि तिलक का व्यक्तिगत जीवन गांधीजी के जीवन की भाँति ही निर्भल और निष्कल का था, फिर भी उनके लिए राष्ट्र-हित की बेदी पर मत्त्य का वलिदान करना कोई बड़ी बात नहीं थी।

गांधीजी की राजनीतिक विचारधारा और कार्यगद्धति इसमें भिन्न थी। वे स्वभाव से राजनीतिक नहीं, प्रत्युत धार्मिक पुरुष थे। राजनीति में तो उन्हें आवश्यकतावश आना पड़ा था।<sup>१</sup> राजनीतिक जीवन के प्रारम्भिक काल में गांधीजी को भी उदारवादी नेताओं की भाँति अंग्रेजों की न्यायपरायणता में अटाव विश्वास था। यद्यपि वाद में उन्होंने भी त्रिटिथ शासन के कृष्णस्वरूप को तिलक के समान ही हृदयगम कर लिया था। बाद में, तिलक की भाँति गांधीजी भी यह कहने लगे थे कि हमें स्वराज्य दान के रूप में नहीं मिल सकता, उसे प्राप्त करने के लिए हमें मध्यम करना होगा यद्यपि वह मध्यम अहिमात्मक होना चाहिए। तिलक के विपरीत गांधीजी माध्य और माध्यन के दोनों कोई विभाजक-रेला नहीं मानते थे। उनका मत था कि हमें श्रेष्ठ माध्यनों का प्रयोग करना चाहिए। गांधीजी का साध्य और माध्यन के प्रदल पर इतना प्रबल भाग्रह रहता था यद्यपि उनकी देश-निष्ठा में किसी को रचमात्र भी मन्देह नहीं हो सकता, वे यह कहते नहीं थकते थे कि मेरी हृषि में मत्त्य का नशान देश-भविन में ऊपर है।

गांधीजी और तिलक दोनों के ही हृदय में भारतीय गस्तुति के प्रति अगाथ थद्धा थी। परन्तु उनकी गस्तुति विषयक मान्यताओं में थीड़ी भिन्नता है। तिलक कुदूर हिन्दू थे। उनकी कृष्णता इतनी बड़ी हुई थी कि वे हिन्दू धर्म के नाम पर बाल-विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को भी सह लेते थे। उनका हिन्दू धर्म ग्राहामक हिन्दू धर्म था। गांधीजी के साथ यह बात नहीं थी। उनके धार्मिक विवरणों में पुराण-प्रियता अथवा धन्ध-विश्वासों के लिए कोई स्थान नहीं था। उनका जीवन मर्व-धर्म-

१. रोम्पो रोला—“महात्मा गांधी,” पृ० २३।

Bannerman 'a Party once great' cast off what old remnants of decency had clung to it. Mr. Lloyd George composed a Budget. The Lords rejected it. Mr. Asquith introduced the Parliament Bill. Those were stirring times; and during them, as it seemed to me, Dodworth was greater, aye! and happier, than he had ever been. Constitutional points and precedents had always lain very near to his heart. In them he had always both publicly and privately abounded. His dislike of the look of things in the Far East had never been more than skin-deep. Such themes as the Reform Bill of 1832 had ever touched him to far finer issues. The fiscal problems raised by Mr. Chamberlain, strongly though he had backed Mr. Chamberlain's solution of them, had left in abeyance what was best in him. The desirability of enriching some rich manufacturers cannot be expressed in the grand manner. Mr. Asquith's desire to limit the Lords' veto was a worthy theme. Month followed month. I soon lost count of Dodworth's articles. 'The Assault on the Constitution—And After,' 'The Betrayal—And After,' 'The End of All Things—And After,' are the only three that I recall. Enough that he was at his best in all of them, and ended every one of them with the inference that Mr. Asquith (one of his staunchest though most reluctant admirers) was mad.

I had the good fortune to meet him constantly in those days of crisis. I hardly know how this was. I did not seek him out. It seemed simply that he had become ubiquitous. Maybe his zest had multiplied him by 100 or so, enabling him to be in as many places at once. He looked younger. He talked more quickly than was his wont, though with an elocution as impeccable as ever. He had none of those

श्रीमती एनीवीसेण्ट ने भी उपराष्ट्रीयता के जागरण के लिए कर्जन को ही उत्तरदायी छहराया था। उन्होंने लिखा था, "कर्जन द्वारा बोए गए वीजों का अजगर के शीतों की फसल के रूप में पकना अवश्यम्भावी था।"<sup>१</sup> बंगाल के विभाजन ने जनता के क्रियों को एकदम से भड़का दिया। बंग-भंग को राष्ट्रीय एकता के ऊपर एक भयंकर कुठारापात समझा गया। सरकार के इस दुष्कृत्य के विरोध में जो तूफान उत्पन्न हुआ, वह तब तक शान्त न हो सका, जब तक कि १६११ में बंग-भंग को रद्द न कर दिया गया।

**विभाजन-विरोधी आन्दोलन**—लाइंग कर्जन ने बंगाल का जो विभाजन किया था, उसके पोछे एक कूटनीति नाम कर रही थी। बंगाल-विभाजन का उद्देश्य बंगाली जनता की राजनीतिक दृष्टियाँ और राष्ट्रीयता की नूतन प्राणधारा को अवच्छ कर देना था। बंगाल के विभाजन के मूल में सरकार की असली मत्ता यथा है, बंगाली राष्ट्रवादियों ने इसको अच्छी तरह से जान लिया था। वे इस बात को भर्ती-भाँति समझ गए थे कि प्रान्त को दो भागों में विभाजित करके वरकार हिन्दू और मुसलमानों में पूट डालना चाहती है। कूटनीतिज्ञ कर्जन ने इस बात को अच्छी तरह से रामन लिया था कि भारतवर्ष में साम्प्रदायिक भेदभाव के दीज वो देना ग्रिटिंग साम्राज्यवाद के हित की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है। नूतन निमित पूर्वी बंगाल और आसाम प्रान्त के गवर्नर सर बैम्पफाइल्ड फुलर के आनंदरण और नीति ने बंगाल विभाजन के वास्तविक उद्देश्य के सम्बन्ध में बचेखुने सन्देहों का भी निराकरण कर दिया। उन्होंने हिन्दुओं के प्रति विरोध और मुसलमानों के प्रति पक्षपात की सुल्लभखुत्ता नीति अपनाई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह कहकर कि हिन्दू और मुसलमान भरी दो पत्तियाँ हैं जिनमें भुसलमान मुझे अधिक प्रिय है, राष्ट्रीय भावनाओं को अधिकाधिक उत्तेजना प्रदान की। विभाजन की घोषना को १६ जुलाई, १९०५ को घोषित किया गया और जनमत के भरी बगों के विरोध किए जाने के बावजूद भी १६ अक्टूबर, १९०५ को उसे क्रियान्वित कर दिया गया। वह दिन सम्मुण्ठ बंगाल में राष्ट्रीय शोक का दिन माना गया। बहुत-ने लोगों ने उस दिन उपवास रखा।

**विभाजन-विरोधी आन्दोलन**—बंगाल-विभाजन के विरोध में सारे देश में सार्वजनिक नमाएँ की गई और जूत निकाले गए। प्रत्येक कठुंडे 'अन्दे गतरम्' का स्वर सुनाई देता था और गली-गली इस छवनि से गुञ्जरित हो उठती थी। रक्षावन्धन उस दिन के प्रोग्राम में शामिल था। यह जनता के इस हड्ड निश्चय का प्रतीक था जब तक खण्डित प्रान्त को अलगड़ नहीं कर दिया जाता, मंगाम निरन्तर चालू

१. एनीवीसेण्ट—"हाऊ इण्डिया रॉट फार फ्रीडम," पृ० २६।

satisfied with their *morale*, and being very caustic about the enemy ; but it may be doubted whether he, whose spell had never worked on the man in the street, was fully relished by the men in the trenches. *Non omni omnia.* Colonel Dodworth was formed for successes of the more exquisite kind. I think the Ministry of Information erred in supposing that his article, ' Pax Britannica—And After,' would be of immense use all the world over. But the error was a generous one. The article was translated into thirty seven foreign languages and fifty-eight foreign dialects. Twelve million copies of it were printed on hand woven paper, and these were despatched in a series of special trains to a southern port. The Admiralty, at the last moment, could not supply transport for them, and the local authorities complained of them that they blocked the dock. The matter was referred to the Ministry of Reconstruction, which purchased a wheat-field twenty miles inland and erected on it a large shed of concrete and steel for the reception of Dodworth's pamphlets, pending distribution. This shed was nearly finished at the moment when the Armistice was signed, and it was finished soon after. Whether the pamphlets are in it, or just where they are, I do not know. Blame whom you will. I care not. Dodworth had even in the War another of his exquisite successes.

Yet I am glad for him that we have Peace. At first I was afraid it might be bad for him. We had been promised a new world ; and to that, though he had come so well through the War, I feared he would not be able to adjust himself. The new world was to be, in many respects, rather dreadful—a benign cataclysm, but still a cataclysm, and Dodworth perhaps not to be found in any of his

उन्हे जकड़ भके, उन्होंने ब्रिटिश भारत को त्यागकर पाण्डीचरी में आश्रम ब्रह्मण्ड किया। वहाँ पहुंचकर थ्री अरविन्द ने राजनीति से मंत्रालय से नियोग एक योगाधर्म की स्थापना की और स्वयं को धार्यास्तिक साधना में लबलीन कर दिया।

**बहिष्कार और स्वदेशी आन्दोलन—राष्ट्रवाद की नूसन प्राणधारा** ने बहिष्कार और स्वदेशी आन्दोलनों में अभिव्यक्ति प्राप्त की। इन दोनों आन्दोलनों को बंगाल-विभाजन के विरोध में प्रारम्भ किया गया था। उन्होंने विदेशी शासन के विरुद्ध भारत के राष्ट्रीय संघर्ष में एक नए चर्याय की सुषिट की। विपिन चन्द्रपाल और सुरेन्द्रनाथ बैतज्जी जैसे नेताओं ने दोनों बंगालों का दीरा किया, बड़ी-बड़ी मन्दाओं में भाषण दिए और जनता से यह प्रतिज्ञा करवाई “ईश्वर को साक्षी देकर और भावी पीडितों की उपस्थिति में सहें होकर हम यह गुरु-गम्भीर अपय लेते हैं कि जहाँ तक व्यावहारिक होगा, हम घर की बनी चीजों का प्रयोग करेंगे और विदेशी वस्तुओं के उपयोग का बहिष्कार करेंगे।” बहिष्कार और स्वदेशी के जुड़वीं प्रोग्राम को धार्मिक उत्साह के साथ आगे बढ़ाया गया। ये आन्दोलन अपने प्रमुख उद्देश्य में राष्ट्रीयता की भावनाओं को उत्तेजित करने में यथेष्ट रूप से सफल हुए। उन्होंने नवयुवकों को अपनी और विदेश रूप से आकृष्ट किया। स्कूल और कालिजों के विद्यार्थी इन आन्दोलनों से सर्वांगिक प्रभावित हुए। उन्होंने बड़ी-बड़ी सभाएं की, छुब जोशीले भाषण दिए, बन्देमातरम् गाया, राष्ट्रीय नारे लगाए, विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर भरने दिए और स्थान-स्थान पर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई।

**सरकार की दमन-नीति—इत आन्दोलन का दमन करने में सरकार ने भी अपनी ओर से कुछ उठा न रखा।** राष्ट्रीय नेताओं और लेखकों वी गिरफ्तारी उन दिनों एक आम वात हो गई। १६०८ में लाला लाजपतराय, लोकमान्य तिलक और विपिन चन्द्रपाल जैसे नेताओं को १८१८ के रेड्यूलेशन के अन्तर्गत, जिसे कि “कानून-रहित कानून” के नाम से सम्बोधित किया गया, निर्वासन दे दिया। नवयुवक और विद्यार्थी नौकरस्थाही निर्दयता के विदेश भाजन थे। शिख रांथाओं के प्रधानों को इस बात की धमकी दी गई कि यदि उन्होंने विद्यार्थियों को सरकार विरोधी हलचलों में भाग लेने से नहीं रोका, तो उनको जो सरकार की ओर से सहायता मिलती है, उसे बन्द कर दिया जाएगा व विद्यविद्यालयों से उनका जो सम्बन्ध है उसे तोड़ दिया जाएगा। पूर्वी बंगाल में नौकरस्थाही दमन-भक्त बहुत तीव्र गति से घूमा। वही की सार्वजनिक गतियों में बन्देमातरम् का गान भी गैर कानूनी घोषित किया गया। अप्रैल, १६०६ में बंगाल प्रान्तीय काशेस के वार्षिक अधिबोर्शन को बल-प्रयोग द्वारा तितर-वितर-कर दिया गया; और प्रतिनिधियों को पुलिस के हारा मारा गवा। परन्तु उपर्योगी सरकार का दमन तीव्र होता गया, राष्ट्रीय योद्धाओं के उत्साह में बृद्धि हुई।

return to St. Stephen's implied for me the obsolescence of such men. I asked him what he thought, from a tactical standpoint, of the line recently taken by the Independent Liberals. 'I am afraid,' he said, 'there is not much hope for these Adullamites without a Cave.' This phrase he may not have coined on the spur of the moment. But, even so, how extraordinarily good! It's wicked, it's unjust, it hurts, but—it seems to me even more delicious than his description of Gladstone in '86 as 'a Moses without a Pisgah.' I think he was pleased, in his queer dry way, by my delight, for he said he would send me a copy of his forthcoming book—a selection from the political articles written by him since his earliest days. He had not, he said (quoting, I think, from his preface), intended to resuscitate these ephemeræ. The idea was not his but —'s (he named the head of an historic firm of publishers). The book will be out next month, and will include that most recent of his articles, 'A Short Shrift for Sinn Fein—And After.' It will be 'remaindered,' of course, in a year or so, but will meanwhile have taken an honoured place in every eminent man's library. By the way, I had feared that Mr. Lloyd George, with his Celtic rather than classic mind, made a break in the long line of Prime Ministers who have rated Dodworth highly. I am glad to hear that at a dinner held somewhere the night before last he impulsively rose and proposed Dodworth's health, recalling that when he himself was a bare legged, wild eyed, dreamy little lad on the Welsh mountains he read every word of Fenning Dodworth's earlier articles as they came out, and had never forgotten them (applause). Since those days he had met Dodworth many a time in the valley and got some resounding whacks (laughter). But he always

भारत स्वतन्त्रता प्राप्त करना चाहता है, तो उसे अपने पंहों के ऊपर ही खड़ा होना चाहेगा। अपने उग्र लान्तिवाद के कारण उन्हें असंदृश्य कर्ट महने पड़े। १६०८ में तिलक के साथ-ही-नाथ उन्हें भी निर्वासित किया गया। जब वे छुटे तो री० आई० डी० कुल्ता के समान उनके पीछे लगे रहते थे, फलतः अपने ही देश में उनका जीवन दूभर हो गया। युद्धकाल के दीच वे अमेरिका और इगलेण्ड में रहे। मटिंग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के पास होने के पश्चात् उन्होंने 'स्वराज्य-दल' के कौसिल-प्रवेश-प्रोग्राम का समर्थन किया। उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा प्रारम्भ किए गए असहयोग धार्नोलन का कदापि हार्दिक अनुमोदन नहीं किया। पट्टाभिं सीतारामद्या के गव्दों में, लाजपतराय 'एक योद्धा थे, मत्याप्रही नहीं !' साइमन-कमीशन विरोधी धार्नोलन में भी उन्होंने कुल कर हिस्सा लिया था। सन् १६२८ में ही, साइमन कमीशन के प्रति विरोध प्रदर्शन के मध्य एक गोरे सार्जेंट की लाठी के छाती पर हुए घातक प्रहार से, उसके कुछ ही दिनों उपरान्त उनकी मृत्यु हो गई। जिस दिन कि उन पर यह लाठी प्रहार हुआ था, उमीदिन सध्या के मध्य एक भाषण देते हुए उन्होंने कहा था "मेरे छपर किया गया लाठी का एक-एक प्रहार विट्ठि साक्षात्य के तावूत की कील बनेगा।"

## २६. उग्र राष्ट्रवादियों के सिद्धान्त और साधन

उदारवादी नेतृत्व के विरुद्ध विद्रोह—जैसा कि हम देख सकते हैं उग्र राष्ट्रवादी उदारवादी यथा नरम कांग्रेसी नेताओं के विरुद्ध भी उतना ही व.\*\* विद्रोह था, जितना कि स्वयं साम्राज्यवाद के विरुद्ध। उदारवादियों के प्रतिकूल इन्दियों का यह विश्वास था कि भारत और इगलेण्ड के हितों में "वर-केर" का सम्बन्ध है और विट्ठि-साम्राज्यवाद के साथ यह कितना भी सहयोग क्षयों न किया जाए, उनके द्वारा भारत अपने राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। विपिन चन्द्रपाल का यह मत था कि विट्ठि के आर्थिक हितों की हप्टि से यह अस्त्यन्त आवश्यक था कि भारत पर उमका अकुश निरन्तर नवा रहे। उनके मत से युद्ध के बिना स्वतन्त्रता प्राप्त होना असम्भव था।

उग्रवादियों का राजनीतिक सम्भवतः तिलक ही वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कि स्वराज्य को राष्ट्रीय संघर्ष या लक्ष्य चक्रवाचा, वरन् उनके स्वराज्य की मान्यता दादाभाई नीरोजी के "स्वराज्य" अथवा गोसले द्वारा घोषित स्वामरा शासन की पारणा से बहुत भिन्न नहीं थी। नेविन्ग्मन ने तिलक को यह कहते हुए उद्भूत किया है—'अपने उद्देश्य के कारण नहीं, वरन् उसे प्राप्त करने के उपायों के कारण है।

१. डॉ० पट्टाभिं सीतारामद्या—“दि हिस्ट्री ऑफ दी कांग्रेस,” पृ० १७३।

उदारत्यादियों द्वारा प्रतिपादित निवेदनों, प्रार्थनाओं, समरण पत्रों और प्रतिनिधि मण्डलों की नीति में असुमात्र भी विश्वास न करते थे, वस्तुतः वे उसे "राजनीतिक भिक्षावृत्ति" के नाम से पुकारते थे। कांग्रेस के लाजपतराय ने कहा था, "एक अंग्रेज को भिखारी से बड़ी घृणा और विरक्ति होती है। मेरा विचार है कि भिखारी है ही इम योग्य कि उससे घृणा की जाए। इमलिए हमारा कर्तव्य है हम अंग्रेजों को दिला दे कि हम भिखारी नहीं हैं।" तिनक ने उपरवादी हृषिकोण को निम्न शब्दों में व्यक्त किया, "हमारा आदर्श दया धारना नहीं, आत्म-निर्भरता है।" शायको के साथ राजभवितपूर्ण महोग करने के यजाय उपरवादियों ने निष्पत्ति-प्रतिरोध (Passive Resistance) का विद्याल्मक प्रोग्राम राष्ट्र ममुख रखा।

**बहिकार, स्वदेशी और राष्ट्रीय-शिक्षा**—बहिकार और स्वदेशी आन्दोलन ग्रिटिंग यासन के प्रति निर्भीक विरोध की मूलत प्राण धारा के प्रतीक थे। वैसे तो बहिकार आन्दोलन की मुख्य प्रवृत्ति विदेशी वस्तुओं के ही विष्फु निदिष्ट थी, परन्तु उसमें सरकार के साथ असहयोग, और सरकारी नीकरियों, प्रतिष्ठानों तथा उपाधियों वा बहिकार भी जामिल था। उपरवादी नेता हृष्टापूर्वक छवेदेशी में विश्वास करते थे और जनन्माधारण में उसका प्रचार करने के ऊटेश्वर ने उन्होंने देश-व्यापी आन्दोलन का मगान किया था। लाजपतराय इसको स्वदेश की मृक्षित का मार्ग समझने थे। उनकी मान्यता थी कि बहिकार विदेशी यासन की प्रतिष्ठा के ऊपर एक सीधा आधात है। इसके अलावा उनका यह भी विचार था कि "दुकानदारों की जाति को नैतिकता के ऊपर आधित तकाँ की अपेक्षा व्यापार में धाटा होने की बात अधिक प्रभावित कर सकती है।"

बहिकार और स्वदेशी आन्दोलनों को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। कलकत्ते के एक एस्लो-इंडियन समाचार पत्र—"दि इंग्लिशमैन" ने लिखा था "वह चिल्कुल सत्य है कि कलकत्ते के गोदामों में कपड़ा इतना भरा हुआ है, कि वह बेचा नहीं जा सकता। बहुत-सी मारवाड़ी फर्म चिल्कुल नष्ट हो गई है और कई बड़ी-से-बड़ी यूरोपीय-नियांत-दुकानों को या तो बन्द कर देना पड़ा है अबवा उनका व्यापार बहुत ही मन्द गति पर आ गया है। बहिकार के रूप में राज के अनुयों ने देश में श्रिंखला हितों पर कुठारा-

ग कि "यदि सरकार मेरे पास आकर कहे कि स्वराज्य ले लो तो मैं उपहार के लिए नैताद देते हुए उससे कहूँगा कि मैं उस वस्तु को हीकार नहीं कर सकता जिसको नैत देने की सामर्थ्य मेरे हाथों में नहीं है।"

## A NOTE ON THE EINSTEIN THEORY

1923

IT IS said that there are, besides Dr. Einstein himself, only two men who can claim to have grasped the Theory in full. I cannot claim to be either of these. But I do know a good thing when I see it ; and here is a thing that is excellent in its kind—romantically excellent in a kind that is itself high. When I think of rays being deflected by gravity, and of parallel lines at long last converging so that there isn't perhaps, after all, any such thing as Infinity, I draw a very deep breath indeed. The attempt to conceive Infinity had always been quite arduous enough for me. But to imagine the absence of it , to feel that perhaps we and all the stars beyond our ken are somehow cosily (though awfully) closed in by certain curves beyond which is nothing ; and to convince myself, by the way, that this exterior nothing is not (in virtue of *being* nothing) some thing, and therefore . . . but I lose the thread.

Enough that I never lose the thrill It excites, it charms me to think of elderly great mathematicians of this and that nation packing their portmanteaus whenever there is to be a solar eclipse, and travelling over land and sea to the Lick Observatory, or to some hardly accessible mountain top in Kamtschatka, and there testing, to the best of their power, the soundness or unsoundness of the tremendous Theory. So far, the weather has not been very favourable to these undertakings Nature, who is proud

से आता है।” उग्रवादी नेताओं के मस्तिष्कों पर हिन्दूधर्म के पुनरुत्थान की गहरी छाप थी। “उग्रवादी नेताओं ने हिन्दुओं के वैदिक प्रतीत, चन्द्रगुणों और अशोक के स्वर्णिम की रानी लक्ष्मीबाई के देश प्रेम की स्मृति को पुनः जागा किया।”<sup>१</sup> यह हम पहले ही देख चुके हैं कि महाराष्ट्र में तितक ने, जो कि पाश्चात्य सभ्यता के निरोधी थे और भारत की गोरक्षमयी भस्त्रति से प्रेरणा ग्रहण करना चाहते थे, जिवाजी और गणपति महोत्सवों का पुनरुद्धार किया। विधिन चन्द्रगुण राष्ट्रीय वेतना के पुनर्जागरण को यक्षित-पूजा के प्राचीन आदर्श का ही पुनर्जागरण समझते थे। उन्होंने लिखा “दुर्गा, काली, जगद्धात्री-भवानी आदि हिन्दू यक्षित-पूजको द्वारा प्रयुक्त सभी प्रतीकों ने तूतन आशय प्रहण किया है। उन सभी पुरातन और परमारागत देवी देवताओं को जो आधुनिक मस्तिष्क पर अपना प्रभाव लो चुके थे, अब भारतवर्ष की आत्मा और मस्तिष्क पर एक तूतन ऐतिहासिक राष्ट्रीय निर्वाचन सहित, पुनर्प्रतिष्ठापित किया गया है।”<sup>२</sup> यरविन्द के मत में “हमारे सभी आन्दोलनों में स्वतन्त्रता ही जीवन का ध्येय है और हिन्दू धर्म ही हमारी आकाशाओं की पूर्ति कर सकता है।”

हिन्दू धर्म और विचार-दर्शन पर यह जो विशेष वज्र दिया गया, उने सर्वथा निर्दोष नहीं कहा जा सकता। उनमें कई त्रुटियाँ थीं। जहाँ इसने हिन्दुओं में देश प्रेम की प्राणधारा नहीं सचार किया, वहाँ इसमें राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति मुसलमानों में उदासीनता ला दी। सरकारी कामचारियों ने मुसलमानों के सूख कान भरे, उनमें कहा कि गह जो ब्रिटिश-विरोधी आन्दोलन सदा निया जा रहा है, इसका उद्देश्य हिन्दू राष्ट्र की स्थापना करना है। मुस्लिम जनता विदेशी नौकरकाही के इस बहकावे में आ गई, वह राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति बहुत कुछ निरपेक्ष-भी रही। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार उग्र राष्ट्रीयता ‘रामाजिक रूप में निश्चिततः प्रतिक्रियावादी’ थी।

## २७. उग्र राष्ट्रीयता और कांग्रेस

इसने राष्ट्रीय आन्दोलन का क्षेत्र विस्तृत किया—वैसे तो उग्र राष्ट्रीयता कांग्रेस-आन्दोलन के एक अनिभाज्य ग्रन्थ के ही रूप में उद्भावित हुई थी, परन्तु उग्रवादियों का इस संगठन में वा अल्पमत ही तथापि थे, राष्ट्रीय आन्दोलन के कार्यक्षेत्रों को व्यापक बनाने में समर्थ हुए। वे राष्ट्रीय आन्दोलन की वेगवली धारा में मध्यम-

१. ए० प्रार० देगाई—“सोशल वैकल्पिक आंक इण्डियन नेशनलिज्म,” [० ३००]

२. जी० ए० रिह द्वारा उद्धृत—वही, पृ० १६५-१६६।

## NOTE ON EINSTEIN THEORY

by some homely little incident. Newton and the apple, Copernicus and the whipping top, James Watt and the kettle. But Einstein and—? Poor Einstein!

Men of his magnitude are not avid of popularity? True; but this does not mean that popularity would be disagreeable to them. When the newspapers were trying to make Relativity a household word, I read an account of Einstein, written by one who knew him, and enhanced by a photograph of him. A very human person, I gathered; far from stand offish; a player of the fiddle; the constant smoker of a large pipe; a genial, though thoughtful, critic of current things. I liked his views on education. Why all this forcing of a child's memory? Memory—a matter of little moment. Let the child be taught to see, and to think, for itself. And let every child be taught a trade. And 'after all,' said Einstein, dismissing tuition, 'the best thing in the world is a happy face.' It was clear from the photograph that his own face was a happy one. But I discerned in it a certain wistfulness, too—the wistfulness of a thorough good fellow whose work somehow repels the attention of that good fellow, the average man. My heart went out to him. I wished I could help him. And now, I think, I can. Hark!

Yesterday afternoon I was walking on the coast-road from Rapallo to Zoagli when I saw approaching in the distance a man of strenuous gait, and of aspect neither Italian nor English. His brow was bare to the breeze; and as he drew near I perceived the brow to be a fine one; and as he drew nearer still I perceived the face to be a very happy one—with just a hint in it of wistfulness, which, however, vanished at my words, 'Dr. Einstein, I presume?' He clapped a cordial hand on my shoulder; he treated me

था; इस प्रस्ताव के बिलद्ध थे। उन्होंने अपने बहुमत का प्रयोग कर अपने मनोनीत डा० राम निहारी थोग को काग्रेस का सभापति बनाने में सफलता प्राप्त की। उप्रवादियों को यह प्रबल आशंका थी कि उनके विरोधी बहिप्कार और स्वदेशी पर पाम किए गए पहले वर्ष के प्रस्तावों को मुलायम करना चाहते हैं। दोनों ही पक्षों में उत्तरा की वृद्धि होती रही और नमस्कारों के सारे प्रयाम निष्फल हुए। अधिवेशन बड़े गुलगापाड़े के बाता-बरण में प्रारम्भ हुआ। अधिवेशन के दूसरे दिन की कार्यवाही पूलिय की उपस्थित में सम्पन्न हुई। परन्तु नभापति अभी अपने भाषण को ठीक गे शूल भी नहीं कर पाए थे कि प्रतिनिधियों में से एक प्रतिनिधि ने अपना छूता उठा कर फौंका, जो मुरेन्द्रनाथ देनजी को छूता हुआ सर किरोजमाह मेहता की लगा। किर बया था, मानो एक युद्ध प्रारम्भ हो गया कूसियाँ फैकी गई और डण्डे चलते लगे, जिसमें काग्रेस उस दिन के लिए खत्म हो गई। पूलिय को बल प्रयोग के द्वारा पण्डाल खाली कराना पड़ा। इसके बाद नरग दल के नेता जपा हुए, उन्होंने एक पृथक् 'कनवेन्शन' का निर्माण किया, और काग्रेस का एक ऐमा नूतन विधान बनाया कि उप्रदल के लोग उस गणठन में आ ही न सके। फलतः उप्रदल के लोग कांग्रेस ने बाहर निकल गए और वे इस संगठन के अन्दर तब तक शामिल नहीं हुए। जब तक कि १९१६ में दोनों दलों के बीच पुनः मेल स्थापित न हो गया।

## २८. उप्र राष्ट्रीयता और शासन

उप्र राष्ट्रवादियों का संघीड़न और दम्भमूलक कानूनों का निर्माण—उदारवादी काग्रेसियों के प्रति तो शासन किमी प्रकार की अनिच्छुक गहिरण्युता प्रदर्शित करता रहा। परन्तु उप्रवाद की कड़ी गोली को निगलना उसके लिए दुःखात्मा था। उप्रवादी सतत संघीड़न के भाजन थे। ज्ञानिकारियों का दमन करने में जो नीति रूप की सरकार ने अपनाई थी अथवा जिन पर ज्ञानिकारी होने का ग्राण्यमात्र भी सम्भेद होता, उन्हें गाड़ियों ने भर-भर कर साइब्रेसिया के बर्फले मेदानों में भेज दिया जाता था, करीव-करीव वही नीति भारत में उप्र राष्ट्रवादियों का दमन करने में विटिश शासन ने अपनाई।

शासन ने कितने ही देशभक्तों को देशनिर्वासन का दण्ड दिया और ऐसा करने में जनता की भावनाओं का कोई अ्यात्र नहीं रखा। नौकरदस्तही ने इस बत का पक्का निश्चय कर लिया था कि जैसे भी हो भक्त उप्र राष्ट्रीयता को फौलादी पजे से कुचल देना है। इसी आदर्श को अपने मामने रखते हुए सरकार ने अपने दमन-शस्त्रागार को कई नूतन कानूनों का निर्माण कर परिपूर्ण किया। जैसे कि हम पहले ही कह चुके हैं तिलक के प्रवाम करावाम के गहनात् दण्डियन पीनल कोट में १२४ अ और १५३ अ घाराएँ जोड़ी रही। जब कि बंगाल विभाजन-विरोधी आन्दोलन तूल पकड़ रहा था और

## NOTE ON EINSTEIN THEORY

laughed ; but I did ; and Schultz went out in some anger. It was dawn when I rose from the fireside. The fire had long ago burnt itself out, and I was stiff with cold. But my mind was all a glow with the basic principles of Relativismus.'

'The world,' I said quietly, 'shall hear of this, Dr. Einstein.'

चा और उसमें हिमा को कोई स्थान नहीं था। उसके विपरीत क्रान्तिकारियों का विश्वास था कि केवल जानिपूर्ण मध्यम ही पर्याल भही है। वे हिमा में और आनंद-वाद में विश्वास रखते थे।

**क्रान्तिकारी राष्ट्रवाद की साधन-प्रणाली—**क्रान्तिकारी राष्ट्रवाद उन्हीं कारणों का परिणाम था, जिन्होंने कि राजनीतिक उत्थावाद वो उत्पन्न किया। उनने उन भावुक युवकों को, जो उदार राष्ट्रवादियों के छकुरमुहानी इश्टिकोग्ग में महमत नहीं थे और गाथ-ही-गाथ माल-बाल-गाल डारा प्रतिपादित जानिपूर्ण आनंदोलन की साधन-प्रणाली में भी विद्वाम नहीं रखते थे, अपनी ओर आकृष्ट किया। क्रान्तिकारियों का विचार था कि पाराविक बल पर व्याधारित माहाजयवाद वो हिमा के बिना जड़ में डबाए कंकला अमरभव है। विटिय मरकार की प्रतिक्रियावादी और दमनभूलक नीति ने उनके इस विचार को और पृष्ठ कर दिया था। उन्होंने बूरोप के क्रान्तिकारी आनंदोलनों की कार्य प्रणाली का अध्ययन किया और वे जारकारीत रूप के मुज़ल क्रान्तिकारी नगठनों की क्रियान्वयन में विशेष रूप में प्रभावित हुए। उनका प्रमुख कार्यक्रम हिमक कार्यवाहियाँ और राजनीतिक हत्याएँ करना था। ऐसा करते ने, वे समझते थे कि विटिय अधिकारियों और उनके भारतीय पिछलमुद्दों के हृदय में आनंद उत्पन्न हो जाएगा याँ गमन आगन बन्य अस्त-व्यरन हो जाएगा। अपने आनंदोलन को चलाने के लिए गर्कारी खजाने लूट लेना और सबस्त्र डर्केतियाँ डालना भी उनके कार्यक्रम में शामिल था।

### ३०. क्रान्तिकारी राष्ट्रवाद का प्रथम चरण

**महाराष्ट्र में क्रान्तिकारी राष्ट्रवाद—**क्रान्तिकारी राष्ट्रवाद का मध्यम प्रारम्भिक केन्द्र महाराष्ट्र था, जहाँ उसने भव्य को १८६६ में रड और आयस्टर की दोहरी हत्याओं में व्यक्त किया। इयाम जी कृष्ण वर्मा, बी० दी० गावरकर और उनके भाई गणेश भावरकर व चापिकर वन्धुद्वय इस आनंदोलन के नेता थे। उनका कहना था 'प्रारग देने ने पूर्व प्रारग ने लो'। यह प्रतीत होता है कि रैप्ट की हत्या में इयाम जी कृष्ण वर्मा का हाथ था। वे उस हत्या के तुरन्त बाद ही लन्दन चले गए। सावरकर वन्धुओं ने क्रान्तिकारी अभिनव भारत समाज की स्थापना की। १८०६ में विनायक दामोदर भावरकर लन्दन पहुँच और वहाँ इयामजी कृष्ण वर्मा का हाथ बैठाने लगे। उन्होंने लन्दन में अपने भाई गणेश को, जो महाराष्ट्र में आनंदोलन का कार्य कर रहा था, हृषियार भेजने की कोशिश की, हृषियारों का पार्मल रखाना कर दिया गया। लेकिन उसके पूर्व कि वह गणेश के पास पहुँचा, गणेश को मस्त्राट के विश्वद युद्ध घेने के अपराध में आजीवन बैठा निकाले का इष्ट दे दिया गया। प्रतियोदी की भावना से अभिनव गणेश के एक मद्दस्य ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मिस्टर जैकमन को आगी योनी का निशाना बना-

प्राप्त था। पेरिस की भैंडम कामा का नाम इनमें विषेष रूप से उल्लेखनीय है। भैंडम कामा 'बन्दे मातृरम्' का सम्पादन करती थीं। ये क्रान्तिकारी भारत में कार्य करने वाले क्रान्तिकारियों को गुस्तके और पश्चिमियाएँ आदि भेजा करते थे ताकि विभिन्न पुस्तकवर्ग में क्रान्तिकारी विचार-धारा का सचार किया जा सके।

(३) अमेरिका में—अमेरिका में लाता हरदयाल ने क्रान्तिकारियों का संगठन किया व १९१३ में मान कांग्रेसको से 'गदर' नामक एक पत्र निकालना शुरू किया। पद्यगी परिस्थितियों से विवश हो लाता हरदयाल को अमेरिका छोटकर स्विट्जरलैण्ड चला जाना पड़ा लेकिन गदर आन्दोलन में विभिन्नता नहीं आते पाई और क्रान्तिकारी अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के बीच खूब प्रचार करने रहे। (गदर आन्दोलन पजाव में भी महिला था। यहाँ उसका नेतृत्व वाला गुरुदत्त मिह और अमेरिका से लौट कर आए हुए दूसरे क्रान्तिकारियों ने किया)। ऐसे वेलेप्टाइन विरोल ने 'इण्डो-अमेरिकन एसोसिएशन' और यग इण्डिया एसोसिएशन' नामक दो संस्थाओं की भी चर्चा की है। इनमें पहली तो एक प्रचार संस्था थी और 'की हिन्दुस्तान' नामक पत्र निकालती थी व दूसरी एक गुप्त संस्था थी जो आयरलैण्ड के क्रान्तिकारी दलों की पढ़ति पर बनी हुई थी। सर वेलेप्टाइन विरोल का कथन है कि इन दोनों ही मंस्थाओं का भारत की समस्त रोजदोहरी संस्थाओं में सम्बन्ध स्थापित था।

### ३१. क्रान्तिकारी आन्दोलन का उत्तरकाल

रात्याग्रह के सम्मुख आतंकवाद की निपटनी—भारत के राजनीतिक धोन में महात्मा गांधी के अवतरण ने क्रान्तिकारी राष्ट्रवाद की झलकः अधिगति शुरू कर दी। गांधी जो की टेक्नीक में देशभक्त भारतीयों को अधिक प्रभावित किया और आतंकवाद को निपटने कर दिया—इसका यह अभिशाय नहीं है कि अहिन्दा के जाहू ने हिमक कार्यवाहियों का पूर्ण उत्सादन कर दिया। क्रान्तिकारी भावना मूलतः संसाधन ही हुई और समय-समय पर न्यूनाधिक रूप में समर्थित पढ़ति में राजनीतिक आतंकवाद की छिपराई हुई हलचलों में उसका विस्कोट होता रहा। इस दिग्मा में 'हिन्दुस्तान मोर्यनिस्ट रिपब्लिकन पार्टी' ने कुछ समय तक कार्य किया और भासकों के आतंकवाद का मामना करने की कोशिश की। भरवार भगतसिंह, चन्द्रशेखर आजाद और जतीनदेव दाम जेंसे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के एकनिष्ठ माधकों ने विदेश मास्ट्राइवर्ड का घन्त करने की असफल चेष्टा में अपना सर्वस्व स्वाहा किया।

यह छीक है कि विदेश साम्प्रांत्यवाद के दिछड़ महासंघ गांधी के शान्तिसंघ आन्दोलन ने भारत की जनता को बहुन बड़े पैमाने पर अपनी और आकृष्ट किया लेकिन फिर भी हिंसा या उसकी धमकी गांधी आन्दोलन की पृष्ठभूमि में सदैव

## A STRANGER IN VENICE

1906.

IT may have been the sun that woke me ; but I think it was the silence. In London the motor-omnibuses rattle and hoot vainly : my ears are inured to that din. In the country the birds 'call' me, punctually enough. But there are no singing birds in sea girt Venice, and no traffic to detonate for the Londoner his accustomed lullaby ; nor, indeed, is there any noise whatsoever, except the lapping of water against walls ; and to hear that susurrus you need to be awake and intently listening. Thus, little by little, a queer emptiness intrudes itself into your slumbers, and anon you open your eyes to see what is the matter. All's well.

In the country the birds, in an ordinary city the traffic, would importune you to be up and competing with your fellows, to lose no time, to survive among the fittest. But the silence that in Venice wakes you does not rouse you. Whatever the hour of the morning, there seems no more reason for you to rise than there would be in the dead of night. Here is the dead of day. The sunlight is yellow moonlight. And you, but that you are wide awake, are Endymion. . . .

I lay as still as he, idly wondering how the Venetians had once contrived to found an empire. For surely empire-building involves early rising ? And here was I, who had arrived overnight, so bereft of impulse that I was loth to

बढ़-परिकर रहने की पुरुषार्थमयी भावना का संचरण किया। तिलक को कई बार कारवाहा का बण्ड गिना। तिलक एक गम्भीर विडान्, चतुर राजनीतिज्ञ और जनता के द्वारा हित समादृ थे। उन्होंने जनता को अगेजों में कुपाकोर की भिक्षा माँगने के बजाय आत्म-निर्भरता और स्वतन्त्र कार्यवाही का पाद पदाया। उनका उपर्याद उन्हें गोखले के विरोध में रखता था।

बंगाल में उपर्याद जनता द्वारा प्राणपण में विरोध किए जाने के बावजूद भी शक्तवर, १६०५ में भास्त के दो भागों में विभाजित कर देने के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ था। बंगाल के दोनों भागों में एक तीव्र आन्दोलन उठ उड़ा हुआ। बहिष्कार और स्वदेशी आन्दोलन, बंग-भग-विरोधी आन्दोलन के ही नेता थे। विपिन चन्द्रपाल, शशविल घोष और अद्यती कुमारदत बणानी उपर्याद के प्रमुख नेताओं में से थे। पजाव केमरी लाला खजवतराय एक-दूसरे महत्वपूर्ण उपर्यादी नेता थे।

उपर्याद उम उदारवादी नेतृत्व के प्रति जो विटिश जाति की न्याय-निष्ठा में विश्वास करता था और अपनी राजभक्ति की पोषणा करते न थकता था, एक महल कान्ति थी। उशरवादियों का विश्वास था कि वे विशुद्ध वैधानिक उपायों के ही द्वारा भारत के राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उपर्यादी विटिश साम्राज्यवाद के विशुद्ध सक्रिय विरोध का भमर्यन करते थे और वे स्वतन्त्रता के मन्त्र के बाहक थे। उपर्यादियों द्वारा प्रारम्भ किए गए बहिष्कार और स्वदेशी के आन्दोलनों ने भारत के राष्ट्रीय दृष्टिहास में एक नूतन अव्याप्ति की नृष्टि की। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि भारतीय दासता के बन्धनों में घन्वे रहने के लिए तैयार नहीं हैं और वे अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए सप्ताम करने को बढ़-परिकर हैं। उपर्याद राष्ट्रीयता का हिन्दू पुनरुत्थान से घनिष्ठ सम्बन्ध था, इस कारण उसका स्वरूप कुछ-कुछ प्रतिक्रियावादी-गाढ़ी गया था।

उदारवादियों और उपर्यादियों के बहते हुए मतभेद के ही कारण १६०७ में मूरत विच्छेद हुआ।

उपर्याद वाद का एक पहलू कान्तिवाद राष्ट्रवाद था। कान्तिकारियों का शान्ति-पूर्ण आन्दोलन में विद्वान् नहीं था। वे हिमक कार्यक्रम के अनुयायी थे। यह आन्दोलन मध्यम पहले महाराष्ट्र में प्रकट हुआ। द्यामजी वर्मा और सत्वरकर बन्धुओं ने इसका मगाल किया। बंगाल में इसका विस्फोट बंग-भग के दिनों में हुआ। बारीन्द्र घोष और भूपेन्द्रनाथ दत्त इसके घटितमालों नेता थे। इनी सभ्य के आस-पास पंजाब में भी कान्तिकारी समितियां स्वापित हुईं। भारतीय कान्तिकारियों ने भारत के बाहर यूरोप और अमरीका में भी काम किया। भारत के राष्ट्रवादी आन्दोलन के क्षेत्र में महात्मा गांधी के अवतीर्ण होने पर कान्तिकारी आन्दोलन धीरे-धीरे समाप्त हो गया।

## A STRANGER IN VENICE

Their belated outcome was that I found myself, quite suddenly, face to face with the door from which I had issued. It was not less suddenly, a few minutes later, that I was confronted by S. Mark's. But this time I said nothing. Indeed, I should not envy the soul of one who at first sight of such strange loveliness found anything to say.

Magnificent is what Ruskin wrote about it—magnificent in rhythm and colour, and having in itself much of the very quality that is in this work of Byzantine artificers. But even it, with all the great glow of it, does not describe its theme. Read it before you have seen S. Mark's : you do but admire the language. Read it after its inadequacy frets you. Ruskin himself must have fretted—none more poignantly than that very humble great man. But one thing at least—one thing very near to the heart of a man writing about what he loves—Ruskin had achieved. He had proved his love. How can I, who am no poet, prove mine ? I must ask you to take it on trust. I loved S. Mark's. Hamlet said precisely the same thing about Ophelia ; and there has never ceased to be a hot academic debate as to whether he was speaking the truth. In a sceptic world, evidence of love is demanded. . . . Well, then, for me the church had hardly the effect of a building ; of a garden, rather ; an Eastern garden that had been by some Christian miracle petrified just when the flowers were fading, so that its beauty should last forever to the glory of Christ, and of S. Mark. But Mohammed had walked there, and his spirit haunts it yet, ranging from dome to dome, from cornice to cornice, unafraid of the Saint's own lion which, haloed, mounts golden guard in the midst, against a starred blue background ; and one almost wonders that among those

दानबीय कृत्य करता रहा है ?”<sup>१</sup> यह कहना तो ठीक नहीं है कि साम्प्रदायिकता के उद्भव और विस्तार का मारा का सारा दोष ही प्रयोजों के सर भड़ा जा सकता है परन्तु इतना अवश्य कहना पड़ता है कि भारतीय राजनीति के क्षेत्र में साम्प्रदायिकता के उद्भव और विकास का मुश्य उत्तरदायित्व प्रयोजों के कान्हों पर ही आकर पड़ता है। दितीय गोलमेज परिपद के अवसर पर महात्मा गांधी ने ठीक ही कहा कि साम्प्रदायिकता की समस्या “विटिन आवमन की समकालिक” है।<sup>२</sup> नवाचिदियों में एक दूसरे के साथ मिलजुलकर निवाम करते रहने के कारण भारत वर्ष के हिन्दुओं और मुसलमानों ने एक दूसरे के अनुकूल बनने और एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता की स्वस्थ भावना को मुद्रिकरित कर निया था यद्यपि कभी-कभी इन दोनों जातियों में मन मुटाव भी हो जाता था, फिर भी दोनों ही जातियों ने “एक दूसरे के साथ सहयोग स्थापित करने का एक आकर्षक आदर्श” मुद्रिकरित करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। प्रयोजों ने संघर्ष को इस आवर्ण के खण्डन-कार्ये में समझ कर दिया। “अग्रन्त समस्य विव्यात कीशन के साथ, जिसने कि अभी हात तक उनकी कूटनीति को समार में मवांधिक शक्तिशाली बताए रखा था, प्रयोज शासकों ने अपने आप को हिन्दू और मुसलमानों के मध्य में लड़ा करके एक ऐसे साम्प्रदायिक विभवन की रूनना का निश्चय किया, जिसके आधार वे रख रहे।”<sup>३</sup>

### ३३. विदिश शासन में भारतीय मुसलमानों की अधीनति

**एंग्लो-हिन्दू सहयोग का युग** — भारतवर्ष में विदिश शासन की स्थापना इस देश में मुसलमानों की स्थिति पर एक महान् कुठारापाता था। प्रयोजों की प्रभुता के पूर्व मुसलमान ही इस देश के भाष्य-विवाता थे, अपनी इस गौरवपूर्ण स्थिति में वे स्वलित हो गए और निरन्तर निरन्तर आवोगति के महार्णव में झूँकते गए। अपने शासन के प्रारम्भ से ही इस्ट इण्डिया कम्पनी मुसलमानों ते भय लाती थी और उसे आशका थी कि मुसलमान अपनी अमृत सत्ता को पुनः प्राप्त करने का स्वप्न देखते हैं। कलत: विदिश शासकों ने, जैसे भी हो नका हर सम्बव उसाथ से मुसलमानों का दमन करने की चेष्टा की और वे “अग्रन्त प्रश्नासव के सच्चालनार्थ हिन्दुओं की महायता थी और राजभूमि परने की ग्रोर अधिकाधिक उन्मुख हुए। भारतवर्ष में विदिश शासन का प्रथम एंग्लो-हिन्दू-सहयोग

१. कूपलैण्ड—“दी इण्डियन प्राविदेम (१८३३-१८३५)” पृ० ३५।

२. कूपलैण्ड—“दी इण्डियन प्राविदेम (१८३३-१८३५)” पृ० ६५।

३. मेहता और पटवधन—“दी कम्पनीस ट्रायंगल” पृ० ५२।

## A STRANGER IN VENICE

the generations of human creatures that have in the mean time shifted and fleeted across the piazza, and of the generations unborn on which those images, from their arches and niches, will still be gazing. . . . ‘Just as it is now’? Surely, S. Mark’s has a sombre grandeur that we miss in Bellini’s picture of it. There was more gliding then, and Time had but just begun to soften with his master-hand the colours of the stones. But even then S. Mark’s cannot have been merely gay, as we see it here. Nobly solemn it must have been from the outset. And gay, too, delicately gay, it will be to the end of time. And it is this very fusion that no painter whose work is known to me has ever compassed. Mr. Walter Sickert shows to us, darkly, the graveness and grandeur, as in a dream—the sort of dream that may have often visited the slumbers of Sir Christopher Wren. Mr. Sickert might almost be suspected of having brought London air with him; and, as being a modern of moderns, he is less immediately concerned with the object in front of him than with the air between him and it. Yet no diffusion of London air in the Piazza could really rob S. Mark’s of its gaiety; still less can a mere Venetian twilight. And no brilliancy of Venetian sun at noon, such as was chosen by Bellini, can rob S. Mark’s of its mysterious solemnity.

Some day, perhaps, some painter will achieve here his double task. Even so, the lovers of the façade will not be satisfied. A painter, just as he must choose one kind of light, must pitch his easel on one special spot. But we, the irresponsible, do not stand still: we shift from point to point; and at our every step the façade changes—it is alive. The sun shifts, too, causing yet other lively variations. How should a presentment from any one

जैसे पदों पर तो यूरोपियनों की प्रतिष्ठा की गई और छोटे पदों पर हिन्दुओं की। सभी चुनावों में मुसलमानों वर्षा श्रमिक हिन्दुओं के ऊपर अधिक अनुशाह ब्रेडिंग किया जाता था। जब कभी कोई जगह खाली होती थी, वहाँ यह बात साझ कर दी जाती थी कि इन जगहों पर केवल हिन्दुओं को ही नियुक्त किया जाएगा।<sup>१</sup> इस राम्भव्य में नोएन ने स्पष्ट आकड़े दिए हैं। १८३१ ने बंगाल में २१४१ गजटेड पद थे। इनमें से १२३६ पर यूरोपियन नियुक्त थे ७११ पर हिन्दू नियुक्त थे और मुसलमान केवल ६२ पर।<sup>२</sup> यह स्पष्टत्व यह है कि अब्देज इस साम्राज्यवादी उद्यम में हिन्दुओं को केवल छोटे माली-दारों के रूप में ही प्रयुक्त कर रहे थे उन्होंने विश्वाम और महत्व के समस्त पदों में हिन्दुओं को कोर्सों दूर रखा था। बंगाल में प्राई० सी० एम० के समस्त २६२ पदों पर केवल यूरोपियन ही नियुक्त थे—न्याय-निभाग के ५७ उच्च पदों पर भी उनकी ही मुश्तिल्ला थी। परन्तु मुसलमान कठोर अन्याय के भाजन थे। उन्हें भेना में जो कि उनकी आवश्यकीयता रही थी, कोई भी यन्हीं नोकरी नहीं मिलती थी। हट्टर ने निखारा है, “कोई भी मुसलमान फौज में प्रवेश नहीं कर सकता। कुछ मुसलमान गवर्नर जनरल के कमीशन द्वारा अधिकार चुने जाते हैं, परन्तु जहाँ तक मैं समझता हूँ, महारानी के कमीशन द्वारा एक भी नहीं।”<sup>३</sup>

अंग्रेजी शिक्षा और मुस्लिम अधिगति—अंग्रेजी शिक्षा पढ़ति के मूल्रात में मुसलमानों के आधिक और मास्कृतिक अवधारणा को और भी तीव्र कर दिया। मेहता और पटवर्धन के मत में “मुसलमानों के साथ मध्यम अधिक अन्याय शिक्षा के मामले में किया गया।”<sup>४</sup> १८३३ में अरबी और फारसी के स्थान पर अंग्रेजी अदालती भाषा हो गई। इस परिवर्तन में मुसलमानों को बहुत चोट पहुँची। नए स्कूलों और कालिजों में भी परम्परागत भारतीय शिक्षा-प्रणाली को “सब प्रकार की सहायता से बचित कर दिया गया।” भारतवर्ष में प्राचीन काल में यह रिवाज चला आता था कि यहाँ के राजा शिक्षा और देश सेवा के लिए कुछ भूमि अनुदान में अवध्य दे देते थे। मिं० जेम्स ग्राण्ट, एक लगान-पदाधिकारी, के अनुसार यह अंग्रेजों ने बंगाल का ग्रासन लूत्र सम्हाला,

१. कलकत्ते के तत्कालीन पत्र ( दुर्वीन फारनी ) ने मुन्द्रवन के नियन्त्रण के कार्यालय में भेदभाव की इस नीति पर माचरण होने का उद्दरण दिया था।

२. नोमन द्वारा उद्धृत—“मुस्लिम इण्डिया” पृ० २१।

३. नोमन—“मुस्लिम इण्डिया” पृ० २२-२३।

४. हट्टर—वही पृ० १५६।

५. मेहता और पटवर्धन—वही, पृ० ८७।

## A STRANGER IN VENICE

and claim all your gaze. Two on either side of the arch, each inclining his head a little towards his fellow (with something of the perfunctorily conversational air of stage courtiers making an entrance or an exit), they paw the air delicately, haughtily, with a thoroughbred consciousness of their strength and beauty. They make one feel very small, very common ; and even the sun has an anxious, servile look as he burnishes such gilding as remains on their breasts and flanks. You can see they do not consort with the little images around them. They keep themselves to themselves, as the phrase is. They have no allegiance to S. Mark, and are as magnificently pagan as they were on the day when they left the Grecian workshop where they had been fashioned, to be raised upon the summit of an arch of imperial Rome.

Nero wrote an ode to them. But odes perish, and empires perish ; and duly the glorious team entered Constantinople, at the call of Theodosius, and there abode through eight centuries. Enrico Dandolo claimed and took them, first fruits of his victory, for Venice. It is the fate of such beauty as theirs to be ' moved on '—on to the perihelion. Little wonder such creatures as they grown vain, heartless. The sun waxed over the Venetian Republic, and waned ; and these horses awaited in the twilight the conqueror, the claimant. He came. They saw him. Exquisitely, insolently, they pawed the air, pretending not to see him—the little squat man who, with his hands behind him and his feet planted far apart, stared up at them and, with the air of a millionaire ordering a meal in a noted foreign restaurant, said, ' Je les prends ' Up went the scaffolding, and down they came, and over the Alps they went rejoicing, to be the glory of Versailles.

मुसलमान केवल एक ही था ।<sup>१</sup> इन्हीं सब कारणों में हिन्दुओं में राजनीतिक चेतना का विकास मुश्लमानों की अपेक्षा कहीं प्रधिक शीघ्रता में हो गया । संक्षेपतः विटिंग शासन ने मुसलमानों की प्रथोगति कर दी । नोमन के शब्दों ने “शिक्षा नीति ही बेकारी की नृदि और मुसलमानों के लिए अन्याय भाग बन्द कर देने को उत्तरदायी थी । येना में उनकी भरती वहूत ही परिमित थी, कला कोशल के धंडे में उन्हें पुग और अमहाय कर दिया था ।”<sup>२</sup>

इस प्रकार मुसलमानों का क्रमबद्ध दमन किया गया, उन्ने ये विटिंग शासन के प्रति और असन्तोष की भावना से आप्लायित हो गए । १०५७ का विद्रोह तो इस असन्तोष का प्रकटीकरण था ही परन्तु उसके पूर्व वहाबी आन्दोलन के रूप में भी वह घटक हुआ ।

मुस्लिम असन्तोष और वहाबी आन्दोलन—भारतवर्ष में वहाबी आन्दोलन  
भूतः एक धार्मिक आन्दोलन था, यह अरब में प्रेरणा ग्रहण करता था और इसका उद्देश्य इस्लाम का शुद्धीकरण व उसके सत्य और मौलिक सिद्धान्तों की पुनर्व्यतिष्ठा करना था । परन्तु वह एक “प्रोलेटेरियन और जान्तिकारी”<sup>३</sup> आन्दोलन भी था । वहाबी नेताओं ने “मुस्लिम जनसंख्या को अचूड़ हिला डाला और उत्ताह की एक तरंग ‘मण्डूरुण’ देश में अपाप्त हो गई ।”<sup>४</sup> उन्होंने दलित और निर्धन मुस्लिम जनता के प्रति दोष को नंगठित किया और बंगाल में वे कई कृपक विद्रोहों के लिए जल्दरदारी थे । गवर्नि सरकार ने अग्रे फौलादी पजे से इम आन्दोलन का तो दमन कर दिया, परन्तु जिस कदुता और असन्तोष का वहाबी आन्दोलन प्रतीक था उसे सरकार न दबा सकी । वहाबी आन्दोलन को पुरे तरीके से कुचला भी न जा, गवर्नर जे कि वह विद्रोह के “दोष विप्लव में निष्पत्ति हो गया ।

विद्रोह और भारतीय मुसलमान—विद्रोह के सम्बन्ध में यह लोक ही कहा गया है कि “वह भारत में विटिंग शासन के लिए भवके पहली और नदमें भयंकर चुनौती थी ।”<sup>५</sup> मन् सत्तावन के स्वातन्त्र्य समर में मुसलमानों ने प्रमुख भाग लिया । परन्तु यह विद्रोह केवल एक मुस्लिम-विद्रोह ही नहीं था । इसके विपरीत वह “भारतवर्ष की

१. वही, पृ० ४५ ।

२. नोमन—“मुस्लिम इण्डिया,” पृ० २६-२७ ।

३. जी० एन० मिह—“लैंपट्याकर्म इन इण्डियन कास्टीट्पूशनल एण्ड नेशनल डेवलपमेंट” पृ० १६७ ।

४. मेहता और पटवर्धन—“दी कम्युनल ट्रावंगल इन इण्डिया,” पृ० ६५ ।

५. वही, पृ० ६६ ।

## A STRANGER IN VENICE

of the Capitol at Washington. Yes, it is there that they will air themselves—for a while. And afterwards, where? In the midst of some yellow race, maybe. All empires perish. But perhaps our planet will last long enough for some of the dead ones to rise again. Who knows but that in the fullness of time these horses will again be overlooking Rome, their birthplace?

After I had paid my homage to these horses, I would go aside to that little estrade of marble, whose steps are guarded by two lions. For them I had a real fondness. They are not large nor beautiful. Nobody seems to know the date of them. Nobody, indeed, seems to care. Except by small boys, who sometimes ride on their backs and kick them, they are coldly ignored. Napoleon, I wager, hardly paused to glance at them. And what a sigh of relief they must have heaved when he passed them by! For they are very Venetian, these two; Venetian to the core. That is why I used always to visit them after the horses. I felt that they had hearts. They remembered Venice as she was in the zenith of her power, and had watched her decline and fall, but never had faltered in love of her. Generations of small Venetian boys have kicked them heartily, so that their sleek coat of tawny marble has been much worn away, and exists only in patches; the rest of them is a gritty white. At a distance they might be mistaken for Staffordshire ware. Yet they never murmur. Most of the other lions in Venice stand high and safe, venerable, on some eminence, and have haloes behind their manes, and spreading wings on their shoulders, and hold between their paws a scroll inscribed with the words of the blessing that Christ gave to Mark, their master. Some of them, even, have Doges kneeling to them in homage, suppliant-

दूनरे संघर्ष के निमित्त हिन्दू-मुस्लिम गठ-बन्धनों को सहन नहीं कर सकती थी। वगोकि सन् १७ में जब कि और मुसलमान अपने मामान्य शत्रु के विरुद्ध गिलकर लड़े थे, वह इसका मजा देख चुकी थी। इसलिए अब एक नवीन उपाय सोचा गया।

**एंग्लो-मुस्लिम सहयोग पर वार**—जिन मुसलमानों को अंग्रेज अब तक घुणा की हट्टी से देखते थे, जिनका दमन करने में उन्होंने कुछ उठान रखा था, जिनको वे अपना हिन्दुओं की अपेक्षा कहीं अधिक कट्टु यत्न समर्पते थे, उन्हीं मुसलमानों के साथ गठबन्धन स्वापित करना अब उन्हें नितान्त आवश्यक प्रतीत होने लगा। राष्ट्रवाद के नए खतरे को हटाने में रखते हुए भ्रातानक ही ब्रिटिश नौकरझाही को यह सूक्ष पढ़ा कि उनके हित मुसलमानों के माय सयुक्त हैं। एंग्लो-मुस्लिम हितों की एक रूपकला और एंग्लो-मुस्लिम राहगीर की महत्वी आवश्यकता गर यह जो बल दिया गया, वह कई प्रमुख उत्साही ब्रिटिश अधिकारियों का कार्य था। इन अधिकारियों में सर विलियम हूटर का नाम शीर्वन्स्थानीय है। उनकी पुस्तक “भारतीय मुसलमान” का १८७१ में प्रकाशन भारतवर्ष में अधेजों की नीति में एक नए सोड का पता बताती है।

**ब्रिटिश बैंक और सर सचिव अहमद खाँ का रूपान्तर**—वे नेता जिन्होंने मुसलमानों को नैराश्य और अधोगति के प्रबन्धरूप से निकालकर बाहर ला खड़ा किया, सर सचिव अहमद खाँ थे। वे एक उच्च मुस्लिम भरने में उत्सन्न हुए थे और प्राच्य ज्ञान के अगाध समुद्र थे। वे ब्रिटिश-शासन के न्याय-विभाग में कई ऊचे-ऊचे पदों पर नियूक्त हुए थे। ब्रिटिश-शासन के प्रति उनके हृदय में अशासा का भाव था। सर सचिव अहमद खाँ राजभक्त यदवश्य थे, बरन्तु अपने सार्वजनिक जीवन के प्रारम्भिक भाग में वे कट्टर राष्ट्रवादी भी थे। विद्रोह के पश्चात् उन्होंने इसाइयों और मुसलमानों के बीच धार्मिक सामीक्षा लाने के लिए अनश्वक परियम किया। उन्होंने अपने सह-धर्मियों को ब्रिटिश-शासन के प्रति राज-भक्ति का हस्तिकोण अपनाने और अचें-शासकों का संरक्षण तथा अनुप्रह प्राप्त करने के लिए प्रोत्ताहित किया। इन उद्देश्यों की मिठि के लिए उन्होंने असीम धान्दोलन प्रारम्भ किया और भोहम्मेडन एवं ओरियण्टल कॉलिज की स्थापना की। परन्तु यह स्मरण रखना महत्वपूर्ण है कि सर सचिव अहमद खाँ अपनी हृषि में “उस-राज-भक्ति को रखते थे, जो ब्रिटिश-शासन की ओर याधीनता में नहीं, अस्ति श्रेष्ठ शासन के लाभों की निष्कर्ष प्रदाना में उत्तम होती है।”<sup>१</sup> वे नौकरझाही नीतियों की कठोर धालोचना करने से नहीं दरते थे और भारतीयों के प्रति ब्रिटिश अधिकारियों के दुर्व्यवहार की कठोर रूप से भर्त्यना करते थे। एक बार उन्होंने शोपणा की “इन धर्मिकारियों का भत यह है कि कोई

१. जी० एन० मिह द्वारा उद्दत—बहू, पृ० १६६।

## A STRANGER IN VENICE (LIE)

seen a live imitation lion ; and thenceforth, and always on that day and in that place, such lions abounded ; and one of them, at least, was there on that day in the year of grace 1906.

Nowhere in Venice is a more Venetian thing than this little, melancholy shabby Campo ; this work of so many periods ; this garment woven by so many cunning weavers, and worn threadbare, and patched and patched again, and at length discarded. Few people, and they poorest among the poor, live here now. One can hardly imagine that the well-head was ever open, ever gossiped around. Shutters interpolated in delicate Gothic windows are mouldering on their hinges ; shutters that seem hardly incongruous now that they have been blistered by so many summers, and are so faded and so crazy. Piteous is the expression of gaunt misery on the façade of the church. The old low building that straggles away from beneath the tower and is railed off from the pavement, was once a nunnery, the richest of all the nunneries in Venice. A sentinel stands at its door ; and now and again a soldier passes in or out, looking depressed. No children play here. A cat or two may be seen lying about when the sun shines. And the brighter shines the sun the sadder seems the Campo San Zaccaria, seeming, indeed, to shrink away from the sun's rays, like a woman who has been beautiful, or like a woman who is ill.

Yet I think the place would not have thrown such a spell on me in its time of grandeur. Time was when always the greatest servants of the Venetian Republic were laid to rest here. Always on Easter Day the Doge came, in remembrance of a favour done to Venice by the nuns of San Zaccaria. Capped and canopied he came, mightily, with a

न्तर के पीछे ब्रिटिश नोकरगाही का हाथ कियाशील था। जिस व्यवित ने सर सचिव अहमद खाँ को राष्ट्रीय आनंदोलन से दिमुख करके उन्हें एक पृथक्तावादी आनंदोलन का अध्यक्ष बना दिया थे, ऐम० ए० औ० कॉलिज के सर्वप्रथम प्रिसिपल मिं० बेक थे।

१८८५ में कांग्रेस की स्थापना हुई। यद्यपि कांग्रेस को वायसराय लाई डफरिन का अनुमोदन प्राप्त हो गया था और उसकी माँगें भी बहुत नरम थीं, फिर भी “ब्रिटिश सरकार और उसके पिट्ठुओं को उनमें विरोध की चेष्टाएँ, घोर असन्तोष की कानापूसियाँ और निदित्त रूप से नई चुनौतियाँ दिखाई पड़ती थीं। जिस बात से उन्हें चबसे अधिक परेशानी हुई, वह माँगों का अधिकार-पत्र नहीं, अपितु वह संगठित, सामुदायिक स्थान था, जिसकी प्रतीक कांग्रेस थी।”<sup>१</sup>

भारतीय राष्ट्रीयता के प्रति-भार (Counter-weight) के रूप में मुस्लिम-साम्प्रदायिकता का संगठन—ब्रिटिश साम्राज्यवाद को कांग्रेस अपने लिए एक सम्भावित खतरा जान पड़ती थी। प्रति-तोलन (Counter-poise) के सिद्धान्त पर धाचरण करते हुए, उत्साही पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय आनंदोलन के प्रति-भार (Counter-weight) के रूप में मुस्लिम-साम्प्रदायिकता का संगठन करना प्रारम्भ कर दिया। “पूर्ण डाली और राज्य करो” के इस लेल में सफलता प्राप्त करने के लिए, उन्हें सर सचिव अहमद खाँ के से प्रभाव और प्रतिष्ठा वाले मनुष्य के सहयोग को प्राप्त करने में अपूर्व सफलता प्राप्त हुई। उन्होंने सर सचिव अहमद खाँ को यह विश्वास दिला दिया कि “अंग्रेजों और मुसलमानों का गठबन्धन मुसलमानों की दशा को उन्नत करने में सहायक होगा और उनका राष्ट्रवादियों से मिलना। उन्हे पुनः लेद, थम और अवृ मे दुवा देगा। फलतः उनके (सर सचिव अहमद खाँ के) अतुलनीय प्रभाव का उपयोग मुसलमानों को, विशेष रूप से उत्तरी भारत में, कांग्रेस से विगुह्य रखने में किया गया।”<sup>२</sup> ब्रिटिश अधिकारियों ने सर सचिव अहमद खाँ के, जो यह कह कर कान भरे कि कांग्रेस तो एक हिन्दू-गंधी था है, वह बात बिलकुल गलत थी। न तो अपने उद्देश्यों और अपील और न अपनी रचना के ही विचार से, कांग्रेस के बिल किन्तु सस्था के रूप में विकसित हुई। कांग्रेस के प्रथम अधिकारेश्वर में दो ही मुसलमान प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। पुरुष दूसरे अधिकारेश्वर में कुल प्रतिनिधियों की संख्या ४५० थी जिनमें ३३ मुसलमान थे। १८६० में कुल प्रतिनिधियों की संख्या ७०२ थी जिनमें १५६

१. डी० सेन—“रेवोल्यूशन वाई कामेट” पृ० १६६-७०।

२. मेहता और पटवर्धन—वही पृ० २३।

## A STRANGER IN VENICE

imagine : the demure, angelic, very small bride, with her downcast eyes ; and the rapt, angelic bridegroom, with eyes upturned and lips parted, down on his delicate hands and pied knees, by the well-head ; and the whole pretty throng of serried figures around these two. One can imagine the picture, but not, alas ! see it. It was stolen from the church of San Zaccaria, and, like the devil who tempted Sebastiano's bride, has never been seen again.

It is a far cry from this century to the fifteenth. But Venice, in the long interval, has stood still. Time and her enemies have been active. It is they who have changed her. She has submitted. But one would say that what has not been taken from her she has quietly kept. In her prime, she sucked the blood of the East, and the draught was sedative. Something of the essential immutability of the East is hers beneath all the changes that Time and her enemies have wrought on her. It seemed to me not so very strange, on Michaelmas morning, to see mimicked in all simple earnestness the action of Sebastiano Morosini.

My Venetian friends had laughed, told me there was no chance of seeing any such thing. But I, with an obstinacy foreign to my nature, rose very early on Michaelmas morning, and went to my beloved Campo. If any bridegroom came, he would not care to have tourist's eye on him. So I posted myself well within the shadow of the arch where the Doge was murdered. . . A fool's errand it seemed to be, after I had waited half an hour or so, and I (determined to say nothing of the matter to my Venetian friends) was on the point of going away, when through the other gateway, came a small party of peasants, all in their Sunday best. There were six of them—two middle-aged men, two middle aged women, and a young man, and

को घालोचना की। १८८८ में जब भारतवर्ष ने प्रतिनिध्यात्मक शासन की स्थापना के उद्देश्य में विटिश पालियामेण्ट में चाल्स ब्रैडला का विल उपस्थित हुआ, उसके विरोध में मिठो बैक ने मुसलमानों का गंगठन किया। “उन्होंने इस आधार पर कि भारतवर्ष में प्रजातन्त्रात्मक मिद्दान्त का मूलपाठ अनुपयुक्त है, पर्योकि भारतवर्ष एक राष्ट्र नहीं, मुसलमानों की ओर से विल का विरोध करते हुए एक समृद्धि-पत्र हमें बार किया।”<sup>१</sup> १८९३ में मुसलमान एंग्लो-ओरिएण्टल रक्षा-परिषद की स्थापना में भी मिठो बैक का बहुत बड़ा हाथ था। मिठो बैक इसमें इन मंस्ता के गोलेटरी बने। इस मंस्ता का उद्देश्य मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना था। परन्तु यह तो केवल दिलाकारा-भाष्ट्र था। वस्तुतः इस मंस्ता का वास्तविक उद्देश्य मुसलमानों को काश्रेम में सम्मिलित होने से रोकना था। इस कानून की पुष्टि मिठो बैक के एक निवाय से भी होती है, जो किसी अप्रेजी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने लिखा था—“कांग्रेस का उद्देश्य यह है कि देश का राजनीतिक प्रभुत्व अंग्रेजों के हाथों से हिन्दुओं के हाथों में आ जाए। मुसलमान इन मार्गों से कोई महानुभूति नहीं रख सकते”<sup>२</sup>। मुसलमानों और अंग्रेजों के लिए यह बाध्यतीय है कि वे इन आन्दोलन-कर्त्ताओं से लड़ने और देश की आवश्यकताओं व परम्पराओं के अनुपयुक्त नोकतन्त्रात्मक शासन-प्रणाली की स्थापना को रोकने के उद्देश्य से परस्पर मयूरत हो जाएँ इसलिए हम शासन के प्रति राज-भक्ति और एंग्लो-गुस्तिम-महयोग का मनरेत करते हैं।”<sup>३</sup>

**बंगाल का विभाजन**—इस प्रकार हम देखते हैं कि विटिश शासकों की नीति में आचूड़ परिवर्तन ही हो गया। कहीं तो उनका वरदहस्त हिन्दुओं के धीम पर था, और मुसलमान उनकी हृष्टि में राजदोही थे और कहीं यव उन्होंने अपना वरदहस्त मुसलमानों के धीम पर रखा और हिन्दू उनकी हृष्टि में राजदोही हो गए। बंगाल का विभाजन ‘देशवासियों के विरुद्ध देशवासियों के सम-बल’ (Counter-Poise of natives against natives) के कार्यक्रम में एक दूमरा कदम था। इसमें तो कोई गवेह नहीं कि कर्जन ने शासन-मन्त्राधी मुविधायों के आधार पर बंगाल विभाजन का चोचित्य गिर करने की चेष्टा की, परन्तु सत्य तो यह है कि बंगाल-विभाजन के मूल में हिन्दुओं और मुसलमानों के धीन विभाजन की खाई खोदकर राष्ट्रीयता की प्रवाह-माल धारा को अवरुद्ध करने की नीति काम कर रही थी।

**मुस्तिम शिष्ट-मण्डल और पृथक् निर्वाचन (Separate Electorate)** की मांग—१८०६ के अन्त में उत्तरादियों की मणित बहुत बढ़ गई थी। अब वे इस बात

१. भेदता और पटवर्षन—बही, पृ० ५८-६।

२. भेदता और पटवर्षन—बही, पृ० ६०।

## A STRANGER IN VENICE

To me there was nothing piteous in that period of Venice's history which we call 'the decadence'—that period of which Ruskin could not trust himself to speak, so great was his sorrow, his horror. To him 'the decadence' was not inevitable : had Venice not given way to 'the sin of pride', had she remained simple and pious, she need not have lost her power. Ruskin felt that had he been alive he might have saved her. And his wrath against her was as vivid as though he had been preaching in S. Mark's five centuries or so before the publication of 'The Stones of Venice.' It was the moral fervour in Ruskin that gave such intensity to his noble style. By reason of it he is, just as a writer, worth a hundred or so of merely philosophic gentlemen like you and me. It narrowed him, as a thinker, and put him again and again in the wrong. But how gloriously wrong and narrow was he ! And, when he was right, how divinely ! I wish we were a little like him. To us, the merely philosophic, Venice's 'decadence' was a thing that could not have been avoided. A great city or nation is like a human being : sooner or later it must decline ; no elixir can save it. And on the 'decadence' we can look back quite calmly, appreciating what in it was graceful and delightful.

And to me, as I have suggested, the fall of Venice was not in her loss of power, but in her loss of gaiety. She seemed to have been most truly accomplishing her destiny in the days when she gave herself over to be 'the masque of Italy'. The eighteenth century was for me her perihelion. And it was the period that most readily evolved itself. The figures from Carpaccio, from Bellini, would come at call. But the figures from Guardi and Longhi were there uninvited. Cloaked and hooded and masked, there they

ही उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया। अपने उत्तर में उन्होंने बलौर्क उद्यम का समाप्तवासन दिया कि नुस्लमानों के राजनीतिक हितों की अधिष्ठयमय वज्र का जारी हो। उन्होंने गुहार की मांग को पूर्णतः स्वीकार किया और कहा—“आपका यह दावा न्याययुक्त है कि आपकी स्थिति का मूल्यांकन आपकी मंस्या-वक्ति के आधार पर नहीं अपितु आपकी जाति की राजनीतिक महत्ता और उस सेवा के आधार पर, जो उसने साम्राज्य के प्रति की है, होना चाहिए। मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ।”<sup>१</sup> लाड मिष्टो ने यह भी कहा कि “मृक्षे आपकी भाँति इस बात का पूर्ण विश्वास है कि भारतवर्ष में चलाई गई ऐसी भी निर्वाचन-प्रणाली जगद्रात्मक असफलता को ग्राप्त होगी, यदि वह इस महाद्वीप द्वी जन-गंरुया के विभिन्न दर्गों के विवासों और परम्परायों की

वायसराय के प्राइवेट सेक्युरिटी कर्नल उन्नत उपचार स्थित ने मुझे लिखा है कि हिज एकसेलेसी मुस्लिम शिष्ट-मण्डल से भेट करने के लिए प्रस्तुत हैं। उनकी राय है कि थीमान को एक औपचारिक पत्र लिख देना चाहिए जिसमें कि उनसे उनकी सेवा में उपस्थिति होने की आज्ञा मांगी जाए। इस विषय में मैं कठिनय सुभाव उपस्थित करना चाहूँगा। औपचारिक पत्र जो मुसलमानों के कठिनय प्रतिनिधियों के हस्ताक्षरों-सहित भेजा जाना चाहिए। शिष्ट-मण्डल में सभी प्राप्तों के प्रतिनिधि होने चाहिए। तीसरों विचारणीय बात प्रतिवेदन का विषय है। मैं यहीं यह सुभाव देना चाहूँगा कि प्रतिवेदन के आरम्भ में राजभक्ति का गम्भीर समाप्तवासन होना बाधीय है। स्वधासन की दिशा में एक कदम बढ़ाने के सरकारी निर्णय की प्रशंसा होनी चाहिए। परन्तु अपनी इस आदानका को व्यक्त कर देना चाहिए कि यदि नियाचन के सिद्धान्त का मूल्रवात कर दिया जाता है तो वह मुस्लिम अहल-मत के हितों में वाधक मिढ़ होगा। अत्यन्त विनायपूर्वक यह मुकाब होना चाहिए कि मुस्लिम-लोकमत को जानने के लिए धर्म के आधार पर मनोनगरण (Nomination) या प्रतिनिधित्व का मूल्रपाल होना बाधीय है। हमें यह भी कह देना चाहिए कि भारत जैसे देश में जमीदारों के मतों को काफ़ी वजन देना आवश्यक है। परन्तु इन सब हृष्टिकोणों में मैं पृष्ठभूमि में हो रहे, इस बात का आप सर्वथ व्यान रखें। ये आपकी ओर से आने आवश्यक हैं। मैं आपके लिए प्रतिवेदन वा प्रारूप तैयार कर सकता हूँ या उसका संशोधन कर सकता हूँ। यदि यह बम्बई में तैयार किया जाता है, तो उसे मैं पूरा देख सकता हूँ। यह तो आप जानते ही है कि इन चीजों को ठीक-ठीक भाषा में कलमबद्ध कर देने का मुझे जान है। हमारे पास समय थोड़ा है। यदि इश थोड़े से समय में हम एक शक्तिशाली आन्दोलन का संगठन करना चाहते हैं, तो हमें अविलम्ब कर्म करना चाहिए।

१. मेहता और पटवर्धन द्वारा उद्दृत—वही, पृ० ६२।

## A STRANGER IN VENICE

apply it, with an equal sense of having said the correct thing, to the whole of fairy-land. Unreal, certainly, Venice seems. But her unreality is as of a dream, not as of any *décor* that could be devised by a showman. Often I felt afraid that I was actually dreaming. You know what it is to awake excited by the consciousness that a profound idea has just passed through your mind. You recapture it, and lo ! it's nonsense. Often in Venice I feared just such another disillusion. Impalpable Venice ! Frail vision ! Was I not presently to awake and find that I had been dreaming of—Brighton ? the whole delicate network of alleys, all these campi and campanili, would they not anon vanish, with the very archipelago from which they had been conjured, into the water or the air ?

I had often been assured that Venice was ' quite spoilt now.' And I daresay that for any one revisiting her after the lapse of many years there might be shocks. There are steamboats on the Grand Canal. There are cinematograph shows in the Ridotto. There are more factory chimneys than of yore, when you look back from the lagoon. Oh, yes ; the old friends of Venice find plenty to growl at. And I, twenty years or so hence, shall be growling with the best of them, no doubt, and wondering at the innocent rhapsodies of some newcomer. But he is likelier to be right than I. To one who has known and loved a place in past years, even improvements are offensive. Not that more steamboats and more factory chimneys would be an improvement. I regret, on principle, those which are already there. But I deny that they really matter. Such is Venice's beauty that things ugly in themselves do not stand out the uglier by contrast—they are absorbed into

परन्तु अब यह बात अच्छी तरह से जात है कि इस योजना के जन्मदाता लाडे मिष्टो ही थे।

एक सहानुभूतिपूर्ण वायमराय से प्रोप्राहन परं पर मुस्लिम शिष्ट-मण्डल के नेताओं ने ३० दिसम्बर, १९०६ को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की (भारतीय मुसलमानों के प्रथम साम्प्रदायिक राजनीतिक नगठन की) स्थापना की। इस मंगठन के प्रभुत्व उद्देश्य निम्न प्रकार लिखित है—

(१) भारतीय मुसलमानों में अपेक्षी सरकार के प्रति राजभक्षित बढ़ाना।

(२) भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक तथा अन्य अधिकारों को रक्षा करना, और उनको आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को नगर भाषा में सरकार के आगे रखना और

(३) यथासम्भव, (१) और (२) के अन्तर्गत उल्लिखित उद्देश्य में विना मरणे के मुसलमानों तथा अन्य भारतीय जातियों में मंत्री स्थापित करना।

१९०६ के मार्च-मिष्टो मुधारों में साम्प्रदायिक निर्वाचन आंगौकृत—साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रस्तुत पर मुस्लिम लीग का अपने जन्मकाल से ही बहुत हल्दर्भों का दृष्टिकोण रहा है। पृथक् निर्वाचनों और नौकरियों में उथादा हिस्से के लिए १९०६ में माव की गई और १९०६ में उम्मीदों द्वारा दूहराया गया। लाडे मार्चे इन मार्गों के विश्वास थे, उन्हें भी अपने अनुकूल करने के लिए शिष्ट-मण्डल दैगल्येंड भेजे गए। लाडे मिष्टो की मक्किय सहायता के द्वारा इस उद्देश्य में भी माफिता प्राप्त हो गई। राष्ट्र-वादी नेताओं ने इस नीति का पोर विरोध किया। रैमजे मंकडॉनल्ड के अनुसार कुछ दूरदर्भों भुसलमाल भी इस बात का अनुभव कर रहे थे कि यह कदम गलत दिशा की ओर उठाया गया है। उनमें से बहुतों ने इस योजना की कटु यालोनना की ओर कहा कि उनके कुछ नेता विदिश-व्यविकारियों के हाथों में कठ्ठुलभी की तरह नाच रहे हैं। परन्तु यह मारा विरोध निरर्थक सावित हुआ। भारत की राष्ट्रीय एकता को भंग करने पर तुले हुए विदिश अधिकारी टस ये गस नहीं हुए। उन्होंने १९०६ के इण्डियन कॉसिल्स एक्ट (मार्ले-मिष्टो-मुधार) में पृथक् निर्वाचन के सिद्धान्त को स्वीकार कर भारतीय राजनीति के भरीर में साम्प्रदायिक विष का इन्डेक्यान लगा दिया।

### ३५. साम्प्रदायिकता के उद्भव का सामाजिक-आर्थिक पहलू

प्रारम्भ में ही विदिश शासकों ने भारतीय समाज के एक वर्ग को दूर्घारे वर्ग से लड़ाया और इस प्रकार से अपने हित को सुरक्षित रखा। पहले-पहल उन्होंने मुसलमानों के मामन्ती और व्यावरायिक वर्गों की रिप्रिटेशन को पतनोन्मुखी करने के लिए हिन्दू पूंजी-पतियों और दुदिलोवियों को अपने कार्य-माध्यम में प्रयोग किया। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि श्रीब्रोगिक पूंजीपतियों की उन्नति हो रही है, तो उसे रोकने के लिए

## A STRANGER IN VENICE

in patches, and with the clear green water lapping and sapping their foundations. See how time has thinned with rust the iron bars of the windows, and with dust has thickened the cobwebs ! Soon it will be hard to know which are the bars, which the cobwebs. . . . I think it must have been there, in *this* palace, that lived that strange couple, the Misses Bordereau. Perhaps the younger Miss Bordereau is still living, still there. No, there can only be ghosts behind those shutters. See, on the walls yonder, that faint blur of colours—yellow and purple. Can it ever have been a fresco ? It can never have been lovelier. And yonder, see how blithely, among all this decay, the vine renews its youth ! But who will pluck the grapes ? Ghosts do not eat grapes.

Musing in some such wise, I would turn away from the parapet, and from the contemplation of sunlit death, and pass over into the shadows where life was. They are ravines, these alleys. The blue strip far overhead might be an awning, so very faint is the light down here. Coming straight from the sunshine, one can hardly see, and is apt to collide with the inhabitants. '*Piano, Signore,*' said an aged pedlar with whom I had clumsily collided. 'Who are you a shoving of ?' is of course what he ought to have said, and would have said had he received the advantage of an English education. But they are a quiet, soft-speaking lot, these poor Venetians. Even when they quarrel—a thing which they seem to do often, and with great intensity—it is a greater lesson in good manners than a breach of good manners to stand and watch them. Neither of the two parties to the quarrel raises his voice ; and neither interrupts the other : each takes his turn at reviling and listening. With the utmost velocity and variety of gesture

ही भारतीय राजनीति की इस जटिल समस्या का समाधान नहीं हो जाता। साम्राज्यिकता केवल एक राजनीतिक संघटना ही नहीं है, यह एक सामाजिक संघटना भी है। अंग्रेजों को एक मंषुक राष्ट्रीय चेतना के विकास को अवश्य करने के प्रयत्न में, भारत के सामाजिक-आधिक-जीवन के कठिपय तत्वों से भी सहायता मिली।

हिन्दुओं और मुसलमानों के विकास के भेदभाव—यह एक तथ्य है कि ब्रिटिश शासनान्तर्गत प्रशासन, अधिकार, वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्र में हिन्दू मुसलमानों से आगे बढ़ गए थे। यद्यनि यह हुमा दोनों जातियों वी अपनी-अपनी नीति के ही कारण कोई किसी के लिंकट दोषी नहीं था—परन्तु अंग्रेजों ने इस चीज़ में लाभ उठाकर, मुसलमानों को राष्ट्रीय आन्दोलन में सम्मिलित होने से रोकने की चेष्टा की। पर अधिक अहमद खाँ ने धूतं नौकरवाही के मोहक मंगीत को सुना और यह विश्वास कर लिया कि मुस्लिम जाति का हित काप्रेय के साथ मिलकर विदेशी माझाज्य को उखाड़ फेंकते में नहीं, अपितु ब्रिटिश सरकार को कृता कोर प्राप्त करते नहीं है। आत्मरक्षा की भावना ने मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार द्वारा भीख में डाले गए रोटी के टुकड़ों को सेने की ओर प्रेरित किया। सर सम्बद्ध अहमद खाँ ने अपने अनुयायियों से कहा—“सेना में हमें ऊचे पद मिलें, सरकार हमारी इस भाँग की ओर अवश्य ध्यान देगी। प्रातुरश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम ऐसा कोई कार्य न करें, जिससे कि सरकार को हमारी राज-भवित में किसी प्रकार का भी गन्देह हो।”

उपर राष्ट्रीयता और हिन्दू विचारपाठ। पर बल——१९वीं शताब्दी के अन्त में काशेंस के अन्तर्गत जिहा उद्यवादी पक्ष ने बहुत आधिक जोर पकड़ा, वह भी हिन्दू और मुसलमानों के बीच की भेदभाव की खट्टी को छोड़ा करने में महारक्त खिड़की द्वारा। तिलक, पाल, अरविन्द घोष और लाजपतराय आदि उद्यवादी भेता केवल प्रखर देशभक्त ही न थे, वे कट्टर हिन्दू भी थे। दग्धानन्द और विवेकानन्द की शिक्षामूर्ति का उन पर व्यापक प्रभाव पड़ा था, हिन्दू संस्कृति और हिन्दू धर्म के गौरव का बखान करते उनकी बाणी न थकती थी। हिन्दू संस्कृति द्वारा हिन्दू परम्पराओं के ऊपर इस प्रकार से बल देना मुसलमानों के लिए रुचिकर नहीं था। यही कारण है कि वे राष्ट्रीय आन्दोलन को बहुत कुछ शक्ति की इच्छा से देखते नहीं लगे। उन्होंने सोचा कि ब्रिटिश साम्राज्य को नष्ट कर देने का अभिप्राय हिन्दुओं के जास्तन की स्थापना करना है। यह सत्य है कि उद्यवादियों का कोई मंजुरित साम्राज्यिक लक्ष्य नहीं था, परन्तु ब्रिटिश नौकरवाही को राष्ट्रीय आन्दोलन का मिल्या भीति से बर्दन करने में या कठिनाई ही मजबती थी, जब कि ऐसा करने से उनका अपना स्वार्थ मिछ होता ही? उन्होंने मुसलमानों के खूब कान भरे। उन्होंने कहा राष्ट्रीय आन्दोलन का उद्देश्य हिन्दुओं की सर्वोच्चता की प्रतिष्ठापना करना है। कुछ तो मुसलमानों को स्वतः ही शक्ति थी,

## A STRANGER IN VENICE

Subjection, oriental subjection, is the note of these women. The men are orientally predominant. They carry themselves with a certain grave pride, in impressive contrast with the grave meekness of the women.

I do not say that these Venetians seem less happy than the people one sees in the streets of London. Indeed, despite the fact that they are not, as their ancestors were, rulers of the sea, disporting themselves in the centre of a tremendous and soul stirring empire, they seem to contrive somehow to look happier than we, who are so much in the movement. Often, passing through the streets of London, I have wondered what on earth the inhabitants would look like if they had no longer the thought of their pre-eminence to sustain them. Perhaps individual happiness is rather a matter of climate than of collective renown. The Venetians are despised by the rest of Italy as a feckless people. They have no industries. Some glass is made in Murano, some lace is made in Burano, but in Venice itself nothing is made, and no one seems to know what the factory chimneys are there for. The Venetians get a little out of the foreigners, and, for the rest, take in one another's washing, and trust to S. Mark. 'Parasiti' they are called by the rest of Italy. Yet they seem to respect themselves, and, in their way, in these quiet, dark, very clean alleys, seem to be rather an enviable than a despicable race. I took always great pleasure in passing among them, and then out again into a sudden burst of sunshine, and some new enchantment, and across another bridge, into the shadows of other alleys, or into the yet deeper, cooler shadows of San this or Santa that.

Venice plays havoc with one's sense of time, and I know not at all how many days of enchanted dawdling I had

के विभिन्न प्रान्तों से आए ३५ मुसलमानों का एक शिष्टमण्डल अक्टूबर, १९०६ में बायसराय से मिला और उसने साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की कड़ी मौग की जिसको कि बायसराय लाई मिण्टो ने सहयं स्वीकार कर लिया। तत्कालीन भारत मन्त्री लाई मालै इस नीति के विरुद्ध थे, वे संयुक्त निर्वाचनों और कुछ रक्षित स्थानों के पक्ष में थे, परन्तु लाई मिण्टो ने उन्हें अपनी बात पर राजी कर लिया। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग (स्थापित १९०६) ने पृथक्तावादी मौग को खालू रखा और कांग्रेस व कई दूरदर्शी मुसलमानों के विरोध के बाबजूद भी, १९०६ के मालै-मिण्टो सुधारों के अन्तर्गत, साम्प्रदायिक निर्वाचनों को भारत के ऊपर लाया कर दिया गया।

इस प्रकार साम्प्रदायिकता के उद्भव के लिए मुख्यतः अंग्रेजों की ही "कूट डालो और शासन करो" की नीति उत्तरदायी थी। तथापि वह भी स्मर्तंत्र है कि अंग्रेजों को इस नीति में जो रफलता प्राप्त हुई, उसका बहुत कुछ कारण लिटिश शासन के अन्तर्गत दोनों जातियों, हिन्दुओं और गुरुदलमानों का विषम विकास भी है। इससे मुसलमानों के हृदय में आत्म-रक्षा को भावना जागृत हुई। लिटिश शासकों ने मुसलमानों की इस भावना का लाभ उठाकर उन्हें राष्ट्रवाद के विरुद्ध लाखड़ा कर दिया। इसके अलावा कांग्रेस में जिस उम्म राष्ट्रीयता का विकास हुआ और जिसके नेता लिंक, विपिन चन्द्रपाल और लाजपत राय थे, वह भी राष्ट्रीय आनंदोलन से मुसलमानों को विमुख करने में सहायक हुआ। उक्त उम्म राष्ट्रीयता के नेता कहुर हिन्दू थे और हिन्दू धर्म तथा हिन्दू संस्कृति के नौरय का विवात करते न थकते थे। मुसलमानों ने समझा कि राष्ट्रीय आनंदोलन का उद्देश्य हिन्दू राज्य की स्थापना करना है। अंग्रेजों ने उनके खूब कान भरे और उन्हें बहकाया कि एस्लो-मुस्लिम हित परस्पर एकरूप है और इसलिए वे राष्ट्रवादियों के विरुद्ध हैं।

## A STRANGER IN VENICE

the romantic Venetian, a part of the magical land seascape , and they to me were ordinary English tourists, coming to Venice for the first time, with that in their eyes which had gone from mine      Yes, I would go away to morrow morning I would go to Padua And next morning I went

When I emerged from the railway station of Padua, I was confronted by three very strange and terrible monsters with gaping jaws I let my luggage be thrown, as a sop, to one of them, but I refused to be swallowed personally They were but hotel omnibuses But I had forgotten, in Venice, that such things existed I had forgotten what it felt like to drive I would rather walk

The way to the town was along a wide road with tram lines through a flat and barren landscape The road seemed to 'give' alarmingly at every step, so accustomed was I now to treading on marble

What was that tall, square brown building yonder? A factory, I supposed But why that large hole through it, from the ground upwards? And why did the building stand in the middle of the road? Because, as I presently realised, it was a gateway Whenever in the future I should look out from the window of a railway carriage on my way from London to the country, I should be able to imagine that the factories clustered near the line were Romanesque gateways, not hives of human drudgery

I passed quickly on What was this? Another gate way? No, this *must* be a factory No it was a church How oppressive it was, this vast, square surface of unfaced bricks, this sad thing that had stood for centuries unfinished, this amorphous, dead bulk! I passed quickly on Coming to a bridge, I paused, from force of habit, to gaze down

इसमें भी आगे वह गई। उसमें न केवल जातियों के ही लिए, अपितु विरादरियों और व्यवसायों के लिए भी पृथक् प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव किया। लाई मिण्टो स्वयं भी कांग्रेस के विरुद्ध एक उपमुक्त प्रतिभार (Counter weight) की तलाश में थे। इसने २८ मई, १६०६ के पश्च में उन्होंने लाई मार्ने को लिखा था, “कांग्रेस के उद्देश्यों के विरुद्ध एक प्रतिभार के विषय में मैं कछु समय से काफी सोच में रहा हूँ। मेरा विचार है कि एक राज परिपद् अथवा एक प्रिवी कॉमिल ने, जिसमें न केवल देशी नरेण ही, अपितु कुछ और वडे लोग भी सम्मिलित हो व जिसकी नंठक साल भर में एक बार, एक सप्ताह या एन्ड्रह दिन के लिए दिल्ली में हुआ करे, हम इस समस्या का समाधान पा सकते हैं।”<sup>१</sup> तथापि राज-परिपद् के विचार ने उम समय मूर्तरूप धारण नहीं किया। परन्तु जैसा कि हम विद्वाने अध्याय में देख चुके हैं लाई मिण्टो कांग्रेस के उद्देश्यों के विरुद्ध इसमें (राज-परिपद से) कही अधिक अविताजाली प्रतिभार का निर्माण करने में मफल हुए। यह यी मुस्लिम साम्राज्यिकता। १६०६ के मुघारों ने इस विद्वीज के मबद्दनार्थ पृथक् निर्वाचनों और प्रतिनिधित्व में गुरुभार के रूप में अच्छी-न्वासी खुराक दी। गंधेपत् इन मुघारों से ब्रिटिश सरकार के दो उद्देश्य सिद्ध हुए। एक और तो इन्होंने उदारवादियों में मेल करके उद्ग्रावादियों को दबाने की चेष्टा की। दूसरी ओर इन्होंने मुस्लिम पृथक्तावाद को दृढ़ करके भारत वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा का समुचित प्रबन्ध कर दिया।

### ३७. १६०६ के एकट के मुख्य उपचार

१६०६ का इण्डियन कौमिल्य एकट, जो कि कलिपय लेलकों की सम्मति में, भारतीय प्रशासन के इतिहास में एक सीमा-चिह्न था,<sup>२</sup> १६०२ के एकट से भवशम कुछ आगे बढ़ा हुआ था। इस एकट के भारीन कौमिलों के सदस्यों की सूच्या में बुद्धि की गई, प्रदनोत्तर के अधिकार को बड़ामा गेया और सदस्यों को बजटों के ऊपर प्रताव उपस्थित करने की धनमति मिल गई। ग्रान्टों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुत स्थापित किया गया।<sup>३</sup> नीचे इन बातों पर कुछ अधिक विस्तार से प्रकाश दाता जाता है।

१. लेडी मिण्टो—“इण्डिया, मिण्टो एण्ड मार्ले” पृ० २८-२९।

२. एम० आर० पालन्दे—“इण्डियन एडमिनिस्ट्रेशन” पृ० ३३।

३. सी० वाई० चिन्तामणि—“इण्डियन पालिटिक्स सिस थी म्युटिनी”

## A STRANGER IN VENICE

the Via Otto Febbraio. A strange setting for an old jewel —this street of big blatant shops with plate-glass windows! (In Venice all the shops had been so tiny, so modest.) My eye was caught by a break in these shops, and by what I took to be a small music-hall. It looked new and prosperous. I might go there this evening. . . . It was the university.

I turned down a side-street, under an arcade. All the side-streets seemed to be arcaded; and yes, they were picturesque; but how heavy, how coarse, in comparison with—no; it was not fair to make that comparison. I quoted to myself the last two lines of 'Venezia,' an emotional sonnet which I had once read in an American magazine:

Let other cities with each other vie,  
*Venezia is sui generis*

But you remember the little boy who was taken for a while to live with the fairies, and how hard and how vainly, when he came home again, he tried to forget them. I, too, had lived with the fairies.

I tried to kill time. But time is a hydra. For every quarter of an-hour that you kill, up crop several others. Would the sun never set? Would dinner-time never come?

I dined, at length, in a garish restaurant, with horrible *art-nouveau* figures of the months frescoed on the ceiling (twelve months in Padua!), and I bitterly thought of the morrow. The waiter advised me to visit the Teatro Garibaldi. There was a new piece by Signor Borsetti. I was in a mood to clutch at straws.

The curtain had not yet risen. But there was a preliminary

थे। बजट पर वाद-विचाद के अधिकार को कई प्रतिवर्त्ती के भीतर रखा गया। इसका परिणाम यह हुआ कि (केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा में) संनिक, राजनीतिक और प्रास्तीव विषयों को वाद-विचाद की परिधि से बाहर ही रखा गया। राजस्व के शीर्षकान्तर्गत टिकट, आगम युल, निर्वाचित कर और अदालतें, तथा व्यवके शीर्षकान्तर्गत प्रतिभाजना और अनिपूर्ति, कर्ज पर व्याज, धार्मिक व्यव और राज्य की रेतों आदि पर वाद-विचाद न किया जा सकता था।

(ब) सार्वजनिक हित के मामलों पर प्रस्ताव— व्यवस्थापिका-मभायों को मार्वजनिक हित के मामलों पर प्रस्ताव उपस्थित करने का अधिकार दिया गया। परन्तु इस प्रकार के प्रस्ताव को उपस्थित करने के अधिकार का होना न होना बराबर ही था। यदि ये प्रस्ताव व्यवस्थापिका मभा में पास हो जाने वाले भी उनका लागू किया जाना अवश्यमभावी न था। उन्हें केवल भिकारित ही समझा जा सकता था। इसके अलावा, यदि अध्यक्ष समझता कि असुक प्रस्ताव सार्वजनिक हित के अनुकूल नहीं पड़ता, तो वह उसे रोक सकता था।

(ग) प्रश्न और पूरक प्रश्न—१८६२ के एकट में प्रश्न करने का अधिकार स्वीकार कर लिया था। मालै-मिष्टो-मुधारो ने व्यवस्थापिका मभा के मदस्यों को पूरक प्रश्न करने का और अधिकार देकर उक्त अधिकार में वृद्धि कर दी। यदि किरी मदस्य को अपने मोलिक प्रश्न के उत्तर से सन्तोष न होता तो वह पूरक प्रश्न करके उत्तर के स्टॉकरण की माँग कर सकता था। तथापि सम्बद्ध कार्यकारिणी-परिषद् को इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वाध्य नहीं किया जा सकता था। अध्यक्ष को भी यह अधिकार था कि वह प्रश्नों को रोक दे।

कार्यकारिणी परिषदों में भारतीयों की नियुक्ति—१८०६ के इण्डियन कौरिल्य एकट के अनुसार भारतवानी सर्वमें पहली बार इण्डिया कौमिल और गवर्नर जनरल की कौमिल के सदरय नियुक्त किए जाने लगे। भारतवर्ष में नौकरसाही ने, इस सुधार का घोर विरोध किया। परन्तु लाड मिष्टों ने इस सुधार को दो कारणों से स्वीकार कर लिया। एक कारण तो सुधार के अस्वीकृत किए जाने पर भारतवर्ष में तीव्र आनंदीलन से सूत्रपात हो जाने का भय था। दूसरा कारण यह था कि प्रिटिश मिशन, मछ्डल ने इस सर्वमस्मति से पास किया था। उसके दबाव के कारण भी लाड मिष्टों ने इस सुधार को स्वीकार कर लिया ही उचित समझा। कलतः एम, पी० मित्हा को (वाद में लाड मिशन) गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी-परिषद् का विधि मदस्य नियुक्त किया गया। दो वर्ष पूर्व ग्रग्गत, १८०३ में दो भारतीयों को<sup>१</sup> भारत मन्त्री की कौमिल का

१. इनमें में एक हिन्दू (के० जी० गुप्त) और दूसरे मुसलमान (मय्यद हुमैन विनशामी) थे।

## A STRANGER IN VENICE

I laughed aloud to myself, remembering my solemn academic theory about the dangers of sufficiency. I laughed to think that I had solemnly acted on this theory—prig and fool that I had been ! Well, I had come to my senses. I could afford to laugh now. But why *wouldn't* the train go faster ?

At last we were crossing the lagoon. And presently I was quit of the railway station, and out on the canal. There were scarves of clouds across the moon, and Venice looked more than ever visionary in that faint twilight. I felt not as though I had come to her in her sleep, but as though she, a vision, had come to me in mine ; as though she, not I, were the ' revenant.' Was I truly awake ? Yes, it was Venice that was sleeping. And '*Piano, gondoliere,*' I said. '*Lentamente . . . Piano . . .*'

रोक सकता था। व्यवस्थापिका-भाएँ प्रत्याव गाम कर सकती थीं परन्तु उनका नामू किया जाना चिल्कुल आवश्यक नहीं। सरकार परि चाहती तो उन्हें ताक पर रख सकती थी। व्यवस्थापिका भभाएँ बजट पर वाद-विवाद कर सकती थी, परन्तु केन्द्रीय सरकारों या प्रान्तीय सरकारों की एक रुपए की भी आम या व्यय उनके नियन्त्रण में नहीं थी।”<sup>१</sup>

गैर-सरकारी घटुपत प्रभाव-शूभ्र था। गरकार को कानून पाग करने के निए व्यवस्थापिका भभा के अनमोदन की आवश्यकता होती थी, परन्तु इन प्रकार का अनु-भोदन प्राप्त करने में सरकार को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़ता था। सरकारी और मनोनीत गैर सरकारी भदस्यों में किसी प्रकार की फूट नहीं हो सकती थी। वे हमेशा सरकार का साथ देते थे अतएव कार्यस्थल में व्यवस्थापिका भभाओं में गैर सरकारी भदस्यों का उनका प्रभाव न हो सका, जितनी की नरम नेताओं को आवा थी। इस विषय में सन् १९१० में स्वर्णीय शोखने ने भारतीय व्यवस्थापिका भभा के सम्पुर्ण अपने विचारों को इन प्रकार प्रकट किया था—“मार्ई लार्ड, हम लोग इस बात में भलीभांति परिचित है कि जब सरकार किसी विषय में प्रयत्ना रास्ता निश्चित कर लेती है, तो गैर सरकारी भदस्य नाहे कुछ ही क्यों न कहे, वह अपने रस्ते में जरा भी नहीं हटती।”

**साम्प्रदायिक और विशेष निर्वाचन**—मार्टें-मिष्टो मुधार का गवर्से बड़ा दोष यह था कि उन्होंने माम्प्रदायिक-निर्वाचन को जन्म दिया। कालान्तर में इस विषय-क्षेत्र में भारतीय राजनीति के क्षेत्र में अत्यन्त विनाशकारी कार्य किया। जबाहरतान तरह के शब्दों में ‘हिन्दुस्तान के भविष्य पर यह एक अमर हालत बाली चीज थी। भविष्य में मुमलमान मिर्क पृथक् मुसलमान-निर्वाचन क्षेत्रों में ही खड़े हो सकते थे और चुने जा सकते थे। उनके भारों नरक एक राजनीतिक दीनार खड़ी कर दी गई और उनको बाकी हिन्दुस्तान में अलहदा कर दिया गया। इस तरह आपस में पुल-गिर कर एक ही जाने की वह प्रतिक्रिया जो गदियों ने जल रही थी और जो वैधानिक प्रगति से लाजिमी तौर पर तेज हो रही थी अब उनट दी गई। यह दीवार बुरू में छोटी-सी थी क्योंकि निर्वाचन-क्षेत्र मकुचित था। लेकिन जंमे-जंमे मताधिकार बढ़ता गया, यह दीवार बहुती गई और उम्मे मार्वजनिक और मामाजिक जीवन के मारे ढाँचे पर इस तरह अमर बड़ा, मानो मरे ढाँचे में गुन लग गया हो। इससे स्थुनिषिपल और स्थानीय स्व-गानन मंस्थायों में जहर फैला और आसिर में बेहद गलत रुग्न का विभाजन हुआ। काफी बाद पृथक् मुस्लिम अमिक भधों, विचार्यी मंथों और व्यापार मण्डलों की स्थापना

१. पात्राद्दे—“इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन”, पृ० ३६।

# THE SPIRIT OF CARICATURE

1901

LAST night, very vividly, I dreamed a most preposterous dream.

On the pillow'd verge of sleep, I had been propounding to myself an old vexatious question : Why is true caricature so rare and so unpopular in England ? The delicious art of exaggerating, without fear or favour, the peculiarities of this or that human body, for the mere sake of exaggeration —why can it not be naturalised among us ? A certain Italian artist did, indeed, in the late 'sixties, come and try to force it on us. Awhile, from him, we had true caricatures. We did not take kindly to them. We thought them offensive and 'not like.' The pressure of our English atmosphere gradually overbore that temerarious alien. Before the close of the 'seventies he had begun to draw caricatures of a mild and gentlemanly kind, suitable to the susceptibilities of a mild and gentlemanly nation. He was succeeded by one who frankly eschews the art of caricature, to the gratification of every one, and does always a charming portrait, with a playful touch adventured here and there if his sitter be not very eminent, nor very ugly, nor of noble birth. There are others—men of wit, accomplished draughtsmen—who design symbolical cartoons or make rough sketches with the purpose of ridiculing the members of one or other of the two great political parties. In them caricature comes of a moral impulse. It is not the sheer

नमस्कार कर देता ।<sup>१</sup> लाई माले की हृष्टि में यह तर्क कि चूंकि कनाडा में भी स्व-शासन की स्थापना लाभकार हुई है, अतः वह भारतवर्ष में भी लाभकार होगी, कोई अर्थ नहीं रखता था । तो ऐसे तर्क को विल्कुल बेहूदा और खतरनाक बताते थे । उनका मत था कि यह तर्क तो करीब-करीब ऐसा ही है जैसे कि यदि जाहे में कनाडा में फर्म-फोट की आवश्यकता हो, तो कोई जहू दे कि दक्षिण भारत में भी उराकी आवश्यकता होगी । इम प्रकार हम देखते हैं कि १८६१ में भारतवासियों को शासन कार्य में सम्मिलित करने की जिस नीति का शीगणेश किया था, १९०६ का एकट उसमें किञ्चित विस्तार-मात्र ही था । इस एकट के हारा विद्या सरकार ने अपनी ऐसी कोई नेप्टा प्रकट नहीं की, जिससे पता चलता हो कि वह भारतवासियों को भागना शासन आग करने का, स्वभाग्य-निर्णय का थोड़ा-सा भी अधिकार प्रदान करना चाहती है । इसके विपरीत इस एकट ने तो विद्या-सरकार के इसी द्वारा दो सूचित किया कि वह समस्त प्रतिगामी और अधिकृत स्वार्थों को अपनी ओर करके, उनकी मदद से, याप्तीयता की दण्डितपो का हनन करना चाहती है ।

## सारांश

१९०६ के इण्डियन कौसिल्स एकट (पाल्म-भिटो-मुधार) का निर्माण लाल-बाल-पाल के उपवाद के विकास और आतंकवादी दौर से उत्पन्न भारतवर्ष की राजनीतिक परिस्थिति का सामना करने की हृष्टि से हुआ था । इन सुधारों को पास करने में सरकार का उद्देश्य यह था कि काशेंग के नरम नेताओं को दुश्म कर दिया जाय, और साम्राज्यविकास को भावना को हड़ करके उच्चवाद और आतंकवाद की राजनीति शक्तियों को कुचल दिया जाय । उदाहरणादी नेताओं की वारस्या यों कि इन सुधारों के द्वारा कोसिलों में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों की स्वत्य वट जायगी । प्रारम्भ में तो इन सुधारों का नरम नेतायों ने सहर्ष स्वागत किया, परन्तु कुछ ही काल के उपरान्त यह हृण विपाद में बदल गया । इस एकट ने भुसलमानों, जमींदारों, उच्चीगपतियों और व्यापारियों के लिए पुश्कर निर्वाचनों की सुषिट की । इस प्रकार सुधारों ने एक हाथ से जो चीज दी, दूसरे हाथ से वही ले नी ।

नए एकट ने व्यवस्थापिका सभाओं के आकार और कार्यों-दोनों में वृद्धि कर दी । १९०६ के एकट ने १८६२ के एकट में निहित अप्रत्यक्ष चुनावों का छन्त कर दिया और प्रत्यक्ष चुनावों की परिपाटी को जग्म दिया । प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं में गैर-सरकारी भद्रस्थों का बहुमत स्थापित किया गया । १९०६ के एकट के प्रनुसार

१. कूपतंड द्वारा उद्दृत—“दी इण्डियन प्रॉब्लेम; १८६२-१९०५” पृ० २६ ।

## THE SPIRIT OF CARICATURE

with a view to my acceptance of the post. And here, sure enough, was the grey-bearded deputation approaching me. With the horrible impotence of the dream-stricken, I was unable to run away. Vainly I strove to warn them off. Vainly I was arguing with them. I was pointing out to them that Pellegrini was a great executant, that my own technique was so vague as to disqualify me for the honour thrust upon me. They replied that only the *spirit* of the caricaturist was essential, and that only in my work did it burn. Blushing, I demonstrated that the creative artist was the last person who should be employed as teacher. Able to do the trick himself, he had no pathetic desire to see it done by others. 'That's how it's done!'—the smiling conjuror's formula—was all he could vouchsafe. He had no enthusiasm for teaching. The sterile lovers of an art, they were the proper teachers of it. They wanted to see the trick done, and would see that it was done. 'Besides,' I added, 'they alone know *how* it can be done. The creative artist works by instinct. He knows not how, by what mystic secret of soul and hand, his work evolves itself. He does not care to know. He has no theories. He can formulate no rules. The conjuror could, if he would, lay bare his processes, but the artist, never. The only people who can show how to do things are the people who cannot do them' 'No doubt,' said the spokesman, 'but it is our national custom to appoint as teachers the artists who have done things. It inspires confidence. False confidence, no doubt; but still confidence.' 'Then,' I cried, 'our system of art schools is a sham; and I, for one, will not fatten on it.' 'It is a wholesome sham,' was the answer. 'The aim of our art schools is not (we admit this in confidence) to produce artists. Artists can be

## प्रथम महायुद्ध के बीच भारतीय राजनीति

### ३६ भारतीय राजनीतिक जीवन का शास्त्र स्वर

भारतीय राजनीति का शान्तिकाल—पालें-मिष्टो-गुधारों के उद्घाटन और तिलक तथा एनी बेमण्ट डारा प्रबलिन होग झन आन्दोलन के बीच के बर्पों में भारतीय राजनीतिक जीवन का ज्याह उतार पर था। इसका कारण यह नहीं था कि 'गुधारों' ने भारतवर्ष में लोकतन्त्रात्मक शासन का सूखात कर दिया हो और यहाँ के दैश-भक्तों को मन्त्रोप हो गया हो। असली बात यह है कि लोकरणाही तो इस तमय भी पहले की तरह बलवान थी और इन मुधारों के आधीन जिन परिषदों का निर्माण हुआ था, वे भी बाद-विवाद बलदों ने अधिक महत्व नहीं रखती थी। जनता के वे निर्वाचित प्रतिनिधि, जो कि इन परिषदों में पहुँचते थे, अब भी अपनी अमहायता को भावना का नियारण न कर पाते थे, वे मरकार की आनोचना कर मजते थे, परन्तु उसे नियन्त्रित नहीं कर मजते थे उनका विरोध निष्फल और निबंध थता। कूपलेंड का कथन है कि बहुधा गैर मरकारी दवाव कायंकारिणी के कार्यों को प्रभावित करता था, परन्तु इस बात को बहु भी स्वीकार करता है कि 'बहुधा का अभिप्राय मईव नहीं है' और 'प्रभाव को शासन नहीं वहा जा सकता।'

राजनीतिक दोष से उप्रवादियों का तिरोहण—इन युग की भारतीय राजनीति में जो निष्प्राणतानी आ गई थी, उसका मुख्य कारण यह है कि मूरल-विष्वेद (१६०७) के पश्चात् काशें की बागडोर पूरे तरीके से नरम दस बालों के हाथ में आ गई थी। तिलक माण्डले में निर्वासित कंदी का जीवन विता रहे थे। बगाल के बहुत-से उप्रवादियों को देश-निकाले की सजा दी गई थी। भरविन्द धोप ने राजनीतिक जीवन में मन्याम ग्रहण कर लिया था और अब वे पाण्डीपेरी में योग-साधन कर रहे थे। उप्रवादी नेताओं की अनुपस्थिति में काशें लगने वैपानिकवाद के पुराने ढरे पर चल पड़ी थी। इस काल में काशें का नेतृत्व गोपने, गेहता, गुरेन्द्रनाथ बैनर्जी, पं०मदनमोहन मासवीष और तेज बहादुर मन्नू जैसे उतार राद्रवादियों के हाथों में था। यद्यपि वे पालें-मिष्टो-गुधारों की दुर्बलताओं से दबगत थे, मान्यदायिक निर्वाचनों का उन्होंने मूलकर विरोध किया था, उन्हें लोकतन्त्र और राष्ट्रीयता, दोनों

## THE SPIRIT OF CARICATURE

about the futility of tuition by a creative person is really quite true. However, their reply (that the public loved such tuition) was equally true. So I need ask no one's pardon.

As people do sometimes make passionate demands for a thing without knowing at all what it is, I was not going to assume that my pupils knew the nature of true caricature. I was going to start with my definition : the art of exaggerating, without fear or favour, the peculiarities of this or that human body, for the mere sake of exaggeration. I was, then, going to deal with the two reasons for the unpopularity of such portraits—(a) the impression that they imply in their maker irreverence and cruelty, (b) the impression that they bear little or no resemblance to their originals. The second impression can hardly be cured. It is the result of inherent lack of imagination. Caricature, as I shall demonstrate anon, demands acute imagination from its beholders. The first impression may be gently argued away. A well-known art critic once chid me in print because I 'never hesitated to make a good man ridiculous.' Why should I? Caricature implies no moral judgment on its subject. It eschews any kind of symbolism, tells no story, deals with no matter but the personal appearance of its subject. Therefore, the caricaturist, though he may feel the deepest reverence for the man whom he is drawing, will not make him one jot less ridiculous than he has made another man whom he despises. To make the latter ridiculous gives him no moral pleasure . why should it give him any moral pain to make ridiculous the former ? He imports into his vision of the former nothing which is not there : why should he subtract any thing from his vision of the latter ? He portrays each

पण्डाल में प्रवेश किया, तब सम्मूणं सभा ने खड़े होकर उनका जयकार किया। सभा की कार्यवाही रोक दी गई और मुरेन्द्रनाथ देवनर्जि ने श्रिटिष्ठ साम्राज्य के प्रति कांग्रेस की राजभवित के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव उपस्थित किया।

तथापि कांग्रेस ने श्रिटिष्ठ-सरकार की अद्याप्ति सुधार देने की नीति था विरोध दबद नहीं किया। भारत की राजनीतिक प्रगति के प्रति श्रिटिष्ठ सरकार जिन उपेक्षा-वृत्ति से काम ले रही थी कांग्रेस ने उसकी निरन्तर कठोर आलोचना की। कांग्रेस ने स्वभाविक रूप से १९११ के भारत गरकार-पत्रक का स्वागत किया। इस पत्रक में प्रान्तीय शेष में स्व-शासन के गर्वः गर्वः विस्तार करने की सिफारिश की गई थी। कांग्रेस ने इस सिफारिश का निर्वचन इस प्रकार किया कि प्रान्तीय नरकारों के ऊपर नु केवल केन्द्र का नियन्त्रण कर होना चाहिए, वरन् भारतीय परिवदों वा नियन्त्रण वदना चाहिए। स्पष्ट है कि कांग्रेस ने कब उत्तरदायी शासन की भाषा में सोचना प्रारम्भ कर दिया था यद्यपि गोखले यह कहने के लिए तैयार थे कि उत्तरदायी शासन को प्राप्त करने की मजिल बहुत लम्बी और भारतवाही होगी।<sup>१</sup> परन्तु उन्होंने यह भी कहा कि इस दिया में पर उठाने के लिए यह उचित समय है। १९१३ में कांग्रेस ने यह मार्ग की कि भारतीय व्यवस्थापिका परिषद् में गैर सरकारी सदस्यों का और प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। उसने इस बात पर बल दिया कि प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदों का "कार्यकारिणी शासन के ऊपर प्रभावशाली नियन्त्रण होना चाहिए।"<sup>२</sup>

## ४० होमरूल-आन्दोलन

श्रीमती बीसेण्ठ—१९१४ में भारतीय राजनीतिक जीवन ने पुनः करवट बदली। अब तक भारतीय राजनीतिक जीवन सरकार की "दमत और गुप्तार की छुड़वा नीति"<sup>३</sup> के कारण जो निस्पद और निष्पालु पड़ा हुआ था, अब पुनः ग्रॅंगडाई लेकर उठ दैठा। १९१४ में तिलक घण्टे काशवास से छुटकारा पाकर स्वदेश वापस आ गए। इस समय उनकी लोकप्रियता का कुछ छिकाना नहीं था, वे भारतीय जन जीवन के हिय-हार बने दृए थे। उन्होंने तुरन्त ही नेशनलिस्ट पार्टी का पुनर्गठन करके उपराजियों में नव-प्राण फैक्ना प्रारम्भ कर दिया।

१. कूपलेण्ठ—"दी इण्डियन प्राव्हेंग" पृ० ४५।

२. श्रीनिवास शास्त्री—"रोलह गवर्नरेण्ठ फौर इण्डियन अफ्फर दी श्रिटिष्ठ फैलग" उपर्युक्त पुस्तक में उद्धृत पृ० ४५।

३. जी० एन० सिंह—बही, पृ० २६३।

## THE SPIRIT OF CARICATURE

If the sight of Pellegrini's Disraeli satisfied our hostility towards Disraeli himself, we should forgive him all. Indeed, does nothing of the kind happen? This theory of purgation has a dangerous charm for me. I have often been tempted to attribute the Romans' decline in faith to the fair statues of gods and goddesses imported from Greece by victorious generals. The extraordinary preponderance of ugly men among those who have shaped the world's history—may it not be due to the chance they gave to the contemporary caricaturists? No no; let me be sensible. Caricature never has had moral influence of any kind.

The 'chances' given by ugliness! Do not misunderstand this phrase. Do not mistake me to mean that there is any such thing as a 'good subject' or a 'bad subject' for caricature. There are obvious subjects and devious subjects. A short man is a more obvious subject than a tall man, for shortness is held to be in itself ridiculous, and thus the uninspired caricaturist will prefer to draw short men. Most caricaturists, being uninspired, have followed this line of less resistance; and thus has arisen the foolish convention of a head invariably bigger than its body. By the man in the street caricature would probably be defined as the art of putting a big head upon a little body. Indeed, so strong is the convention that it affected even Pellegrini, Daumier, and other masters. To you, thoughtful reader, I need hardly point out that in a caricature of a tall man the head ought to be not magnified but diminished. The big head convention would be all very well if caricature were no more than μίμησις τῶν φαιλοτέρων. But the true art of caricature is much more than that. The master of it never discriminates his sub-

में धीमती बीसेण्ट को कांग्रेस मंविधान में ऐसा संशोधन पास करवाने में, जिससे कि तिलक और उनके अनुयायी पुनः मंस्था में आ सकें, सफलता प्राप्त हुई। १६१६ में कांग्रेस के दोनों दलों में पुनरैक्य स्थापित हो गया।

तिलक और बीसेण्ट का सहयोग व कांग्रेस द्वारा आन्दोलन का अनुभोदन—एनीबीसेण्ट ने पहली सितम्बर, १६१६ को मद्राम में अधिल भारतीय होमरूल लीग ही स्थापना की। इसके छः मास पूर्व तिलक महाराष्ट्र होमरूल लीग की स्थापना कर दियी थी। इसका केन्द्र पूता था। तिलक ने एनीबीसेण्ट को पूरा सहयोग दिया और दोनों नेताओं ने अपने सामाज्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्त्त्ये-से-कर्त्त्या मिलाकर कार्य किया। दिसम्बर, १६१६ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में सुधारों की एक सामाज्य योजना की घोषणा की गयी। उन्होंने अपनी योजना को जनता ने सौकप्रिय बनाने के लिए होमरूल लीग के उद्देश्य करने का निश्चय दिया। तिलक और एनीबीसेण्ट ने इस यादशंका के लिए अनश्वक गति से कार्य किया।

होमरूल आन्दोलन के उद्देश्य—होमरूल आन्दोलन के प्रवर्तकों ने अपने आन्दोलन को, उसके उद्देश्यों और आवश्यों को अधिकाधिक लोकप्रिय बनाने के लिए अपूर्व उत्साह और प्रेरणा से कार्य किया। एनी बीसेण्ट के दैनिक पत्र “न्यू इंडिया” और साप्ताहिक पत्र “कामन बील” ने इस दिलाये विशेष नेवा की। होमरूल लीग ने वडे खड़ाके के साथ काम किया। धीमती बीसेण्ट ने सारे देश का ‘तूफानी’ दौरा किया अपने जोरदार भाषणों से जनता के अन्दर एक नई स्फुर्ति पैदा कर दी। वे भारतवर्ष को उसकी युग-युग व्यापी निर्दा से जगाना चाहती थी। “मैं भारत में वैतानिक का कार्य कर रही हूँ” उन्होंने घोषणा की “चीर सोने वालों को जगा रही हूँ ताकि वे उठ उठे और अपनी मातृभूमि के लिए कार्य कर सकें।” तिलक के पत्रों, दैनिक ‘केसरी’ और साप्ताहिक ‘मराठा’ ने भी महाराष्ट्र में उठकर प्रचार कार्य किया।

होमरूल आन्दोलन एक वैधानिक सघर्ष था। जिस समय यह चल रहा था, उस समय महायुद्ध जारी था, और भारत मुरक्का अध्यादेश भी क्रियाशील थे। आन्दोलन का यह उद्देश्य नहीं था कि सरकार को खायखाह परेशान किया जाए अथव उसके युद्ध प्रस्तरों में दाढ़ा डाढ़ी जाए। उन लो यह है कि एनीबीसेण्ट और तिलक दोनों ने ही भारतीयों को इन बात का परामर्श दिया था कि वे जर्मनी के खिलाफ सरकार की यामामध्य सहायता करें, परन्तु उन्होंने इस बात पर भी निर्णतर बत दिया कि स्वशासित भारत साम्राज्यवाद के लिए अधिक सहायक हो सकेगा। एनीबीसेण्ट ब्रिटिश-साम्राज्यवाद की शत्रु नहीं थी। उस समय उपरदल भ्रान्तिपथ की

## THE SPIRIT OF CARICATURE

perfect caricature (be it of a handsome man or a hideous or an insipid) must be an exaggeration of the whole creature, from top to toe. Whatsoever is salient must be magnified, whatsoever is subordinate must be proportionately diminished. The whole man must be melted down, as in a crucible, and then, as from the solution, be fashioned anew. He must emerge with not one particle of himself lost, yet with not a particle of himself as it was before. And not only must every line and curve of him have been tampered with—the fashion of his clothes must have been re-cut to fit them perfectly. His complexion, too, and the colour of his hair must have been changed, scientifically, for the worse. And he will stand there wholly transformed, the joy of his creator, the joy of those who are privy to the art of caricature. By the uninitiated he will not be recognised. Caricature, being so drastic in its methods, demands in its beholders a keen faculty of imagination, as I have said.

The perfect caricature is not a mere snapshot. It is the outcome of study, it is the epitome of its subject's surface, the presentment (once and for all) of his most characteristic pose, gesture, expression. Therefore I should not advise any young caricaturist (however quickly perceptive) to rely on one sight of his subject. On the other hand, let him not make too long a delay, inasmuch as too great familiarity blunts impressions. There is another golden rule, which, if he be worth anything at all, he will know without being told it—he must never draw 'from the model'. While he looks at the model, he is bound by the realities of it. He sees everything as it is. He cannot suborn his pencil to magnify or diminish the proportions, to add or abate one jot. In fact, he cannot begin to carica-

नाम की प्रेरणा आधरलैण्ड के स्वतन्त्रतान्संघाम से प्राप्त हुई थी।

नौकरशाही का इमनचक और एनीबीसेण्ट को नजरबन्दी—१६१० में होमरूल आन्दोलन अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। यद्यपि यह आन्दोलन विशुद्धतः वैधानिक था और उसके नेताओं ने इस आन्दोलन को व्यारक बनाने में शान्तिपूर्ण उपायों का ही अवलम्बन किया, परन्तु फिर भी इसके प्राणवान् प्रचारान्धर्पे ने जनता के बीच एक नूतन हलचल पैदा कर दी। सरकार इससे घबरा उठी और उसके आन्दोलन को कुचल डालने का निश्चय किया। जिनका और एनीबीसेण्ट के कार्यकार्यों के ऊपर कई कठोर प्रतिबन्ध लगा दिए गए। १११६ में तिलक ने कहा गया कि वे साल भर तक विलकुल शान्त रहें। उनको कुछ भारी जमानतें जमा करने का भी आदेश दिया गया। परन्तु बाद में जब तिलक को और से हाईकोर्ट में अपील की गई, तब इस आदेश को बांगा से लिया गया। होमरूल-प्रचार को रोकने के लिए दमनमूलक प्रेस एक्ट का खुलकर प्रयोग किया गया। श्रीमती बीसेण्ट ने, जिनका 'न्यू इंडिया' नामक दैनिक और 'कामन-बील' नामक साप्ताहिक पत्र, होमरूल आन्दोलन का लूट घड़ते से प्रचार कर रहा था, प्रेस और पत्र के लिए २०,००० रुपी जमानत माँगी गई और वह जब्त भी कर ली गई। परन्तु इन दमनकार्यों से आन्दोलन दबा नहीं, नह और प्रचार हुआ। १६१० के प्रारम्भ में साईं पेटलैण्ड की सरकार ने "सरकारी आधारपत्र न० ५४६ के अनुमार विद्यार्थियों को राजनीतिक आन्दोलन में भाग सेने गे रोक दिया।"<sup>१</sup> होमरूल की उभायों ने उपस्थित होना उनके लिए बर्जित कर दिया गया।<sup>२</sup> सरकार का दमनचक उस भ्रष्ट अनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया जबकि तिलक को पंजाब और दिल्ली में प्रवेश करने की मनाही कर दी गई और श्रीमती बीसेण्ट को उनके दो घनिष्ठ सहयोगी जी० एस० एरेंडेल और जी० पी० वाडिया सर्हित नजरबन्द कर दिया गया। सरकार ने तो समझा कि श्रीमती बीसेण्ट की गिरफ्तारी भे होमरूल आन्दोलन छप्पा पड़ जाएगा, परन्तु नतीजा इसका विलकुल उल्टा हुआ। इसने "देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक विशेष और रोप का तूफान खड़ा कर दिया। सारे देश में श्रीमती बीसेण्ट की नजरबन्दी के विरोध में भभाएं हुईं। वे राष्ट्रीय नेता जो कि अब तक होमरूल आन्दोलन से असंग रहे थे, होमरूल लीग के नायक हो गए और उन्होंने उसमें उत्तरदायी वर्गों को सम्भाला।<sup>३</sup> एनी बीसेण्ट के दुष्कारे के लिए नारे देश में प्रचार आन्दोलन हुआ। तिलक ने गत्याशह तक प्रारम्भ करने का प्रस्ताव किया। परन्तु घटनाचक बड़ी तेजी से घूमता

१. जी० एन० रिह—वही प० २६६।

२. जी० एन० रिह—वही प० २६६।

## THE SPIRIT OF CARICATURE

surface, with the simplest means, most accurately exaggerates, to the highest point, the peculiarities of a human being, at his most characteristic moment, in the most beautiful manner.

Looking back at what I have written, I do really think that my inaugural address to those phantom students might have been illuminative. I am almost sorry that I have materialised it in this essay. So much knack of exposition and ratiocination as it betrays inclines me to doubt whether my creative power in caricature can be quite so strong as I had supposed. However. . .

भारतीय मुसलमानों के बीच त्रिटिय विरोधी भावनाएँ उत्पन्न कीं। ये भावनाएँ युद्ध के बीच और भी प्रवल हो गई जबकि टर्की ब्रिटेन और उसके मिशनरार्यों के विरुद्ध लड़ा। जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं—‘अन्तिम घंटी हुई मुस्लिम कांग्रेस के समाप्त हो जाने का सतरा उत्पन्न हो गया था, उसके विवास का मुहूर आधार आंदोलन हो रहा था।’<sup>१</sup> ब्रिटेन इस्लाम के ग्रन्थ के रूप में प्रकाश हुआ और उसने देशभक्त मुस्लिम-मस्लिकों को उत्तेजित करना प्रारम्भ कर दिया। एक और कारण जिसने कि नाम्प्रदायिकता को रोका और भारतीय मुसलमानों को कांग्रेस के नजदीक ला दिया, यह था कि कांग्रेस के प्रति सरकारी रूख में पतिवर्तन हो गया। यद्यपि मौलें-मिष्टो-मुझारों में कतिपय दोष थे, फिर भी कांग्रेस उन्हें कार्यान्वित करने की यथाधिकता लेण्ठा कर रही थी। नए गवर्नर जनरल लाईं हार्डिंग का कांग्रेस के प्रति सहानुभूति पूर्ण ट्रिटिकोण था लाईं हार्डिंग की मेल-जोल की नीति का फल यह हुआ कि मुस्लिम पृथक्-ताबाद में पहले का-सा जोर नहीं रहा और वह धीमा पड़ गया। इसके अलावा १९११ में बंग-भंग को रद्द कर दिया गया। इसने मुसलमानों के ऊपर बहुत अवश्य डाला। सरकार ने बंग-भंग को रद्द करने का निर्णय करने से पूर्व मुसलमानों से परामर्श तक भी नहीं किया, फलतः ने अत्यन्त रुप्ट हुए, ग्रंथेज़ों की नेकनीयती में उनका जो विचार था, उनकी जड़ें हिल गईं। इस आंदोलन का फल यह हुआ कि मुसलमान भी राष्ट्रीय आंदोलन में शरीक हो गए।

नए नेताओं का प्रभाव—अबुल कलाम आजाद—मुस्लिम राष्ट्रवाद के उत्कर्ष का तीमरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण अबुल कलाम आजाद, अली-बन्धुओं, मोहम्मद अली जिना, डा० अन्नारी और हकीम अजमल खाँ जैसे नए नेताओं का प्रभाव था। अबुल कलाम आजाद उस समय नवयुवक ही थे। उनकी गम्भीर विद्वत्ता और भारत में वाहर की इस्लामी दुनिया के ज्ञान की सर्वत्र धाक जमीं हुई थी। ‘उन लड़ाइयों ने जिनमें टर्की घिर गया था, उनकी गहरी रुचि और साहानुभूति को उत्तेजित किया। फिर भी उनका रास्ता पुराने मुस्लिम नेताओं के रास्ते से भिन्न था। उनके व्यापक और चुनियगत ट्रिटिकोण ने उन्हें पुराने नेताओं के समर्त्ती, सकुचित धार्मिक व पृथक्-बादी ट्रिटिकोण में अलग रखा और उन्हें गिर से पैर तक भारतीय राष्ट्रवादी बना दिया था।’<sup>२</sup> १९१२ में अबुल कलाम आजाद ने उर्दू मास्ताहिक ‘अल-हिलाल’ को प्रकाशित करना प्रारम्भ किया। इस पत्र का जीवन संक्षिप्त परन्तु ‘ऐतिहासिक’ रहा। जबकि मुस्लिम सींग आरम्भ हुई, अबुल कलाम आजाद उसके सदस्य थे। मुस्लिम सींग

१. जवाहरलाल नेहरू—“दी डिस्कवरी ऑफ इण्डिया” पृ० २८६।

२. जवाहरलाल नेहरू—“दी डिस्कवरी ऑफ इण्डिया” पृ० २८६।

स्वराज्य को अपना व्येष घोषित कर दिया। इस भवय प्रागा खीं मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। वे लीग की राष्ट्रवादी विचारधारा को प्रमद नहीं करते थे। १९१२ में उन्होंने लीग की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया। मुस्लिम लीग की बागडोर मोहम्मद अली जिना के हाथों में आ गई।

मोलाना शिवली मोहानी—मोलाना शिवली मोहानी उच्चकोठि के राष्ट्रवादी थे और सर सम्बद लीं के महायोगी रह भुके थे। बाद में सर सम्बद अहमद सर्सा साम्प्रदायिकता की ओर भुक गए और उन्होंने मुमलमानों को राष्ट्रीय आन्दोलन से पृथक रखने की चेष्टा की। मोलाना शिवली मोहानी को सर सम्बद अहमद लीं वी यह भीति विलकूल प्रसन्न नहीं आई। उन्होंने इसकी कठोर आलोचना की। वे कहा करते थे कि मुमलमानों को राष्ट्रीयता की मुद्य भारा में पृथक् रखने के लिए नौकरशाही ने सर सम्बद अहमद लीं के नाम का अनुचित उपयोग किया है। भारतीय मुसलमानों के थीच राजनीतिक जागृति का विकास करने के लिए उन्होंने अपनी नेतृत्वी के द्वारा राष्ट्रीय महायज्ञ में जो आदुति दी, उसके कारण भारत की राष्ट्रीयता के इतिहास में उनका नाम मद्देन्द्र अमर रहेगा।

लीग-कांग्रेस सहयोग की ओर—उत्तर कांग्रेस नेताओं ने मुस्लिम लीग की इस नई प्रृति का हार्दिक स्वागत किया। १९१३ के अपने अधिवेशन में कांग्रेस ने लीग के स्वराज्य के नूतन व्येष की मुक्तिकांड में सहाहना की। इस्लामी विद्व वे प्रति अपनी मद्दावना का परिचय देने के लिए कांग्रेस ने टर्की और फारस की स्थिति के सम्बन्ध में गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुए एक प्रस्ताव पाठ किया। अब यह प्रतीत होते लगा था कि भविष्य में कांग्रेस और लीग मिल-जुल कर कार्य करेंगी और गामान्य राजनीतिक लक्ष्य को हस्ताप्त करने के लिए डटकर नष्ट करेंगी। १९१४ के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में राष्ट्रवादी भुमलमानों का प्रभाव संलक्षण था। इस अधिवेशन में हिन्दुओं और मुमलमानों के थीच मद्दाव कायम रखने की आवश्यकता पर विशेष वल दिया। हिन्दू-मुस्लिम एकता के बढ़ते हुए चिह्नों को देखकर आम्ल-भारतीय समानारपन ध्वरा उठे।<sup>१</sup> परन्तु यह थेठ कार्य लगा नहीं, वरावर नलता रहा और राष्ट्रवादी नेता इस बात के लिए निरन्तर प्राणपरण से चेष्टा करते रहे कि हिन्दू-मुस्लिम एकता दिन दूनी रात चौमुनी वहे और हिन्दू तथा मुमलमान दोनों मिलकर भारतीय राजनीतिक लक्ष्य की ओर यक्षितात्मी पग उठाएं तथा एक ऐसे महान् भारत का

१. एनी बीसेंट ने एक आम्ल-भारतीय समाचार-पत्र के निम्न लेख को उद्धृत किया है—“ये लीग दोनों जातियों को यहाँ एक करना चाहते हैं, यदि यह उन्हें एक करना भास्तु के विरुद्ध नहीं है?” “हॉउ इडिया रॉइट फार कीडम, पृ० ३३।”

and he had all the modern schools of France at his finger-tips. He was a good Latin scholar, too, though ~~in health~~ had curtailed his schooldays, and he had practically had to teach himself all that he knew. His conversation had always the charm of scholarship. Though not less modest than are most young men, he had strong opinions on most subjects, and he expressed himself with clear precision, and with wit. But he had not the physical strength which is necessary to the really great or inspiring talker. With him, there was always the painful sense of effort. I remember an afternoon I spent with him, at his house in Cambridge Street, soon after *The Yellow Book* was started. He was in great form, and showed even more than his usual wit and animation, as he paced up and down the room, talking, with all his odd, abrupt gestures, about one thing and another, about everything under the sun. I am a very good listener, and I enjoyed myself very much. Next day I heard that his mother and his sister and a doctor had been sitting up with him till daybreak. He had been seized, soon after I had left, with a terribly violent attack of haemorrhage, and it had been thought, more than once, that he could not live through the night. I remember, also, very clearly, a supper at which Beardsley was present. After the supper we sat up rather late. He was the life and soul of the party, till, quite suddenly, almost in the middle of a sentence, he fell fast asleep in his chair. He had overstrained his vitality, and it had all left him. I can see him now, as he sat there with his head sunk on his breast: the thin face, white as the gardenia in his coat, and the prominent, harshly cut features; the hair, that always covered his whole forehead in a fringe and was of so curious a colour—a kind of tortoiseshell; the narrow,

भारतीय राष्ट्रवाद की एक वहूत बड़ी विजय कहा गया है।<sup>१</sup> परन्तु यह वात मर्दवा मत्य नहीं है। यह टीक है कि लखनऊ-पैकट हिन्दू-मुरिलम एकता का प्रतीक था। वह इस वात का शोतक था कि मुरिलम नीग और काश्मेर माथ-माथ मिल कर स्व-जासन के लक्ष्य की ओर एक ठोम कदम उठाएँगी। एक आवाज के माथ कौशिंस और नीग ने “यह मांग की कि “माझाज्य के पुनर्जग्नन में भारतवर्ष की परावीनता की देढ़ी से ऊपर उठाया जाकर आत्म-यासित उरनिवेजों की भाँति भाज्याज्य के कामों में बराबर का हिस्सेदार बनाया जाय।”<sup>२</sup> इसमें कोई बदेह नहीं कि यह एक ऊँची मफजलता थी, परन्तु कांग्रेस ने साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार करके राष्ट्रीयता की वहुमूल्य आद्वति दी। यंगाल और पजाव में मुमलमान वहुमन में थे। वहाँ उनके लिए ५०% और ५२% स्थान स्वीकार किए गए। इनके विपरीत जिन प्राच्छों में मुमल-मानों का अन्वयन था, वहाँ भी उनके माथ विशेष रियायत की गई, उन्हें वहूत अच्छा प्रतिनिधित्व दिया गया। २०००० में मुमलमानों की जनमंस्का १४% ही थी, परन्तु उन्हे ३०% स्थान दिए गए। मद्रास में उनकी जनमंस्या के बल ६.१५% थी परन्तु उन्हे १५% स्थान दिए गए। जहाँ तक केन्द्रीय व्यवस्थापिका भासा का मम्बन्ध है, निर्वाचित स्थानों का एक तिहाई भाग पृथक् मुस्लिम निर्वाचिन-क्षेत्रों के लिए नियम रखा गया। स्टैट है कि मुस्लिम नीग ने काफी बहुगो मूल्य पर भौदा किया था। यह टीक है कि मुमलमानों को भावारण निर्वाचन थेवों में मतदान देने का अधिकार छोड़ा गया। मालै-मिष्टी मुधारों के धनीन उन्हे यह लाभ प्राप्त था। परन्तु इसका और भी नुरा परिणाम हुआ हिन्दुओं और मुमलमानों के बीच भेद की दीवार बराबर ऊँची उठती गई। इन प्रकार पृथक् निर्वाचिनों तथा नाम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को स्वीकार करने व मुमलमानों के लिए दूसरे मत के उत्तरों को प्राप्त करने में काश्मेर ने “परिणामों का विचिन्भाष्म भी विचार न करते हुए बायं किया।<sup>३</sup> काश्मेर ने मुमलमानों को जो रियायतें दी, विट्टन सरकार ने उन्हे मोट्टोड तुधारों का आधार बना लिया। परन्तु लखनऊ पैकट में भारत के लिए स्वतन्त्रता डोमीनियमों की तरह जिन प्रस्थिति की मांग की वर्द्दी थी उसकी ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा पैकट में जहाँ यह कहा गया था कि व्यवस्थापिका भास्यों में निर्वाचित प्रनिनियमों का बदुमत होना चाहिए, वहाँ इस वात की कोई व्यक्तस्था नहीं थी कि कल्यांकासिंगी को इन वहुमनों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

१. उन्नर्युक्त पुस्तक पृ० ५०।

२. गंवट की प्रस्तावना—“काश्मेर इबोल्पूदान” पृ० १३-१८

३. गंरेट—“एन इण्डियन कमेंट्री” पृ० १३६।

## AUBREY BEARDSLEY

unknown artists were reproduced. One was a large head of Mantegna, by Philip Broughton ; the other, a pastel-study of a Frenchwoman, by Albert Foschter. Both the drawings had rather a success with the reviewers, one of whom advised Beardsley 'to study and profit by the sound and scholarly draughtsmanship of which Mr. Philip Broughton furnishes another example in his familiar manner.' Beardsley, who had made both the drawings and invented both the signatures, was greatly amused and delighted.

Meanwhile, Beardsley's acknowledged drawings produced a large crop of imitators, both here and in America. Imitators are the plague to which every original artist is exposed. They inflict the wounds which, in other days, the critics were able to inflict. With the enormous increase of the Press and the wide employment of ignorant and stupid writers, bad criticism has become so general that criticism itself has lost its sting, and the time when an artist could be 'snuffed out by an article' is altogether bygone. Nowadays, it is only through his imitators that an artist can be made to suffer. He sees his power vulgarised and distorted by a hundred apes. Beardsley's *Yellow Book* manner was bound to allure incompetent draughtsmen. It looked so simple and so easy—a few blots and random curves, and there you were. Needless to say, the results were appalling. But Beardsley was always, in many ways, developing and modifying his method, and so was always ahead of his apish retinue. His imitators never got so far as to attempt his later manner, the manner of his *Rape of the Lock*, for to do that would have required more patience and more knowledge of sheer drawing than they could possibly afford. Such a design as the '*Coffing*' which

रही है।<sup>१</sup> आत्म-निर्णय के सिद्धान्त को प्रवचापित किया गया और लाइड जार्ज ने धोपणा की कि उसे "ट्रोयिकल देशों में भी लागू किया जाएगा।" उनके पूर्ववर्ती लार्ड एस्टवर्थ ने धोपणा की थी कि भविष्य में भारतीय समस्या को "एक नए हाप्टिकोए से देखना पड़ेगा।" भारतीयों ने इन धोपणाओं को विलकुल निष्कपट भाव से प्रहरण किया, उनको यह दृढ़ विश्वास हो गया था कि युद्ध का प्राप्त होने पर भारतवर्ष में वैधानिक उन्नति के एक नूतन युग की सुषिट होगी।

**लार्ड चेम्सफोर्ड और सुधार-योजनाएँ—** १६१६ में लार्ड चेम्सफोर्ड भारतवर्ष के गवर्नर-जनरल बन कर आए। उन्होंने पद प्रहरण करने के तुरन्त बाद ही यह धोपणा की कि ग्रिटिंग ग्रामन का उद्देश्य भारतवर्ष में स्व-शासन वी स्थापना करना है। दुर्भाग्यवश, वे अपने आई० सौ० एस० सलाहकारों के हाथों में थे और उनकी कार्य-कारिणी-परिपद ने जिस सुधार-योजना को तैयार किया, "उसकी प्रत्येक पंक्ति के ऊपर 'भीस्ता' शब्द लिखा हुआ था।" इस ममत भारतीय राजनीतिज्ञ भी ऐसी योजनाएँ तैयार करने में व्यस्त थे जिनके अनुमार कि भारतवर्ष को एक सारभूत गत्वा में स्व-ग्रामन प्राप्त हो सके। इन योजनाओं में एक योजना '१६' का आवेदन-पत्र था।<sup>२</sup> इस योजना को मान्माज्यीय व्यवस्थापिका सभा के भारतीय सदस्यों ने तैयार किया था।

**बाइक्टीन मेनोरेण्टम—'**'१६' के आवेदन पत्र के ऊपर जिन मुप्रतिष्ठित व्यक्तियों के हस्तादार थे, उनमें, प० मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना और तेज बहादुर मन्त्र भी सम्मिलित थे। दूसरी बातों के साथ-ही-साथ आवेदन-पत्र में द्वारा बात का भी प्रस्ताव किया गया था कि प्रान्तीय और मान्माज्यीय सभी कार्यकारिणी-परियों ने आधी गंभीर भारतीय गदरयों की होनी चाहिए, भारतवर्ष की सभी व्यवस्थापिका सभाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों का सारभूत बहमत होना चाहिए, जमता के मतदान के अधिकार को विस्तृत कर देना चाहिए, अल्पसंख्यक वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए, भारत मन्त्री की परिपद को समाप्त कर देना चाहिए, प्रान्तीय क्षेत्र में स्वायत्ता की स्थापना होनी चाहिए, और भारतवर्ष को स्थानीय स्व-

१. कूपरेंड—“दो इण्डियन प्राविष्टम, १८३३-१८३५” प० ५२।

२. डिप्पणी—१६१५ में एक सुधार-योजना मद्रास के मवर्नर लार्ड विलिमडन के आदेशानुमार गोखले ने तैयार की थी। यह प्रत्येक जो कि गोखले के राजनीतिक 'टस्टामेट' के नाम में प्रस्ताव हुआ, अगस्त, १६१७ में प्रकाशित किया गया। इसका मुख्य व्यंद यह था कि प्रान्तीय सरकारों को रवायतसत्ता प्राप्त हो और वे केन्द्रीय नियंत्रण से स्वतन्त्र हों। इन योजना में कार्यकारिणी के व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व के प्रमाण को नहीं लिया गया था।

## AUBREY BEARDSLEY

bodily sufferings he underwent. Almost to the very last he was full of fresh schemes for work. When, at length, he knew that his life could but outlast a few more days, he awaited death with perfect resignation. He died last month, at Mentone, in the presence of his mother and his sister.

Thus ended this brief, tragic, brilliant life. It had been filled with a larger measure of sweet and bitter experience than is given to most men who die in their old age. Aubrey Beardsley was famous in his youth, and to be famous in one's youth has been called the most gracious gift that the gods can bestow. And, unless I am mistaken, he enjoyed his fame, and was proud of it, though, as a great artist who had a sense of humour, he was perhaps, a little ashamed of it too, now and then. For the rest, was he happy in his life? I do not know. In a fashion, I think he was. He knew that his life must be short, and so he lived and loved every hour of it with a kind of jealous intensity. He had that absolute power of 'living in the moment' which is given only to the doomed man—that kind of self-conscious happiness, the delight in still clinging to the thing whose worth you have only realised through the knowledge that it will soon be taken from you. For him, as for the schoolboy whose holidays are near their close, every hour—every minute, even—had its value. His drawing, his compositions in prose and in verse, his reading—these things were not enough to satisfy his strenuous demands on life. He was himself an accomplished musician, he was a great frequenter of concerts, and seldom, when he was in London, did he miss a 'Wagner night' at Covent Garden. He loved dining out, and, in fact, gaiety of any kind. His restlessness was, I suppose, one of the symptoms

भागों में बाठ दिया जाए, भव्यात् भरक्षित विभाग तो कार्यकारिणी परियोगों के हाथों में रहें और वे केवल गवर्नर के प्रति ही उन्नरदायी हों। इसके विपरीत हम्मातरित विभाग जनता द्वारा निवाचित प्रतिनिधियों के हाथों में हों और वे व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हों। इश्यूक आवेदन-पत्र और राउण्ड टेबिल श्रृङ्‌प को निकारिये ही माटेग्यू-चैम्बर कोई सुधार योजना की मूलगत्व वनी और १६१६ का भारतीय-प्रामन मध्यमी एकट भी मुख्यतः इन्हीं के कारण घोषित था।

भारत-सचिवी के पद पर माटेग्यू को नियुक्ति—प्रथम महामुद्र के अमाने में मैनोपोटामिया में युद्ध का प्रबन्ध द्वच्छा नहीं रहा था। इस अवसरे में इग्नेंश द्वी लोक-भ्रमा में एक बहुत जीरदार वहम हुई। वहम में मिं० माटेग्यू ने मिं० यामिन चैम्बर लैन को, जो कि भारत मन्त्री थे, चुरी तरह आडे हाथों इमलिए निया कि मैनोपोटामिया में साम्राज्य तथा निपाही न पहुँचने के फलस्वरूप ही पह मडवडी हुई थी। इनी के परिणामस्वरूप मिं० चैम्बर लैन ने अपने पद से डस्टीका दे दिया और उनके मृणाल पर मिं० माटेग्यू १६१६ में भारत आ चुके थे और यहाँ उनको बढ़ी प्रतिष्ठा थी। उन्हें भारत का मूल्या युभाकाशी समझा जाता था। भारतवर्ष के प्रति मिं० माटेग्यू के हृदय में अग्राय सहानुभूति थी। मिं० माटेग्यू का भारत मन्त्री द्वारा दिया जाता भारतवर्ष ने असभी एक बहुत बड़ी विजय नमझी।" मिं० माटेग्यू का कथन था कि हमें भारतवर्ष पर वहाँ की जनता की महमति भे जामन करना चाहिए। स्वभावतः ऐसे राजनीतिकी की भारत मन्त्री के पद पर नियुक्ति होने ने भारतीयों के हृदयों में ढाँची-जँची आगाएँ जागृत हो गईं।

२० अगस्त, १६१३ की घोषणा—भारत मन्त्री के पद का कार्य-भारत मध्हालने के कुछ ही समय बाद २० अगस्त, १६१३ को मन्त्रि-मण्डल की ओर से, मिं० माटेग्यू ने निम्नलिखित घोषणा की—"मझाद् भरकार की यह नीति है, और उसमें भारत भरकार पूर्णतः गहमत है, कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का भभर्क उत्तरोत्तर बढ़े और उत्तरदायी शासन-प्रणाली का धोरे-धोरे विकास हो, जिनमें कि अधिकाधिक प्रगति करते हुए स्व-शासन-प्रणाली भारत में स्थापित हो और वह विटिज साक्रान्ति के एक घण के रूप में रहे। उन्होंने यह तथ कह लिया है कि इस दिन में, जितना थीध हो ठोक हृप में कुछ कदम आगे बढ़ाया जाए।" घोषणा में यह भी कहा गया था "इस नीति में प्रगति क्लमणः ही अर्थात् सीढ़ी-दर-भीड़ी होंगी। विटिज भरकार और भारत भरकार ही जिनके ऊपर कि भारतीयों के हिन और उन्नति का भार है, इस बात की नियुक्ति होंगी कि कव और कितना कदम आगे बढ़ाना चाहिए।"

मिं० माटेग्यू की भारत-यात्रा—२० अगस्त, १६१३ की घोषणा का भारतवर्ष

## AUBREY BEARDSLEY

bodily sufferings he underwent. Almost to the very last he was full of fresh schemes for work. When, at length, he knew that his life could but outlast a few more days, he awaited death with perfect resignation. He died last month, at Mentone, in the presence of his mother and his sister.

Thus ended this brief, tragic, brilliant life. It had been filled with a larger measure of sweet and bitter experience than is given to most men who die in their old age. Aubrey Beardsley was famous in his youth, and to be famous in one's youth has been called the most gracious gift that the gods can bestow. And, unless I am mistaken, he enjoyed his fame, and was proud of it, though, as a great artist who had a sense of humour, he was perhaps, a little ashamed of it too, now and then. For the rest, was he happy in his life? I do not know. In a fashion, I think he was. He knew that his life must be short, and so he lived and loved every hour of it with a kind of jealous intensity. He had that absolute power of 'living in the moment' which is given only to the doomed man—that kind of self conscious happiness, the delight in still clinging to the thing whose worth you have only realised through the knowledge that it will soon be taken from you. For him, as for the schoolboy whose holidays are near their close, every hour—every minute, even—had its value. His drawing, his compositions in prose and in verse, his reading—these things were not enough to satisfy his strenuous demands on life. He was himself an accomplished musician, he was a great frequenter of concerts, and seldom, when he was in London, did he miss a 'Wagner night' at Covent Garden. He loved dining out, and, in fact, gaiety of any kind. His restlessness was, I suppose, one of the symptoms

था।<sup>८</sup> परन्तु फिर भी उनमें साम्प्रदायिक निर्वाचनों को न केवल मुमलमानों तक ही सीमित रखा, अग्रिम लिखतों के ऊपर भी उन्हें नामू करने की शिकायित की। उनमें प्राचीनों ने उत्तरदायी शासन के प्रयोग को करने की सिफारिश की गई, परन्तु जनता के प्रतिनिधियों को पूर्ण उत्तरदायित्व देने से इनकार कर दिया। उसने दुंष्ट शासन प्रस्तुती की तुमः स्थापना का प्रस्ताव किया। जहाँ तक देश्वर का सम्बन्ध है, प्रतिवेदन ने कार्य कारिणी को पूर्ववत् ही अनुत्तरदायी रूपने की सावश्यकता। पर वल दिया, परन्तु उसने इस बात की निफारिश की कि व्यवस्थापक-मण्डल जो दो सदन होने चाहिए, और दोनों ही सदनों में निर्वाचित प्रतिनिधियों का बहुमत होना चाहिए। प्रतिवेदनीयों की विविधों को और दृढ़ करने के उद्देश्य में एक नरेश्वर-मण्डल की स्थापना का प्रस्ताव किया भया। व्यायाम कार्यसभीग-योजना की साम्प्रदायिक-सिफारियों को स्वीकार कर लिया गया और उन्हें बड़ा भी दिया गया था परन्तु सारी योजना को बहुत अधिक कानूनिकारी बताया गया।

माटेम्पू-चंमाफोइं-प्रतिवेदन के प्रकाशन ने भारतीय जनसत को गहरा धमका पहुंचाया। युद्धकाल में भारतीय नेताओं ने जिन बड़ी-बड़ी आकाशों को पाल रखा था, वे सब ढह गईं। थोड़े से उदारवादियों और आगल-भारतीयों को छोड़कर शेष सभी ने उमसी एक स्वर से निन्दा की। मुस्लिम-लीग तक ने उसका धिरोध किया और कार्यसभीग-योजना का पुनः अनुमोदन किया। एनी बीमेण्ट ने अपने पत्र “न्यू इंडिया” में लिखा कि यह योजना देना दंगलेण्ड के लिए अशोभन और भारतवर्ष के लिए इनका स्वीकार करना अपमानजनक था।<sup>९</sup>

### सारांश

मार्कें-मिष्टो मुधारों के तुरन्त बाद ही जो युग प्रारम्भ हुआ, वह भारतीय राजनीति के उतार का समय था। उपर्याद्धों को राजनीतिक धेश से सम्बन्ध चाहिएतन्ना ही कर दिया गया था, फलतः वह आन्त का समय था। वह गवर्नर जनरल लाई हाइको ने कांग्रेस के प्रति, जो कि मार्कें-मिष्टो मुधारों को लियाविल्त

८. “मन्यों लघा वर्गों द्वारा विभाजन का अभिप्राय ऐसे राजनीतिक मुटों की गृष्टि करना है जो कि एक दूसरे के विरुद्ध हैं। यह मन्यों को नागरिकों के रूप में नहीं, प्रश्नादियों के रूप में विचार करना सिखाता है। बहुधा ब्रिटिश सरकार पर दोपारों किया जाता है कि उनमें आदमियों पर शासन करने के लिए उनमें फूट ढाल दी है। परन्तु बदि वह अनावश्यक रूप से उनमें उस समय फूट ढालती है, जब कि उनका इरादा उन्हें स्व-शासन के पथ का अधिका बनाना होता है, उसे दम्भी तथा अद्वृद्धों के दोपारों का सामना करना कठिन मालूम पड़ेगा। मोटफोर्ड रिपोर्ट।

## भारतीय शासन-सम्बन्धी एकट.

४३. मांटेग्यू-चेन्सफोर्ड योजना के मूलमन्त्र

**प्रस्तावना**—भारतीय मंविधानिक सुधारों के ऊपर मांटेग्यू-चेन्सफोर्ड-प्रतिवेदन ८ जुलाई, १९११ को प्रकाशित हुआ था। इस प्रतिवेदन को सिफारशों १९१६ के भारतीय शासन सम्बन्धी एकट में संस्कृत कर ली गई। इस एकट को ब्रिटिश संसद ने १८ दिसंबर, १९१६ को पारित किया और पाँच दिन पश्चात् संवाद ने उस पर अपनी स्वीकृति दे दी। एकट की प्रस्तावना में १९१७ की घोषणा के सारांश को दुहराया गया था।

**मूलभूत सिद्धान्त**—मॉटकोर्ड प्रतिवेदन ने, जो कि नूतन संविधान-एकट का आधार बना, घोषणा में कही हुई नीति को कार्यान्वयित करने के लिए चार मूलभूत मिदान्तों को निर्धारित किया। वे सिद्धान्त निम्नलिखित थे—(१) “जहाँ तक हो सके स्थानिक संस्थानों में जनता का पूर्ण अधिकार हो। उनका नियन्त्रण उनी के द्वारा हो और वाह्य नियन्त्रण से उनको अधिकाधिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो”, (२) प्रान्तीय मरकारों को सत्ता का विदान और प्रान्तों में आशिक उत्तरदायिता परन्तु केन्द्रीय विधान-मण्डलों का, जिन्हें कि शासन पर प्रभाव ढालने का अधिक अवसर दिया जाए, विस्तार, (४) गृह सरकार के नियन्त्रण का शिखिलीकरण। भारतपर्य के मंविधानिक ढांचे में, नूतन एकट द्वारा जो परिवर्तन किये गए, उनके आधार ये ही मूलन्त्र नियन्त्रण थे।

**मुख्य विशेषताएँ**—(१) गृह-सरकार के नियन्त्रण का शिखिलीकरण—सबसे पहली बात ही यह है कि मूलाधार-एकट का उद्देश्य भारतीय भाषाओं में गृहसरकार के नियन्त्रण को शिखित करना था, परन्तु उसने भारत-नन्ती के अधिकारों में किसी प्रकार का आंशकारिक परिवर्तन नहीं किया। इस सम्बन्ध में केवल यह यवित्र आवाध व्यक्त की गई थी कि उचित अभियासयों की बुद्धि के साथ-ही-साथ यह शिखिलीकरण अपने द्वारा गम्भीर हो जाएगा।

(२) केन्द्रीय कार्यपालिका को अनुस्तरदायी रखा गया परन्तु केन्द्रीय व्यवस्थापिका को उसे प्रभावित नहरने से लिए शिखिक शिखिकरण के लिए रखा—दूसरी नहर यह

## A SOCIAL SUCCESS

TOMMY

Come ! I can't be left to take all this in ! (*Persuasively*)  
Lady Amersham !

LADY A. (*after a slight tremor*)

Two cards, Tommy.

[*Takes the two cards, utters a little cry of relief. TOMMY looks at his own cards.*]

TOMMY

H'm, I'll stay as I am.

DUCHESS

What cards he has ! (*Looks fondly at him.*)

TOMMY

Yes, it's too bad to ask you all here, and then . . .

LADY A. (*pushing forward her counters*)

I stake my all !

TOMMY (*with a shrug of the shoulders*)

Sorry. Raise you a fiver. Can't help it.

LADY A. (*holding out her hand to her husband*)

Two fivers, Jack.

[*LORD AMERSHAM produces banknotes from pocket-book, and passes them to his wife, not taking his eyes off TOMMY, whose hands are below the level of the table.*]

LADY A. (*Lays down one note on table and says to TOMMY :)*  
There. (*She lays down the other.*) See you for a fiver.

मानों के लिए पुरस्यापित पृथक् साभावायिक निर्वाचन को ही कायम रखा, अपितु पढ़ति की पंजाब में निक्षें के लिए, तीन प्रान्तों को छोड़ कर वाकी सब प्रान्तों में पूरोंपीयों के लिए, दो प्रान्तों में आगल-भारतीयों के लिए और एक प्रान्त में भारतीयों के लिए और एक प्रान्त में भारतीय ईसाध्यों के लिए भी लागू कर दिया। इस प्रकार मॉटफोर्ड प्रतिवेदन के रचनितायों द्वारा निन्दित दोष को उस संविशान में और भी अधिक बढ़ा जड़ा कर सम्मिलित किया गया, जिसका कि निर्णय उनकी सिफारियों के अनुमार ही किया गया था।

(६) प्रयोगकालीन य संक्रान्तिकालीन उपाय—छठी बात यह है कि १९१९ का एकट स्पष्टता: एक प्रयोगकालीन य संक्रान्तिकालीन उपाय था। २० अगस्त, १९१९ की घोषणा में जो वायदे किए गए थे, उनको कार्यान्वयित करने का यह प्रथम प्रयास था। उस समय भारतवर्ष में जो नीकरदाही प्रशासन विद्यमान था, इस एकट ने उसमें योड़ान्सा सुधार करने की चेष्ट की विधि पर्याप्त थह सुधार आविष्कर ही था। दूध-सासन इसका फल था। लाई मेस्टन के शब्दों में “स्वेच्छातन्त्र उस समय तक हाथ-गो-हाथ मिला कर साथ-माथ चलने के लिए वाय्य थे, जब तक कि लोकसंघ रवय चलना न सीख से और अकेला चलने के विश्वास-द्योग्य न हो जाय।” मॉटफोर्ड-सुधारों ने १० वर्ष बाद नई योजना की आधीन भी नई उन्नति का अव्ययन करने ने लिए और यह निर्दिष्ट करने के लिए कि पूर्ण उत्तरदायी शासन के लक्ष्य को और एक कदम और आगे बढ़ाया जा सकता है या नहीं, एक रायल कमीशन को नियुक्ति का निधान करके स्वतः ही अपनी प्रयोगकालीन य संक्रान्तिकालीन प्रकृति का परिभ्रय दिया था।

## गृह-सरकार

### ४४. गृह-सरकार का आशय

सरकार के दो भाग—१९१९ के भारतीय शासन राम्भन्धी एकट का विस्तृत विवेषण करने के पूर्व उस एकट के आधीन स्वापित शासन की एक प्रमुख विदेशीयों की ओर द्वितीय कर देना बहुत आवश्यक है। यह प्रमुख विदेशीयों भारतीय थी, शासन का दो भागों में विभाजन, जिनमें से कि एक भाग तो इंग्लैण्ड में कार्य करता था और दूसरा भारत में। यह द्विधावाद भारतवर्ष में ब्रिटिश-साम्राज्यवाद के अतीतेपन का अनिवार्य परिणाम था। भारत के दूरवर्ती विजेता (जपाहरलाल-सुभलभान) यहाँस्वयम्भी रूप से यह गए, उन्होंने इसी देश को अपनी मातृभूमि और पितृभूमि घनाया। वे किसी विदेशी सत्ता के दबाव में नहीं रहे। फलतः यहाँ उन्होंने जिस शासन प्रबन्ध की तीव्र डाली, यह किसी भी विदेशी सत्ता के आदेश या नियन्त्रण को आधीनता में नहीं था।

## A SOCIAL SUCCESS

LADY AMERSHAM now buries her face in her hands. THE DUCHESS gazes up in petrified agony to the ceiling. ROBBINS stands with chin sunk on breast.]

LORD A. (*bringing clenched right hand down on open palm of left*)

And this—this is the man we—we've broken bread with! This is the man we've all of us for the past few years been calling Tommy till, damn it, I hardly remember his surname. . . . Dixon, that's it . . . Dixon the card sharper.

[*A low wail escapes from LADY AMERSHAM* ]

Enid, my darling, go and get on your cloak This (*with increasing horror*) is the man I put up for Bains's—the one remaining club that nobody can get into—and got him in. You'll send in your resignation to night, sir.

[ROBBINS utters a groan ]

### TOMMY

Don't you try to bully me! I'm a member of Bains's and there I'll stick—till they expel me

### LORD A.

I'll go straight there—Enid, you can drop me there—and I'll tell every man in the place (*To TOMMY*) And there'll be an end of you!

[Simultaneously TOMMY presses button of electric bell in wall behind him. Another groan from ROBBINS ]

१९१६ के एकट ने एक असंगति को दूर कर दिया—विटिश-संसद के एक अभिकर्ता अब व सेवक के हृप में भारत-मन्त्री के पद का ऊपर जो बर्णन किया गया है, उसमें तो यही निष्कर्ष निकलता है कि भारत-मन्त्री का वेतन अपने स्वामा अर्थात् विटिश संसद भे ही मिलना चाहिए। परन्तु १९१६ के भारतीय शासन-सम्बन्धी एकट के पारित होने के पूर्व ऐसा नहीं था। उस समय तक भारत-मन्त्री एवं उसके विभाग के वेतन का भार विटिश-मंसद बहुत नहीं करती थी, अपितु वह भारत के ही मत्त्वे पड़ता था। यह बात नीति विश्व भी भी और व्याप विश्व भी। इस पहलति के समर्थन में यह लचर द्वितीय उपरित्यत की जाती थी कि चूंकि यह व्यय भारतीय प्रशासन के नियन्त्रण में लगाया जाता है, अतः इसका भार भारत के ही कंधों पर पड़ना चाहिए। यह विशुद्ध उपनिवेशवाद था और उक्त तर्क में इस तथ्य की पूरी उपेक्षा कर दी गई थी कि भारत का और भारतीय जनता का उस मन्त्री पर, जिसके लिए उसे प्रतिवर्द्ध लाखों रुपाएँ की राशि व्यय करनी-पड़ती थी, विनियोग भी नियन्त्रण नहीं था। यह थाल नियम विशुद्ध थी क्योंकि अपराधियों (Dominions) और उपनिवेशों के लिए जो मन्त्री नियुक्त होते थे उन सबको विटिश राजकोप से वेतन मिलता था। इस कद्दु भेदभाव का भारतीय लोकमत ने सदैव निरोध किया था। १९१६ के एकट ने इस असंगति को दूर कर दिया और निर्धारित किया कि “भारत मन्त्री का वेतन, उसके उपनिवेशों का वेतन और उसके विभाग के अन्य व्यय भारतवर्ष की आय में से उकाने के व्यापार संसद द्वारा प्रदत्त राशि में से छुकाए जा सकते हैं और भारत-मन्त्री का वेतन इसी प्रकार छुकाया जायगा।” इस सम्बन्ध ने ‘जायगा’ और ‘सकते हैं’ शब्दों का प्रयोग अपन्यूरुण था। जो व्यवहार में हुआ, वह यह है कि जैसे ही एकट क्रियाव्य में परिणाम हुआ, भारत-मन्त्री का वेतन तो विटिश-प्राप्त में से छुकाया जाने लगा परन्तु विभाग के सचिवों के लिए विटिश राजकोप ने १५०,००० पौंड वार्षिक का ही अनुदान निश्चित किया। परन्तु इतनी अल्पराशि से भारत-मन्त्री के विभाग का रासा खर्च नहीं चल सकता था, फलतः वाकी रासा व्यय भारत के मत्त्वे पड़ता था।

परिवर्तन का वंशानिक महसूव—वंशानिक इष्टि से इस परिवर्तन का बहुत अधिक महसूव था। इसका अभिप्राय यह हुआ कि भारत-मन्त्री के ऊपर विटिश संसद का नीति नियन्त्रण स्थापित हो गया। इसमें कोई मन्देह नहीं कि कम-से-कम भेदान्तिक दृष्टि से विटिश संसद के भारत के सम्मलों में हस्तक्षेप करने का और भारत-मन्त्री के उसके विभाग की नीतियों की देखरेख करने तथा उसे निर्देश देने का वैदेव ही अधिकार प्राप्त था। परन्तु यह नियन्त्रण उम समय, जबकि संसद को भारत-मन्त्री के वेतन और उसके विभाग के लिए कुछ व्यय प्रदान करने की नीत आई, प्रत्यक्ष और नियमित हो गया। वार्षिक वज्र में उस प्रयोगन के लिए जो रांग स्वीकृत नी जाती

## A SOCIAL SUCCESS

side of the room, with arms folded, looking him up and down. At sound of the slammed front door he moves slowly towards the door of the room, still gazing sternly at his friend, and goes out, shutting the door after him. TOMMY looks at the door, delightedly clasps his hands, beams, looks around, and anon begins to pirouette gracefully around the room. As he reaches the table where the glasses and decanters are, he stoops down (facing you), and airily pours some whisky into a tumbler, then some Apollinaris. As he does so, the door opens noiselessly, revealing ROBBINS in hat and overcoat. ROBBINS gives a violent start, strides down the stage. Just as TOMMY raises the tumbler to his lips ROBBINS from behind grips his friend's wrist with one hand and firmly removes the tumbler with the other. TOMMY, confounded, returns his stare. ROBBINS, not relaxing his grip, raises the tumbler to his nostrils, sniffs it, looks quickly round from it into his friend's eyes.]

### ROBBINS

Arsenic? (He quickly sniffs tumbler again, then with another piercing and probing glance at TOMMY) Strychnine? (Sniff and glance repeated) Hydrochloric? . . . Anyhow . . . (He carefully inverts the tumbler and spills its contents to the carpet) that's the place for it.

छोड़कर उनके कार्यों में किसी प्रकार वा हस्तांप न करे। संमद के दोनों गदनों की मंदुक-प्रवर्तन-मिति ने 'वित्तीय-स्वायत्ता-अभिमन्य' को अग्रीकृत करने की सिफारिश दिएकी थी। यह मुझाव दिया गया कि आपात-निर्वात-करों के बारे में भारत की व्यवस्थापिका व सरकार, समझौते के द्वारा, उन करों को लागू करने के लिए, जिन्हें वे ब्रिटिश सौदागरों के हितों की अपेक्षा न रखते हुए, भारतीय सौदागरों व उपभोक्ताओं के हितों में आवश्यक समझौती है, स्वतन्त्र होनी चाहिए। इस अभिमन्य की सिफारिश उस भन्देह को कि "भारतवर्ष की वित्तीय नीति, इंगलैण्ड के वाणिज्य के हित में, ल्हाइट हाल में बलात् प्रसारित की जाती है।" दूर करने के हृष्टिकोण में उपस्थित की गई थी।<sup>१</sup>

भारत-मन्त्री का गवर्नर जनरल के साथ सम्बन्ध—भारत-मन्त्री के अधिकारों के उन वर्णन में यह स्पष्ट है कि कानूनी ट्रिटी से, वह भारतीय प्रदानक के प्रमुख, गवर्नर जनरल का अधिगति होता था। गवर्नर जनरल के लिए यह आवश्यक था कि वह भारत-गन्धी के आदेशों का उचित रूप से पालन करे। परन्तु उन दोनों के सम्बन्ध बहुत कम बानून के अधारपालक अनुरूप होते थे। गवर्नर जनरल भारत में ही उपस्थित रहता था, यहाँ कानून और व्यवस्था के संधारण का उत्तरदायित्व पूर्णतः उसके ही कान्धों पर था, यहाँ यह सम्भव नहीं था कि वह भारतवर्ष से सात समुद्र की दूरी पर विराजमान भारत-मन्त्री के ही आदेशानुसार निरन्तर चलता। आवश्यकता से बाध्य होने पर बहुत मे कार्य उसे स्वयं ही सोन-विचार कर करने पड़ते थे। भारत-मन्त्री ने भी उसे ऐसे कार्य करने की पर्याप्त स्वतन्त्रता दे रखी थी। भारत-मन्त्री ऐसा करने के लिए जावार था। वह भारतवर्ष में समुद्र पार गहरी भीलों के फारावे पर अवस्थित रह कर यहाँ के शासन वा पूर्णतः नियन्त्रण करने में असमर्पय था। इस सम्बन्ध में बहुत सुख वैयिक तत्त्व पर भी निर्भर रहता था। यदि भारत-मन्त्री, कोई हड्ड स्वभाव का पूर्व होता, उसके पास कोई नियन्त्रण नीति होती जिसे कि वह कार्यान्वित करना चाहता, तो वह गवर्नर जनरल को अहते अधिकारों के रूप में प्रयुक्त कर

#### १. मुक्की—“दी इंडियन कान्स्टीट्यूशन” भाग २, पृ० ५२३।

यह देखना बहुत सुगम है कि ब्रिटिश समद के प्रति प्रत्यक्षतः उत्तरदायी भारतीय सरकार (गवर्नर गवर्नर जनरल और कार्बकारिन्हो परिवद) और भारतीय लोकमत का प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय व्यवस्थापिका सभा, उन विधयों के सम्बन्ध में जो भारतीय वाणिज्य के अनुरूप और ब्रिटिश वाणिज्य के प्रतिकूल पड़ते थे, पूर्णतः एकमत नहीं हो पानी थी। अतः यह परिवद सिफारिश, जिन्हीं देनने में मानूम पड़ती थी, उसमें भूनतर पृथग्-विद्यायिनी थी।

# A SOCIAL SUCCESS

TOMMY

And left me to shift for myself—yes. It's that confounded unearned increment that has undermined me. Good-night, old man. Rising barristers can't afford to associate with card-sharpers.

ROBBINS (*with a groan*)

How long have you been——? (*Gesture to card-table.*)

TOMMY

Well, as a matter of fact, to-night was my début

ROBBINS (*throws back head, and sighs deeply*)

When I think of the splendid social position you'd made for yourself—made without effort—the great houses you had the run of—the great people and the gay and noble who . . . To-night, when I heard the Duchess calling you 'Tommy' . . . Charming woman, the Duchess (*meditatively removes hat from head*). It was very good of you to ask me to night, Tommy. . . . And Lord and Lady Amersham—what charming people! The best type of our old English——

TOMMY

You're becoming maudlin, old boy.

ROBBINS

Ah, Tommy, I can't take those people so lightly as you do. Perhaps that's the reason why they never seem to follow me up. . . . When I think of you dragging out a miserable existence in some shady foreign watering-place . . .

तिमुक्त रहते थे और १२०० पौष्ट्र प्रतिदिवं वेतन पाते थे। कौमिल का कार्य यह था कि वह भारतीय सरकार के साथ जो दब-ध्यवहार हो, वह इगलैंड में भारतीय सरकार में सावन्धित जो कुछ भी कार्य-व्यापार हो, उस नवकार मारन-मन्त्री के आदेशों अनुसार प्रवर्धन करे। कौसिल की गप्ताह में एक बार बैठक होती थी और भारत-मन्त्री उसका अध्यक्ष होता था। कुछ उल्लिखित विषयों को छोड़कर भारत-मन्त्री कौमिल के बहुमत के निर्णय का उल्लंघन कर सकता था। हाँ, उन नवकारणों की व्यापार अवधारणा करनी पड़ती थी, जिनके फलस्वरूप कि उन्हें देना किया। इसके अलावा, भारत-मन्त्री गोपत्रीय व अवश्यक प्रपुर्द्धों को, जो कि भारत सरकार में सावन्धित हों, विना कौसिल के समक्ष उपस्थित किए ही भेज या प्राप्त कर सकता था।

१८८६ में इण्डिया कौसिल के सदस्यों की संख्या को १५ से कम कर १० तक देने का निर्देश किया गया। १८०३ में इसमें पुनः परिवर्तन किया गया। अब की वार यह निर्धारित किया गया कि कौमिल के सदस्यों की संख्या १५ से अधिक नहीं और १० से कम नहीं होनी चाहिए। नए एकट ने प्रत्येक सदस्य का कार्य-काल ३ वर्ष निश्चित किया व वार्षिक वेतन १,६०० पौ. में घटाकर १,००० पौ. कर दिया। उभी वर्ष गवंप्रथम बार, दो भारतीयों को इण्डिया कौसिल में नियुक्त किया गया।

मोटकोड़े सुधारों के पश्चात् इण्डिया कौसिल में परिवर्तन—१८१६ के एकट के आधीन इण्डिया कौसिल के संविधान में और भी परिवर्तन किए गए। (१) अब में उनके सदस्यों की संख्या ८ से कम भी हो और १२ से अधिक नहीं रखी गई। इन सदस्यों में कम-मैं-कम आपे ऐसे होते थे, जिन्होंने कम-मैं-कम १० वर्ष तक भारतवर्ष में कार्य या निवास किया हो और इस देश को अपनी नियुक्ति की तिथि के प्रत्येक पूर्वे न छोड़ा हो। (२) इस घट का कार्य-काल ३ वर्ष से घटाकर ५ वर्ष का कर दिया गया। (३) प्रत्येक सदस्य की वार्षिक आय पुनः घटाकर १,२०० पौ. कर दी गई। प्रत्येक भारतीय सदस्य को ६०० पौ. का अपर भारा घिलता था। (४) भारतीय सदस्यों की संख्या घटाकर ३ कर दी गई। सन् १८१६ के एकट के अनुसार भारतीय हाई कमिशनर का एक नया पद बनाया गया। हाई कमिशनर इगलैंड में भारत सरकार के पूजेट की हीरिपत रो कार्य करता था। भारतीय हाई कमिशनर संपरियद् गवर्नर जनरल के अधीन था। (५) कौसिल की बैठकें अब गप्ताह में एक बार नहीं, अपितु महीने में एक बार होने लगीं। (६) बैठकों के लिए जो कानून-सम्मत कौसिल था, उसे हटा दिया गया और उसके स्थान पर भारत-मन्त्री को इच्छानुसार कोरम विहित करने का अधिकार दे दिया गया। (७) उसे कार्य-व्यापार के संचालन के लिए भी नियम बनाने का अधिकार दे दिया गया। (८) (क) भारतीय यामदनी के अनुदान या व्यय और (ल) अधिन भारतीय सेवाओं के लिए व्याप्त बनाने में प्रबन्धित विषयों का नियंत्रण करने के लिए

## A SOCIAL SUCCESS

in a shady foreign watering-place that you've found in the pages of Thackeray—nonsense! I shall stay just where I am.

ROBBINS

And face the music? Tommy, I shall stand by you.

TOMMY (*with a queer look*)

That's the worst of old friends—no shaking 'em off!

ROBBINS

Tommy!

TOMMY

I'm sorry. (*Lays hand on ROBBINS' shoulder*) I don't mind old friends. Hang it, no: I don't want to be a hermit. Freedom!—that's all I wanted. And now (*flings wide his arms, gazing up beatifically*) I've got it!

ROBBINS

Freedom? Of course there'll be no question of gaol. But to be publicly branded, as. . . . Freedom? Freedom from what?

TOMMY

Why, from the whole cursed dog's-life I've been leading. Freedom to sit down cosily and lead my own life. Tranquillity, independence, quiet fun. Books. Pipes. D'you know, Robbins, I haven't been able to settle down to a book since . . . heaven knows when . . . ever since I got caught up into that infernal social merry-go round. To night I've jumped off. Jolly neatly, too. Pleasing air of finality about the whole thing.

प्रोलाल देने में कर सकती थी। परन्तु विदिशा साम्राज्यवादी भारतवर्ष के हितों की ओर वयों व्यान देने लगे? उन्हें तो अपने काम-में-काम था, भारत को चाहे लाभ पहुँच नहीं हानि, इसकी उन्हें कोई चिन्ता न थी। फलतः करोड़ों रुपयों का उनक सामान के इनर्नेंज तथा दूसरे देशों से खरीदते थे। यह कायं राष्ट्र-विदोधी तो था ही इनमें एक बहुत बड़ी अमंगति भी थी। वह भारत-मन्त्री को भारत सरकार का राजनीतिक प्रभु और व्यावसायिक अभिकर्ता थोनां ही बना देता था। फल यह होता था कि भारत सरकार का भारत-मन्त्री के अभिकरण कार्य के ऊपर विलकुल नियन्त्रण नहीं था।

हाई कमिश्नर को नियुक्ति और स्थिति—भारत के हाई कमिश्नर के दूतन पद का मूल्पि के पश्चात् अभिकरण कुत्य भारत-मन्त्री के हाथों से लेकर हाई कमिश्नर के हाथों में दे दिए गए। गवर्नर जनरल सपरिपद् हाई कमिश्नर की नियुक्ति करता था और उनका वेतन भारतीय कोष में से ढुकाया जाता था। इस प्रकार वह भारत सरकार का मंद्रक या घोर भारत सरकार पूरे तरीके से उसके कार्य का नियन्त्रण व नियन्त्रण कर सकती थी। वह और उसका कायोलय संदर्भ में रहता था। साधारणतः वह पांच वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता था। सेंट्रालिक हॉप्टि से को इस परिवर्तन का बड़ा महत्व था, परन्तु व्यवहारतः स्थिति उपोकी-त्यों बनी रही। हाई कमिश्नर पूर्णांग में भारत-सरकार के अधीन था। परन्तु सरकार की बेंगी रफ्तार जो पहले थी, वही कायम रही। भारत के हितों की अब भी नियन्त्रण उपेक्षा की जाती था।

हाई कमिश्नर के कर्तव्य—ठेके देना, स्टोर-विभाग की देखभाल करना, भारतीय ट्रेड कमिश्नर के कार्मों का नियन्त्रण करना, भारतीय विद्यायियों की देखभाल करना आदि भारतीय हाई कमिश्नर के मुख्य कर्तव्य थे। भारत सरकार को जिस-जिस सामान की इच्छा होती, उसे वह भारत सरकार के अभिकर्ता के रूप में विदेशों से खरीदता था।

## भारत सरकार

### ४८. केन्द्र में कोई उत्तरदायित्व नहीं।

केन्द्रीय शासन भारतीय जनता के प्रति नहीं वरन् विदिशा-संसद के प्रति उत्तरदायी बना रहा—यद्यपि १९१९ के भारतीय शासन-मन्त्रियों एन्ट ने केन्द्रीय व्यवस्थापिका का तो नए भिटे से नंगाटन किया, परन्तु केन्द्रीय शासन की प्रकृति को लगभग पूर्ववत् ही रहने दिया। भौटिकोड़ प्रतिवेदन का तृतीय सूच, जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकार की रचना नी रही, निम्नलिखित या, “भारत-सरकार पूर्णतया विदिशा संसद के अधिकारिय उत्तरदायी रहेगी और इस प्रकार के उत्तरदायित्व के अधिकारिय पूर्ण-मुक्त

## A SOCIAL SUCCESS

ROBBINS

Society as it is called? Society is Society. And—surely there are other ways of getting out of it than . . .

TOMMY

No, there aren't

ROBBINS

You could have gone away—settled quietly down in the country—Cornwall——

TOMMY

But I love London. Not a drop of Cornish blood in my veins. Never happy away from London. Never do get away from it properly. It's in my bones.

ROBBINS

Well, what was to prevent you from leading a quiet life here in London, if you really wanted to?

TOMMY

Ah, there speaks the man who isn't a social success!

ROBBINS

You needn't remind me of that.

TOMMY

My dear chap, I'm only congratulating you. . . . A social success is a man who can't call his soul his own. Might as well be a trapped rabbit. Better. Agony not so prolonged Moment he shows his face—' Can you lunch to-morrow? ' If he stays at home ' Trr-trr-trr ': telephone

सुट्टकारा मिला। इन एक्ट के बंगाल के लिए एक उप गवर्नर जनरल की नियुक्ति कार्रवाई की। गदर के पश्चात् ईस्ट इण्डिया कम्पनी समर्पित कर दी गई और भारत का शासन-प्रबन्ध त्रिटिया 'फ्राउन' के हाथों में चला गया। इसके कारण भारतीय गवर्नर जनरल की स्थिति में भी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया। यद्यपि वह वायरराय ही गया उथा भारत में त्रिटिया सचाई के प्रतिनिधि की हैसियत से काम करने लगा।

मॉटफोड सुधारों के अन्तर्गत गवर्नर जनरल की नियुक्ति, यदावधि और वेतन—१८५८ के एक्ट के पश्चात् अन्य जितने भी एक्ट अधिनियमित हुए, उनमें से किसी ने भी गवर्नर जनरल की राता व स्थिति में कोई विक्षेप परिवर्तन नहीं किया। पहाँ तक कि मॉटफोड सुधारों ने भी प्रान्तों ने आंशिक उत्तरदायित्व की 'पुनः स्थापना' के अलावा गवर्नर जनरल की स्थिति में कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं किया। भारत के गवर्नर जनरल का पद महान् उत्तरदायित्व और गौरव से परिपूर्ण था। गवर्नर-जनरल की नियुक्ति ग्राम्य-प्रधान-मन्त्री की सत्ताह पर किया करते थे; इन सम्बन्ध में प्रधान-मन्त्री भारत-मन्त्री से परामर्श ले लिया करते थे। साधारणतः उसका कार्यकाल पांच वर्ष का होता था। गवर्नर-जनरल को २,५६,००० रु० वार्षिक वेतन व रहने के लिए विना किराए का दानदार भवन मिलता था। इसके अलावा उसे १,७२,७०० रु० वार्षिक से अधिक के विभिन्न भत्ते प्राप्त होते थे। कानून-निर्माण, वित व प्रशासन के थेम में उसके अधिकार बहुत बढ़े-चढ़े थे। भारत के शासन-प्रबन्ध की पूरी जिम्मेदारी उसके कब्जों पर थी। देश के संनिक व नागरिक आरुन का सचालन, निरीकण व नियन्त्रण करने का उसे पूरा अधिकार प्राप्त था। बगाल, भट्टाचार्य और बम्बई के गवर्नर को छोड़कर बाकी सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ वही करता था। बगाल, भट्टाचार्य और बम्बई के गवर्नर को छोड़कर बाकी सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ वही करता था। वगाल, भट्टाचार्य और साधारणतः उसकी मिलारियों स्वीकार की जाती थी।

गवर्नर जनरल की विधापिनी शक्तियाँ—गवर्नर जनरल की विधायिनी शक्तियाँ विभूत थी। व्यवस्थापिका सभाओं के अधिवेशनों को आहूत करता, उनका भर्ग करता और उनका कार्यकाल घटाना या घटाना उसके हाथों में था। व्यवस्थापिका सभाओं के निर्वाचन दिवस और स्थान को भी वही निरिचत कर सकता था, उसे व्यवस्थापक सभाओं से भाग्य होने का अधिकार था। वह चाहूंगा सो दोनों में अलग-अलग भाग्य दे सकता था और चाहूंगा तो दोनों के संयुक्त अधिवेशन ये भाग्य दे सकता था। कोई रोक-टोक न थी। अनेक ऐसे विषय (सार्वजनिक कूरा, भारत की माय, सेना, बैदेशिक मामले, प्रान्तीय विषयों आदि से मम्बन्धित) थे जिनके बारे में गवर्नर जनरल की पूर्व अनुपत्ति के बिना व्यवस्थापिका सभाओं में कोई प्रस्ताव पेश न किया जा सकता था। यदि वह किसी विषेशक या उसकी किसी पारा को देख की

## A SOCIAL SUCCESS

Foreign Office reception, I pretended to be drunk. Not a soul there but refused to see anything at all strange about me. There was a time when I used to sit in the bow-window of Bains's, wearing a motor-cap and a frock coat. They all admired my splendid moral courage. My dear fellow, I've tried scores of ways. This (*gesture to card-table*) was the only way out. Desperate remedy? Desperate disease. And here I am—cured. (*Finishes his whisky and Apollinaris*) By the way I'm sorry about Bains's. I should like to have got you in.

ROBBINS (*gloomily*)

Oh, I should never have got in.

TOMMY (*consolingly*)

No.

ROBBINS

Then why did you put me up?

TOMMY

Well, you were always saying you'd like me to. And—there it was . my amiability again. Unable to say ' No '.

ROBBINS (*nods his head, sinks down on to edge of arm-chair, and heaves a deep sigh*)

I had often wondered—forgive an old friend's frankness—what it was that people saw in you. I've always liked you. But why should every one else? ' Tommy '—' Tommy ' to every one. Nobody ever called me Harry.

TOMMY

Is your name—er—Henry?

गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी परिषद्—उपर गवर्नर जनरल की जित व्यापक अक्षियों का डल्लेल किया गया है, उनका प्रयोग करने में, उसकी कार्यकारिणी परिषद् उसे सलाह व सहायता देती थी। तथापि परिषद् केवल एक परामर्शदात्री समिति-मात्र ही थी। अधिकतर परिषद् गवर्नर जनरल के इशारे पर नाचा करती थी। यदि वह कभी गवर्नर जनरल के विषद् भी जाती, तो गवर्नर जनरल उसके निर्णय को टुकरा नकला था।

गवर्नर जनरल एक वैधानिक शासक नहीं, अपितु स्वेच्छाबारी शासक था—भरणीय गवर्नर जनरल एक अनुठा नीकरणा ही था। उसके साधारण और असाधारण दोनों तरह के व्यापक अधिकारों ने उसे मामर्यवान् सलाधारी पूर्ण बना दिया था। भारतवर्ष के वागन-प्रबन्ध में उसे जो अधिकार प्राप्त थे, वे उन अधिकारों से बहुत बड़े-बड़े थे जिनका कि उपभोग अमेरिका के राष्ट्रपति और इंगलैण्ड के प्रधानमन्त्री अपने-अपने देशों में करते थे। वह भारत में एक वैधानिक शासन की तरह नहीं, अपितु स्वेच्छानारी शासक की तरह शासन करता था। यह सही है कि ब्रिटिश संसद भारत-मन्त्री के हारा उस पर प्रपना नियन्त्रण रखती थी परन्तु जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, इस नियन्त्रण के बावजूद भी गवर्नर जनरल को पर्याप्त स्वतन्त्रता प्राप्त थी। चूंकि वह सम्राट् का प्रतिनिधि था, इसीलिए उसका राजकीय गौरव व दबदबा बहुत घड़ा-घड़ा था। जैसे दूसरे राज्यों के प्रमुखों को क्षमा और प्रविलम्बित करने का अधिकार प्राप्त होता है, ऐसे ही भारत के गवर्नर जनरल को भी यह अधिकार प्राप्त था। याने कार्यों के सम्बन्ध में वह पूर्ण कानूनी विमुक्ति का उपभोग करता था। कार्यकारिणी जो कि उसे सलाह व सहायता देने के लिए थी, उसके हाथों में स्थितीना भाव थी। वह उसके निर्णयों को स्वतन्त्रतापूर्वक टुकरा सकता था। व्यवस्थापिका में नियांचित प्रतिनिधियों का बहुमत था, लेकिन गवर्नर जनरल उसकी इच्छा को भी रद्द कर सकता था। सच तो यह है कि किसी भी उत्तरदायी यहाँ तक कि अनुत्तरदायी कार्यकारिणी को भी इसने प्रत्युत्र अधिकार प्राप्त नहीं थे जितने कि भारत के गवर्नर जनरल को प्राप्त थे। यह कहा जाया करता था—“इंगलैण्ड का सम्राट् राज्य करता है, परन्तु शायन नहीं करता, अमेरिका का राष्ट्रपति शायन करता है, परन्तु राज्य नहीं करता, कोई को रोक्योपति न राज्य करता है न शासन करता है परन्तु भारत का गवर्नर जनरल राज्य और शासन दोनों करता है।”

#### ५०. गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी-परिषद्

१६१६ के एषट् के अधीन किए गए परिवर्तन—बगाल, बम्बई और मद्रास की नीन प्रमोटिनियों को एक केन्द्रीय सत्ता के अधीन करने के लिए जब गवर्नर जनरल के

# A SOCIAL SUCCESS

ROBBINS

Do I understand that you were in the habit of behaving dishonourably?

TOMMY

Oh, no. Only, I'm the sort of fellow who happens to be attractive to—I know it sounds fatuous—but attractive to—well, to the sillier sort of women, don't you know?

ROBBINS

*Married women?*

TOMMY

Well, lots of silly women get married. There's no competitive examination. But not necessarily married women (*waves his hands vaguely*). Widows. All kinds.

ROBBINS

*All widows?*

TOMMY

The sillier sort of widows—like the Duchess.

ROBBINS (*rising from arm-chair*)

You really mean that the—there was a chance of your becoming a—a sort of Duke?

TOMMY

I think there was a sort of danger. May have been.... One never knows where one is with those people. They've such a lot of time to waste, and there's so much make-believe.... The married women, they don't want you

और मुरक्का व सेना विभाग प्रधानमन्त्री जो अधीनता में थे। अवशिष्ट विभागों में गृह-विभाग जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते थे, अंग्रेज पार्षदों के हाथों में रखे जाते थे और भारतीय सदस्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अम विभागों से ही सन्तोष यहां करना पड़ता था।

**पोर्टफोलियो प्रणाली—पोर्टफोलियो**, परिषद के सदस्यों के बीच गवर्नर जनरल के द्वारा वितरित किए जाते थे। पोर्टफोलियो पद्धति के अन्दर अपने विभाग से सम्बद्ध सभी मामलों को ग्राहक भद्रस्य स्वतन्त्रतापूर्वक विटाता था। उन विषयों को जो कि अधिक महत्व के थे और जो प्रान्तीय ग्रामकारों के हाइटिंग्नुओं का प्रत्यादेश करते थे, गवर्नर जनरल की सलाह से निश्चित किया जाता था। परन्तु वे सब विषय जो कि बहुत ही अधिक महत्व के होते थे और जिनका प्रभाव दो या दो में अधिक विभागों पर पड़ता था, पूरी कार्यकारिणी परिषद के सम्मुख निभारार्थ उपस्थित किए जाते थे।

**कार्यकारिणी परिषद को बैठकें—गवर्नर जनरल का प्रभुत्व—साधारणतः कार्यकारिणी परिषद की बैठक एक सप्ताह में एक बार हुआ करती थी। बैठके गवर्नर जनरल के द्वारा अद्वृत होती थी। बैठकों की अध्यधक्षता गवर्नर जनरल करता था, और उसकी घनुपस्थिति में उसके द्वारा मनोनीत उप-मन्त्रापति। गवर्नर जनरल बैठकों के लिए कार्यक्रम भी निश्चित करता था। परिषद के निर्णय बहुमत के माध्यार पर होते थे, परन्तु गवर्नर जनरल को अधिकार था कि यदि वह देश की शान्ति व मुरक्का के लिए आवश्यक समझता तो परिषद के निर्णयों के प्रतिकूल भी जो चाहता सी कर सकता था। मत तो यह है कि गवर्नर जनरल परिषद का पूरे तरीके से स्वामी या। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी व विदिया मन्त्रिमण्डल में आकाश-पाताल का अन्तर था। परिषद के सदस्य गवर्नर जनरल के महोगी नहीं, सेवकमात्र थे। विदिया मन्त्रिमण्डल के मदस्य प्रधानमन्त्री के सेवक नहीं, सहयोगी होते हैं।**

**कार्यकारिणी परिषद व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थी—विदिया मन्त्रिमण्डल और कार्यकारिणी परिषद में एक और बड़ा अन्तर था।** विदिया मन्त्रिमण्डल मामूलिक रूप से कामन-समा के प्रति उत्तरदायी होता है और उसके द्वारा नदेश्वर किया जा सकता है। इनको विदिया मन्त्रिमण्डल कार्यकारिणी परिषद के लक्ष्य व्यवस्थापिका के निर्वाचित गवर्नर जनरल की सलाह पर भारत-मन्त्री करता था, अतः उनमें किसी प्रकार वी एकान्वित नहीं होती थी। इसके सिवा परिषद के सदस्य सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। कोई भी सदस्य, जो हे उसके कार्य और सीलिंगों कियाने ही वदनाम करो न हों,

## A SOCIAL SUCCESS

cards over the mantelpiece) Waste-paper! . . . Look at that telephone! Mute for evermore.

[TELEPHONE BELL: 'Tr-r-r rr!' Both men start and stare at telephone.]

TOMMY (*raising a finger*)

Hark to the swan-song!

[TELEPHONE BELL: 'Tr-r-r rr, rr-trr-trr.']}

TOMMY

Pathetic, isn't it? (*Goes across to writing-table and raises the receiver*) Halloa! Yes. (*An instant later, with a violent start*:) Duchess? Duchess of—Huntington? . . . Yes, of course I knew your v-voice, but . . . What? (*His face becomes positively blank with horror*) You're sorry you . . . What? . . . Worse things in the world than cheating at . . . But, my dear woman . . . What? . . . (*Stares wildly at Robbins*) But . . .

[*Covers receiver with one hand, and, turning to ROBBINS, asks in a hissing whisper, 'What shall I say?' Puts it back to his lips.*]

Fact is I—I'm married already—years ago—unfortunate entanglement . . . N-no. No chance of a divorce. Lost sight of her. Living somewhere in the wilds of New Zealand. Absolutely respectable. N no, to-morrow I can't. Lunching with Robbins—my friend, H. Robbins. . . . Come round to you in the morning? Well, I . . . Well . . . No, not tea, I have to go out to tea . . . Y yes, I could come in later, I suppose—d delighted—but—

[*At about the middle of this monologue, the*

(क्ष) भारतीय विधान-सभा—विधान-सभा के १४४ सदस्यों में से १०३ सदस्य निर्वाचित सदस्य थे और ४१ गवर्नर जनरल द्वारा ननोनीत। ननोनीत नदस्यों में से अधिक सं-अधिक २५ ही गद्य सरकारी पदाधिकारी हो सकते थे। एकट ने यह भी निर्धारित कर दिया कि विधान-सभा का प्रथम अध्यक्ष गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त एक ऐसा गैर-सरकारी सदस्य होगा, जिसका कि संबंध ग्रनुमब बहुत बड़ा-बड़ा हो।”<sup>३</sup>

दोनों सदनों के लिए मताधिकार—राज्य-परिषद के लिए बहुत सकृचित मताधिकार उपबन्धित किया गया था। मताधिकार मुश्यतः बहुत ऊँची सम्पत्ति अर्हताओं पर आधित था। राज्य-परिषद के लिए मतदान का अधिकार केवल उम्ही लोगों को प्राप्त था, जो १०,००० हॉ से लेकर २०,००० हॉ तक की वापिक आय पर कर देते थे अथवा ७५० हॉ से लेकर ५,००० हॉ तक का वापिक भूमि-लगान देते थे। मतदान का अधिकार उन व्यक्तियों को भी दिया गया था जो कि—

(१) नगरस्थालिकाओं, जिना निकायों या केन्द्रीय महकारी बैंकों के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष रहे युके हों।

(२) भारत के किसी विधायक निकाय के सदस्य रहे हों।

(३) सरकार द्वारा घम्मुल-उलेमा या महामहोपाध्याय जैसी प्राच्य-पाण्डित्य-सम्बन्धी उपाधियों से विभूषित किए गए हों।

१६२५ में राज्य परिषद के लिए ग्रिटिंग भारत से कुल मतदाताओं की संख्या १५,००० से कम थी। निर्वाचन क्षेत्र साम्प्रदायिक आधार पर निर्गित हुए थे, प्रत्येक प्रान्त को एक इकाई माना जाता था। स्त्रियों को मतदान के अधिकार से बचित रखा गया था। अति तक पहुँची हुई ऊँची सम्पत्ति विषयक अर्हताओं ने राज्य परिषद को न्यस्त स्वार्यों का एक अत्यदृढ़ बता दिया। तथा दूसरी निर्वाचन विषयक अर्हताओं ने यह निश्चित् कर दिया कि उनमें बुद्धिजीवों व सार्वजनिक व्यवितर्यों की उपस्थिति बहुत ही कम रह सकेगी।

असेम्बली के लिए मताधिकार तात्काल कम प्रतिबन्धित था। मतदाताओं के पास निम्नतिति अर्हताओं में से एक का होना आवश्यक था—

‘गदन’ बनाने के पक्ष में कंगला किया। अंगतः राज्य परिषद को पुनरीकाण करने वाला एक ऐसा मदन बनाने का कंगला किया गया, जिसके पास कि अ-विनीय व्यवस्थागत में विवानसभा के तुल्य ही अधिकार हों।

२. सर केडरिक ह्यादट ननोनीत अध्यक्ष थे। असेम्बली के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष सुविरयात बी० जी० पटेल थे।

## A SOCIAL SUCCESS

LADY A. (*with quick suspicion*)

Who are you telephoning to?

TOMMY (*mechanically dropping receiver on to its groove*)

Enid, for heaven's sake—think of Amersham. . . .

LADY A.

I think of the man whom Amersham has exposed,  
ruined, hounded down—the man I—

TOMMY

But, Enid, he was quite right—

LADY A

According to his own lights, yes Oh, I don't judge him. Who am I that I should cast the first stone at him—I, who deserted you just when— (*Buries her face in her hands for an instant. Unburies her face*) 'Think of Amersham'? I think of him as last I saw him, bounding up the steps of Bains's—and I telling the chauffeur to drive me home. It wasn't till I was almost at my door that I realised my baseness

TOMMY

But,—but—Robbins, do help me! Tell her she seems to be forgetting all about *my* baseness.

ROBBINS (*awkwardly*)

I certainly do think—

LADY A.

You! Who are you that you should come between—

एवं कल्याण की हड्डि से आवश्यक गम्भीरता तो उसे अपने हृताभर के आधीन ही पारित घोषित कर सकता था। इस रोति से पारित विधेयक संग्राम की स्वीकृति के बिना लागू नहीं हो सकता था। इसके अलावा, देश की जमिंदि व सुरक्षा के लिए गवर्नर जनरल को अव्यादेश जारी करने का अधिकार था। ऐ अव्यादेश ६ मास से अधिक काल के लिए लागू नहीं हो सकते थे।

(ब) वित्तीय अधिकार—भारतीय व्यवस्थापिका को कुछ नामभाव की वित्तीय अधिकारी भी प्रदान की गई थी। समूहों वर्ष की आय-व्यय का अनुमानित लेखा-जोखा गवर्नर जनरल व्यवस्थापिका के ममुख उपस्थित करते थे। साधारण स्वयं से बजट के ऊपर वाद-विवाद किया जा सकता था। परन्तु मतदान बजट के ओड़े ही भाग पर हो सकता था। बजट का अधिकार भाग ( $60\%$  से अधिक ऐसा था जिस) के ऊपर कि व्यवस्थापिका सभा को मतदान का अधिकार ही न था।<sup>१</sup> जिन विषयों पर बजट का  $60\%$  से अधिक धन खर्च होता था, उन पर व्यवस्थापिका गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति के बिना वाद-विवाद भी नहीं कर सकती थी। खर्च की निम्नलिखित मदों पर व्यवस्थापिका को मत देने का अधिकार न था—गवर्नर जनरल व उनके कार्यकारिणी परिषदों के बेतन, भारत-पञ्ची और संग्राम द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पेंशनें और तनखाहें, चीफ कमिशनरों अथवा जुड़ोशियत कमिशनरों का बेतन, वह खर्च जिसे कि सपरियद् गवर्नर जनरल ने धमिक, राज-मीतिक अथवा संना सम्बन्धी टहराया हो। जहाँ तक उन मदों का प्रत्येक परन्तु यहाँ भी गवर्नर जनरल की सत्ता अवाप्त थी। उसे अधिकार था कि वह व्यवस्थापिका द्वारा अस्वीकृत मांगों को स्वयं मजूर करके व्यवस्थापिका का निश्चय रद्द कर दे। विशेष परिस्थितियों में वह ऐसे खर्चों को भी मजूर कर सकता था जो उसकी राय से देश की रक्षा और शान्ति के लिए आवश्यक था।

कार्यकारिणी को प्रभावित करने के अधिकार—यद्यपि कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति अनुत्तरकारी ही रही, परन्तु व्यवस्थापिका कार्यकारिणी की नीतियों और कार्यों की कई तरह से प्रभावोचक रूप सकती थी। अवस्थापिका के

१. १३१ करोड़ के कुल जोड़ में से (वेतवेज को बाहर रखते हुए) केवल १६ करोड़ ही मतदाती है। पुनर्जन इन अ-मतदाती राजि में से ६० करोड़ मौनिक व्यय के लिए है। पट्टाभि सीतारामया कुल “दी हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस” में प० मोतीलाल नेहरू और सी० आर० दास के वक्तव्य में उद्दृत प० ४५६।

## A SOCIAL SUCCESS

TOMMY (*to ROBBINS while he himself stands guard over telephone*)

Tell Hawkins—quick—not at home—to anybody.

[ROBBINS crosses to door, opens it, starts back, almost closing door. LORD AMERSHAM's voice is heard saying, 'Mr. Dixon still up? Very well. I'll go straight in.]

TOMMY (*to ROBBINS*)

Stop him!

ROBBINS (*throwing LADY AMERSHAM's cloak behind a chair*)

Hadn't Lady Amersham better——? (*Points to screen as he darts out into hall. His voice and LORD AMERSHAM's are heard without. LADY AMERSHAM has darted towards screen.*)

TOMMY

Don't do that! Only done on stage! Most compromising thing possible.

LADY A. (*with a look of quick illumination*)

Exactly! So much the better!

[*She darts behind the screen and, as the door flies open, it is too late to stop her.*]

LORD A. (*to ROBBINS*)

I tell you——

[*He sees TOMMY, who has backed to a corner, and strides towards him.*]

तो उन स्थिति में, दोनों मदन अपने मतभेदों को एक संयुक्त मम्मेलत के निए महसूत होकर ढूँकर सकते थे। संयुक्त मम्मेलत में दोनों मदनों के वारावर-वारावर प्रतिनिधि भवित्वनित होते थे। यदि संयुक्त मम्मेलत आपमें वाद-विवाद करके किमीएक मम्मेलत पर पहुँच जाता, उग स्थिति में वह दोनों मदनों के पास कुछ सिफारिशें भेजता था, जिन्हें कि साधारणतः स्पीकर कर लिया जाता था।

(ग) संयुक्त अधिवेशन—यदि संयुक्त मम्मेलत भी कोई समझौता कराने में अमुकत रहता, तो गवर्नर जनरल दोनों मदनों का एक संयुक्त अधिवेशन करा सकता था। संयुक्त अधिवेशन में राज्य परिषद् का अध्यक्ष मभापति का आमन गहरा करता था और प्रत्येक निर्णय उपरिवत गदस्यो के बहुगत के द्वारा होता था। अधिवेशन के बहुमत द्वारा पर्याल विवेयक को दोनों मदनों के द्वारा पारिता मान लिया जाता था। नूँकि संयुक्त अधिवेशन में अमेस्वली के मदस्यों की सत्या राज्य परिषद् के मदस्यों की सत्या में अधिक होनी थी, अतः अमेस्वली को ही इच्छा के कार्यान्वयन हो। दो अधिक मम्मेलता रहती थी।

## ५२: मॉटफोर्ड के अधीन केन्द्रीय व्यवस्थापिका का मूल्यांकन

प्रतिगामी राज्य परिषद् के बाबजूद भी केन्द्रीय व्यवस्थापिका अधिक लोक-तत्त्वात्मक थी—१८१६ के भारतीय आमन गम्भीरी प्रकट ने निश्चित रूप से ही केन्द्रीय व्यवस्थापक मण्डल को अधिक लोकतन्त्रात्मक रूपरूप प्रदान किया। १८१६ के मुधारों के पूर्व भारतीय व्यवस्थापक मण्डल एक दरवार या बनावटी ममद के ही सुन्न्य था। इन मुधारों ने केन्द्रीय व्यवस्थापिका में निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रभाव-पाली बहुमत करके, व उसके विनीय व वाद-विवाद मम्मन्वी अधिकारों वो बढ़ाकर उसे जनमत की प्रतिनिधिक गम्भीर बनाने का प्रयत्न किया। १८१६ के एफट के अन्तर्गत जिस प्रतिगामी राज्य परिषद् की नूटिं की गई, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। मपरिषद् गवर्नर जनरल की विदेश विविताओं का फी घटी-चढ़ी थी। वह लोक मदन भी प्रत्येक तेजी चेप्टा को, जिसे कि वह अनुचित अम्भता, अपनी इन द्वितीय विविताओं के द्वारा निएक कर सकता था। यह मही है कि व्यवस्थापिका अटल और स्वेच्छावारों कार्यकारिणी के नमथ विलकूल नित्महाय थी। तथापि यह भी नहीं है कि नई व्यवस्थापिका नीकरणाह वार्दकारिणी के विलकूल अधीन भी नहीं थी।

व्यवस्थापिका कार्यकारिणी को प्रभावित कर सकती थी—यह उन अनुदानों को अस्वीकार कर सकती थी जो कि “आमन यन्त्र के कुछ पहियों के अवालनावें” आवश्यक थे। उसे कार्यकारिणी द्वारा वाल्कित कानूनों को अस्वीकृत कर देने का भी अधिकार प्राप्त था। यह मही है कि गवर्नर जनरल व्यवस्थापिका द्वारा अस्वीकृत

## A SOCIAL SUCCESS

you see, when I got there—nobody in the hall. Went into the coffee room. Not a soul. Drawing room deserted. Went up into card room. One rubber going on—hard at it. Didn't like to interrupt. Found myself cooling off a bit. Occurred to me: worse things in the world than—*(gesture to card table)*. Many a good fellow . . . Awful temptation, those wide shirt cuffs . . . Went down and had a whisky and a quiet think. . . . Understand all, forgive all. Damned hypocritical world. Pardons any sin but the sin of being found out Who was I that I should . . . Tommy, old man *(grips TOMMY's hand)* . That's all right.

TOMMY

I'm—really, I'm—

LORD A

My only fear is that Enid may . . . you know how difficult it is for a woman not to talk And Enid—between you and me—is the most awful little chatterbox in the British Empire

*[At this moment LADY A's hand appears grasping the top of the screen TOMMY sees it, and, behind LORD A's back, makes a frantic prohibitive gesture in its direction]*

However, I know how to frighten her, and I'll undertake to—

*[The screen falls revealing LADY A in the act of propelling it LORD A starts and stares round at her. She instantly folds her hands and stands with downcast eyes]*

वह उन्हें उन वस्तियों के साथ जोड़ती गई, जिसके लिए वे नानिध्य में पड़ते थे। इस प्रकार तीन बड़ी प्रेसीडेंसियों का विकास हुआ। उनमें से प्रत्येक प्रेसीडेंसी एक गवर्नर की अधीनता में थी। गवर्नर स-परिषद् अध्यक्ष के रूप में अपनी-अपनी अधीनस्थ प्रेसीडेंसियों का शामन करते थे। प्रारम्भ में ये प्रेसीडेंसियाँ एक-दूषरे में पूर्णतः स्वतन्त्र थीं, वे सीधे लन्दन से शासित होती थीं। परन्तु इस सम्बन्ध में जट्ठ खलरे निहित थे। इस बात की महत्ती यावद्यक्ता मालूम पड़ते लगी कि प्रेसीडेंसियों को भारत में ही केन्द्रीय सत्ता के नियंत्रण में रखा जाए। फलतः १९३३ के रेग्युलेटिंग एक्ट से केन्द्रीयकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई।

चूतन प्रान्तों को सृष्टि—१९३३ के रेग्युलेटिंग एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया और उसे तीनों प्रेसीडेंसियों का नियंत्रण व नियन्त्रण करने का अधिकार दे दिया गया। वह बगाल के ऊपर १८४८ तक भी वे शामन करता रहा। इसके बाद बगाल के शामन-प्रबन्ध के लिए एक उप-गवर्नर की नियुक्ति की गई। इसी बीच भारतवर्ष में विटिंग अधीनस्थ प्रदेशों का निरन्तर विस्तार होता रहा था, जो प्रेसीडेंसियों वहुत बड़ी हो गई थी, उनको कई प्रान्तों में बाट दिया गया और किर बाद में इन प्रान्तों को भी उपविभाजित कर दिया था। इस प्रकार उत्तर-पश्चिमी प्रान्त (जिसे कि बाद में आगरा और अबूधा का मंजुक्त प्रान्त भाग दिया गया) को बंगाल से अलग किया गया। १८५६ में फजाब की मृप्टि हुई। कुछ समय भीतके पर मध्य प्रान्त, बर्मा, आसाम और उत्तर-पश्चिम-मीमां प्रान्त का निर्माण किया गया। यह प्रसिद्धिया १८६४ तक चलती रही। १८३५ में उडीगा को बिहार से और सिंध को बम्बई में अलग कर दिया गया।

प्रान्तों के भेद—नए प्रान्तों की मृप्टि में किसी योजना के अनुसार काम नहीं किया गया। उम्में सकृति व भाषा पर विवरक समस्त प्रश्नों को उपेक्षा की रुप्ति में देखा गया था। इस प्रकार के प्रत्येक विभाजन में केवल एक ही सिद्धान्त के अनुसार काम किया गया था और वह सिद्धान्त था शासन की मुविधा का प्रमन। फलतः विटिंग भारत वेमेल इकाइयों का एक जमघटना बन गया। रेग्युलेशन और नान-रेग्युलेशन प्रान्तों के बीच भेद किया गया। पुनर्जन, प्रन्तों को गवर्नर के प्रान्तों, उप-गवर्नर के प्रान्तों और चीफ कमिश्नर के प्रान्तों में भी बांटा गया।

प्रान्तों में एक-हपता—इन प्रान्तों में केवल एक ही प्रकार की समाजना थी और वह यह थी कि वे सब एक ही केन्द्रीय सत्ता की पूर्ण अधीनता में थे। १९३३ के पश्चात् से जिस केन्द्रीयकरण की प्रक्रिया का गूर्खात हुआ था, वह लाई कर्जन के शामन-काल में अति तक पहुँच गई। यह बात गर्वया धर्वांश्वनीय थी। प्रान्त केन्द्र के प्रशासनीय अभिकल्प-माय ही रह गए। प्रशासनीय, अवस्थात्मक और विनीय विषयों

## A SOCIAL SUCCESS

*her on with it. LORD A., reminded of his existence, returns down stage to TOMMY.]*

LORD A. (*sotto voce*)

That fellow Robertson . . .

TOMMY

Robbins.

LORD A.

There's something about him that. . . . Was it he who put you up to—— (*gesture to card-table*)

TOMMY

Robbins? Good heavens! He's the soul of honour.

LORD A.

Well, it would be just like you to shield him, but (*looks round and sees his wife standing cloaked. She has moved away without thanking ROBBINS, who stands midway between her and her husband*) I don't like the look of him.

TOMMY

I assure you . . .

LADY A. (*querulously*)

Jack!

LORD A

Good night, dear old fellow. And—I'm glad it's happened Only—don't do it again, eh?

प्रति उत्तरदायी थे।

**द्वितीय विदान**—केन्द्र और प्रान्तों के वित्तीय स्रोतों को भी १६१६ के एकट में लोकतन्त्रात्मक कर दिया गया। भूमिकर, सिचाई, अंतःशुल्क, जगल, खान, मुहर, तथा धनीयन और आयकर के एक भाग की रसीदें पासे के घलावा, जिन्हें कि केन्द्रीय सरकार एकवित करती थी, प्रान्तीय सरकारें अपनी आय की पूर्ति करने के लिए, कुछ उत्स्तित करते को केन्द्रीय सरकार की विना अनुमति के भी लागू करने के लिए अधिकृत थी। प्रान्तीय सरकारें इसी प्रकार के कुछ अन्य करों को केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेकर लागू कर सकती थी। मुनश्व ये गवर्नर जनरल व भारत-मन्त्री का अनुमोदन पाकर कमज़ोः भारतवर्ष में और दिवेझों में सार्वजनिक जूहा भी एकत्रित कर सकती थी। राजस्व की भवों के विकेन्द्रीकरण के फलस्वरूप यह भग उत्पन्न हो गया कि केन्द्रीय सरकार आर्थिक हृष्टि से स्वाश्रयी नहीं रह सकेगी। केन्द्रीय सरकार के १० करोड़ ६० के आपिक घाटे को पूरा करने के लिए वह निर्धारित किया गया था कि प्रान्तीय सरकारें उसे कुछ आपिक अनुदान दिया करेंगी।

प्रत्येक प्रान्तों का ठीक-ठीक अनुदान मेस्टन पचाट के अनुसार निर्दित किया गया। परन्तु प्रान्तीय सरकारों ने इस वन्दोवस्त की निरन्तर शिकायतें कीं, कलतः प्रान्तीय अनुदानों की पद्धति को १६२८ में समाप्त कर दिया गया। १६१६ के एकट के अन्तर्गत वित्तीय विषयों के वितरण में भवसे बड़ा दोष यह था कि आय के विस्तार-दील व दमनशील स्रोतों को केन्द्रीय सरकार के अधीन रखा गया। इसके विपरीत प्रान्तीय सरकारों के कन्धों पर राष्ट्र का निर्माण करने वाले कर्तव्य-कर्मों का भार रखा गया, परन्तु उसकी आय के द्वारा भूमिकर और अन्तःशुल्क आदि अत्यन्त अप्रिय व अनामनशील थे। परन्तु फिर भी यह बात नियंत्रित नहीं बढ़ाया। १६३५ के भारतीय शासन सम्बन्धी एकट में इसी को कतिपय सुधारों व मनोधनों के सहित क्रियान्वित किया गया।

#### ५४. प्रान्तीय कार्यकारिणी—द्वंध शासन प्रणाली

प्रान्तीय स्वायत्ता की दिशा में प्रथम पग—कीव के अनुसार मोटफोड़-सुधारों की 'नवीनता' इस बात में सन्तुष्टिपूर्ण थी कि उन्होंने दोनों ही द्वयों—पर्थात् केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण के लियाहीकरण व प्रान्तीय कार्यकारिणी के अवश्यापिका के प्रति उत्तरदायित्व में प्रान्तीय स्वायत्ता की पुनःस्थापना की। २० अगस्त, १६१७ की ओपणा में जिम उत्तरदायी शासन की स्थापना का बचन दिया गया था, १६१६ का एकट उस दिग्गा में प्रथम पग था। इस अव्याय के प्रारम्भिक खण्ड में हम देख नुक्के हैं कि भारतीय भवेभानिक दावे की एकात्मक प्रकृति में कोई विरोग अन्तर किए

## A SOCIAL SUCCESS

TOMMY

Lunch? Y-yes—delighted——

[TELEPHONE-BELL: 'Tr-r-trr-trr.' TOMMY casts agonised glance at it, wavering between it and the AMERSHAMS, as he passes out into the hall. ROBBINS sits down dejected on a small chair.

TELEPHONE - BELL: 'Tr-r - trr - trr——trrrrrrrrr,' while the CURTAIN falls.]

निर्णय गवर्नर का ही मान्य होगा।

राजस्वों का वितरण—१९११ के एकट ने सरकार के दोनों भागों के बीच प्रामतीय राजस्वों के वितरण का भी विधान किया। यह भुक्ताव दिया गया था कि यह वितरण “सामान्य चुदि व तर्क यंगत भादान-प्रदान की सख्त प्रक्रिया” द्वारा सम्पन्न होगा। तथापि यह निश्चित किया गया कि यदि कही मतभेद उठ खड़े होंगे तो गवर्नर को इस बात का अधिकार होगा कि वह राजस्वों को सरकार और इस्तान्तरित विभाग के बीच बांट दे। सार्वजनिक अमृग एकत्रित करने के प्रस्तावों पर आमने के दोनों भाग समुक्त रूप ये विचार करते थे परन्तु निर्णय उनमें ने होके प्रलग-अलग करता था।

#### ५५. गवर्नर

तिरुविन और पदावधि—दूध आमन-प्रग्नाली में गवर्नर का स्थान वह महत्व का था। वह कार्यकारिणी का प्रधान था और इसकी शक्तियाँ बहुत विस्तृत थीं। प्रेसिडेन्सियों के गवर्नरों की नियुक्ति भारत-मन्त्री की सलाह के अनुसार समाट करते थे। आमतीर पर जिन व्यक्तियों को प्रेसीडेन्सियों का गवर्नर बनाया जाता था, वे उच्चकुलोंपन्न अध्येज होते थे, उनको सार्वजनिक जीवन का कफी गहरा अध्ययन होता था। दूसरे प्रान्तों के लिए समाट गवर्नर जनरल की सलाह के अनुसार गवर्नर नियुक्त करते थे। दूसरे प्रान्तों के लिए आमतीर पर जो गवर्नर नियुक्त किए जाते थे, वे छोंचे नागरिक सेवकों में से होते थे। मावारण्तः एक गवर्नर का कार्यकाल पाँच वर्षों का होता था।

गवर्नर और उत्तरी कार्यकारिणी परिषद्—गवर्नर ‘सरकार’ विषयों का मानने प्रबन्ध एक कार्यकारिणी परिषद् वो सहायता में करता था। इस कार्यकारिणी परिषद् में अधिक ने अधिक ४ और कम से कम २ नवदस्य सम्मिलित होते थे।<sup>१</sup> १९११ के एकट के अनुसार कार्यकारिणी में कम से कम एक ऐसे सदस्य का होना आवश्यक था जो कि भारतवर्ष में कम १२ वर्षों से सिविल र्मार्ग करता रहा हो। दूसरे

१. १९२१ में यू० पी०, पजाव, विहार और डीसा, यी० पी० तथा धामाम पूरे तरीके से गवर्नर के प्राप्त हो गए। १९२३ में बर्मा को और उपर्युक्त एक वर्ग पश्चात् उन्नर-पर्दिनमो-सीमा-प्राप्त को यह अस्थिर प्राप्त हो नहीं।

२. केवल तीन ही प्रेसीडेन्सियों तेमीं थीं जिनमें कि गवर्नर की कार्यकारिणी-परिषद् में ४ सदस्य होते थे। योपं गभी शान्तों में परिषद् में २ गवर्नर थोने थे। इन सदस्यों में से एक अध्येज सिविलियन होता था और दूसरा गैर-गरकारी भारतीय।

# THE STORY OF THE SMALL BOY AND THE BARLEY-SUGAR

1897

*Little reader, unroll your Map of England  
Look over its coloured counties and find Rutland  
You shall not read this story until you have found Rutland For  
it was there, and in the village of Dauble, that these things happened  
You need not look for Dauble, it is too small to be marked*

THERE was only one shop in the village, and it was kept by Miss Good, and everybody was very proud of it.

A little further down the street, there was indeed a black, noisy place with flames in it. This was kept by a frightening man who wore a great beard and did not go to the church on Sundays. But I do not think it was a real shop, for only horses went there. The children always ran past it very quickly. But the children never ran past Miss Good's unless they were late for school.

They used to crowd round the window and talk about the red and yellow sweets that were banked up against the panes in a most tempting and delightful fashion. Sometimes one of the boys, greedier than the rest, would stand on tiptoe and press his lips to the glass, declaring he could almost taste the sweets, or 'lollipops,' as he called them. Sometimes Miss Good would come and nod her ringlets to the children, over the bottles of home-made peppermint. How they envied her, living always, as she did, in company so splendid!

पर नियुक्त रहते थे। यदि गवर्नर चाहता तो विनियोग की कारण का अध्यारोप किए भी उन्हें अपने पद से हटा सकता था।

साधारणतः गवर्नर से यह आमा की जाती थी कि वह मन्त्रियों के परामर्श के अनुमान कार्य करे, परन्तु उसे मन्त्रियों के निर्णयों में हस्तांक लगाने के व्यापक अधिकार प्राप्त थे। वह यदि उचित समझता तो किसी भी मन्त्री के परामर्श को टुकड़ा सकता था। वह मन्त्री, जिसके कि परामर्श की इस प्रकार अवहेलना की जाती, अपने पुढ़ का त्याग कर सकता था। आपात की स्थिति में गवर्नरों के द्वितीय स्थानों की पूर्ति न करने के लिए गवर्नर उत्तम था। उस स्थिति में वह हस्तान्तरित विभागों का प्रबन्ध भी वे अपने ही हाथों में ले सकता था।

गवर्नर के व्यवस्थापक अधिकार—जबर जो कुछ कहा गया है, उससे यह स्पष्ट है कि गवर्नर किसी प्रकार वैधानिक प्रभुत्व ही न था। उसको जितने व्यापक अधिकार प्राप्त थे, उनके कारण उराकी दिप्ति एक स्वेच्छाचारी शासक के तुल्य हो गई थी। इस बात को इस तथ्य से ही समझा जा सकता है कि वह न केवल अन्तर्काशीणी प्राप्तियों को ही प्रभुत्वी अवैतनिक में रख सकता था, अपितु प्रान्तीय व्यवस्थापिका की इच्छा को भी बहुत मंदिरों में कुचल सकता था। इसके अलावा व्यवस्थापिका द्वारा पारित सभी कानूनों पर वह अपने नियंत्रणिकार का प्रयोग कर सकता था। कुछ ऐसे विधेयक थे जिन्हें कि उसकी पूर्ण अनुमति के बिना व्यवस्थापिका में पुरास्थानित तक भी नहीं किया जा सकता था। यदि गवर्नर किसी विधेयक को आवश्यक समझता, और व्यवस्थापिका उसे पारित करना प्रस्तुतीकार कर देती तो उस स्थिति में गवर्नर अपनी 'प्रमाणीकरण' की शक्ति के प्रयोग द्वारा उस विधेयक को पारित घोषित कर सकता था। उसे गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त करके, अध्यादेशों ने निर्मिति का भी अधिकार प्राप्त था।

गवर्नर के वित्तीय अधिकार—गवर्नर के वित्तीय अधिकार भी इसी प्रकार बहुत विशाल थे। सरक्षित विषयों की स्थिति में व्यवस्थापिका द्वारा अस्वीकृत या घटाई गई 'प्राइट' को भी वह जैसी की तैसी रख सकता था। हस्तान्तरित विषयों के सम्बन्ध में भी, व्यवस्थापिका के विरोध के बाबजूद भी, गवर्नर यह कह कर किसी भी व्यष्ट को प्रभागीकृत कर सकता था कि वह प्रान्त की शक्ति और मुरक्का अध्यादेशों के व्यापक विभाग के यासन-प्रबन्ध के लिए आवश्यक है।

#### ५६. प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल

प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डलों की नूतन स्थिति—१९१६ के एक ने प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डलों की रचना व शक्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। उनके अकार,

## SMALL BOY AND BARLEY-SUGAR

her, in the distance, eating their sweets or running races with them or playing at kiss in-the-ring with them, his cheeks grew very red, and his eyes filled with tears. But somehow he loved her all the more. And he often used to dream of Jill, and of pennies, and of the window that Jill loved.

There were other things than sweets in this window, but they were seldom sold. There were strips of bacon, which were not wanted, because every cottager had a pig. There were bright ribands round reels, but the girls of that village were not vain, and fairs were few. From the low ceiling hung bunches of tallow candles, that seemed to grow there like fruit, but every one in that village went to bed at sunset. There was starch, but why stiffen linen? And bootlaces, but they always break.

So Miss Good, like a sensible person, had devoted herself to the study of sweets, how to make them cheaply and well, and, as she was fond of little children, she was pleased that they were her chief customers. But it so happened that she herself was also very fond of sweets. She enjoyed tasting them, not only when she wished to see if they were good, but also when she knew quite well that they were good.

Now, one summer's evening, when all the children had gone home to bed, and she was putting up her humble shutters, Miss Good remembered suddenly that it was her birthday. You see, she had not had one for a whole year, and had forgotten that there were such things. She smiled to herself as she bolted the door of her shop, murmuring softly, 'I really must celebrate my birthday.' So she cut down one of the tallow candles and, having lit it, set it upon the counter. 'Illuminations!' she mur-

वह रहा जाकी संकुचित । १९२० में, इंडिया भारत में २४१.८ प्रयुत (Million) की कुल जनसंख्या में केवल ५.३ प्रयुत लोगों को अथवा बवल्क जनसंख्या के केवल ६ प्रतिशत भाग को ही मतदान देने का अधिकार प्राप्त था । मतदाताओं की अर्हताएँ अलग-अलग प्रान्तों में अलग-अलग थीं । साधारणतः नगर निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के अधिकारी वे ही लोग होंग कि जो या तो कम से कम २,००० रुपए वार्षिक आय पर आपकर देते हों अथवा ऐसे किसी मकान में रहते हों जिसका किराया कम से कम ३६ रुपए प्रतिवर्ष हो अथवा कम से कम ३ रुपया प्रतिवर्ष के मूलिक उपयुक्त देते हों । देहाती निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के अधिकारी वे ही लोग होंग कि जो कि कम से कम १० रुपए प्रतिवर्ष से लेकर ५० रुपए प्रतिवर्ष तक का भूगिकर देते हों । जमीदार निर्वाचन क्षेत्रों में विहित की गई अर्हता यह थी कि जो लोग ५०० रुपए प्रतिवर्ष (पंजाब में) से लेकर ५००० रुपए प्रतिवर्ष (यू० पी० में) तक का भूगिकर देते हों, वे ही मतदान के अधिकारी होंग करते हैं । विद्वविद्यालय निर्वाचन क्षेत्रों में ७ वर्षों की 'स्टैडिंग' वाले रजिस्टर्ड एंजुग्ट, ५ वर्षों की स्टैडिंग वाले एम० ए० और विद्वविद्यालयों के पार्स (Fellows) मतदान के अधिकारी थे । सैनिक सेवा भी एक अर्हता मानी जाती थी और पंजाब व गो० पी० में लभवरदार तथा गोपक के मुखिया मतदान होंग करते हैं । मोटफोडे सुधारों ने प्रत्यक्ष निर्वाचनों की प्रणाली विहित की ।

साम्प्रदायिक और विशेष निर्वाचक मण्डल—सभी निर्वाचनों का अध्यार "आतियों और हितों" के लिए पृथक् प्रतिनिधित्व का मिलान रखा गया । मोटफोडे प्रतिवेदन ने निम्न आधारों पर पृथक् निर्वाचक मण्डलों का स्थापन किया था (१) वे विभिन्न गम्प्रदायों के बीच द्वेष भाव की सृष्टि करते हैं । (२) वे अल्पमस्त्यक वर्गों की अनुग्रात देश को शक्तिपूर्व रखते हैं । (३) वे नागरिकता की श्रेष्ठ भावना के विकास में वाधा डालते हैं और (४) उत्तरदायी शासन के विकास का मार्ग अबहूल कर देते हैं । इम घलोकत्त्वात्मक पद्धति को नमाप्त कर देने के लिए ऐसे तर्क काफी वजनदार थे । परन्तु प्रतिवेदन ने इस पद्धति को न केवल मुमलमानों के लिए ही कायम रखने की, अपिन्तु उसे सिक्खों के लगार और लागू कर देने की मिलारिंग की । १९१६ के भारतीय शासन सम्बन्ध एक्ट के अधीन जी नियम बने, वे इसमें भी आमे बड़े गए और उन्होंने भारतीय ईमाइयों, यूरोपियनों तथा आंग्ल-भारतीयों को पृथक् निर्वाचक मण्डल प्रदान किए । इसके अनावश्यक उन्होंने बहुत-भद्रस्य निर्वाचन क्षेत्रों में मद्रास में अ-बहुलण्डों के लिए और बम्बई में मरहठों के लिए-स्थानों के मंरकाण को भी उपबन्धित किया । जमीदारों, आबगायिक और औद्योगिक हितों तथा विद्वविद्यालयों के लिए भी विशेष प्रतिनिधित्व की गारंटी दी गई । एक सूमरा भेद 'देहाती' और 'नापरिक' निर्वाचन धोरों में किया गया । देहाती निर्वाचन क्षेत्रों को नापरिक निर्वाचन क्षेत्रों की अपेक्षा

## SMALL BOY AND BARLEY-SUGAR

My head aches sadly. I am best alone. Thanks. Remember me kindly to the King.'

With a gracious inclination of her head, the Queen stepped into her chariot and was gone.

Now, as it happened, Tommy Tune's father came home that morning from another village, where for some days he had been making hay. The kind farmer whose hay it was had paid him very handsomely for his work. And when Tommy, having eaten his dinner, took his slate and was starting again for school, his father called him back.

'Tommy son,' he said, 'I have brought back something for you. Shut your eyes and give me your hand.'

Tommy obeyed in wonder. When he opened his eyes and looked to see what was in his hand, he saw—what do you think?—a real, brown penny!

'Oh Father,' he cried, 'how wonderful it is! And can you really spare it?'

'I'm not sure that I can,' replied Mr. Tune, rather grimly. 'Run away now before I ask for it back.'

Tommy scampered off.

Far down the road, on the way to school, walked a little girl, whose brown hair curled over her pinafore. It was Jill. Tommy shouted to her to stop and ran still faster. Yesterday he would not have dared to speak to her—certainly not to shout.

When he came nearer, the little girl heard him and looked round. At first, she shook her head and began walking on, but Tommy called to her so eagerly that at length she waited for him.

'Jill!' he said to her, shy and breathless. 'Will you come with me after school and buy barley sugar?'

'No, I won't,' she said. 'I'm going to play at horses.'

व्यय की आवश्यकता होती, तो गवर्नर उगे व्यवस्थापिका के अनुमोदन के बिना अधिकृत कर सकता था।

प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं का कार्यकारिणी से सम्बन्ध—जहाँ लक प्रान्तीय व्यवस्थापिका और कार्यकारिणी के सम्बन्धों का प्रदेश है, मन्त्री व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे। मन्त्रियों के बेतन और उनके विभागों ने सम्बद्ध दून के अधिकार अनुदानों पर व्यवस्थापिका को भत्तदात देने का अधिकार था। वह किसी भी मन्त्री को उसके ऊपर अविद्यालय का प्रस्ताव पारित करके त्यागपत्र देने के लिए विवर कर सकती थी। परन्तु इधामक कार्यकारिणी का दूसरा भाग अर्थात् कार्यकारिणी परिपद प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल के प्रति उत्तरदायी नहीं था व्यवस्थापक मण्डल न तो उन्हें (कार्यकारिणी-परिषदों को) पदब्युत ही कर सकता था। परन्तु यदि व्यवस्थापिका सभा इस अटल आधी कार्यकारिणी को नियंत्रित नहीं कर सकती थी, तो कई परोक्ष रीतियों से प्रभावित अवश्य कर सकती थी। भड़नो व स्वगत-प्रस्तावों के हारा और भरपूर विभागों ने सम्बद्ध उन अनुदानों को जिनके ऊपर कि उसे भत्तदान देने का हक था, अस्तीति करके या घटा कर, व्यवस्थापिका-सभा कार्यकारिणी के ऊपर काफ़ी जोर का दबाव डाल सकते थे और कभी-कभी उसमें अपनी बात मनवा लेती थी।

#### ४७. हैंधशासन प्रणाली की असफलता

हैंधशासन प्रणाली के प्रयोग को मोलह दर्पण नक (१२२१-१२३२) चलाया गया। परन्तु मध्यम निरीक्षकों ने उसे एक बहुत बड़ी अमफलना बताया। यह ठीक है कि उसने कूद मफलताएँ प्राप्त की। परन्तु वह अपने मुख्य उद्देश्य शान्तीय प्रशासन के हस्तातरित भाग में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने में नवदेश अमफल रही। लिटिर लेखकों ने हैंधशासन प्रणाली की अमफलना का भारा दोष कायेम के सिर मढ़ने का प्रयास किया है। उनका कथन है कि स्वराज्य दून ने अडगा नीति का आधय निया इमिलिए हैंधशासन प्रणाली अमफल लिद हुई। परन्तु अमफलना के असली कारण तो मोट्टोर्ड मुखारों के अधीन योजित उत्तरदायी शासन की अपरिपक्वता में ही समाविष्ट थे।

गवर्नर की स्वेच्छावारी शक्तियों ने उत्तरदायी शासन की बूँदि की अचल्द किया—१२१२ के एवट का सबसे बड़ा दोष यह था कि उसने गवर्नरों को हूलान्तरित विभागों के सम्बन्ध में भी इतने अधिक अधिकार दे दिए कि वे उत्तरदायी शासन की बूँदि को अत्यन्त सफलतापूर्वक अवहृद कर सकते थे। गवर्नर को मन्त्रियों द्वारा प्रदल परामर्श की अवहृतता करने का अधिकार प्राप्त था। फलत गवर्नर मन्त्रियों के भाग केवल प्रशासन-दातानी अवश्य गोरक्षान्वित नंकोर्टियों का मा ही अवहृत रहना

## SMALL BOY AND BARLEY-SUGAR

together, all alone in the field, with a stick of barley-sugar.

When Jill went up with the others to the high desk, she did look round at Tommy, with her finger to her lips, just where he had kissed her. In another instant she had clasped her hands behind her and was looking up at the Teacher.

She was near the top of her class, and her turn came soon. She was given a very easy word to spell ; but she must have been thinking of other things, I am afraid, for she failed in the given word : she spelt Cow with an U. Tommy, in his corner, blushed scarlet.

When her turn came round again, she spelt KITE with a C. The Teacher, who had always thought her to be one of the best of her pupils, frowned. 'Be careful, Jill Trellis !' she said sharply. Tommy held his slate very tightly with both hands.

Jill was told to spell Box. 'B,' she said, 'o,'—and she stopped short.

'Be very careful,' said the Teacher. 'You cannot be attending. B, o,—well ?'

Jill shook her head.

'x,' said the Teacher, 'you very abominable little girl ! Fetch the Dunce's Cap and stand on the stool. You will stay here for an hour after school is over and learn two pages of hard words.'

So Jill fetched the Dunce's Cap and climbed up on to the stool and clasped her hands behind her.

Nor did she look at Tommy when the clock struck four and the school-children trooped out.

For some time Tommy stood in the porch. There, at least, he was near his poor sweetheart. He would wait there till she was set free.

मन्त्री थे, मन्त्रिमण्डल नहीं।<sup>१</sup> बरतुतः गन्धी अपने-अपने विभाग के व्यक्तिगत प्रभुत्व होते थे। वे उन सुमांगठित टीम की तरह नहीं होते थे जो एक इकाई के रूप में व्यवस्थापिका का सामना करती है। कभी-कभी मन्त्री लोग सभा-भवन में ही एक-दूरे का विरोध करने लगते थे।<sup>२</sup> यह ठीक है कि इस अवस्था के लिए कुछ हव तक राजनीतिक दल पद्धति का अभाव भी दोपी था। परन्तु इस अवस्था के मुख्य उत्तरदायी गवर्नर लोग ही थे। मुडीमैन कमेटी के सामने गवाही देते हुए कई भूतपूर्व मन्त्रियों ने इम दोष की जिम्मेदारी गवर्नरों के सिर मढ़ी थी। पंजाब के सम्बन्ध में गवाही देते हुए स्वर्गीय लाला हरिकिशन लाल ने अपने विचारों को इस प्रकार प्रकट किया था, “दो मन्त्री किसी बात पर एक राष्ट्र विचार न पारते थे, प्रान्तीय गवर्नर मुझसे कहा करते थे कि तियमानुकूल प्रस्त्रेक मन्त्री को व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के प्राधार पर ही भारा कार्य करना चाहिए।” जब कि व्यवस्थापिका में इतने अधिक वर्गीय व साम्प्रदायिक ममूहों को प्रतिनिधित्व दे दिया गया, तो इससे दल-पद्धति का विकास कैसे हो सकता था? फलतः प्रान्तों में उस प्रकार का उत्तरदायी शासन स्वापित न हो सका, जिसकी आवाज की गई थी।

हस्तान्तरित और संरक्षित विषयों का भेद—द्वैषधासन-प्रणाली की असफलता का चौथा कारण हस्तान्तरित और संरक्षित विषयों का भेद था। उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए यह सर्वथा अनुपयुक्त था। इन विषयों की अलग-अलग गूचियाँ अवश्य दनाई गई परन्तु व्यवहार में इस प्रकार का विभाजन पूर्णतः दोषयुक्त सिद्ध हुआ। मद्रास के के० बी० रैट्टी ने एक बार कहा था—“मैं जगज्जी के बिना विकास मन्त्री था। मैं कृषि मन्त्री था, परन्तु यिचाई मेरे नियन्त्रण में न थी। मैं उच्चोग मन्त्री था, परन्तु कारखानों, विजली, जल-वाक्ता, खानों और श्रम आदि किसी पर मेरा

१. इस सम्बन्ध में मम्भवतः मद्रास ही एक अपवाद था। वहाँ अ-ग्राहणों को जस्टिन पार्टी का वहूमत था। उसने कुछ-कुछ समुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का पालन किया। नंयुक्त प्रान्त में, थी सी० बाई० चिन्तामणि और प० जगतनारायण, ने इस प्रया का चलाना प्रारम्भ किया। गवर्नर और थी चिन्तामणि में शिक्षा-विभाग के एक कर्मचारी के कार्यों के विषय में मतभेद हुआ। प० जगतनारायण का उसमें कोई सम्बन्ध न था, फिर भी दोनों मन्त्रियों ने एक ही भाष्य अपना त्वामपत्र गवर्नर के पाग भेजा।

२. पंजाब में यही हुआ। वहाँ कलकत्ता मुनिशिपल विधेयक के ऊपर सुटेन्न-नाय बैनर्डी और उनके एक मुस्लिम साथी ने एक-दूसरे का विरोध किया। पंजाब में भी दो मन्त्रियों के बीच संघर्ष हो गया था।

SMALL BOY AND BARLEY-SUGAR  
your wishes will come true. Say "Thank you" and give me your penny.'

Tommy opened his eyes very wide and thanked her.

'Good afternoon,' she said, dropping his penny into the till.

Tommy ran, as hard as he could, to a certain field. He held the barley sugar tightly in his hand. He knew what he was going to wish for first. His eyes sparkled as he ran. Visions of what he would wish for later on floated vaguely in his mind—a lovely garden of vegetables for his mother, a lovely farm for his father, for himself a regiment of wooden soldiers, taller than he was. But these fair visions he hardly heeded. He was thinking only of his first wish.

That he might get more quickly into the field, he climbed through a break in the hedge, caring not how the brambles scratched him, and jumped over the ditch on to the grass beyond. There, after his run, flushed and trembling with excitement, he put the yellow stick to his lips. He set his teeth upon the very edge of it, so as not to take more than a tiny bite. Then, shutting his eyes tight, he said aloud, 'I wish Jill to come here at once.'

And, when he looked, there stood Jill before him, in her Dunce's Cap. In her hand she held a spelling-book, and her eyes were full of tears. But Tommy flung his arms round her neck, so quickly that the book and the cap both fell to the ground. Tommy kissed away all her tears.

'Leave go, Tommy!' she cried at last. 'Tell me why I am here. Why am I in this field?' she asked, staring around.

'I wished for you to come, Jill,' the boy answered.  
'But I was in the school-room. Why am I in the field?'

प्रमुख या नेटरी होते थे। इनमें से अधिकांश व्यक्ति भारतीय मिलियनरी के नदम्य होते थे। उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए यह प्रावध्यक है कि मन्त्री जो भी प्रादेश दे, उसके प्रधीनस्थ पदाधिकारी उन ग्रामेशों का अविनाश्य पालन करें। परन्तु द्वैष शासन प्रणाली के अन्दर यह स्थिति नहीं थी। माप्राज्यीय मेवाओं के ऊपर भारत-मन्त्री का ही नियन्त्रण बना रहा। १९११ के एकट के अधीन मिलियनरी के अधिकारी व प्राधिकारी की रक्षा करना गवर्नर का कर्तव्य ठहराया गया। अबहार में इसका अभिप्राय यह हुआ कि स्वायी पदाधिकारियों की नियन्त्रित, स्वानान्तरण और तरक्की पर गवर्नर का नियन्त्रण होता था, न कि उन मन्त्री का, जिसकी अधीनता में वे कार्य करते थे। उत्तरदायी शासन की भावना के प्रतिकूल इसमें बढ़कर और कोन-नी बहुत ही खट्टी थी। एक और तो अपने विभाग के मम्पक शासन-प्रबन्ध के लिए मन्त्री अवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था और दूसरी ओर उने इस बात की भी पूरी सत्त्वित नहीं दी गई थी कि वह अपने उन अधीनतस्थ कर्मचारियों को दण्डित कर सकता, जो कि उसकी नीतियों को कार्यान्वित करने में नापक होते थे। यदि मन्त्रियों और मिलियनरी के मदरसों में किसी प्रकार का मतभेद होता, तो मिलियनरी के मदस्य मन्त्रियों की अवहेलना करके, उच्चतर अधिकारियों की महायना से अपनी ही बात रखा भवते थे। यद्यपि अधिकांश अद्यमर्गों पर मिलियनरी के मदस्य मन्त्रियों के दायर गहयोग करते रहे, फिर भी प्रत्यक्ष प्रान्त में कुछ ऐसे अवमर अवस्थ प्राप्त, जब यिलियनरी के मदरसों ने भवित्वों की बत्त न मानी और यदि मानी भी तो धैर्यना में। मिलियनरी की भी पूर्वोंपत अस्त्वन्ध के कान्गा भी दुंध शासन प्रणाली का दोषद्रुक्त और अमर्कन मिल द्वारा हुई।

### सारांश

१९११ के भारतीय शासन सम्बन्धी एकट ने भारत की केन्द्रीय गवर्नर में थोड़ी मारभूत परिवर्तन नहीं किया। उसने केन्द्रीय गवर्नर के नियन्त्रण को कुछ नियन्त्रित कर दिया और केन्द्रीय अवस्थापिका के मदरसों की वक्ष्या और उनकी भवित्वों में थोड़ी-गो बुद्धि नार दी। केन्द्रीय कार्यकारिणी अवस्थापिका के प्रति पूर्ववत् ही अनु-तरदायी रही। अवस्थापिका को इतनी भवित्वों दे दी गई, जिसमें कि वह कार्य-कारिणी को नियन्त्रित तो नहीं, परन्तु प्रभावित अवस्थ कर सकती थी। प्रान्तों में द्वैष शासन प्रणाली के क्षम में आगिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। यद्यपि यिलियनरी की एकात्मक प्रवृत्ति तो पूर्ववत् ही रही, तथापि प्रान्तों की थोड़ी स्वायत्ता दे दी गई।

गृह-मरकार—भारतवर्द्ध के मम्पते शासन नवाचन का केन्द्र नम्दन ही रहा।

THE Bay of Yedo is all blue and yellow The village of Haokami is pink And Umanosuké, who ruled the village worthily, was a widower And Yai, his daughter, was wayward

The death of his wife had grieved Umanosuké ' She was more dear to me, he had cried over her tomb, ' than the plum tree in my garden, more dear than the half of all my pied chrysanthemums And now she is dead The jewelled honeycomb is taken from me Void is the pavilion of my desire As an untrod island, as a little island in a sea of tears, so am I My wife is dead What is left to me ? ' Yai, not more then than a baby, had sidled up to him, cooing, ' I, father ! ' And the villagers had murmured in lowly unison, ' We, great sir ! ' And so the widower had straightway put from him his hempen weeds and all the thistles of his despair, had lifted his laughing child upon his shoulder, and touched with his hand the bowed heads of the villagers, saying, ' Bliss, of all things most wonderful, is fled from me But Authority remains, and therefore will I make no more lamentation '

Henceforth Umanosuke lived for Authority Full of wisdom were his precepts, and of necessity his decrees Whenever the villagers quarrelled, as villagers will, among themselves, and struck one another with their paper fans and parasols, at his coming they would lie flat upon the

को राज्यगणित कहते थे। उसके मदस्यों की मंख्या ६० होती थी जिसमें कि ३४ नदस्य निर्वाचित होते थे। निम्न सदन को भारतीय व्यवस्थापिका भाग कहते थे। उसके कुल मदस्यों की मंख्या १४५ होती थी जिसमें कि ४१, सरकारी और गैर-सरकारी मदस्य, मनोनीत होते थे। इन प्रकार दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्यों का बहुभत्त होता था। परन्तु निर्वाचित सीटों की मूल पृष्ठक सम्प्रदायिक निर्वाचिक गणों, और वर्ग निर्वाचिक गणों के माध्यम से होती थी। केन्द्रीय व्यवस्थापिका के पास प्रभुत्वशक्ति का अभाव था। वह कानून बनाने वाली मंख्या थी परन्तु उनकी धमता के ऊपर गवर्नर जनरल की स्वेच्छाचारी शक्तियों के कारण बहुत प्रतिबन्ध लगे गए थे।

**प्रान्तीय शासन**—१६१६ के एकट ने शान्तों में उत्तरदायी शासन के प्रयोग को प्रारम्भ किया। प्रान्तीय शासन प्रबन्ध को दो भागों में बांटा गया। एक भाग में गवर्नर अपनी कार्यकारिणी परिपद के सहित समिलित था। यह भाग, राजस्व, कानून और व्यवस्था, इत्यादि संरक्षित विभागों का प्रबन्ध करता था। शासन के इस भाग के ऊपर प्रान्तीय व्यवस्थापिका का वित्तकुल नियंत्रण नहीं था। दूसरे भाग में गवर्नर और मन्त्री समिलित थे। यह भाग कृषि, निकाय, स्थानीय स्थिरासन इत्यादि 'हस्तान्तरित' विषयों का प्रबन्ध करता था। मन्त्री लोग व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे। व्यवस्थापिका उनके बेतन में कमी कर सकती थी और उनके ऊपर अधिकार का प्रस्ताव लाने करके उन्हें प्रदर्शित कर सकती थी।

गवर्नर ही नमूर्ण शान्तीय शासन का मूलधार था। दैर्घ्य शासन प्रणाली की स्थापना ने उसे हस्तान्तरित विषयों के मध्यमें भी बैधानिक शासन नहीं बनाया। मन्त्री के परामर्श को मानना न मानना उसके हाथ की बात थी, वह उनकी प्रवहेनना कर सकता था। इसके अलावा, गवर्नर जनरल की ही तरह, उनकी भी कार्यकारिणी, विधायिनी और वित्तीय शक्तियों बहुत बड़ी-चड़ी थीं।

१६१६ वे एकट के अधीन प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं—व्यवस्थापिका परिषदों को काफी विस्तृत कर दिया गया। मन्त्रियों में उनके द्वारा किए गए कार्यों का कारण पूछने का उन्हें नया अधिकार दिया गया। परन्तु गवर्नरों की प्रत्येक सत्र के कारण उनकी व्यवस्थारक व वित्तीय शक्तियों के ऊपर प्रतिबन्ध लगे हुए थे।

१६१६ के एकट के अधीन जिय दैर्घ्य शासन प्रणाली की स्थापना की गई, उसे अस्त्रे उद्देश्य में सफलता नहीं मिली। अर्थात् जहाँ प्रान्तीय शासन के हस्तान्तरित विषयों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना न कर सकी। गवर्नर की संवच्छानारी शक्तियाँ उत्तरदायी शासन की स्थापना में सबमें बड़ी, अवध्य बाधाएँ थीं। मन्त्री मनोनीत सदस्यों के मुट की महायता में मगनी गही गर जमे रह सकते थे। दूसरे यद्यों में व्यवस्थापिका के प्रति वे कम उत्तरदायी रहते थे। प्रान्तीय शासन में मंगूत उनर-

## YAI AND THE MOON

than which I can find no better simile for your mother, it is already fifteen round years. And lo ! in nothing but dreams and truancy have you spent your girlhood. I, who begat you, have grown sad in contemplating all your faults. Had I not, knowing the wisdom of the philosophers, believed that in the span of every life there is good and evil equally distributed, and that your evil girlhood was surely the preamble of a most perfect prime, your faults had been intolerable. But I was comforted in my belief, and when I betrothed you to young Sanza, the son of Oiyaro, my heart was filled with fair hopes. Only illusions !'

'But, father,' said Yai, 'I do not love Sanza.'

'How can you tell that you do not love him,' her father demanded, 'seeing that you hardly know him ?'

'He is ugly, father,' said Yai. 'He wears strange garments. His voice is harsh. Twice we have walked together by the side of the sea, and when he praised my beauty and talked of all he had learned at the university, and of all he wished me to learn also, I knew that I did not love him. His thoughts are not like mine.'

'That may well be,' Umanosuke answered, 'seeing that he was held to be the finest student of his year, and that you are more ignorant than a hare. As for his face, it is topped with the highest forehead in Haokami. As for his garments, they are symbols of advancement. In fourteen languages he can lift his voice. I am an old man now, a man of the former fashion, and many of Sanza's thoughts seem strange to me, as to you. But when I am in his presence I bow humbly before his intellect. He is a marvellous young man, indeed. He understands all things. If you mean that you are unworthy of him, I certainly agree.'

## असहयोग आन्दोलन

### ५८. प्रथम विश्वयुद्ध और भारतीय राष्ट्रीयता

युद्ध और राष्ट्रीयता—कूपलेण्ड मेरिट ने लिखा है कि “युद्ध राष्ट्रीयता को प्रकृष्ट कर देता है”<sup>१</sup>। प्रथम विश्वयुद्ध ने इसका एक उपान्त प्रदान किया। लिटिश और अमेरिकन राजनीतिज्ञों द्वारा घोषित राष्ट्रीय ‘आत्म-निर्णय’ के सिद्धान्त ने यूरोप में एक उत्तेजना उत्पन्न कर दी। इसी सिद्धान्त के अनुसार कई द्रुत राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना की गई। पूर्व भी इससे अप्रभावित न रह सका। चीन और मध्यपूर्व में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के आन्दोलन जोर-शोर से प्रारुद्ध हुए। युद्ध ने भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन को भी अपूर्व सामर्थ्य प्रदान की। युद्ध के पश्चात् भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन की गति और दिशा दोनों में परिवर्तन हो गया।

आन्तरिक कारण : (क) आधिक कठिनाइयाँ—कई ऐसे आन्तरिक कारणों ने भी जो कि युद्ध से सम्बद्ध थे—राष्ट्रीय आन्दोलन की गति को तोड़ कर दिया। युद्धकाल में भारतवर्ष को भीषण आधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। ग्रनियार्ड सामियों की कमी और महेंगी के कारण जनता को बहुत कष्ट उठाने पड़े थे। मध्यवर्ग और निधन वर्ग की जनता को तो मानो कमर ही टूट गई थी। चीजों के दाम बहुत ऊंचे चढ़ गए थे, दूकानदार भरपेट पुनाक्ष कराते थे, अनुचित जाम उठाने पर धक्का रखने अथवा बहुत जरूरी चीजों पर रायन लगाने की कोई कोशिश नहीं की गई थी। एक और तो भारत में भुलमरी फैल रही थी, दूसरी और सरकार ने महायुद्ध के लिए धन एकत्र करने में ज्यादती में काम लिया। भारत सरकार ने देश की आर्थिक दुर्बलता का तनिक भी व्यान न रखते हुए रिटेन को दस करोड़ पौं रुपयों की भेट दी। जनता को आर्थिक दशा इतनी जोखीय हो गई थी कि नृद्य स्थानों पर मज़ूरों ने हड़तालें की, कहो-कहो बलबे हो गए और बाजार लूट लिए गए।<sup>२</sup> चम्पारन (विहार) और खेडा (गुजरात) में हालत विशेष है कि लालब हो गई थी। वहाँ थी

१. कूपलेण्ड—“इण्डिया ए रिस्टेटमेंट,” पृ० ११३।

२. “इण्डिया इन १९१७-१८,” पृ० ६०।

## YAI AND THE MOON

desolate. Of no man but him can I be the bride.'

Umanosuké raised his hand. 'The Moon,' he said, 'is the sacred lantern that our God has given us. We must not think of it but as of a lantern. I do not know the meaning of your thoughts. There is mischief in them and impiety. I pray you, put them from you, lest they fall as a curse upon your nuptials. I did but send for you that I might counsel you to bear yourself this afternoon, in Sanza's presence, as a bride should, with deference and love, not with unmaidenly aversion. It is not well that the bridegroom, when he comes duly on the eve of his wedding to kiss the hand of his bride, and to sprinkle her chamber with rose-leaves, should be treated ungraciously and put to shame. Little daughter, I will not argue with you. Know only that this wedding is well devised for your happiness. If you love me but a little, try to please me with obedience. I am older than you, and I know more. Behave, I beseech you, better!'

Yai ran into the garden, weeping.

She paced up and down the long path of porcelain. She beat her hands against the bark of her father's favourite uce-tree, whose branches were always spangled with fandangles, and cursed the name of her bridegroom. For hours she wandered among the flower beds, calling upon the name of her love.

The gardeners watched her furtively from their work, and murmured, smiling one to another, 'This evening we need not carry forth our water-jars, for Yai has watered all the flowers with her tears'

When the hour came for her bridegroom's visit, Yai had bathed her eyes in orange-water, and sat waiting at her

विलकुल बेकार गई ।

**खिलाफत-प्रदेश**—खिलाफत प्रदेश के ऊपर भारतीय मुसलमान अत्यन्त स्पष्ट हुए । जब तंडाई चल रही थी, विदिशा राज्यालय ने उन्हें यह बचान देकर कि न तो टर्की-साम्राज्य का ही विघटन किया जाएगा, और न खिलाफत का ही अन्त किया जाएगा उनकी महायता प्राप्ति की थी । परन्तु युद्ध समाप्त होने के पश्चात् भारतीय मुसलमानों को पता चला कि अध्येयों के बे सब बचन के बाल उन्हें बुलावे में डालने के लिए ही थे । इस बात की बाकी अफवाहें थीं कि मिशन राष्ट्र टर्की-साम्राज्य का विघटन करते और खिलाफत को समाप्त करने के लिए कमर बर्म हुए हैं । भीवर्म की सचिं ने अध्येयों की दोहरी चाल का पर्दा काढ़ कर दिया । इससे भारत के मुसलमानों को गहरा धक्का पहुँचा और उन्होंने खिलाफत आन्दोलन को प्रारम्भ किया । राष्ट्रीयता की नई भावना के उत्तरान होने का एक यहूदीय पूर्ण कारण यह भी था कि १९१५ में गोखले की गृह्य होने के पश्चात् राष्ट्रीय आन्दोलन के नेतृत्व में परिवर्तन हो गया था ।

उदासादियों का अस्तगत श्रीराष्ट्रीय नेतृत्व में परिवर्तन—१९१८ में उदासादियों का प्रेरणा में अलग हो गए और उन्होंने अपने एक अलग संगठन—अखिल भारतीय उदासादी संघ—की स्थापना की । चूंकि उनका वैधानिकबाद में ही विस्वाम था अतः वे होमस्ल आन्दोलन की प्रहृष्टता द्वारा प्रदर्शित राष्ट्रीय मर्षपंथ की नूतन प्रवृत्तियों के रावंथा अनुपश्चित थे । परन्तु उनके काप्रेम से सम्बन्ध विच्छेद करते का असली कारण १९१८ में प्रकाशित मॉटोर्फोइंड प्रतिवेदन में निहित वैधानिक सुधारों के प्रभा । उनका अपना हृष्टिकोण था । वे इन सुधारों को विभिन्न सद्भावना का प्रतीक मानते थे । इसके विपरीत उम समय बासंस में उदासादियों का जोर था । वे मॉटोर्फोइंड प्रतिवेदन से सर्वथा असहमत थे । उदासादियों के निकल जाने के बाद कांग्रेस महात्मा गांधी के गतिशील नेतृत्व में प्रा गई और उन्होंने भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन को एक नूतन दिया और नवीन गति प्रदान की ।

## ५६ रौलट एक्ट

**रौलट एक्ट** को पृष्ठभूमि—१९१८ में सरकार ने सर लिडली रौलट की अध्यक्षता में एक कमेटी यह जांच करने के लिए नियुक्त की कि भारतवर्ष में किस प्रकार और किस तरह लालितकरणी आन्दोलन सम्बन्धी प्रदूषक फैले हुए हैं और उनका मुकाबला करने के लिए कैसे कानूनों की अवधिकता है । भारत-रक्षा कानून की अवधि भव शीघ्र ही समाप्त होने वाली थी और सरकार 'विश्वसाम्मक' कार्यालयियों को कुचल डालने के लिए अपने आपको भव्य मजिजत कर लेना चाहती थी । पद्धति महापुढ़ अब समाप्त होता जा रहा था, किर भी सरकार शकाकुन थी । उन्हें

## YAI AND THE MOON

'Sanza,' she said, when he ceased, 'will you release me? If you think me mad, you cannot wish me to be your bride.'

For a moment Sanza hesitated—only for a moment.

'Madness,' he said, 'is a question of degree. We are all potentially mad. If you were left to indulge in these absurd notions, you would certainly become mad, in time. As it is, I fancy you have a touch of Neuromania. And when you speak I have noticed a slight tendency to Echolalia. But these are trifles, my dear. Any sudden change of life is apt to dispel far more serious symptoms. Your very defects, small though they are, will make me all the more watchful and tender towards you when I am your husband.'

'You are very cruel and very cowardly,' sobbed Yai, 'and I hate you!'

'Nonsense!' said Sanza, snatching one of her hands and kissing it loudly.

In another minute the room had been sprinkled with rose-leaves, and Yai was alone.

At sunset her father came to the room and bent over her and kissed her. 'Do not weep, little daughter,' he said. 'It is well that you should be wed, though you are so unwilling. Sleep happily now, little daughter. To-morrow, all in your honour, the way will be strewn with anemones and golden grain. Little lanterns will waver in the almond trees.'

Yai spoke not a word.

But when her father had reached the threshold of her room, she ran swiftly to him and flung her arms around his neck, and whispered to him through tears, 'Forgive me for being always an evil daughter.'

गांधी यहने याथ जीवन का एक विशिष्ट दर्शन और एक ऐसी राजनीतिक टेक्नीक लाए थे, जिसकी उपर्योगिता मिथ हो चुकी थी।<sup>१</sup>

**स्पष्ट घोषित राजनीति**—उस समय महात्मा गांधी 'स्पष्ट घोषित राजनीति' ये ग्रन्थियाँ साम्राज्य के प्रति अपनी राजनीतिक का वह शर्वपूर्वक उल्लेख किया करते थे। उनका कथन था कि "ग्रन्थियाँ साम्राज्य के कुछ ऐसे आदर्श हैं जिनसे मुझे प्रेम हो गया है।" गवर्नर ने भी उन्हे कैसरी-हिन्दू-स्वर्ण-पदक प्रदान कर उनकी प्रतिष्ठा की थी। भारतवर्ष में ग्राकर उन्होंने गोखले को अपना राजनीतिक मुख बनाया और उनसे मार्ग-दर्शन प्राप्त किया। गोखले ने उन्हें सलाह दी कि भारतीय राजनीति में कूट पड़ने के पूर्व तुच्छ समय तक वे उसका अमरीक अध्ययन करें। महात्मा गांधी ने तदनुसार वो धर्म के कर्त्तव्य सारे देश का अध्ययन करते भेज दिया। जहाँ कही भी महात्मा गांधी था, उनका वश उनके आगेआगे गया और जनता ने भवत और बीर के रूप में उनका प्रादर किया। अगरनी इस यात्रा के काल में महात्मा गांधी ने सक्रिय राजनीति में कोई भाग नहीं लिया।

**चम्पारन**—१९१७ में चम्पारन ने महात्मा गांधी का आत्मान किया। वहाँ सीन की गंती होती थी और अंग्रेज उसके मालिक थे। वे लोग किसानों पर तरह-तरह के ग्रत्पाचार करते थे। महात्मा गांधी ने किसानों की कठिनाइयों के बारे में मूढ़म जीव-पड़ताल की और वे उनके करुणों को दूर करने में सफल हुए। इससे गांधीजी की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई।

**तेढ़ी**—ग्रामी धर्म उन्होंने तेढ़ा में 'कर नहीं' आनंदोलन का भाग लगाया। तेढ़ा में उस धर्म वर्षा मही हुई थी, इसमें फसल पर बहुत युरा ब्रह्मर पड़ा था। टम आनंदोलन में ही महात्मा गांधी ग्रहदार पटेल के निकट सम्पर्क में आए। तेढ़ा में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का जो प्रयोग किया था वह समझौते के रूप में बफल हुआ, गांधीजी के अनुयायियों ने इसको अपनी बहुत बड़ी विजय समझा।

**अहमदाबाद**—उसी धर्म अहमदाबाद के मिल-मजदूरों ने भी महात्मा गांधी ने महापता की याचना की। वे लोग अपनी वेतन बढ़ि के लिए आनंदोलन कर रहे थे। महात्मा गांधी ने मजदूरों वो महायता का व्यवहार किया और मिल-मालिकों से कहा कि वे उनकी मालों को पूरा करें। जब मिल-मालिक नहीं माने, तो गांधी जी ने आमरण अनुगत भूल कर दिया। उव्यास के चौथे दिन मिल-मालिकों से गांधी जी की जानों को स्फीतार कर निया। और मजदूरों के वेतन में ३५ प्रतिशत बढ़ि हो गई।

१. एच० स० प्रीतका—“महात्मा गांधी”, पृ० १५।

## YAI AND THE MOON

sound as of weeping, she had no fear, but only love in her heart. Gazing steadfastly before her at that glimmering white line where the sky curves down upon the sea, and ever whispering through her lips the name of her love, she held her swift course over the waters.

Clearer, clearer to her gaze grew the white line and the arched purple that rested on it. Another minute, and she could hear the waves lapping its surface, a sweet monotony of music, seeming to call her on. A few more strokes of her paddle, swept with a final impulse, and the boat bore her with a yet swifter speed. Soon she suffered it to glide on obliquely, till it grazed the white line with its prow. She had reached the tryst of her devotion. Faint and quivering, she lay back and waited there.

After a while, she leant over the side of the boat and peered down into the sea. Far, far under the surface she seemed to descry a little patch of silver, of silver that was moving. She clasped her hands to her eyes and gazed down again. The silver was spreading, wider and wider, under the water, till the water's surface became even as a carpet of dazzling silver.

The Moon rose through the sea, and paused under the canopy of the sky.

So great, so fair was he, of countenance so illustrious, that little Yai did but hide her head in the folds of her garment, daring not to look up at him.

She heard a voice, that was softer and more melancholy than the west wind, saying to her, 'Child of the ruler of Haokamu, why sought you to waylay me?' And again the voice said, 'Why sought you to waylay me?'

'Because,' Yai answered faintly, 'because I have long loved you.'

पर भलडे हो गए। शिल्पी में जनता और पुलिस के बीच गंभीर हो गया। पुलिस ने गोली चला दी जिसमें आठ आदमियों की मृत्यु हो गई। वस्तवी, अहमदाबाद, कलकत्ता, लाहौर और अमृतसर में भी इसी तरह के लवतरलाक झगड़े हो गए। इन हालतों को देखकर महात्मा गांधीजी की आत्मा को अपार कलेज हुआ और उन्होंने १८ अप्रैल को अपना आन्दोलन स्थगित कर दिया क्योंकि जनता आहसा का पालन करने में असफल रही थी। महात्मा गांधी ने सारा दोष अपने सिर से लिया। उन्होंने इस बात की धोपणी कर दी कि अन्दोलन शुरू करना उनकी 'भवकर भूल' थी। अपनी इस भूल के प्रायशित्तस्वरूप उन्होंने तीन दिन का उपवास रखा और जनता से भी एक दिन का उपवास रखने का निवेदन किया।

### ६१. पंजाब की दुर्घटनाएँ

**पंजाब का अशान्तिमय चालायरण—अप्रैल १९२१ भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में चिरस्मरणीय महीना है।** रोटर एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने जिस सत्याग्रह आन्दोलन को लड़ा किया था, उसने देश में अत्यन्त भयावह चालायरण उत्पन्न कर दिया था। परन्तु पंजाब की हालत विशेष रूप से खराब हो गई थी। इस प्रान्त में रोटर एक्ट विरोधी आन्दोलन के सिलसिले में लाहौर और अमृतसर आदि स्थानों पर कुछ हिमातक घटनाएँ भी हो गई थीं। "परन्तु वहाँ कोई क्रान्तिकारी आन्दोलन नहीं था" "और जनता के नेता आन्दोलन के शान्तिपूर्ण व वैधानिक उपायों में विश्वास रखते थे।"

**सर माइकेल ओडायर-**—उन समय पंजाब के गवर्नर सर माइकेल ओडायर थे। वह पंजाब के लोह पुरुष के नाम के विश्वात थे। इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि वह शामक बहुत अच्छे थे, परन्तु राजनीतिज्ञता का उनमें सर्वथा अभाव था।<sup>१</sup> उन्होंने सडाई के लिए मिशाही भरती करने और धन एकत्रित करने में जिन अभानुपीय साक्षरों का प्रयोग किया था, उनसे वह पहले ही जनता ये काफी बदनाम हो चुके थे। उन्होंने अपने प्रान्त में सारी राजनीतिक हस्तचलों को कुचल डालने का निश्चय कर लिया था। उन्होंने पंजाब के चारों ओर लोहे का एक भावरण ढाल दिया और महात्मा गांधी तथा अन्य घोटी के राष्ट्रीय नेताओं को पंजाब में प्रवेश करने से रोक दिया। ७ अप्रैल, १९२१ को पंजाब अपराधिक तमाम भाषण देते हुए उन्होंने जन-आन्दोलन के

१. जी० एन० सिंह—"बैण्डमार्कमें इन इविड्यम कांस्टीट्यूशनम एण्ड नेशनल डेवलपमेण्ट," प० ३८२।

२. मी० वाई० चिन्तामणि—"इविड्यम पोलिटिकम मिन्म भूटिनी", प० १२८।

## YAI AND THE MOON

married that impertinent little fellow, who is always spying at me through his confounded telescope. And there he is, to be sure ! up betimes and strutting about his garden, with a fine new suit on ! Quite the bridegroom !'

लगातार १० मिनट तक गोलियों की ओद्धार की जारी रखा। मनुष्यों के उस आतंकित भूषण पर, जिसे कि चूहों के सुल्य पिजड़े में पकड़ रखा गया था।<sup>१</sup> डायर ने हृष्टर-कमेटी के सामने यह कहा था, मैं तो एक फौजी गाड़ी (आर्मेड कार) ले गया था, लेकिन वहाँ जाकर देखा कि वह बाग के भीतर युग्म ही नहीं सकती थी। इसलिए उमेर वही बाहर छोड़ दिया था।<sup>२</sup>

माझे ला और आतंक का राज्य—पंजाब में अधिकारी बर्ग ने जो नृदंभताएँ कीं, जिसीका ला वाग की घटना उन सबमें भयकर थी। इस कत्तेआम के दो दिन बाद पंजाब के २ जिलों में सैनिक विधान (Martial Law) घोषित कर दिया गया और उसे अमानवीय निर्देशता के साथ लागू किया गया। 'जनरल डायर के राज्य में कुछ ऐसी संज्ञाएँ देखने की मिली, जिनका स्वप्न में भी स्याज नहीं हो सकता था।' अमृतसर के नक्तों में पाली धन्द कर दिया गया था और विजली काट दी गई थी। जिस गली में भिम घेरवुड पर आक्रमण हुआ था, उस गली में लोगों को पेट के बल रेंगकर जाने की आज्ञा थी। सबके सामने बेत लगाना आम तौर पर चालू था। रेलवे स्टेशनों पर तीमरे दर्जे का टिकट बेबने की मनाही कर दी गई थी। स्कूल और कालिज के छात्रों के लिए यह आज्ञा थी कि वे दिन में चार बार फौजी अफसरों के सामने विभिन्न स्थानों पर हाजिरी दिया करें। कई स्थानों पर किसानों की भीड़ पर गोलियाँ चलाई गई और हवाई जहाजों से मणीनगन चलाई गई। यह आदेश जारी कर दिया गया था कि जब कोई हिन्दुस्तानी किसी अंग्रेज अफसर को मिले तो वह उसको सलाम करे, अगर नवारी में जा रहा हो या घोड़े पर नवार हो तो उतर जाए, अगर आता जगाए हुए हो, तो नीचे भुका हो। पहला आदेश इनसिए दिया गया था ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि "उनके नए सामिन आए हैं।" यदि स्कूल और कालिज के लड़के नाहिं को सलाम नहीं करते, तो उनके बोमल बदन पर नृशमन-पूर्वक बेतों की जार पड़ती थी।

हृष्टर-कमेटी—जब पंजाब की इन दुर्घटनाओं का समाचार देश के दूसरे भागों में पहुंचा, तो जनता में चारों ओर सत्सनी-सी फैल गई। कबीर रवीन्द्र ने इन नौकरगाही वर्द्धता के विरोध में अपनी 'भर' की उपाधि कोट्यता दिया। बारों और में इम बात की मांग आने लगी कि पंजाब की इन नारी दुर्घटनाओं की जांच-उठान की जानी चाहिए। भरकार में इस मन्त्रन्य से यही गिरिजनता का परिवर्य दिया। अंलियाँवाला बाग की दुर्घटना के बार महीने बाद उसकी जांच-उठान करने के लिए

१. वही।

323 m 463

**Call No.** J 520 W 1964

Accession No. 14770

**Title** \_\_\_\_\_

**Author** \_\_\_\_\_

GOVT. COLLEGE  
LIBRARY,  
KOTA.  
INDIA

Kindly use this book  
very carefully. If the  
book is disfigured or  
tattered or marked or  
written on while in your  
possession the book will  
have to be replaced by a  
new copy or paid for  
In case the book be a  
volume of set or which  
single volume the price of  
available the whole set will  
realized.

सरकार के साथ सहभोग करने का समर्थन करते थे। मुधार-काहून के सम्बन्ध में पहले कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पास किया था कि मुधार-काहून “अपूर्ण, असन्तोषजनक और निराशापूर्ण है।” लेकिन बाद में महात्मा गांधी के प्रभाव से उक्त प्रस्ताव में यह टुकड़ा और ओढ़ दिया गया कि “लोग सुवारों को इस प्रकार जाम में लाएंगे जिससे भारतवर्ष में श्रीम पूर्ण उत्तरदायी नामन कायम हो सके।” ब्रिटिशों ने लिखा है—“अब भी, १९१६ के अन्तिम दिनों में भी, वह (महात्मा गांधी) राजभक्त थे, यह भी वह अपने गुरु गोखले के द्वाया थे।

सीबसं की संधि—परन्तु १९२० की गरमी के दिनों में हालत विलक्षण बदल गई। हैट्टर कमेटी की रिपोर्ट और सीबसं की संधि के प्रकाशन ने भारतीय जनता को और भी अधिक हिलाकर रख दिया। सीबसं की संधि के फलस्वरूप टर्की को अपने प्रदेशों में वंचित होना पड़ा। अमेर यूनान की नजर कर दिया गया और टर्की-साम्राज्य के एशियाई प्रदेशों को दिखें और फ्रांस ने सीम के आज्ञा-पत्रों के बहाने आपस में बाट लिया। मिश्र-राष्ट्रों के द्वारा एक हाई कमीशन नियुक्त किया गया जो हर तिहाज रो टर्की का अमली शासक बना दिया गया और मुल्तान एक कैबीनेट रह गया। हम (इस बात को) पहले देख चुके हैं कि टर्की के प्रणत के ऊपर भारतीय मुसलमान अत्यन्त रोपावेष्टि हो गए थे। लेकिन उन्होंने इंगलैण्ड की सहायता उन बच्चों पर विश्वास करके की थी, जो दिल्ली प्रधान मन्त्री लॉबड जार्ज ने दिए थे। लॉबड जार्ज ने स्पष्ट रूप में यह भोगणा की थी कि “हम टर्की को उसके एशिया भाईनर और प्रेस के प्रसिद्ध और समुद्र द्वीपों से वंचित करने के लिए, जिनकी आवादी मुख्यतः कुर्क है, लड़ाई नहीं सड़ रहे हैं।” लेकिन जब गुड समाप्त हुआ, तो इंगलैण्ड ने अपने बच्चे को बुरी तरह भंग कर दिया। टर्की के मुल्तान के स्थान पर खलीका पद के लिए मनका के हाकिम और कर्नल लॉरेंस के कृपापात्र शेष हस्त के शब्दों को स्वीकार किया गया और उनका प्रचार किया गया।

भारत में असन्तोष—इंगलैण्ड के इस विश्वसाधात से भारतीय मुसलमानों को तीव्र आपात पहुंचा और देश में एक नक्तिशाली छिलाफ्ता आन्दोलन उठ सड़ा हुआ। उनकी मांग थी, “टर्की साम्राज्य का संधारण किया जाए और एक ऐंडिक व ग्राव्यांतिका संस्था के रूप में लिताप्त का अविल्लान अस्तित्व देना रहे।” १९ जनवरी, १९२० को डॉ० अन्सारी की अध्यक्षता में एक शिष्टमण्डल वायसराय में मिला और उन्हें बताया कि टर्की साम्राज्य और खलीफा को बनाए रखना कितना आवश्यक नहीं गिष्टमण्डल का संगठन महात्मा गांधी के मार्ग-दर्शन में किया गया था। १९२० के मध्य में एक मुस्लिम शिष्टमण्डल मौजूदा मोहम्मद अर्जी के नेतृत्व में इंगलैण्ड गया, लेकिन वहाँ में निराध होकर बातम या गया। अली-उल-यु कांग्रेस में

सम्मिलित हो गए और उन्होंने खिलाफत आन्दोलन का नेतृत्व सम्भाल लिया। मुस्लिम मौलवियों और उलैमाओं ने १९१६ में अपना एक संगठन 'जमीयतउल उलैमा' स्थापित कर लिया था। वे भी खिलाफत आन्दोलन में सम्मिलित हो गए। मुसलमानों में त्रिटिश विरोधी भावनाएँ अत्यन्त उम्र हो गईं।

महात्मा गांधी द्वारा असहयोग प्रारम्भ करने का निश्चय—महात्मा गांधी टर्की के प्रश्न पर मुसलमानों के साथ फहले ही संवेदना व्यक्त कर चुके थे। कई हिन्दू राष्ट्रवादियों ने भी अपने मुस्लिम सहयोगियों के सुर में सुर मिलाया। महात्मा गांधी की हाइट में खिलाफत का प्रश्न एक ऐसा सुअवसर प्रदान करता था जिससे कि हिन्दू और मुसलमानों में एकता स्थापित की जा सकती थी और जो १०० वर्षों में भी हाथ नहीं पा सकता था।<sup>१</sup> सीबसं सन्धि की शर्तों में संझोचन कराने, पंजाब के अन्यायों को दूर करने और भारत को स्वराज्य की ओर ले जाने के उद्देश्य से उन्होंने असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ करने का निश्चय किया। इस प्रकार के आन्दोलन के लिए इस समय भारतवर्ष में बिलकुल उपयुक्त वातावरण तैयार था।<sup>२</sup> खिलाफत और पंजाब के अत्याचारों तथा अपर्याप्त सुधारों की फल्गु ने उबलती हुई त्रिवेणी का रूप धारण कर लिया। इस त्रिवारा ने राष्ट्रीय असन्तोष के प्रवाह को और भी प्रबल कर दिया।<sup>३</sup>

### ६३. असहयोग आन्दोलन पर कांग्रेस की स्वीकृति

कांग्रेस का विशेष अधिवेशन : कलकत्ता, सितम्बर १९२०—महात्मा गांधी को इस बात का दृढ़ विश्वास हो गया था कि वे हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों को ही समान भाव से अपने असहयोग आन्दोलन की पताका के नीचे एकत्रित कर सकते हैं। सितम्बर, १९२० में कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अहिंसक असहयोग की नीति को अपनाने का प्रस्ताव उपस्थित किया। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि कांग्रेस अहिंसक असहयोग की नीति पर उस समय तक चलेगी “जब तक कि कथित अन्याय दूर नहीं हो जाएगे और स्वराज्य की स्थापना नहीं जाएगी।”<sup>४</sup> प्रस्ताव के पक्ष में १८८६ और विपक्ष में ८८४ भत पड़े थे। विपक्षग्रन्थाल, देशबन्धु चितरंजनदास, प०० मदन मोहन मालवीय, मिं० जिन्ना और श्रीमती एनी बीसेण्ट ने प्रस्ताव का जोरदार विरोध किया। तिलक की ३ जुलाई, १९२० को मृत्यु हो चुकी थी, उनके अनुयायी ने खारपड़े के नेतृत्व में महात्मा

१. पटाभि सीता रामग्या—“दी हिल्डी आफ दी कांग्रेस”, पृ० ३३५।

२. वही, पृ० ३४१।

गांधी की योजना का प्राणपत्र से विरोध किया। और तो और इस के अधिवेशन अध्यक्ष लाला लाजपतराय तक भी महात्मा गांधी के इस अराहूयोग के प्रत्याव के विरुद्ध थे।

नागपुर अधिवेशन, दिसम्बर, १९२०—कांग्रेस का नियमित अधिवेशन दिसम्बर, १९२० में नागपुर में हुआ। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी के प्रोत्त्राम को विधिवत् स्वीकार कर लिया गया। इस बार प्रस्ताव के पक्ष में बहुत अधिक भत पड़े। भी० आर० दाम ने प्रस्ताव का जी-जान से विरोध किया लेकिन उनकी एक भी नहीं चली। लेकिन जब प्रस्ताव पार हो गया, तब उन्होंने महात्मा गांधी को पूरा सहयोग देने का वचन दिया।

कांग्रेस की नीति में परिवर्तन—नागपुर अधिवेशन का महत्व इस कारण भी है कि उसके बाद से कांग्रेस की नीति में परिवर्तन हो गया। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस का घोषणा “इस तर्ज से बदल दिया गया कि उसमें श्रिटिंग सम्बन्ध व वैध-आन्दोलन का, जिसमें कांग्रेस ‘आभी तक विद्वाम करती थी, कोई उल्लेख ही न रहा।” अब कांग्रेस का घोषणा “शान्तिमय व उचित उपायों से स्वराज्य प्राप्त करना”<sup>२</sup> घोषित किया गया। कलकत्ता और नागपुर के अधिवेशनों ने इस बात को स्पष्ट रूप गे० बता दिया कि भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन में अब गांधी-पुण का निश्चित रूप में सूत्रपात हो चुका था। कांग्रेस के समूचे हटिकोण यो, उसकी तर्ज को बदलने में गांधी जो को सफलता मिली। पहले जहाँ यूरोपीय वस्त्रों की प्रथानता रहनी थी वहाँ अब सादी के वस्त्र मुश्किल होने लगे।

- कांग्रेस में एक नूतन उत्साह का, नूतन प्राणधार का, नूतन प्रेरणा का मचार हुआ। अब तक कांग्रेस की गति में कुछ विशेष जान नहीं भालूम पड़ती थी, अब उसने ऐमवान महानदी का रूप धारण कर लिया और वह द्रुतगति से ध्यान निश्चित रूप की ओर चल पड़ी। पट्टाभि सीतारामस्या के शब्दों में—“नागपुर कांग्रेस से बास्तव में भारत के द्वितीय सीतारामस्या के द्वितीय सीतारामस्या के एक नया पैदा होता है। निर्दल क्रोध और आराहूपूर्ण प्रार्थनायों का स्थान दस्तरदस्तिल के एक नए भाल और स्वतन्त्रस्वतन्त्र नई एक नई भावना ने ले लिया। जनता ने अनुभव कर लिया, कि यदि उसे स्वतन्त्र होना है, तो उसे उसके लिए स्वयं प्रयास करना पड़ेगा।”<sup>३</sup>

२. पट्टाभि सीतारामस्या—“दी हिस्ट्री आफ दी कांग्रेस”, पृ० ३५२।

३. पट्टाभि सीतारामस्या—“दी हिस्ट्री आफ दी कांग्रेस”, पृ० ३५३।

## ६४. असहयोग आन्दोलन

असहयोग का कार्यक्रम—महात्मा गांधी ने अप्रैल, १९२० में असहयोग आन्दोलन को घोषित किया। असहयोग का कार्यक्रम निम्नलिखित था—(१) सरकारी उपाधियाँ और अवैतनिक पद छोड़ दिए जाएं और स्थानीय संस्थाओं के मनोनीत सदस्य अपना स्थान रखित कर दें। (२) न तो सरकारी उत्तरों या दख्लारों में शामिल हुआ जाए और न सरकार द्वारा या सरकार के सम्मान में किए गए सरकारी या गैरसरकारी उत्तरों में। (३) सरकारी, या सरकारी सहायता-प्राप्त या सरकार के अधीन स्कूलों और कालिजों का बहिष्कार किया जाए और इन स्कूलों और कालिजों के स्थान पर राष्ट्रीय स्कूल और कालिज स्थापित किए जाएं। (४) धीरे-धीरे सरकारी अदालतों का बहिष्कार किया जाए और भगड़ों के निवटारे के लिए पंचायती अदालतें स्थापित की जाएं। (५) सैनिक, कलर्की और मजदूरी पेशेवासे लोग नेसोपोटामिया में काम करने के लिए भर्ती न हों। (६) सुधार योजना के अनुसार बनने वाली व्यवस्था-पक सभाओं के उम्मीदवार उम्मीदवारों वापस ले लें और कांग्रेस के निर्णय के प्रतिकूल खड़े होने वाले उम्मीदवारों को कोई बोटर बोट न दे। (७) विदेशी माल का बहिष्कार किया जाए। प्रत्येक घर में हाथ की कताई व सुनाई पुनर्जग्नित की जाए। कांग्रेस के और खिलाफ के नेताओं ने साथ-साथ मिलकर काम किया। हिन्दू मुस्लिम एकता का नारा हर जिह्वा से सुनाई देता था। जबाहरलाल नेहरू ने लिखा है—“सर्वज्ञ हिन्दू-मुसलमान की जय का बोल बाला था।” महात्मा गांधी ने यह खुले तौर पर कह दिया था कि इस आन्दोलन में अहिंसा का कड़े रूप से पालन होना चाहिए। जब अली-बन्धुओं ने कुछ ऐसे भाषण दिए जिनसे कि इस भारत का सन्देह हो सकता था कि वे हिंसा को उत्तेजित करते हैं तो महात्मा गांधी ने सार्वजनिक रूप से इस प्रकार के प्रत्येक इरादे की निन्दा करवाई जो कि हिंसा के प्रचार करने का उद्देश्य अपने सामने रखता ही। महात्मा गांधी का तो केवल आत्म-बल और अहिंसा में ही विश्वास था। वह इसी जिक्र के द्वारा सरकार के प्रशंसिक बल का सामना करना चाहते थे।

महात्मा गांधी ने कह् तो यह रखा था कि असहयोग आन्दोलन के द्वारा एक ही वर्ष में स्वराज्य प्राप्त हो जाएगा। यद्यपि उनका यह वचन तो पूरा नहीं हुआ, परन्तु फिर भी असहयोग आन्दोलन का प्रभाव अत्यन्त सराहनीय पढ़ा। नई कीसिल का जो बहिष्कार किया गया, वह अत्यन्त प्रभावोत्पादक था। कांग्रेस के आदिक्षियों ने अपनी उम्मीदवारी को वापस ले लिया और २/३ से अधिक मतदाताओं ने अपने मत ही नहीं डाले। कुछ स्थानों पर तो मतदान येटियाँ खिलकूल खाली की खाली पड़ी रहीं। राज्य-नियन्त्रित स्कूलों और कालिजों से विद्यार्थी बहुत बड़ी संख्या में वाहर निकल

आए। महात्मा गांधी ने स्कूलों और कालिजियों के बारे में कहा था कि वे तो नस्क तैयार करने के कारखाने हैं। कई स्थानों पर राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई। काशी विद्यापीठ, बंगल और पंजाब के राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों और दिल्ली की जामिया-मिलिया आदि की स्थापना उसी समय की गई थी। बकीलों ने भी बहुत बड़ी नावाद में अदालतों का बहिष्कार किया। असहयोग आन्दोलन में भाग लेने वाले बकीलों के भरण-गोपण के लिए सेठ जगनालाल बजाज ने एक नास्त एवं का दान दिया। कांग्रेस और खिलाफत के स्वयं सेवकों ने विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर पिकेटिंग की। खिलाफत-परिपद ने किसी भी मुसलमान के लिए लिटिंग नरकार की नौकरी करना 'हराम' घोषित कर दिया। और एक फरमान जारी करके महूदद्य मुसलमानों में यह मांग की कि वे रोना और पुलिस की नौकरी को बिलकुल त्याग दें। सधेष में असहयोग आन्दोलन का उद्देश्य यह था कि लिटिंग भारत की जो भी राजनीतिक, नामांजिक और ग्राहिक स्थायाएँ हैं, उन सबका बहिष्कार कर दिया जाए और इन प्रकार नरकार की मशीनरी बिलकुल ढप हो जाए।<sup>१</sup>

प्रिस ऑफ वेल्स की भारत-यात्रा—असहयोग आन्दोलन ने जनता के उत्साह को बहुत ऊचे शिखर पर पहुंचा दिया था। इस आन्दोलन ने जनता के हृदय में यासादाद, स्वावर्णवन, उत्सेजना और निर्भीकता का अपूर्व संचार किया था। नरकार की समझ में नहीं आता था कि इस परिस्थिति का केंद्र मापना किया जाय। वह हैरान और परेशान थी। असहयोग आन्दोलन के प्रभाव को दूर करने के लिए नरकार ने 'अमत सभाएँ' स्थापित करने की चेष्टा की, परन्तु यह चेष्टा नितान्त घसफल निष्ठ हुई। १९२१-२२ के जहाँ में प्रिस ऑफ वेल्स भारत आने वाले थे। नरकार इस बात के लिए उत्सुक थी, कि अब तक प्रिस ऑफ वेल्स भारत में ठहरे, वहाँ के बातावरण में पूरी शान्ति वनी रहे। लेकिन कांग्रेस ने निश्चय किया कि प्रिस ऑफ वेल्स के स्वागत के सम्बन्ध में जो भी उत्सवादि हों, उन सबका बहिष्कार किया जाए। कांग्रेस ने आपने इस निश्चय को कर्तव्यहृषि में भी परिणाम दिया। प्रिस ऑफ वेल्स २० नवम्बर को भारत पथा; देश के एक छोर गे तेकर दूसरे छोर नक जहाँ कही भी वह गए, हड्डानों और घोर-प्रदर्शनों से उनका स्वागत हुआ। यह परिस्थिति बहुत कुछ दुर्भाग्यपूर्ण थी क्योंकि वेल्स युवराज का तो कोई दोष था नहीं। १० नवम्बर ही मालबीय और मिठी जिन्ना ने नमझोते के लिए कठिन परिश्रम किया। यादवराव भी नमझोता करने के इच्छुक थे, यह 'शान्ति के लिए ऊची जीमत देने की तयार थे,' लेकिन महाराजा गांधी ने नमझोते की किसी ओर भाग लेने से इनकार कर दिया। उम्म नमय अनी बन्धु जैन मे थे।

१. शूपलंण्ड—"इण्डिया, ए रिस्टेंटमेण्ट", पृ० ११०-१६।

गांधी जी ने कहा कि जब तक सरकार अली बन्धुओं को जेल से मुक्त नहीं कर देती, समर्झीत की वार्ता से कोई लाभ नहीं निकलेगा। फलतः सरकारी अफसरों और कुछ राजभक्त भारतियों के सिवा प्रिस ऑफ वेल्स का किसी ने भी स्वामत नहीं किया। कुछ स्थानों पर तो थोड़ी-सी हिस्क घटनाएँ भी हो गई वैसे आमतौर पर प्रिस ऑफ वेल्स का विहिष्कार सब स्थानों पर शान्तिपूर्ण रीति से हुआ। बम्बई में बलवा हो गया, जिस पर महात्मा गांधी ने घोर व्यथा व्यक्त की।

सरकार का दमन-चक्र—अब नौकरशारी ने अपना दमन-चक्र पूरे जोखो-खरोश के साथ चलाना शुरू किया। भारत-सरकार ने सभी स्थानीय सरकारों को इस बात का शादेश दिया कि वे असहयोग आन्दोलन को बिना किसी भिन्नक के पूरी तरह से कुचल कर रख दें। १९२२ के समाप्त होने के पूर्व ही पूर्व; जब कि महात्मा गांधी के बचना-नुसार भारत को स्वराज्य मिलने वाला था, अधिकांश नेताओं, अली बन्धुओं, भोटीलाल नेहरू, चितरंजनदास, अबुल कलाम आजाद, लाला लाजपतराय, जवाहरलाल नेहरू और सुभाषचन्द्र बोस आदि को पकड़कर जेल में ठूंस दिया गया। असहयोग आन्दोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों को बहुत बड़ी संख्या में गिरफतार किया गया और कैदियों की संख्या शीघ्र ही ५०,००० तक पहुंच गई। सभी सर्वेजनिक सभाओं पर पाबन्दी लगा दी गई और राष्ट्रीय स्वयंसेवकों को गैर-कानूनी निकाय घोषित किया गया।

कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ करने का विद्युत्य—सरकार की इस दमन नीति की कांग्रेस के ऊपर यह प्रतिक्रिया हुई कि उसने अपने अहमदावाद अधिवेशन (१९२१) में व्यक्तिगत और समटिंग्स दोनों रूपों में सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ करने का निश्चय किया। कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव द्वारा महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आन्दोलन का सर्वाधिकारी नियत किया। सच तो यह है कि सविनय अवज्ञा आन्दोलन एक प्रकार से कुछ स्थानों पर पहले से ही प्रारम्भ हो गया था। १९२१ में मिदनापुर में एक 'कर-नहीं' आन्दोलन का सफलतापूर्वक संचालन किया गया था। महात्मा गांधी ने वायसराय को स्पष्ट रूप से सूचित कर दिया कि वे बारबोली और गन्तुर में सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ करना चाहते हैं। गांधीजी ने अपने पत्र में यह भी लिखा कि अगर सरकार "उन सभी कैदियों को मुक्त कर दे जो अहिंसात्मक कार्यों के लिए जेल गए हैं" और "देश की सारी अहिंसात्मक हलचल के सम्बन्ध में तटस्थता की घोषणा कर दे" तो "मैं निःसंकोच भाव से सलाह दूँगा कि दूसरे पर हिंसात्मक दबाव न डालते हुए देश अपनी निश्चित मार्गों की पूर्ति के लिए और भी ठोस जोकमत तैयार करे।"<sup>१</sup>

१. पहांभि सीतारामर्या—"दी हिंस्ट्री ऑफ दी कांग्रेस", पृ० ३६६।

चौरी चौरा कांड और असहयोग का अन्त—महात्मा गांधी ने अपनी माँगों को स्वीकार करने के लिए सरकार को सात दिनों का समय दिया। लेकिन यह समय अभी पूरा भी नहीं हो पाया था कि गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक ऐसी दुश्खद घटना हो गई जिसने भारतीय इतिहास की धारा को बिलकुल पलट दिया। ५ फरवरी को चौरी चौरा में एक कांग्रेसी जलूस निकल रहा था। इस अवसर पर क्रोधबेटित भीड़ ने २१ सिपाहियों और यांगडार को धाने में सदेह दिया और आग लगा दी। वे सब आग में जल मरे। जब यह भयावह समाचार महात्मा गांधी को मिला, तो उन्हें मर्मसंपर्शी आवात पहुंचा। उन्होंने सामूहिक सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ करने का विचार तुरन्त छोड़ दिया। रचनात्मक कार्यक्रम पर अधिक बल दिया गया “जिसमें कांग्रेस के लिए एक करोड़ रुदस्य भरती करना, चर्चे का प्रचार, राष्ट्रीय विचालयों को खोलना, मादक-द्रव्य-निपेद और पंचायतें संगठित करना आदि आभिल था।”<sup>१</sup> सविनय अवज्ञा और असहयोग आन्दोलन ठड़े पड़े गए।

महात्मा गांधी के कार्य का विरोध—परन्तु महात्मा गांधी ने आन्दोलन को इस आकस्मिक रूप से जो स्थगित किया था, उसका कांग्रेस के चौटी के नेताओं ने विरोध किया। “पण्डित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपतराय ने जेल के भीतर से लम्बे-लम्बे पत्र लिखे। उन्होंने गांधीजी को किसी एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दण्ड देने के लिए आड़े हाथों लिया।”<sup>२</sup> सुभाष चोपड़े अनुसार “सौ० आर० शास को इसमें प्रशार नहीं पहुंचा।” वोस ने लिखा, “हस समय जबकि जनता का उत्साह ‘दूरदूदांक’ पर पहुंच रहा था, मंदाल ल्लोडने का घादेश दे देना राष्ट्रीय दुष्प्रियक से कुछ कम न था।”<sup>३</sup> जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, “हमने बड़े आश्चर्य और उद्देश के साथ जेल में भुना कि गांधीजी ने हमारे मंथरों के उथ पहलुओं को रोक दिया है, और सविनय अवज्ञा आन्दोलन को स्थगित कर दिया है।”<sup>४</sup> मुमरमानों पर इस सारी कार्य-वाही का बहुत बुरा असर हुआ, वे कांग्रेस से लिचते से गए और “गुनः उत्त विश्वास और बन्धुत्व की प्रतिष्ठा करना अनम्भव था जिसने कि एक बार मित्रता के इम मंदिरों वाल में दोनों जातियों को एकता के गूब में ग्रसित कर दिया था।”<sup>५</sup>

## ६५ असहयोग आन्दोलन की सफलताएँ और असफलताएँ

महात्मा गांधी का कारावास—असहयोग आन्दोलन के नामान्त होने के साथ

१. वही प० ३६८।

२. पट्टाभिम सीतारामल्ला—“दी हिस्ट्री ऑफ दो कांग्रेस”, प० ३६६-४००।

३. मुभाष चोपड़े—“दी इण्डियन स्ट्रग्गल”, प० १०८।

४. जवाहरलाल नेहरू—“भडटोवाप्राफी” प० ८।

५. एच० एस० पोलक—“महात्मा गांधी”, प० १५३।

ही साथ उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया होनी प्रारम्भ हो गई। ४ मार्च, १९२२ को महात्मा गांधी गिरफतार कर लिए गए। राजद्रोह के अपराध में उन्हें ६ वर्ष के कारावास का दण्ड मिला। परन्तु जेल में स्वास्थ्य विगड़ जाने के कारण उन्हें दो वर्ष बाद ही छोड़ दिया गया। कांग्रेस द्वारा नियत की गई सविनय अवज्ञा जांच समिति के मत में असहयोग आन्दोलन ने बहुत कम सफलता प्राप्त की थी। बस्तुतः यह आन्दोलन अपने ध्येयों पंजाब और खिलाफत के अन्वायी के निवारण और स्वराज्य प्राप्त करने के उद्देश्य में निरान्त्र असफल सिद्ध हुआ।

असहयोग आन्दोलन की दुर्बलताएँ—बहुत से राष्ट्रीय नेताओं ने असहयोग आन्दोलन की असफलता का उत्तरदायित्व महात्मा गांधी के सिर मढ़ा। मुभाष बोस के अनुसार “एक वर्ष में स्वराज्य प्राप्त करने का बचन न केवल अविवेकपूरण ही था अपितु बालक सदृश भी था।”<sup>१</sup> भारतीय राजनीति में खिलाफत के प्रश्न को सम्मिलित करना दुर्भाग्यपूरण था। “खिलाफत आन्दोलन की बुनियाद गलत थी……इधर तो भारतीय मुसलमान इस्लामी धर्मोक्तेसी की पुरानी दुनिया की रूमानी परम्पराएँ पुनर्जीवित कर रहे थे, दूसरी ओर टक्के जिनके हित के सम्बन्ध में उनका विश्वास था कि वे यह काम कर रहे हैं, इसका मजाक बनाते थे और इसे मध्यमुग्नीन भीड़ापन कहते थे।”<sup>२</sup> कमाल पाशा के नेतृत्व में टक्की धर्म-निरपेक्ष गणराज्य के रूप में अवतरित हुआ और १९२२ में खिलाफत का अन्त कर दिया गया तथा खलीफा को निर्वासित कर दिया गया। फलतः भारत में खिलाफत आन्दोलन की जड़ ही काट गई।

असहयोग आन्दोलन के आकस्मिक रूप से छूट हो जाने से कांग्रेस-लीग की मित्रता भी समाप्त हो गई। इसके बाद हिन्दू-मुस्लिम एकता की भावना भी कृषित होने लगी। १९२१ के अन्त में मलावार में ‘खिलाफत राज्य’ की स्थापना के उद्देश्य से मोपला विद्रोह हुआ। वर्वर मोपलों ने “न केवल कुच्छ ब्रिटिश अधिकारियों को ही मारा, अपितु उससे कहीं अधिक अपने हिन्दू पड़ोसियों की हत्या कर डाली।”<sup>३</sup> जब महात्मा गांधी जेल में थे, सारे देश में साम्राज्यिक उपद्रव होने प्रारम्भ हो गए। भारतीय राजनीति में धार्मिक तत्व की वृद्धि कोई अच्छी बात नहीं थी। इसकी वजह से देश में धर्मन्िता की ऐसी शक्तियाँ पैदा हो गईं, जिन्हें कि देश में नहीं किया जा सकता था।

असहयोग आन्दोलन की महत्ता—जैकिन असहयोग आन्दोलन की उक्त दुर्बल-

१. मुभाष बोस—“दी इण्डियन स्ट्रगल”, पृ० १०४।

२. पीलक—“महात्मा गांधी”, पृ० १६०।

३. साइमण्ड्स—“दी मेकिंग ऑफ़ पाकिस्तान”, पृ० ४७-४८।

ताथों से हमें यह न मनक लेना आहिए कि उसकी महत्ता किसी प्रकार में कम है। इस आन्दोलन ने भारत की राष्ट्रीयता में नए जीवन का मंचार निया। इसने स्वतन्त्रता और निर्भीकता की नई भावना को पैदा किया। असहयोग आन्दोलन में भारतीयों के हृदय में आत्म-सम्मान, आत्म-विद्वास और आत्म-निर्भरता का भाव उत्पन्न हुआ। लोगों के हृदयों में पहले जो डर का धोर आतंक का भाव समाया रहता था, पुलिस का, गरकार का और कानून का, अमहयोग आन्दोलन ने पानो दूरमंतर उड़ा दिया और जनता की नस-नस में माहूस की विजली भर दी। अपने मन की बात कहने में पहले लोग जिस भिन्नका बाबु अनुभव करते थे, अब वह दूर हो गई। इसके अलावा, असहयोग आन्दोलन भव्य घरों में, भारत का पहला जन-आन्दोलन था। इसमें कोई मन्देह नहीं कि स्वदेशी और विहिप्कार आन्दोलन भी जन-आन्दोलन था, परन्तु अमहयोग आन्दोलन का प्रताप उपर आन्दोलन में कही अधिक व्यापक हुआ। १९१७ तक का राष्ट्रीय आन्दोलन उच्च भव्यम-वर्गीय लोगों तक ही सीमित था, लेकिन अब यह आन्दोलन देहातों में भी पहुँच गया, किसानों ने इसमें जी लोलकर हिस्सा लिया और अब राष्ट्रीय आन्दोलन की जड़ें जनसाधारण के अस्तराल में जम गईं। असहयोग आन्दोलन की कथा महत्ता थी, इस पर कूपलैण्ड ने निज्ञ दृष्टियों में बड़ा अच्छा प्रकाश ढाला है, “उन्होंने, (गांधीजी ने) वह काम किया जिसे तिलक नहीं कर सके थे। उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन को एक जानिकारी आन्दोलन के रूप में बदल दिया। उन्होंने उने स्वतन्त्रता के लक्ष्य की ओर बढ़ाया सिखाया, सरकार के ऊपर वंपानिक दबाव डालकर नहीं, वाइ-विवाद और समझौते के द्वारा नहीं, अपितु शक्ति के द्वारा और शक्ति भी अहिंसा की। उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन को जानिकारी ही नहीं बनाया, अपितु उने लोकप्रिय भी बना दिया। अभी तक वह नगर के बुद्धिजीवी वर्ग तक ही सीमित था, अब वह देहात की जनता तक भी पहुँच गया।”<sup>१</sup> गांधीजी के व्यक्तित्व ने भारत के देहातों में जागृति पैदा कर दी थी।<sup>१</sup>

#### ६६. स्वराज्य-दल और कौमिल-प्रवेश

अपरिवर्तनवादियों और वरिवर्तनवादियों के बीच रस्साकशी—१९२२ में कांग्रेस राजनीति में एक नई विचारधारा का विकास हुआ। हम देख सकते हैं कि १९१९ में महात्मा गांधी ने मोटफोइं सुधारों के प्रति नहयोग करने का विचार व्यक्त किया था लेकिन इसके विपरीत धरात के महान् नेता चित्तरंजनदाम ने उनका पूर्ण विहिप्कार करने का समर्थन किया था। १९२० में स्थिति उलटी हो गई। महात्मा गांधी अमह-

१. कूपलैण्ड—“इण्डिया, ए रिस्टेटमेण्ट”, पृ० ११६।

योग के समर्थक हो गए। कांग्रेस ने असहयोग के कार्यक्रम को स्वीकार किया जिसमें कौंसिलों का बहिकार भी शामिल था। सी० आर० दास और मोतीलाल नेहरू इस प्रश्न के ऊपर व्यक्तिगत रूप से महात्मा गांधी से मतभेद रखते थे लेकिन जब प्रस्ताव पास हो गया, उन्होंने गांधीजी को सहयोग देने का आश्वासन दिया। १९२२ में कांग्रेस पुनः दो दलों में बँटती हुई मालूम पड़ती थी। सी० आर० दास ने अपनी कारबास-अवधि में स्वराज्य दल संगठित करने की योजना तैयार की। १९२२ की गया कांग्रेस के वह सभापति हुए। कांग्रेस के इस अधिवेशन में परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों के बीच में जोर की खींच-तान हुई। अपरिवर्तनवादी महात्मा गांधी द्वारा निर्धारित असहयोग और रचनात्मक कार्यक्रम पर ही छटे रहता चाहते थे। इस समय महात्मा गांधी जेल में थे। इसके विपरीत परिवर्तनवादी असहयोग आन्दोलन को एक नई दिशा देना चाहते थे। चितरंजनदास, मोतीलाल नेहरू और बी० जी० पटेल इन लोगों के नेतृत्वे थे। इन लोगों का भुकाव अड़ंगा नीति की तरफ था। वे चाहते थे कि कौंसिलों में प्रवेश करें और वहाँ पर असहयोग व अड़ंगे की नीति द्वारा मॉटफोर्ड गुवारों को बिलकुल नष्टघट्ट कर दें। गया कांग्रेस में अपरिवर्तनवादियों की ही विजय रही।

**स्वराज्य-दल**—गया कांग्रेस में अपरिवर्तनवादी जीत तो गए लेकिन वे अपनी जीत का उपभोग अल्पकाल तक ही कर सके। १९२३ की शुरू लाल में ही चितरंजन दास ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग-पत्र दे दिया और स्वराज्य-दल का संगठन करने का अपना निश्चय घोषित किया। इस बात के चिन्ह दिखाई देते थे कि असहयोग अध्यक्षत-विकल्प हुआ जा रहा है। सविनय अवज्ञा आन्दोलन को चालू रखना असम्भव प्रतीत होने लगा था। खिलाफत नेताओं का उत्साह भी ठण्डा पड़ता जा रहा था। गया कांग्रेस के पूर्व ही जमीयत-उल-उलेमा ने एक फतवा प्रकाशित किया जिसमें कौंसिल-प्रवेश को ‘हराम’ तो नहीं पर ‘मरमून’ घोषित किया। सितम्बर, १९२३ में दिल्ली में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन के सभापति मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे।

कांग्रेस कौंसिल-प्रवेश की अनुमति देती है—कौंसिल प्रवेश का समर्थन करने वाले दल ने बिना कठिनता के कांग्रेस से अनुमति-सूचक प्रस्ताव पास करा लिया कि ‘जिन कांग्रेसियों को कौंसिल-प्रवेश के विशेष धार्मिक या और किसी प्रकार की अपत्ति न हो, उन्हें अगले नियांचनों में खड़े होने और अपनी राय देने के अधिकार का उपयोग करने की आजादी है।’ स्वराजिस्टों ने अपनी विजय को महात्मा गांधी की अध्यक्षता में सम्पन्न बेलगांव कांग्रेस में हड़ कर लिया। महात्मा गांधी को स्वयं स्वराज्य-दल की इस योजना में बहुत कम सहानुभूति थी कि कौंसिलों के अन्तर्गत विरोध के द्वारा

अपर्याप्त मोटकोड़ सुधारों की कार्यनिवृति में अड़ंगा लगाया जाए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कारोबर में स्वराजिस्टों का बहुमत है तो उन्होंने कौमिल प्रवेश पर अपनी 'पोन' अनुयति दे दी। यद्यपि महात्मा गांधी ने स्वर्वं को स्वराज्य-दल की सारादहन-चलां ने विनकुल पृथक् रखा, तथापि स्वराज्य-दल का संगठन कांग्रेस के राजनीतिक पक्ष के हैंप में किया गया था। महात्मा गांधी ने कताई, विदेशी धस्त्रों के वहिष्कार तथा रघनात्मक कार्यक्रम के आन्धान्य पहलुओं पर सर्वाधिक बल दिया। स्वराजिस्टों ने इस कार्यक्रम के प्रति अपनी निष्ठा पोषित की और इस प्रकार गूरुत-विच्छेद की पुनर्बंतारणा होने से बच गई।

**स्वराज्य-दल के सिद्धान्त और कार्यक्रम**—जैसा कि स्वराज्य-दल के नाम से ही स्पष्ट होता है, उसका सदृश स्वराज्य को प्राप्त करना था। स्वराज्य से उसका अभियाय माझाज्य के अन्तर्गत 'डोमीनियन स्टेट्स' को उपलब्ध करना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गांधीवादी जिन साधनों का समर्थन करते थे, उनसे स्वराजिस्टों का मतभेद था। रविन्द्र अवलोकन में स्वराजिस्टों का बहुत कम विश्वास था। कौमिलों के वहिष्कार के भी वे विरोधी थे। उन्होंने असहयोग का एक नया अर्थ लगाया। वे चाहते थे कि निर्वाचिनों में पूरा हिस्सा लिया जाए और व्यवस्थापक मण्डलों की अधिक-से-अधिक सीटों पर कठजा कर लिया जाए, सरकार के साथ सहयोग करने के उद्देश्य में नहीं, अपिनु उसकी नीति में 'एकस्प, अविच्छिन्न और सतत रोड़ा' अटकाने के उद्देश्य से। स्वराजिस्टों का मूलभूत या सरकार के कार्यों में वाधा उपरिथन करना, रोड़े अटकाना। वे कौमिलों के अन्दर प्रवेश करके मोटकोड़ सुधारों को विनकुल द्वितीय भिन्न कर डालना चाहते थे। १० मोतीलाल नेहरू और वेमबन्दु चित्ररत्न दाग ने 'अड़ंगा' शब्द को स्पष्ट कर दिया था "हमने अपने कार्यक्रम में अड़ंगा शब्द का जो व्यवहार किया है, सो रिटेन की संसद के इतिहास के वैधानिक अर्थ में नहीं। मातहत और सीमित अधिकारों वाली कौमिलों में उस अर्थ में अड़ंगा डालना असम्भव है क्योंकि सुधार-कानून के अन्तर्गत असेम्बली और कौमिल के अधिकार गिनेनुपर्यन्त हैं। पर हम नह कह सकते हैं कि हमारा विचार अड़ंगा डालने की अपेक्षा स्वराज्य के मार्ग में नौकरशाही द्वारा डाली गई रुकावटों का मुकाबला करना अधिक है!"<sup>१</sup>

स्वराजिस्ट इस बात को दावे के साथ कहते थे कि "कौमिल-प्रवेश का प्रोग्राम असहयोग के सिद्धान्त के सर्वेत अनुकूल"<sup>२</sup> था। उसका प्रोग्राम व्यवस्थापक-मण्डलों के अन्दर असहयोग करने का था। वे चाहते थे कि नौकरशाही की नाक के नीचे उसके

१. पट्टाभि सीतारामणा—“दी हिस्ट्री ऑफ दी कंग्रेस” पृ० ४५६।

२. वही, पृ० ४२६।

गढ़ में प्रवेश करके असहयोग के भण्डे को ऊँचा रखा जाए। कौसिलों के अन्दर स्वराजिस्टों की योजना (१) बजटों को रद्द करने और (२) उन सब कानूनी प्रस्तावों को अस्वीकार करने की थी जिनके द्वारा नौकरशाही अधिनी स्थिति को हड़ करने की चेष्टा करती थी। 'प्रड़ंगा' स्वराज्य-दल के कार्यक्रम का विव्वंसात्मक पक्ष था। रचनात्मक पक्ष में स्वराज्य-दल का कार्यक्रम उन प्रस्तावों, योजनाओं और विधेयकों को पेश करना था जो राष्ट्रीय जीवन की बुँदि करने के लिए और फलसः नौकरशाही की जड़ उखाने के लिए आवश्यक हों। कौसिलों के बहर स्वराजिस्टों ने महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम को हादिक सहयोग देने का और कांग्रेस संगठनों के द्वारा उसे कार्यरूप में परिणत करने का वचन दिया। उन्होंने इस बात की भी घोषणा कर दी थी "कि जद्यों ही हमें मालूम पड़ेगा कि सत्याग्रह के बिना नौकरशाही की स्वार्थपूर्ण हठधर्मी का सम्भाल करना असम्भव है, हम तत्काल कौसिलों को छोड़कर देश को सत्याग्रह के लिए तैयार करने में, यदि वह स्वयं ही उस समय तक तैयार न हो सका तो, उनकी (महात्मा गांधी की) सहायता करेंगे। तब हम बिना हीले-हबाले के उनके पीछे हो जेंगे और कांग्रेस की संस्थाओं द्वारा उनके भण्डे के नीचे काम करेंगे जिरासे सब मिलकर सत्याग्रह का ठोस कार्यक्रम पूरा कर सकें।"

**स्वराज्य-दल की सफलताएँ :** (क) केन्द्र में—इंध शासन-प्रणाली को नष्ट-भ्रष्ट करने के कार्यक्रम को अपने सामने लेकर और कांग्रेस का पूरा समर्थन पाकर स्वराज्य दल १९२२ के चुनावों के अलाइ में कूद पड़ा। चुनावों में स्वराज्य दल को अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई। बंगाल और सी० पी० में तो स्वराज्य दल की सफलता को देखकर लोग दंग रह गए। केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा में १४५ सीटों में से ४५ सीटें स्वराज्य-दल के कबड्डे में आ गईं। पंडित मोतीलाल नेहरू के समर्थनेतृत्व में राष्ट्रवादी और स्वतन्त्र उम्मीदवारों का समर्थन य सहानुभूति प्राप्त कर स्वराज्य दल ने अपना काम चलाऊ बहुमत बना लिया। १८ फरवरी, १९२४ को पंडित मोतीलाल नेहरू ने उस प्रस्ताव को पास करवाने में स्वराज्य दल ने सफलता प्राप्त की जिसमें कि एक ऐसी गोलमेज परिषद् की मांग की गई थी जो कि पूरी उत्तरदायी शासन के सिद्धान्त पर आधारित भारत के लिए एक संविधान की सिफारिश करे। इस प्रस्ताव के फलस्वरूप ही मोटाकोड सुधारों की क्रियान्विति की जांच-पड़ताल करने के लिए मुद्रीमंडळ कमेटी की नियुक्ति हुई। प० मोतीलाल नेहरू को इस कमेटी में सम्मिलित होने के लिए आभन्नण दिया गया लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया।<sup>१</sup> स्वराजिस्टों में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सरकार को पराजित कर दिया।

१. इस कमेटी में सर तेजवहादुर संबू मिं जिन्ना और सर सी० पी० शिव स्वामी अध्यक्ष सम्मिलित थे।

इन प्रस्तावों में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव वह था जिसमें कि कुछ राजनीतिक केंद्रियों के गुटकारे और १८८ के रेसुलेशन (III) को रद्द करने की मांग की गई थी। १९२४-२५ के बजट के मतापेथी भाग को अस्वीकार कर दिया गया और सरकार को उरकी पुनर्प्रतिष्ठा करने के लिए गवर्नर जनरल के विशेषाधिकार का प्रयोग करना पड़ा था। स्वराजिस्टों ने गवर्नर जनरल के उत्तरों और भौजों में सम्मिलित न होने का नियम बना लिया था। यह ठीक है कि स्वराज्य-दल सरकार की गति में अड़गा लगाने में सफल हुआ, लेकिन वह उसे रोक नहीं सका। स्वराज्य-दल के सदस्यों का अपना विरोध प्रदर्शित करने का एक मिय तरीका व्यवस्थापिक सभा से 'बाक् आउट' कर जाना था। तर तेजबहादुर रामू उनके इन नाटकीय प्रदर्शनों को "देशभक्ति का गमनागमन" कहा करते थे।

(ब) प्रान्तों में—जहाँ तक प्रान्तों का सम्बन्ध है स्वराज्य दल ने बंगाल और भृघ ग्रान्त में विधेय सफलता प्राप्त की। इन दोनों प्रान्तों में स्वराजिस्टों ने द्वैष ग्रासन प्रणाली की मशीनरी को विलकुल छोड़ कर दिया। बंगाल में स्वराजिस्टों का स्पष्ट बहुमत था। उनके नेता चित्तरजनदास से कहा गया कि वे अपने मन्त्रिमण्डल का निर्माण करें। उन्होंने न केवल स्वयं ही मन्त्रिमण्डल बनाना अस्वीकार किया, अपितु और किसी को भी मन्त्रिमण्डल का निर्माण नहीं करने दिया। २३ मार्च, १९२४ को लेजिस्लेटिव कौसिल ने दो मन्त्रियों के बतान का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। प्रस्ताव के पक्ष में ६३ और विपक्ष में ६९ मत पड़े। फलतः मन्त्रियों को अपना स्थानपत्र देने के लिए वाध्य होना पड़ा। १९२५ में सी० आर० दास ने द्वैष ग्रामन-प्रणाली के कफन में अनितम कील ढोकने और उसके ऊपर एक मरसिया लिखने के घण्टे निश्चय में सफलता प्राप्त कर लेने का दावा ठीक ही किया था। तून, १९२५ में दास बाबू की मृत्यु हो गई। इससे बंगाल में स्वराज्य दल के प्रभाव को गहरा धबका लगा। लेकिन तीसरी बार भी उसने मन्त्रिमण्डल के निर्माण को असम्भव कर दिया और गवर्नर को सदन भग कर देने के लिए विचार होना पड़ा। स्वराज्य दल की सफलता के सम्बन्ध में एच० एन० ब्रेल्सफोर्ड ने कहा, "मेरे विचार से अड़गा लगाने की नीति विलकुल ठीक भी व्योकि उसने द्वितीय अनुदार दलबालों को भी इस बात का काप्रय कर दिया कि दूर्धा पासन प्रणाली अव्यवहार्य है।"<sup>१</sup> ब्रेल्सफोर्ड ने स्वराज्य दल के मम्बन्ध में कहा कि "वह भारतवर्ष में सबसे अधिक संगठित राजनीतिक दल है।"<sup>२</sup>

स्वराज्य दल का सहयोग की ओर फुकाव—१९२५ में देशवन्धु चित्तरंजन

१. पोलक—“महात्मा गांधी”, पृ० १६५।

२. पट्टमि गीतारामस्या—“दी हिस्ट्री ऑफ दी कांचेन”, पृ० ४८८।

दास की मृत्यु के पश्चात् स्वराज्य दल की शक्ति का शर्म: शर्म: हासि होना प्रारम्भ हो गया। सरकार के कामों में अड़ंगा लगाने की जिस मूल नीति को लेकर स्वराज्य दल का जन्म हुआ, अब इस नीति में धीरे-धीरे परिवर्तन होने लगा। वैसे तो स्वराज्य दल दास बाबू की मृत्यु के पूर्व ही “सतत और अविच्छिन्न अड़ंगा लगाने” के रास्ते से अलग हटता मलूम पड़ने लगा था। अन्दूबर, १९२४ में स्वयं दास बाबू ने सरकार से सहयोग करने के लिए कुछ शर्तें रखी थीं। उन्होंने कहा था “मैं हृदय परिवर्तन के लकण हर जगह देख रहा हूँ। मेल-जौल के चिह्न मुझे हर जगह दिखाई पड़ रहे हैं। संसार संघर्ष से थक गया है और उसमें मुझे सज्जन और संगठन की इच्छा दिखाई पड़ रही है।” उनकी मृत्यु के पश्चात् स्वराज्य दल सरकार के साथ सहयोग करने की दिशा में अधिकाधिक झुकता गया। “व्यवस्थापक मण्डलों में भाग लेने, उनका उपयोग करने और सरकार के साथ सहयोग तक करने की नीति लेने लगी।” १९२४ में स्वराज्य दल के प्रतिनिधि स्टील ग्रोटेक्शन कमेटी में सम्मिलित हुए। दूसरे वर्ष पंडित मोती-लाल नेहरू ने स्कॉन कमेटी की सदस्यता स्वीकार कर ली। १९२६ के चुनावों से प्रकट हुआ कि स्वराज्य दल का प्रभाव अब घटने लगा है। बंगाल और मध्यप्रान्त में स्वराज्य दल का बहुमत बहुत कम हो गया, फलतः वहाँ सरकार को हैंध शासन प्रणाली की पुनर्गतिष्ठा करने में सफलता प्राप्त हुई। केन्द्रीय असेम्बली में स्वराज्य दल की स्थिति इस कारण कमज़ोर पड़ गई क्योंकि पंडित मदन मोहन भालवीय और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में नेशनलिस्ट पार्टी ने इस बात का अनुभव किया कि हर बात में सरकार का विरोध करने की नीति हिन्दुओं के लिए अहितकर है।

प्रतिशेषी सहयोगी और असहयोगी—स्वराजिस्टों के बीच ही दो दल हो गए। एक दल प्रतिशेषी सहयोग करने की नीति का प्रतिपादक था और दूसरा असहयोग करने की नीति का। स्वराज्य-दल के बीच उक्त मतभेद उस समय पराकाण्ठा पर पहुँच गया जब कि मध्यप्रान्तीय विधान सभा के स्वराजिस्ट अध्यक्ष श्री एस० बी० ताम्बे गवनर की कार्यकारिणी के सदस्य बन गए। बम्बई में स्वराजिस्टों ने प्रतिशेषी सहयोग का खुलाम-खुला समर्थन किया। पंडित मोतीलाल नेहरू की इस घटकी ने कि “वे स्वराज्य दल के रोगी अंग को काटकर केंक देंगे” मतभेद की खाई को और भी चौड़ा कर दिया। पंडित मोतीलाल नेहरू के ‘उद्धत स्वर’ ने जयकर, केल्कर और मुजे को खुली बगावत करने के लिए लड़ा कर दिया। १९२६ का अन्त होते-होते स्वराज्य दल की अधिकांश शक्ति नष्ट हो चुकी थी।

## ६७. साम्प्रदायिक तनाव की यूंडि

उपद्वारों की कहानी—खिलाफत आन्दोलन और असहयोग आन्दोलन के समाप्त हो जाने के बाद से वर्ष भारतवर्ष के अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण थे क्योंकि इन वर्षों में साम्प्रदायिक विद्वेष की शांति ने भयावह रूप धारणा किया। इस बात का हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि मलावार में मोपर्ली ने अपने हिन्दू पड़ोसियों की निर्ममता में हत्याएँ कीं। सन् १९२२ से लेकर १९२७ तक हिन्दू मुस्लिम उपद्वारों की संख्या इतनी अधिक बढ़ी कि उनकी एकता का प्रायः अस्त हो गया। सन् १९२३ में मुल्तान, अमृतसर, मुरादाबाद, मेरठ, पानीपत, जवलपुर, मागरा, बरेली आदि में साम्प्रदायिक मतावेद हुए, सन् १९२४ में कोहाट में, सन् १९२५ में दिल्ली, कलकत्ता और इलाहाबाद में, सन् १९२६ में कलकत्ता में और सन् १९२७ में मुल्तान, ताहीर, बरेली और नागपुर में। “कलकत्ता के साम्प्रदायिक उपद्वार भवंकरतम थे। वे पन्द्रह दिन तक घलते रहे, इनमें ६७ आदमी मारे गए, और ४०० से अधिक जख्मी हुए।”

कारण—इन उपद्वारों के तात्कालिक कारण बहुत ही तुच्छ थे। कभी गोवध का सबाल मतभेद उत्पन्न कराके भगड़े करवाता था और कभी दशहरा के जलम से अवसर पर मस्तिष्क के साथने वाजे का प्रदन। लेकिन ये तो उपद्वारों के ऊपरी कारण थे, असली कारण कुछ गहरे थे। जवाहरलाल नेहरू के दानों में, “भारतवर्ष में साम्प्रदायिकता यथार्थ साम्प्रदायिकता नहीं थी, वह साम्प्रदायिकता नकाब के पीछे छिनी हुई राजनीतिक और सामाजिक प्रतिविद्या थी।” असहयोग आन्दोलन की समर्पित का अभिभाव कांग्रेस-लीग मंत्री की समर्पित था। याने-नाने: मुस्लिम लीग प्रतिगामी नेतृत्व की अधीनता में चली गई और मुसलमानों के बीच, हिन्दू राज का हीवा दिशा-दिशाकर, अपनी जड़ें मजबूत करनी प्रारम्भ कर दी। “हिन्दूओं के बीच भी साम्प्रदायिक भावनाओं ने उपर रूप धारण कर लिया।” तथाकथित मुस्लिम आधिपत्य के बिश्व हिन्दुओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए हिन्दू महामंडा का संगठन किया गया। यह तो यह है कि ये दोनों ही संख्याएँ व्यस्त स्वार्थों के नियन्त्रण में थीं। ये न्यस्त स्वार्थ अपने पारस्परिक विरोध को प्रबन्ध और विषमय साम्प्रदायिक प्रचार में छिपाए रखने थे। खिलाफत और असहयोग आन्दोलन के थीच इन प्रतिगामी तत्त्वों को निस्पन्द पड़ा रहने के लिए चाह्य कर दिया गया था। “अब वे अपने सन्मान से समुदित हुए। बहुत से दूसरे गुप्त एजेंटों और लोगों ने जो कि साम्प्रदायिक मतभेद की मृष्टि कर अधिकारियों को प्रसन्न करना चाहते थे, इसी परम्परा पर काम किया।”

१. जवाहरलाल नेहरू—“आउटोग्राफी”, पृ० ४५६।

महात्मा गांधी का उपवास और एकता सम्मेलन—सितम्बर, १९२४ में महात्मा गांधी ने साम्प्रदायिक विद्वेष और हृष्टाकाण्ड का प्रायशिच्छा करने के उद्देश्य से, जिसके लिए कि उन्होंने स्वयं को ही उत्तरदायी ठहराया २१ दिनों का उपवास किया। दूसरों के पार्थों के लिए उन्होंने जिस तपस्या को अपने ऊपर लाया किया, उसका जनता के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा और कलकत्ता में एक एकता सम्मेलन किया गया। काफी देर के विचार-विमर्श के फलत्वरूप एक राष्ट्रीय पंचायत नियुक्त की गई। महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बने और हकीम अजमल खाँ, लाला लाजपतराय, जी० के० नरीमन, ड० एस० के० दत और मास्टर सुन्दरसिंह इसके सदस्य बने। इस पंचायत का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीयिक एकता की बुद्धि करना था। एक वर्द्ध के लिए उपद्रव रुक गए। परन्तु साम्प्रदायिक रोग का उक्त निदान अस्थायी था। इस प्रकार हिन्दू और मुसलमान-दोनों जातियों के प्रतिगामी तत्वों ने 'भेद डालो और राज्य करो' की नीति में साम्राज्य-वादियों को पुनः लक्षिय रहायता देनी प्रारम्भ कर दी। नौकरशाही को अपनी इस सफलता के ऊपर सकारण गर्व था। कोई आश्चर्य नहीं कि संयुक्त ग्रान्त में एक भवनीर ने अपने विदाई-भाषण में अभिमानपूर्वक इस बात को कहा था कि उसे, "अपने पौच्छ वर्षों के शासन-काल में कम-से-कम ८३ साम्प्रदायिक जगद्वारों का सामना करना पड़ा था!"<sup>१</sup>

### सारांश

प्रथम विश्व-युद्ध ने संसार के अन्यान्य भागों की तरह भारतवर्ष में भी राष्ट्रीयता की भाबना को तीव्र कर दिया। इसके अलावा भी अन्य कई ऐसे घारणे थे, जिन्होंने कि भारतीय राष्ट्रीयता के प्रवाह को अधिक वेगयुक्त करने में सहायता दी। जनता की आर्थिक कठिनाइयों, मंहगी, बीमारियों, सौकरशाही दमन अध्यादेश-शासन और लड़ाई के लिए घन एकत्रित करने व सिपाही भरती करने में जिस कठोरता का वर्तवि किया गया था उन सब कारणों की वजह से जनता विदेशी आधिपत्य से अधिकाधिक असन्तुष्ट होती गई। मुसलमान खिलाफत प्रश्न के ऊपर विशेष रूप से रुष्ट थे। मोंटकोड सुधारों के ऊपर भी जन राधारण के बीच आम निराशा की भावना व्याप्त थी।

१९१८ में भारतीय जनमत के लाल विरोध करने के बावजूद भी सरकार ने रौलट-एकट को पास कर दिया। रौलट एकट सरकार की निर्मुक्त स्वेच्छाचारिता का एक स्पष्ट प्रमाण था, इससे जनता की स्वतंत्रताओं के ऊपर कुठाराघत होता था। इस दमनमूलक व्याप्ति के अधिनियम ने महात्मा गांधी को स्वतंत्रता संघाम के अग्रिम मोर्चे

१. जवाहरलाल नेहरू—“आउटोग्राफी”, पृ० ८८-८९।

पर ता खड़ा किया। पहले महात्मा गांधी स्पष्ट घोषित राजनवत थे लेकिन सरकार की दमन-नीति ने उनको राजद्रोही बना दिया। रोलट एकट के विरोध में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह-आनंदोलन प्रारम्भ किया। कुछ स्थानों पर जनता ने हिंसात्मक धटनाएं कर डासी, इसमें दुखी होकर गांधीजी ने सत्याग्रह आनंदोलन को स्वयंगत कर दिया।

इसी बीच में पंजाब की हालत बहुत खराब हो गई। वहाँ रोलट-एकट विरोधी आनंदोलन ने अत्यन्त उत्तर रूप धारण कर दिया और कुछ स्थानों पर हिंसात्मक धटनाएं भी हो गईं। जलियांचाला वाम हृत्याकाण्ड ने सारे देश में सनसनी कैला दी। जनता ने सरकार से इस बात की मजबूत माँग की कि वह पजान की दुर्घटनाओं की जांच के लिए एक समिति नियुक्त करे। फलतः सरकार ने लाडे हृष्टर की अध्यक्षता में एक जांच-यमिति नियुक्त की लेकिन इस समिति की रिपोर्ट ने जनरल डायर के वुफ्कत्य पर पर्दा डालने की कोशिश की।

१९२० के श्रीमकाल में सीधमें की समिति प्रकाशित हुई। इस समिति ने भारतीय भुसलमानों को गहरा धक्का पहुंचाया। युद्धकाल में ग्रिटिंग राजनीतिज्ञों ने इस बात का बचन दिया था कि टर्की साम्राज्य का किसी प्रकार से अहित या विघटन नहीं किया जाएगा। लेकिन युद्ध धीरे जाने पर ग्रिटिंग-राजनीतिज्ञ अपने बचनों को भूल गए। गीवर्स की राज्य के अनुसार टर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया गया और सुलतान की जो कि इस्ताम का खलीफा था, मानहानि की गई। महात्मा गांधी ने ग्रिटिंग सरकार के इस विज्वानघात का जोरदार विरोध किया। उन्होंने भुसलमानों के माथ हाँदिक सहानुभूति व्यक्त की तथा खिलाफत और पजाव के अन्यायों के निवारणगार्थ व स्वराज्य प्राप्त करने के उद्देश में असहयोग आनंदोलन प्रारम्भ किया।

असहयोग आनंदोलन काफी जोर-धोर से चला। ५०,००० से अधिक देशमवत जेल में चले गए। विहिकार के कार्यक्रम को यादचर्यजनक सफलता मिली। असहयोग आनंदोलन के कान में हिन्दू-मुस्लिम एकता को देखकर दातों तले ऊँगली दबानी गड़ती थी। फरवरी, १९२१ में जनता की एक भीड़ ने क्रोध में आकर २१ सिपाहियों और धानेदार को मार डाला। इन दुर्घटना का समाचार पाकर महात्मा गांधी को अपर बलेश पहुंचा। और उन्होंने आनंदोलन को तुरन्त ही स्वयंगत कर दिया। असहयोग आनंदोलन में कुछ कमियाँ छवश्य थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। इस आनंदोलन ने जनता के हृदय में स्वतंत्रता व निर्भीकता की एक नूतन आण-धारा उत्पन्न की। महात्मा गांधी के गतिशील नेतृत्व ने अंत्रीय आनंदोलन को एक अनिकारी आनंदोलन और जन-आनंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया।

अमहयोग आनंदोलन के समाप्त हो जाने के पहलात् देशवास्तु चित्तरजनशाम धोर-मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज्य दल का समुद्र झुआ। स्वराज्यन्दल कौनिल-

प्रवेश का समर्थन करता था। उसका सिद्धान्त था कि व्यवस्थापक-मण्डलों के अन्दर पहुँचकर सरकार के कार्यों में अड़ंगा लगाया जाय। स्वराजिस्टों का कहना था कि यह कार्यक्रम आराहयोग के कार्यक्रम के सर्वथा अनुकूल है। वे चिश्वास करते थे कि हम धैर्यानिक गत्यवरोध उत्पन्न करके मोटफोर्ड सुधारों को नितान्त असफल सिद्ध कर देंगे।

दिल्ली के विशेष अधिवेशन (सितम्बर १९२०) में स्वराज्य-दल के प्रोश्राम पर कांग्रेस ने अपनी अनुमति दे दी। उसी वर्ष नवम्बर में चुनाव हुए। स्वराज्य-दल ने उन चुनावों में भाग लिया और कुछ स्थानों पर विस्मयजनक सफलता प्राप्त की। भारतीय व्यवस्थापक मण्डल में उन्होंने ४५ स्थानों पर अधिकार वर लिया और कई महसूबूर्ण प्रस्तावों पर सरकार को पराजित किया। वंगाल और मध्यप्रान्त में, जहाँ स्वराजिस्टों का बहुमत था, उन्होंने दैर्घ-शासन प्रणाली की क्रियान्विति को बिलकुल रोक दिया। १९२६ के बाद से स्वराज्य दल में फूट पैदा हो गई और उसके कुछ शिरोरत्न सदस्यों ने सरकार के साथ प्रतियोगी सहयोग करने का रास्ता पकड़ लिया।

आराहयोग आन्दोलन और खिलाफत आन्दोलन के समाप्त हो जाने के बाद के बर्थ हिन्दू-मुस्लिम एकता की हट्टि से अत्यन्त शोचनीय है। इन वर्षों में देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक उपद्रव हुए। सितम्बर, १९२४ में महात्मा गांधीने अन्तःसाम्प्रदायिक एकता स्थापित करने के उद्देश्य से २१ दिनों का उपवास किया। महात्मा गांधी के वलिदान से कुछ समय के लिए साम्प्रदायिक विहेष की आग पर धानी पड़ गया, लेकिन वह हमेशा के लिए ठण्डी नहीं हो सकी।

## साहूमन कमीशन से गोलमेज परिपद्ध तक

### ६८ महात्मा गांधी पुनः भैदान में

राजनीति से दूर—१९२७ का वर्ष भारत के राष्ट्रीय आनंदोलन के इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है। इस वर्ष महात्मा गांधी कांग्रेस के निविवाद नेता के रूप में भारत के राजनीतिक रणनीति पर पुनः अवतरित हुए। १९२४ में कारागार से छुटने के पश्चात् उन्होंने सक्रिय राजनीति से हाथ खीच लिया था और अपना समय खोने को लोकप्रिय धनाते, सारे देश में भ्रमण कर हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रचार करते और अस्वृश्यता के अभियाप ने युड़ करने में व्यभीत किया था। १९२५ के अन्त में उन्होंने एक वर्ष के लिए 'राजनीतिक र्मान और निव्वलन' का ब्रत ले लिया। उस ब्रवधि में स्वराजबादी कांग्रेस के राजनीतिक नेता थे और गांधीबादी मुश्यतः रजनीतिक कार्य-क्रम में संलग्न रहे। लेकिन १९२६ तक विधान मण्डलों के भीतार अमृत्योग वरके जीकरणाही शासनयन्त्र को द्विन-भिन्न करने का स्वराजबादी कार्यक्रम चप्ट-प्रायः ही चुका था। पटनाचक ने महात्मा गांधी को शीघ्र ही राष्ट्रीय मोर्चे के अवधि भाग पर पुनः खा खड़ा किया।

बामगक्षी विचारों की वृद्धि—जिम समय महात्मा गांधी ने कांग्रेस के नेतृत्व की बागडौर गम्भाली, राष्ट्रवादी ग्रान्दोलन में बामगक्षी प्रवृत्ति दृष्टिगत होने लगी थी। बमाजबादी और भाम्यबादी विचारों ने देश के युवक राष्ट्रवादियों को प्रभावित करना प्रारम्भ किया था। "हम भी बमाजबादी जानित की नपलता और बमाजबादी राज्य की स्थापना ने भारत के कानिकारी राष्ट्रवादियों में बमाजबादी और भाम्यबादी भिड़ात्मों के प्रति सचित उत्पन्न कर दी।"<sup>१</sup> कमवरों और विसानों के समठन प्रकाट होने लगे। बम्बई के गिरनी कामगर सम के बदस्यों की संरक्षा १९२८ तक ६५ हजार में अभिक पहुंच गई थी। अभिक सघवाद और वर्ग-चेतना का योद्धोगिक भजदूरों के बीच शीघ्रतापूर्वक विकास हुआ और उसमें १९२८-१९२९ में कई बड़ी-बड़ी हड्डालों

१. ए० आर० देमाई—“सोमन वैक्यालण्ड शांक इंडियन नेशनलिज्म”,  
पृ० ३२४।

के रूप में स्वयं को व्यक्त किया। स्वयं कांग्रेस के भीतर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बासपक्ष और पकड़ने लगा। इसी काल में युवक संघों और विद्यार्थी संघों का भी जन्म हुआ। सुभाष चोस और जवाहरलाल नेहरू उनके सामर्थ्यवान् नेता थे।

### ६६. साइमन कमीशन

साइमन कमीशन की नियुक्ति—५ नवम्बर, १९२७ को महात्मा गांधी तथा दूसरे भारतीय नेताओं को बायसराय कर यह आमन्त्रण मिला कि वे उनसे दिल्ली में भेट करें। महात्मा गांधी उस समय मंगलीर में थे, बायसराय का आमन्त्रण पाकर शीघ्र ही वहाँ से चल पड़े और एक हजार मील की यात्रा तय कर लाई इविन से भेट करने के लिए दिल्ली पहुँचे। लाई इविन ने उनके हाथों में कागज का एक टुकड़ा अमा दिया जिसमें अनुबिहित साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की गई थी। महात्मा गांधी ने खिल होकर कहा कि बायसराय इस सूचना को उन्हें एक आने के लिफाफे में भेज सकते थे, लेकिन यह घटना भारत के इतिहास में युगान्तकारी सिद्ध होने की थी।

कमीशन को निश्चित काल से दो बर्ष पूर्व क्यों नियुक्त किया गया?—यह स्पष्टतया है कि १९१६ के भारतीय शासन सम्बन्धी एकट ने मॉटफोर्ड सुधारों की कार्यान्वयिति की जांच-पड़ताल करने और इस बात की कि भारत उत्तरदावी स्वशासन की दिशा में अप्रेतर पदोन्नति के लिए कहाँ तक तैयार है, रिपोर्ट करने के लिए १० बर्ष की समाप्ति पर एक अनुबिहित कमीशन की नियुक्ति निर्धारित की थी। इस प्रकार भारत में कमीशन १९२६ में भेजा जाना चाहिए था। लेकिन इंग्लैण्ड की राजनीतिक परिस्थिति ने अनुदार दल के भारत-पत्नी लाई बक्केनहेड को इस सम्बन्ध में जलदी करने के लिए विवश कर दिया। १९२६ में साधारण निवाचिन होते थे और उनमें अमिक दल की विजय की स्पष्ट सम्भावना थी। निसर्गतः अनुदार दल भारत के राजनीतिक भविष्य को आने विरोधी दल के हाथों में नहीं छोड़ना चाहता था। यही कारण है कि कमीशन को निश्चित काल से दो बर्ष पूर्व नियुक्त किया गया।

भारत के लिए अपमानजनक—साइमन कमीशन की नियुक्ति भारतवर्ष के लिए अपमानजनक थी। कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। “उसके सातों के सातों सदस्य अंग्रेज थे।<sup>१</sup> कमीशन में भारतीयों को न लेने का कारण यह बताया था कि चूंकि उसे विटिश संसद को रिपोर्ट देनी है, इसलिए उसमें केवल विटिश संसद के ही सदस्य सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन यह तो खाली एक बहाना था क्योंकि उस

१. सी० वाई० चिन्तामणि—“इंडियन पॉलिटिक्स सिन्स दी स्प्रिट्सी”, पृ० १७१।

समय विटिंग संसद में भारत के भी दो प्रतिनिधि—प्रत्येक सदन में एक-एक उपस्थित थे।

**कमीशन का उद्देश्य**—कमीशन का उद्देश्य “शासन-प्रणाली की क्रियान्विति, निधा की वृद्धि तथा विटिंग भारत में प्रतिनिधिक सरथायों के विचार का अनुशोलन करना और इस बात की कि उत्तरदायी शासन के सिद्धान्त की स्थापना चाहनीय है या नहीं, यदि है तो किस सीमा तक एवं विटिंग भारत में उस समय बर्तमान उत्तरदायी शासन की मात्रा को बढ़ाया जाए, मंथोधित किया जाए अथवा कम प्रतिबन्धित किया जाए, रिपोर्ट करना था।”

**कमीशन का बहिष्कार**—इस प्रकार, “भागबत अंग्रेज” यह निरांय करते को थे कि भारतीय अपना शासन आप करने के योग्य है या नहीं।<sup>१</sup> इनमें कोई आश्चर्य नहीं कि कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य के न रखे जाने की बात को भारतीय लोकमत के सभी वर्गों ने अपना ‘धोर अपमान’<sup>२</sup> समझा और इसका प्रबल विरोध किया। कमीशन को राजनीतिक धूतंता के नाम से ठीक ही सम्बोधित किया गया। भारतीयों के प्रसवजन के अतिरिक्त कार्रवा ने कमीशन के विचारणीय विषयों के ऊपर भी आकेप किया। वह केवल जांच-पड़ताल और रिपोर्ट करने वाला निकाव ही होने वाला था, कार्रवा को पूर्ण उत्तरदायी शासन को मांग की ओर से उसने अपनी आत्म मूढ़ ली थी। पांडित मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि सरकार के लिए एकमात्र न्यायपूर्ण मार्ग यह था कि वह इस बात की स्पष्ट घोषणा कर दे कि वह क्या करना चाहती है और इस योजना को कार्यरूप में परिणत करने के लक्ष्यसे एक योजना तंत्यार करने के लिए कार्यशैली नियुक्त करे।

**महात्मा कांग्रेस-दिसम्बर, १९२७**—कांग्रेस ने माइमन कमीशन के प्रति अपने हृषिकोण तथा नीति को दियाम्बर, १९२७ के मद्रास-अधिवेशन में स्पष्ट व्यक्त किया। चूंकि सरकार ने भारत के रवभाष्य-निर्णय के अधिकार के प्रति थोर उपेक्षा प्रदर्शित की, प्रत. कांग्रेस ने “प्रत्येक स्तर पर और प्रत्येक स्तर में” राजीवन के विष्वार करने का निश्चय किया। महात्मा कांग्रेस ने पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित करते हुए, एक प्रस्ताव भी पास किया था, यद्यपि महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव के बारे में नार में कहा था कि उसे “जल्दवाजी में भोजा गया था और यिनां विचारे पास किया गया था।”

साइमन कमीशन के विहिप्तार का निरांय केवल कांग्रेस तक ही सीमित नहीं

१. डोलन—“महात्मा गांधी”, पृ० १६६।

२. राजेन्द्रप्रभाद—“दण्डित भारत”, पृ० १६८।

था। मुस्लिम लीग (जिसमें इस प्रश्न के ऊपर फूट पड़ गई थी) के एक वर्ग को छोड़ कर सभी राजनीतिक दलों ने साइमन कमीशन के प्रति एक-सा हिटकोण ग्रहण किया। सर मोहम्मद शफी के नेतृत्व में लीग के प्रतिगामी पक्ष ने कमीशन के स्वागत करने का निश्चय किया, लेकिन मि० जिन्ना और उनके वामपक्षी अनुयायी कांग्रेस के साथ हो गए।

साइमन कमीशन ने फरवरी, १९२८ को बम्बई में उत्तरा। देशब्यापी हड्डताल द्वारा उसका अभिनन्दन किया गया। जहाँ कहीं कमीशन गया, काले झण्डों और “साइमन वापस जाओ” के नारों से उसका स्वागत किया गया। सरकार ने वहिकार को तोड़ने के लिए, जोर-ज्यादती के उपायों का प्रयोग किया लेकिन सब बेकार। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपतराय ने एक विराट जलूस का नेतृत्व किया। वह हृदय-रोग से पहले ही पीड़ित थे, जलूस में उनके ऊपर पुलिस की इतनी लाठियाँ पड़ीं कि उक्त घटना के एक पक्ष उपरान्त उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपतराय की मृत्यु से सारे देश में उत्तेजना की एक लहर दौड़ गई। लखनऊ में जवाहर लाल नेहरू व गोविन्दबल्लभ पन्त के ऊपर पुलिस की लाठियाँ पड़ीं। जब तक कमीशन लखनऊ में रहा, लखनऊ की स्थिति एक सैनिक विविर के तुल्य रही और वे सामाजिक उत्सव तक, जिनमें कमीशन के सदस्यों को आमन्त्रित किया जाता था, पुलिस की कठोर निगरानी में सम्पन्न होते थे।

साइमन कमीशन की रिपोर्ट—स्पष्टतः, साइमन कमीशन की जाँच-पड़ताल ने भारतीयों के बीच बहुत कम रुचि उत्पन्न की। दक्षिण की जस्टिस पार्टी और थोड़े से मुस्लिम संगठनों को छोड़कर, सभी राजनीतिक दलों ने कमीशन का पूर्ण वहिकार किया। कमीशन ने दो बार भारत की यात्रा की और अपनी रिपोर्ट को, जो मई, १९३० में प्रकाशित हुई, दो वर्ष से अधिक समय बाद पूरा किया। कूपलैण्ड के मत के अनुसार रिपोर्ट ने “त्रिटिश राज्य-विज्ञान के पुस्तकालय में एक और श्वेष्ठ कृति की दृढ़ि की।” लेकिन भारतीय लोकमत से रिपोर्ट को पूर्ण रूप से अस्वीकार किया।<sup>१</sup> सर शिवस्वामी अध्यर ने इन शब्दों में कि “साइमन रिपोर्ट को रटी की टोकरी में डाल देना चाहिए”<sup>२</sup>। साइमन रिपोर्ट के प्रति भारतीय हिटकोण का अच्छा परिचय दिया था। त्रिटिश सरकार ने भी रिपोर्ट के ऊपर, जिसकी सिफारिशें शीघ्र ही गोलमेज परिषद् के दीर्घ वितर्क से अभिभूत हो गई थीं, कोई कार्यशाही नहीं की।

१. कूपलैण्ड—“इण्डियन प्रॉब्लेम, १८३३-१९३५”, पृ० १००।

२. कीर्य—“ए कंस्टीट्युशनल हिस्ट्री ऑफ इण्डिया”, पृ० २०४।

३. चिन्तागणि—“इण्डियन पोलिटिक्स सिन्हा दी म्युटिनी”, पृ० १७२।

साइमन रिपोर्ट ने भारतीय आकांक्षाओं के प्रति किसी प्रकार को सहृदयी नहीं प्रकट नहीं की और दोमिनियन म्टेट्स की चर्चा तक नहीं की।

इसके विपरीत उसने जातिगत और सम्प्रदायगत मतभेदों का सविस्तार उल्लेख करते हुए भारतीय स्थिति का इतनी चित्र दीखा।

निम्नांक यह निश्चिना कि मन्त्रीय धर्मका उत्तरदायी शासन का प्रयोग नफ़न नहीं रहा था, लेकिन उसने इस धारा की सिफारिश नहीं की कि इस पढ़ति को त्याग दिया जाए।

प्रान्तों में रक्षाकब्बों (Safeguards) के साथ पूर्ण उत्तरदायी शासन—इसके विपरीत उगते गुभाव दिया कि प्रान्तों में दैध धारण प्रणाली के स्थान पर पूर्ण उत्तरदायी शासन की प्रतिष्ठा होनी चाहिए।

प्रान्तीय प्रशासन के अब विभाग विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी एकल-प्रतिमण्डल के हाथों में होने चाहिए।

तथापि, उसने रक्षाकब्बों (Safeguards) की आवश्यकता पर बल दिया।

यह गुभाव उस्थिति किया कि कलिपय भद्रत्यपूर्ण मामलों में यवनंदों को घपने भवित्वों के नियंत्रों के उल्लंघन करने की विशेष भवित्वों में सजिस कर देना चाहिए।

संघ—रिपोर्ट ने एस ऐसो भारतीय गंभीर की दृष्टिना का भी प्रस्ताव या जिसमें “प्रत्येक प्रान्त जहाँ तक ही नहीं, अपने क्षेत्र में अपना मानिक हो।”

रिपोर्ट ने यह भी गुभाव दिया था कि केन्द्रीय विधानमण्डल को संघीय आदर्शों पर पुनर्गठित करना चाहिए, और निम्न विधान को, जिसका नाम गंधीय सभा (Federal Assembly) हो, प्रान्तीय विधान-मण्डलों द्वारा परोदातः निर्वाचित किया जाना चाहिए। यह उसी सर्वाधिक विश्वासकर मिशनरियों में से एक थी।

केन्द्र में कोई उत्तरदायित्व नहीं—इसमें कहा गया था कि केन्द्र में किसी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं हो, काव्यालिका वरावर अनुत्तरदायी बनी रहे। जहाँ तक नाम्प्रदायिक प्रश्न का गम्भन्य है, साइमन रिपोर्ट ने नाम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की निन्दा की लेकिन किन्हान उसे अपरिहार्य घोषणा।

भारतीय राज्य—गुरुर भविष्य में, भारतीय राज्यों के गोपदान की भी अस्तित्व कल्पना वी विभिन्न एह तात्परानिह पर के हृषि में उसने बृहत्तर भारत की केवल एक ग्रंथी परामर्श परिषद् की सिफारिश की जिसमें देशी राज्यों और श्रिटिष्म भारत दोनों का प्रतिनिधित्व हो।

## ७०. नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना की चौदह शर्तें

सर्व-इल-सम्मेलन, १९२८—साइमन कमीशन की, जिसके सब सदस्य अंग्रेज थे, नियुक्ति करते हुए अनुदार इल के भारत-मन्त्री लार्ड बर्केनहेड ने भारतीय जनता को एक धृष्ट चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि भारतीय 'साम्प्रदायिक कलहों' के फल-स्वरूप अपने लिए एक संविधान बनाने में अरामदायी हैं। भारतीय राष्ट्रवादियों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और कांग्रेस से फरवरी, १९२८ में, दिल्ली में सब दलों के सम्मेलन का समोजन किया। सम्मेलन ने २५ बैठकें की तथा पूर्ण उत्तरदायी शासन के ऊपर आधारित भारत के एक संविधान और साम्प्रदायिक सम्बन्धों व अनुपातों की समस्या पर विचार-विनिमय किया।

**नेहरू-समिति**—१९८ मई को सम्मेलन की बैठक में इस अवश्य का एक प्रस्ताव पारा किया गया कि भारतीय संविधान के सिद्धान्तों का भस्त्रिता तैयार करने के लिए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ६ सदस्यों की, जिनमें एक सिख और दो गुरुसलमान भी हों, एक समिति नियुक्त की जाए। सम्मेलन में भाग लेने वाले २६ संगठनों ने समिति के नियुक्त करने के प्रस्ताव का समर्थन किया। जबाहरलाल नेहरू इस समिति के रेफ़ेटरी बने।

**नेहरू रिपोर्ट**—(क) डोमिनियन स्टेट्स और पूर्ण उत्तरदायी शासन—समिति ने तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली। अपनी रिपोर्ट में समिति ने इस बात का कि भारतीय संविधान को स्वायासित डोमिनियनों के नमूने पर पूर्ण उत्तरदायी शासन के ऊपर आधारित होना चाहिए, समर्थन किया और यह स्पष्ट कर दिया कि डोमिनियन स्टेट्स की उपलब्धि "हमारे विकास की एक दूरस्थ अवस्था नहीं अपितु अगला तात्कालिक कदम है।" रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि केन्द्र और प्रान्तों, दोनों स्थानों पर; कार्यपालिका को पूर्सीतः विधान-मण्डल के नियन्त्रण में तथा उत्तरदायी रहना चाहिए।

(ख) प्रान्तीय स्वायत्ता और अवशिष्ट शक्तियाँ—समिति संघ को भी केवल एक संभावना समझती थी। तथापि, उसने प्रान्तों के लिए स्वायत्ता की आवश्यकता पर बल दिया। उसने केन्द्र और प्रान्तों के बीच शक्तियों के वितरण की एक योजना उपस्थिति की, लेकिन अवशिष्ट शक्तियों को केन्द्र के लिए सुरक्षित रखा।

(ग) साम्प्रदायिक निर्वाचन और गुरुहभार की अद्वीकृति—जहाँ तक साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के जटिल प्रश्न का सम्बन्ध है, नेहरू रिपोर्ट "साम्प्रदायिकता वी कठिनाइयों का ठीक-ठीक सामग्रा करने के लिए भारतीयों द्वारा अब तक की गई सुस्पष्टतम चेष्टा थी।" रिपोर्ट ने इस तथ्य को कि साम्प्रदायिक मतभेद समस्त राज-

नीतिक दबाव पर अपना प्रभाव डालते हैं, स्वीकार किया लेकिन यह विश्वास व्यक्त किया कि विदेशी सत्ता और हस्तक्षेप से विमुक्त स्वतन्त्र भारत में इम समरया को सुलभाना मुगम होगा। रिपोर्ट के उचिताओं ने घोषणा की "एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाय के ऊपर निरंकुश भास्तन करे, इस बात को तहन नहीं किया जा सकता।" उन्होंने "रक्षाकर्त्तव्यों, मारणियों और सांस्कृतिक स्वाधेतता" द्वारा अल्पसंखक वर्गों को सुरक्षा का आवासन देने की आवश्यकता पर बल दिया। लेकिन गांधीयिक निर्वाचन और गुरुभार के प्रदन के ऊपर रिपोर्ट ने लखनऊ समझौते भी यतीं को हड्डामूर्वक अस्तीकार कर दिया। उमने पृथक् नियमों का इस आधार पर स्वाक्षर किया कि वे साम्प्रदायिक विरोधभाव की दृढ़ि करते हैं और अल्पसंखक वर्गों को जेन्य भुखता देने के अपने स्पष्ट घोषित प्रयोजन में ही असफल रहते हैं। फलतः "राष्ट्रीय हितों के लिए विचारित किसी भी प्रतिनिधित्व प्रणाली में उन्हें कोई स्थान नहीं दिया जा गवता।" रिपोर्ट ने संयुक्त निर्वाचनों की विकारिश की लेकिन साथ ही अल्पसंखक वर्गों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में भीटे सुरक्षित कट देने का प्रस्ताव किया। अल्पसंखक वर्गों को यह अधिकार दिया गया कि वे अपने लिए सुरक्षित सीटों के लिए भी जुनाव लड़ सकते हैं लेकिन किसी भी प्रकार के गुरुभार को अस्तीकार कर दिया गया।

(ब) उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त और तिम्ब—रिपोर्ट में यह गुरुभार दिया गया कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त को दूसरे प्रान्तों के वैधानिक धरातल पर ले आना चाहिए और निन्द को वर्द्धाई से पृथक् कर देना चाहिए ताकि चार मुस्लिम बहुल प्रान्तों का निर्माण हो सके। नेहरू रिपोर्ट ने भारतीय राज्यों की समस्या पर भी विचार किया। रिपोर्ट ने इम बात की सिफारिश की कि शासकों के अधिकारों और विदेशी अधिकारों की रक्षा की जाय लेकिन इसके नाथ ही नाथ उमने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें भारतीय अल्स्टर के हार में परिवर्तित करने के किसी प्रयास को सहन नहीं किया जायगा।

(क) भारतीय राज्य—रिपोर्ट में राजाओं को इस बात की चेतावनी दी कि यदि भारत के लिए सचीय संविधान योगीकृत किया गया तो उन्हें उम्मी भाष्य सम्मिलित होने दिया जाएगा जबकि राज्यों में स्वेच्छाचारी शासन प्रणाली का घन हो जाएगा। चाहे जो हो नई केन्द्रीय सरकार त्रिटिया सरकार ने "राजभौमत्व" भे विवरित राज्यों के प्रति बहुमान समस्त अधिकारों व दायित्वों को ले लेगी।

नेहरू रिपोर्ट की प्रतिक्रिया—अप्रत्यक्ष, १९२८ में लखनऊ में सर्व दल मम्मेलन ने नेहरू रिपोर्ट के ऊपर विचार-विनियम किया और उन घोड़े में सदोषनों महिन मी-पार कर लिया। कुछ समय बाद कांग्रेस कांग्रेस-मिति ने रिपोर्ट को "राजनीतिक विकास की दिशा में एक महान् पग" मानकर इसका अनुमोदन किया। लेकिन इस विषय पर

मुस्लिम लोकमत में भेद पड़ गया। राष्ट्रवादी मुसलमानों ने तो नेहरू रिपोर्ट का समर्थन किया लेकिन पृथक्तावादी तत्वों ने सर्वदल मुस्लिम सम्मेलन में, जिसका अधिवेशन ३१ दिसम्बर, १९२८ को दिल्ली में हुआ, एक स्वर से रिपोर्ट का विरोध किया। इस सम्मेलन के समाप्ति आगा खां थे श्रीर मौलाना मोहम्मद अली तक इसमें सम्मिलित हुए।

जिन्ना की चौदह शर्तें—मिं. जिन्ना भी नेहरू समिति द्वारा तैयार की गई वैधानिक योजना के विरुद्ध थे। उन्होंने चौदह शर्तों<sup>१</sup> के आधार पर जिन्हें उन्होंने

१. डा० राजेन्द्रप्रसाद ने जिन्ना की चौदह शर्तों का निम्नलिखित सारांश उपस्थित किया है—“(१) भावी संविधान का रूप संघ-प्रणाली का हो जिसमें अवशिष्ट शक्तियाँ प्रान्तों में विहित हों। (२) सभी प्रान्तों में एक समान स्वायत्त शासनाधिकार रहे। (३) सभी प्रान्तों की विधान-सभाओं और लोकप्रतिनिधि संस्थाओं में अल्पसंख्यक सम्प्रदायों का निविच्छित रूप से उचित और पर्याप्त प्रतिनिधित्व रहे। जहाँ उनका बहुमत हो, वहाँ घटा कर समान या अल्पमत न कर दिया जाए। (४) केन्द्रीय विधान-मण्डल में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व एक तिहाई से कम न रहे। (५) साम्प्रदायिक वर्गों का प्रतिनिधित्व पृथक् निर्वाचन की पद्धति से हो परन्तु कोई भी साम्प्रदाय जब चाहे तब संयुक्त निर्वाचन की पद्धति स्वीकार कर सकता है। (६) किसी भी प्रादेशिक पुनर्विभाजन द्वारा पंजाब, बंगाल और पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त में मुसलमानों के बहुमत पर कोई प्रभाव न पड़ना चाहिए। (७) सभी सम्प्रदायों को अपने धार्मिक विद्वान, उपराजना उत्सव, प्रचार, सम्मेलन और शिक्षा की पूर्ण स्वाधीनता रहनी चाहिए। (८) किसी भी विधान सभा अथवा लोकप्रतिनिधि संस्था में ऐसा कोई भी विवेयक या प्रस्ताव स्वीकृत न होना चाहिए जिसका कि किसी भी सम्प्रदाय के तीन चौथाई सदस्य अपने सम्प्रदाय के हितों का विरोध बताते हुए विरोध करें। (९) तिथ वस्त्रर्ज प्रेसीडेन्सी से पृथक् कर दिया जाए। (१०) अन्य प्रान्तों में जिस प्रकार के चुनाव किए जाएं उसी प्रकार के चुनाव सीमा प्रान्त और बिलोचिस्तान में किए जाएं। (११) विधान में सभी नौकरियों परे योग्यता की आवश्यकता के अनुरूप मुसलमानों को उचित भाग मिले। (१२) मुस्लिम संस्कृति-शिक्षा, भाषा, धर्म, व्यक्तिगत कानून और धार्मिक संस्थाओं की रक्षा व उन्नति के लिए उचित संरक्षण तथा पर्याप्त सरकारी सहायता मिले। (१३) केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय मन्त्रिमण्डल में कम-से-कम तिहाई मन्त्री मुसलमान रहे। (१४) केन्द्रीय विधान मण्डल को संविधान में कोई परिवर्तन करने का केवल तभी अधिकार रहे जब भारतीय संघ में अद्वृद्ध सभी इकाइयाँ उसे स्वीकार कर ले।”—“खण्डित भारत”, पृ० २०८-२०९।

मुमलभानों के हितों मीर अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक बताया, वीग के दोनों पक्षों में पुनरैक्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। यिन जिन्ना की ओरहृ गते साम्प्रदायिक समस्या का वास्तविक समाधान नहीं दे सकती थी लेकिन “इनका इमलिए और भी अपना विशेष महत्व है कि थी ऐकड़ानेल्ड के साम्प्रदायिक निर्णय में ये प्रायः मान ली गई थी।”<sup>१</sup> नेहरू रिपोर्ट ने भारतीय राज्यों के खासकों को, जो वह विचार लहून नहीं कर सकते थे कि स्वतन्त्र भारत की नई केन्द्रीय सरकार, विटिया सचिवाल्ड से संबंधित ले ले, प्रस्त कर दया था।

## ७१. संघर्ष को ओर

**कांग्रेस प्रलिटेटम् (कलकत्ता, विसम्बर, १९२६)**—यह हम पहले देख चुके हैं कि कांग्रेस ने अपने भद्राम-अधिवेशन के अवसर पर अपना लक्ष्य ‘पूर्ण स्वतन्त्रता’ अधीकार किया। जब अगले अधिवेशन (कलकत्ता १९२८) में नेहरू रिपोर्ट उपस्थित की गई, उन समय कांग्रेस के दो पथ हो गए। एक पथ तो डोगिनियन स्टेटम से ही संतुष्ट था, और दूसरा पथ जिसके नेता सुभाष चोहण व जवाहरलाल नेहरू थे, यह चाहता था कि कांग्रेस पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्य पर डटी रहे। इन पथ का कहना था, “जब तक अब्देजो से नसर्ग नहीं दूटता, (भारत को) सच्ची स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती।” लक्ष्यानि महात्मा गांधी दोनों पक्षों में समझौता करने में सफल हुए और कांग्रेस ने विटिया सरकार को एक अलिटेटम देने का का निश्चय किया। कांग्रेस ने विटिया सरकार को जो अन्तिम जितावनी दी, उसमें माँग की गई कि सरकार नेहरू नविधान को ज्ञो-का-त्यों पूरा स्वीकार कर ले, यदि उसने ऐसा नहीं किया तो कांग्रेस “देश को यह सखाह देकर कि वह करों का देना बन्द कर दे, अहिंसात्मक असहयोग का आनंदोलन संगठित करेगी।”

**द्वितीय इंडियन शिविर** में अधिक सरकार (मई, १९२६) —मई, १९२६ में इंग्लैण्ड के साथारण निर्वाचन में अमुदार दल की पराजय हुई और रैमने ऐकड़ानेल्ड के नेतृत्व में अधिक दल दासनालूढ़ हुआ। भारतवासियों को बड़ी-बड़ी आशार्थ वेद गई, यद्योकि निर्वाचन के तुरन्त बाद ही राष्ट्रमण्डलीय देशों के अधिक दलों के सम्मेलन में मैकड़ानेल्ड ने निम्न घोषणा की थी—“मुझे आशा है कि वर्षों की तो कीन चलाई कुछ महीनों की ही अवधि में राष्ट्रमण्डल में एक अन्य डोमिनियन, एक अन्य प्रजामिली डोमिनियन, वह डोमिनियन जो राष्ट्रमण्डल में एक मयक्ष के हृष में आदर कृष्ण, विष्णु विनाशी जाएगा। मेरा अभिप्राय भारत ने है।”

लार्ड इविन की घोषणा (३१ अक्टूबर, १९२६) —जून में दीर्घ विचार-विमर्श के लिए लॉर्ड इविन को इंगलैण्ड बुलाया गया। भारत वापस आने पर लॉर्ड इविन ने ३१ अक्टूबर, १९२६ को एक घोषणा की, जिसमें कांग्रेस की माँग को पूरी तरह से टाल दिया गया। बायसराय ने २० अगस्त, १९१७ की घोषणा का हबाला देते हुए कहा—“निटिंग सरकार ने मुझे यह स्पष्ट घोषित कर देने का अधिकार दिया है कि १९१७ की घोषणा में यह अभिग्राय असंदिग्ध रूप से है कि भारत को अन्त में उपनिवेश का दर्जा मिले।” उन्होंने एक गोलमेज परिषद के आयोजन की भी, जिसमें निटिंग भारत और देशी राज्यों के प्रतिनिधि निटिंग सरकार से नए संविधान के सिद्धान्तों पर विचार-विनियम कर लें, पूर्व सूचना दी।

दिल्ली का घोषणा-पत्र—लार्ड इविन की घोषणा कूटनीतिक अस्पष्टता की एक थ्रेष्ठ उदाहरण थी। इस घोषणा से सरकार की बास्तविक नीति समझना कठिन था। घोषणा में डोमिनियन स्टेट्स को लक्ष्य बताया गया, परन्तु वह क्या प्राप्त होगा, इसका कोई जिक्र नहीं था। राष्ट्रमण्डल में वर्षों की तो कौन कहे, कुछ महीनों के भीतर, भारत एक डोमिनियन के रूप में सम्मिलित होगा, इसके बारे में घोषणा में एक चब्द भी नहीं कहा गया था। इसके विपरीत, देशी राज्यों का सबाल उठाकर भारतीय स्वतन्त्रता की समस्या को और पेचीदा कर देने की कोशिश की गई। किर भी भारत के बड़े-बड़े नेता और कांग्रेस कार्यसमिति के पुराने सदस्य एक ऐसी आवाज लगाए रहे, जो तथ्यों के प्रकाश में भ्रामक सिद्ध हुई। विल्ली से प्रकाशित एक बताध्य में उन्होंने बायसराय को धन्यवाद दिया और कहा—“हम समझते हैं कि प्रस्तावित परिषद औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना का सबस्थ निविदा करने के लिए गहीं बुलाई जा रही है, वल्कि ऐसे स्वराज्य का संविधान तैयार करने को आमन्त्रित की जाएगी।” उन्होंने इस बात की अपील की कि बतंसान शासन में उदार भावनाओं का संचार होना चाहिए और समझौते की नीति को अवित्तमार करना चाहिए जिससे जनता इस बात का अनुभव करने लगे कि, “आज से ही नवीन युग आरम्भ हो गया है।” वहुत से युवक कांग्रेसी इस हण्डिकोए से असहमत और असम्मुच्छ थे। जबाहरलाल नेहरू और सुभाष चोहां ने कार्यसमिति से खागोन दे दिया। इसके विपरीत महात्मा गांधी ने एक अंग्रेज मिश को निखा था—“मैं तो सहयोग देने को मर रहा हूँ।” उन्होंने कहा था—“यदि मुझे बघहार में सच्चा औपनिवेशिक स्वराज्य मिल जाए, तो मैं उसके संविधान के लिए ठहरा भी रह सकता हूँ।” लेकिन उन्होंने इस बात को स्पष्ट कह दिया—“औपनिवेशिक स्वराज्य की मेरी कल्पना यह है कि यदि मैं चाहूँ तो आज ही निटिंग सम्बन्ध विच्छेद कर सकूँ।”

इंगलैण्ड में प्रतिक्रिया—लार्ड इविन की घोषणा पर इंगलैण्ड में जो प्रतिक्रिया

हुई, वह किसी भी तरह से आशाजनक नहीं थी। “बायसराय को घोपणा में भारत-वानियों को बहुत छोटी-सी चीज देने का बच्चन दिया गया था, फिर भी श्रिटिंग संघर्ष में इसी पर तृप्तान खड़ा हो गया।”<sup>१</sup> टोरियों ने औपनिवेशिक स्वराज्य की चर्चा तक का विरोध किया। अधिक दल की सरकार ने विरोधी दल की ठक्करमुहाती करने में कुछ उठा न रखा और वह “भारतीयों की आशाएँ पूर्ण करने के बजाय अनुदार दल की शकाओं को दूर करने के लिए अधिक उत्सुक थी।” दूसरे शब्दों में अधिक सरकार दुर्मुहेपन से बात करती थी। भारत में तो वह यह धारणा उत्पन्न करने वो चेष्टा करती थी कि अब भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति एक नई रीढ़ गहरा की जाएगी। दूसरी ओर इंगलैण्ड में वह यह दिलासा देती थी कि नीति में किसी प्रकार का कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं किया है।

**गांधी-इविन भेट**—इस आन्तिम बातावरण में गहातमा गांधी ने बायसराय से भेट करके हृतक जीज को साक्षात् कर लेना चाहा। २६ दिसम्बर, १९२६ को यह भेट हुई। उसी दिन बायसराय की गाड़ी के नीचे बम फटा था और वह बाल-बाल बच गए थे। पुष्टि नोतीलाल नेहरू, तेजबहादुर सङ्ग्रे, बलभ भाई पटेल और जिन्ना भी बैठक में उपस्थित थे, तथापि इस बैठक से कोई विशेष कल नहीं निकला। क्योंकि बायसराय यह आक्षासन देने की स्थिति में नहीं थे कि पूर्ण उत्तरदायी शासन गोल-मेज परिषद् की कार्यवाही का अधार होगा।

लाहोर में—इस समाचार ने कि, “बायसराय भवन में भारत की आशाएँ चूर्ण हुई”<sup>२</sup> लाहोर-कांग्रेस का, जिसका अधिवेशन रावी के घट पर हुआ, बातावरण मम्मीर कर दिया। इस वर्ष के प्रध्यक्ष जयाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रवाद की उत्तर भावना के प्रतीक थे। कांग्रेस ने घोपणा की कि औपनिवेशिक स्वराज्य के प्रस्ताव को स्वीकार करने का समय नीति चुका है और अब भारत का लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य है। २६ दिसम्बर, १९२६ की मध्य रात्रि में स्वतन्त्र भारत के तिरंगे झण्डे को फहराया गया। कांग्रेस ने गोलमेज परिषद् में भाग न लेने का निश्चय किया और गहागमिनि को यह अधिकार दिया कि, “वह जब चाहे, जहां चाहे, सविनय अवज्ञा और करबन्दी तक का कार्यक्रम आरम्भ कर दे।”

२६ जनवरी, स्वतन्त्रता विषय—कांग्रेस ने २६ जनवरी को स्वतन्त्रता दिवस निश्चित किया और इस अवसर पर वडे जाने को स्वतन्त्रता का एक घोपणा-वर्ष घोषिकार किया। घोपणा-वर्ष ने श्रिटिंग सरकार को भारत के आर्थिक, राजनीतिक,

१. पट्टाभि गीतारामस्या—“दी हिस्ट्री आफ दी कांग्रेस”, पृ० ५६४।

२. पट्टाभि गीतारामस्या—“दी हिस्ट्री आफ दी कांग्रेस”, पृ० ६००।

सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पतन के लिए दोषी ठहराया और 'स्वतन्त्रता प्राप्त करने के भारतीय जनता के जन्मसिद्ध अधिकार' की घोषणा की।

## ७२. सचिनय अवज्ञा आनंदोलन (१९३०-३१)

सचिनय अवज्ञा की तैयारी—कांग्रेस और महात्मा गांधी ने जलदबाजी में कोई काम नहीं किया। उन्होंने इस बात का व्याप रखा कि उस संघर्ष के लिए जो कि अपरिहायें हो गया था, देश को तैयार किया जाए। एतदर्थं उन्होंने अंहसक प्रतिरोध की टेक्नीक का व्यापक प्रचार किया। उस समय देश एक ऐसी विश्वव्यापी मन्दी के पैरे था, जिसने अयतन्तीय अधिकी के जोर से भारत पर प्रहार किया।<sup>१</sup> खेती सम्बन्धी चीजों के भाव ५० प्रतिशत से अधिक घर थे और किसानों की हालत इतनी तंग थी कि, "वे एक गज कपड़ा या डैड़ पाथ लैम्प का तेल भी नहीं खरीद सकते थे। गीवा-सादा तथ्य यह था कि बे कर, लगान और बहरा को अदा करने में आसमर्य थे।"<sup>२</sup> व्यावसायिक और औद्योगिक वर्गों में रुपए की नई विनिमय दर के कारण असन्तोष पैदा हो गया था। सरकार ने रुपए की कीमत १६ पैस से बढ़ाकर १८ पैस कर दी थी। इस परिवर्तन से इंगलैण्ड को पूरा लाभ हुआ। "भारत के उद्योगपतियों और व्यापारियों ने कांग्रेस का समर्चन किया तथा उसके कोप में १६२० से भी अधिक मुक्तहस्त होकर दान दिया।"<sup>३</sup> औद्योगिक कमकर भी अवनुप्त और उत्तेजित थे। ब्रिटेन के फलस्वरूप उन्हें प्रभूत कष्ट उठाने पड़े थे। "अमिक आनंदोलन विचारधारा और संगठन दोनों में वर्ग-चैतन्य, उग्र तथा भयावह होता आ रहा था।"<sup>४</sup> सरकार ने मार्च, १९२६ में बजदूर संगठन के ३६ योग्यतम और उग्रतम नेताओं को गिरफ्तार करके और मेरठ घट्यन्त्र अभियोग का अभिनव करके जो लगतार शिथिलतापूर्वक चार बर्ष तक चलता रहा, जिसमें १६ लाख रुपए खर्च हुए और अन्त में २७ अमिक नेताओं को समाट को भारत की प्रशुता से च्युत करने के आवाद में दीर्घ कारावास का दण्ड मिला। अमिक संगठन पर भीषण आधात किया। इसके अलावा लाहौर घट्यन्त्र अभियोग ने भी सारे भारत के राजनीतिक वायुमण्डल को विद्युत्मय कर दिया था।

१. पोलक—"महात्मा गांधी", पृ० १७३।

२. वही, पृ० १७३।

३. पोलक—"महात्मा गांधी", पृ० १७५।

४. जवाहरलाल नेहरू—"आउटोकार्यपाकी", पृ० १८८।

इस प्रकार उन सभ्य चारों और गर्भी द्वाई हुई थी और इस बात के चिन्ह वर्तमान थे कि यदि महात्मा गांधी ने गविनय अवज्ञा का धोगणेश न किया होता, तो तल्कार्लाल अधिक दुर्दशा । तोकरजाही दमदब्ब के भारत में एक ऐसी आन्दित का सूचपात कर देते, जिसका स्वरूप निष्ठततः अहिंसात्मक न होता । गांधी इस बात ने अवगत थे । २ मार्च, १९३० को उन्होंने बायमराय को चेनावनी का एक पत्र लिखा और उसमें यह भत्ता किया कि हिंसक दल का जोर बढ़ता जा रहा है और वह अहिंसक आन्दोलन जिसे प्रारम्भ करने का मैं निश्चय कर चुका हूँ, न केवल विट्ठि जासन के हिस्मक दल का ही अपितु वहत हुए हिस्मक दल की संगठित हिमा का भी नामना करेगा ।

**३४३० कूच—सविनय अवज्ञा आन्दोलन का धीगलोद मार्च के प्रारम्भ में किया गया । महात्मा गांधी ने अपनी खात्र हातों द्वारा बायमराय से कुछ सुधारों को कार्यान्वित करने की मांग की थी । जब उसका कोई सतोपञ्चनक परिणाम नहीं लिकला, तब गांधी जी और कांग्रेस के सामने एकमात्र मार्ग यही रह गया था कि वे सविनय अवज्ञा आन्दोलन को शुल्करें । यह निष्चित किया गया कि सविनय अवज्ञा का धीगलोद महात्मा गांधी और उनके ७६ तूने हुए गिरिधित कार्यकर्ता करने, और प्रान्दीलम दाण्डी-यात्रा तथा लाक्षणिक नमक-कानून-मांग के साथ प्रारम्भ हो । १२ मार्च, १९३० को नहात्मा गांधी और उनके ७६ प्रगिरिधित कार्यकर्ता भावरमती आधम में नमूद-हट की ओर चल पड़े । दो सौ मील की लम्बी यात्रा पैदल चलकर २६ दिनों में तय की गई । कल्वभभाई पटेल आगे-आगे चले और उन्होंने जॉन दी बैपटिस्ट (John the Baptist) की तरह मरीहा के आगमन के सिए लोगों को नेयार किया । इस महान् यात्रा के मार्ग में ग्रामवासियों ने महात्मों की मृत्यु में महात्मा गांधी का अभिनन्दन किया, महात्मा गांधी ने उन्हें आत्म-विदान और अहिंसा का उपदेश दिया । “लोगों ने ज्यों-उयो दिन-प्रति-दिन कूच बारती हुई तीव्र-यात्रियों की इस प्रगति पो देखा, त्यों-त्यों देश का सामान ऊंचा चलता गया ।”<sup>१</sup> देशभक्ति की ज्वाला पूरे प्रकाश के माथ प्रज्ञालित हुई और उसने जनता को मानवभूमि की मुक्ति के एक महात् सदाच के निए प्रस्तुत कर दिया । ६ अप्रैल को प्रातःकाल वी प्राचीना के बाद महात्मा गांधी ने समृद्धतट पर नमक बनाकर नमक-कानून भग किया ।**

**सविनय अवज्ञा का कार्यक्रम—**यह भारत के लिभिन्न भागों में दिनान प्रमाणे पर सविनय अवज्ञा के शुल्क ही जाते का मकेत-विन्ह था । ६ अप्रैल को महात्मा गांधी ने आन्दोलन के निए निश्चन कार्यक्रम निर्वाचित किया । “गांव-गांव को नमक धनांश के

१. जवाहरलाल नेहरू—“आवटोबायग्रामी”, पृ० ८१० ।

लिए निकल पड़ना चाहिए। बहुनों को शराब, अफीम और विदेशी कपड़े की दुकानों पर धरना देना चाहिए। विदेशी वस्त्र को जला देना चाहिए। हिन्दुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए। विद्यार्थी सरकारी मदरसे छोड़ दें और सरकारी नौकर अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दें।”<sup>४</sup> मई को महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद करबन्दी को भी कार्यक्रम में जोड़ दिया गया।

आन्दोलन पूरे जोरों में—जीवं ही आन्दोलन पूरे जोर में आ गया। इस महीने के भीतर-ही-भीतर २०० से अधिक पटेलों और पटवारियों ने अपनी नौकरी छोड़ दी। बहुत से सदस्यों ने विधान मण्डलों से और कई सरकारी नौकरों ने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिए। हजारों लोगों ने नमक-कानून भंग किया। घारासना में २५०० स्वयंसेवकों ने नमक के गोदाम पर चढ़ाई की और पाश्विक लाठी-प्रहार के शिकार हुए। “जमीन, पीड़ा से कराहते हुए आवमियों से पट गई थी। किसी का कंधा टूट गया था और किसी की खोपड़ी। लोगों के सकेद कपड़े खून से तर थे।” ३०० से अधिक व्यक्ति अस्पताल ले जाए गए और दो मर गए। लेकिन एक व्यक्ति ने भी चार से बचने के लिए अपनी भुजा नहीं उठाई। सचिनय अवज्ञा आन्दोलन के कार्यक्रम में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार सबसे आगे रहा और उसने महान् सफलता प्राप्त की। एच० एन० ब्रेलस्कोड़े के अनुसार १६३० की शरद तक कपास के कपड़ों का आवात पूर्व वर्ष के इन्हीं महीनों के आवात की तुलना में तिहाई या चौथाई के बीच रह गया था। बन्धी में अंग्रेज व्यवसाइयों की सोलह मिलें बन्द हो गई थीं और ३२,००० मजदूर वेरोजगार थे। इसके विपरीत भारतीय व्यवसाइयों की मिलें दुगनी गति से काम कर रही थीं।<sup>५</sup> मदिरा बहिष्कार के कार्यक्रम को पिकेटिंग और प्रचार के द्वारा भी इड़ किया गया। इस आन्दोलन की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि भारतीय स्त्रियों ने अपने संकोच को त्यागकर स्वातन्त्र्य योद्धाओं के साथ मिलकर काम किया। दिल्ली में लगभग १६०० महिलाएं शराब की दुकानों पर धरना देने के अपराध में गिरफ्तार की गईं। किसानों में भी हलचल मच गई थी। गुजरात, मद्रास, पंजाब और बाद में यू० पी० के भागों में बन-कर्तूनों के बहिष्कार और करबन्दी के आन्दोलन का खूब प्रचार हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने इस बात का समर्दृत किया कि करबन्दी आन्दोलन का समूर्झ देश में संगठन होना चाहिए। लेकिन ‘कांग्रेस का सम्पत्तिशाली तत्त्व’ इसके बिरुद्ध था।<sup>६</sup>

१. एच० एन० ब्रेलस्कोड़े—“रेवेल इण्डिया”, पृ० २६।

२. पोलक—“महात्मा गांधी”, पृ० १७६।

सविनय अवज्ञा और भारतीय मुसलमान—भारत के अधिकांश मुसलमान इस आन्दोलन से पृथक् रहे। महात्मा गांधी के उन कलिपण जनिष्टतम मिठांने, जो खिलाफ़ आन्दोलन में उनके साथ रहे थे उनकी नीति का विरोध किया। मिठांना का कथन था—“हम मिठांगी के साथ यामिन होने ने इनकार करते हैं जपांकि उनका आन्दोलन भारत की पूर्ण स्वतन्त्रता के लिए नहीं, अपितु भारत के ७ करोड़ मुसलमानों को हिन्दू महासभा के आधित बना देने के लिए है।”<sup>१</sup> लेकिन मुस्लिम लीग और नौकरगाही के गठबन्धन के बख़ूब भी, जिन देशभक्त मुसलमानों ने कांग्रेस के घरज के नीचे खड़े होकर, इस आन्दोलन में भाग लिया, उनकी भूम्या कम भृत्यपूर्ण नहीं थी। पश्चिमांतर गीमांगाल में खुदाई लिंगतारों ने राष्ट्रवादी जपितयों का साथ दिया और पुलिस की नृगंमताओं का हँसते-हँसते, आदर्व्यजनक सहनशीलता के साथ सामना किया।

सरकार का दमन-चक्र—जून १९३० में, भारत में लान्ति पूरे जोर के साथ हिलोरे से रही थी और बहुत से स्थानों में त्रिटिया शामन-यन्त्र विलकुल ठप्प हो गया मालूम होता था। इस काल में बम्बई अहर का शासन-मूल त्रिटिया नौकरगाही के हाथ में नहीं, अपितु कांग्रेस के हाथ में था। सरकार भी निपिक्ष्य नहीं थी। उसके लिए यह लड़ाई और इस लड़ाई का रवेंया विलकुल अजय था; पहले सो वह एकदम हतप्रभ-सी हो गई। लाठो-अहार दिन-प्रति-दिन की पटना हो गई। १९२१ में ही “कोलोनल जानियान ने लाठी-अहार की टेक्कीक को पूर्ण कर दिया था।”<sup>२</sup> “पुलिस को इस भयंकर यस्त्र का शरीर के प्राणभूत अंगों पर अधिकत करने में प्रधिक्षित किया गया था।”<sup>३</sup> अब प्रदर्शनों और गांवंजनिक भभाओं को निर्दयतापूर्वक तितर-वितर किया जानि लगा। कभी-कभी पुलिस छात्रों का दीदा करती हुई उनके कक्षाओं में घुस जाती थी और उसे उनके अव्याप्तों को अपनी लाठियों का गिरार बनाती थी। कांग्रेस को प्रदेश मंगठन औदित कर दिया गया था और दमनचक्र ने एक बर्दे से कूद्र ही अधिक समय में ६०,००० से अधिक मत्याघियों को जेल में ठूस दिया। महिलाओं के माय भी किमी प्रकार की नरसी का वर्ताव नहीं किया जाता था और पुलिस द्वारा स्त्री-कार्यकर्ताओं का दीड़न भारत में त्रिटिया शामन के इतिहास के अत्यन्त काने कार-

१. बूपजैण—“इण्डिया, ए रिस्टेटमेण्ट”, पृ० ११८-१९।

२. पट्टाभि मीतारामय—“हिस्ट्री आंक दो नेशनल स्ट मूवमेण्ट इन इण्डिया”

पृ० ५६।

३. पोलक—“महात्मा गांधी”, पृ० १३६।

नामों में से एक है। देवा को अध्यादेश शासन के अधीन कर दिया गया था और एक के तुरन्त बाद दूसरे दमनमूलक कानूनों का बोलबाला था। करवन्दी आन्दोलन को कुचलने के लिए सरकार ने सम्पत्ति के बलात् गहण, हरण और नीलाम का आसरा लिया था। बोरसद में १६ राजनीतिक कैदियों को एक पिंजडे में बन्द कर दिया गया था। पुलिस के जुलूस का फल यह हुआ कि कई गाँव विलकुल उड़ा गए।

जैसी कि आशा की जा सकती है, कुछ स्थानों पर जनता ने भी हिंसात्मक कार्यवाहियाँ कीं। सरकार ने आतंक का दौरदौरा चुरू करते के लिए उनको बहाना बता लिया। शोलागुर में एक उत्तेजित भीड़ ने व्यापारी चौक चौकी-दारों को भार डाला। संगठित कार्यकर्त्ताओं ने व्यवस्था स्थापित करने में सफलता प्राप्त की, लेकिन पुलिस ने एचीसी आदमियों को गोली से भूनकर और तैफड़ों को आयल करके प्रतिशोथ लिया। पेशावर में, अर्बन्त, १६३० में इससे भी भयंकर घटनाएँ हुईं। बहार कई प्रदर्शन किए गए, कुछ अवसरों पर पुलिस और लोगों के बीच संघर्ष हो गया। इसके बाद जो अव्यवस्था फैली, उसमें पुलिस ने नगर की छोड़ दिया और तीन दिनों तक शास्त्रिपूर्ण व अनुशासित खुदाई खिदमतगारों ने व्यवस्था को कायम रखा। चौथे दिन सैनिक दस्तों ने शहर पर पुनः कब्जा कर लिया और दर्जनों खुदाई खिदमतगारों को भशीनगम्भी से भूशायी कर दिया। इस दौर में एक महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि एक गढ़वाली प्लेटून ने अपने मुस्लिम देशवासियों के ऊपर गोली चलाने से इनकार कर दिया।

### ७३. पहली गोलमेज परिषद् (नवम्बर-दिसम्बर, १६३०)

प्रतिनिधि—इधर संविधय अवक्ता आन्दोलन जोर पकड़ रहा था, उधर सरकार ने भारत के नए संविधान के सिद्धांतों पर विचार करने के लिए एक गोलमेज परिषद् का आयोजन किया। परिषद् २२ नवम्बर, १६३० को सेंट जेम्स प्रासाद, लन्दन में आरम्भ हुई। सन्नाट ने उसका उद्घाटन किया। कुल प्रतिनिधि ८६ थे। इनमें से ५७ प्रतिनिधि रिटिश भारत का प्रतिनिधित्व करते थे तथा १६ प्रतिनिधि भारतीय राज्यों से गए थे। वाकी १६ व्यक्ति ब्रिटिश संसद के सदस्य थे और वे इंग्लैण्ड के तीनों राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते थे। भारतीय प्रतिनिधि वायसराय ने चुने हुए थे और वे विभिन्न जातियों, वर्गों और हितों के लिए बोले। “सेंट जेम्स प्रासाद में राजा और अद्यूत, सिख, मुसलमान, हिन्दू और ईसाई, भूस्वामियों, अमिक संघों और नाणिज्य भण्डलों के प्रवक्ता एकत्रित हुए, लेकिन भारतमाता वहाँ नहीं थीं।”<sup>१</sup> कांग्रेस, जिसके नेता जेल में पठे हुए ब्रिटिश नीकरशाही के आतिथ्य

१. एच० एन० ब्रेल्सफोर्ड—“सब्जेक्ट इण्डिया”, पृ० ४६।

का मुख भोग रहे थे यह इस परिषद् में विलकृत घनुपर्हित थी। परिषद् का कार्य—प्रधान मन्त्री मैकडानेल्ड ने उन सिद्धान्तों का निरूपण किया, जिनके आधार पर विचार-विनिमय किया जाना था। नया भंजिधान संघीय होने लगा था। विटिया सरकार ऐसे घनुपर्हित रक्षा-क्वांटों के गांधी, जिनकी भंकमण्डल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गुजारपथ रख ली जाए, प्रान्तों में और केन्द्र में उत्तरदायी शासन की पुनरस्थापना करने के लिए तैयार थी। उन्होंने इग बात का विलकृत स्पष्टतः नहीं किया कि यह संक्रमणकाल कब तक रहेगा और रक्षा-क्वांटों की बात उत्तरेख नहीं किया कि यह संक्रमणकाल कब तक रहेगा और रक्षा-क्वांटों की एक चाल थी। मिठा जयकर स्पष्टतः वास्तविक दर्शन को विटिया हाथों में रखने की एक चाल थी। मिठा जयकर और रार तेजवहादुर सामूने श्रीपनिवेदिक स्वराज्य का प्रदन उठाया। मिठा जयकर ने कहा था, “यदि श्राप भारत को श्राज श्रीपनिवेदिक स्वराज्य दे दें, तो स्वतन्त्रता की अवाज अपने भाष परतम हो जाएगी।”

आवाज आपने भाष स्वतंत्र हो जाएगी ।  
संघ, उत्तरदायी शासन, रक्षा-कब्द— सेकिन अंग्रेज इतना आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे । संघीय सिद्धान्तों को साधारणतः स्वीकार कर लिया गया । राजाओं ने एक अखिल भारतीय संघ के विचार का मर्मदंन किया । भग्नु ने राजाओं की इम नीति का स्वागत किया और आशा प्रकट की कि वे 'हमारे संविधान में मुस्थिरता रखने वाले तत्व' सिद्ध होंगे । मिठा जिना और सर मोहम्मद शफी ने, जो मुस्लिम लीग के दो पक्षों का प्रतिनिधित्व करते थे, इम विषय पर सहमति प्रकट की । दूसरे अल्पसंख्यक वर्षों ने भी इसका विरोध नहीं किया ।

अल्पसंख्यक वर्गों ने भी इसका विराघ नहीं लिया। निर्वाचक-मण्डलों को लड़ाई—लेकिन मान्मदायिकता को समस्या परिषद् की असफलता का कारण सिद्ध हुई। अल्पसंख्यक उगमभिति में पुरानी लड़ाई पुनः लड़ी गई। युवितयों भी वही थी और परिणाम भी वही रहा। लेकिन इस बार एक नई चौज देखने को मिली। दक्षित वर्गों की ओर से डा० अम्बेडकर ने पृथक् निर्वाचक-मण्डलों की भाँग की। जहाँ हिन्दू प्रतिनिधियों ने इस बात की वकालत की कि नव जातियों की भाँग की। जहाँ हिन्दू प्रतिनिधियों ने अवसर मिलना चाहिए, मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भारत की साथ-साथ सेवा करने का अवसर मिलना चाहिए, मौलाना मोहम्मद अरबी ने मान्मदायिकता के पृथक् निर्वाचन मण्डलों पर बल दिया। मौलाना मोहम्मद अरबी ने मान्मदायिकता के हाथों को मजबूत लिया। उन्होंने कहा, “मैं भग्नान ग्रामार के दो दायरों में सम्बन्ध रखता हूँ लेकिन उतना केन्द्र एक ही नहीं है। एक भारत है और दूसरा मुस्लिम-विद्वा० हम राष्ट्रवादी नहीं, अपिनु यति राष्ट्रवादी हैं।”<sup>2</sup> निर्वाचक मण्डलों की लड़ाई अनिर्ण्यत समस्त मुर्छा भावगत में प्रवान मन्त्री मेकडानेहड ने कहा कि ब्रिटिश

१. कूपलेण्ड द्वारा उद्भव—“इण्डिया, ए रिस्ट्रेटमेंट”, पृ० १३६।  
 २. कूपलेण्ड—“इण्डियन प्राइवेस—१८३३-१८३५,” पृ० १२१।

सरकार संघीय योजना को—प्रान्तों में पूर्ण उत्तरदायी शासन और केन्द्र में उचित रक्षा-काव्यों सहित उसकी आंशिक पुनःस्थापना को स्थीकार करने के लिए प्रस्तुत हैं। जहाँ तक साम्प्रदायिक वाद-विवाद का सम्बन्ध है, इसे उन्होंने “जातियों के ऊपर आपस में ही समझौता करने के लिए” छोड़ दिया।

**शर्करा मण्डित गोलियाँ**—ये ही वे चीजें हैं, जिन्हें कूपलैण्ड ने पहली गोलमेज परिषद की हष्टव्य सफलता का नाम दिया है। दूसरी ओर सुभाष बोस ने गोलमेज परिषद के कर्तव्य के प्रति भारत के राष्ट्रवादी हृष्टिकोण को संक्षेपतः निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया है, “परिषद ने भारत को दो कड़ी गोलियाँ रक्षा-कवच और संघ प्रदान की। गोलियों को भक्तीय बनाने के लिए ‘उत्तरदायित्व’ की शब्दकर में लपेट लिया गया।”<sup>१</sup>

#### ७४. गांधी-इविन समझौता और दूसरी गोलमेज परिषद्

कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए विदिशा सरकार की उत्सुकता—पहली गोलमेज-परिषद में कांग्रेस की अनुपस्थिति से विदिशा सरकार स्पष्टतः परेशान थी। कांग्रेस के बिना सम्पूर्ण परिषद की स्थिति बिना बूल्हे वाली भारत के तुल्य हो रही थी। कांग्रेस के साथ समझौते का मार्ग प्रशस्त करने के लिए २५ जून, १९३१ को महात्मा गांधी और कार्यसमिति के १६ सदस्यों को बिना शर्त कारागार से मुक्त कर दिया गया। ‘शान्ति-स्थापकों सप्रू और जयकर के प्रयत्नों के फलस्वरूप महात्मा गांधी और लाई इविन के बीच एक सम्मेलन हुआ, जो १७ फरवरी से शुरू हुआ व जिसकी चरम परिणाम इतिहास में गांधी-इविन समझौते के नाम से प्रस्तुत है।

**गांधी-इविन समझौते की शर्तें**—गांधी-इविन समझौते पर ५ मार्च, १९३१ को हस्ताक्षर हुए। यह समझौता कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए विदिशा सरकार की उत्सुकता को प्रकट करता था। समझौते की शर्तों के अनुसार वायसराय (१) हिंसात्मक अपराधों के चिन्हों के दिवाय शेष सब राजनीतिक केंद्रियों को छोड़ने, (२) जब्त की हुई सम्पत्ति को वापस करने, (३) समुद्रतट के आसपास निवास करने वाले खोगों को नमक निःशुल्क तैयार करने या एकत्रित करने की आज्ञा देने और (४) शराब, अफीम व विदेशी कपड़ों की दुकानों पर शान्तिपूर्वक प्रिकेटिंग करने की आज्ञा देने के लिए सहमत हो गए। कांग्रेस ने अपनी ओर से (१) सविनय अवज्ञा, आन्दोलन को स्थगित करने (२) पुलिय की ज्यादतियों की निष्क्रिय जीव-पड़ताल को अपनी माँग को त्याग देने और (३) भारत के हित में संरक्षणों या रक्षा-कवचों लहित उत्तरदायित्व के आधार पर दूसरी गोलमेज परिषद में भाग लेने का वचन दिया।

१. सुभाष बोस—“इण्डियन स्ट्रगल”, पृ० २७५।

**समझौते के ऊपर प्रतिक्रिया—**समझौते के गम्भीर में केंद्र एम० मुंडी ने कहा था कि यह “भारतीय इतिहास की अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है।” परन्तु यह हृषिकोण कांग्रेस के दक्षिण-पश्च का था। कांग्रेस का धार्म-पक्ष समझौते में बाहर अमतुष्ट था। उसकी हृषि में वह समझौता साम्राज्यवाद के निकट अधम आत्म-मर्मण था। जवाहरलाल नेहरू को ‘राष्ट्र-कब्ज़ों’ में सम्बद्ध धारा के कारण जिनका वह स्वतन्त्रता के साथ ‘वेर केर मंग’ समझते थे, गम्भीर आघात पहुंचा। एच० मुरार्जी का यह कथन भर्वया युक्तियुक्त है कि “भारताज्यवाद ने भारतीय राष्ट्रवाद के साथ सशि तो अवश्य की, लेकिन अपनी शर्तों के ऊपर।” समझौते के मध्यन्थ में उद्यवादियों की उक्त धारणा। सर्वथा निराधार नहीं थी, यह वात ‘टाइम’ की इम टिप्पणी से भी पुष्ट होती है जिसमें कहा गया था कि “इम प्रकार की विजय किसी वायतराय को बहुत कम मिली है।” अतः यह स्पष्ट है कि जहाँ कांग्रेस के दक्षिण-पश्च ने गांधी-इविन समझौते को अपनी विजय समझा, वहाँ वस्तुतः वह विटिंग फूटनीति की विजय थी। भारतीय पुरुषक सरदार भगतसिंह और उनके माथियों की कामी के कारण बहुत कुछ हुए। महात्मा गांधी उनके निए सरकार गे धमा प्राप्त करने में अगफन रहे, इन्हिए वह भी पुरुष-वर्ग के रोप-भाजन बने। कुछ स्थानों पर उन्हें राने भवें दिखाये गए।

कांग्रेस का दूसरी गोलमेज-परियद में योगदान—कराधी अधिवेशन में एक प्रतिनिधि ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि समझौते के बिंदु महात्मा गांधी को छोड़ कर अन्य कोई व्यक्ति उत्तरदायी होता, तो उसे नमूद्र में फैक दिया जाता। इस सारे विरोध के बावजूद भी महात्मा गांधी के प्रभावशाली अवितत्त नथा दक्षिण-पश्चियों के बहुमत के कारण २५ मार्च, १९३१ को करानी-कांग्रेस के अवगत पर इम समझौते को स्वीकार कर लिया गया। फलतः दूसरी गोलमेज परियद में, जो ७ सितम्बर, १९३१ को शुरू हुई, कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने भाग लिया। पं० मदनमोहन सालवाई और थीमली सरोजिनी नाथ द्वारा अपनी अवितत्तता धमता ने परियद में सम्मिलित हुए।

परियद शुरू होने के कुछ ही समय पूर्व विटिंग राजनीतिक रगमें में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया। थमिक सरकार अपदस्थ हो गई। देसने मंकाङ्गनेंड अब भी प्रधान मन्त्री थे, लेकिन उनके दल ने उनको बदलाया कर दिया था। इस समय वह राष्ट्रीय सरकार के प्रधान थे और अनुदार दल के उदार दल का हाथ उनकी पांठ पर था। कर देवजुड़ देन के स्थान पर वह नेमुख्यन होते, जो पक्के टोरी थे, भारत-भूमि की नियुक्त हुए थे।

सम्प्रदायिक विविध प्रतिरोध प्रतिर्णीत ही रहता है—दूसरी गोलमेज परियद में महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र सरकारी प्रतिनिधि के द्वय में मम्मलिन हुए थे, लेकिन उनकी उपस्थिति भी परियद को महत नहीं बनी रही। यह दोस्रा है कि नए

संविधान के कुछ व्योंग भिजित कर लिए गए। संघीय न्यायपालिका का ढाँचा, संघीय विधानमण्डल का संगठन और भारतीय राज्यों के अखिल भारतीय संघ में प्रबोधन में सम्बद्ध आदि वातों निविद हो गई। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय स्वरूप का प्रतिपादन किया और 'मुख्या वर्लों व वैदेविक मामलों के ऊपर पूर्ण नियन्त्रण' सहित शीणनिवेशिक स्वराज्य की मांग की। लेकिन इस मांग का कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ। इसके अलावा साम्प्रदायिक गतिरोध अनिर्णीत ही बना रहा। उन्होंने अल्प-संख्यक वर्गों के माथ चमकीले की बातचीत की, लेकिन साम्प्रदायिक प्रश्न का कोई हल नहीं निकल सका। १ दिसम्बर, १९३१ को परिपद् विराजित हो गई।

#### ७५ पुनः सविनय अवज्ञा आन्दोलन (१९३२-३४)

**संविधान का असम—** महात्मा गांधी इंगलैण्ड से खाली हाथों आपस आ गए, यथापि उन्होंने इस वात का दावा किया कि "मैं बड़ी हुई आशा को लेकर लौट रहा हूँ।" उनकी अनुपस्थिति में भारत में कांग्रेस और सरकार का सम्बिकाल समाप्त होने लगा था। सरकार ने कांग्रेस के ऊपर यह दोपारोपण लगाया कि उसने यू० पी० में किमानों को कर न देने के लिए उत्तराधित यिथा है और इस वात की विकायत की कि पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त में खान अद्वृत गपफार खाँ के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार सत्रिनय अवज्ञा को पुनः शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके विपरीत कांग्रेस ने यह आक्षेप किया कि नौकरवाही ने गांधी ईर्विन समझौते की सब शर्तों का उल्लंघन किया है और पुलिस का दमन-चक्र पूर्ववत् जारी है।

लाई बैलिंगडन की कठोर नीति—लाई ईविन के उत्तराधिकारी लाई बैलिंगडन कठोर नीति के विवासी थे। उन्होंने भारत-राष्ट्र की नवजेतना भंग करने के लिए कमर कस ली थी। डगलैण्ड की राष्ट्रीय सरकार के दक्षिण पक्ष ने भी कांग्रेस को, जो बैलिंगडन के अनुसार "वैकल्पिक सरकार" होने का अभिनय करती थी, कुचल डालने का निश्चय किया। रोम में आने वाली एक भूठी प्रेस रिपोर्ट से जिसमें कहा गया था कि महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा को पुनः प्रारम्भ करने का इरादा है, सरकार को बहुता मिल गया। २८ दिसम्बर, १९३१ को जब महात्मा गांधी बम्बई में उतरे, जबाहरनाल नहर, खान बन्धु और दूसरे चोटी के नेता पहले ही जेल में बंद कर दिए गए थे। महात्मा गांधी ने "विना किन्हीं शर्तों का समारोप किए" बैलिंगडन से एक ईटरब्यू के लिए प्रार्थना की, लेकिन बैलिंगडन ने इस प्रार्थना को अस्वीकार किया। कांग्रेस कार्यसमिति ने सविनय अवज्ञा को पुराने तरीके से पुनः शुरू करने का निश्चय करके, इस चीज का जवाब दिया। ३ जनवरी, १९३२ को महात्मा गांधी ने राष्ट्र का एक 'अग्नि-परीक्षा' का सामना करने के लिए आह्वान किया।

आन्दोलन और वसन्त—सरकार ने तुरन्त कार्रवाही की। ४ जनवरी को सरकार पटेल व महात्मा गांधी गिरफतार कर लिए थे और यशवदा जेल में नजरबन्द कर दिए गए। अव्यादितों के समूह ने नीकरवाही को विदेष शक्तियों से गम्भिर कर दिया। महात्मा गांधी की गिरफतारी संघर्ष के पुनः प्रारम्भ होने का संकेत चिन्ह था। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, “इस बार विटिश सरकार का जो प्रतिरोध किया गया, उह १६३० में महान् था।” लेकिन जैसे समय बीत गया, आन्दोलन की शक्ति घटती रही। तथापि आन्दोलन १६ मई, १६३३ तक चलता रहा, जब तक कि उह महात्मा गांधी द्वारा बारह सप्ताह के लिए स्थगित न कर दिया गया। सरकार ने महात्मा गांधी को छोड़ तो ८ मई को ही दिया था, लेकिन इस समय उनके सामने सबसे बड़ी समस्या भद्रतों की ओर समीपागत माम्प्रदायिक पंचाट के द्वारा हिन्दू जाति के सम्मान्य विषय की थी। १४ जुलाई, १६३३ को जनआन्दोलन रोक दिया गया यद्यपि व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा एक बर्य तक चलती रही। जनता का उत्साह निश्चित रूप में कम हो गया था और नेत्रिक धरन के चिन्ह स्पष्ट रूप से हट्टिगत हो रहे थे। ७ अप्रैल, १६३४ को महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा समाप्त कर दी। उनके सेनापतित्व के ऊपर पुनः कांग्रेस दृष्टि। मुझाप वोस और वी० जी० पटेल ने, जो उस समय भूरोप में थे, सविनय अवज्ञा के स्थगन को पराजय की स्वीकारीकृति चताया और कहा कि एक राजनीतिक नेता के रूप में महात्मा गांधी असफल रिढ़ हुए हैं।<sup>१</sup> जवाहरलाल नेहरू भी रूप्ट हुए और उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व की कठु आलोचना की।

यह समर्तव्य है कि इस बार आन्दोलन का दमन करने में सरकार ने अभ्रुत-मूर्दक निरेयता रो काम लिया। चमित तक ने कहा था कि सरकार की दमन नीति गदर के बाव से इस बार सबसे कठोर रही थी। कांग्रेस और उसके सब सहायक मंगठों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया व उसकी समस्त सम्पत्ति, बैंक के हिसाब-किताब सथा कार्यालयों पर अधिकार कर लिया गया। सरकार ने राज्यवादी समाजाट-पत्रों के मुंह पर ताला लगा दिया और कांग्रेस को डाककाने के उपयोग ने बंचित कर दिया। कांग्रेस को हस्तकारों हाता डाक भेजने कीर तुल्य समाजाट-पत्र निकालने के भूमिगत तरीकों को अपनाना पड़ा। ‘विद्रोही’ स्थानों में दण्ड पुलिय और दुपों को लैनात कर दिया गया। सम्पत्ति की जड़ी और सामूहिक जुमनि नित्य के कार्य-क्रम हो गए।

१. शार० दी० दत्त—“इण्डिया ट्रू-डॉ”, पृ० ३४२।

## ७६. मैकडानेल्ड (साम्प्रदायिक) पंचाट और पूना-समझौता

पंचाट को पृष्ठ-भूमि—यह समतंत्र है कि गोलमेज परिपद के प्रथम दो अधिवेशन साम्प्रदायिक समस्या के गतिरोध को दूर करने में असमर्थ रहे थे। एडवर्ड थामसन के अनुसार यह मुख्यतः समझौते का तीव्र विरोध करने वाले मुसलमानों तथा कुछ विशेष अलोकतन्त्रवादी ब्रिटिश राजनीतिक क्षेत्रों का अभि-सन्धि का प्रमाण था।<sup>१</sup> तथापि द्वितीय गोलमेज परिपद के अन्त में मैकडानेल्ड ने प्रतिनिधियों से कहा दिया था कि साम्प्रदायिक समस्या का समाधान मुख्यतः तो सम्बद्ध जातियों के ही ऊपर निर्भर है लेकिन, “ब्रिटिश सरकार इस बात के लिए कृतसंकल्प है कि वह बाध भी उन्नति के मार्ग में बाधक नहीं बनने दी जाएगी।” उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि, “यदि कोई सर्वसम्मत हुल चामते नहीं आया तो ब्रिटिश सरकार के अपनी कानूनी योजना लागू करनी पड़ेगी।” साम्प्रदायिक अथवा मैकडानेल्ड पंचाट जो ८ अगस्त, १९३२ को प्रकाशित हुआ इसी का परिणाम था। इसके साथ ही-साथ यह भी घोषणा कर दी गई थी कि, “यदि सरकार को यह विश्वास हो जाएगा कि विभिन्न साम्प्रदायों को एक बैकल्पिक योजना स्वीकार है तो वह ब्रिटिश संसद से सिफारिश करेगी कि साम्प्रदायिक पंचाट में रखी गई योजना के बदले में नई योजना स्वीकार कर ली जाए।”<sup>२</sup>

पंचाट की शर्तें—पंचाट ने विशेष हितों और अल्पसंख्यक वर्गों के लिए और वंगाल व पंजाब में मुसलमानों के लिए, यद्यपि वे इन प्रान्तों में जनसंख्या की हृषि से बहुमत में थे, पृथक् निर्वाचन पद्धति को पूर्ववत् कायम रखा। पंचाट में दो अन्य विलक्षणताएँ भी थीं। परिचमोत्तर सीमाप्रान्त के विधान-मण्डल के सिवाय प्रत्येक प्रान्तीय विधान-मण्डल में ३ प्रतिशत स्थान, जिन्हें विभिन्न साम्प्रदायों में वाँट दिय गया था, स्थियों के लिए सुरक्षित रखे गए। पंचाट में ‘गुरुभार’ भी था, यद्यपि उसे अत्यन्त विषम रीति से बितरित किया गया था। लेकिन इस योजना की सबसे धातव विशेषता यह थी कि दलित वर्गों को एक विशिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में मान्य किया गया और उन्हें पृथक् निर्वाचन पद्धति द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनने का व ‘साधारण’ निवाचन क्षेत्रों में एक अतिरिक्त मत का अधिकार दिया गया। साम्प्रदायिक पंचाट भारतीय राष्ट्रवाद के बल को निर्बल करने के लिए भारत के साम्प्रदाय गत व वर्तमान मतभेदों को उत्तेजित करने की परम्परागत ब्रिटिश नीति के अनुरूप है था। नेहता और पटवर्धन ने खिला है, “भारत में साम्प्रायिक क्रियाकलापों का

१. डॉ. राजेन्द्रप्रसाद—खण्डित भारत” पृ० २०७।

२. वही, पृ० २०८-२०९।

संरक्षण राष्ट्रीय भावना की बृद्धि के साथ-साथ हुआ है।” १९०६ में निर्वाचिक मण्डल को चार गांध्रदायिक और बर्ग-निर्वाचिक मण्डलों में विभाजित किया गया, १९११ में उसे दस भागों में बांट दिया गया और १९३५ में यह भव्या १३ तक बढ़ा दी गई है।<sup>1</sup> यह बात महत्वपूर्ण है कि, “१९११ में साम्प्रदायिकता का सूत्रपात्र इसलिए किया गया था क्योंकि दो दल दूसरे महसूत थे। १९३५ में साम्प्रदायिकता को इसलिए किया गया था क्योंकि दो दल दूसरे महसूत नहीं हो सके।”<sup>2</sup>

स्पष्ट है कि ‘कूट डालो और राज्य करो’ की गुरानी नीति, जिसकी एलिक्टरन मेहराम और मैट्काफ के जनाने में जोर-शोर में घोषणा की जाती थी, अब मूलभारत ग्राम्यभावों की तलाश करने के लिए विवश हो गई थी। त्रिटिय बूटीनीति ने निरपेक्षता का अभिनय करना सीख लिया था लेकिन इस अभिनय का भीड़ापन भी नाक दिखार्दे देने लगा था।

त्रिटिय निष्पक्षता का अद्भुत प्रबलंग—‘निरपेक्ष’ त्रिटिय सरकार अल्पसंख्यक दर्गों और विदेशी रूप से भुमलमानों के ऊपर बहुत ही कृपालु थी। वंचाट में हिन्दुओं के साथ बहुत अन्याय किया गया था। पंजाब और बंगाल में हिन्दू अल्पमत थे थे, वे इस अन्याय के सबसे ज्यादा विकार हुए। ‘त्रिटिय-निष्पक्षता’ के कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा सकते हैं। १९३१ की जनगणना के अनुसार बंगाल में मुमलमान कुल जन-प्रिय ४८.५% और हिन्दू ४८.८ प्रतिशत थे। लेकिन प्रालीप विधान-मण्डल के मंद्यामा के ४८.५% और हिन्दू ४८.८ प्रतिशत थे। २५० स्थानों में से ११६ स्थान भुमलमानों की ओर ८० स्थान हिन्दुओं को दिए गए। पूरोपीय कुल जनसंख्या के ०१% ही थे लेकिन किर भी उन्हें २५ स्थान देने के लिए दोनों जातियों को अपना प्राप्य प्रतिनिधित्व उत्तर्यां करता पड़ा, परन्तु विवरण द्वात गढ़ है कि हिन्दुओं ने त्रिम उत्तर्यां की मांग की गई, वह अनुपत्त की हटि में मुमल-मानों में तिकूना था। पंजाब में अल्पसंख्यक दर्गों (हिन्दुओं और मिथियों) को ‘गुरुभार’ उनी माप के अनुसार नहीं दिया गया जिस माप के अनुसार वह मुमलमानों को उन दर्गों में, जहाँ वे अल्पमत में थे, दिया गया था। ‘गुरुभार’ के मामले में त्रिटिय निष्पक्षता ने अनोखी रीति में काम किया। पंजाब में हिन्दू और मिथि तो त्रिटिय सरकार की कुपाकोर से वंचित रहे, लेकिन भारतीय ईमाइयों, बाल मार्लीयों और यूरोपियनों को त्रिटिय सरकार का भूरितः अनुप्रह प्राप्त हुआ। उन्हें जमान् ३००%<sup>3</sup>, ३,०००% और २५,०००% मुमल मिला। डॉ राजेश्वरप्रसाद ने व्यग्य के स्वर गंतव्य का हिस्सा है, “त्रिटिय सरकार अवश्य ही इस मामले में सर्वदा उदाहरीय थी।”<sup>4</sup>

१. मेहता और पटवर्धन—“दी कल्यान दूषण”, पृ० १०१।

२. वही, पृ० ७५।

३. राजेश्वर प्रसाद—“खण्डित भारत”, पृ० २१३।

**कांग्रेस का हिंडिकोण—**भारत के राष्ट्रवादी लोकमत ने जहाँ साम्प्रदायिक पंचाट का साधारणतः खण्डन किया, कांग्रेस ने उसके प्रति कुछ विचित्र-सा हिंडिकोण अपनाया। कार्य-समिति ने निर्णय किया कि कांग्रेस को न तो इसे स्वीकार ही करना चाहिए और न अस्वीकार ही, यद्यपि अधिकांश सदस्यों के मत में “पंचाट सर्वथा तिरस्कार-योग्य था।”<sup>१</sup> पंडित मालवीय और एम० एस० अरणे इस डांबाडोल हिंडिकोण से अप्रसन्न हुए और उन्होंने पंचाट के विरुद्ध लड़ाई जारी रखने के लिए कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का निर्माण किया।

**गांधी जी का उपवास और पूना-समझौता—**लेकिन पंचाट के दलित बर्गों ने सम्बन्ध रखने वाला उपवन्ध महात्मा गांधी के लिए असह्य था। इससे उन्हें ममन्तिक पीड़ा पहुंची और उन्होंने अपने प्राणों की वाजी लगाकर हिन्दू जाति का विघटन करने की इस अपवित्र चेष्टा को निप्पल करने का निश्चय किया। जिस रामय पंचाट प्रकाशित हुआ, वह जेल में थे, उन्होंने आमरण अनशन करने का निश्चय किया। २० सितम्बर, १९२३ को महात्मा गांधी का यह ऐतिहासिक उपवास प्रारम्भ हुआ। डा० अम्बेदकर ने उसे ‘राजनीतिक भूतंता’ वताया और दहुतों ने उसकी आलोचना करते हुए कहा कि यह बल-प्रबलं न का तरीका है। लेकिन इस उपवास का मनोवाचित कल हुआ, इसने हिन्दू जाति का मनोमंथन करके रख दिया। पंडित मालवीय, राजेन्द्र प्रसाद और एम० एस० राजा के प्रयत्नों के फलस्वरूप एक समझौता-सूत्र तैयार किया गया जिसे महात्मा गांधी ने रासन्तोष स्वीकार किया और जिस पर आधे मन से डा० अम्बेदकर ने भी हस्ताक्षर कर दिए। इस सूत्र के अनुसार ‘हरिजनों’ (यह जात्म महात्मा गांधी ने दलित बर्गों के लिए गढ़ा था) को मैकडानेस्लूप पंचाट द्वारा दिए गए स्थानों से भी अधिक स्थान दिए गए। लेकिन इन स्थानों का निर्वाचन दो स्तरों में होना निश्चित हुआ अर्थात् प्रारम्भिक निर्वाचन में अदूत पृथक निर्वाचिक मण्डल के आधार पर प्रत्येक स्थान के लिए चार प्रत्याशी चुने लेकिन अन्तिम निर्वाचन में स्वर्ण हिन्दू और हरिजन सम्मिलित रूप से भत्तदान दें। इसके अलावा उन साधारण स्थानों के लिए, जो हरिजनों के लिए सुरक्षित नहीं रहे गए थे, हरिजनों को निर्वाचन में एक अतिरिक्त भत्त दिया गया। यह समझौता, जो पूना-समझौते के नाम से प्रव्याप्त है, २६ सितम्बर, १९३२ को अंगीकृत किया गया और उसी दिन महात्मा गांधी ने अपना उपवास तोड़ा।

१. सुभाष चोपड़ा—“दी इण्डियन स्ट्रगल”, पृ० ३७२।

### ७७. तीसरी मोलमेज परिषद्

परिषद् का प्रतिगामी स्वरूप—गोलमेज परिषद् का तीनरा और अन्तिम अधिकेशन नवम्बर, १९३२ में शुरू हुआ और वर्ष समाप्त होने के कुछ दिनों पूर्व नमाप्त हुआ। असिक दल ने परिषद् से अपना सहयोग खींच लिया था। भारत का प्रतिनिधित्व कठूर राजभक्तों ने किया था। फिर: यह अधिकेशन प्रतिगामी तत्वों की पूर्ण अधीक्षा में सम्पन्न हुआ। भारत के नए संविधान के सम्बन्ध में भोटी-मोटी बातें तो पहले ही तर्फ कर ली गई थीं, परिषद् का मुख्य कार्यक्रम उन्हें पुनः पूट करने और कुछ बातों को संविस्तार निश्चित करने का था।

**इवेत-पत्र**—मार्च, १९३३ में विटिज सरकार ने इवेत-पत्र प्रकाशित किया। इस इवेत-पत्र में कहने को तो गोलमेज परिषद् के निष्कर्षों को ही लेखबद्ध किया गया था, लेकिन इन निष्कर्षों में अनुदार दल की योजना का सामना करने के लिए भारत्पूर्ण परिवर्तन कर दिए गए थे। इवेत-पत्र के प्रस्ताव “इसने प्रतिगामी थे, कि भारत के प्रत्येक प्रगतिशील सोक्रम के लिए सर्वथा अस्थीकार्य थे।”

संयुक्त प्रबर संसदि की रिपोर्ट—नया भारत सरकार अधिनियम—विटिज संसद के दोनों सदनों द्वारा एक संयुक्त प्रबर समिति ने इवेत-पत्र की योजना का परीक्षण किया। अपनी रिपोर्ट में समिति ने इवेत-पत्र के प्रस्तावों पर सांशेदिक रूप से अपनी स्वीकृति दे दी। उसने जो घोड़े से संशोधन किए भी, उन्हें योजना को और खाद्य कर दिया। उदाहरणार्थ मूलतः नंदीय भभा के लिए प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव किया गया था, लेकिन समिति ने उसके लिए परोक्ष निर्बाचिनों की सिफारिश की। संयुक्त संसदीय समिति ने भवंधानिक योजना को जो अन्तिम रूप दिया यह “मुकार की। संयुक्त संसदीय समिति ने भवंधानिक योजना को जो अन्तिम रूप दिया यह “मुकार की।” इस के नाम में उन्मुक्त मान्द्राधिकता और प्रतीप्रगमन (Retrogression) था।” इस योजना ने १९३५ के भारत सरकार के अधिनियम का स्वरूप धारण किया। विटिज संसद ने इसको अग्रसर, १९३५ में पास किया।

### सारांश

१९३८ में कारागार से सूटने के पदचार महात्मा गांधी सक्रिय राजनीति में दूर रहे थे। १९३७ में कांग्रेस के निर्विद्याद नेता के रूप में भारत के राजनीतिक रंग-भंग पर वह पुनः अवतरित हुए। उस वर्ष नवम्बर में छानुविहिन (माइमन कमीशन) की नियुक्ति की घोषणा की गई। कमीशन के जिम्मे मोटकोड तुधारों की फियान्विति

१. सी० वाई० चिन्तामणि—“इण्डियन पालिटेक्स सिम्प दी न्युटिनी”

की जाँच-पड़ताल करना और इस बात की कि भारत में उत्तरदायी शासन को बढ़ावा दाएं या नहीं रिपोर्ट करना था। कमीशन ने १९२८ में भारत को यात्रा की।

कमीशन ने एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। थोड़े से प्रतिगामियों को छोड़कर भारतीय लोकमत के सभी वर्गों ने उसका विविष्णवार किया। जिस समय कमीशन अपने अनुसंधान करने में व्यस्त था, भारत के समस्त राजनीतिक दलों के एक सम्मेलन ने पंडित पोतीलाल नेहरू की अव्यक्तता में भारत के नए संविधान का मस्तिष्क तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्त की। नेहरू रिपोर्ट (१९२८) ने पूर्ण उत्तरदायी शासन सहित आपनिवेशिक स्वराज्य की भाँग की और पृथक् साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार कर दिया।

१९२७ में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतन्त्रता को अपना लक्ष्य अंगीकृत कर लिया था। १९२८ के अधिवेशन में उसने सरकार को एक अल्टीमेटम दे दिया था। इस अल्टीमेटम में कांग्रेस ने सरकार से यह मांग की थी कि वह नेहरू रिपोर्ट में प्रस्तुतिवाचनिक योजना को पूरीतः स्वीकार कर ले। यदि सरकार ने इस योजना को स्वीकार नहीं किया, तो कांग्रेस आपनिवेशिक स्वराज्य से सहमत होने के अपने पूर्व प्रस्ताव को वापस ले लेगी। चूंकि सरकार ने अबूद्वार, १९२६ में लालै इविन द्वारा की गई एक अस्पष्ट उद्धोषणा के सिवाय इस चेतावनी का और कोई उत्तर नहीं दिया, अतः कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन (दिसम्बर, १९२१) में पूर्ण स्वराज्य के लिए संमाम करने का निश्चय किया और अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति को सविनय अवज्ञा शुरू करने का अधिकार दे दिया।

महात्मा गांधी ने अपनी ऐतिहासिक दाण्डी-गत्ता के अन्त में नमक-कानून तोड़कर ६ अप्रैल, १९३० को सविनय अवज्ञा आन्दोलन का सूचपात किया। इस आन्दोलन ने जनता में आशूतूपूर्व उत्साह उत्तन्न किया और नौकरशाही दमनचक्र ने जनता के प्रतिरोध को हक्क से दृढ़तर ही बनाया।

जिस समय आन्दोलन जोरों से चल रहा था, ब्रिटिश सरकार ने लन्दन में एक गोलमेज परिषद् की। इसमें ब्रिटिश भारत, देशी रियासतों और ब्रिटिश संसद के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। परिषद् ने भारत के नए संविधान में सिद्धान्तों पर विचार-विनिय किया कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने की बांधा से सरकार ने महात्मा गांधी के साथ दागभौति की बत्तीत शुरू की। गांधी-इविन समझौते के कलस्वरूप, जिस पर ५ मार्च, १९३१ को इस्टाक्षर हुए, सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित कर दिया गया और महात्मा गांधी गोलमेज परिषद् के द्वारा अधिवेशन में सम्मिलित हुए। लेकिन उनकी उपस्थिति भी साम्प्रदायिक भृत्यवरीध को दूर करने में असफल रही। यद्यपि परिषद् ने नए संविधान के कठिनय मूलभूत पहलुओं को निश्चित कर लिया, लेकिन

## सारांश

साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की जटिल समस्या अनिर्णीत बनी रही।

२६ सितम्बर, १९३१ को महात्मा गांधी भारत आपस आ गए और शीघ्र ही सविनय अबज्ञा आनंदोलन को पुनः जुह कर दिया गया। सरकार ने आनंदोलन को कुचल डालने के लिए पाश्चायिक उपायों का आधय लिया। अप्रैल, १९३४ में आनंदोलन को अल्पतः बन्द कर दिया गया।

इसी बीच में अगस्त, १९३२ में साम्प्रदायिक पंचाट प्रकाशित कर दिया गया था। इसने पृथक् निर्बाचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए ही कायम रखा अपितु उसे दलित वर्गों के ऊपर भी लागू कर दिया। पंचाट ने दलित वर्गों को एक विशिष्ट अत्यन्तर्धायक वर्ग की मान्यता प्रदान की। हिन्दू जाति को विघटित करने की इस चेष्टा को निपक्ल करने के लिए महात्मा गांधी ने आमरण उपचास प्रारम्भ कर दिया। फलतः २६ सितम्बर को पूना-समझौता स्वीकार किया गया। इस समझौते में जिस निर्बाचन पद्धति को निर्वाचित किया गया, वह पृथक् निर्बाचन-पद्धति और संयुक्त निर्बाचन-पद्धति के बीच का मार्ग थी। इस समझौते ने दलित वर्गों को हिन्दू जाति से अलग होने से रोक दिया।

गोलमेज परिषद् के तीसरे अधिवेशन ने उसके प्रारम्भिक अधिवेशनों के कार्य को पूरा कर दिया। मार्च, १९३३ में विद्युत सरकार ने एक व्येत-गत्र प्रकाशित किया जिसमें नए संविधान के प्रस्ताव लेखवद्ध थे। इन प्रस्तावों का एक संयुक्त प्रबर समिति ने निरीक्षण किया और उन्हें संसद ने १९३५ के भारत सरकार अधिनियम के रूप में पास किया।

अध्याय ११

का भारत सरकार अधिनियम

### ७८. मुख्य विशेषताएँ

प्रतिगामी कानून—प्रो० कूपलेण्ड ने १९३५ के अधिनियम को "रचनात्मक राजनीतिक विचार की एक महान् सकलता"<sup>१</sup> बतलाया है। उनके मत में, "उसने भारत के भाग्य का स्वानंतरण अंगेजों के हाथों से भारतीयों के हाथों में सम्भव कर दिया।"<sup>२</sup> तथापि कोई भारतीय इस वृद्धिकोण को लेठिनता से ही स्वीकार कर सकता है। निष्पक्ष विटिश ट्रीकाकारों तक ने इस बात को नोट किया है कि अधिनियम में डोमीनियन स्टेट्स के लक्ष्य को प्राप्ति के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं की गई थी।<sup>३</sup> भारत के लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इस आधार पर अधिनियम का तिरस्कार किया कि उसने सम्पूर्ण वास्तविक शक्ति अंगेजों के हाथों में रखी और वह एक प्रतिगामी कानून था। पं० जवाहरलाल नेहरू ने उसे 'दासता का एक चार्टर' बताया। उनके मत में अधिनियम ने विटिश सत्रा से संचालित हुक्मती ढाँचे में हस्तक्षेप करने या सुधार करने के लिए भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। "इस एकट से विटिश सरकार की रजवाड़ों से, जमीदारों से और हिन्दुस्तान की दूसरी प्रतिक्रियावादी जमातों से दोस्ती और भी ज्यादा मजबूत हो गई। पृथक् निर्वाचन पढ़ति वो हस्ते बढ़ावा दिया गया और इस तरह अलग होने वाली प्रदूतियों को बढ़ावा मिला। इस एकट ने विटिश व्यापार, उद्योग, वैकिंग और जहजी व्यापार को, जिनका पहले से ही आधिपत्य था, अब और ज्यादा मुख्द कर दिया। इस एकट में ऐसी धाराएँ साफ तौर पर रख दी गई कि उनकी इस हैसियत पर रोक या पारम्परियाँ बिलकुल नहीं लगाई जा सकती थीं।" इस कानून के मुताबिक भारतीय राजस्व, फौज और विदेशी नीति के सारे मामलों में पूरा नियन्त्रण विटिश हाथों में ज्यों-का-त्यों बना

१. कूपलेण्ड—"इण्डिया, ए रिपब्लिक", पृ० १५४।

२. कूपलेण्ड—"दी इण्डियन ऑफिस, १९३३-१९३५", पृ० १४७।

३. मि० एडली ने कहने सभा के एक वाद-विवाद में इस आधार पर अधिनियम का विरोध किया था। देखिए कीव—'ए कंसटीट्यूशनल हिस्टरी साफ इण्डिया', पृ० ४७०।

रहा। इस विधान ने बासनराव को पहले से कहीं ज्यादा ताकत मिली दी।<sup>१</sup> गवर्नर जनरल और प्रान्तीय गवर्नरों की स्वेच्छाचारी शक्तियां पूर्ववत् अखण्ड बनी रही। विटिश साम्राज्यवाद के इन एजेंटों में निहेत स्वविदेशी शक्तियों और विदेश उत्तरदायित्वों ने उत्तरदायी शासन की कथित पुरस्थापना को निरर्थक कर दिया था। संघीय विधान मण्डलों की विधियों सक्षमता को गवर्नर जनरल की प्रत्यादेशक शक्तियों के द्वारा कठोरतापूर्वक निर्वन्धित कर दिया गया था। विधानमण्डल राष्ट्र की आपद्यव को भी नियन्त्रित नहीं कर सकता था, उस पर पूर्णतः गवर्नर जनरल का अधिकार था, जो भारतीय जनता के नुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति नहीं, अग्रिम विटिश मंत्रद के प्रति उत्तरदायी था।

संघीय भागधार—१६३५ के अधिनियम की विलक्षणता इस बात में थी कि उसने एक ऐसे अखिल भारतीय संघ की रचना का प्रस्ताव किया जो कि विटिश भारत के प्रान्तों और भारतीय राज्यों की एक पर्याप्त संस्था से मिलकर बने। वह उपर्यन्धित कर दिया गया था कि भारतीय राज्य प्रस्तावित गंभीर घोषणा से सम्मिलित होंगे। यह विटिश शासन के अधीन भारत के वैधानिक ढांचे की एकात्मक परमारा के विनकुल विपरीत था और भारतीय रजवाड़ों व सेना भारत को एक सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत लाने का प्रथम प्रयत्न था।<sup>२</sup> लेकिन प्रस्तावित संघ की योजना सर्वथा अनूठी थी। भारतीय लोकमत के प्रत्येक दर्गे ते उसको अस्वीकार कर दिया और वह कभी कार्यरूप में परिणत नहीं हुई।

केन्द्र में दृष्टि शासन-प्रणाली का प्रस्ताव—१६३५ के अधिनियम के अनुसार केन्द्र में दृष्टि शासन-प्रणाली के अनुसार उत्तरदायी शासन स्वापित होने को था। अधिनियम ने संघीय (केन्द्रीय) प्रशासनिक धेन को संरक्षित और हस्तान्तरित दो भागों में बांटना निश्चित किया था। संरक्षित विधयों का शासन गवर्नर जनरल कार्यकारिणी-परिषदों की सहायता से अपने विवेक के अनुयार करने को था। संघीय कार्यपालिका का यह भाग संघीय विधानमण्डल के नियन्त्रण ने पूर्णतः बाहर था। हस्तान्तरित विधयों के शासन-प्रबन्ध में गवर्नर जनरल से यह आगा की जाती थी कि वह गापारण्तः संघीय विधानमण्डल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी मन्त्रियों की मन्दगाम के अनुसार कार्य करेगा।

प्रान्तीय स्वायत्तता—इसके ताथ ही गोव अधिनियम ने प्रान्तों में दृष्टि शासन-प्रणाली को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर प्रान्तीय स्वायत्तता की स्थापना की। संरक्षित और हस्तान्तरित विभागों के भेद को दूर कर दिया और न्यूनाधिक स्तर

१. जवाहरनाल नेहरू—“हिन्दुस्तान की कहानी”, पृ० ४५५।

से राम्पुर्ण प्रान्तीय प्रशासन उत्तरदायी मन्त्रियों के हाथों में सौंप दिया गया। तथापि प्रान्तों में उत्तरदायी शासन न तो जेन्य ही था और न पूर्ण ही। गवर्नरों को ऐसी विशेष शक्तियाँ दी गई थीं, जिनसे वे अपने मन्त्रियों के परामर्श का प्रत्यादेश कर सकते थे। प्रान्तीय स्वायत्तता ने प्रान्तों को प्रस्ताविक संघ के स्वायत्त एककों का एक नया देवधानिक स्तर भी प्रदान किया। इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए शक्तियाँ तीन विशद् सूचियों के आधार पर केन्द्र और प्रान्तों के बीच वितरित कर दी गई। तथापि इसने प्रान्तीय क्षेत्र का अतिक्रमण करने को केन्द्रीय सरकार की शक्ति को पूर्णतः समाप्त नहीं कर दिया।

**संघीय न्यायालय**—नए संविधान के संघीय आधार को कायम रखने के लिए १९३५ के अधिनियम ने संविधान के निर्बाचन और क्षेत्राधिकार सम्बन्धी मतभेदों का निर्गंय करने के लिए एक संघीय न्यायालय की स्थापना का भी उपबन्ध किया। यद्यपि १९३५ के अधिनियम में चित्रित अलिल भारतीय संघ ने तो मूर्त रूप धारण नहीं किया, परन्तु संघीय न्यायालय का १ अक्टूबर, १९३७ को उद्घाटन कर दिया गया।

#### ७६. रक्षा-कावच और संरक्षण

**रक्षा-कावचों की प्रकृति**—१९३५ के भारत सरकार अधिनियम का सर्वाधिक विवादास्पद पहलू उन रक्षा-कावचों और संरक्षणों में विचारना था, जिसका उसने उपबन्ध किया था। भारत के राष्ट्रवादी लोकसत्र ने उनका विरोध किया क्योंकि वे लोकतन्त्र की भावना के विरुद्ध थे और उनका उद्देश्य गवर्नर जनरल व प्रान्तीय गवर्नरों के हाथों में ऐसी विशाल शक्तियाँ देकर, जिनका वे इच्छानुसार प्रयोग कर सकते थे, भारत में ब्रिटिश सामाज्यशाही की जड़ों को मजबूत करना था। अधिनियम के आधीन प्रस्तावित संघ इतना प्रतिगमी था कि यदि कहीं वह मूर्तरूप धारण कर लेता तो उन अनुदार तत्वों व न्यस्त स्वावर्थों का नढ़ बन जाता जिनको ब्रिटिश अधिकारी इच्छानुसार स्वार्थपूर्ति का साधन बना सकते थे। लेकिन वे संघों पर कोई चीज न लोड़ने के लिए कृतनिश्चय थे और इसलिए ब्रिटिश शक्ति को अस्पष्ट-अज्ञत रखने के उद्देश्य से पग-पग पर रक्षा-कावचों व संरक्षणों का विधान किया गया।

**केन्द्र में संरक्षण**—संघीय क्षेत्र में प्रतिरक्ता, विदेशी मामलों, जनजाति-क्षेत्रों के प्रशासन और धार्मिक विषयों को उत्तरदायी मन्त्रियों के पर्यवलोकन से बाहर रखा गया। ये संरक्षित विषय थे और गवर्नर जनरल को इनका प्रबन्ध मन्त्रियों से मन्त्रणा किए बिना अपने विवेक के अनुसार करना था। संक्षेप में, सेना और वैदेशिक नीति का नियन्त्रण पूर्णतः ब्रिटिश हाथों में रहा।

**वित्त**—वित्त के सम्बन्ध में भी यही बात थी। केन्द्र में भी और प्रान्तों में भी

यह ठीक है कि इस विषय को एक उत्तरदायी मन्त्री की अधीनता में रखा गया था लेकिन वास्तविकता यह है कि व्यय पर उसका अधिका विधानमण्डल का कोई नियन्त्रण नहीं था। इन प्रकार भारत की करेंटी और मुद्रा सम्बन्धी नीति का प्रबन्ध रिजर्व बैंक के गवर्नर के द्वारा होने को था जो विधानमण्डल के प्रति नहीं, अपितु गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी था। गवर्नर जनरल वित्तमन्त्री द्वारा प्रस्तावित किन्हीं भी विधेयकों के ऊपर अपने नियेषाधिकारों का प्रयोग कर सकता था। भारत की आधिक स्थिरता और साथ को कायम करना गवर्नर जनरल के “विशेष उत्तरदायिताओं” में से एक था।

**विशेष उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत नियंत्रण—**रक्षा-कथचों का उद्देश्य गवर्नर जनरल और प्रान्तीय गवर्नरों को एक ऐसी शक्ति प्रदान करना था, जिसे वे उत्तरदायी मन्त्रियों की इच्छा का अतिक्रमण कर सकें। संरक्षित विषयों के सम्बन्ध में वे मन्त्रियों से मन्त्रणा किए बिना भी कार्य कर सकते थे। दूसरे विषयों के सम्बन्ध में उनसे यह आवाज़ की जाती थी कि वे सापारण परिस्थितियों में मन्त्रियों की मन्त्रणा पर कार्य करें। लेकिन यदि वे समझते कि अमुक विषय में उनका कोई विशेष उत्तरदायित्व अन्तर्गत है तो उस स्थिति में वे अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकते थे। ये विशेष उत्तरदायित्व मुख्य रूप में निम्नलिखित थे—(१) भारतवर्ष (अधिका गवर्नर की स्थिति में प्राप्त) की शान्ति भंग करने वाले लोतरों का निवारण, (२) अत्यसंस्कृत वगों के उचित अधिकारों और हितों की रक्षा करना, (३) लोक-मंत्रालयों के सदस्यों के प्रधिकारों का रक्षण, (४) भारतीय राज्यों के अधिकारों और शासकों की मरणी की रक्षा करना और (५) विटिंग व्यापारिक हृतों के विक्रम विभेद का निवारण। इस प्रकार गवर्नर जनरल और गवर्नरों को अल्पसंस्कृत वगों, भारतीय राज्यों के शासकों, लोक-मंत्रालयों के तादृश व विटिंग व्यापारियों का अभिभावक थना दिया गया। जब कभी वे समझते कि उत्तरदायी मन्त्रियों द्वारा मुझाई गई नीति इनके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, वे व्यक्तिगत नियंत्रण के अनुमान कर सकते थे। इस स्थिति में उन्हें मन्त्रियों में मन्त्रणा तो करनी पड़ती थी, पर वे उनके परामर्शों को मालमते के लिए बाह्य नहीं थे।

**रक्षा-कथच उत्तरदायी शासन के प्रतिकूल वे और उनका उद्देश्य विदेशी शासन को कायम रखना य न्यस्त स्थायों की रक्षा करना था।** यह स्पष्ट है कि गवर्नर जनरल और गवर्नरों में निहित विशेष शक्तियाँ और उत्तरदायित्व उत्तरदायी शासन के मरणी प्रतिकूल थे। अन्य उत्तरदायी शासन-प्रलासी के अधीन वास्तविक नीति मन्त्रियों के पास रहती है परों वे मन्त्री विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। १८३५ के अधिनियम के अधीन इसका उपबन्ध नहीं किया गया। उसने गवर्नर जनरल अधिका शान्तों के गवर्नरों को चंपानिह शामक नहीं पनाया। इनके विपरीत, रक्षा-

कवचों ने उन्हें स्वेच्छाचारी बना दिया। इन रक्षा-कवचों का लक्ष्य भारत में लिटिश साम्राज्यवाद को अजेय बनाना तथा उसके पृष्ठपोषकों, प्रतिगामी तत्त्वों व न्यस्त स्वार्थों को भजबूत करना था। उन्होंने असली ताकत अंग्रेजों के हाथों में रहने वीं और भारतीय जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में बहुत कम शक्ति छोड़ी। हूसरे शब्दों में वे प्रगति और लोकतन्त्र के पैरों में बेड़ियाँ थे।

### अखिल भारतीय संघ

#### ८०. प्रस्तावित संघ

भारतीय लोकमत के प्रत्येक वर्ग द्वारा तिरस्कृत—जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं १९३५ के अधिनियम ने एक संघीय संविधान की योजना प्रदान की। उसने लिटिश भारत के प्रान्तों और भारतीय राज्यों की एक निदिच्चत संख्या के मिलने से बनने वाले एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव किया। भारतीय लोक-मत इस प्रकार के संघवाद के विरह नहीं था। इसके विपरीत, साधारणतः यह अनु-भव किया जाता था कि भारत जैसे एक विशाल उप-महाद्वीप में जहाँ भाषा, संस्कृति तथा आर्थिक परिस्थितियों की पर्याप्त विभिन्नताएँ विद्यमान हों, संघीय शासन प्रणाली स्वाभाविक है। लेकिन १९३५ के अधिनियम के अधीन प्रस्तावित संघीय योजना भारतीय लोकमत के किसी वर्ग में रंचमात्र भी उत्साह पैदा करने में सफल नहीं हुई। चारों ओर से उसका तिरस्कार हुआ और “इसके पूर्व कि कार्यरूप में उसकी परीक्षा की जाती, वह समाप्त हो गई।” कांग्रेस ने उसका समूल रूप से विरोध किया। मुस्लिम लीग ने कहा कि अधिनियम का संघीय भाग, “मूलतः खराब और पूर्णतः अस्वीकार्य” था। और तो और देशी रजवाइँ तक का, जिन्हें कि विशेषाधिकारों से युक्त स्थिति प्रदान की गई थी, वह उत्साह छण्डा पड़ गया, जो उन्होंने एक समय अखिल भारतीय संघ के लिए प्रकट किया था।

संघीय विशेषताएँ—तथापि, प्रस्तावित योजना में संघवाद की प्रायिक विशेषताएँ विद्यमान थीं। संविधान एक लिखित प्रलेख था और उसने संघ और उसके एककों में शक्तियों का वितरण विशद् रूप से कर दिया था। एक संघीय न्यायालय भी था जिसका कर्तव्य वह देखना था कि केन्द्र, स्थानीय सरकारें और विधानमण्डल अपनी-अपनी मण्डिदारों का उचित रूप से पालन करें। प्रस्तावित भारतीय संघ में कई नियमवाह्य विशेषताएँ भी थीं। उसकी एक विलक्षणता उसकी रचना की प्रक्रिया में ही थी।

संघ के निर्माण की असाधारण प्रक्रिया—साधारणतः कोई संघ उन राज्यों

के, जो पहले स्वतन्त्र और प्रभुत्व-मम्मन्त्र रहे हों, एकीकरण से उत्पन्न होता है। ये राज्य कवितय सामान्य उद्देश्यों की सिद्धि के लिए आपस में सुगठित होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्म इसी प्रकार उन तरह उपनिवेशों के एकीकरण से हुआ था, जिन्होंने पहले पूर्ण प्रभुत्व-शक्ति को हस्तगत कर लिया था। कलाओं और आस्ट्रेलिया के राष्ट्रों की रचना भी इसी प्रक्रिया के मनुसार हुई, इसके विपरीत भारत में संघ का जन्म उन प्रान्तों को स्वायत्तता देने से होने को था, जो एक एकात्मक राज्य के अधीनस्थ विभाग थे। इन स्वायत्त प्रान्तों के साथ वे भारतीय राज्य मिलने को थे, जो अपने भाग्य को संघ के साथ जोड़ना पसन्द करते।

एककों में कोई एकल्पता नहीं : राज्यों की हिति—प्रस्तावित भारतीय संघ का भवणे बुरा गहन् भारतीय राज्यों को दी गई स्थिति था। संघ के एककों में निसी प्रकार की एकल्पता नहीं थी। यदि प्रान्तों में शर्दूलोकतन्त्रात्मक नासन प्रलाली प्रचलित थी, तो देशी राज्य, जहाँ स्वेच्छाचारी नरेश जगता को वासता में रखते थे, त्रिटिया साम्राज्यवाद के भिन्न थे। इस प्रकार अखिल भारतीय संघ अवश्य लोकतन्त्रात्मक प्रान्तों में स्वेच्छाचारी ढंग से शामित राज्यों का एक ग्रस्वाभाविक गठबन्धन होने को था। इस प्रकार की हिति और किसी संघ में नहीं पाई जाती। उदाहरणार्थ अमेरिका के समस्त राज्यों द्वारा स्विट्जरलैण्ड के समस्त केन्द्रों में एक-सी ही नासन प्रणाली प्रचलित है।

संघीय सरकार की शक्तियाँ समस्त एककों के सम्बन्ध में समान नहीं—इसके प्रलाला, जड़ी त्रिटिया भारत के प्रान्त प्रस्तावित संघ के स्वतः ही एकक घटने को थे, भारतीय राज्यों का प्रबोश उनके नासकों के निर्णय के ऊपर ढोड़ दिया था जो इस यात का भी निश्चय करने को थे कि उनके राज्यक्षेत्रों के भीतर संघीय सरकार किन जक्तियों का उपभोग करेगी। समस्त प्रान्तों के सम्बन्ध में संघीय सरकार की जक्तियाँ एक-सी रखी गई थी, लेकिन प्रत्येक राज्य के सम्बन्ध में वे उसके नासक द्वारा प्रयुक्त प्रबोश-पत्र पर निर्भर रहने को थी। यह एक दूसरी अभूतपूर्व असमगति थी।

एककों की कानूनी असमानता—राज्यों को भवीय विधानमण्डल में घटुचित संघ में भासी प्रतिनिधित्व दे दिया गया था। अधिकाय राष्ट्रों में, संघीय विधानमण्डल के उच्च मदन में अवयवी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है पौर इस प्रकार उनकी कानूनी असमानता की रक्खा की जाती है। प्रस्तावित भारतीय संघ में एककों की कानूनी असमानता प्राप्त नहीं होने को थी। उन्हें मीटे तीर पर अपनी जनसभ्या के अनुसार में प्रतिनिधित्व मिलने को था, परन्तु राज्यों के सम्बन्ध में यह बात नहीं थी।

राज्यों को भारायनत प्रतिनिधित्व य नासकों द्वारा उनका नवोत्थन—राज्यों को धर्यात्त पुरुषार्थ दिया गया। राज्यों की जनसभ्या भारत की कुल जनसभ्या की

केवल २३% थी। लेकिन उन्हें संघीय विज्ञान भण्डल के निम्न सदन में ३३% और उच्च सदन में ४०% स्थान दिए गए। वाह यहीं समाप्त नहीं हो जाती। राज्यों के प्रतिनिधि नरेशों द्वारा मनोनीत होने थे। निसर्गतः वे अपने उन स्वामियों के एजेण्टों के रूप में कार्य करते, जो स्वयं, “वायसराय और ब्रिटिश सचिवाद् के अनुबासित दास थे”<sup>1</sup>। अल्पसंख्यक दर्गों के प्रतिग्रामी तत्त्वों के प्रतिनिधियों और जमीदारों व व्यापारियों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर राज्यों का प्रतिनिधित्व-इल संघीय शासन में राष्ट्रवादी तत्त्वों के विहङ्ग लोकतन्त्र के प्रवर्तन को पराजित कर सकता था। सर सैमुअल होर ने ब्रिटिश संसद में बड़े गवर्नर से इस बात का बखान किया था कि ‘उच्च-वादियों’ को नए अधिनियम के अनुसार सत्तारूढ़ होने से रोकने के लिए प्रत्येक चौकसी से कान लिया गया था। संघ के भारतीय राज्यों की स्थिति की ओर बिशेष रूप से हृष्ट-निषेप करते हुए प्रो० कीय ने लिखा है, “भारत के इस आरोप के अधीनित्य को अस्वीकार करना कठिन है कि संघ ब्रिटिश भारत की केन्द्रीय शरकार में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के प्रश्न से बचकर निकल जाने की कामना से बनाया जा रहा था”<sup>2</sup>। उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि, “राज्यों और ब्रिटिश भारत के प्रतिग्रामी तत्त्वों द्वारा समर्पित गवर्नर जनरल की नियन्त्रक-शक्ति की आरूढ़ता”<sup>3</sup> के कारण प्रस्तावित संघ की असफलता निश्चितप्रायः थी।

**संघीय सभा के लिए परोक्ष निवाचन**—केन्द्र में जननिकारी और राष्ट्रवादी तत्त्वों के प्रभाव को कम करने के लिए यह भी उपबन्धित किया गया कि संघीय विधान मण्डल के निम्न सदन के लिए निवाचन परोक्ष रीति से और उच्च सदन के लिए प्रत्यक्ष रीति से होंगे। यह संघीय विधान मण्डल को कमज़ोर करने की एक और तरकीब थी। वह तो बैसे भी प्रमुख-शक्ति विरहित निकाय था, उसकी विवादी और वित्तीय सक्षमता वायसराय की विशेष शक्तियों और त्रिटिश संसद की अन्तिम सत्ता के अधीन थी व उसका प्रतिनिधिक स्वरूप राम्प्रदायिक और वर्ग निर्बाचक-मण्डलों से विषयावत था।

केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय स्वायत्तता में हस्तक्षेप कर सकती थी—१९३५ के अधिनियम ने प्रान्तों को स्वायत्तता प्रदान की और रांघीय-प्रान्तीय व समवर्ती सूचियों में शक्तियों का विभाद रूप से वितरण कर दिया। फिर भी उसने प्रान्तीय दोनों में संघीय सरकार के हस्तक्षेप के लिए पर्याप्त रास्ते छोड़ दिए थे। गवर्नर-जनरल

१. एच० एन० ब्रेल्सफोर्ड—“सबजेवट इण्डिया”, पृ० ५०।

२. ए० बी० कीव—“ए कंसटीट्युशनल हिस्ट्री ऑफ हिंदूया”, प० ४७४।

३. वही, पृ० ४५४-७५ ।

आपात की उद्घोषणा निकालकर मंथीय ढाँचे को पूर्णतः विनष्ट कर सकता था। पुनर्जन, जैसे ही कोई गवर्नर अपने प्रान्त में संविधान के विफल होने की उद्घोषणा कर देता, प्रान्त का सम्पूर्ण प्रशासन सीधे केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में द्वा सकता था। जब कभी प्रान्तीय गवर्नर अपने पिंडेका के अनुसार कार्य पारते अथवा व्यक्तिगत निशुल्क का प्रयोग करते, वे गवर्नर जनरल की सत्ता के अधीन होते थे। इसके अलावा गवर्नर जनरल १९३५ के अधिनियम धारा ३२६ अ के अधीन प्रान्तीय सरकारों के लिए ऐसे निर्देश जारी कर सकता था, जिन्हे वह भारत की शानि और सुरक्षा के लिए आवश्यक समझता।

**अवधिपट शक्तियों का बोटवाला—**१९३५ के अधिनियम के अधीन योजित भारतीय संघ की एक अन्य विधेयता अवधिपट शक्तियों के उपचान्द्र से तामन्त्र रखती थी। साधारणतः संघीय भविधान इस शक्तियों को या तो केन्द्र को अथवा अवश्यकी एककों को प्रदान करता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के परस्पर विरोधी हॉप्टिकों को देखते हुए १९३५ के अधिनियम ने अपने विवेक के अनुसार वह निश्चय करने की शक्ति कि अमुक अवधिपट शक्ति केन्द्र को दी जानी चाहिए अथवा प्रान्तों को, गवर्नर जनरल को दे दी।

**जेम्ब संघ नहीं—**इस प्रकार हम यह निष्पर्ण निकाल सकते हैं कि १९३५ के अधिनियम में प्रस्तावित अस्तित्व भारतीय संघ कोई जेन्डर संघ नहीं था। वह कुछ ऐसी विलक्षणताओं की लिंचडी था, जिनको इतिहास में कोई साती नहीं मिलती। एक ओर तो वह राष्ट्रवाद की नड़ती हुई शक्तियों को मतुष्ट करने का प्रयास था, दूसरी ओर वह साम्राज्यवाद के गुणोंपक्षी, देशी रजवाइं, साम्राज्यवादियों और त्रिटिया ओरोगिक व व्यापारिक हितों की ताकत बढ़ाने का छद्म प्रयत्न था। कहने का भार पह है कि प्रस्तावित संघ भारतीयों की राष्ट्रीय आकांक्षाओं का उनर नहीं, अपितु केन्द्र में उस रदायी भासन की अवसरी पुरस्यापना के प्रभाव की कम करने की एक मूद्दम चेष्टा थी। अतः हम प्र० के० टी० गाह के शब्दों में कह सकते हैं कि, संघीय योजना के लिए किसी प्रकार का सन्तोष अनुमत करना कठिन है।'

#### ८१. संघीय कांग्रेसिका

**दूसरा शासन-प्रणाली—**(क) गवर्नर जनरल और पारिषद्—१९३५ के अधिनियम ने प्रस्तावित संघीय भविधान में उत्तरदायित्व के लक्ष्य का समावेश करने के विचार से दूसरा कांग्रेसिका भी योजना की। संघीय विषयों को नंरक्षित और हस्तान्तरित दो भागों में बांट दिया गया। प्रतिरक्षा, वैदेमिक मामले, धार्मिक मामले और क्रान्तिकारी दलोंके नंरक्षित विषय थे। इन विषयों का प्रबन्ध करने में गवर्नर जनरल

मन्त्रियों से परामर्श किए विना अपने विवेक के अनुसार आचरण कर सकता था। तथापि तीन कार्यकारी पारिषद्, जो पदेन, मतदान के अधिकार के बिना संघीय विधान मण्डल के दोनों सदनों के सदस्य होने को थे, गवर्नर जनरल को सहायता देने के लिए थे। संघीय कार्यपालिका का यह भाग अर्थात् परिषद् संघीय विधान मण्डल के प्रति किरी प्रकार उत्तरदायी नहीं था।

(ब) गवर्नर जनरल और मन्त्री-परिषद्—चार संरक्षित विषयों को छोड़कर संघीय प्रशासन के बाष्प सब विषय मन्त्रीय उत्तरदायित्व के क्षेत्र में आते थे। इन विषयों का शासन प्रबन्ध गवर्नर जनरल एक मन्त्रीपरिषद् की सहायता और मन्त्रणा से करने को था। मन्त्री अनुदेश-पञ्च में निर्धारित उपबन्धों के अनुसार गवर्नर जनरल के हारा नियुक्त किए जाने को थे। उसे उस दल के नेता को जिसका संघीय विधान-मण्डल में बहुमत होता प्रधान मन्त्री चुनना था और प्रधानमन्त्री की मन्त्रणा पर दूसरे मन्त्रियों को नियुक्त करना था। मन्त्रीपरिषद् सामूहिक रूप से संघीय विधान मण्डल के दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी थी यद्यपि उत्तरदायित्व को एक कानूनी दायित्व नहीं बना दिया गया। मन्त्रीपरिषद् की कार्यपालिका-सत्ता में समस्त हस्तान्तरित विषय आ जाते थे। इन विषयों का शासन-प्रबन्ध करने में गवर्नर जनरल से साधारणतः यह आशा की जाती थी कि वह अपने मन्त्रियों की मन्त्रणा के अनुसार कार्य करेगा।

गवर्नर जनरल के विशेष उत्तरदायित्व—१९३५ के अधिनियम ने मन्त्रीय क्षेत्र तक में गवर्नर जनरल को दैधानिक प्रधान नहीं बनाया। इसके विपरीत उसमें उत्तरनियन्त्रित विशेष उत्तरदायित्व सींप दिए—(१) भारतवर्ष या उसके किसी भाग में शान्ति-भंग करने वाले खतरों का निवारण, (२) संघ सरकार की आर्थिक स्थिरता और साक्ष मुरक्कित रखना, (३) अल्पसंख्यक वर्गों के उचित हितों की रक्षा करना, (४) लोक-सेवाओं के सदस्यों के कानूनी अधिकारों और उचित हितों की रक्षा करना, (५) देशी राज्यों के अधिकारों और उनके नरेशों की मर्यादा की रक्षा करना, (६) विदित व्यापारिक हितों के विरुद्ध विभेद का निवारण, और (७) इस बात का प्रबन्ध करना कि अपने विवेक और व्यक्तिगत निर्णय द्वारा किए जाने वाले कार्यों के सम्पादन में किसी अन्य विषय सम्बन्धी कार्य से कुछ बाधा न पड़े। जब कभी गवर्नर जनरल यह समझता कि मन्त्रियों द्वारा दिए गए परामर्श से उनके इन उत्तरदायित्वों में से किसी के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, उस समय वह मन्त्रियों के परामर्शों की उपेक्षा करके अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग कर सकता था। गवर्नर जनरल के विशेष उत्तरदायित्व खाली कामजी रक्षा-कबच ही नहीं थे। उनका मन्त्रालय उत्तरदायी शासन को अष्ट करना था। प्रो० कीथ के मतानुसार यदि उनका निर्वचन संकुचित रीति से किया जाता, तो वे मन्त्रीय उत्तरदायित्व की सम्भावना को नष्ट कर सकते थे।

गवर्नर जनरल को दूसरी विशेष शक्तियाँ—गवर्नर जनरल और बहुत-सी दूसरी स्विवेकी तथा विशेष शक्तियों का प्रयोग करता था। कार्यकारी क्षेत्र में वह सोक्सेका आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष को और अजमेर, मारवाड़, कुर्ग तथा विलो-चिस्तान के नीक कमिश्नरों को नियुक्त करने में अपने विवेक के अनुमार आचरण कर सकता था। वित्तीय परामर्शदाता, आडीटर जनरल, एडवोकेट जनरल और गवर्नरों की नियुक्ति करने में उसे अपने व्यक्तिगत निर्णय के प्रदोग का अधिकार था। वह रिजर्व बैंक के डायरेक्टरों को नियुक्त करता था।

प्रबन्धस्थापन के क्षेत्र में गवर्नर जनरल की विशेष शक्तियाँ—अपने विवेक के अनुमार काम करते हुए वह संघीय विधान मण्डल का आह्वान, स्थगन या विपटन कर सकता था, उसके लिसी एक या दोनों सदनों वा सभ्योधित कर सकता था और उन्हें संदेश भेज सकता था। संघीय विधान मण्डल द्वारा पारा किए गए विवेक गवर्नर जनरल की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकते थे। गवर्नर जनरल को अपने विवेक के अनुमार किसी प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी अनुमति देने या न देने अथवा उसे भग्नाद की आज्ञा के लिए रिजर्व रखने का अधिकार था। कतिपय विशेष प्रकार के विवेक उसकी पूर्व स्वीकृति के बिना विधान मण्डल में पुरस्थापित नहीं किया जा सकते थे। गवर्नर जनरल किसी प्रस्ताव को विधान मण्डल में पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता था और यदि उचित राम�ता तो विधान मण्डल के विचाराधीन लिसी प्रस्ताव पर चल रही बहुस को बन्द कर सकता था। अव्यादेश अथवा गवर्नर जनरल के अधिनियम<sup>१</sup> जारी करके गवर्नर जनरल प्रबन्धस्थापन कर सकता था।

गवर्नर जनरल की वित्तीय शक्तियाँ—वित्तीय क्षेत्र में भी गवर्नर जनरल को विशेष शक्तियाँ प्राप्त थी। करारोप और व्यय से सम्बद्ध समस्त प्रस्ताव उसकी सिफारिश पर ही हो सकते थे। कुल व्यय का ५०% भाग मत-निर्पेश था। उम्म पर

१. अव्यादेश आपात की स्थिति ये निवटने के लिए एक स्थायी कानून था। उसकी अवधि साप्ताहिक: ६ महीने थी, लेकिन इसे बढ़ाया जा सकता था। इसके विपरीत गवर्नर जनरल का अधिनियम उसकी अपनी विशेष शक्ति के द्वारा पास किया गया एक स्थायी कानून था। इसका प्रयोग गवर्नर जनरल को अपने संरक्षित कृत्यों व विशेष उत्तरदायित्वों का निवृहन करने में समर्थ बनाना था। यदि कभी उसे प्रतीत होता कि इन प्रयोजन के लिए व्यवस्थापन की आवश्यकता है, वह विधान मण्डल के पास एक नमेश और अपने मनोवाचित विधेयक का भवित्वा भेज सकता था। यदि विधान मण्डल एक भीतर ही उस विवेक को अधिनियमित करने में अम्फ़ल हो जाता, गवर्नर जनरल विधान मण्डल की स्वीकृति के बिना ही, अपने हस्ताधारों के द्वारा उसे कानून का रूप दे सकता था।

गवर्नर जनरल को पूरा नियन्त्रण प्राप्त था। संघीय विधान मण्डल द्वारा अस्वीकृत या कम की गई किसी भी अनुदान माँग को वह यथापूर्व स्थापित कर सकता था।

स्पष्ट है कि १९३५ के अधिनियम का उद्देश्य गवर्नर जनरल को प्रशासन का केंद्र बनाना था। भारत की प्रतिरक्षा और वैदेशिक नीति के निर्वाचन नियन्त्रण के अलावा, उसकी विशाल स्वविवेकी शक्तियों और विशेष उत्तरदायित्वों ने उसे एक शक्तिशाली स्वेच्छाचारी शासक बना दिया था। विस्टल अंचित के शब्दों में वह 'हिटलर अथवा मुसोलिनी की समस्त शक्तियों से सजित था। अपनी कलम की एक लकीर के द्वारा वह संविधान को छिन्न-भिन्न कर सकता था और किसी भी कानून के पास किए जाने की आज्ञाप्ति दे सकता था।'

## ८२. संघीय विधान मण्डल

**राज्य परिषद्**—१९३५ के अधिनियम के अधीन संघीय विधान मण्डल हिसदगात्मक होने को था। उच्च सदन अथवा राज्य परिषद् के सदस्यों की संख्या २६० निश्चित की गई थी। इनमें १५६ प्रतिनिधि (१५० निर्वाचित और ६ गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत) विटिंग भारत का प्रतिनिधित्व करने को थे। राज्यों से आने वाले सदस्य, जिनकी संख्या १०४ थी, शासकों द्वारा मनोनीत होने को थे। विटिंग भारत के १५० निर्वाचित स्थानों का विभिन्न प्रान्तों के बीच निम्न प्रकार से वितरण निश्चित हुआ था—

बंगाल	...	२० उडीसा	...	५
मद्रास	...	२० पश्चिमी उत्तर सीमा-प्रान्त	...	५
यू० पी०	...	२० गिन्ध	...	५
बम्बई	...	१६ बंगलुरु-स्थान	...	१
विहार	...	१६ दिल्ली	...	१
पंजाब	...	१६ अजमेर-मारवाड़	...	१
सी० पी० और बरार	...	८ कुर्न	...	१
ओसाम	...	५ अ-प्रान्तीय	...	१०

साम्बद्धायिक आधार पर स्थानों का बैठबारा निम्न प्रकार से निश्चित हुआ—

संघीयरण	...	७५ सिवाल	...	४
अनुसूचित जातियों	...	६ यूरोपियन	...	७
मुस्लिम	...	४९ आंग्ल-भारतीय	...	१
स्थियों	...	६ भारतीय ईसाई	...	२

विटिंग भारत के प्रतिनिधि पृथक् साम्बद्धायिक निर्वाचिक मण्डलों के आधार पर प्रत्यक्ष नीति से निर्वाचित होने को थे। मताधिकार संकुचित था और उच्च सम्पत्ति

सम्बन्धी अहेतुओं पर व्याधि था। समूर्ख विद्या भारत में मतदाताओं की कुल संख्या १,००,००० के आसानी से थी। अधिकादा दूसरे सधों में संघीय विधान मण्डल के उच्च सदन परोक्ष रीति से निर्वाचित होते हैं, भारत में इस प्रणाली को नहीं अपनाया था। यहाँ संघ के समस्त एकांकों को समान प्रतिनिधित्व देने के अभिसमग्र का भी पालन नहीं किया था। कूपलेण्ड के मतानुमार यह हिन्दू एकात्मिकता के साथ थी गई एक रियापत थी।

राज्य परिपद एक स्थायी निकाय थी, उसका विषयन नहीं हो सकता था। उसके लिए सदस्य प्रति लोसर वर्ग हट जाने को थे। तबाहि, प्रत्येक सदस्य नीं वर्षों के लिए निर्वाचित होने की थी।

संघीय सभा—संघीय विधान मण्डल के निम्न सदन का नाम संघीय सभा था। इसके गदरयों की संख्या ३०५ निश्चित की गई थी। इन स्थानों में १२५ स्थान राज्यों के लिए नियमित कर दिए गए थे। विद्या भारत के २५० स्थानों में से ४ स्थान अ-प्रालीय थे और व्यापार, उद्योग लेखा अम के लिए निश्चित कर दिए गए थे। शेष २४६ विभिन्न प्रान्तों में निम्न प्रकार से वितरित किए गए थे—

बगल	...	३३	उडीसा	...	५
मद्रास	...	३७	पश्चिमोत्तर		
यू० पी०	...	३७	सीमा-प्रान्त	...	५
बम्बई	...	३०	तिन्ध	...	५
पजाब	...	३०	बंगाल-सिंध	...	१
विहार	...	३०	दिल्ली	...	२
सी० पी० और चार	...	१५	अजमैन-मारवाड़	...	१
ग्रानाम	...	१०	कुर्द	...	१

विभिन्न भाषदायों, वर्गों और हितों का प्रतिनिधित्व निम्न प्रकार ने होने को था—

साधारण (जिनमें १६ स्थान अनुमूलिक है)	१०५	आग्ल-भारतीय	...	१
मुस्लिम	८२	सिंधी	...	२
भिक्षु	६	व्यापार और उद्योग	११	
यूरोपियन	८	थम	...	१०
आग्ल-ईसाई	८	भूस्वामी	...	३

संघीय सभा का कार्यकान माधारणत् पांच वर्ष निश्चित हुआ था, लेकिन

इसके पूर्व भी उसका विघटन किया जा सकता था।

संघीय सभा के गठन में एक अपूर्व विशेषता यह थी कि लिटिश भारत के प्रति-निधि-सम्प्रदायिक आवार पर प्रान्तीय विधान मण्डलों द्वारा परोक्ष रीत से चुने जाने को थे। इस प्रकार हिन्दू और मुस्लिम प्रतिनिधि प्रान्तीय विधान सभाओं के ऋग्मण्डः हिन्दू और मुस्लिम सदस्यों द्वारा पृथक्-पृथक् निर्वाचित किए जाने को थे।

संघीय विधान मण्डल की शक्तियाँ : प्रभुत्व-शक्ति-चिरहित निकाय—प्रस्तावित संघीय विधान मण्डल का स्वरूप अलोकतन्त्रात्मक था और उसकी शक्तियाँ अत्यन्त सीमित थीं। संघीय सूची और समवर्ती सूची में प्रगाणित विषयों के सम्बन्ध में उसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त थी। यदि गवर्नर जनरल आपात की उद्धोषणा निकाल देता, तो विधान मण्डल प्रान्तीय विषयों के सम्बन्ध में भी कानून बना सकता था।

(क) विधायी शक्तियाँ—उसकी विधायनी सक्षमता के कोई प्रतिक्रिया लगे हुए थे। वह किसी भी प्रकार प्रभुत्व शक्ति सम्पन्न विधान मण्डल नहीं था। उसे संविधायी शक्तियाँ प्राप्त नहीं थीं। वह संविधान-अधिनियम में कोई संशोधन नहीं कर सकता था और न भारत के ऊपर लागू होने वाले लिटिश संसद के अधिनियमों को ही संशोधित अथवा रद्द कर सकता था। किप्रथ विशेष प्रकार के विवेयक गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति के बिना विधान मण्डल में पुरुष्यापित नहीं किए जा सकते थे। भारत की शान्ति और सुव्यवस्था सम्बन्धी अपने विशेष उत्तरदायित्व से सम्बन्ध रखने वाले विधान मण्डल के विधाराधीन किसी विधेयक पर अथवा उसकी किसी धारा पर गवर्नर जनरल चलती हुई बहस बन्द कर सकता था। संघीय विधान मण्डल द्वारा पास किए गए समस्त प्रस्ताव गवर्नर जनरल के निषेधाधिकार के अधीन थे। गवर्नर जनरल संघीय विधान मण्डल की राहमति के बिना अध्यादेश जारी करके और गवर्नर जनरल के अधिनियम पास करके उसकी इच्छा की अवहेलना कर सकता था।

(ख) वित्तीय शक्तियाँ—संघीय विधान मण्डल की वित्तीय शक्तियाँ भी अत्यन्त परिमित थीं। करारोप और व्यय से सम्बन्धित प्रस्ताव केवल गवर्नर जनरल की सिफारिश पर ही पुरुष्यापित किए जा सकते थे। विधान मण्डल बजट पर (गवर्नर जनरल के वेतन के सिवाय) वाइ-विवाद कर सकता था, लेकिन व्यय का ८० प्रतिशत से अधिक भाग मत निरपेक्ष था। मत समेक भाग की स्थिति में भी, गवर्नर जनरल संघीय विधान मण्डल द्वारा अस्वीकृत या कम की रई किसी अनुदान माँग को बहाल कर सकता था।

कार्यपालिका के ऊपर नियन्त्रण—संघीय विधान मण्डल का संघीय कार्य-पालिका के ऊपर नियन्त्रण केवल उन्हीं विषयों तक सीमित था, जो गवर्नर जनरल की स्वविवेकी शक्तियों और विशेष उत्तरदायित्वों की पूरिति में नहीं आते थे। गन्ती-

परिषद् उसके प्रति उसरदारी थी लेकिन यवनें जनरल और उसके पारिषद् उसके नियन्त्रण में पूर्णतः विमुक्त थे।

**मुख्यतः** एक विचारात्मक निकाय—गंभीय विधान मण्डल सरकार की नीतियों और कार्यों की आलोचना कर सकता था तथा जनता की शिकायतों पर विचार-विनियम कर सकता था। कहने का सार यह है कि १९३५ के अधिनियम के अधीन संघीय विधान मण्डल मुख्यतः एक विचारात्मक निकाय था।

### ८३. संघीय न्यायालय

**न्यायालय का गठन**—१९३५ के भारत सरकार अधिनियम ने एक संघीय न्यायालय की स्वास्थ्य का उपकरण किया था। १ अक्टूबर, १९३७ को इस न्यायालय का उद्घाटन कर दिया गया। न्यायालय एक प्रधान न्यायाधिकारी और दो दूसरे न्यायाधीशों में विभक्त बना था। न्यायाधीशों की नियुक्ति समाप्त अपने हस्ताक्षर और मुझे-महिले अधिकार द्वारा करता था। प्रधान न्यायाधिकारी का वेतन ८,००० रुपया प्रति मास और दूसरे प्रत्येक न्यायाधीश का ५,५०० रुपया प्रति मास था। न्यायाधीश मदाचार पर्यन्त पद धारण करते थे। गेवा-निवृति को अवस्था ६५ वर्ष थी। ये धाराहरीनां और सारी अधिकारी एवं न्यायालय की दुर्बलता के आधार पर समाप्त के द्वारा अवदम्य गिर जा सकते थे।

**न्यायालय का धोत्राधिकार (क) प्रारम्भिक**—गंभीय न्यायालय का धोत्राधिकार प्रारम्भिक और अपीलीय दोनों प्रकार का था। उसका प्रारम्भिक धोत्राधिकार (क) नियायालय के नियन्त्रित की अन्तर्गत करने वाले गभीर मामलों में और (प) भारतीय मध्य तथा एक राज्य अथवा एक प्रान्त के बीच के, या एक प्रान्त और एक राज्य के बीच के, या दो अथवा अधिक प्रान्तों या राज्यों के बीच के विवादों में होना था।

(त) अपीलीय प्रधाने अपीलीय धोत्राधिकार में गंभीय न्यायालय प्रान्तों तथा माननीय राज्यों के उच्च न्यायालयों से अपीलें मुन सकता था, यदि वे यह प्रभागित कर देते कि अपील के प्रवीन भास्तु से भवित्वात् प्रधिनियम या इसके अधीन दिए गए प्रांत इन-कोमिट या राज्य के प्रबोध-पत्र द्वारा वष में निहित विधायी अथवा कार्यपालिका-मतों के विवाद के नियन्त्रण ये गम्भीर और सार्वान विधि-पत्र अन्तर्गत है। १९४८ में मधीय न्यायालय के अपीलीय धोत्राधिकार को बढ़ा दिया गया थोर उस उच्च न्यायालयों में उन मामलों के मुने का भी धोत्राधिकार दें दिया गया जो ५०,००० रुपये अमूल की राति को अन्तर्गत करते हैं।

(प) परामर्शीय—गंभीय न्यायालय को परामर्शी धोत्राधिकार भी प्राप्त था।

गवर्नर जनरल का तून सम्बन्धी कोई भी महत्वपूर्ण विषय विचारार्थ न्यायालय को सौंप सकता था और उस पर उसकी राय ले सकता था।

संघीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय नहीं था—संघीय न्यायालय सच्चेद न्यायालय नहीं था। उसके निर्गम अंतिम नहीं होते थे और उससे अपीलें निम्न प्रकार के मामलों में प्रियी कॉसिल की न्यायिक शमिति के पास भेजी जा सकती थीं—(क) मामले जो मंचिवान के अथवा उसके अधीन किए गए आर्डर-इन-कॉसिल के निर्वन्चन से सम्बन्ध रखते हों; (ख) वे मामले जो राज्य के प्रबोध-पत्र हारा संघ में निहित विधायी और कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से सम्बन्ध रखते हों और (ग) वे मामले जो राज्य-क्षेत्रों के अन्तर्गत संघीय कानून के लिए किए गए समझौते के निर्वाचन से सम्बन्ध रखते हों। इन सब मामलों में संघीय न्यायालय की अनुमति के बिना अपीलें प्रियी कॉसिल में ने जाई जा सकती थीं। इसके अलावा दूसरे मामलों में भी संघीय न्यायालय अथवा सभरिपद् गवर्नर जनरल की अनुमति मिलने पर अपीलें प्रियी कॉसिल में की जा सकती थीं।

### प्रान्तीय सरकार

#### प्र० ४४. प्रान्तीय-स्वायत्तता

(क) प्रान्तों का नवा स्टेट्स—भारत के लिए संघीय संचिवान की रचना करने में १९३५ के अधिनियम ने प्रान्तों को प्रान्तीय स्वायत्तता नामक एक विलकुल नया स्टेट्स प्रदान किया। अब प्रान्त सर्व-शक्ति-सम्पत्ति केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक एकक नहीं रहे। नए संविधान ने उन्हें एक पृथक् कानूनी व्यक्तित्व से आभूषित कर दिया। अबनी मोलिक शक्तियाँ सीधे संविधान से प्राप्त करने लगे और प्रस्तावित नंदा के स्वायत्त एकक हो गए। ‘अब केन्द्रीय सरकार के अधीनस्त कई प्रान्त नहीं रहे, अपितु न्यारह स्वायत्त राज्य थे। उनकी स्वायत्तता कानून मान्य थी और वे अपने निश्चित क्षेत्र के भीतर अपने निजी अधिकार में कार्यपालिका और विधायिनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते थे। केन्द्रीय सरकार को सीपी गई निरीक्षण और नियन्त्रण की शक्तियों को विलकुल तो नहीं हटाया गया लेकिन उन्हें अत्यन्त सीमित और ठीक-ठीक निश्चित अवश्य कर दिया गया।

तीन सूचियाँ—१९३५ के अधिनियम में भारत सरकार और प्रान्तों के सम्बन्धों को संघीय आधार पर निश्चित किया था। अधिनियम में तीन सूचियाँ थीं। इन सूचियों में इस बात का साफ़-साफ़ उल्लेख वर्त दिया गया था कि क्रमशः केन्द्र और प्रान्तों की प्रशासनिक, विधायिनी और वित्तीय शक्तियों कोन-कीन भी है। संघीय नूची में वे ५६ विषय थे जिनका प्रबन्ध केवल संघीय सरकार ही कर सकती थी। इन सूची-

में प्रगतिरक्षा, वैदेशिक मामले, चलार्थ व टक्का, लाक और तार, ज्ञाटकार्स्टग, तंधीय रेल, बोगा, नमक और आयकर आदि विषय मन्महिलत थे। प्रान्तीय सूची में ४४ विषय थे जिनका प्रबन्ध साधारण परिस्थितियों में केन्द्र के हस्तक्षेप के बिना प्रान्तीय सरकारे कर सकती थी। नान्ति और सुव्यवस्था, भ्याय, पुलिस, जेल, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्थानीय स्वास्थ्यासन और बन आदि विषय सूची में आते थे। समवर्ती सूची में वे ३६ विषय तम्मिलित थे जिनका प्रबन्ध केन्द्र और प्रान्त दोनों कर सकते थे। लेकिन शांत यह थी कि सधीय कानून और प्रान्तीय कानून में मतभेद होने की स्थिति होने में, जब तक कि प्रान्तीय कानूनों को विचारण मंरक्षित न रख लिया गया हो तो और गवर्नर जनरल अथवा सचाउट ने उस पर अपनी स्वीकृति न दे दी हो, सधीय कानून अभिभावी होगा। समवर्ती विषयों में से पुछ निम्न थे—फौजदारी और दीवानी कानून व कार्य-याही, प्रेस, अधिक संघ, अधिक कल्पणा और औद्योगिक भागड़े।

प्रान्तों की स्वायतता पर प्रतिबन्ध—गह समर्त्तव्य है कि प्रान्तीय सरकारे अपने नियन्त्रित धोत्र में भी केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण से पूर्णतः स्वतन्त्र नहीं थी। गवर्नर जनरल अधिनियम की धारा १०२ के अधीन प्रासाद युद्ध अथवा भवकर आन्तरिक अशान्ति के खतरे को देखते हुए आपात की उद्धोषणा निकाल देता, तो विधान मण्डल प्रान्तीय क्षेत्र का अतिक्रमण कर सकता था। गवर्नर जनरल उन विधेयों पर, जिन्हे गवर्नर उसके द्वारा विचार के लिए मंरक्षित रख लेते, अपनी अनुमति देना अस्वीकार कर सकता था। यदि विधान १३ के अधीन गवर्नर अपने प्रान्त के भीतर शासन-न्यन्त्र के विकल हो जाने की उद्धोषण कर देता, तो प्रान्तीय स्वायतता के यथार्थ ढाँचे को धूमिसात किया जा सकता था। इस उद्धोषण के प्रभाववरूप सम्पूर्ण प्रान्तीय प्रशासन को केन्द्र की अधीनता में रखा जा सकता था। साधारण परिस्थितियों में भी जब कभी गवर्नर अपने विवेक के अनुसार कार्य करते अथवा अपने व्यवितरण का प्रयोग करते, गवर्नर जनरल के नियन्त्रण में होते थे। अन्तम् यदि गवर्नर जनरल भारत में शान्ति और सुरक्षा बनाए रखने के हिटिकोण से प्रान्तीय सरकारों के लिए कठिप्रय निकालना अविश्वक समझता, तो १६३५ के अधिनियम की धारा १२६ के अधीन निकाल सकता था।

(ब) प्रान्तों में उत्तरदायी शासन—१६३५ के अधिनियम के अधीन प्रान्तीय स्वायतता का अभिप्राय प्रान्तों के ऊपर केन्द्रीय नियन्त्रण के बांदित होने से अधिक था। इसका एक दूसरा अभिप्राय भी था, अर्थात् इसने प्रान्तों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की। रैमजे मैकडिनिल्ड ने प्रान्तीय स्वायतता के इस दोहरे ग्रंथ को निम्न शब्दों में व्यक्त किया था, “गवर्नरों के प्रान्त अपने निजी धोत्र में अपनी नीतियों को कार्यान्वित करने में वाह्य नियन्त्रण और अनुबन्ध से अधिकतम् मनव स्वतन्त्रता का

उपभोग करने वाले उत्तरदायी शासन के अनुसार शासित एक होने को है। १९१६ के अधिनियम ने दूध शासन-प्रणाली के रूप में आंशिक उत्तरदायित्व की स्थापना की थी। नए अधिनियम ने दोहरे शासन का अन्त कर दिया। संरक्षित और हस्तान्तरित विभागों का भेद समाप्त हो गया और प्रान्तीय प्रशासन का पूरा धेव प्रान्तीय विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी एक मन्त्री-परिषद् के जिम्मे आ गया।

उत्तरदायी शासन के ऊपर प्रतिवन्ध—उत्तरदायी शासन के ऊपर कई कठोर प्रतिवन्ध थे। जेन्य उत्तरदायी शासन प्रणाली में प्रान्तीय गवर्नरों को वैधानिक प्रधान होना चाहिए। १९३५ के अधिनियम में ऐसा नहीं किया गया। गवर्नरों को विपुल स्वविवेकी शक्तियाँ और ऐसे विशेष उत्तरदायित्व दे दिए गए, जिनका निर्वहन करने में वे मन्त्रियों से परामर्श किए बिना और वहि परामर्श करते भी तो उसे स्वीकार किए बिना, कार्य कर सकते थे। ये 'रक्षा-कब्ज' उत्तरदायी शासन के पैरों में वेहियों के तुल्य थे, यदि गवर्नर इनका बारम्बार और स्वैच्छान्तरिता से प्रयोग करते, तो ये उत्तरदायी शासन की नींव तक को भस्मीभूत कर सकते थे। इस प्रकार प्रान्तीय स्वायत्ता एक भी अर्थ में पूर्ण अथवा प्रतिवन्ध-मूल्य नहीं थी।

#### ८४. गवर्नर

गवर्नर की वैधानिक स्थिति में परिवर्तन—१९३५ के अधिनियम ने प्रान्त की कार्यपालिका शक्ति गवर्नर में निहित की। गवर्नर सज्जाद् का प्रतिनिधि होता था। प्रान्तों में संघीय सिद्धान्त और उत्तरदायी शासन की पुरस्थापना ने गवर्नर की वैधानिक स्थिति में परिवर्तन कर दिया। जब गवर्नर मन्त्रियों की मन्त्रणा पर कार्य करता था, वह गवर्नर जनरल के नियन्त्रण से मुक्त होता था, लेकिन जब वह अपने विवेक अथवा व्यक्तिगत नियंत्रण का प्रयोग करता था, गवर्नर जनरल के नियन्त्रण और नियन्त्रण के अधीन होता था।

नियुक्तियाँ और उपलब्धियाँ आदि—वर्ष्वई, मद्रास और बंगाल के गवर्नरों को सज्जाद् भारत-मन्त्री की सिफारिश पर नियुक्त करते थे और अन्य प्रान्तों के गवर्नरों को वायसराय की सिफारिश पर। उनकी उपलब्धियाँ,<sup>१</sup> पदावधि और सेवा

१. गवर्नरों के वार्षिक वेतन (रुपयों में) प्रत्येक प्रान्त के नाम के आगे नीचे दिए जाते हैं। सजावट, पर्यटन, फर्नीचर, वैयक्तिक स्टाफ और मनोरंजन आदि के भत्ते कोष्ठों में दिए गए हैं। मद्रास १,२०,००० (५,७५,०००), वर्ष्वई १,२०,००० (५,३८,४००), बंगाल १,२०,००० (६,०७,३००), पूर्णी १,२०,००० (२,६७,०००) गोव १,००,००० (१,४१,२००), बिहार १,००,००० (१,०८,०००), झी ० धी ०

की अर्तें वे हो रही जो १६१६ के अधिनियम के अधीन थीं। नए अधिनियम ने उनकी राजकीय शासन-शोकत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की।

**गवर्नर की शक्तियाँ—** १६३५ के अधिनियम में द्वेषजासन प्रणाली का अन्त कर दिया। साधारण परिस्थितियों में गवर्नर ने यह प्राणा की जाती थी कि वह अपने मन्त्रियों की मन्त्रणा का पालन करेगा। लेकिन अधिनियम का उद्देश्य गवर्नर को वैधानिक शासक बनाना नहीं था। अधिनियम ने गवर्नर को इतनी विपुल शक्तियाँ दी थीं कि यदि वह मन चाहे ढंग से उनका प्रयोग करने का हठ करता तो सर्वेक्षण की भाँति ही स्वेच्छाचारी शासक बना रह सकता था।

**विशेष (स्वविवेकी) शक्तियाँ—** कठिपय मामलों का प्रबन्ध करने में, जिन्हें मन्त्रीय उत्तरदायित्व तथा देवभान के द्वेष में बाहर रखा गया था, गवर्नर मन्त्रियों का परामर्श प्राप्त किए बिना ही अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकता था। कार्य-कारी द्वेष में गवर्नर की स्वविवेकी शक्तियाँ निम्न विषयों में सम्बन्ध रखती थीं—  
 (१) अपर्वजित धेत्रों का प्रशासन, (२) मन्त्रियों की नियुक्ति और पदच्युति,<sup>१</sup> (३) मन्त्रियों के बेतनों को, जब तक कि वे विधानमण्डलों द्वारा नियित न कर दिए जाएँ, नियित करना, (४) ऐसी हितक और विनाशकर कावंवाहियों को रोकना, जिनका उद्देश्य शासनतःको नष्ट-भ्रष्ट करना हो, (५) जामूसी विभाग की सूचनाओं को ऐसे व्यक्तियों को (मन्त्रियों सहित) दिए जाने से रोकना, जिनके लिए उसने आदेश न दिया हो, (६) प्रान्तीय लोक-सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, (७) प्रतिरक्षा आदि के सम्बन्ध में गवर्नर जनरल के नियों को कार्यान्वित करना और (८) अपने व्यक्तिगत कर्मचारी मण्डल को नियुक्ति करना और उसका बेतन नियित करना।

विधायी धेन में गवर्नर की स्वविवेकी शक्तियाँ निम्न विषयों से सम्बन्ध रखती थीं—(१) प्रान्तीय विधान मण्डल का आवाहन और स्थगन तथा विधान सभा का विघटन, (२) प्रान्तीय विधान मण्डल में कठिपय विशेष प्रकार के विधेयकों की पुरुष-स्थापना के लिए पूर्व अनुमति देना, (३) किसी विधेयक अद्यवा उमसी किसी धारा

१२,००० (१,०७,३००), आसाम ६६,००० (१,४२,१००), पश्चिमोत्तर भीमा प्रान्त ६६,००० (१,१२,८५०), गिर्ध ६६,००० (१,२६,८००) उडीमा ६६,००० (१,०३,०००)।

१. मिथ्य के प्रधान मन्त्री खान बहादुर अल्लावहान की पदच्युति ने, जब कि उन्हें प्रान्तीय विधान मण्डल का विश्वाम प्राप्त था, गवर्नर की पदच्युत करने की घरिका की वास्तविकता को मिथ्य कर दिया।

पर अप्रेतर बाद-विवाद रोक देना, (४) प्रान्तीय विधान मण्डलों द्वारा पास किए गए विवेयकों पर स्वीकृति देना, नियेधाधिकार का प्रयोग करना अथवा उन्हें गवर्नर जनरल के विचारार्थ संरक्षित कर लेना तथा (५) अध्यादेश जारी करना और गवर्नर के अधिनियम अधिनियमित करना।

जहाँ तक वित्तीय धोन का सम्बन्ध है, गवर्नर इस बात का नियंत्रण करने में कि कौन-सा विषय मत सम्पेक्ष है और कौन-सा नहीं व प्रान्तीय विधान मण्डल द्वारा कम या अस्वीकृत की गई किसी अनुदान मांग को यथापूर्व स्थापित करने में अपने विवेक के अनुसार आचरण कर सकता था।

**धारा ६३—**—गवर्नर की जिन स्वविवेकी शक्तियों का ऊपर वर्णन किया गया है, उनके अलावा १९३५ के अधिनियम की धारा ६३ ने गवर्नर को एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्वविवेकी शक्ति और प्रदान की थी। अपने विवेक के अनुसार कार्य करते हुए गवर्नर इस बात की उद्घोषणा निकाल सकता था कि प्रान्त में संविधान के उप-बन्धों के अनुसार शासन संचालित नहीं किया जा सकता। उद्घोषणा निकाल देने पर यह मन्त्रीपरिषद् को अपदस्थ कर सकता था, विधान-सभा का विघटन कर सकता था और उच्च न्यायालय के तिबाय प्रान्तीय निकायों की समस्त शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता था। नवम्बर, १९३६ में जिन प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने त्यागपत्र दे दिए थे, उनमें इसी उद्घोषणा के अधीन पूर्व नौकरशाही शासन की स्थापना कर दी गई थी।

**गवर्नर के विशेष उत्तरदायित्व—**—गवर्नर की स्वविवेकी शक्तियों द्वारा आवृत्त विषयों को छोड़कर बाकी विषय मन्त्रीय उत्तरदायित्व के क्षेत्र के भीतर आते थे। इन विषयों का प्रबन्ध गवर्नर उत्तरदायी मन्त्रियों की सहायता और मन्त्रणा से करता था। साधारण परिस्थितियों में गवर्नर से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह अपने मन्त्रियों की मन्त्रणा का पालन करे। लेकिन यहाँ भी उसके कई ऐसे विशेष उत्तर-दायित्व थे, जैसे कि तंचीय क्षेत्र में गवर्नर जनरल के थे। वे विशेष उत्तरदायित्व मुख्य रूप से निम्नलिखित थे—<sup>(१)</sup> प्रान्त या उनके किसी भाग ने शान्ति भंग करने वाले खतरों का निवारण, <sup>(२)</sup> अल्पसंख्यक वर्गों के उचित हितों, सरकारी नौकरों के कानूनी अधिकारों और उचित हितों तथा देशी राज्यों के अधिकारों और उनके नरेशों की प्रतिष्ठा की रक्षा करना, <sup>(३)</sup> व्यापारिक विभेद की रोकथाम, <sup>(४)</sup> आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों का प्रशासन और <sup>(५)</sup> गवर्नर जनरल के आदेशों और अनुदेशों पर अप्रत करना जो वे उसके लिए जारी करें। जब कभी गवर्नर को यह अनुभव होता कि मन्त्रियों द्वारा दी गई मन्त्रणा उसके किसी विशेष उत्तरदायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, तो वह अपने अधिकार निर्णय के अनुसार कार्य कर सकता था अर्थात्

मन्त्रियों के परामर्श का उल्लंघन कर सकता था। इस बात का निर्णय वह अपने व्यक्तिगत विवेक के अनुसार करता था कि उसका कोई विशेष उत्तरदायित्व कब अन्तर्गत होता है। इसके अलावा, प्रान्त के एड्योकेट जनरल को नियुक्त करने में व प्रान्तीय पुलिस के ऊपर अमर डालने वाले नियमों का संशोधन करने में गवर्नर अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करता था।

प्रान्तीय गवर्नरों की स्वयिवेकी शक्तियों व विशेष उत्तरदायित्व उन 'रक्षा कर्त्ता' का निर्माण करते थे, जिनका भारत के राष्ट्रवादी लोकमत ने तीव्र विरोध किया। "जान्ति और मुरक्का", "ग्रल्पमर्थक वर्गों के उचित अधिकार" जैसे वाक्यांश अस्पष्ट थे। इसके अलावा यह बताना कि इनका क्या अर्थ है, गवर्नर का काम था। ये वाक्यांश ऐसे रास्ते थे, जिनके द्वारा गवर्नर दिन प्रतिदिन के प्रशासन में हस्तक्षेप कर सकता था और उत्तरदायी प्रामन को उपहार की चीज बना सकता था। अनुभव ने यह दिखा दिया कि इन विशेष शक्तियों के सम्बन्ध में भारत के राष्ट्रवादी लोकमत की यह शंका कि गवर्नर इनका वारम्बार प्रयोग करेंगे, बिलकुल निरापार नहीं थी।

#### ८६. मन्त्री-परिषद्

उत्तरदायी शासन का ग्राहार—१९३५ के अधिनियम के अधीन प्रान्तीय स्वायत्ता की स्थापना उत्तरदायी शासन प्रणाली की स्थापना की दिशा में एक कदम था। इन प्रकार की शासन प्रणाली के अन्दर कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग वस्तुतः कुछ पन्द्री करते हैं जो विधान मण्डल के बहुमत वाले दल के सदस्य होते हैं। ये मन्त्री अपनी नीतियों और कार्यों के लिए पूर्णतः विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी होते हैं और उन्होंने समय तक सत्ताहट रहते हैं जब तक कि ये विधान मण्डल के विद्वास का उपभोग करते हैं। जूँकि विधान मण्डल में यदि वह भम्प्रदाय और वर्ग हित के भेदभावों से धून्य सार्वभौम वयस्क मताधिकार के ग्राहार पर निर्वाचित हुआ है जनता के प्रतिनिधि हैं, अतः मन्त्री अन्ततोगत्या स्वयं जनता द्वारा नियन्त्रित होते हैं। यह वर्णन इंग्लैण्ड के मंगदीप नोकलन्ड के ऊपर लागू होता है।

भारतीय प्रान्तों में उत्तरदायी शासन अपूर्ण था—१९३५ के अधिनियम द्वारा भारतीय प्रान्तों में स्थापित उत्तरदायी शासन दो हित्यों ने अपूर्ण था। पहली बात तो यह है कि प्रान्तीय विधान मण्डल जो मन्त्रियों पर नियन्त्रण रखते थे, गत्यतः जनसा का प्रतिनियित्व नहीं करते थे क्योंकि मताधिकार मीमित था और निर्वाचिक मण्डल सम्प्रदायत और बर्नेंट-बोटे गुटों में बोट दिए गए थे। दूसरी बात यह है कि एक और मन्त्रियों को तो पूर्णतः विधान मण्डलों के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया था, दूसरी ओर उनकी कार्यपालिका-गणिकों को अनुत्तरदायी

मन्त्रियों की विशेष शक्तियों व उत्तरदायित्वों द्वारा परिभित कर दिया था।

**मन्त्री-परिषद् की नियुक्ति**—१९३५ के अधिनियम के अधीन गवर्नर अपने अनुदेश-पत्र में इए गए निर्देशों के अनुसार मन्त्री-परिषद् की नियुक्ति करता था। विधान मण्डल में जिस दल का बहुमत होता था, गवर्नर उसके नेता को आमन्त्रित करके मन्त्रिमण्डल की रचना का कार्य उसके जिम्मे सीप देता था। यह नेता मुख्य-मन्त्री बन जाता था। शेष मन्त्री मुख्य मन्त्री की मन्त्रणा पर गवर्नर द्वारा नियुक्ति किए जाते थे।

**मन्त्रीपरिषद् में अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व**—अनुदेश-पत्र के एक उप-बन्ध के सम्बन्ध में जिसमें गवर्नरों को निर्देश दिया गया था कि महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक वर्गों के प्रतिनिधियों को जहाँ तक व्यवहारिक हो, मन्त्रिमण्डल में स्थान दे, कुछ मत-भेद था। इसके साथ-ही-साथ अनुदेश-पत्र के अनुसार गवर्नर से यह ध्येका की जाती थी कि वह संयुक्त उत्तरदायित्व की चुट्ठि को प्रोत्साहित करें। स्पष्ट है कि यदि बहु-मत वाले दल में अल्पसंख्यक वर्गों का कोई निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल नहीं होता था, उस स्थिति में उबल दोनों प्रतिबन्ध एक दूसरे के प्रतिकूल पड़ सकते थे। उन प्रान्तों में, जिनमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, यह समस्या तर्म रूप में उठ खड़ी हुई। उदाहरणार्थ यू० पी० में कांग्रेस ने केवल उन्हीं मुसलमानों को मन्त्रिमण्डल में सम्मिलित करने का निश्चय किया, जो उसकी शपथ पर हस्ताक्षर करने, दल में जामिल होने और उसके कार्यक्रम को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। मुस्लिम लीग ने विधान मण्डल के कई मुस्लिम स्थानों पर कब्जा कर लिया था। उसने इन चारों के ऊपर कांग्रेस के साथ सहयोग करना अस्वीकार कर दिया। फलतः केवल उन्हीं मुसलमानों को मन्त्रिमण्डल में स्थान दिया गया, जो कि कांग्रेस दल के सदस्य थे। मुस्लिम लीग ने इस कृत्य के विषय इस आधार पर कि कांग्रेस के मुसलमानों को विधान मण्डल के मुस्लिम सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं है, और इसलिए वे जाति के सब्जे प्रतिनिधि नहीं हैं, गवर्नर से अपील की। लेकिन चूंकि कांग्रेस दल को विधान मण्डल का समर्थन प्राप्त था, इसलिए गवर्नर ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

**मंत्रियों की पदच्युति**—१९३५ के अधिनियम ने यह भी निर्धारित कर दिया कि भंत्री गवर्नर के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे। उसका अभिप्राय यह हुआ कि यदि गवर्नर चाहता तो मंत्रियों को अपदस्थ कर सकता था। लेकिन जैन्य उत्तरदायी शासन में इस कानूनी अधिकार का केवल प्रधान मंत्री की मन्त्रणा पर ही प्रयोग किया जाता है, और जहाँ तक प्रधान मंत्री का सम्बन्ध है, जब तक वह विधानमण्डल का विद्वानसम्पादक है, उसे अपदस्थ नहीं किया जा सकता। इंगलैण्ड में यही स्थिति है। वहाँ

मन्त्राद् इच्छानुसार मन्त्रियों को अपदस्थ करने की अपनी भेंडाभिनक शक्ति का बदापि प्रयोग नहीं करता। भारतवर्ष के प्रान्तों गवर्नरों की साकारण प्रवृत्ति तो यही थी कि उत्तरदायी शासन के मिडान्टों का पालन किया जाए लेकिन कुछ गवर्नरों ने स्वेच्छाचारी शामकों की तरह काम किया। उदाहरणार्थ मिन्य के प्रधान मन्त्री अल्ला वहन के मामले में वहाँ के गवर्नर ने पदच्युति की अपनी शक्ति का सर्वथा अवैधानिक रीति में प्रयोग किया था।

मन्त्रियों की संस्था का प्रश्न—१९३५ के अधिनियम ने मन्त्रियों वी नस्था के सम्बन्ध में कोई गोपा निर्दित नहीं की। इन्हने राजनीति सी आवश्यकताओं के प्रत्युमार विभिन्न प्रान्तों में मन्त्रियों की सक्षा भिन्न-भिन्न थी। उदाहरणार्थ एक सभय बंगाल में मन्त्रियों की संस्था सर्वत्र अधिक (१२) प्रोर उडीमा में सर्वत्र कम (३) थी।

समृद्ध-सचिव—यद्यपि भविधान ने समृद्ध-सचिवों के लिए कोई उपचार नहीं किया था, लेकिन अधिकाद प्रान्तों में कई गवर्नर-सचिव नियुक्त किए गए। गवर्नर-सचिव बहुपत बाने दल के सदस्य होने के नाते राजनीतिक कार्यपालिका के एक मुख्य भाग होते थे। वे मन्त्रियों को उनके समर्थी और प्रधानमन्त्री कार्य में सहायता देते थे और उनका भार काफी हल्का कर देते थे। इस प्रणाली ने युक्त राजनीतिज्ञों को उपरोक्ती विधा प्रदान की, ये ही लोग आगे चलकर कुशल मन्त्री हो सकते थे। कार्यम प्रान्तों में समृद्ध-सचिव २५० रु० प्रतिमास बेतुन पाता था।

#### ८७. प्रान्तीय विधान मण्डल

छः प्रान्तों में द्वितीय सदन—१९३५ के भारत सरकार अधिनियम के अधीन प्रान्तीय विधानमण्डल मन्त्राद् के प्रतिनिधि गवर्नर और विधान मण्डल के एक या दो गदनों में पिसकर बनता था। यहाँ प्रान्तों में छः १ में द्वितीय सदनक विधान मण्डल थे। द्वितीय सदनक विधान मण्डल वाले प्रान्त का उच्च सदन विधान-परिषद् कहलाता था। ऐसे प्रान्तों के निम्न सेवन अवश्य दूसरे प्रान्तों के विधान मण्डल विधान सभायों के नाम से प्रस्तावत थे। साकार की दृष्टि में विधान परिषद् विधान सभायों की तुलना में बहुत छोटी होती थी। वे स्थायी निकाय थी, उनका विषट्ठन नहीं हो सकता था। गदस्यों का नियाचन ह वर्ष के निए होता था, गिहाई सदस्य प्रति तीमरे वर्ष हृष्ट जाते थे। द्वितीय सदनों की विनियोगी निम्न सदनों के समवध ही थी; भनतार केवल इन्होंने यह कि धन विधेयक के दल निम्न सदनों में ही पुरस्थापित किए जा रहे थे और प्रत्युमान-मापों के सम्बन्ध में उच्च सदन गवर्नर शक्तिहीन थे।

१. प्रा. प्रान्त—आमाम, बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास और यू० पी० थे।

उनकी क्यों स्थापना की गई—प्रान्तों में उनकी स्थापना की भारतीयों ने सन्देह का हैटिंग से देखा। सर तेजवहादुर सप्तु ने कहा था कि वे प्रतिक्रियावादी सिद्ध होंगे और प्रगतिशील व्यवस्थापन के मार्ग में रोड़े अटकाएंगे। यह भी अनुभव किया गया कि वे सर्वथा अनावश्यक थे क्योंकि विधान मण्डलों द्वारा जलदी में और बिना ठीक से सोचे-समझे पाल किए गए कानूनों के ऊपर गवर्नर की शक्तियाँ पर्याप्त अंकुश रख लेती थीं। ये भय जेन्य थे। लेकिन जहाँ तक वास्तविकता का प्रश्न है, खोकतन्त्र के उद्देश्य को प्रतिगामिता के इन गढ़ों ने कोई हानि नहीं पहुँचाई क्योंकि द्विसदनात्मक विधान मण्डलों वाले लगभग सभी प्रान्तों में कांग्रेस ने पूरण बहुमत प्राप्त कर लिया और उन संयुक्त बैठकों में जिनका संविधान ने दोनों सदनों का गतिरोध दूर करते के लिए उपबन्ध किया था, निम्न सदन के प्रगतिशील तत्व उच्च सदन के प्रतिगामी तत्वों को अधिक राय से हरा सकते थे।

**विधान सभा :** उसका गठन—विधान सभा का आकार अलग-अलग प्रान्तों में अलग-अलग था। उदाहरणार्थ यू० पी० की विधान सभा ने पृथक् सम्प्रदायिक और वर्ग निवाचिक-मण्डलों के आधार पर निर्वाचित रूप सदस्य थे। विभिन्न वर्गों और जातियों के बीच स्थानों का वितरण निम्न प्रकार से किया गया था—राष्ट्रासभा (जिसमें अनुसूचित जातियों के २० स्थान भी शामिल थे) १४०, मुस्लिम ६४, यूरोपियन २, आंग्ल ईसाई २, आंग्ल भारतीय १, वाणिज्य और उद्योग ३, भू-स्वामी ६, विश्वविद्यालय १, श्रम ३, स्त्रियाँ ६ (चार हिन्दू और दो मुस्लिम)।

उसकी अवधि—विधान सभा की अवधि ५ वर्ष की थी लेकिन गवर्नर उसकी पूरी अवधि की समाप्ति के पूर्व भी उसका विघटन कर सकता था। द्वितीय विश्व-युद्ध के बीच गवर्नरों को इस बात की विशेष रूप से शक्ति दे दी गई थी कि वे युद्ध की समाप्ति तक के लिए प्रान्तीय विधान सभाओं की अवधि बढ़ा दें। सभा अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती थी।

**कानून निर्माण करने की शक्तियाँ—**प्रान्तीय विधान मण्डल चाहे वह एक सदनात्मक होता अथवा द्विसदनात्मक, प्रान्तीय रूची में गिनाए गए समस्त विधयों पर कानून बनाने के लिए सक्षम था। वह समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता था, लेकिन इसमें एक शर्त थी और वह यह कि यदि प्रान्तीय कानून उसी विषय से सम्बन्ध केन्द्रीय कानून के प्रतिकूल पड़ता, तो वह विफल हो जाता था और उसके स्थान पर केन्द्रीय कानून ग्रभाती होता था। गवर्नर की विशेष शक्तियों के कारण प्रान्तीय विधान मण्डल की विधायी शक्तियों के ऊपर कई प्रतिबन्ध लगे हुए थे। कतिष्यविधेयकों की पुरस्कारपत्रना के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी। वह नियेधारी का प्रयोग कर सकता था और उसे वे स्वतन्त्र विधायिनी शक्तियाँ प्राप्त थीं;

जिनके द्वारा यह विधानमण्डल की सहमति के बिना ही अध्यादेश और गवर्नर के अधिनियम जारी कर सकता था।

**वित्तीय शक्तियों—**प्रान्तीय स्वायत्ता की साथ ही माद, प्रान्तीय विधान मण्डल की वित्तीय शक्तियों में पर्याप्त वृद्धि हो गई। यदि विधान मण्डल द्विमदनात्मक होता तो यह आवश्यक था कि वार्षिक बजट दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाय सेकिन अनुदान मार्गों पर भत्तान देने का अधिकार केवल विधान सभा को प्राप्त था। मत-मापेदा अनुदान मार्गों का अनुपात लगभग ७५ प्रतिशत था।

**प्रशासन के ऊपर नियन्त्रण—**प्रान्तीय विधानमण्डल प्रशासन के ऊपर पर्याप्त नियन्त्रण रखता था। मन्त्रिमण्डल के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव पास करके वह उन स्वायपत्र देने के लिए विवाद कर सकता था। वह सरकार की भूलों को प्रवाट कर सकता था, उसकी नीतियों का निरनुमोदन कर सकता था और प्रस्ताव, अनुपूरक प्रस्तावों कामरोंको प्रतिवादों और बजट वाई-दिवादों के द्वारा जनना की शिकायतों को भरकार के कानों तक पहुँचाया जा सकता था।

#### दू. मताधिकार और निर्वाचक मण्डल

**साम्प्रदायिक और वर्ग निर्वाचक मण्डल—**मोटफोर्ट सुधारों की तरह १९३५ के अधिनियम के अधीन भी भारत की निर्वाचन पद्धति 'जातियाँ, घरों और हिनों' के मिडान्ट के ऊपर आधित थी। अब तक जो पृथक् साम्प्रदायिक और वर्ग निरीक्षक-मण्डल बर्तमान थे उनमें थम और स्थियों के लिए और निर्वाचक मण्डल जोड़ दिए गये।

**प्रतिनिधित्व में गुरुभार—**प्रतिनिधित्व में गुरुभार की पद्धति भी बनी रही। मुमलमानों की आधादी मद्रास में ३.१% और यू० पी० में १४.८ प्रतिशत थी, परन्तु उन्होंने मद्रास में १३ प्रतिशत और यू० पी० में २३ प्रतिशत स्वान प्राप्त किए। यूरोपियनों के गाथ विदेश हृषि ते पश्चात दिया गया। उनको जनमरुद्या १ प्रतिशत की १/३५ थी, परन्तु उन्हे प्रान्तीय विभान मण्डलों में ३ प्रतिशत और प्रस्तानिन मधीय सभा में भाइ पाँच प्रतिशत स्थान दिए गए।

**कुल निर्वाचक—**१९३५ के अधिनियम ने गम्भीर और निधा विषयक अहंकारों में कमो करके १९१६ के अधिनियम के ऊपर कुछ नुसार रिया था। कलन, नाहे तीन करोड़ व्यक्तियों ने, जिनमें ६० लाख हिन्दू थियों थीं, भत्तान का अधिकार प्राप्त किया। मोटफोर्ट सुधारों के अधीन भारत ने कुल जनमरुद्या के केवल गाड़े तीन प्रतिशत भाग को ही भत्तान का अधिकार प्राप्त था, जेकिन १९३५ के अधिनियम के पर्यान भारत की कुल मरुद्या के १४% अवधा कुल व्यक्त जनमरुद्या के २०% भाग ने भत्तान

का अधिकार मिल गया।

### ८६. गृह सरकार

एक उपचारिक परिवर्तन—१९३५ के अधिनियम ने गृह सरकार में थोड़े से उपचारिक परिवर्तन किए। अधिनियम ने भारत के प्रशासन के ऊपर भारत मन्त्री की 'निरीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण' वीं शक्ति का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया। यह शक्ति अब सचाई में निहित कर दी गई। लेकिन यह परिवर्तन नाममात्र का था। यद्यपि सचाई अधिकारी भूमि में आ गया, लेकिन व्यवहार में उसकी शक्ति का प्रयोग भारत मन्त्री ही करता रहा। जब कभी गवर्नर जनरल और गवर्नर अपने विवेक के अनुसार आचरण करते थे अथवा अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करते थे, उस समय भारत मन्त्री उनका निरीक्षण और नियन्त्रण करता था। अधिनियम ने भारतीय परिषद् का उत्सादन कर दिया।

भारत मन्त्री के परामर्शदाता—अधिनियम ने भारत मन्त्री की सहायता के लिए तीन से अध्यून और ६ से अनधिक परामर्शदाताओं की व्यवस्था की। कम-से-कम अधिक परामर्शदाताओं के लिए यह आवश्यक था कि वे नियुक्त से पूर्व दस बरस तक भारत में नीकरी कर चुके हों और उन्हें भारतवर्ष थोड़े दो वर्ष से अधिक न हुए हों। परामर्शदाता पांच वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते थे और १३५० पौंड वार्षिक वेतन प्राप्त करते थे। जिन परामर्शदाताओं का निवास-स्थान भारत में था, उन्हें वेतन के अतिरिक्त ६०० पौंड वार्षिक भता मिलता था। इस व्यय का भार इंगलैण्ड के कोष पर था, भारत के बोध पर नहीं। भारत मन्त्री परामर्शदाताओं से व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से जैसे चाहता, परामर्श कर सकता था; परन्तु वह उनके परामर्श को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं था।

### सारांश

१९३५ के भारत सरकार अधिनियम का भारत के राष्ट्रवादी लोकमत ने तीव्र विरोध किया और उसे एक प्रतिगामी कानून बताया। इस अधिनियम ने वास्तविक सत्ता भारतीय जनता को न सम्पर्क वित्ती अधिकारियों के ही हाथों में रहने दी। उसने केन्द्र में द्वैध कार्यपालिका की पुरुस्यापना करके आंशिक उत्तरदायी शासन का सूचपात किया और एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव किया। ग्रान्टों में उसने द्वैध शासन प्रणाली का उत्सादन कर दिया और ग्रान्टीय स्वायत्ता की स्थापना थी, जिसके ऊपर कही कठोर प्रतिबन्ध लगे हुए थे। संघीय सिद्धान्त के अनुरूप ही अधिनियम ने तीन सूचियों में केन्द्र और ग्रान्टों के बीच शक्तियों का विशद् रूप

से वितरण किया। इसके अलावा, उसने एक संघीय न्यायालय की स्थापता के लिए उपबन्ध किया।

१९३५ के अधिनियम के अधीन प्रस्तावित अखिल भारतीय मंड में संघवाद की यमस्त प्रायिक विधेयताएँ पाई जाती थीं, लेकिन कुछ हाप्टियों से वह विलकुल नैजोड़ था। भारतवर्ष में उसका चारों ओर ये विरोध किया गया और उसे प्रतिक्रियावाद की शक्तियों को मुहूर्द करने का एक प्रयत्न बताया गया। सघ के निर्भाय की अभाधारण प्रक्रिया के अलावा, एकत्रों में किसी प्रकार की एकहृष्टा नहीं थी। प्रस्तावित मंड न्यूनाधिक रूप में लोकतन्त्रात्मक प्रान्तों व स्वेच्छाकारी ढंग से शासित राज्यों था एक अस्वाभाविक गठबन्धन होने को था। प्रान्तों और राज्यों के मन्वन्ध में संघीय मरकार को अमान सत्ता प्राप्त होने को नहीं थी। प्रान्त तो सघ में स्वतः ही सम्भिलित होने को थे, लेकिन राज्यों का प्रयेत्र उनके शासकों की इच्छा पर निर्भर था। संघीय विधान मण्डल के उच्चमंदिर में प्रस्तावित मंड के अवयवी एकत्रों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया और उनके प्रतिनिधि दासको द्वारा मनोनीत होने को थे। स्वयं संघीय विधान मण्डल के लिए ही, विलक्षण गठन का प्रस्ताव किया गया। उसका निम्न मंडन परोक्ष रीति में निर्वाचित होने को था।

प्रस्तावित मंडीय कार्यपालिका दैध होने को थी। प्रतिरक्षा, वैदेशिक मामलों, धार्मिक आमनों और कादाइली इलाकों को 'मरकिन' विधेय माना गया था। इनका अमन-प्रबन्ध गवर्नर जनरल तीन कार्यकारी परिद्वारा की नहायता से करने को था। योग विधेयों का शामन प्रबन्ध गवर्नर जनरल उन मन्त्रियों की सहायता में करने को था, जो विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी थे। लेकिन मंडीय क्षेत्र भी गवर्नर जनरल के कार्ड ऐंज विद्येय उत्तरदायित्व थे, जिनका प्रबन्ध करने में वह अपने व्यक्तिगत नियंत्रण को प्रयोग कर सकता था। इस प्रकार गवर्नर जनरल किमी प्रकार एक वैधानिक दामक नहीं था। कार्यकारी और विभीति क्षेत्रों में वह विधान वास्तविक शक्तियों का उपभोग करता था।

संघीय विधान मण्डल द्विमत्रात्मक होने को था। उच्च मंडन (राज्य परिषद) में २६० सदस्य होने को थे जिनमें १०६ सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करने को थे। फ्रिटिंग भारत के प्रतिनिधियों में में ६ तो गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होने को थे और ऐप १५० सदस्य भास्प्रदायिक और वर्ग निर्वाचिक मण्डलों के द्वारा प्रत्यक्ष रीति में निर्वाचित होने को थे। निम्न मंडन (संघीय सभा) के सदस्यों की संख्या ३३५ निरिष्ट हुई थी। फ्रिटिंग भारत के २५० सदस्य परोक्ष रीति में निर्वाचित होने को थे। संघीय विधानमण्डल प्रमुख व्यक्ति विरहित बानून निर्भाना निकाय था। उसकी विधायिनी और विभीति मध्यस्थता गवर्नर जनरल की विशेष शक्तियों के अधीन थी।

नवीय न्यायालय ने, जिसका उद्घाटन ? अक्टूबर, १९३३ को हुआ, एक नुस्खा न्यायाधिपति और दूसरे न्यायाधीश नमिलित थे। उसे प्रारम्भिक, अपीलीय और प्रान्तीय लेन्ड्रिंग कार प्राप्त था। लेकिन वह नवाँच न्यायालय नहीं था क्योंकि उसके पास मेरीने प्रिया कोनिल की न्यायिक सनिति के पास भेजी जा सकती थी।

१९३५ के अधिनियम ने प्रान्तीयों को एक नया वैधानिक स्टेट्स प्रदान किया। जिसे प्रान्तीय न्यायालय के नाम ने अभिहित किया गया। इनके दो अर्थ हैं—(क) प्रान्तीय भरकारों को अपने उत्तराधिकार के लिए भी केन्द्रीय भरकार के नियन्त्रण से नुकिन प्राप्त हो और (ख) प्रान्तों ने पूरे पैमाने पर उत्तरदायी वासन की स्वापता हो। लेकिन अबहारतः प्रान्तीय राष्ट्रसत्ता इन दोनों में ने एक भी अर्थ ने पूर्ण रूप से नहीं नहीं थी। केन्द्रीय भरकार कई रीतियों ने प्रान्तीय भरकारों के लिए वो अतिकाल कर सकती थी। इसके अलावा प्रान्तों का उत्तरदायी वासन गवर्नरों व गवर्नर जनरल की विशेष धक्कियों के कारण अत्यन्त नीमित हो गया था।

गवर्नर जनरल की नहर प्रान्तीय गवर्नर भी बास्तविक शासक था। उन पर्याप्त स्वविदेशी धक्कियों और विशेष उत्तरदायित्व प्राप्त है। कार्बंकारी, विधायी और वित्तीय नामों में वह, कई अवसरों पर अपने विवेक के अनुतार आचरण कर सकता था। अपने नियेवाधिकार का प्रयोग कर और अव्यादेश व गवर्नर के अधिनियम शारी करके वह विधान नण्डन की छड़ा को अवरुद्ध कर सकता था।

गवर्नर प्रान्त का प्रधानमन्त्री-परिषद् की सहायता और मन्त्रणा से करता था, नायारप्तः उन्हें वह आवाज की जाती थी कि वह अपने मन्त्रियों की मन्त्रणा के अनुतार कर्य करेगा। लेकिन यदि गवर्नर को वह भाव होता कि मन्त्रियों द्वारा दी गई नम्त्रणा का उसके किनी विशेष उत्तरदायित्व के ऊपर अतिकूल प्रभाव पड़ता है, उन द्वारा वे वह अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग कर सकता था। नवी नानूहिक रूप से प्रान्तीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। लेकिन वे गवर्नर के द्वारा भी अपदस्थ किए जा सकते हैं। उदाहरणार्थ जिन्ये के प्रधान नवी के चौथे अल्लावत्व को वही के गवर्नर ने पदच्युत कर दिया था। यह उत्तरदायी वासन की प्रवर्चना थी।

प्रान्तीय विधान नण्डन की प्रान्तीय नूची में प्रगतिशील विषयों पर कानून बनाने का अधिकार था। वह भनवर्ती नूची के विषयों पर भी कानून बना सकता था, लेकिन इसने एक वर्ती वी और वह यह कि प्रान्तीय विधान नण्डल द्वारा पास किया जाया कोई कानून यदि केन्द्रीय विधाननण्डल द्वारा उसी विषय पर पास किए गए किनी कानून के प्रतिकूल पड़ता, तो उस स्थिति ने केन्द्रीय विधान नण्डल द्वारा पास किया गया कानून ही अनिवार्य हो सकता था। प्रान्तीय विधान नण्डन की नवाँकिमतों गवर्नर की विशेष शक्तियों द्वारा नवाँदित थीं। १९३५ के अधिनियम ने प्रान्तीय

मताधिकार को विस्तृत कर दिया और मतदान का अधिकार भ्रिटिश भारत की १४ प्रतिशत जनसंख्या को प्रदान किया।

बृह-प्रकार में अधिनियम ने कुछ ही औपचारिक परिवर्तन किए। भारतीय परिषद् का उल्लंघन कर दिया गया और भारत मन्त्री की सहायता के लिए छः से प्रतिधिक व तीन से अन्युन परामर्शदाता नियुक्त किए गए।

यह स्मर्तर्थ है कि प्रस्तावित मंथ को स्थापना नहीं की गई और १६३५ के अधिनियम का केवल प्रान्तीय भाग ही १ अप्रैल, १९३३ को कार्यालय में परिणत किया गया।

## प्रान्तीय स्वायत्तता पर आचरण

६०. निवाचन ( फरवरी, १९३७ )

प्रान्तीय स्वायत्तता का उद्घाटन—पिछले अध्याय में हम देख चुके हैं कि १९३५ के भारत नरकार अधिनियम का भारतीय लोकभूत के सभी महत्वपूर्ण वर्गों ने तिरस्कार किया। अधिनियम द्वारा प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ ने व्यापक विरोध को जन्म दिया। १९३० में ब्रिटिश सरकार के 'अनुजासित दासों', अर्थात् देशी नरेशों ने संघीय विचार का जोर-बोर से अनुमोदन किया था, लेकिन अब उन्होंने भी उसकी ओर से पीठ मोड़ ली। फलतः अधिनियम के संघीय भाग को स्थगित कर दिया गया क्योंकि अखिल भारतीय नंघ की रचना उस समय तक संभव नहीं थी, जब तक कि कम-से-कम डॉने राज्य, जिनकी जनसंख्या सब राज्यों की कुल जनसंख्या की आधी हो और जो संघीय विधानमण्डल के उच्च सदन में समस्त राज्यों के लिए निर्वाचित कुल स्वानों के कम-से-कम अर्द्धांश के अधिकारी हों, उसमें प्रविष्ट न हो जाएं। अबसर आने पर नरेशों ने अपने भाग्य को शेष भारत के साथ संयुक्त करना अस्वीकार करके संघीय योजना की हत्या कर दी। फिर भी, अधिनियम के भाग ३ को (जो प्रान्तीय जास्ती ने नम्बर रखना था) कार्यालय में परिणत किया गया और फरवरी, १९३७ में प्रान्तीय विधानमण्डल के लिए सम्पन्न होने वाले साधारण निवाचनों के पश्चात् उसी वर्ष पहली अप्रैल को नवीन संविधान में निर्दिष्ट प्रान्तीय स्वायत्तता का उद्घाटन किया गया। छुलाई, १९३५ जब कि अधिनियम पास किया गया था और फरवरी, १९३७ के दीन में निवाचन लेनों के निवारण, मतदाता-सूचियों की तैयारी तथा प्रान्तों और केन्द्र के वित्तीय सम्बन्धों की आवश्यक अदल-बदल की प्रारम्भिक कार्यवाहियाँ पूरी कर ली गईं।

कांग्रेस १९३५ के सम्पूर्ण अधिनियम के विरुद्ध थी लेकिन उसने नए संविधान को नष्ट-भष्ट करने के उद्देश्य से निवाचनों में भाग लेने का निश्चय किया। मुस्लिम लीग ने संघ को तो अस्वीकार कर दिया लेकिन निवाचनों में प्रान्तीय विधान मण्डलों के लिए अपने प्रत्याइशी लड़े करना तय किया। उदारवादियों ने अधिनियम के सीमित उप-वन्धों का लोक विरोध किया लेकिन वे नए संविधान की एक बार अच्छी तरह से जांच नीतिक दूल मैट्रिक में उत्पन्न था।

**निर्वाचन-परिणाम**—निर्वाचन के परिणाम महत्त्वपूर्ण थे। द्धः प्रान्तो (मद्रास, बिहार, बंगला, पू० पी०, शी० पी० और उडीसा) में, जिनमें विटिंग भारत की दो तिहाई जनमंस्या या जाती थी, कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। यामाम में उसने १०८ स्थानों में से ३५ पर अधिकार कर लिया और वह सबसे अधिकारी दल के हप में शब्दार्थित हुई। पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त में कांग्रेस को ५० में से १६ स्थान मिले। मुस्लिम लीग समस्त शास्त्रों के ४०० मुस्लिम स्थानों में से केवल ५१ ही प्राप्त कर गयी।

## ६१. पद-प्रहरण

कांग्रेस में भर्तभेद—निर्वाचनों के पश्चात् कांग्रेस के समने यह समस्या उठ खड़ी हुई कि पद-प्रहरण किया जाय मा नहीं। द्धः प्रान्तों में तो उमका पूर्ण बहुमत था और देश प्रान्तों में से कुछ में वह मन्त्रिमण्डल बनाने की स्थिति में थी। कांग्रेस का वामपक्ष कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों की रचना का घोट विरोधी था। जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ तक कह दिया कि पदप्रहरण “उस ध्येय के प्रति विश्वासपात होगा, जिसे हमने स्वीकार किया है।” सुभाष बोस के गतानुसार पद-प्रहरण पराजय की रवीकारीति के तुल्य था। कांग्रेस के समजिवादी और साम्यवादी गुटोंने मंथर्यां के कार्यक्रम का भमर्थन किया, लेकिन बहुमत दक्षिणपक्षियों का था, जिनके नेता सरदार पटेल, राजगोपालाचारी और राजेन्द्रप्रसाद थे। दक्षिण-पक्षियों को महात्मा गांधी का भी मीन समर्थन प्राप्त था। मर्च, १९३७ में दिल्ली में कांग्रेस महाअभियंति की बैठक हुई। उसमें दक्षिण-पक्षियों ने वामपक्षियों को बहुमत से हरा दिया और अन्तिम रूप में यह निर्दिष्ट दिया गया कि उन प्रान्तों में जहाँ विधानमण्डलों में कांग्रेस का बहुमत है और जहाँ कांग्रेस दल के नेता को इन बात का सुन्पत्र आश्वासन मिल जाए कि गवर्नर नियंत्रियों के वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल बनाया जा नवना है।

कांग्रेस द्वारा गवर्नरों से आश्वासन की माँग—कांग्रेस इस परम्परा का निकाम करना चाहती थी कि गवर्नर की वित्तीय सक्षियों के मम्बन्य में भी मन्त्रियों की मन्त्रणा पर आनंदण होना चाहिए। कांग्रेस ने राफ-माल घब्डों में यह माँग दी कि गवर्नरों को उम समय भी जब कि संविधान के अदीन उनमें यह अपेक्षा की जाती हो। ये व्यक्तिगत विवेक के अनुसार कार्य करें, मन्त्रियों के परामर्श पर ही कार्य करना चाहिए। ऐसे कि गवर्नर उक्त आश्वासन देने के लिए तैयार नहीं हुए, अग जिन प्रान्तों में कांग्रेस का बहुमत था, वहाँ के विधानमण्डल के कांग्रेस दल के नेता ने मन्त्रिमण्डल बनाने का धार्मन्त्रगु अस्वीकार कर दिया। प्रिटिंग अधिकारियों ने यह हाइट्रिंग दिया कि इस प्रकार का आश्वासन संविधान में अपोपन निए बिना नहीं दिया

जा सकता था। इसके विपरीत महात्मा गांधी ने कहा कि नविधान में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो गवर्नरों को अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग मन्त्रियों के परामर्श पर करते से रोकती हो। उनका मत था कि १९३५ के अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक अभिसमय विकसित किए जा सकते हैं। चूंकि इस बाद-विवाद ने कानूनी रूप घारणा कर लिया था अत बहुत से प्रसिद्ध विधिवेताओं ने इसमें भाग लिया। प्रख्यात विधान-शास्त्री प्रो॰ कीर्ति ने कायेता के हिट्टिकोण का समर्दन किया।

**अन्तर्रिम मन्त्रिमण्डल**—जिस समय यह बाद-विवाद चालू था और छः प्रान्तों में रायेस ने पद गहण करना अस्थीकार कर दिया, गवर्नरों ने अल्पसंख्यक दलों के नेताओं द्वारा निर्मित मन्त्रिमण्डलों को प्रतिष्ठापित कर दिया। ये अलोकप्रिय मन्त्रिमण्डल विधान मण्डल का सामना नहीं कर सकते थे और न ही अपने बजट पास करा सकते थे। गतिरोध तीन महीने तक चलता रहा। धीरे-धीरे दोनों विरोधी पक्षों (सरकार और कायेस) ने अपने हिट्टिकोण को नरम किया।

**समझौता**—जुलाई में गवर्नर जनरल ने यह घोषणा की कि भारतीय जनता भुक्त पर एत बात का भरोसा रख सकती है कि मैं, “भारत में सच्चाय शासन के सिद्धान्तों की पूर्ण और चरम स्थापना के लिए अनथक गति ने कार्य कहाँगा।” यद्यपि कोई स्पष्ट बचन तो नहीं दिया गया, लेकिन लाड़ लिलिखमो ने यह कह दिया था कि दिन-प्रतिदिन के प्रशासन में गवर्नर अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगे। वायतराय के बवतबव ने ‘कोई धैर्यानिक आधार नहीं छोड़ा।’<sup>१</sup> लेकिन कायेस ने उसके नात्वनामूलक स्वर का मित्रतामूलक जवाब दिया। उ. जुलाई, १९३७ को कायेस कार्यकारिणी ने “एक और नए अधिनियम से भिन्ने और दूसरे ओर (सामाजिक सुधार के) रननामक कार्यक्रम को चलाने के लिए”<sup>२</sup> कायेसी मन्त्रिमण्डल बनाने की आज्ञा दी। कायेस के यह निराशय करने पर ‘अन्तर्रिम’ मन्त्रिमण्डलों में त्वागपत्र दे दिए और कायेसी मन्त्रिमण्डल सत्ताग्रह हो गए। चूंकि काल पश्चात् आत्माम और उत्तर परिचमी नीनाप्राप्ति में भी कायेस के मन्त्रिमण्डल बन गए।

## ६२. कायेसी प्रान्तों में प्रान्तीय स्वायत्ता पर आचरण

कायेसी के रूप में राजद्रोही—पद-गहण के साथ-साथ, “कायेस ने युद्धों, अवश्य और ज्ञानावान के पुराने युग के ल्यान पर रचनात्मक राजनीतिज्ञा के एक नवीन युग में पदार्पण किया।”<sup>३</sup> जब तक जो राजद्रोही रहे थे, वे चालकों के रूप में अवतरित

१. कृष्णराव—“हिंडिया, ए रिस्टेटमेंट”, पृ० १५३।

२. जवाहरलाल नेहरू—“दी यूनिटी आफ इंडिया”, पृ० ५६।

३. पद्मभि सीतारामया—“दी हिंडी लाफ दी नेशनलिस्ट मूबमेट”, पृ० २०।

हुए और इस क्षमता में उन्होंने अपने नीकरदाही विरोधियों, गवर्नरों और शाई० सी० एग० पवाधिकारियों के माथ मिलकर काम किया। आठ प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल उस समय तक सत्ताहट रहे जब तक कि द्वितीय विश्वयुद्ध के सूधागत पर उन्होंने त्यागपत्र नहीं दे दिए।

गवर्नरों का नियत कर्म, विशेष शक्तियों का घटाकदा प्रयोग—कांग्रेसी नेतृत्वांत का यह भय कि गवर्नर अपनी विशेष शक्तियों का अत्यधिक प्रयोग करें, कुछ अतिव्योक्तिसामान्य निष्ठा हुआ। यह भी नहीं है कि गवर्नर वैधानिक प्रधानमन्त्री हो गए हों। वे राजिय लासक बने रहे। यदि उनमें और मन्त्रियों में मतभेद होने के बहुत कम अवमर आए, तो इसका अंदर उन दोनों को ही समान रूप में जाता है। मन्त्रियों और गवर्नरों दोनों ने ही अत्यन्त सतर्कतापूर्वक कार्य किया। 'रक्षा-कब्ज़' रह नहीं किए गए। वे गदर्व ही मन्त्रियों और गवर्नर के बाइ-विवादों की पृष्ठभूमि में रहते थे। कई अवधारणों पर उनका प्रयोग भी किया गया। १९३८ के प्रारम्भ में, २०० पी० और बिहार में राजनीतिक कैंडिगों की मुवक्त करने के प्रदेश पर मन्त्रियों और गवर्नरों में मतभेद उत्पन्न हो गया। गवर्नर जनरल ने मविधान की धारा १२६ के अधीन मम्बद्द गवर्नरों को यह अनुदेश दे दिया कि वे अपने मन्त्रियों की मन्त्रिसांग को त मानें क्योंकि इससे व्यभत और चंन बनाए रखने के उसके विशेष उत्तरदायित्व पर अगर पड़ता है। इस पर मन्त्रिमण्डलों ने इस्तीफे दे दिए लेकिन अन्तोगत्वा यह गतिरोध मम्भीते की बातचीत के द्वारा तय हो गया। एक नंतोपजलक हल खोज लिकाया गया और मन्त्रिमण्डलों ने पुनः काम सम्हाल लिया। उड़ीसा में इसी प्रकार का नंकट एक अधीनस्थ नीकरदाही पदाधिकारी की गवर्नर के पद पर नियुक्ति को लेकर उठ खड़ा हुआ लेकिन हिति को स्थायी गतिरोध का रूप धारण करने में रोक लिया गया। अवस्थापन के धोर में गवर्नरों ने केवल चार बार ही नियोजाविकार का प्रयोग किया।

कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों की शाक्ति—यह स्मर्तव्य है कि कांग्रेसी प्रान्तों में प्रान्तीय स्वायत्तता की तुलनात्मक रूप से सफलता का कारण विधानमण्डलों के कांग्रेस दलों की शक्ति और अनुगामीता था। कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों की जिस विद्वाल बहुमत का समर्थन प्राप्त था, गवर्नर उसकी महत्ता को समझते थे और निष्ठा दूरवाङ्गता के कारण ऐसी सांसदीय की शक्तियों के दावे रोज़-रोज़ के गधपों ने बचने के लिए बाज़ थे।

केंद्रीय बांग्रेस का नियन्त्रण—कांग्रेस दलों को अनुगामित शक्ति का कारण केवल उनका स्थायी बहुमत ही नहीं था, अपितु केंद्रीय कांग्रेस मंगठन और उसके नसदीय बोर्ड का एकात्मक नियन्त्रण भी था। बूपलंगड़ के मत में, "कांग्रेस की एकात्मक नीति प्रान्तीय स्वायत्तता और उत्तरदायी शासन का उल्लंघन करती थी।"<sup>१</sup>

१. बूगलंगड़—“इण्डिया, ए रिटेटमेंट” पृ. १६१।

उसका कथन है कि कांग्रेस मन्त्रिमण्डल सम्बद्ध विधान मण्डलों के प्रति इतने उत्तरदायी नहीं थे, जितने कि कांग्रेस 'केन्द्र' के प्रति । इसके विग्रीत कांग्रेस का विचार यह था कि संसदीय बोर्ड के प्रभाव ने स्वस्य राष्ट्रीय हितिकोण का संचार किया और संकुचित प्रान्तीयता की बढ़ि को रोका ।

कांग्रेस-मन्त्रिमण्डलों की सफलताएँ—अपनी पदारूढ़ि के अठाइस महीनों में कांग्रेस ने कठिपय ऐसी सफलताएँ प्राप्त कीं जिन पर ब्रह्म "गर्व कर सकती थी ।" १ सामाजिक सुधार के क्षेत्र में उन्होंने निर्वाचन-घोषणा-पत्र में दिए गए वचनों को पूरा करने की चेष्टा की । खेतिहरों की जमीदारों के अत्याचारों से रक्खा हो सके और वे ऋणप्रस्तता से छुटकारा पा सकें, इसके लिए कई प्रान्तों में एक से सुधार हुए । शिक्षा के क्षेत्र में २० पी० और बिहार में प्रशंसनीय तरकी हुई । इन प्रान्तों में अशिक्षा के उन्मूलन के लिए महात्मा गांधी की बुनियादी तालीम की योजना को अपनाया गया । कांग्रेस-मन्त्रिमण्डलों ने ग्राम-पुराणठन, कुटीर-उद्योगों के विकास और आम-पंचायतों के पुनरुत्थान की ओर भी ध्यान दिया । हरिजनों की दशा में सुधार करने के भी प्रयास किए गए । कांग्रेस कार्यक्रम में महानिवेद को मुख्य स्थान प्राप्त था । इस सुधार के पूर्ण प्रवर्तन का अभिप्राय यह था कि १८ करोड़ लोगों के राजस्व का बलिदान कर दिया जाए । यह है कि सभूर्ण भारत को 'नीरस' कर देने की नीति एक ही छलांग में कार्यान्वित नहीं की जा सकती थी' तथापि, लगभग सभी कांग्रेस प्रान्तों में इस नीति का 'श्रीगणेश' कर दिया गया । अबहृदय और मद्रास ने इस दिशा में नेतृत्व ग्रहण किया । अन्तःशुल्क राजस्व की हानि को बिक्रीकर जैसे राजस्व के नये स्रोतों की उद्भावना करके और प्रशासन के व्यय में कमी करके पूरा किया गया ।

### ६३. गैर-कांग्रेसी प्रान्तों में प्रान्तीय स्वायत्तता

उत्तरदायी शासन में गवर्नरों के हस्तक्षेप के हटान्त—गैर-कांग्रेसी प्रान्तों की हालत इतनी अच्छी नहीं थी । पंजाब को छोड़कर, जहाँ 'यूनियनिस्ट' मन्त्रिमण्डल ने स्थायी शासन का निर्माण किया था, दोष प्रान्तों के मन्त्रिमण्डल दुर्बल और अस्थायी थे । गवर्नरों के स्वेच्छाचारी व्यवहार के उदाहरण रोज़-रोज़ देखने को मिलते थे । अबदूवर, १९४२ में सिन्ध के गवर्नर ने मुस्यमन्त्री खानबहादुर मल्लाबद्दा को इस आधार पर पदचयुत कर दिया कि वह 'उसके' विश्वास-भाजन नहीं थे । यह उत्तरदायी शासन के भिन्नान्तों के सर्वधा विरुद्ध था वयोंकि पदचयुति के समय मुस्यमन्त्री को विधान मण्डल का समर्थन प्राप्त था । जुलाई, १९४३ में बंगाल के मुस्यमन्त्री फजलुल

हक को त्यागपत्र देने के लिए वाद्य किया। मुहम्मदन्नी ने वाद में इस वाद की निकायत की थी कि, “गवर्नर सम्मुखी विचार-विनियम पर एकाधिकार कर देता था और अपने मन्त्रियों पर अपने निर्णय लाद देता था।” बंगाल के एक मम्बी डॉ द्यामाप्रसाद मुखर्जी ने दिन-प्रति-दिन के प्रशासन में गवर्नर के हस्तांतरण के कारण अपने पद से त्याग-पत्र देना आवश्यक समझा।

### सारांश

१६३५ के अधिनियम का प्रान्तीय भाग १ अप्रैल, १६३७ को प्रबल्तन में आया। साधारण निर्धारितों में जो उस वर्ष फरवरी में मम्बन हुए, उँच प्रान्तीय में कायेंस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और दो प्रान्तीयों में वह सदमे शक्तिशाली दलों के हृषि में अवतरित हुई।

पद-प्रहरण के प्रदन गर कृद्य मतभेद था। जिन प्रान्तीयों में कायेंस का बहुमत था, वहाँ उसने उस समय तक मन्त्रिमण्डल बनाना अस्वीकार कर दिया जब तक कि गवर्नर यह शाश्वतासन न दे दें कि वे अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग मन्त्रियों की मन्त्रणा पर नहीं करेंगे। गवर्नरों ने इस प्रकार या जचन देना अस्वीकार कर दिया, फलतः कायेंस दलों के नेताओं ने मन्त्रिमण्डल बनाने के आमन्वय को ठुकरा दिया। इन प्रान्तीयों में अंतरिम मन्त्रिमण्डल को प्रतिष्ठापित किया गया। जुलाई में कायेंस दलों और मगद्द गवर्नरों के एक समझौते के परिणामस्वरूप वह गतिरोध दूर हो गया। फलतः कायेंस ने ये प्रान्तीयों में और वाद में पाठ प्रान्तीय में आमन-मूल को मम्हाल लिया।

कायेंसी प्रान्तीयों में प्रान्तीय स्पायतता को पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई। गवर्नर वैधानिक शासक तो नहीं बने, लेकिन उन्होंने अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग यहूत कम अवधारों पर किया। मैर-कायेंसी प्रान्तीय ने, जिनमें पजाव प्रणवाद था, स्थिति दूसरी रही। इन प्रान्तीयों में गवर्नरों ने दिन-प्रति-दिन के यामन में हस्तांतरण किया।

## महायुद्ध और वैधानिक गतिरोध

### ६४. भारत और महायुद्ध

बायसराय हारा भारत के युद्ध ग्रस्त होने की घोषणा—३ सितम्बर, १९३९ को द्वितीय विश्वयुद्ध का जवालामुखी कुट पड़ा। इस विस्फोट ने भारत में एक गम्भीर वैधानिक संकट उत्पन्न कर दिया। इंगलैण्ड ने नाजी जर्मनी के विरुद्ध लोकतन्त्र और स्वतन्त्रता की रक्षा करने के लक्ष्य की घोषणा करके हथियार उठाये। बायसराय ने भारतीय जनता के उन प्रतिनिधियों को, जो केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय विवान मण्डलों में थे, विना किसी प्रकार की सूचना दिए अथवा उनसे बिना किसी प्रकार की मन्त्रणा किए ही यह घोषणा कर दी कि भारत भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में शामिल है।

**महात्मा गांधी का वृजिकोण**—महात्मा गांधी को बायसराय ने एक 'इण्टरव्यू' के लिए आमन्त्रित किया। महात्मा जी ने कहा कि मेरी अपनी सहानुभूति तो इंगलैण्ड और फ्रांस के साथ है' लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यह बात उन्होंने व्यक्तिगत रूप ने कही थी, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में नहीं। कुछ समय बाद उन्होंने 'हरिजन' में लिखा कि "अंग्रेजों को जो भी सहायता दी जाए, वह बिना किसी शर्त के दी जानी चाहिए।"<sup>१</sup>

**कांग्रेस की प्रतिक्रिया**—कांग्रेस के ऊपर इसकी दूसरी प्रतिक्रिया हुई। जिस अस्तोकतन्त्रात्मक ढंग से भारत को युद्ध में खोक दिया गया था, उसका कांग्रेस ने तीव्र विरोध किया। "एक ऐसे उद्देश्य के लिए जो उसका अपना नहीं था, एक ऐसे भंडे के नीचे जिसने उसका अपना भंडा गिरा दिया था और ऐसे नेताओं की अधीनता में जो उसके अपने नेताओं से सलाह लेना नहीं चाहते थे—भारत को क्या नैतिक उत्ताह होता, वह क्या सहायता प्रदान करता?"<sup>२</sup> जिस समय अप्रैल, १९३९ में भारतीय सैनिकों की एक दुकड़ी अद्दन में भेजी गई थी, कांग्रेस ने सरकार को चेतावनी दी थी कि वह भारतीय जनता की सहमति के बिना भारत के ऊपर युद्ध बोलने और भारतीय साधनों के युद्ध में प्रयोग की समस्त चैष्टाओं का प्राण-

१. दी हरिजन, सितम्बर २३, १९३९।

२. पट्टाभि सीतारामया—"दी हिस्ट्री आफ दी कांग्रेस, भाग २," पृ. १२४-५।

पण तो विरोध करेगी।' सरकार ने इस चेतावनी पर कोई प्यास नहीं दिया तथा अग्रस्त में और अधिक भारतीय संनिधियों को मिथ और सिंगापुर भेज दिया। इसके विरोधस्वरूप कांग्रेस ने अपने अमस्त राष्ट्रस्थियों को केन्द्रीय विधान-सभा में हटा लिया और प्रान्तीय कांग्रेसी मन्दिरमण्डलों को आदेश दिया कि वे "विटिश सरकार की तंत्यारियों में किसी प्रकार तो कोई सहायता न दें।"<sup>१</sup>

**कांग्रेस का प्रस्ताव—१४ सितम्बर, १९३६—**लेकिन इस सवके बावजूद भी जब भारत को युद्धस्त घोषित किया गया, भारतीय विधान मण्डलों से किसी प्रकार की मन्यणा नहीं की गई। "अपनी सहमति के बिना और अपने प्रतिनिधियों के अनुमोदन के बिना भारत के लाखों स्त्री-मुरुर्णों ने सवक को युद्धस्त पाया।"<sup>२</sup> विटिश मंसद को उस संशोधन अधिनियम के पास करने में, जिसने कि भारतीय जनता की स्वतन्त्रताओं को कुचलने के लिए उसके विटिश शासकों के हाथों में भयंकर व्यापक-शक्तियाँ सौंप दी, केवल ११ मिनट का समय लगा। कांग्रेस ने अपने हप्टिकोण को जवाहरलाल द्वारा तंत्यार किए गए प्रोर १४ सितम्बर, १९३६ को पास किए गए कार्यमिति के प्रस्ताव में समर्पित किया। कांग्रेस ने उस मनमाने ढंग के ऊपर धोभ व्यवहर किया, जिसमें कि विटिश सरकार एक ऐसी लड़ाई में, जो कि भारत की अपनी नहीं थी, भारत को घसीटे ले जा रही थी। कांग्रेस ने यह साफ-साफ कह दिया कि वह फासिज्म के विरुद्ध है और उम उद्देश्य की जिसको लेकर इंगलैण्ड और फ्रांस लड़ाई में प्रविष्ट हुए हैं, प्रश्ना करती है। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, "हम नाजियों की विजय नहीं चाहते थे, और हमारी सहायुभूति पूर्णतः उनकी ओर थी, जिनके ऊपर आळकरण किया गया था।"<sup>३</sup>

पुढ़ के उद्देश्यों को स्पष्ट करने को मांग—लेकिन इसके पूर्व कि भारत लोक-तन्त्र की सहायता करता भारत में लोकतन्त्र की स्थापना होनी आवश्यक थी। "हमारे आदेश पर स्वयं परायीन, वे (भारतीय) दूसरों को स्वतन्त्र करने के लिए कैसे सधार करते?" कांग्रेस प्रस्ताव ने विटिश सरकार से यह मांग की कि वह माने पुढ़ के उद्देश्यों को साफ-साफ बतला दे और पूछा, क्या इन उद्देश्यों में साम्राज्यवाद का उन्मूलन शामिल है? क्या विटिश सरकार भारत के प्रति एक ऐसे स्वतन्त्र राष्ट्र का-भा, जिसकी नीति अपनी जनता को इच्छाओं के अनुमान संचालित हो, व्यवहार करने के लिए तंत्यार

१. "एन्डियन एन्युल रजिस्टर, १९३६;" पृ. २१४।

२. एच० एन० पैल्मफोर्ड—"मट्टेजट इण्डिया", पृ० १३।

३. जवाहरलाल नेहरू—"दी यूनिटी प्रांक इण्डिया", पृ० ३६।

४. एच० एन० डैल्मासोंड—वही, पृ० ५४।

है ?” कांग्रेस की माँग थी कि यदि इंगलैण्ड स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ रखा है, तो उसे भारत में भी स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र की स्थापना करनी चाहिए। “हमारे लिए स्वतन्त्रता का कोई अर्थ नहीं हो सकता, यदि वह स्वयं हमें ही प्राप्त नहीं है।”<sup>१</sup> कटु अनुभवों ने उसे रिखा दिया था कि “ब्रिटिश सरकार या भारत सरकार के युद्धकालीन बच्चों या बच्चब्बों पर विश्वास नहीं किया जा सकता।”<sup>२</sup> फलतः कांग्रेस ने माँग की कि इंगलैण्ड को चाहिए कि वह भारत को स्वतन्त्र राष्ट्र घोषित कर दे। इस माँग का आशय यह था कि भारत को युद्ध के पश्चात् अपना संविधान बनाने की स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए और ब्रिटिश नेकनीपती के प्रभागास्वरूप तुरन्त ही लोक-शासन की स्थापना होनी चाहिए। “किसी भी घोषणा की वास्तविक कस्तीटी उसका बर्तनानामालीन उपयोजन है।” कांग्रेस ने यह माँग किसी राजदीवाजी की भावना से अनुप्राणित होकर नहीं की थी और न वह इंगलैण्ड की कठिनाई से अपना मरलाल निकालने के लिए ही उत्सुक थी। भारतीय स्वतन्त्रता की घोषणा इसलिए आवश्यक थी कि भारत की जनता को उस लड़ाई के बारे में, जो कि उसकी अपनी नहीं थी, उत्तराहुं पैंदा हो जाए। यदि सरकार ने ऐसी घोषणा नहीं की, तो यह स्पष्ट था कि लड़ाई का उद्देश्य साम्राज्यवादी विशेषाभिकार को जड़ें का रूपी कायदा रखना था, इस प्रकार की लड़ाई से भारत को वया लेना-देना था? भारत-वर्ष सहयोग देने को इच्छुक था लेकिन वह यह सहयोग बराबर के साथी की ही सियत से देना चाहता था।

उदारवादियों द्वारा कांग्रेस-माँग का समर्थन—यहाँ वह स्मरण्य है कि उदारवादियों ने भी कांग्रेस की माँग का समर्थन किया और सरकार से प्रार्थना की कि वह वर्तमान केन्द्रीय सरकार के स्वान पर जनता के प्रति उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने में शीघ्रता करे।

मुस्लिम लीग का हिन्दू-घिन्दु—मुस्लिम लीग भी इंगलैण्ड को बिना हिन्दू शर्त के सहायता देने के लिए संयार नहीं थी। वह युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा के विरह नहीं थी लेकिन उसने यह स्पष्ट कर दिया था कि मुसलमानों के साथ धूरा न्याय होना चाहिए और सरकार को चाहिए कि वह उसकी राजामही के बिना कांग्रेस को कोई आश्वासन न दे।

१. जवाहरलाल नेहरू—“दी ग्रूनिटी अैफ इण्डिया”, पृ० ३१४।

२. पहांभि सीतारामय्या—“दी हिन्दू अैफ दी कांग्रेस”, पृ० १२६।

## ६५ सरकार का उत्तर और कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों का व्यापक

वायमराय की मुलाकातें और इवेंटपत्र—१७ अक्टूबर, १९३६—कांग्रेस ने सरकार में जो आदावासन माँग था, वह उसे नहीं मिला। मझाद, भारत मन्त्री और अवनंर जनरल मवने वक्तव्य दिए, लेकिन उनके वक्तव्यों में केवल पुरानी बातें दुहराई गई थीं और भारतीय स्वतन्त्रता के प्रदन की कोई चर्चा नहीं थी। लांड लिलियों ने मुलाकातों का एक ताता नुह किया और ५२ व्यक्तियों से भेट की। उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि वे समरत जातियों, हितों और देशों नरेशों के हप्टिकोशों को भली-धांति गमन लें। इन सब बातचीतों का जो नतीजा १७ अक्टूबर, १९३६ के इवेंटपत्र में प्रकाशित हुआ उसमें किनी को कोई आधिकार नहीं हुआ। वायमराय को 'हप्टिकोशों का स्पष्ट भेद' दिखाई दिया। स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति इन मत-भेदों की लांड लिलियों की-भी मूभूत भूमि के साथ सोज करता, तो उनकी सोज करने में कोई कठिनाई नहीं होती। यह उसी चिरपरिचित 'फूट डालो और राज्य करो' बाती नीति की पुनर्गृहीत थी। हप्टिकोशों के इन स्पष्ट भेदों को देखते हुए वायमराय भारतीय देशभक्तों को केवल उमी बात की याद दिला सकते थे जो कि उनके गुरुवर्णियों ने बार-बार कही थी अर्थात् "भारत की उन्नति का स्वाभाविक लक्ष्य योग्यनियन्त्रिक पद की प्राप्त करना है।" उन्होंने इस बात को घोषणा की कि युद्ध की नमस्ति पर १९३५ के प्रविनियम के अधीन प्रस्तावित संघीय नियमितान में विभिन्न नियमाधारों, दलों और स्वार्थों के प्रतिनियिकों तथा देशी नरेशों से मन्त्रणा करके उन्हिंन मनोरूप कर दिया जाएगा। स्पष्ट है कि वे एक नवियान सभा का नहीं अपिलु दूसरी गोलमेज परियद का बचन दे रहे थे। जहाँ तक भारत ने दृष्टि माँग का सम्बन्ध था कि केन्द्र में उत्तरदायी शामन की स्थापना होनी चाहिए, वायमराय केवल एक ऐसी 'मन्त्रणा-नापौर्णी' का ही आदावासन दे सकते थे जिनके नात्र वे ममत्य-ममत्य पर युद्ध-मध्यालय के सम्बन्ध में विचार-विनियम कर सकें।

प्रान्तीय कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों का व्यापक—वायमराय के वक्तव्यों ने किसी की मन्त्रुष्ट नहीं किया और विरोध का एक तूफान भड़ा कर दिया। उन्होंने भारत के स्वतन्त्रता और समानता के दावे की अस्तीकार करने के लिए प्रतिक्रियावादियों और ग्रहणमंद्यक वर्षों के विरोध का दक्षतापूर्वक प्रयोग किया था। भारत के राष्ट्रवादियों ने इस हप्टिकोश को अपने लिए असमानजनक समझा। जवाहरलाल नेहरू के अनुयाय इसका अभिप्राय यह था कि "श्रिटिंग मास्ट्राइवराद के उन्मूलन के बारे में प्रभिम निर्णय करना श्रिटिंग मास्ट्राइवराद के ही हाथ में है।" कांग्रेस 'तुष्ट बहने' के निए लापार हो गई। उसने रोटी माँगी थी, उसे गिरा पत्तवर। १ अक्टूबर को राय-

समिति ने प्रान्तीय कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों से कहा कि वे अपना-अपना त्यागपत्र दे दें। नवम्बर में बायसराय ने संविधान की धारा ६३ के अधीन एक उद्घोषणा जारी की और उन आठ प्रान्तों में जहाँ कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने त्यागपत्र दे दिए थे, परामर्शदाताओं के शासन की स्थापना कर दी।

बायसराय का परिस्थिति को साम्प्रदायिक रूप देना—अपने बक्तव्य द्वारा उत्पन्न किए गए तीव्र विरोध से परेशान होकर बायसराय ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के साथ पुनः बारी धूर की। उन्होंने अपनी कार्यपालिका परिषद् के विस्तार करने का बचन दिया ताकि उसमें भारतीय दलों के प्रतिनिधि भी शामिल हो सकें। लेकिन इसमें एक शर्त थी और वह यह कि प्रान्तीय प्रश्न व प्रान्तों में संयुक्त मन्त्रिमण्डल बनाने के सम्बन्ध में समस्त सम्प्रदायों के बीच समझौता होना चाहिए। इससे और भी उलझन गढ़ वर्द्धे। यह ऐसी धूरता थी जिसका उद्देश्य एक विशुद्ध राजनीतिक समस्या को साम्प्रदायिक रूप देना था। जैसी कि आशा की जानी चाहिए कांग्रेस ने इस आधार पर समझौते की बातचीत करना अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार गतिरोध पैदा हो गया और वह युद्ध के आधोपान्त बना रहा।

#### ६६. अगस्त की घोषणा (१९४०)

कांग्रेस द्वारा सहयोग का प्रस्ताव—लगभग एक साल बीत गया और भारत की राजनीति में सिवाय इसके कि मार्च, १९४० में मुस्लिम लीग ने अपने द्विराष्ट्र-सिड्डान्त की घोषणा की और पाकिस्तान की माँग उपस्थित की, कोई सारभूत परिवर्तन नहीं हुआ। सड़ाई की हालत इंगलैण्ड के लिए बहुत खतरनाक हो गई। डेनमार्क में ब्रिटिश बलों की पराय और जर्मन हवाई वेफ़े द्वारा परिचालित भयंकर हथाई हमलों के कारण इंगलैण्ड अपने इतिहास के सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा था। चैम्बरलैंन के स्थान पर चर्चिल प्रधान मन्त्री हो गए थे। कांग्रेस ने पुनः ब्रिटेन के साथ सहयोग करने के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ७ जुलाई, १९४० के अपने प्रस्ताव में कार्यसमिति ने “देश की रक्षा के लिए प्रभावशाली संगठन में पुरा-पुरा सहयोग देने का” निश्चय किया। सहयोग के लिए कांग्रेस की शर्तें थीं—(१) पूर्ण स्वाधीनता के लिए भारत के अधिकार की स्थीकृति, (२) तात्कालिक साधन के रूप में केन्द्र में अस्थायी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना।

८ अगस्त की घोषणा—लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस द्वारा बढ़ाए गए दोस्ती के हाथ को घट्टा करना अस्वीकार कर दिया। उसने केन्द्रीय विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कहा कि ऐसा करना सारे संविधान को बदलना है, जो कि सुदूरकाल में

नहीं हो सकता। मरकार के अपने जो प्रस्ताव थे, वे द ग्रामस्त के वायमराय के वक्तव्य में प्रकाशित हुए। वक्तव्य में वचन दिया गया था कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात् यथानीधि भारत को ग्रीष्मनियेशिक पद दे दिया जाएगा और एक प्रतिनिधिक संविधान निर्माता निकाय की स्थापना की जाएगी। यह ट्रीकार कर लिया गया था कि नए संविधान को बनाने की जिम्मेदारी पुस्तकः भारतीयों के ऊपर ही होगी। यह स्पष्ट नहीं था कि 'प्रतिनिधिक संविधान-निर्माता निकाय' का अभिप्राय पूर्ण विकसित संविधान सभा में या अधिकार खानी एक और गोपनेज परिषद से। इनके अलावा इस प्रकार के निकाय की स्थापना करने के प्रस्ताव को प्राधिक नरक्षणीय चाली बात ने उल्लभन-पूर्ण कर दिया था। घोषणा में कहा गया था कि "ब्रिटिश सरकार ऐसे किसी दल को मता नहीं दे सकती जिसे देश के बड़े-बड़े और शक्तिशाली तल मानने के लिए तैयार न हो।" स्पष्ट है कि ये शक्तिशाली तल मुस्लिम लीग, दुसरे प्रतिगामी ग्रल्प-मत्त्यक वर्गों के मण्डन और देशी मरेन थे।

जहाँ तक वर्तमान का सम्बन्ध था, वक्तव्य में (१) बड़ी हुई वार्षिकापरिषद् में कुछ भारतीय प्रतिनिधियों को मिलायित करने और (२) एक ऐसी पुढ़े भलाहकार परिषद् की स्थापना करने की जिम्मेदारी दलों के नेता व देशी राज्यों के प्रतिनिधि भागिल हो, यात कही गई थी।

**वरिसाम**—वायमराय के वक्तव्य में कांग्रेस को मत्तोप नहीं हुआ और उसने इसकी ओर पौख उटाकर देने में भी इनकार कर दिया। गहात्मा गांधी के अनुमार उसने भारत और इंग्लैण्ड के बीच की चाई को और खाड़ा कर दिया। मरकार ने ग्रल्पमत्त्यक वर्गों के प्रश्न के सम्बन्ध में जो गम बहाग किया था, कांग्रेस ने उसका विरोध रहा में विरोध किया और मरकार के ऊपर आक्षेप लगाया कि वह इन प्रश्न को 'भारत की उन्नति के पार्ग में एक दुस्तर बाधा'<sup>१</sup> कहाए दे रही है। कांग्रेस का इस्टिकोग यह था कि ग्रल्पमत्त्यक वर्गों की गमस्या भारतीयों के मूलभाने के लिए थी। अब जो मरकार उसमें व्याचित अवाक्षित टींग ब्राकर उसे व्यवं में ही गेहीदा दगाए दे रही थी। मुस्लिम लीग तक ने ग्रामस्त के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, यद्यपि भिन्न कारणों से। उसने वायमराय के वक्तव्य में विभिन्न संयुक्त भारत के विभान का विरोध किया और कहा कि "भारत की विभाजन ही गमस्या का एक बात है।" उसने इस बात पर भी बल दिया कि "उम्मी भम्मनि के बिना कोई भी भावी संविधान, ग्रन्तरिम या ग्रन्तिम निभिग नहीं होता चाहिए। और कार्यपालिका परिषद् के किसी भी गुरुनिमंग में उसके और कांग्रेस के बीच में ५०, ५० के निरान्त को नापू

१ "इंडियन एनुग्रन रजिस्टर—१९४०", पृ० ११८।

किया जाना चाहिए।”<sup>१</sup> इस प्रकार ड्रिटिंग सरकार की वीति ने साम्प्रदायिक समस्या को और भी उलझा दिया तथा कांग्रेस कांवेनिटि की सम्मति में वह गृह-कलह और संघर्ष के लिए प्रत्यक्ष प्रोत्त्वाहन व उत्तेजना थी।

#### ६७. व्यक्तिगत सत्याघ्रह

कांग्रेस का असंहयोग पर बापत आगामा—अगस्त प्रत्याव जवाहरलाल नेहरू और सी० राजगोपालचारी जैसे नेताओं के क्रिया-कलापों के लिए, जो भारत की प्रतिरक्षा में सक्षिय सहयोग चाहते थे और जिनके नेतृत्व में कांग्रेस ने पहले भहात्मा गांधी के युद्ध-प्रबल सम्बन्धी चान्तिकाव और असहयोग अस्वीकार कर दिया था, एक प्रतिधात था। अब पुनः कांग्रेस ने नहात्मा गांधी को भार्गवर्धन के लिए आमनित किया। गांधीजी ने बायतराय से प्रार्थना की कि वे उन्हें “देश की जनता को भारत के युद्ध-प्रबल में सहायता देने से रोकने को” स्वतन्त्रता दें। बायतराय ने इसे अस्वीकार कर दिया। कलतः नहात्मा गांधी ने सीमित पैमाने पर व्यक्तिगत सत्याघ्रह आन्दोलन प्रारम्भ किया।

केवल प्रतीकात्मक विरोध—सत्याघ्रह आन्दोलन केवल नैतिक विरोध की अभिव्यक्ति था। उसका लक्ष्य ड्रिटिंग सरकार को व्यय करना अथवा किसी भी प्रकार दुरी राष्ट्रों को सहायता देना नहीं था। इस सत्याघ्रह ने अर्हिता के पालन पर विशेष बल दिया गया और सामूहिक कांवेचाही को प्रत्येक रूप ने निपिंड कर दिया गया। केवल कुछ छोटे हुए नस्याप्रहियों को ही यह दुहराते हुए कि “जन या धन से ड्रिटिंग के युद्ध-प्रबल में सहायता देना चलता है” सत्याघ्रह करने की अनुमति दी गई। पंजाब के नुस्ख नन्हीं सर निकन्दर हृदय जौ ने नहात्मा गांधी के छपर आधेय किया कि जिन सन्दर्भ में इन्हें जलने वीक्षन-भरण के संघर्ष में निरन्तर है, वे उसकी पीठ में चुरा भोक रहे हैं। लेकिन चाल्तविकला यह है कि सत्याघ्रह आन्दोलन का स्वरूप केवल प्रतीकात्मक ही था। जित सन्दर्भ अंत्रेज जाति अन्य जीवन-भरण का भूला भूल रही थी, कांग्रेस ने उसके ऊपर कठोर आधार करना अनैतिक समझा और बहुत ‘हसका आधार’ किया।<sup>२</sup> फिर भी नहीं, १९४१ तक लगभग १५००० सत्याघ्रही जैस पहुँच गए।<sup>३</sup> “इनमें छः आत्मों के भूतपूर्व नुस्ख नन्हीं, २३ नन्हीं और २६० आन्तोम विवाल मण्डलों के त्रिवर्ण थे।”<sup>४</sup>

१. शूपर्वीज—“इण्डिया ए रिस्टेनेंट”, पृ० २०२।

२. एच० एन० फ्रेस्टफोर्ड—“सज्जेट इण्डिया”, पृ० ५२।

३. शूपर्वीज—“इण्डिया, ए रिस्टेनेंट”, पृ० २०५।

४. एच० एन० फ्रेस्टफोर्ड—बही, पृ० ५६।

## ६८. कार्यपालिका परिषद् का विस्तार और आंशिक भारतीयकरण

महत्वशून्य उपाय—राष्ट्रवादी भारत को मार्गों की ओर ध्यान न देते हुए वायसराय ने जुलाई, १९४१ में अपनी कार्यपालिका परिषद् में पांच सदस्य और शामिल कर लिए। पहले उनमें वायसराय सहित ग्राह सदस्य थे, अब बढ़कर तेरह हो गए। जिन नए पांच सदस्यों को नियुक्त किया गया था, वे भारतीय थे। इस प्रकार अब कार्यपालिका परिषद् में भारतीयों को कुल सदस्य-गठ्या ग्राह हो गई। लेकिन कार्यपालिका-परिषद् का यह आंशिक भारतीयकरण एक महत्वशून्य उपाय था क्योंकि नभी महत्वपूर्ण विभाग प्रतिरक्षा, गृह, वित्त अंगेंजों के ही हाथों में बने रहे। कांग्रेस और सुल्लिम लीग दोनों ने ही इस विस्तृत कार्यपालिका परिषद् का वहिपकार किया। जिन नए सदस्यों को वायसराय ने अपने विवेक के अनुसार चुना था, वे उनके सब उनकी हाँ-नहीं मिलाने वाले थे। मंभवतः एक डॉ० अम्बेडकर को छोड़कर और किसी को किसी मंगठित दल का समर्यान प्राप्त नहीं था। इनके अलावा, कार्यपालिका परिषद् एक अनुत्तरदायी निकाय बनी रही। उनके ऊपर वायसराय का प्रभुत्व ज्यांकान्तरों वायम रहा।

## ६९. क्रिप्स मिशन (मार्च, १९४२)

जापान का युद्ध-प्रवेश और भारत को सतरा—३ दिसम्बर, १९४१ को जापान युद्ध-स्थल में कूद पड़ा। अब विश्वयुद्ध ने एक नया रूप प्रहरा किया। यूरोप में तो धुनी राष्ट्रों को आंगे बढ़ने से रोके रखा गया, लेकिन एशिया में जापान की विजय-वाहिनी अप्रतिहत गति में आगे बढ़ी। मलाया, इण्डोचायना और इण्डोनेशिया ने जापान की बेनाशों के मम्मुच घातम-समर्पण कर दिया। फरवरी, १९४२ के अन्त तक घर्मा का पग्गमव भी अपरिहार्य दीखते लगा। इन तरह युद्ध का सतरा भारत के निकटतर आगा जा रहा था। यहुत कम भारतीयों को यह विश्वास था कि इगलेंड में जापानी आक्रमण में भारत की रक्षा करने की शक्ति है। चर्चिल तक ने इन बात को स्वीकार किया कि इगलेंड के पास भारत की रक्षा करने के पर्याप्त माध्यन नहीं है।

कांग्रेस की नीति में परिवर्तन—भारत के मिर पर भेंटराते हुए इस उन्हें ने कांग्रेस की नीति में परिवर्तन कर दिया। प्रमुख कांग्रेसियों को नवम्बर, १९४१ में जेल से मुक्त कर दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सचालित हमलावे फिर एक बार महात्मा गांधी की शान्तिवादी नीति में हट गये। अबनी हीं प्रारंभना पर गांधीजी नेतृत्व के भार में मुक्त कर दिए गए। अब सत्याग्रह कांग्रेस की नीति नहीं रहा। जवाहरलालनड़ी देश को प्रतिरक्षा के लिए मंगठित करना चाहते थे। यह नरसार के माध्यमों करने के लिए तैयार है—लेकिन कुछ गतों पर। उम्म यसम “ग्रं

अभिमानी साम्राज्य को, जो फासिस्ट सर्वाधिकारवाद से "अभिन्न है" सहायता देने का कोई प्रश्न नहीं था। सितम्बर, १९४१ में चर्चिल से पूछा गया था कि क्या एटलांटिक चार्टर जो सब जातियों को अपनी मनोवाचित शासन-प्रणाली को प्रसन्न करने का अधिकार देता है, भारत के ऊपर भी लागू होगा? चर्चिल ने इस प्रश्न के उत्तर में 'नहीं, जनाद' कहा था। भारत को यह 'नहीं' अच्छी तरह याद थी। लेकिन जापान की पूर्वीय विजय-यात्रा ने ब्रिटिश सरकार को विवश कर दिया कि वह भारत की ओर नया हापिटिविंगु ग्रहण करे।

**बिश्व-जनमत का दबाव—फरवरी, १९४२ में राष्ट्रवादी चीन के नेता मार्शल च्यांग-कार्ड-शेक भारत आए और उन्होंने इंग्लैण्ड से अधील की कि वह भारत की स्वतन्त्रता की भाँग पर सहृदयतापूर्वक दिचार करे। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट के बारे में भी यह प्रख्यात है कि वह चर्चिल पर इस बात का दबाव ढाल रहे ने कि वह भारत का ऐच्छिक सहयोग प्राप्त करने के लिए कुछ करें। इस प्रकार युद्ध के संकटों और विश्व-जनमत के दबाव ने क्रिस्ट-मिशन के लिए रंगमंच तैयार कर दिया।**

**क्रिस्ट-मिशन की घोषणा—**—रंगून-पतन के चार दिन बाद ११ मार्च, १९४२ को चर्चिल ने संसद में घोषणा की कि "जापान की प्रगति के कारण भारत के लिए जो खतरा पैदा हो गया है उसे देखते हुए हम यह आवश्यक समझते हैं कि हमलावर से देश की रक्षा करने के लिए हमें भारत के सभी वर्गों का संगठन करना चाहिए और सर स्टैफँड क्रिस्ट लिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय गतिरोध का अन्त करने के लिए भारत प्रस्ताव करें।" इस घोषणा का भारत में स्वागत किया गया व्योंकि क्रिस्ट की यहाँ बहुत व्याप्ति थी। यहीं वह व्यक्ति थे जो रूस को मित्र-राष्ट्रों की ओर से युद्ध में खींच लाए थे। इसके अलावा वह एक समाजवादी थे और भारत के कई चीटी के राष्ट्रवादी नेताओं से उनके मित्रतायुक्त सम्बन्ध थे। वह पहले भी दो बार भारत आ चुके थे।

**क्रिस्ट भारत में—**—२२ मार्च, १९४२ को क्रिस्ट दिल्ली उतरे। तुरन्त ही उन्होंने बायसराय व उनकी कार्यपालिका-परिषद् से मन्त्रणा की। इसके पश्चात् उन्होंने भारतीय दलों के नेताओं से वार्ता शुरू की और यह प्रभाव उत्पन्न किया के वे अन्तिम निर्णय करने के लिए कुछ निश्चित प्रस्ताव और सत्ता लाए हैं।

**प्रस्ताव (क) भविष्य के सम्बन्ध में—**—क्रिस्ट मिशन के उन प्रस्तावों को, जिनके अधार पर दातचीत आये वडी, दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग युद्ध के पश्चात् की परिस्थितियों से सम्बन्ध रखता था। उसमें निम्न योजनाएँ थी—(१) एक नए भारतीय संघ की स्थापना जिसे उपनिवेश का पूर्ण पद प्राप्त होगा और जाहे तो ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल रो सम्बन्ध-विच्छेद कर सकेगा। (२) युद्ध समाप्त होने के तुरन्त

बाद एक संविधान सभा को स्थापना जिरामे ब्रिटिश भारत और देशी रजवाडे दोनों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। (३) उस प्रयोजन के लिए प्रान्तीय विधानमण्डलों के निम्न मदनों के सम्मुण्ठ सदस्य एक निर्वाचक-मण्डल की हैसियत से बढ़ेंगे और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर विधान निर्माणी संस्था का चुनाव करेंगे। निर्वाचक मण्डल में जितने व्यक्ति होंगे, उसकी दरांवा सच्चा इस विधान निर्माणी संस्था में होगी। जहाँ तक राज्यों का सम्बन्ध है वे अपनी जन-संस्था के अनुपात से अपने प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे। (४) ब्रिटिश सरकार ने इस संस्था द्वारा तंशार किए गए संविधान को स्वीकार करके कार्यान्वयित करने का उत्तदायित केवल उमी हालत में लेने का निश्चय किया, जब कि निम्न धर्ते भी पूरी हीती हैं—(क) “यदि ब्रिटिश भारत का कोई प्रान्त नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे बत्तमान वैधानिक स्विति को बायम रखने का अधिकार रहे।” यदि किसी प्रान्त की विधानसभा ६० प्रतिशत बहुमत में सघ में रहने का निश्चय नहीं करती, तो उसकी सघ में प्रविष्टि का अन्तिम निर्णय जन-निर्णय के द्वारा हो सकेगा। नए संविधान में सम्मिलित न होने वाले प्रान्तों को सम्राट् की सरकार तथा संविधान देने के लिए तंशार होगी और (ख) सम्राट् की सरकार व विधान निर्माणी संस्था के बीच एक संविधि होगी।

(ख) बत्तमान के सम्बन्ध में—जहाँ तक संक्रान्तिकाल का सम्बन्ध है ब्रिटिश सरकार भारत की रक्षा “अपने विद्यव्युद्ध प्रयत्नों के एक युग के हृषि में अपने हाथ में रखेगी। परन्तु प्रभुत्व भारतीय दलों के नेताओं को अपने देश, ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल तथा मिथ-राष्ट्रों के सत्ताह-मराविरे में तुरंत और प्रभावोत्पादक ढग से भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया जाएगा।

क्रिस-प्रस्ताव समस्त भारतीय दलों द्वारा अस्वीकृत—एक और तो क्रिस और दूसरी ओर भारतीय दलों के नेताओं के बीच जो-जो विचार-विमर्श हुआ, उसके कल-स्वरूप जिन्न-प्रस्ताव को भारतीय लोकप्रत के प्रत्येक बर्मे ने अस्वीकार कर दिया। हिन्दू महामम्भा ने पृष्ठ द्वार से पाकिस्तान स्थापित करने की कुशल चैप्टा और भारत के समनुचिन्तित दलकानिस्तान का विरोध किया। मिस्म पाकिस्तान की स्थापना के पीछे विरोधी थे और उन्होंने कह दिया कि हम अखिल भारतीय नष्ट में पजाव के पृथक्करण का समर्त सभव उपायों से प्रनिरोध करेंगे। उदारवादियों तक ने दीर्घ मूँथी प्रस्तावों को यह कहकर कि वे ‘आत्म-निर्णय के उपहास’ हैं अस्थीर वर दिया।

कांग्रेस का हप्टिकोण—कांग्रेस ने प्रत्येक प्रस्ताव के विस्तृद धी जिसका नक्श भारत को खण्डित करना हो चाहे विवेक के आधार पर और चाहे भावना के आधार पर। क्रिस योजना का उद्देश्य “अनिवार्य महवा के विभाजनों की सम्भावना के दर

बाजे खोल देना था।”<sup>१</sup> ५६२ देशी रजवाड़ों को भारत संघ में सम्मिलित न होने का जो अधिकार परोक्षतः दे दिया गया था कांग्रेस ने उसका तीव्र विरोध किया। यह बात स्पष्ट थी कि राज्य नए संविधान के निर्माण में प्रतिगामी तत्वों का-न्सा काम करते लेकिन इस बात का कोई आश्वासन नहीं था कि वे संविधान की रचना के पश्चात् भारतीय अल्स्टर नहीं हो जाएंगे। स्पष्ट है कि जब तक ब्रिटिश साम्राज्यवाद “इन गढ़ों में अपना अड़डा जमाए रखता, भारत अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं कर सकता था।”<sup>२</sup>

संकान्तिकालीन प्रस्तावों के ऊपर वार्ता भंग——यद्यपि कांग्रेस का आदर्श सम्पूर्ण भारत की स्वतन्त्रता प्राप्त करना या और उसने क्रिस्प्र प्रस्ताव द्वारा पृथक्करण की भावना को प्रोत्साहित दिए जाने का विरोध किया लेकिन फिर भी वह ‘किसी भी प्रादेशिक इकाई को, उसकी इच्छा के विरुद्ध भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए विवश करने की भाषा में नहीं सोच सकती थी।’ इस प्रकार सम्भव था कि कांग्रेस दीर्घसूची प्रस्तावों के ऊपर अपनी स्वीकृति दे देती। इनके ऊपर वार्ता भंग नहीं हुई, लेकिन ताल्कालिक वर्तमान के समवय में जो प्रस्ताव थे, उनके ऊपर समझौते की वात-चीत दृट गई। वे प्रस्ताव ब्रिटिश नेकनीयती की कसौटी थे। यहाँ दो अनुलंघनीय कठिनाइयाँ उठ लाई हुई। कांग्रेस प्रधान के साथ अपनी पहली भेट के समय सर स्टैफ़र्ड क्रिस्प्र ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया था कि अस्यायी राष्ट्रीय सरकार के साथ बायसराय का सम्बन्ध बैसा ही होगा जैसा कि सन्नाट का ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल से होता है। लेकिन बाद में क्रिस्प्र अपनी इस बात से हट गए और उन्होंने कहा कि ऐसा मुहर-व्यापी वंघानिक परिवर्तन असम्भव है और बायसराय की निरंकुश शक्तियाँ ज्यों-की-ह्यों काथम रहेंगी। इससे एक नई रामस्या पैदा हो गई और समझौता असम्भव हो गया। दूसरी कठिनाई प्रतिरक्षा से समवय रखती थी। कांग्रेस की मांग थी कि “उस आक्रमण को देखते हुए जो हमारे सिर पर लटक रहा है, प्रतिरक्षा के ऊपर भारत का प्रभावशाली नियन्त्रण होना चाहिए।” यही वह कसौटी है, जिससे हम परस करते हैं। लेकिन ब्रिटिश सरकार बायसराय की कार्यपालिका-परिषद् में केवल एक भारतीय सदस्य को रखने के लिए तैयार थी, जिसके अधीन जन-संम्पर्क विभाग, सैन्य विवरण और युद्धोत्तर पुनर्निर्माण, पैदोल का नियन्त्रण, सेनिकों की सुख-सुविधाओं की व्यवस्था और कैण्टीन-संगठन आदि विषय होते। इन दोनों कठिनाइयों ने भारत की जनता का विश्वास करने और उसे सच्ची सत्ता हस्तान्तरित करने की ब्रिटिश सरकार की अनिच्छा स्पष्ट कर दिया।

१. जबाहरलाल नेहरू—“की डिस्कवरी आक इण्डिया”, पृ० ३८५।

२. एच० एन० क्रेल्सकोर्ड—“संजेकट इण्डिया”, पृ० ६७।

मुस्लिम लीग का हृष्टिकोण—मुस्लिम लीग ने भी क्रिस्म-प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उसने प्रपनी अस्वीकृति की घोषणा कांग्रेस के निएंव की प्रतीक्षा करने के बाद की। कहा जाता है कि मिठौ जिला ने मुस्लिमलोग की स्वीकृति के लिए एक प्रताव का मनविदा तंबार किया था। परन्तु जब कांग्रेस ने क्रिस्म-योजना को अस्वीकार कर दिया, तब उन्होंने उसे फाड़ डाना। उसने प्रताव में मुस्लिम लोग ने इस बात पर भन्नोप प्रकट किया कि नुस्लमानों के पृथक्करण के दावे को मान्यता दें दो गई है, लेकिन सम्पूर्ण क्रिस्म-योजना को उसकी जटिलवन्दी के कारण अस्वीकार कर दिया। लीग ने इस बात पर बत दिया कि ऐसे किसी जन-निर्णय में जिसका उद्देश्य यह तथ्य करना हो कि कोई प्राचीन भारतीय संघ में रहे या उसमें चला जाए, केवल गुप्तलमानों को ही बोट देने का अधिकार होना चाहिए। इस तरह से क्रिस्म अभिनव भवान हो गया। राष्ट्रवादियों की हटि में समस्त घटनावक नाटकीय प्रदर्शन-मात्र या जिमजा अभिनव यमेरिकन आलोचकों को मनुष्ट करने के लिए किया गया था। किस्म जिन प्रस्तावों को लाए, वे बड़े कठोर थे और उन्हे या तो पूरा-कान्पूरा स्वीकार किया जा सकता था अथवा पूरा-कान्पूरा अस्वीकार। इस प्रकार समझौते को गुजायश युस्तु ने ही नहीं रखी थी। पट्टाभि सीतारामय्या के शब्दों में, "उसमें प्रत्येक दल की नृग करने वाली थाने थी। कांग्रेस को प्रमन करने के लिए इन प्रस्तावों की पूर्व भूमिका में मद्दोंपरि औपनिवेशिक स्वराज्य व संविधान-भवा का उल्लेप या जिमे प्रारम्भ में ही विट्टि राष्ट्रभृष्टि से पृथक् हो जाने की घोषणा कर देने का अधिकार किया गया था। मुस्लिम लीग के विरोध में बड़ी बात यह थी कि किसी भी प्राग्त वो भारतीय संघ ने अनेक हो जाने का झक था। नरेशों को न केवल इस बात की प्राचारी थी कि वे चाहे ना इस संघ में पायिन हो या न हों वहिं संविधान भवा में रिकामनों के प्रतिनिधि भेजने का एक मात्र अधिकार भी उन्हें ही दिया गया था। उनमें बना हस्तान्तरित करने का इरादा विनकून नहीं था।"

## १००. 'भारत द्वोड़े' आनंदोत्तम

निष्ठ निराशा और अप्रत्यक्ष का बाताकरण—जिसे इसे में क्रिस्म बानी एक नारगी भग दुई और विष को वापस कुलापा गया तथा दस विषय में जो बाढ़-विवाद श्रिटिज मनद में हुआ। इन मनदे इस चिचार को मनवृत कर दिया कि यह सम्पूर्ण क्रिया-कलाप एक राजनीतिक पूर्तता-भाव थी जिमका उद्देश्य विष्व-नोक्षण की प्राप्ति में धून भोक्ता और पूर्व अनुमानित अवकलता का भार भारतीय जनता को ऊपर लाइ देना था। स्पष्ट है कि श्रिटिज नरसराव का इरादा वास्तविक भता को हस्तान्तरित करने का नहीं था। फलत देश निराशा, नि-मनवता और व्यवहर के गर्व में हूँ व

गया। यह राष्ट्र के लिए बहुत ही असन्तोषकर अवस्था थी क्योंकि पूर्व की ओर से आसन्न आक्रमण का भय था। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है—“जनता की निपट निराकाश को साहस और प्रतिरोध की भावना में बदलना आवश्यक था। यद्यपि इस गतिरोध का श्रीगणेश ब्रिटिश अधिकारियों के स्वेच्छाचारी आदेशों के विरुद्ध होता लेकिन उसे आक्रमणकारी के विरोध में भी परिवर्तित किया जा सकता था। निराकाश और दासता दूसरे की ओर भी इसी दृष्टिकोण को ओर इसी प्रकार की दीनता और तुच्छता को उत्पन्न करती।” अप्रैल, १९४२ के बीच में महात्मा गांधी ने उप्रतापूर्वक सोचना शुरू कर दिया। ‘भारत छोड़ो’ विचार उनके मस्तिष्क में जमने लगा और उन्होंने उसे ‘हरिजन’ में एक लेखमाला लिखकर विकसित किया।

‘भारत छोड़ो’ नारा—वे इस निष्कर्ष पर आ गए थे कि “भारत में ब्रिटिश साम्राज्य तुरंत समाप्त होना आवश्यक है।” केवल स्वतन्त्र भारत में ही आक्रमणकारी का विरोध करने की नैतिक शक्ति हो सकती थी। ६ जून, १९४२ को लुई फिशर से उन्होंने एक मैट में कहा था, “अंग्रेजों के यहाँ से चले जाने और न चले जाने के बीच का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन इसका यह आशय नहीं कि प्रत्येक अंग्रेज अपना दोस्रिया-विस्तर बांधकर हट जाए।” वे इस बात के लिए भी तैयार थे कि ब्रिटिश सेनाएँ स्वतन्त्र भारत की सरकार के साथ एक संधि करके यहाँ ठहरी रहें। लेकिन उन्होंने जिस बात पर बल दिया, वह यह थी कि अंग्रेज भारतीय जनता के हाथ में सत्ता हस्तान्तरित कर दें। नूँकि अंग्रेजों से यह आशा नहीं की जा सकती थी कि वे भारत छोड़कर चले जायें, इसलिए कुछ न कुछ कार्य बाही करनी आवश्यक थी। अब और निष्क्रियता असहा थी। ब्रिटिश सरकार के प्रति सक्रिय प्रतिरोध सरकार के युद्ध-प्रयत्न के रास्ते में आना आवश्यक था। किर भी यह निष्क्रियता की तुलना में श्रेष्ठकर था।

कांग्रेस महासभिति द्वारा पास किया गया ‘भारत छोड़ो’ प्रस्ताव—८ अगस्त १९४२—८ अगस्त, १९४२ को कांग्रेस महासभिति ने बम्बई में ‘भारत छोड़ो’ प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव में भारत की स्वतंत्रता की तत्काल स्वीकृति और ब्रिटिश शासन के अन्त की मांग की गई थी। प्रस्ताव में कहा गया था कि “ब्रिटिश शासन का स्थायित्व भारत की प्रतिष्ठा को घटाता और उसे दुर्बल बनाता है और अपनी रक्षा करने तथा विश्व स्वतंत्र्य के आदर्श की पूर्ति में सहयोग देने की उसकी शक्ति में क्रमिक हास उत्पन्न करता है……—स्वतंत्रता भारत को अपनी जनता की सम्मिलित इच्छा और शक्ति के बल पर आक्रमण का कारगर होंग से विरोध करने में

१. जवाहरलाल नेहरू—“दी डिस्कवरी आफ इंडिया”, पृ० ३३६।

नमर्थ यना देगी।" प्रस्ताव ने एक अस्थायी सरकार के निर्माण का मुकाबला दिया। "जिसका प्रथम कर्तव्य अपनो समस्त समस्त्र तथा अद्वितीयक शक्तियों द्वारा मित्र-राष्ट्रों में मिलकर भारत की रक्षा करना" होगा। अस्थायी सरकार जनता के समस्त वर्गों के लिए स्वीकार्य मविधान की रचना करने के लिए एक विधान-निर्माणी परिषद की योजना बनाएगी। यह संविधान मध्यीय होगा और जिसके अन्तर्गत यह में सम्मिलित होने वाले समस्त एककों को अधिकतम स्वाभत्ता प्राप्त होगी। अवगिष्ठ शक्तियों भी इन एककों में निहित होंगी। अन्त में प्रस्ताव ने यह स्वीकृति दी कि पदि त्रिटिय सरकार स्वतन्त्रता की माँग को अस्थीकार न करे तो अर्हाहमात्रक प्रणाली में अधिक ने अधिक विस्तृत परिमाण पर एक ऐसा आन्दोलन प्रारम्भ किया जाय जो अन्त में "भारत की स्वतन्त्रता और मुक्ति पर जाकर समाप्त हो।"

१९४२ की कान्ति—कांग्रेस महासमिति में दिए गए अपने भाषण में महात्मा गांधी ने घोषणा की कि यह संघर्ष 'करो या मरो' संघर्ष होगा। लेकिन यह लड़ाई पुली और अहसक लड़ाई होगी, उसमें गुप्त कुछ भी नहीं होगा। महात्मा गांधी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यह आन्दोलन प्रारम्भ करने से पूर्व यायसराय में चिलेंगे और मुख्य मित्र-राष्ट्रों गे अपील करेंगे। लेकिन सरकार ने उन्हे इसके लिए समर्थ नहीं दिया। सरकार की दमन करने की सारी योजनाएँ तंयार थीं और उसने कांग्रेस के ऊपर 'विशुद्ध' आक्रमण कर दिया। ६ अगस्त की शातः महात्मा गांधी और कांग्रेस कांप्रेसमिति के सदस्यों को गिरफतार कर लिया गया। कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया और चोटी के नेताओं की चारों ओर धर-पकड़ घुल हो गई।

जन-हिता और नीकरदाही दमन-चक्र—बस, यह जन-विद्रोह का सकेत-चिन्ह था। राष्ट्रीय नेताओं की निरस्तारी से कुछ जनता अपना समस्त मन्तुलन रो देंगे। पट्टामि सीतारामेया ने लिया है कि तीन वर्ष तक भारतवर्ष नरक बना रहा; चोटी के कांग्रेसी नेताओं की अनुपस्थिति में अर्हाहमक आन्दोलन घमघव था। सब प्रकार के तत्त्व आन्दोलन में कूद पड़े और जनता लूट-मार और तोड़-पोड़ के विष्वासात्मक कार्यों में सतत हो गई। पजाव, बिंब और पदियोनर मीमांप्रान्त को छोड़कर १९४२ की जन-कान्ति सारे भारत में तेजी में फैल गई। १०० डाकगानों, २५० रेलवे स्टेशनों और १५० थानों को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया गया। ३१ मियाही मार ढाले गए। बिहार में कई सप्ताह तक रेल यात्रा बंद रहा। प्रमिसों ने भी हड्डालें की। टाटा की लोहे की फैक्ट्री के सब जदूर १३ दिन तक हड्डाल पर ढटे रहे। मतारा और मिदनापुर जैसे कतिपय स्थानों में समानान्तर राष्ट्रीय सरकारों की शारता की गई। सरकार ने अपनी ओर से आन्दोलन का नृशास्त्रपूर्वक दमन करने में कुछ उठा न रखा। जगह जगह साठी-चांदे हुए और चंबगांव से गोतियां चढ़ाई गईं। पांच

स्थानों पर हृवाई जहाज से भीड़ पर गोली-बर्पा की गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ६५८ व्यक्ति मारे गए लेकिन इस संदेश में वे मृतक समिलित नहीं, जिन्हें भीड़ हटाकर ले गई थी। इस दमनचक्र ने खुले विद्रोह को तो देखा दिया लेकिन भूमिगत आनंदोलन कई महीनों तक चलता रहा और जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफग्रली तुल्य समाजवादी नेताओं ने उसका नारं-दर्शन किया।

महात्मा गांधी का उपवास (फरवरी, १९४३) और उनकी कारावास से मुक्ति (मई, १९४४) — महात्मा गांधी ने आगाखों किले से, जहाँ उन्हें गिरफ्तार करके रखा गया था, जनता के पामलपन और सरकार की पाश्विकता को आहत हृदय से देखा। १९४३ की अंतिम तिथि को उन्होंने बायसराय को एक पत्र लिखा और उसमें इस आक्षेप को स्वीकार दिया कि कांग्रेस हिस्सा के विस्फोट के लिए उत्तरदायी है। पत्र में उन्होंने समझौते की बातचीत करने का भी प्रस्ताव उपलिखित किया। लेकिन बायसराय ने जो कुछ हो चुका था, उस सबके लिए उन्हें और कांग्रेस को उत्तरदायी ठहराया। पत्र-व्यवहार का कोई फल नहीं निकला। महात्मा गांधी इस स्थिति को सहन नहीं कर सके। उन्होंने १० फरवरी, १९४३ को २१ दिन का उपवास प्रारम्भ कर दिया। उनकी बृद्धावस्था और दुर्बल स्वास्थ्य को देखते हुए उनके उपवास ने जनता को अपार चिन्ता में डाल दिया। लेकिन उनका उपवास सकुशल समाप्त हो गया जो कि डाकठरों की राय में चमत्कार से कम नहीं था। आगे के बारह महीनों में उनके विश्वस्त मन्त्री महादेव देमाई और पतिव्रता स्त्री कस्तूर बाबा का देहांत हो गया। अप्रैल, १९४४ में वह ज्यादा बीमार हो गए और सरकार ने उन्हें ६ मई, १९४४ को कारावास में मुक्त कर दिया।

#### १०१. वैदिल-योजना और शिमला-सम्मेलन (जून-जुलाई, १९४५)

अक्टूबर, १९४३ में लाई लिलिथगो का कार्यकाल रामाप्त हो गया और लाई वैदिल भारतवर्जे के बायसराय हुए। अपनी नियुक्ति के कुछ समय बाद उन्होंने घोषणा की कि “मैं अपने थैले में बहुत-सी चीजें ला रहा हूँ।” लाई वैदिल ने इस बात का भी अस्पष्ट संकेत दिया कि वह अपने साथ भारत की राजनीतिक समस्या का समाधान लेकर आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने थैले की १४ जून, १९४५ तक नहीं खोला। इसके पूर्व उन्होंने इंग्लैण्ड की यात्रा की और सन्धार की सरकार से सलाह—मणिरा किया।

नई योजना की पृष्ठभूमि—अब बायसराय के थैले से एक नयी योजना निकली। इस योजना का, जिसे भारतीयों ने बाद में एक और धूतंता कहकर सिरस्फूत कर दिया, परीक्षण करने के पूर्व उन परिस्थितियों की ओर ध्यान देना

आवश्यक है जो उमकी पृष्ठभूमि में थी। यूरोप में लड़ाई समाप्त हो गई थी और नियंत्रणों को विजय प्राप्त हुई थी। डंगरेण्ट का लोकमत अधिक दल की ओर भुजता जा रहा था। अधिक दल भारत के सम्बन्ध में एक नयी नीति का प्रतिपादन कर रहा था, उमका कथन था कि भारत को स्वतंत्रता मिल जानी चाहिए। नचिल की अनुदार दलीय भरकार इस घटनाचक्र को बेचैनी से देख रही थी। ११ नवम्बर, १९४२ को जिम चर्चिल ने कहा था “मैं सचाह का प्रधम मन्त्री ग्रिटिंग साम्राज्य का दिवाला निकालने के लिए नहीं बना।” वे बदल नहीं गए थे। हिम्मक पश्च कभी एकदर्शी का व्रत नहीं करता। लेकिन चर्चिल उहरे राजनीति-अखादे के कृपल मल्ल ! उन्होंने मतदाताओं की भावानुभूति अधिक दल की ओर से अपनी ओर करने के लिए एक निर्वाचन-चाल की आवश्यकता समझी। यही वैवित-योजना और शिमला-सम्मेलन की पृष्ठभूमि है।

योजना को शर्तें— १४ जून, १९४५ को लाई वैविल ने भारतीय जनता के नाम एक भाषण ब्राइकास्ट किया। उसमें उन्होंने अपनी जिम योजना की घोषणा की, उमकी मुस्य वाले निम्नलिखित थी—(१) ग्रिटिंग भरकार के राजनीतिक गतिरोध को दूर करना व उसे “स्वशासन के नियम की ओर अप्रभाव करना” चाहती है। (२) इस नियम को हाई में रखते हुए वायसराय की कार्यकारिणी-परियद के मदस्यों की एक नई गूची तंगार की जाए। जिसके मद मदस्य-बदली वायसराय और प्रधान मेनापति को छोड़कर (जो युद्ध-मन्त्री बना रहे थे) भारत के राजनीतिक नेता हों। (३) वंदेगिरि मामलों का विभाग (मीमांसा और कवायली मामलों को छोड़कर) परियद के भारतीय सदस्य के हाथ में होगा। (४) परियद में भवण हिन्दुओं और मुमलमानों की स्थिता होगी। (५) कार्यकारिणी परियद अन्तर्कालीन राष्ट्रीय भरकार के करीब होगी और गवर्नर जनरल “नियंत्रणाधिकार का प्रयोग अकारण नहीं करेगा।” (६) गवर्नर जनरल वी दोहरी हिति में उनके भारत भरकार के प्रधान और भाव ही विटिंग हितों के प्रतिनिधि होने के कारण, जो दुविधा उत्तर्व हो सकती है, उने दूर करने के लिए अन्य उत्तरियों के नाम भारत में घब्रेजी वालिष्य तथा दूसरे हितों की रक्षा के लिए हाई कमिशनर नियुक्त किया जाएगा। (७) इन प्रस्तावों में भारत के भावी स्थायी मधिष्ठान

१. यही भोलभाई-नियासुत मली पंक्त की, जिन पर ११ जनवरी, १९४५ को हस्ताक्षर हुए, चर्चा करना आवश्यक है। इस पंक्त में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समानता के आधार पर केन्द्र में एक प्रशार्कालीन भरकार की स्थापना का प्रस्ताव किया गया था। यह गोवा गया था कि इन गमनीयों को यहारमा गाढ़ी वीरता प्राप्त है।

या संविधानों के स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनकी रचना भारतीय अपने आय करेगे।

योजना का कार्य-क्षेत्र—यह स्पष्ट है कि बैंकिल-योजना ने लम्बे समय से चली आती हुई भारतीय स्वतन्त्रता की समस्या पर कोई हल पेश नहीं किया। उसका कार्य-क्षेत्र वर्तमान तक ही समिति या और उसके प्रस्ताव वही थे जो कि क्रिप्स-योजना के अन्तर्कालीन प्रस्ताव थे। क्रिप्स के दिनों में प्रश्न या—भारतीयों को कितनी शक्ति दी जाय? इस बार यह प्रश्न न होकर भारतीयों के बीच व्यक्ति अलग-अलग दो भागों में बांट देने का प्रश्न था। मुख्य समस्या नयी कार्यपालिका परिषद् को सदस्य संख्या की थी।

शिमला-सम्मेलन—बायसराय ने शिमला में २२ प्रतिनिधि भारतीयों का एक सम्मेलन<sup>१</sup> बुलाया। सम्मेलन २६ जून को आशामय बातावरण में प्रारम्भ हुआ। लेकिन “शीघ्र ही वह मतभेद जो सदैव पृष्ठभूमि में रहा था, फिर सम्मुख आ गया।”<sup>२</sup> कांग्रेस ने हिन्दू-मुस्लिम समानता की शर्त स्वीकार कर ली लेकिन मिं० जिन्ना इस बात पर अड़ गए कि कार्यपालिका परिषद् के लिए मुस्लिम सदस्य यन्त्रोनीत करने का अविकार केवल मुस्लिम लीग को मिलना चाहिए। कांग्रेस ने इस दावे का विरोध किया क्योंकि उसकी स्वीकृति का यह आवश्य होता कि कांग्रेस भी एक विशुद्ध हिन्दू संस्था है और उसका कोई राष्ट्रीय स्वरूप नहीं है। पंजाब के मुख्य मन्त्री मलिक खिज्ज हयात खां ने भी मिं० जिन्ना के दावे का विरोध किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि कार्यपालिका परिषद् में पंजाब को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन मिं० जिन्ना किसी तरह समझौता करने के लिए राजी नहीं हुए।

मिं० जिन्ना की हठबर्मी की चट्टान से टकराकर शिमला-सम्मेलन चूर-चूर हो गया। लाडू बैंकिल ने १४ जुलाई को उसके भर्ग होने की घोषणा कर दी। इस प्रकार वैधानिक गतिरोध को दूर करने की एक और चेष्टा निष्पक्ष हो गई। सफलता अथवा असफलता की कुंजी एक बार फिर मुस्लिम लीग के हाथों में दी गई थी। मिं० जिन्ना ने बैंकिल-योजना का तिरस्कार किया और उसे एक ‘जाल’ बताया जिसको स्वीकार करने से पाकिस्तान की प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता।

१. शिमला-सम्मेलन में जो व्यक्ति आमन्त्रित किए गए थे, उनमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अध्यक्षों के अलावा समस्त प्रान्तों के मुख्य मन्त्री और भूतपूर्व मुख्य मन्त्री, भूलाभाई देसाई, लियाकत अली खां, बी० शिवराज और मास्टर ताराराम ही शामिल थे।

२. पोलक—“महात्मा गांधी”, पृ० २६०।

## सारांश

मितम्बर, १९३६ में द्वितीय विद्युत का ज्वालामुखी पूट पड़ा और वायमराय ने केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय विधान मण्डलों में परामर्श किए जिना ही यह घोषणा कर दी कि भारत भी जर्मनी के विद्युत युद्ध में शामिल है। कांग्रेस ने इस अनोकतम्भात्मक कार्यवाही का पोर विरोध किया। उसने विटिंग सरकार से मांग की कि वह ग्रापने युद्ध-उद्देश्यों को स्पष्ट करे। चूंकि इंगरेज कहने को स्वतंत्रता तथा लोकतन्त्र की रक्षा के लिए लड़ रहा था, इसलिए कांग्रेस ने इंगरेज से मांग की कि वह भारत को स्वतंत्र गढ़ घोषित कर दे। कांग्रेस की हटिंग ने स्वतंत्रता की घोषणा इनलिए आवश्यक थी ताकि भारत की जनता को उग नढ़ाई के बारे में, जो उगकी अपनी थी, उन्माह उत्पन्न हो जाए।

सरकार ने इस मांग का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। मध्याद, भारत-मध्यी और गवर्नर जनरल बचन बम्बन्ड द्विग लेकिन उनके बतावों में यह पुरानी याते थे और भारतीय स्वतंत्रता के प्रस्तुत को कोई चर्चा नहीं की गई थी। फलत आठो प्रान्तों के कांग्रेसी भवित्वमण्डलों ने त्यागयन दे दिया।

अपने वक्तव्य द्वारा उत्पन्न किए गए तीव्र विरोध में परेशान होकर वायमराय ने अगस्त प्रस्ताव (१९६०) की पोषणा कर दी। भारत भी बचन दिया गया कि युद्ध की समाजिक दबावीय उत्तराधिकारी विभिन्नताओं एवं दिया जाएगा और नागरिक भान के निर्माण बरने का उत्तरदायित्व भारतीयों के बन्दे पर होगा। जहाँ वह बरन-मान का मन्दवध्य था, वायमराय की यही हुई कांग्रेसियों द्वारा दिया गया। इस वर्तने का उत्तर, जो भारत की प्रतिरक्षा में महिल गहर्योग चाहते थे, एक प्रतिपादन था।

महात्मा गांधी ने गोमित्र व्यक्तिगत मत्यापह आदोलन मुख किया जो केवल उत्तिक विरोध की अभिल्पिता था। इसमें आठिंगा के पासन पर विनेप यत्न दिया गया था और केवल कुछ यह दूष मत्याप्रहियों को मत्यापह करने की अनुमति दी गई थी।

दिग्म्बर, १९४१ में जापान लड़ाई में कुट पड़ा। इसमें मित्र-राष्ट्रों द्वारा भारत का एक्सिद्रु गहर्योग निताना मायद्यर हो गया। परंतु इसके लोकतन्त्र ने इंगरेज के ऊपर यह दबाव ढाका कि वह भारत के माध्यमिक

व्यवहार करे। अमेरिकन लोकमत के दबाव में पड़कर क्रिटिश सरकार ने भारत के वैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सर स्टैफर्ड क्रिस्टो को भारत भेजने का निश्चय किया। क्रिस्टो-योजना ने युद्ध के पश्चात् भारत की स्वतंत्रता का दबाव दिया, लेकिन इसके साथ-ही-साथ पृष्ठ द्वार से पाकिस्तान की स्थापना करने की भी चेष्टा की। वर्तमान के सम्बन्ध में उसने कार्यकारिणी परिषद् के भारतीयकरण का प्रस्ताव किया। लेकिन नई परिषद् के साथ उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल का-सा व्यवहार नहीं किया जाने को था। इसके अलावा प्रतिरक्षा विभाग अंग्रेजों के ही हाथों में रहने को था। भारत के मध्ये राजनीतिक दलों ने क्रिस्टो-योजना को अस्वीकार कर दिया।

भारतवर्ष में लोगों की आम धारणा यह थी कि क्रिस्टो-कांड जनता की अखिलों में भूल भाँकने का एक प्रस्ताव-मात्र था। जिस हंग से समझौते की बातचीत भंग हुई, उसने सारे देश में अमन्त्रोप की एक लहर पैदा कर दी। ८ अगस्त, १९४२ को कांग्रेस महासभिति ने 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पास कर दिया और महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसात्मक प्रणाली से आनंदोलन चलाने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह कांग्रेस महासभिति के सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए और सारे देश में प्रमुख कांग्रेसी नेतृत्वों की धर-पकड़ शुरू हो गई। इससे जनता उत्तेजित हो गई और वह अपना सम्मुखीन खो दैठी। उसने कुछ हिसाबमक कार्यवाहियाँ की। सरकार ने अपने घमन-चक्र को पूरे बेग से चलाया और खुले विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त की। लेकिन भूमिगत आनंदोलन कई महीनों तक चलता रहा।

जून, १९४५ में जर्मनी के परामर्श होने पर युद्ध समाप्त हो गया। इंगलैण्ड में अब साधारण निवाचन होने वाले थे और लोकमत का पलड़ा अमिक दल की ओर झुकता मालूम पड़ता था। ऐसी स्थिति में सरकार बैंबिल-योजना लेकर सामने आई। इस योजना के ऊपर भारतीय नेताओं के साथ शिमला-सम्मेलन में विचार-विनिमय किया गया। योजना में भारतीय स्वतंत्रता की समस्या के ऊपर कोई प्रकाश नहीं ढाला गया था। इसमें मुख्यतः वर्तमान के ही सम्बन्ध में कुछ प्रस्ताव थे और वायसराय की कार्यपालिका परिषद् ली पुनर्वचना की बात कही गई थी। योजना में कहा गया था कि वायसराय और प्रधान सेनापति को छोड़कर नई परिषद् के शेष सब सदस्य भारतीय होंगे, सबसे हिन्दूओं और मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। शिमला-सम्मेलन वड़े ग्रामीण बातावरण में प्रारम्भ हुआ था। लेकिन मिठौ जिन्ना की हठ-धर्मी के कारण आसफलता के साथ समाप्त हो गया। मिठौ जिन्ना का कबन था कि कार्यपालिका परिषद् के मुस्लिम सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार केवल मुस्लिम लीग को ही मिलना चाहिए। कांग्रेस इस दबे को स्वीकार नहीं कर सकी।

## स्वतन्त्रता और विभाजन

### १०२. पृथक्तावाद से पृथक्करण को ओर

मुस्लिम राजनीति में एक नया ओड़—१६३८ में मुस्लिम राजनीति के प्रवाह की दिशा में एक नया और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। हम देख चुके हैं कि मुस्लिम पृथक्तावाद किस प्रकार अवश्य: देश की सामाजिक, आर्थिक दिशाओं से लेकिन मुश्यतः आग्ने-भारतीय नोकरशाही के प्रोत्साहन में प्रादुर्भूत होकर भारत के गढ़वाली आनंदी-वन की प्रगति में रोड़े अटका रहा था। १६३८ तक मुस्लिम मामलायिकता की मार्गे पृथक् नियन्त्रिक मण्डलों विभान मण्डलों में भारावनत प्रतिनिधित्व और लोक-मेवाओं में नंखाएं तक ही सीमित थी। मिठा जिना की चौथे गठने दम वर्षे तक राष्ट्रवादी दल से पृथक् रहने वाले मुसलमानों की महत्वाकांधाओं का प्रतिनिधित्व करती रही। ये मार्गे राष्ट्रविरोधियों होने हुए भी नयुक्त भारत की मान्यता पर आधित थी। हूनरी गोलमेज परिषद के भवन पर मुस्लिम प्रतिनिधियों ने रहमन गर्नी की पाकिस्तान मम्पत्ती योजना के बारे में कहा था कि यह ही लाली 'द्वारा की योजना' है और मवेथा 'काल्पनिक तथा अव्यवहार्य' है। जब १६३५ का अधिनियम पास हुआ, मिठा जिना ने प्रस्तावित नघ को 'पूर्णतः अस्वीकार्य' घोषिया। लेकिन उनका आधेप यह नहीं था कि अधिनियम ने पृथक् मुस्लिम राज्य की मान्यता को स्वीकार नहीं किया, परिवृत्त यह था कि उनके जैव उत्तरदायी गान्धन की स्थापना नहीं को।

विभाजन की मार्ग—१६३८ के जाइ के पदचात् मुसलमानों के बन में एक नया और विद्यालय के आकार ग्रहण करने लगा।<sup>१</sup> यह नया मिडान्ट डि-राष्ट्र गिदान्त था। मुस्लिम सोंग ने देश के विभाजन की मार्ग नामने रखी। अब भारतीय मुसलमान 'मम्रदाय' या मल्लमस्यक गण नहीं रहे, वे अनायाम ही पूर्ण विवित राष्ट्र बन गए जिसे दो लड्डो बाने पाकिस्तान के द्वारा वे अपने निए एक राष्ट्रीय गृहदेश की मार्ग करने का अधिकार प्राप्त था। मिठा जिना 'कायदे प्राज्ञम्' हो गए और मपुन भारत के आधार पर भभनोते के सारे प्रभल उनकी हृष्ट-पर्म जो चट्टान से टकराकर धूर-धूर हो गए।

१. रूपनेट—“इण्डिया, ए रिस्टेटेप्ट” पृ० १८८।

## १०३. पाकिस्तान की माँग को जन्म देने वाले कारण

'मुस्लिम लीग' की राजनीति की तरफा में 'विद्यमान'—विभाजन की माँग का अभिप्राय भूतकाल से स्पष्टतः सम्बन्ध-विच्छेद था। लेकिन वह ठीक ही कहा गया है कि पाकिस्तान पृथक्तावाद की नीति का स्वाभाविक निष्कर्ष था। "मुस्लिम लीग" ने अपने भवन की रक्षा-कब्जों की बढ़ती हुई खुराकों तथा अन्य वहूत-सी तरकीबों से द्वारा उत्तेजित की गई पृथक्तावादी भावना की नींव पर खड़ा किया था।"<sup>१</sup> रक्षा-कब्जों द्वारा जो कुछ भी प्राप्त किया जा सकता था, १९३७ तक वह सब प्राप्त कर लिया गया था। मुस्लिम लीग एक प्रतिक्रियावादी संस्था थी, उसके ऊपर मुस्लिम नरेशों, जमीदारों, उद्योगपतियों तथा अन्य दूसरे प्रतिगामी तत्वों का नियन्त्रण था। उसके पास सामाजिक और आर्थिक सुधार का कोई कार्यक्रम नहीं था फिर वह मुस्लिम जनता को किस प्रकार अपनी ओर आकृष्ट करती? उसके ऊपर किस प्रकार अपना प्रभाव जमाती? स्पष्ट है कि एक नए नारे की आवश्यकता थी। "पृथक् मत, पृथक् निवाचन-मण्डल, पृथक् प्रान्त, स्टेट्यूटरी रक्षा-कब्ज भवकी माँग की जा चुकी थी और पूरी हो चुकी थी। अमला तक-सम्मत कदम"<sup>२</sup> पृथक् राज्यों की माँग करता था। यह मुस्लिम लीग की राजनीति की तरफा में विद्यमान था।<sup>३</sup> पाकिस्तान की माँग चाहे तांकिक हृष्टि से मूर्खतापूर्ण, भाँगोलिक इरिट में दुर्बल, आर्थिक हृष्टि से विनाशकर और अल्पसंख्यक वर्गों की समस्या के नमाभान के रूप में सर्वथा अस्वीकार्य ही बयों न रही हो, परन्तु वह हिन्दू-मुस्लिम तनाव को अवश्य ही प्रचंपण रख सकती थी और मुस्लिम जनता को लीग के भण्डे के नींवे एकत्र करते में समर्थ थी।

कांग्रेस और संयुक्त मन्त्रिमण्डल बनाने का प्रश्न—यह सही है कि पृथक्तावाद का 'तक' मुस्लिम लीग को पाकिस्तान के लक्ष्य की ओर खींच रहा था, लेकिन हमें यह भी न भूलना चाहिए कि कतिपय अन्यान्य कारणों ने इस प्रक्रिया की गति तीव्र कर दी। इन कारणों में से एक कारण १९३५ के अधिनियम के अधीन कांग्रेस के बहुमत वाले प्रान्तों में लीग और कांग्रेस के संयुक्त मन्त्रिमण्डल बनाने का प्रबन्ध था। ऐसा मालूम पड़ता है कि १९३७ के निवाचन के पूर्व कांग्रेस लीग सहयोग के बारे में कुछ अस्पष्ट सा समझौता था। मिं जिन्ना ने स्वतन्त्र दलों के बीच जेन्य सहयोग के आधार पर कांग्रेस के साथ मिलकर संयुक्त मन्त्रिमण्डल बनाने की इच्छा व्यक्त की थी। उन्होंने लिखा था—“वस्तुतः इस समय कांग्रेस और लीग में किसी प्रकार का

१. मेहता और पटवर्धन—“दी कम्युनल ट्रायंगल”, पृ० ११६।

२. मेहता और पटवर्धन—वही, पृ० ११६।

कोई मारभूत अन्तर नहीं है... हम कायेम के इनमात्रमें कायेकम में मद्देन भृप्त पह-योग देंगे।”<sup>१</sup> लीग “विश्वामूर्खक वह यामा करती थी कि उनमें कायेम के माय-मयुक्त मन्त्रिमण्डल बनाने के लिए कहा जाएगा।”<sup>२</sup> कायेम के पास में आशानुरूप आमन्त्रण आया। लेकिन कायेम ने नयुक्त मन्त्रिमण्डल बनाने के लिए योग के मामने (पू० १०) में कुछ गते रखी। वे गते निम्नलिखित थे, (१) “नुस्लिम नीम गुट”<sup>३</sup> एक पृथक् गुट की तरह काम करना बन्द कर देगा, (२) नयुक्त-प्रान्त को विधान यमा में मुस्लिम लीग के जो वर्तमान बदल्य हैं, वह कायेम दल के भाग हो जाएंगे और... उन्हे कायेम दल का नियन्त्रण व अनुगामन मानना होगा, (३) मयुक्त प्रान्त का मुस्लिम लीग बनाव नियत भग बार दिया जाएगा और भविष्य में इस नियाय द्वारा किसी भी उप-नियोजन में विद्यम स्वेच्छा नहीं किया जाएगा।”<sup>४</sup> वंधानिक हृष्टि में और याधारण ममदीय पापदण्डो द्वारा कायेम की कामेवाही का घोचन्य मिठ निया जा सकता था।<sup>५</sup> चूंकि कायेम के पास यहुमन काफी था, अतः वह मुस्लिम भीमियों को अपनी जाती के अलावा अन्य किन्हीं जातों पर लेने पर वाद्य नहीं थी। कायेम का विद्वान था कि उमकी गते नियमण्डलों के अनुगामन की हृष्टि में आवश्यक थी। इनके द्वारा मन्त्रिमण्डल शामूहिक उत्तरदापित्व के मिळान पर काम कर सकते थे। लेकिन कायेम के आलोचकों ने उसे ‘विजयोन्मत’ बताया। मुस्लिम नीम ने इन जातों पर, जिनका अभिप्राय उनका विषय और कायेम में विशीकरण था, महयोग देने में इनकार कर दिया।

यह सदिम्य है कि कायेम और मुस्लिम नीम के बीच जैन व्यवहारिक था। तथापि, यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि मन्त्रिमण्डल में हिंसा न मिलने से मुस्लिम लोग अत्यन्त अवगुट हुए। कूपतंड के अनुनार यह मिंट्रिन्स का ‘प्रत्यक्ष तिरस्कार’ था।<sup>६</sup> उन्होंने कहा—“मुमन्यान कायेम मरकार की अधीनता में न तो न्याय की ही ओर न सबके साथ समाज व्यवहार की ही धारा कर सकत है।” किसी समय उन्हे हिन्दू-मुस्लिम-एतता का दूत कहा गया था, अब वह कायेम-याजम, ‘साम्प्रदायिक अहंकार और कलह के प्रतीक’ हो गए। उन्होंने कायेम की कठोर-म-कठोर आलोचना गुरु कर दी, उसे कामिल्ल हिन्दू सभ्या बताया और कहा

१. मध्योद—“जिन्ना”, पू० ४५६।

२. माइमण्डू—“दी मैकिन यांक पाकिस्तान”, पू० १३।

३. दी हिन्दुस्तान टाइम्स—३० डिसें, १९३३।

४. माइमण्डू—“वही”, पू० ५८।

५. कूपतंड—“इण्डिया, ए रिस्टेटपेट्ट”, पू० १८३।

कि वह 'देश के अन्य दलों, विशेषकर मुस्लिम लीग को कुचलने पर तुली हुई है।' भारतीय इतिहास के एक युग-विधायक अवसर पर समन्वयमूलक दल ग्रहण करने में कांग्रेस की असफलता का उल्लेख करते हुए साइमण्डस ने लिखा है, "पाकिस्तान के निमित्त में इससे अधिक और किसी एक घटना ने सहायता नहीं दी।" यह कथन स्पष्टतः अतिशयोक्ति है, फिर भी इसमें सत्य का थोड़ा अंश अवश्य है।

कांग्रेस का जनसम्पर्क आन्दोलन—जबाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में प्रारम्भ किए गए कांग्रेस के जनसम्पर्क आन्दोलन ने भी मुस्लिम लीग को बिद्रोही बना दिया। कांग्रेस ने इस बात पर बल दिया कि देश के सामने असली समस्या साम्प्रदायिक नहीं अपितु आर्थिक है और मुस्लिम जनता को अपने साथ मिलाने की कोशिश की। कुछ समय तक यह आन्दोलन जोरों से चला और कांग्रेस में मुस्लिम सदस्यों की संख्या दड़ने लगी। लेकिन शीघ्र ही इसकी प्रतिक्रिया भी शुरू हो गई। मुस्लिम लीग ने इस आन्दोलन को अपने अस्तित्व के लिए एक छुनौती समझा। मिं० जिन्ना के अनुसार इस आन्दोलन का लक्ष्य मुसलमानों में फूट डालना, उन्हें दुर्बल करना और उन्हें अपने विश्वसनीय नेताओं से पृथक् करना था। लीग के पास कोई आर्थिक कार्यक्रम तो था नहीं, फलतः उसने 'इस्लाम खतरे में है' का नारा बुलन्द किया और 'तर्कहीन अदील की टेकनीक' का आवय लिया।<sup>१</sup> उसने कांग्रेस के विरुद्ध जी खोलकर प्रचार किया, उसे प्रत्यक्ष सिद्ध हिन्दू तानाजाही बताया जिसकी अधीनता में मुसलमानों की स्थिति युलामों से भी बदतर हो गई थी। मुस्लिम लीग इस तथ्य को जानबूझकर भूल गई कि कांग्रेसी प्राणियों के कुल ३५ मन्त्रियों में से ६ मन्त्री मुसलमान थे और ५ मन्त्री दूसरे अल्पसंख्यक वर्गों के प्रतिनिधि थे।

हिन्दुओं के 'अत्याचार' का डिढ़ोरा—मुस्लिम जनता के बीच उद्देश की एक लहर व्याप्त हो जाए, इस ग्राम्य से मुस्लिम लीग ने हिन्दुओं के 'अत्याचार' का अपनी पूरी चिंता के साथ डिढ़ोरा पीटा। कांग्रेस को पद ग्रहण किए हुए मुस्लिम लीग ने पीरपुर के राजा साहब की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की जिसका उद्देश्य मुसलमानों, विशेषकर लीग के कार्यकर्ताओं के साथ किए गए दमन और अत्याचार की शिकायतों की जांच करना था। १५ नवम्बर, १९३८ को समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में समिति ने मुसलमानों के कपड़ों की एक लम्बी सूची दी और निष्कर्ष निकाला, "वहुमत के अत्याचार से बढ़कर और कोई अत्याचार नहीं हो सकता।" कांग्रेस ने प्रस्ताव किया कि अभियोगों की निष्पक्ष जांच कराई जाए लेकिन लीग ने बायसराय से अत्याचार निवारण

१. मेहता और पटवर्णन—वही, पृ० १२०।

करवाना अधिक योग्यकर समझा। यह नहीं मात्र हम कि वायसराय ने लीग द्वारा कांग्रेस पर लगाए गए अभियोगों के ऊपर कोई कार्रवाही की थी नहीं। इस सम्बन्ध में सरकार या जो हृष्टिकोण था, उसे मंत्रिवद प्राप्त के गवर्नर मर हंडी हुग ने अपने पद से अलग ही जाने के बाद प्रकट किया। उन्होंने “कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल के विवेक और विचारपूर्ण नीति की प्रशंसा की।”<sup>१</sup> प्रो० कूफनैण्ड ने भी, जो कि कांग्रेस के किसी प्रकार हिमायती नहीं है, लिखा है कि कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने नाम्प्रदायिक अन्याय अथवा उत्तीर्ण की नीति का विलकुल अध्ययन नहीं किया था।<sup>२</sup> मुस्लिम लोग का अपने निरवेक अभियोगों की मचाई अथवा निष्पक्ष जांच की आवश्यकता से कोई नाला नहीं था। उसने उत्तीर्ण की पाया को मुस्लिम जनता पर अपना प्रभाव बनाए रखने और कांग्रेस को पराजित करने के लिए अस्तमन्त उपादेशी पाया। दुर्भाग्यवश १६३३ और १६४० के वर्षों में लीग की यह टेक्नीक नफल हो गई। इस दीच मुस्लिम स्थानों के लिए जो ६१ उपनिवासित हुए, उनमें लीग ने ४३ और कांग्रेस ने केवल १४ स्थान प्राप्त किए।

**हिन्दू-साम्राज्यिकता—**पाकिस्तान की मांग के रूप में मुस्लिम पूर्थकतावाद की पराकारा के लिए कुछ अंतरों में हिन्दू-महामभा जैसे कलिय संगठन भी दीपी है। प्रारम्भिक चरणों में महामभा के नेता ग० मदनयोहन मालवीय और लाला लालावत-राय जैसे प्रमुख राष्ट्रियादी थे और उनका मुख्य उद्देश्य कांग्रेस को शक्ति को बढ़ाना था। १६३४ में अपने अव्यक्तिय भाषण में प० मालवीय ने कहा था, “यदि किसी हिन्दू ने कांग्रेस का विरोध किया, तो वह सज्जा की बात होगी।” लेकिन धोरंधोरं कट्टर-पक्षी और प्रतिक्रियावादी तत्वों ने महामभा के ऊपर अपना प्रमुख स्थापित कर लिया। १६३५ में ध० डी० लालरकर ने हिन्दू राष्ट्र के अपने मिशनर का प्रचार करना शुरू कर दिया। १६३६ में उन्होंने कहा, “भविष्य में हमारी राजनीति यिगुड़तः हिन्दू राजनीति होगी।” इसमें कोई अनेह नहीं कि हिन्दू नाम्प्रदायिक राष्ट्रधारा मुस्लिम पूर्थकतावाद की प्रतिक्रिया था। उसने नाम्प्रदायिक कलह की प्राप्त तो नहीं कूंकी, लेकिन उसकी इबानामी को प्रवर्द्ध ढंका रखा और मुस्लिमानों को पाकिस्तान की ओर बढ़ने में बोरित किया।

**घंपेजो का हाथ—**भारत के विभिन्न महाप्रभुओं ने नाम्प्रदायिक विद्वेष की वृद्धि में नश्वर घ्राधिक योगदान दिया। उन्होंने भारत की इन दोनों जातियों के दूदद में एक दूनरे के प्रति भविष्यकान पैदा किया और इस भविष्यकान को बढ़ाया। मेहता और

<sup>१</sup> राजेन्द्रप्रगाढ़—“दण्डन भास्त”, प० २२५।

<sup>२</sup> कूफनैण्ड—“इण्डिया, ए. रिस्टेटमेण्ट”, १६५।

पटवर्धन के शब्दों में, "पाकिस्तान का विचार अंग्रेज भारती नौकरशाही के लिए नया नहीं था।"<sup>१</sup> १९३६ में एडवर्ड थामसन ने बड़े विस्मय के साथ इस बात को नोट किया था कि "कतिपय सरकारी पदाधिकारी पाकिस्तान के विचार के प्रति बड़े उत्साही थे।"<sup>२</sup> १९४० के पश्चात् जबकि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को अपना लक्ष्य घोषित कर दिया था, उसने ट्रिटिश सरकार में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन प्राप्त किया। अनुदार बल के भारत-सन्त्री मिठा एमरी पाकिस्तान की माँग के प्रति सहानुभूति रखते हैं, ऐसा प्रब्लेम था। अपने सार्वजनिक भाषणों में वह हिन्दू-मुस्लिमानों के मतभेदों का खूब जोर-झोर से उल्लेख किया करते थे। एक अवसर पर उन्होंने कहा था, "भारतीय स्वतन्त्रता के भावी आगार में कई भवनों के लिए स्थान है।" यह हम पहले देख ही चुके हैं कि क्रिप्टा-प्रस्ताव ने विभाजन की सम्भावना को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर दिया था। ट्रिटिश सरकार के प्रबलताओं ने बाद की अमस्त उद्घोषणाओं में अधिकत भारत का निहंपण किया यद्यपि वे दिखाने की एकता के आदर्श के गीत गाते रहे।

#### १०४. हिं-राष्ट्र-सिद्धान्त

**सिद्धान्त का विवरण**—मुस्लिमानों को पाकिस्तान की माँग और नवाक्षित हिं-राष्ट्र-सिद्धान्त का १९३७ और १९४० के बीच में विकास किया गया। मिठा जिन्ना ने मुस्लिम लीग के लाहीर अधिकेशन में (१९४०) अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए हिं-राष्ट्र-सिद्धान्त का स्पष्ट रूप से बरांग किया। उन्होंने कहा, "वे (हिन्दू धर्म और इस्लाम) शालिक अर्थ में धर्म नहीं हैं प्रत्युत्तर ये दो पृथक् और स्पष्ट सामाजिक व्यवस्थाएँ हैं। हिन्दू और मुस्लिम कभी एक बंयुत राष्ट्र के रूप में रह सकते हैं, यह कोरा स्वप्न है। हिन्दुओं और मुस्लिमानों के धार्मिक सिद्धान्त, सामाजिक रीति-रिवाज, दर्शन और राहित एक दूसरे से संवेद्य पृथक् हैं। उनका परस्पर रोटी-बेटी का सम्बन्ध नहीं है। वस्तुतः दोनों की परस्पर विरोधी भावनाओं पर आधारित सम्पत्ताएँ पृथक्-पृथक् हैं। जीवन पर दोनों भिन्न प्रकार हो विचार करते हैं। दोनों के जीवन भव्यत्वी हिंटिकोस्ट में अन्तर है। यह स्पष्ट है कि हिन्दुओं और मुस्लिमानों को पृथक्-पृथक् ऐतिहासिक आधारों से प्रेरणा मिलती है। उनकी पुरातन गाथाएँ, उनके बीर और उन बीरों की कहानियाँ पृथक्-पृथक् हैं। प्रायः एक का बीर दूसरे का शत्रु माना गया है। और एक की विजय दूसरे की पराजय। ऐसे दो-दो राष्ट्रों को एक राष्ट्र में भूंधने का प्रयत्न, जिसमें एक अलपसंबद्ध है, दूसरा बहुसंबद्ध, अवश्य असल्लोष उत्पन्न करेगा और उस

१. मेहता और पटवर्धन—वही, पृ० ७८।

२. आमसंग एनलिस्ट—"इंडिया कार फीडम", पृ० ५६।

शासन-व्यवस्था का अन्त करके छोड़ेगा, जो ऐसा राज्य बनाने का प्रयत्न करेगी।<sup>१</sup> इस मिदान्त ने उन सबकी, जो भारत के दो गृथक्, एक हिन्दू और एक मुस्लिम, राज्यों के रूप में विभाजन के समर्वक थे, एक नया आधिकार दिया। अनीण्ड के महामन्द अफजल हुमेन कादरी और प्रोफेट जफरल हरान ने यह दावा किया कि "भारत के मुगलमान स्वतः एक-राष्ट्र है। हिन्दुओं तथा अन्य गैर-मुसलमान दोनों से उनका राष्ट्रीय मुगलमान स्वतः एक-राष्ट्र है। हिन्दुओं तथा अन्य गैर-मुसलमानों से उनका राष्ट्रीय प्रस्तित्य गर्वभा भिन्न है। यस्तुतः मुटेटान जर्मन और चक्रों में जितना पार्वत्य था, उसमें उठी अधिक पार्वत्य हिन्दुओं और मुगलमानों में है।"<sup>२</sup> अलहमजा ने कहा कि भारत एक देश नहीं है, उसमें कई देश हैं, और उन्हिएं उसे कई राष्ट्रों में विभक्त समझता चाहिए।<sup>३</sup>

सिद्धान्त का आधार यह है कि दि-राष्ट्र-मिदान्त इस व्याप को लेकर बना था कि उसे वी भिन्नता ने हिन्दुओं और मुगलमानों का एक राष्ट्र बनाने के लिए वर्तमान अवधि कर दिया है। यह भारतीय गर्वभा निराधार थी। वे इस में मगान्ति होना अवधि कर दिया है, यह पारस्पारिक प्रकान्तुभूति की भावना राष्ट्रीयता बनून एक मनोवैज्ञानिक परिस्थिति है, यह प्रारम्भिक व्यापक भूति की भावना है। इस प्रकान्तुभूति की भावना को जन्म देने वाले कई नत्य हैं, उसमें तो उनमें से केवल हाम और परम्परा, आदि नत्य भी राष्ट्रीय भावना की युद्धि करते हैं। जहाँ तक भारत के हिन्दुओं और मुगलमानों का सम्बन्ध है, उनमें से अधिकांश तत्व उपस्थित है। भोगान्ति इटि में भारत गर्वत्व ही एक प्रादेशिक इकाई रहा है। डा० बेंजी प्रसाद के लिए ही बहा है, "भारत में योग और भी देश नहीं जिसे यमुद और पहाड़ों के बारग भारत जैसा अवश्यक एवं प्राप्त हो।" भारतपर में धार्मिक भेदों के कारण भारत जैसा अवश्यक एवं प्राप्त हो। भारतपर में धार्मिक भेदों के कारण भारतीय और भारत गर्वत्वी। राता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक मदानी मुगल-मान का किसी प्रजायी मुगलमान की प्रेता मदानी हिन्दू में अधिक विकट सम्बन्ध होता है। यसान के हिन्दु और मुगलमान एक भाषा योग्यता है और यह भाषा मिन्द के हिन्दुओं और मुगलमानों की भाषा में पृथक् होती है। दोनों हो जातियों ने नामान्य के भारतीय गर्वत्वि के विषय में गहरोग दिया है। यह मिन्द-जुनी महानि दोनों के मन्मिति युक्त्यावं का कल है। कविना और गर्गीत में, निवाका और मिन्दमाना में, हिन्दु और मुस्लिम परम्परामों का न्यतन्त्रनायूवं भित्रण हुआ है। हिन्दुओं और मुगल-मानों के बीच यदि कोई वास्तविक भ्रंति है, तो वह ही उसका। लेकिन यह गाधारमान-

१. राजेन्द्रप्रसाद "गणित भारत", पृ० १-२।

२. राजेन्द्रप्रसाद "गणित भारत", पृ० २।

३. अलहमजा "प्राचिनता, ए. नेशन", पृ० ३।

## भारतीय राजनीति और शासन

स्वीकार किया जाता है कि केवल घर्म ही राष्ट्रीयता का अनिवार्य आधार नहीं है; और किर अधिकांश भारतीय मुसलमान उन हिन्दुओं के बोलते हैं जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। क्या इसका यह आशय है कि घर्म बदल जाने से राष्ट्रीयता भी बदल जाती है?

**सिद्धान्त की दुर्बलता—**इसमें कोई सन्देह नहीं कि द्वि-राष्ट्र-सिद्धान्त एक राजनीतिक मूल्यांता थी। लेकिन दुर्भाग्यवश राजनीति के क्षेत्र में वे राजनीतिज्ञ, जो प्रत्येक मूल्य पर अपने स्नायों की पूर्ति के लिए कृतनिश्चय होते हैं, मूल्यांत्रों का अत्यन्त दुष्किमता से उपयोग करते हैं। भारतवर्ष में सांस्कृतिक समन्वय की साथना शताविंशी से चली आ रही थी, प्रियंश साम्राज्यवादियों ने उसमें आधा पहुचाई और किर उनके मिश्रो सम्प्रदायवादियों ने उसके विकास का पथ अवश्य किया। द्वि-राष्ट्र-सिद्धान्त, जो इस समन्वय-साधना की संभावना का ही निपेद करता था, साम्राज्यवादियों और सम्प्रदायवादियों की अभिसन्धि का नैसर्गिक निष्कर्ष था। राष्ट्रीयता मुख्य रूप से भावना का एक मामला है, यानकी एक द्वितीय है, शताविंशी के सामाज्य जीकरण द्वारा निर्मित सहयोग की एक अनुभूति है, उसे तर्कविहीन परन्तु अनवरत भावुक अपीलों द्वारा विभ्रष्ट किया जा सकता है। भारतवर्ष जैसे देश के बारे में, जहाँ की अविद्यित जनता को चतुर और कृतसंकल्प प्रचार द्वारा मुसलमतापूर्वक घोषे में डाला जा सकता है, यह विशेष रूप से सत्य है। मुस्लिम लीग के नेताओं ने मुस्लिम जनता की अविद्या और धार्मिक भावनाओं का पूरा लाभ छठाया और दुर्भाग्यवश उसमें एक पूर्थक राष्ट्रवाद की जेतना का निर्माण करने में सफलता प्राप्त की। कोई प्राइवेट नहीं कि पाकिस्तान के नारे ने अधिकांश मुस्लिम जनता का सोल्साह समर्थन प्राप्त किया।

**राष्ट्रीय राज्य और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वर्ग—**पाकिस्तान के समर्थकों ने द्वि-मुसलमान दो राष्ट्र हैं, तो किर पाकिस्तान की स्थापना होने के पश्चात् उन मुसलमानों का क्या होगा, जो भारत में वह रहेंगे? क्या वे भारत में विदेशियों की तरह रहेंगे? पाकिस्तान में अमुस्लिमों का क्या होगा? स्पष्ट है कि दोनों ही राष्ट्रों में जवितशाली राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वर्ग शेष रहेंगे? लेकिन डाकटर राजेन्द्रप्रसाद के शब्दों में “राष्ट्रीय राज्य और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वर्ग दोनों में परस्पर विरोध है”।<sup>१</sup>

**राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय राज्य—**मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए राष्ट्रीय-गृह की अपनी मांग को राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के मुप्रतिक्षिद्ध सिद्धान्त पर अधारित किया।

१. राजेन्द्रप्रसाद—“खण्डित भारत”, पृ० ४५।

जे०एम० मिल ने इस सिद्धान्त का निम्न शब्दों में निहपण किया है, "जहाँ एक राष्ट्रीयता किसी भी भाषा में विद्यमान ही, उस राष्ट्रीयता के सब सदस्यों को एक ही शासन की अधीनस्थि भी में, जो स्वयं उनका ही एक भाग ही, संयुक्त करने के लिए प्राइमारी के बन है। प्रथम महायुद्ध के दौरान में यह सिद्धान्त बहुत प्रस्थात हो गया और राष्ट्रपति विलम्ब की ओर शतों की आधारगिला बना। युद्ध के पश्चात् यूरोप के मानचित्र को नए निरे में रखना की गई और राष्ट्रीयताओं की राजनीतिक आकृत्ताओं की पूति करने के लिए कई नए राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण हुआ।

लेकिन अब कुछ मनष ने राजनीतिक विचारधारा का भुकाव 'एक राष्ट्र, एक राज्य' पिछान्त के विश्व ही गया है क्योंकि मह अव्यावहारिक भी है और अवाचनीय भी। राष्ट्रीयता एक-दूर्ये के साथ टत्त्वीय अधिक तुलसिल गई है कि वे गठे हुए प्रदेशों में निवास करती हुई कभी पाठे जाती हैं। समस्त विभिन्न जातीय राष्ट्रीय अल्पसंखक दलों को निवासकर रिसो एकजातीय राष्ट्रीय राज्य का सूजन करना अनन्वय है। यां हुक्का भी हो, छोटे-छोटे प्रभुत्व-सम्पन्न राज्य ऐटोमिक युग में प्रश्चनित हो गए हैं। फलतः "आधुनिक विद्वन की गवर्नें बड़ी आवश्यकता एक ऐसे राजनीतिक गिर्दान्त का सूजन करना है जिसके राज्य और राष्ट्र महाव्यापी न हों।" फीदमान के पनुमार, "राष्ट्रीयता अब राज्य के लिए आधार प्रदान नहीं कर सकती।" खस्तुतः हम और स्विट्जरलैण्ड जैसे बहुराष्ट्रीय राज्य उस बात को मिछू करते हैं कि एक नई राज्य की दृष्टिक्षय में विभिन्न राष्ट्रीयताएँ जारीपूर्वक निवास कर नकी हैं। और अन्नी विभिन्न भस्तुतियों का विकास तथा व्याप्ति कर मिलती है। लेकिन भारतवर्ष में मुस्लिम पृथक्कनाबादियों ने न नर्क की परवाह की और न टिलान मी। वे मर मध्यद अहमद या के आदर्दों भे, जिन्होंने कहा था कि हिन्दू और मुस्लिम भारतभाला की दो घाँसें हैं, काफी आगे निरान या न। यह भी स्मर्तव्य है कि हिं-राष्ट्र-निर्दान्त ने हिन्दू नाम्प्रदायिक नेताओं के दिवारनामा आर्य उद्धोषणामो में भी बहुनक्षय प्रोत्साहन प्राप्त किया। १९३३ में वी. नीरा नारदकर ने घोषणा की, "भारतवर्ष को एकात्मक और महाजातीय राष्ट्र नहीं माना जा सकता। इसके विपरीत भारतवर्ष में मुख्य रूप से दो राष्ट्र हैं—हिन्दू और यूग्रनमन।" यह स्मर्तव्य है कि इसके एक ही बये पश्चात् १९३८ में मुस्लिम लोगों ने हिं-राष्ट्र-निर्दान्त को उपर्याकायूर्द्धे उपस्थित किया।

१. हिन्दू महामंडा के अहमदाबाद अधिकार के अव्याप्ति में दिया गया व्याप्ति।

## १०५. पाकिस्तान के लिए आनंदोलन

पाकिस्तान का विचार—वहुधा कहा जाता है कि भारतीय मुसलमानों के लिए एक पृथक् राज्य का विचार कविवर इकबाल के स्थितिक से उद्भूत हुआ। मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन (१९३०) में उन्होंने कहा था, “कम-से-कम पश्चिमोत्तर भारत के मुसलमानों का अन्तिम भाग मुझे एक हड़ पश्चिमोत्तर भारतीय मुस्लिम राज्य की रचना प्रतीत हीता है।”<sup>१</sup> इस विचार का विरोध और उपहास तक हुआ, परन्तु उसने कैन्टिंग में पड़ने वाले कतिष्य युवक मुस्लिम छात्रों की कल्पना को उत्तेजित किया। उसका नेता रहमत अली था। उसने सबसे पहले १९३३ में भारतीय मुसलमानों को ‘एक राष्ट्र’ के नाम से सम्बोधित किया और प्रस्तावित नए राज्य ‘पाकिस्तान’ के लिए एक योजना तैयार की। रहमत अली के ‘पाकिस्तान’ में पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, काश्मीर और बहूचिस्तान सम्मिलित करने का सुझाव था। उसकी योजना में बंगाल और आसाम को मिलाकर ‘बंग-इस्लाम’ और हैदराबाद के राज्यदेश का ‘उस्मानिस्तान’ बनाने की भी जर्बी की गई थी। रहमत अली ने अपने विचार के लोकप्रिय बनाने के लिए एक आनंदोलन प्रारम्भ किया और पाकिस्तान का समर्थन करने वाले पैमलैटों को ब्रिटिश संसद के सदस्यों तथा गोलमेज परिषद में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों में बौद्धा। तथापि उनकी योजना का कोई अन्तर नहीं हुआ और जफरुल्ला खां ने संयुक्त संसद समिति के सामने भाग देते हुए उसे ‘काल्पनिक तथा अव्यावहारिक’ घोषकर अस्वीकार कर दिया।

मुस्लिम लीग पाकिस्तान के लक्ष्य को अपनाती है—सच तो वह है कि १९३७ के पूर्व मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के विचार में कोई विशेष रुचि नहीं ली। निर्वाचन के पश्चात् जब सीग के नेताओं की मंत्रुक्त मन्त्रिमण्डल की आवाजें फैलती नहीं हुई,

---

१. यह समर्त्य है कि इकबाल ने केवल एक ऐसे स्वायत्त राज्य के गूजन की कल्पना की थी, जो भाषा-भजाति, इतिहास, धर्म और आधिक हितों की एकता के लगर आधारित हो। उन्होंने मुसलमानों के लिए किसी एक प्रभुत्व-सम्पन्न स्वतन्त्र राज्य अवश्य राज्यों की माँग नहीं की थी। कूपलैण्ड के अनुसार वे सम्पूर्ण भारत का एक ऐसा विधिल संघ नाहूते थे जिसमें कि “केन्द्रीय संघीय सरकार केवल उन शक्तियों का उपभोग करती हो, जो कि उसके संघीय राज्यों की स्वतन्त्र सहमति द्वारा निहित की जाएँ।” ऑस्मिस एक्सेंड के साथ एक भेंट में इकबाल ने अपना यह विचार व्यक्त किया था कि, “पाकिस्तान की योजना, ब्रिटिश सरकार, मुस्लिम जाति और हिन्दू जाति सबके लिए घातक होगी।”

तब उन्होंने 'इस्लाम बतारे ने है' का नारा बुलन्द किया और मुस्लिम जनता को पाकिस्तान का इन्डोनेशियन दिखाकर अपनी स्थिति मजबूत करने की चेष्टा की। यह स्मरणघट्ट है कि १६३३ के विवर्चन में मुस्लिम लीग को करारी हार सानी बड़ी थी, बिंदुपकार मुस्लिम-वदुल प्रान्तों में। उदाहरणार्थ, बगान में वह ११६ मुस्लिम स्थानों में से केवल ३६ पर ही प्रधिकार कर रखी थी। पजाघ में उम्मे ८६ स्थानों में से केवल १ को ही प्राप्त किया। १६३३ के पश्चात् मुस्लिम लीग की भक्ति बहुत लेजी से बढ़ी। इन्हिन् इनमें कोई आसचर्य नहीं है कि १६३८ में सिव्यु प्रान्तों पर मुस्लिम लीग के वापिक अधिकार में नभापति पद से भाषण देते हुए मिंजिना ने भारत के विभाजन की यांग उत्तम्यन की। लेकिन यह यांग अभी प्रयोगात्मक थी और जनवरी, १६४० में मिंजिना ने एक अद्येती पत्र में लिखा, "भारत में दो राष्ट्र हैं और दोनों को अपनी भावनामूलि के शासन में सामान्य भाग मिलना चाहिए।"<sup>१</sup> कूपलेंड में ठीक ही लिखा है, "भाग लेना पृथक्करण नहीं है और मिंजिना ने अभी उन रेतों को पार नहीं किया था।"<sup>२</sup> लेकिन वीन मझोंते याद हो उन्होंने पाकिस्तान का राग अलापना गृह कर दिया। अपने नाहीर-अधिकार (मार्च, १६४०) में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रब्लेम याद किया। प्रस्ताव में लीग की गई थी कि, "भारत के प्रदिव्यमोत्तर और पूर्वी थेथ जैसे मुस्लिम-वदुल क्षेत्रों को आपने में विकार करनन्तर राज्य के रूप में समर्गित किया जाना चाहिए।" अरने प्रद्यमीय भाषण में मिंजिना ने घोषणा की, "ग़ा़म की दिग्गी भी परिभाषा के अनुमान मुख्यतया तक राष्ट्र है, अब उनको अपनी नियामनमूलि, अपना प्रदेश और अपना राज्य होना चाहिए।" इस अधिकार के नुस्खे ही अपने याद मिंजिना ने एमोमियेटेट प्रेन ग्राफ अमेरिका को एक 'उष्टरच्चू' दिया और उसमें कहा कि पाकिस्तान एक नांदनन्वासक नर्धाय राज्य होगा जिसमें प्रधिम में प्रदिव्यमोत्तर लीग प्रान्त, बदूचिस्तान, निन्द और पजाघ व पूर्व में वापान और प्रामाण मम्पिलित होंगे।

पाकिस्तान का विरोध—१६४० के पश्चात् 'पाकिस्तान' मुस्लिम लीग की विचारपाठ का बोलदियन्दु हो गया। भारतीय नुगमनमानों वी दैर्घ्य प्राचारादाओं को नृपत तरने के उद्देश्य से व्यक्तियों तथा गुटों ने मुस्लिम लीग के गाम्बने कई योजनाएँ रखी। लेकिन वह पाकिस्तान की यांग पर प्रगद के एर की तरह जमी रही। पाकिस्तान की योजना का रूपये मुगम्बनमानों के दीर्घ ही पर्याप्त विरोध हुआ। अद्यतन भारतीय स्वतन्त्र

१. टाइम एण्ड टाइम, १८ जनवरी, १६४०—कूपलेंड—“हिंद्या मेरिटेटमेंट”, पृ० १६१।

२. कूपलेंड—वही, पृ० १६१।

मुस्लिम सम्मेलन ने जिसका अधिवेशन सानवहादूर अल्लावहसा की अध्यक्षता में दिल्ली में हुआ (अप्रैल, १९४०), पाकिस्तान की योजना की तीव्र आलोचना की और कहा कि यह योजना "मुसलमानों को एक 'पृथक्त्व-निरोधायन' में पटक देगी।"<sup>१</sup> जमैय-तुल-उलेमा-ए-हिन्द भी पाकिस्तान की माँग की कहूर विरोधी थी। उसका कथन था, "राष्ट्रीय हृष्टि से प्रत्येक मुसलमान भारतीय है।" मजलिस-ए-अहरार-ए-हिन्द, पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त के खुदाई खिदमतमार बलूचिस्तान के राष्ट्रवादी मुस्लिम, अखिल भारतीय मोर्मिन सम्मेलन और अखिल भारतीय शिया राजनीतिक सम्मेलन आदि दूसरी कई मुस्लिम मस्थाएँ पाकिस्तान के विरुद्ध थी। जहाँ तक अ-मुस्लिमों का सम्बन्ध है, उन्होंने यह स्पष्ट कह दिया था कि वे अपनी मातृभूमि की एकता को खण्डित करने वाले प्रत्येक प्रयास का प्राणपण से विरोध करेंगे। पजाव के सिख अपने छोटे लेकिन पौरुषमय मन्त्रदाय के अविद्य के ऊपर विभाजन के सम्भाव्य परिणामों के बारे में विशेष रूप से जक्खित थे और उसका ढटकर विरोध करने के लिए बढ़परिकर थे।

कांग्रेस का हृष्टिकोश—कांग्रेस, निसर्गतः अखण्ड भारत के आदर्श की अनुगामी थी। जहाँ कांग्रेस ने स्वयं को मुस्लिम लीग की पाकिस्तान-योजना के एकदम विरुद्ध घोषित किया, वह अनिच्छुक जनता के ऊपर बलपूर्वक लादने के लिए तैयार नहीं थी और प्रादेशिक आत्मनिर्णय के सिद्धान्त को मानती थी। लेकिन उसका कथन था कि आत्मनिर्णय का सिद्धान्त मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में नियास करने वाले सभी लोगों के ऊपर लागू होना चाहिए।

विरोध की असफलता—मुस्लिम लीग की माँग थी कि मुस्लिम-बहुल क्षेत्रों में आत्मनिर्णय का अधिकार केवल मुसलमानों को ही मिलना चाहिए। तथापि, पाकिस्तान का विरोध दो मुख्य कारणों से असफल सिद्ध हुआ। साम्प्रदायवादियों ने अशिक्षित और बद्धालु मुस्लिम जनता को हिन्दू तानाशाही का भय दिखाया और धूरणाभाव का खुलकर प्रचार किया। भोलीभाली जनता उनकी बातों में आ गई। मुस्लिम लीग ने धार्मिक मदान्धता और भावुक उन्माद का जो तूफान छड़ा कर दिया। दिवेक की आवाज उसमें निःशब्द ही गई। इसके साथ-ही-राथ लिटिश अधिकारियों ने, जिन्होंने कि भारतवर्ष में जानवृक्षकर भेद-नीति से काम लिया, एकता बनाए रखने के साथे प्रयत्नों को निष्कर्ष कर दिया। आंख भारतीय नौकरशाही ने मिठा जिला को चंग पर चढ़ा दिया और उनके उस पृथक्तावादी संघर्षों को, जिसने कि भारतीय स्वतन्त्रता की समस्या को जटिल व साम्राज्यवादी प्रभुत्व को दीर्घ कर दिया, अद्भुत तदस्थता के साथ निहारा।

१. राजपूत द्वारा उद्धृत—"मुस्लिम लीग", पृ० ८५।

प्रियंगोजना और पाकिस्तान—पूर्वकृतावादियों के प्रति श्रिटिंग महानुभूति क्रियाप्रस्तावों (प्रवैत, १९४२) में, जिनका हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं, स्पष्ट रूप से व्यक्त होती थी। क्रियंगोजना में कहा गया था कि द्वितीय विश्व-युद्ध ममात्ता होने के तुरंत बाद, भारत का नया संविधान बनाने के लिए एक संविधान-भाषा की रचना की जाएगी। यह मान लिया गया था कि, “यदि श्रिटिंग भारत का कोई प्रान्त रखने का अधिकार रहे, किन्तु शायद यह अवश्य भी रहेगी कि यदि वह प्रान्त बाद रखने का अधिकार रहे, किन्तु शायद यह अवश्य भी रहेगी कि यदि वह प्रान्त बाद में नाहं तो संविधान में निमित्तिकरण कर लिया जाए। नए संविधान में समिक्षित न होने वाले प्रान्तों को, यदि वे जाहं ग़ज़ाद की सरकार नया संविधान देना स्वीकार करेंगी और उनका पद भी पूर्ण रूप में भारतीय संघ के समान ही होगा।” स्पष्ट है कि योजना में पाकिस्तान की बात प्रकाशन्तर में स्वीकार कर ली गई थी। कांग्रेस ने कि योजना में ‘भारतीय ग़ज़ाद की मान्यता के ऊपर कठोर आधार’ ढंक हो चलाया। इस योजना को ‘भारतीय ग़ज़ाद की मान्यता के ऊपर कठोर आधार’ ढंक हो चलाया। इस प्रकार, श्रिटिंग नरकार ने मुस्लिम लीग के आनंदोलन के लिए ही झट्टी दिया थी और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच मध्युक्त भारत के आधार पर समझौते के सब प्रभाग विष्फार कर दिए। इस गतिरोध ने धकरजी के, पि १५ वां व्यवस्था संवारण कर लिया और मुस्लिम लीग की हड्डीर्ही के कारण उनके निवारण के समस्त प्रयत्न असफल हो गए।

राजगोपालाचारी का प्रस्ताव—१९४८ में चक्रवर्णी राजगोपालाचारी ने गतिरोध को दूर करने की एक असफल चेष्टा की। उन्होंने एक प्रस्ताव उत्पादित किया, जिसे महाराष्ट्रा गांधी द्वारा समर्थन प्राप्त था वर्षाधि बाद में कांग्रेस ने उसका विरोध किया। इस प्रस्ताव ने पाकिस्तान के निष्ठान को स्वीकार कर लिया और इसमें निम्न बातें थी—(१) मुस्लिम लीग स्वतन्त्रता मान्यतार्थी भारत भी लीग को स्वीकार करेगी और संज्ञान-काल के विषय अस्थायी सरकार बनाने में कांग्रेस के माध्यम सहयोग करेगी। (२) युद्ध के पश्चात् एक कर्मानन निगमन होगा, जो भारत के उत्तराधिकार प्राप्त होने वाली गीयाँ निश्चित बताएंगी। उत्तर-पूर्व की गोमों गोयाँ निश्चित बताएंगी जिनमें मुसलमान स्पष्ट हैं। यहुं-मन्द्यक हैं। उन दोनों के समस्त निवासियों का बोक-निगमन यह निश्चित करेगा कि उन्हें भारत में अलग होना चाहिए या नहीं। (३) पूर्वकरण को निष्ठित से प्रतिरक्षा, यानायात और दूसरे अनिवार्य प्रयोगों के लिए गमन्भौति किया जाएगा। (४) ये गते तभी लागू तथा स्वीकृत होंगी जब कि श्रिटिंग सरकार भारत को मद्दा उत्तराधिकार तथा ममूली रूप से स्वीकृत होना चाहिए।

मिं. जिल्ला ने राजाजी की योजना को इकायूक्त प्रस्तोकार कर दिया। उन्होंने इस योजना द्वारा प्राप्त होने वाले ‘उपर्युक्त और हीनाग’ पाकिस्तान द्वा निरकार

कर दिया और कहा कि मैं सिन्धु, पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, बहून्हिस्तान, बंगाल और आसाम की आपनी माँग पर टस-से-मस नहीं होऊँगा। इसके अलावा वे मुस्लिम बहुल जीजों के अ-मुस्लिम निवासियों को अपने भाष्य-निर्णय में कोई आवाज देने के लिए तैयार नहीं थे।

### १०५. कैबिनेट मिशन और उसके बाद

१९४६ के बसन्त से भारत के वैधानिक और साम्प्रदायिक गतिरोध के निर्णय का मन्तिम दौर प्रारम्भ हुआ। उस समय तक चचिल सरकार के स्थान पर एटली सरकार की स्थापना हो गई थी। भारतवर्ष में केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान मण्डलों के लिए साधारण निवाचन हो चुका था और उससे महत्वपूर्ण परिणाम प्रकट हुए थे। कांग्रेस ने केन्द्र और प्रान्तों में सरभग सभी हिन्दू स्थानों पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसी तरह मुस्लिम लीग ने कुल ४६५ मुस्लिम स्थानों में से ४४६ स्थानों पर अधिकार कर लिया था। उसे यदि कही असफलता प्राप्त हुई तो केवल पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त में। लीग को मन्त्रिमण्डल बनाने में केवल बंगाल और सिन्ध में असफलता मिली लेकिन उसकी निवाचित विजय ने यह सिद्ध कर दिया कि मुस्लिम जाति समरूप से उसकी पाकिस्तान की माँग का समर्थन करती है।

जिस समय भारतवर्ष में निवाचित हो रहे थे, ब्रिटिश प्रधान मन्त्री ने भारत के प्रति अपनी सरकार की नीति के सम्बन्ध में दो महत्वपूर्ण घटनाएँ दिए। एक वक्तव्य में उन्होंने कहा कि “ब्रिटिश भारत के पूर्ण स्वतन्त्रता और यह निश्चय करने के कि वह ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल में रहे या न रहे, अधिकार को स्वीकार करती है।” अपने दूसरे वक्तव्य में उन्होंने घोषणा की कि “एक अलासंख्यक वर्ग को इस बात की छूट नहीं दी जा सकती कि वह बहुसंख्यक वर्ग की राजनीतिक प्रगति के सार्व में रोड़े अटकाए।” इसके साथ-ही-साथ उन्होंने अगली सरकार के इस निश्चयोंकी भी घोषणा की कि भारतीय समस्या का समाधान प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत में ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के सदस्यों का एक शिष्टमण्डल भेजा जाएगा।

कैबिनेट मिशन भारत में—कैबिनेट मिशन ने, जिसमें भारत-मन्त्री लार्ड पैथिक जारेस, अपार मण्डल के प्रधान सर स्टैफोर्ड क्रिम्स और फर्ट लार्ड शॉफ एडमिरेली मिं। ए० थी० एलेक्जेंडर शामिल थे, २३ मार्च, १९४६ को भारत में पदापैण किया। कैबिनेट मिशन के सदस्यों ने भारत आने के तुरन्त बाद ही यहाँ के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और प्रतिनिधियों से बातचीत आरम्भ कर दी। ५ मई को मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के चार-चार प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन कुर्ह किया। लेकिन रामेश्वर किसी सर्वसम्मत सूत्र को निकालने में सफल न हुआ और

अन्त मई को भग ली गया। इन पर कैविनेट मिशन ने १५ मई, १९४८ के राज्यव्रत में अपने निजी प्रमाणों को घोषणा कर दी।

**कैविनेट मिशन के प्रत्यावर (क) पारिस्तान की स्थीरता—**राज्यव्रत ने सुनिम सोंग की पारिस्तान की सोंग का स्वान्पूर्वक परीभूल किया और निष्ठार्थ निशाना दि एक प्रदुष्यनगम्न सुनिम गवर्नर की स्वास्थ्य प्रब्लेम है। कैविनेट मिशन ने इहाँ ही पारिस्तान 'नाम्प्रदादिक नदम्बा' का डीरु नमायान नहीं दे रखा। पारिस्तान की सोंग की स्थीरता करने वृहु, उसने भारत के लिए एक नष्ट के निर्वाचु का प्रमाण किया जिसमें विटिंग भारत के द्रावन प्रोर देशी गवर्नर दोनों नमिनित हैं। भारत नष्ट विटिंग राष्ट्रनायिन वे गवर्नर हो जाने के लिए व्यवन्व देंगा।

**(ख) सवियान सभा—**मविदानसभा के बारे में विषय ने बताया कि उनके नदम्बों के निर्वाचन का आवार मान्द्रशापिक होना विषये अनुसार प्रान्तीय विदान सभाओं के धार्मिक भवित्वम्बों से १० नाये हो जनमन्या वर एह ग्रन्तिनिधि तुनने का प्रधिकार दिया जाएगा। यह मविदान सभा भारत के लिए एक मविदान दलाली भी कुछ योंगों के भवीत होगा।

**(ग) भारत सभा :** अन्तरिम सरकार— इन योंगों में एक यह थी कि भारत नष्ट वेदेशिक मामिनों, प्रतिरक्षा तथा बालायत वा नियन्त्रण राज्यों द्वारे दर विषय तथा प्रवणिष्ठ भवित्वां प्रान्तों में निहित होंगे। जब वह मविदान बनकर तैयार हो, उस नष्ट तरफ के लिए कैविनेट मिशन ने एक ऐसी अन्तरिम सरकार की स्थापना का प्रधाव दिया जिस भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों वा नमदंन ग्रान्त हो प्रोर विषये मभी विभाग जनना के विभागान नेताओं के हाथों में रहे।

प्रान्तों के वर्षोंहरण के ऊपर बादानुबाद—कैविनेट मिशन दो योजना के मध्य-धिक विदानसद विषयों में ने एक विषय यह था जो प्रान्तों के वर्षोंहरण से सम्बन्ध रखता था। इन योजना के अनुसार प्रान्तीय प्रतिनिधि, मविदान सभा के प्रारम्भिक अधिकारों के लियाँ नींव विभागों में बैठ जाएंगे। विभाग (क) ने बघट, मिहार, सम्बद्धन, मग्न, उडीका और नकुलदाना, विभाग (ख) ने परिवर्मनर नीमादात प्रजाव और गिर्व तथा विभाग (ग) ने पानाम और वग्नन समिनित होए। यह अपन्त है कि अन्तम दो विभागों ने मुमलमानों का बढ़न था। इन विभागों को इस तरह वा नियन्त्रण करना था कि ग्रान्तों के लिए नमूह-विदान भी स्वरूप को इन विषयों वा प्रश्नों को जाए। लाइं पंचिक लारेस के प्रनुसार कैविनेट मिशन के प्रमाणों में "नीन स्लरों के मविदान भी इनाना ही नहीं थीं विषये वर्षे ऊपर भारत वष्ट तीया। सरसे नीवे ग्रान्त होंगे। नेतान दमदे अविरित हम यह भी योचने हैं कि ग्रान्त पुटों के रूप में

इसलिए एक साथ सम्मिलित होना चाहेंगे कि नामूहिक रूप में वे एक प्रान्त की अपेक्षा और बड़े क्षेत्र की सर्विसों का सचालन कर सकें।”<sup>१</sup>

अपने प्रस्तावों के पैरा १५ (५) में कैविनेट मिशन ने कहा था—“प्रान्तों को समूह बनाने की स्वतन्त्रता होगी और प्रत्येक प्रान्त समूह यह तय करेगा कि कौन-कौन से विषय याचन रूप से नामूहिक शासन में रहें।” पैरा १६ (५) में उसने कहा था, “ये विभाग अबने-अपने समूह के प्रान्तों के संविधान को तैयार करेंगे और यह भी तय करेंगे कि क्या उन प्रान्तों के लिए कोई सामूहिक संविधान तैयार करना चाहिए, यदि ऐसा हो तो कौन में विषय नामूहिक संविधान के अन्तर्गत रहने चाहिए।” प्रस्तावों में यह भी कह दिया गया था कि प्रान्त को अपने समूह से निकल जाने का अधिकार होगा। नए संविधान के अन्तर्गत प्रथम निर्वाचित होने के पश्चात् नया प्रान्तीय विधान-मण्डल इस प्रकार का निर्णय कर सकेगा।

कांग्रेस और लोग के निवचनों में विरोध—स्पष्ट है कि प्रान्तों के बर्नीकरण से सम्बन्ध रखते वाली धाराओं को बड़े गोल-मोल घट्ठों में व्यक्त किया गया था। निसर्गेतः कांग्रेस ने उनका कुछ और अर्थ लगाया तथा मुस्लिम लीग ने कुछ और। कांग्रेस के इंटिकोरण से बमूहों का निर्माण ऐच्छिक था, समझौते की बात-चीत के दौरान में कांग्रेस ने इस बात को वारदात कह दिया था कि वह उपमंथों के निर्माण अर्थवा प्रान्तों के बाइय बर्नीकरण के विरुद्ध है। मुस्लिम लीग इस निवचन से असह-गत थी और उसने ब्रिटिश सरकार से स्पष्टीकरण की माँग की।

६ दिसम्बर का बवतवद—ब्रिटिश अधिकारियों के इस बचन के प्रतिकूल कि कैविनेट मिशन की योजना का न निवचन किया जाएगा तिथीर न उसमें कोई नहीं चीज जोड़ी जाएगी, ६ दिसम्बर को ब्रिटिश सरकार ने एक महत्त्वपूर्ण बक्तव्य दिया जिसपे उसने मूल प्रस्तावों का सर्वथा तूतन अर्थ लगाया। अब उसने कहा कि प्रान्तों का बर्नीकरण योजना का एक अनिवार्य तत्त्व है और यदि कोई सर्व-समत समझौता न हो सके, तो विभाग का निर्णय उसके प्रतिनिधियों के बहुमत द्वारा हो जाना चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने यह भी घोषणा की कि ‘यदि ऐसी संविधान-समा जिसमें भारतीय जनसंघ्या का एक बड़ा भाग शामिल नहीं है, कोई संविधान बनाए तो राष्ट्राद्वीपीय सरकार भारत के अनिक्तुक भाग पर बलपूर्वक लागू नहीं करेगी।’ यह बक्तव्य ब्रिटिश भरकार के इस बचन का कि अल्पसंख्यक वर्ग को बहु-संख्यक वर्ग की राजनीतिक प्रगति के मार्ग में बाधक नहीं बनने दिया जाएगा, पूर्ण व्याप्तिशाली था। यह कांग्रेस को बर्नीकरण से सन्तुष्ट भारा के नए निवचन को मानने के

१. गोहम्मद अब्दरक द्वारा उक्त—“कैविनेट मिशन एण्ड आौपटर”, पृ० ५६।

नियमिति करने की प्रक्रिया चेष्टा थी।

लोग द्वारा संविधान-गभा का बहिराहर इसी बीच में, जुलाई १९४६ में संविधान-नभा के नियमिति दृष्टि। इन नियमिति में राष्ट्रपति ने २०५ घोर सुनिम्नम लोग ने ३३ स्थान प्राप्त किए। ६ दिसंबर, १९४६ को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। सुनिम्नम लोग के सदस्यों ने उम्मेद भाग नहीं लिया। सभेमें लोग वा महावीर प्राप्त स्थान की योग्यताभव लेप्ता थी। उसने ६ दिसंबर को वक्तव्य को भी स्वीकार न किया और ३ जनवरी, १९४७ को अधिनियमान्वयिक काशन नियमिति ने यह प्रस्ताव गाम किया; फिर संविधान-गभा को “विभागों में असुमझा की जाने वाली संविधानिति के विषय में द्वितीय गवर्नर दी व्याख्या दी, सार कर देनी चाहिए।” ऐसीने उसके गम्भीर गाय उसने वह भी स्पष्ट कर दिया कि “इसके सामने विभीति प्राप्त पर संवृचित व्याख्या न पढ़ना चाहिए, और यज्ञाव ने मिक्की के विधिकार गुणिति रहने चाहिए।” सम्मुखीन लोग ने इस वाचार पर कि राष्ट्रपति ने १६ मई जाने वक्तव्य को पूर्ण-स्वीकार नहीं किया है, संविधान गभा का आवास शहिराहर अपग नेने ने उनका रक्षा किया।

#### १०६. अन्तरिम सरकार का नियमिति

कठिनाइयों १६ मई के वक्तव्य वार्ता यह भी सिवारियों के प्रस्तावन के तुरन्त याद द्वारा रविंशट मिशन और वाचाराय ने योग्यता के अन्तर्गत प्रत्याविन एवं अन्तरिम गवर्नर के नियमिति के नियम याचनीय गुण कर दी। वर्ति काशन और लोग दोनों ने ही १६ मई के वक्तव्य को स्वीकार कर दिया था, यह याचना भी लोगों द्वारा कि अन्तरिम गवर्नर की स्थानता न होई रिंशट राइटिंग उपर्यान लोगों द्वारा। नशागी प्रबन्ध पर राइटिंगों उड़ गई हुई। सरकार ने राइ-रोत अवैति नियमिति के द्वारा प्रति के ऊपर दोनों दोनों ने कोई समझौता नहीं हो गया।

१६ जून का वक्तव्य— १६ जून, १९४६ को याचनराय न प्रक्रिया विभाग और उनका राष्ट्रपति के ६, सूनिम्नम लोग के १ तथा दूसरे अन्तर्गत दोनों दोनों के १ (एक गिर, एक पारसी और एक भारतीय ईसाई) प्रतिनिर्वाचियों को अ-अंग्रेज नवराहर मंत्रिमिति होने के लिए प्राप्तियन किया। रियासी के रितरागा एवं प्रक्रिया याचनराय एवं राष्ट्रपति दोनों दोनों के नेतृत्वाधीन सत्यमान में रहता था। वक्तव्य के द्वारा शास्त्र एवं दिया गया था कि दोनों प्रमुख दोनों अपने उन्नें दो दियों पर के द्वारा अन्तरिम गवर्नर के नियिति याचार पर नियमिति होने वाली याचनदा प्राप्त करने पर याचनराय एवं उग्राह दोनों द्वारा वक्तव्य के द्वारा दोनों दोनों दोनों के नेतृत्वाधीन सत्यमान के रूप में प्रशंसन रहे। जो लोग १६ मई का वक्तव्य स्वीकार रखते हैं, वह गवर्नर उनका याचनराय परिवार-प्रतिक्रिया नियिति रखते हैं।

**बात्ता-भंग—**मुस्लिम लीग ने १६ जून के वक्तव्य को स्वीकार कर लिया, लेकिन कांग्रेस ने माँग की कि उसे अपने प्रतिनिधियों में एक राष्ट्रवादी मुसलमान को सम्मिलित करने का अधिकार मिलना चाहिए। मुस्लिम लीग ने इस माँग का डटकर विरोध किया, फलतः कैविनेट मिशन ने उसे अस्वीकार कर दिया। परिणामस्वरूप विरोध किया, फलतः कैविनेट मिशन ने उसे अस्वीकार कर दिया। लीग ने माँग की कि कांग्रेस के बिना ही सरकार का निर्माण होना चाहिए, लेकिन बायसराय ने इस कि कांग्रेस के बिना ही सरकार का निर्माण होना चाहिए, लेकिन बायसराय ने इस ग्रन्त को कुछ समय के लिए ठाल देने का निर्देश किया। चूंकि १६ मई के वक्तव्य को दोनों ही प्रमुख दलों ने स्वीकार किया था, अतः बायसराय दोनों ही दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार का निर्माण करने के लिए बचनबढ़ थे। अस्थाई व्यवस्था के रूप में बायसराय ने राजकामंचारियों की एक रक्षक सरकार की स्थापना की। इस पर मिठा जिना अत्यन्त कड़ हुए और उन्होंने लिटिंग सरकार पर विश्वास-धात का दोपारोपण किया। २६ जुलाई को मुस्लिम लीग ने कैविनेट मिशन के प्रस्तावों की अपनी स्वीकृति को बायसराय ने लिया और हिन्दुस्तान तथा पाकिस्तान के लिए क्रमशः दो पृष्ठक संविधान सभाओं की अपनी पुरानी माँग को फिर से दुहराया। उसने मुसलमानों से अनुरोध किया कि वे अपनी पदवियों स्थाग दें तथा अपनी कार्य-समिति को अधिकार दिया कि वह “पाकिस्तान प्राप्त करने” तथा अंगेजों की बत्तमान दासता व सवर्ण हिन्दुओं के भावी प्रभुत्व से छुटकारा पाने के लिए” तत्काल प्रत्यक्ष कार्यवाही करने का एक कार्यक्रम तैयार करे।

**कांग्रेस द्वारा अन्तरिम सरकार का निर्माण—**चूंकि मुस्लिम लीग ने कैविनेट मिशन योजना के अधीन प्रस्तावित अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं को अस्वीकार कर दिया, अतः ६ अगस्त, १९४६ को बायसराय ने कांग्रेस को इस बात का आमन्त्रण दिया कि वह उन्हें केन्द्र में अन्तरिम सरकार के निर्माण-कार्य में सहायता दे। कांग्रेस ने यह आमन्त्रण स्वीकार कर लिया और सहयोग के लिए लीग से पुनः अनुरोध किया। लेकिन लीग उसे-मत नहीं हुई। इस पर २ सितंबर को अन्तरिम सरकार की स्थापना हो गई और जवाहरलाल नेहरू उसके उपाध्यक्ष नियुक्त हुए।

**प्रत्यक्ष कार्यवाही का दिन और उसका परिणाम—**इसी दीन में घटना-क्रम प्रभंजन की भूमि से आगे बढ़ चुका था। मुस्लिम लीग ने १६ अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही का दिन निश्चित किया था। बंगाल सरकार ने इस दिन सार्वजनिक झुट्ठी कर दी। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को कलकत्ता और सिलहट भूमीर उपद्रव हुए। कलकत्ता के नरेंद्रमें लगभग ७००० व्यक्ति मारे गए। इसी प्रकार सिलहट और ढाका में भी भयंकर रक्तपात हुआ। हिंसा की आग पूर्वी बंगाल में जा पहुंची

नोआखली और टिप्परा में जो अत्याचार और रक्षणात् हुआ “उम्मे चारी और आतक पैदा कर दिया” “नारी-निधीतन, बलमूवंक विवाह, बलाकार, जवागन घरं-परिवर्तन, घरों में याग लगा देने, उन पर सामूहिक हमले और प्रमिण परिवारों के इन हमलों में विकार होने में पूर्वी वर्गाल में जो अविद्याम केल गया था, वह तीन वर्ष पूर्व अकाल में हुई सामूहिक मृत्युओं से कही अधिक भोगा था।”<sup>१</sup> केन्द्रीय सभा में वक्तव्य देते हुए प्रिंजन जवाहरलाल नेहरू ने भाक कह दिया कि वे मुस्लिम लोग को पहल और उन्होंना दिलाने में हुए हैं।

मुस्लिम सीम का ग्रन्तरिम सरकार में प्रवेश—कास्येप द्वारा नियन्त्रित ग्रन्तरिम सरकार की स्थापना पर लीग वहुत बेचैन हो रही थी। बायसराय लार्ड बैबिल भी लोग को ग्रन्तरिम सरकार से जाने के लिए अत्यन्त उत्सुक थे। पार्टीयों के दोसरा भी उन्होंने मंदेहास्पद नीति में काम किया था और अक्षयर में वे मुस्लिम लोग के पाच मनोनीन मदस्यों को, दिन। उसमें दूसरी बात का सफाट बनाया था कि वह मविधानसभा के कार्य में महयोग देगी, ग्रन्तरिम सरकार में शामिल करने के लिए उन्हें हमत हो गा। मुस्लिम लोग के प्रतिनिधियों ने मविधान सभा के कार्य में कोई महयोग नहीं दिया।

#### १०८. अंग्रेजों का भारत छोड़ने का निश्चय

पिंडी हुई परिस्थिति—जैसा कि धारा की जानी थी, ग्रन्तरिम सरकार में कास्येम-नीति की संयुक्तता ने स्थिति को और भी खराब कर दिया। मास्प्रदार्यका द्वारा उन्होंने विंगड़ गई। बगाव में जो उद्वेष हुए थे, बिहार, गढ़मुखनेश्वर (गू० पी०), नाहार और राजकपिली (पश्चिमी पश्चात) में उनकी भीपाल प्रतिक्रिया हुई। मध्यांग प्रगत्यन द्विन-भिन्न हुआ जा रहा था। गृह-युद्ध के सफाट लक्षण दिवार्डे दे रहे थे। मुस्लिम लोग ने हनुमां और चंगेजखानों के दिनों से पुनर्जन्मविन रखने की जो धमकी दी थी, वह मूर्त्युपाल कर्नी हुई प्रतीत होती थी।

२० फरवरी, १९४७ की घोषणा। प्रिंजन सरकार ने यह निष्कर्ष निकाला कि भारत की स्वतन्त्र अब उसके कानू में आहर निकल गई तथा निर्गंथ करने में विभिन्न ही विभिन्न रिया जाएगा, उनमें ही यहा की हानत और खराब हो जाएगी। उन्होंने भारत के भारव को उनसी जनता के शासी में छोड़कर यहाँ ने जने जाने का निश्चय किया। प्रधान मन्त्री एटनी ने २० फरवरी, १९४७ की महान्यून घोषणा में दूसरी व्यक्ति को घ्यक्ति किया। उन्होंने कहा, “मसाद री सरकार ग्राट भूमि के प्रधान दूसरी व्यक्ति को नूचिन कर देना चाहती है। वह जून, १९४८ तक डिमेशार भार-

१. पृष्ठानि सीतारामस्या—“दी हिंडी भाक दी बांधन भाग २, पृ० ८०६।

तीयों के हाथ में शक्ति सौंपने के कार्य को सम्पन्न कर देगी।” यह घोषणा करते समय ब्रिटिश सरकार ने आशा प्रकट की कि ब्रिटिश शक्ति के भारत से हट जाने की बात भारतीय राजनीतिज्ञों के हृदय में आसुवृद्धि पैदा कर देगी और उन्हें वास्तविकताओं का सामना करने तथा उचित समझौता निकालने की सामर्थ्य प्रदान करेगी। लेकिन घोषणा ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि सब प्रकार से प्रतिनिधित्वपूर्ण संविधान सभा जून, १९४८ से पूर्व कोई संविधान न बना सकी, तो उस स्थिति में “सन्नाद” की सरकार को यह विचार करना पड़ेगा कि ब्रिटिश भारत की केन्द्रीय सरकार का दायित्व पूरे-का-पूरा, ब्रिटिश भारत की किसी केन्द्रीय सरकार को या विभक्त करके वर्तमान प्रास्तीय सरकारों को, अथवा किसी ऐसे दंग से जो सर्वोचित तथा भारतीयों के लिए सर्वाधिक लाभपूर्ण हो, संर्पण जाए।” सच्चान्हस्तान्तरण के कार्य को सुगम करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो कदम उठाए, उनमें एक बायसराय लाई बैचिल को बापस वृत्तान्त और उनके स्थान पर लाई माउण्टवेटन को नियुक्त करता था।

कांग्रेस द्वारा विभाजन स्वीकार—जैसा कि स्पष्ट है, २० फरवरी के बनतीमें मुस्लिम लीग वो पाकिस्तान की भाँग को प्रचलन रूप से स्वीकार कर लिया था। निसर्गेतः लीग ने अखण्ड भारत के आधार पर समझौता करने की कोई उत्सुकता प्रकट नहीं की। उसका संविधान सभा का बहिष्कार चलता रहा और देश की राजनीतिक स्थिति अधिकाधिक विषद्वती गई। नगर बायसराय लाई माउण्टवेटन ने सम्पूर्ण स्थिति का व्यापूर्वक अवलोकन किया और निष्कर्ष निकाला कि देश की हालत मुधारने के लिए एक आन्तिकारी उपाय वा अवलम्बन चलेगा करने की आवश्यकता है तथा वह क्रान्तिकारी उपाय देश का विभाजन है। अतः उन्होंने भारत के ‘काल्पनिक’ विभाजन पर आधारित एक योजना संभाल की। कांग्रेस ने आजीवन अखण्ड भारत के यादें के लिए संघर्ष किया था। परिस्थितियों से विवश होकर उसने अनुभव किया कि देश के विभाजन को स्वीकार करना ही ब्रिटिश दासता के अन्त करने और देश को शुहूद की लगाई से बचने का एकमात्र मार्ग है। वस्तुतः विभाजन को स्वीकार करने का निर्णय उसके २ अप्रैल, १९४८ वाले प्रस्ताव के अनुकूल ही था। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि “कांग्रेस किसी प्रायोगिक इकाई की जनता को उसकी घोषित और हड्ड इच्छा के विषद्वत्त भारत में बने रहने के लिए विवश करने की भाषा में नहीं सोच सकती।”

माउण्टवेटन-पंचाट, ३ जून, १९४७—माउण्टवेटन-पंचाट की घोषणा ३ जून, १९४० को की गई। इसमें भारत और पाकिस्तान दो पृथक डोमिनियनों की स्थापना य दृष्टिकोण और पंजाब के विभाजन का निर्णय किया गया था। उसने अंग्रेजों के भारत से हटाने की तारीख को घटाकर १५ अगस्त, १९४७ कर दिया। पंचाट में कहा गया था कि बंगाल और पंजाब की विभाजन समाजों में मुस्लिम और अ-मुस्लिम बहुल जिलों

के जो प्रतिनिधि हैं, वे भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने के प्रश्न पर पृथक् त. मतदान देंगे। परिचमोत्तर मीमा-प्रान्त और मिलहट (चामाम का मुस्लिम बहुल धोर) द्वारा प्रधानियकार पर आधिकार नोक-निर्णय द्वारा अपने भविष्य का निर्णय करने को थे। मिन्द में विधान सभा भमयस्प ने इस प्रश्न पर मतदान देने को थी। बलोचिस्तान अपनी प्रतिनिधिक मस्ताओं की एक अद्युक्त बैठक के द्वारा अपने भविष्य का निर्णय करने को था। इन व्यवस्थाओं के परिणाम पूर्व-निश्चित थे। जाति के परिचमो और वगात के पूर्वी जिनों ने पाकिस्तान के पश्च में मत दिया। परिचमोत्तर मीमा-प्रान्त मिन्द और बलोचिस्तान ने भी यही किया। फलतः १५ अगस्त, १६४३ को भारत और पाकिस्तान का दो स्वतंत्र राज्यों के स्वरूप अवतरण हुआ। स्वतंत्र भारत, और पाकिस्तान की स्थापना अभूतपूर्व हायाकाण्डो, लृष्टपाट, अपहरणों और वलपूर्वक जननस्या के हस्तान्तरण के घोन हुई। इन प्राधिकारिकों के फलस्वरूप ५ लाख से अधिक व्यक्ति कानूनिक और एक कोई २० लाख में अधिक व्यक्ति गृहविहीन हुए। भारतीय इनियाम का यह दूषित अध्याय अभी जनता के मूलियतन पर भाजा ही है, अब उनका यहां चिन्द विवरण देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

## १०६ १६४३ का भारतीय स्वतंत्रता प्रधिनियम

-**प्रधिनियम के मुख्य उपचार्य** —माउण्टवेटन पचाट के आधार पर ग्रिटिंग समद ने जुलाई, १६४३ में भारतीय स्वतंत्रता प्रधिनियम पास किया। (१) इस प्रधिनियम ने १५ अगस्त, १६४३ को भारत और पाकिस्तान दो प्रयुक्त-नियन-मण्डन राज्यों की स्थापना वो और दोनों को औपचारिक पद प्रदान किया। यह व्यवस्था ऐसी गई कि ग्रिटिंग वरकार दोनों दोमिनियनों वो संविधान-ममाओं को मना हस्तान्तरित कर देंगी और इन संविधान-ममाओं को अपने-अपने देशों के लिए इच्छानुसार संविधान बनाने की स्वतंत्रता होगी। (२) यह निर्धारित किया गया कि प्रध्येक दोमिनियन का दोमिनियन मन्त्रिमण्डल की समग्रता पर ग्रिटिंग मण्डाट द्वारा नियुक्त एक गवर्नर जनरल होगा। प्रधिनियम ने यह उपर्याप्त कर दिया कि गवर्नर जनरल और प्रान्तीय गवर्नर भविष्य में संबद्धतावाली शामिल के रूप में कार्य नहीं करेंगे। दूसरे दलों में उन्हें नमस्त मामनों में, अपनी दिवेरी दक्षिणों और उत्तरसाधियों के प्रदोग के सम्बन्ध में भी संपूर्ण समझौते के प्राप्तान्ते के सुन्दर ग्राहक रूप से पुण्य। (३) प्रध्येक दोमिनियन की संविधान-ममा उमके विधान-मण्डल के लाए पि कार्य करेंगी तथा उमकी वंपानिक मस्तियों के ऊपर किसी प्राचार वा कोई प्रतिवाच नहीं होगा। (४) प्रध्येक दोमिनियन के विधान-मण्डल को गृहीं प्रिपायियों मस्तिप्राप्त होगी और १५ अगस्त, १६४३ के गत्तान् ग्रिटिंग समद द्वारा पास किया जोई प्रधिनियम रिमी दोमिनियन

पर उसके विधान मण्डल की स्थीकृति के बिना लागू नहीं होगा। (५) अधिनियम ने भारत मन्त्री के पद को समाप्त कर दिया। (६) जब तक नया संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता, १९३५ का भारत सरकार अधिनियम कुच्छ संशोधित होकर भारत का वैवाहिक कानून बना रहेगा। (७) जहाँ तक भारतीय राज्यों का प्रश्न है, उनके ऊपर ये लिटिंग सांबंधीमता समाप्त हो गई और उन्हें नए डोमिनियनों के साथ अपने भावी सम्बन्धों को तय करने के लिए स्वतन्त्र छोड़ दिया जाए।

१८ जुलाई को अधिनियम पर सम्मान की स्थीकृति प्राप्त हो गई और १५ अगस्त, १९४७ को वह प्रभावी हो गया। इस प्रकार भारत में लिटिंग शासन का अन्त हुआ। साठ वर्षों के पश्चात् भारतवर्ष ने स्वतन्त्रता प्राप्त की, परन्तु इसके साथ ही साथ उसे कई दुरुह समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। राजनीतिक हृष्टि से भारत संविधियों से अखण्ड रहा था, उसके विभाजन ने मुण्ड-की-मुण्ड कठिनाइयाँ लड़ी कर दी। सबसे जटिल समस्या थी, देशी राज्यों की। वे अपने को स्वतन्त्र घोषित कर सकते थे अथवा जिस डोमिनियम में चाहते शामिल हो सकते थे। यहाँ भारत के दलकानिरतान बनते का गम्भीर खतरा दिखाया था। यदि देशी नरेश स्वयं को स्वतन्त्र शासक घोषित करने के अपने कानूनी अधिकार का प्रयोग कर दैठते, तो भारत की स्वतन्त्रता का कोई मूल्य नहीं रहता। अंग्रेजों ने दीर्घकाल तक भारत का शोषण किया था और जाते-जाते वे उसमें एक और तुन लगा जाने। वया यह एक जानी-वृक्षी चेष्टा नहीं थी, उस स्वतन्त्रता को अन्तर्धानस्त करने के लिए जो उदारता के इतने अधिक प्रदर्शन के साथ दी गई थी? चर्चिल जैसे कई अनुदार राजनीतिज्ञों ने तो यहाँ तक कहा था कि भारत की स्वाधीनता मूँग-मरीचिका से अधिक कुच्छ नहीं होगी, वह गृह-युद्ध की लपटों से क्षत-विक्षत हो जाएगा और उसमें अराजकता फैल जाएगी। फलतः इंगलैण्ड उस पर पुनः अपनी प्रभुत्व शक्ति लादने में समर्थ होगा। यह भारतीय राजनीतिज्ञों के साहस और दूरदृश्यता के प्रति अद्वैतिकि है कि वे अत्यल्प काल में ही देश की स्वतन्त्रता की जड़ जमाने और लोलुप साम्राज्यवादियों वी आजाओं को निर्मल करने में सफल हुए।

### १५०. अंग्रेजों ने भारत क्यों छोड़ा?

बहुधा पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्यवादी शासन को क्यों समाप्त कर दिया? एक उत्तर यह है कि १९४६ में अमिक दल सत्तारूढ़ हुआ और वह भारतीय स्वतन्त्रता के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए प्रतिज्ञावाढ़ था। लेकिन यह व्याख्या विशेष सतोषजनक नहीं है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारत छोड़ने का निर्णय कुचल राजनीतिज्ञों का अथवा महात्मा गांधी के दबदों में लिटिंग राष्ट्र का सबसे

भलो' काम था। लेकिन इस बात में सन्देह है कि यह निर्णय सर्वथा ऐच्छिक था। यह एक तथ्य है कि इंगलैण्ड की समाजवादी सरकार भी उपनिवेशवाद के प्रतिकूल नहीं रही रही है। आज भी न्यूनाधिक रूप में ६० लांड और वैदेह उपनिवेशों में विदिश साम्राज्यवाद एक जीवित शक्ति है। तब किर इंगलैण्ड ने अपने पारतीय साम्राज्य में हाथ धोने का क्यों निश्चय किया?

**परिस्थितियों की विवरता—**—सबने महापूर्ण कारण डॉ. पटुआनि सीतारामाया के अनुसार “समय की गति और परिस्थितियों की विवरता है।” वह थेठ आदर्शवाद नहीं अपितु परिस्थितियों का बत था जिसने अप्रेजों को भारत छोड़ने के लिए आध्य कर दिया। द्वितीय विद्युद ने डर्लैंड की दृष्टि और प्रतिष्ठाता को इन्हसनित कर दिया था। आर्थिक दृष्टि से उसका दिवाला निवल हुका था और वह अमेरिका का भोहताज होकर ही घेने रह सकता था। निमंत्त उसे अपने राष्ट्रीय और आर्थिक पुनर्जीवान्ति के लिए अपनी सम्पूर्ण जन-शक्ति दी आवश्यकता थी। उसकी यह स्थिति नहीं थी कि भारतवर्ष में अपने साम्राज्यवादी प्रदूँव को कायम रखने के लिए पर्याप्त सेना रख सकता।

**विदिश शासन एक निष्ट असम्भावना—**—भारतवर्ष की परिस्थिति ने भी इंगलैण्ड के साम्राज्यवादी शासन को एक निष्ट असम्भावना कर दिया था। एनिया अपनी धुग्युग च्यापी तन्द्रा को त्याग कर उठ रहा हुआ था और उपनिवेशवाद की मौत की घण्टी बज नुकी थी। भारतवर्ष में राष्ट्रीय भावना इतनी प्रकाशिता को पृच्छ दूकी थी कि इंगलैण्ड ने जनता को शक्ति के द्वारा दबाए रखने की अमारता देख ली। भू, ४२ की प्रान्ति अप्रेजों के लिए एक स्वृष्ट चेतावनी थी कि वे शीघ्र लिंगोद्ध भारत छोड़ दें अन्यथा भयंकर परिणाम होंगे। आजाद हिन्द फौज का उद्भव और भारतोपनीमेना का विद्रोह भी कम महत्वपूर्ण नहीं था। अप्रेजों ने इस बताते को अच्छी तरह समझ लिया था कि जनता की राष्ट्रीय आकाधारों का दमन बरने के लिए भारती सेनाओं का अब और प्रयोग नहीं किया जा सकता। अप्रेज अपनी राजनीतिक ध्येयाव-बुद्धि और अनिवार्यता उपरिष्ठत होने पर समझीने की जायरता के लिए प्रसान है। स्पष्ट था कि यदि अप्रेज राजी से नहीं जाने लो उन्हें कुराजी में जाना पैदला। फलत उन्होंने भारत छोड़ने का और जनता की सद्भावनाओं को जीतने का निश्चय किया।

## १११. सुभाष चोस और आजाद हिन्द फौज

सुभाषचन्द्र चोस और उनकी आजाद हिन्द फौज ने भारतीय स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। यहीं उनका कुछ विशद् प्रगति-विरेश करना उचित प्रतीन होता है। नेताजी भारतीय स्वतन्त्रता के प्रकान्दिष्ठ पुजारी थे। मातृभूमि

की परतन्त्रता-वेदियों को काटने के लिए उन्होंने जो अथक वलिदान किए उनके कारण उनका नाम देश के इतिहास में सदैव स्वसुधारियों में अंकित रहेगा।

**जन्मज्ञात योद्धा**—वे जन्मज्ञात योद्धा थे। अपने विद्यार्थी-जीवन में उन्होंने एक अपेक्ष अध्ययक को भारत के ममत्वन्ध में निन्दावृत बातें कहने पर पीट दिया। सोलह वर्ष की अवस्था में वे घर में भाग गए और साकू का भेष धारण कर हिमालय की नीची पहाड़ियों में घूमते रहे। बाद में उन्होंने कैम्ब्रिज से आनंद की डिप्लोमा प्राप्त की और आई० मी० एस० की परीक्षा में चतुर्थ उत्तीर्ण हुए। लेकिन उन्होंने नौकरी नहीं की और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करना अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया। देशवन्धु भितररंजनदास के नेतृत्व में उनके राजनीतिक जीवन का शीरणशेष हुआ और उन्होंने जीवान्तपूर्वक असत्तरत गति से उन्नति की। जब वे ३३ वर्ष के थे, कलकत्ता के मेयर नियोगित हुए। १९३८ में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अगले वर्ष भी उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष पद जीत लिया। इस बार उन्होंने महात्मा गांधी के खुला विरोध करने पर भी सफलता प्राप्त की। लेकिन कुछ समय बाद ही कांग्रेस के दक्षिण-पक्ष के माध्यम उनका मतभेद इतना तीव्र हो गया कि उन्होंने संस्था छोड़ दी और अपने एक पृथक् दल फार्बर्ड ब्लाक की स्थापना की।

सुभाष चोपड़ा कांग्रेस के वर्षभक्त का ग्रसिनिवित्करण करते थे। वे सरदार पटेल और राजेन्द्रप्रसाद की तरह कठुर गांधीवादी नहीं थे। अहिंसा का सिद्धान्त उन्हें केवल एक नीति के रूप में मान्य था। “यदि गांधीजी भारतीय राष्ट्रवाद के सूर्य थे, जिनके चारों ओर कांग्रेस के समर्पण ग्रह परिभ्रमण करते थे, तो सुभाष चोपड़ा एक नक्षत्र थे, जिनका अपना एक पृथक् यहापन था।” देश के नवयुवक-वर्ग का संगठन करने में उन्होंने बहुत काम किया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भी वे अध्यक्ष रहे थे। उनका विचार या कि राजनीतिज्ञ के रूप में गांधीजी असफल रहे हैं।

**आजाद-हिन्द फौज और सुभाष चोपड़ा—चुलाई**, १९४० में भारत सुरक्षा अधिनियम के अवीन सुभाष चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में स्वास्थ्य विगड़ा जाने के कारण शरकार ने उन्हें छोड़ दिया और उनके घर पर ही उन्हें नज़ारन्धर कर दिया। २६ जनवरी, १९४१ को वे रहस्यमय ढंग से अद्वय हो गए और कुनी का भेष धारण कर उत्तरी भारत, अकमानिस्तान और रूस होते हुए जर्मनी जा पहुंचे। चुलाई, १९४३ में उन्होंने दक्षिण-पूर्वी एशिया में आजाद हिन्द फौज का नेतृत्व सम्भाल लिया। आजाद हिन्द फौज का संगठन सितम्बर, १९४१ में भारत के एक जातिकारी रासविहारी बोस ने किया था। इस फौज में वे साठ हजार भारतीय सैनिक सम्मिलित थे जिन्हें फ्रिटिश सेनापतियों ने जापानीयों की दया के ऊपर छोड़ दिया था। वे देशभक्त मैत्रिक रासविहारी बोस के आह्वान पर जापन की सहायता से भारत की

स्वतन्त्रता के लिए सधर्ये करने को कून-मकलप हो गए। कैप्टन मोहनसिंह ने आजाद हिन्द फौज में नई जन फूंकों और उसे देन की स्वतन्त्रता के लिए मर मिटने का गुरु-मन्त्र दिया। वे उसके प्रथम मेनापति थे। मब सुभाष चोट इन्हें पहुंचे तो आजाद हिन्द फौज को मुँह माँका भरदान एक गमिलील नेतृत्व हो गया। सुभाष चोट को मेना-मचालन का कोई प्रयुक्ति नहीं था। लेकिन उन्होंने अपने जादू भरे अवितत्व, अपूर्व स्मरण क्षमता और विलक्षण भयान-कला द्वारा आजाद हिन्द फौज को, जिसके पास न अस्थ-अस्थ का समुचित प्रबन्ध था और न भोजनादि का, एक अद्वितीय लड़ाकू गेना बना दिया। उसके 'दिनों चर्चों' नामे ने मिपांडियों में अपूर्व उत्साह पैदा किया, मिपाही अतिशय बठिन परिस्थितियों में लड़े और उनकोटि आपत्तिया आने पर भी अपने दृढ़ निष्ठय से रक्षमात्र भी खिलता नहीं हुआ।

उनके मियान को असफलता और उनको मृत्यु—आजाद हिन्द फौज ने बर्मी में यानदार नडाई नडी और कुछ मगाय के लिए भारत की भूमि पे पदारपण किया। नेताजी की अस्थारी मरकार ने कुछ समन नक मनोषुर और ऐंबुव्युर के छोटे से राज्य क्षेत्र मे जिसका विलार अम्भग १५,००० वर्ग मील था, काम किया। लेकिन अन्त मे मासग्रो-रमद और प्रस्त्र-अस्त्रादि के अभाव और पराजिन जापानियों के सहायता सून्ध दूपिट्कोण के कारण आजाद हिन्द फौज को मिथ राष्ट्रों के ममुख गुटने टेकने पड़े। सुभाष चोट अपने मियान को प्राप्त करने मे असफल हुए और १६ अगस्त, १९४५ को जापान के अस्त्र-समर्वण के कुछ समय बाद ही, ४८ घंटे की अम्भातु मे, एक हवाई दुर्घटना मे उग्रता देहान्त हो गया।

दैश-दोषी नहीं दैश भक्त—सुभाष चोट की मृत्यु ने उन्हे अमर दर दिया। भारत की जनता उन्हें अपने दैश के एक रोमे महान् सपूत के रूप मे भटव याद रखेंगी जिसने उनकी स्वतन्त्रता के लिए अपना सर्वेत विविदान किया। उभ द बोत के हृदय मे विडेओ यागन के प्रति और दृग्मा का यात्र था। कतिशय पश्चित ते लेखकों ने उन्हे विभीषण बताया। लेकिन यह दोपारोपण मर्बया मिल्या था। उन्होंने आजाद हिन्द फौज के एक कठातनो-मेना होने के आरोप का प्रतिवाद किया। अपने सम्बन्ध मे तक बार उन्होंने कहा था कि "यदि विटिन राजनीतिक मुझे कृपनाने अथवा गरवन करने मे असफल हो चुके हैं, तो कोई और राजनीतिक गंमा करने मे सफल नहीं हो सकता।" सुभाष चोट का यह दृढ़ विवरण वह कि भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम मे विजय प्राप्त करने के लिए विडेओ महाया को अनेकां अवश्यकता है। तिनक की भाँति उनका भी यह विवरण वह कि अपने भाऊ की भिंडि के लिए मन चाहे यादों का प्रयोग किया जा सकता है।

सुभाष चोट ने जहां उन्हें मृत्यु थी, वहां उन्हें बृद्ध दुर्घटनाएँ भी थीं। उनमे

एक बड़ा दोष यह था कि वे स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल नहीं बना पाते थे। उनके चरित्र में शहृमन्यता की प्रवाहता थी और आकेले संघर्ष-रत रहना। उनके लिए सदैविक सुखकर था। महात्मा गांधी के सर्व उनके गम्भीर मतभेद थे और उन्होंने 'कांग्रेस हुई क्रमांक के मर्वस्वायत्रवाद' के विषद् सतत शुद्ध किया। वैसे उन पर स्वर्व फासिस्ट प्रदूतियों वाला व्यक्ति होने का सन्देह किया जाता था। लेकिन उनके बीरता-पूर्ण अन्त ने उनकी दुर्दलनाओं की सूति को शुला दिया और देववासियों के हृदय-मन्दिर पे उनकी मूति भारतीय स्वतन्त्रता के उस अभर नावक के रूप में विराजमान है जिसने मातृभूमि की मुक्ति के लिए अपना तन-मन-बन सभी कुछ निछावर कर दिया।

### सारांश

१९३५ के अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् मुस्लिम राजनीति में एक नया मोड़ उत्पन्न हुआ। अब तक मुस्लिम पृथक्तावाद ने अपनी मौगिं को पृथक् नियोजक मंडलों, गुरुभार और संरक्षणों तक ही सीमित रखा था। लेकिन १९३८ में हिं-राष्ट्र सिद्धान्त सामने आया और १९४० में मुस्लिम लीग ने पृथक् मुस्लिम राज्य पाकिस्तान की माँग अंगीकृत की।

पृथक्तावाद की इस प्रकार की माँग पृथक्तावाद का स्वाभाविक निष्कर्ष था। इससे बल ही प्रत्येक ओज पा चुकने पर मुस्लिम लीग ने मुस्लिम जनता पर अपने प्रभाव को जमाए रखने के लिए पाकिस्तान का नारा बुलाय किया। पाकिस्तान की माँग के लिए कुछ और कारण भी उत्तरदायी थे। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर संयुक्त मन्त्रिमण्डल बनाना अरबीकार कर दिया, लीग इससे बहुत झुंड हुई और कायदे-आजम जिन्ना ने देश के विभाजन के लिए प्रचल्प अन्दोलन शुरू कर दिया। कांग्रेस ने विशाल पैमाने पर जिस जन-सम्पर्क आनंदोलन को शुरू किया था, मुस्लिम लीग ने उसे अपने अस्तित्व के लिए ही एक घमकी समझा और कांग्रेस शासित प्रान्तों में हिन्दू-अत्याचार की आवाज ऊँची थी। हिन्दुओं के अत्याचार के छिड़ोरा ने लीग को अपनी लक्ष्य-पूर्ति में सहायता दी और मुस्लिम समाज पर उसका प्रभाव जम गया। हिन्दू महासमाज के नेतृत्व द्वारा प्रकटित हिन्दू साम्प्रदायिकता का भी यह प्रभाव हुआ। आग्ने-भारतीय नीकरणहोंने भी भारत की एकता को खण्डित करने में अपनी ओर से कुछ चढ़ा न रखा। उनकी कुचेष्टाओं ने भी पृथक्तावाद की भवना को बल दिया।

हिं-राष्ट्र-सिद्धान्त मुस्लिम लीग की विचारधारा का केन्द्रविन्दु और उसकी पाकिस्तान की माँग का आधार बन गया। उसने दावा किया कि हिन्दू और मुसलमान कभी एक राष्ट्रीयता नहीं हो सकते क्योंकि 'उनके धर्म, दर्शन, सामाजिक आचार और साहित्य एक दूसरे के मिल्ना हैं। यह एक विकट सिद्धान्त था। इसने धर्म को राष्ट्रीयता

की एकमात्र कमीटी माना और इस तथ्य को उपेक्षा की कि भारतीय मुसलमान उन हिन्दुओं के बशज हैं जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था। यदि पह मान भी लिया जाए कि हिन्दू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं, तो इसमें पह निष्कर्ष नहीं निश्चित है कि उनके दो पृथक् राज्य होने चाहिए। “एक राष्ट्र, एक राज्य” एक विगत सिद्धान्त है और स्निट्जरलैण्ड तथा मोवियत रूम जैसे कहुराट्रीय राज्य यह गिर्ढ़ करते हैं कि एक अधीक्षण राज्य की अप्रश्नाया में कई राष्ट्रीयताएँ शान्तिपूर्वक रह सकती हैं।

लेकिन लोग को तर्क में क्या मनलब दा ? उसका पाविस्तान आन्दोलन बराबर आगे बढ़ना गया। नीम ने उत्तर-पश्चिम में पश्चिमोत्तर भीमाप्रान्त, पश्चात्, सिन्ध और बनोचिस्तान व उनके पूर्व में आसाम और बगाल की मांग की। मुस्लिम माझदाय के कई विभागों ने इस मांग का विरोध किया। काश्रेम अखण्ड भारत के आदर्श की पुजारी थी यद्यपि वह मुस्लिम जनता के ऊपर उमकी दृष्टि के विपरीत लकड़ा लाइन के लिए भी प्रस्तुत नहीं थी। फ़िस्यन्यूज ( १९४२ ) ने पाविस्तान की मांग को परोक्ष हृषि में स्वीकार कर लिया, पर उसको काश्रेम और लोग दोनों ने ही अस्वीकार कर दिया। राजाजी के गूब ने भी मुस्लिम बहुजन धर्मों के अल्पनियन्ध के अधिकार को मान लिया। लेकिन काश्रेम के अधिकारी वर्ग ने उसका तिरस्कार लिया और मिठ जिन्ना ने भी उसे दुकरा दिया। इसी दीव में मुस्लिम लोग के गायप्रदायिक घुणाभाव के प्रधार ने एक भयावह स्थिति उत्पन्न कर दी और देश घृहगृह की ओर बढ़ना हुआ मालूम पड़ने लगा।

१९४५ में डॅग्लैण्ड ने धर्मिक दल मनाहृष्ट हुआ और उसने भारतीय समरया को नए निरे से सुलझाने का निश्चय लिया। भारत में केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान-भण्डलों के जो निर्वाचन हुए, उनमें महस्तपूर्ण जतीजे नामने थे। मुस्लिम लोग ने पाविस्तान के प्रदेश को लेकर चुनाव लड़ा था। उसे १९४५ में ४४४ स्थानों पर विजय प्राप्त हुई। उसे अमफलनाथ का सामना केवल पश्चिमोत्तर भीमाप्रान्त में ही का ना पदा। स्टॉट है कि उससी मर्द को मुस्लिम समाज के बहुमत का सार्वत्र प्राप्त था।

१९४६ के द्युम ये प्रधान मन्त्री एंटली ने दो महस्तपूर्ण नकारात्मक दिए। उन वक्तव्यों में उन्होंने भारत के स्वतंत्रता के अधिकार को स्वीकार लिया और कहा कि “अल्पनियन्ध के लिए कंविनेंट मिशन ने भारत की यात्रा की। अपनी यात्रा में, मिशन ने पाविस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया और भारत भूमि के निए नीन स्तर वाले मधिधान को बताने के उद्देश्य में एक मधिधान सभा वो श्वापना दा मुसाबिद दिया। जब तक नया मधिधान यन कर नेतृत्व न हो जाए, उस मधिध तक के लिए उसने एक

ऐसी अन्वरिम तरकार जी स्थापना का जिसमें भारत के प्रमुख दलों के प्रतिनिधि सम्मिलित हों, प्रस्ताव किया।

कैविनेट बिभान पचाट के घटकाणन के उपरान्त भारत में घटनाचक्र बड़ी तेजी में और भवंतकरता से बढ़ा। लीग के प्रतिनिधियों ने मंविकान सभा का व्याहिष्कार किया। वहाँपि लीग अन्वरिम तरकार पे सम्मिलित हुई, लेकिन पाकिस्तान को प्राप्त करने के प्रयोजन नहीं। उनके प्रत्येक कार्यवाही आन्दोलन ने विभाल साम्प्रदायिक उपद्रवों की एक शृंखला नूल कर दी। इगलैष्ड ने जब देखा कि वह भारतवर्द्ध में अपना साम्राज्यवादी प्रभुनव और अंतर्क कायम नहीं रख सकता, तो उन्हें २० फरवरी, १९४७ को जून, १९४८ तक भारत छोड़ देने के अपने ऐतिहासिक निर्णय की घोषणा कर दी। मार्च, १९४९ में लाइं बैंकिल के म्यान पर लाइं बाउण्टेन भारत के बायनराय बनकर आए। उन्होंने भारत के विभाजन और दो पृथक् डोमिनियनों—भारत और पाकिस्तान की स्थापना के लिए एक बोजना तैयार की। देश की मंकटापन्न स्थिति को देखते हुए कांग्रेस ने एक अवश्यक बुराई के रूप में विभाजन को स्वीकार कर लिया। १५ अगस्त, १९४७ को ३ जून के माउण्टबेटन पचाट की जर्ती के अनुनाद देश का विभाजन हो गया और पाकिस्तान नया भारत दो प्रमुख सम्पन्न राज्यों के रूप में अवतरित हुए।

## अध्याय १५

### भारत का नया संविधान

#### ११२. संविधान सभा और नए संविधान का निर्माण

**संविधान सभा की मांग—** भारतीय गणराज्य का वह संविधान, जो २६ जनवरी, १९५० को शुरू हुआ, भारत की संविधान सभा के परिवर्तम का फल था, जिसका मवें पहले ६ दिसम्बर, १९४६ को आयोजन निया था और जिसने २६ नवम्बर, १९४६ को अपना काग पूरा किया। कांग्रेस ने व्यस्त मनाधिकार पर आधारित ऐसी निर्वाचित संविधान सभा की मांग, जो भारत के लिए एक संविधान बना सके, मवें पहले १९३४ में की थी। कांग्रेस ने १९३६ में और किराद के बर्पों में इस मांग को पहले १९३४ में की थी। कांग्रेस ने १९३६ में और किराद के बर्पों में इस मांग को वारम्बार दुहराया, लेकिन उसका कोई विस्तै परिणाम नहीं निकला। यह महायुद्ध की विभीषिका का ही फल था, जिसने १९४२ में डगलसैट को विश्व प्रस्तावों में निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के अपने संविधान बनाने के अधिकार को मानने के लिए संविधान सभा के द्वारा भारत के प्रति अपनी नीति के विवरण कर दिया। बाद में विश्व अधिकारियों ने भारत के प्रति अपनी नीति के सन्वर्त्य में जो भी महत्वपूर्ण व्यवस्था दिए, उन सब में उन्होंने अपनी इस अधीड़ति को वारम्बार दुहराया। भारत की संविधान सभा का जन्म कैविनेट मिशन घोषना के उपचर्वों के द्वारा पर हुआ था।

**गठन और निर्वाचन-प्रक्रिया—** संविधान सभा भारत के प्रमुख सम्बद्धार्यों के प्रतिनिधियों से गठित हुई थी। विभिन्न प्रांतों और राज्यों के बीच स्थानों पर वितरण भोटे तोर से १० लाख की जनसंख्या के ऊपर एक प्रतिनिधि के हिसाब से वितरण किया गया था। प्रांतों से गद्दारों के निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रांतीय सभा मान्यदायिक निर्वाचक-समूहों में विभाजित एक निर्वाचक-मण्डल के रूप में रायें करती थीं। ये निर्वाचक समूह मानुगात प्रतिनिधित्व के द्वारा प्रकल भव्यता प्रदान के लिए सारे अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करते थे। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों की नामांकन वाले के द्वारा निश्चित होने के लिए छोड़ दी गई थीं। कठिन लागत के अधीन प्रस्तावित संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या ४८६। ४८६ सदस्य ये देशी राज्यों के ६३ प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे।

## भारतीय राजनीति और शासन

३३८

प्रान्तों के लिए स्थानों का निर्धारण निम्न प्रकार से हुआ—  
**प्रतिनिधित्व-तालिका**

### विभाग क

प्रान्त	साधारण	मुस्लिम	कुल जोड़
संयुक्त प्रान्त	४७	५	५२
महाराष्ट्र	४५	४	४९
बिहार	३१	५	३६
बंगाल	१६	२	१८
सी० पी०	१६	१	१७
उडीसा	६	०	६
योग :	१६७	२०	१८७

### विभाग ख

प्रान्त	साधारण	मुस्लिम	शिवाय	योग
पंजाब	८	१६	४	२८
सिन्ध	१	३	०	४
गुजरात-				
सीमाप्रान्त	०	३	०	३
योग :	८	२२	४	३४

### विभाग ग

प्रान्त	साधारण	मुस्लिम	योग
बंगाल	२७	३३	६०
शासन	७	३	१०
योग :	३४	३६	७०

उक्त तालिका के अलावा दिल्ली, अजमेर-पारखाड़ और कुर्ग के चीफ कमिउनरों के प्रान्तों के तीन प्रतिनिधि विभाग क में और बलुचिस्तान का एक प्रतिनिधि विभाग ख में बैठने लौं थे।

संविधान-सभा की सीमाएँ—कैबिनेट मिशन योजना के अधीन संस्थापित संविधान सभा प्रभुत्व-सम्पन्न संसद नहीं थी। उसकी चकितयाँ सीमित थीं। “उसकी सत्ता मूलभूत सत्ता और प्रतियो दोनों में मर्यादित थी।”<sup>१</sup> वह कैबिनेट मिशन योजना में वर्णित नए संविधान की मुख्य रूपरेखा में कोई केरफार न कर सकती थी।

१. वी० एन० शुक्ला—‘दी कान्टरीट्यून आ०फ इण्डिया’ पृ० १३-१४।

जबाहररणाथे वह केन्द्र को प्रतिरक्षा, यातायात और वैदेशिक मामले छोड़ कर अन्न कोई विषय हस्तान्तरित नहीं कर सकती थी। इसके अलावा, वह क्रिटिक संसद की अस्तित्व राता के अधीन थी।

**मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार—**संविधान सभा का पहला अधिवेशन ६ दिसम्बर, १९४६ को हुआ। प्रथम अधिवेशन के प्रवासन पर सभके सब प्रतिनिधि उम्मे मस्मिन्नित नहीं हुए। मुस्लिम लीग ने उम्मे का बहिष्कार किया। बाद में वह अन्तरिम सरकार में सम्मिन्नित हुई लेकिन वहाँ उसने हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के लिए पृथक्-पृथक् संविधान सभा की अपनी मूल भाँग को दुहराया। तथापि सभा ने मुस्लिम लीग के नदरस्वों की अनुपस्थिति के बावजूद भी अपने काम को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। अपनी पहली बैठक और भारत के निभाजन के पीछे के चार अधिवेशनों में, गविधान सभा ने डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद को अपना अध्यक्ष निर्वाचित किया, जबाहर-लाल द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव औच्जिटन्स रेजोल्यूशन पास किया और नए संविधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए कई मनितियाँ<sup>१</sup> नियुक्त की। स्वतन्त्रता की घोषणा और भारत व पाकिस्तान, दो पृथक् डोमिनियनों की स्थापना के पूर्व के घोषणा और भारत व पाकिस्तान का बातावरण घास्त था। संविधान सभा के कार्य के बारे में निम्नांतः अवारतदिपता का बातावरण घास्त था।

**स्वतन्त्रता के पश्चात्—**भारतीय स्वतन्त्रता अविनियम ने मविधान-सभा के इच्छाको विलग्न बदल दिया। अब वह पूर्ण प्रभुत्व-गम्भीर मंस्था बन गई। कंविनेंट मिशन योजना के अधीन उम्मे ऊपर जो प्रतिबन्ध लगा दिए गए थे, वे सब हट गए। सभा ने विभिन्न समितियों की रिपोर्टों पर विचार किया और ३१ अगस्त, १९४७ को डाक्टर अमेड़कर की अध्यक्षता ने इन रिपोर्टों के प्रावार पर नए संविधान १९४७ को डाक्टर अमेड़कर की अध्यक्षता ने इन रिपोर्टों के प्रावार पर नए संविधान के प्रारूप को अन्तिम रूप देने के लिए एक प्रारूपमिति नियुक्त की। प्रारूप-ममिति ने प्रारूप २१ फरवरी, १९४८ को अध्यक्ष के सम्मुख उपस्थित किया और २६ फरवरी को उस जनता के लिए प्रकाशित कर दिया गया। ५ नवम्बर, १९४८ को प्रारूप-मविधान मविधान-सभा के सम्मुख उपस्थित किया गया और २६ नवम्बर, १९४८ को उसे कानून परिवर्तनों सहित अंतिम रूप से पास व प्रभीकृत किया गया। इस प्रकार मविधान-सभा को स्वतन्त्र भारत का मविधान बनाने में दो वर्ष-प्यारह महीने व आठ दिन लगे। नया मविधान २६ जनवरी, १९५० के दिन प्रवृत्त हो गया।

१. गर्भीय प्रवित ममिति, सर्वाय मविधान ममिति, राज्य मविधान-ममिति, मूलभूत अधिकारों और अलामस्यक वगों पर परामर्शदात्री ममिति, कवाचली दंशों पर परामर्शदात्री ममिति चाहिं।

## ११३. नए संविधान की प्रभुत्व विशेषताएँ

**लिखित और कठोर संविधान—भारत का नया संविधान संसार का सबसे बहुत संविधान है।** इसमें ३६५ अनुच्छेद और ८ अनुसूचियाँ हैं। इस ब्रकार यह एक लिखित संविधान है। यह एक अभिप्राय में कठोर भी है। देश का कोई भी विधान-मण्डल उसके सबसे महत्वपूर्ण उपर्याखों को अकेले संशोधित नहीं कर सकता। लेकिन यदि हम अपने संविधान की अमेरिका, स्विट्जरलैण्ड और आस्ट्रेलिया के संविधानों से तुलना करके देखें, तो पता चलेगा कि हमारा संविधान इन देशों के संविधानों की अपेक्षा कम कठोर है। संविधान में वर्णित संशोधन की प्रक्रिया न बहुत कठिन है, न अपेक्षा कम कठोर है। संविधान ने राष्ट्रपति को यह शक्ति दे दी है कि वह आपात की उद्बहुत जटिल। संविधान ने राष्ट्रपति को यह शक्ति दे दी है कि वह आपात की उद्बहुत जटिल। संविधान ने राष्ट्रपति को यह शक्ति दे दी है कि वह आपात की उद्बहुत जटिल। संविधान में लचीलेपन के तहव का समावेश हो गया है। यदि राज्य परिषद् अपने भी संविधान में लचीलेपन के तहव का समावेश हो गया है। यदि राज्य परिषद् अपने दो तिहाई बहुमत से घोषणा कर दे कि राज्य-सूची में प्रत्याख्यात अमुक विषय का संघीय विधान मण्डल के लोकाधिकार में आना राजीव हित की हृषि से आवश्यक है, तो उस विषय पर सावारण परिस्थितियों तक में संघीय विधान मण्डल कानून बना सकता है।

यह भारत को प्रभुत्व-शक्ति सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य घोषित करता है—संविधान भारत को एक प्रभुत्व-शक्ति सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। भारतीय संविधान का गणराज्यात्मक स्वरूप इस तथ्य से प्रकट है कि राज्य का कार्यकारी प्रधान कोई अनुबंधिक नरेश नहीं, अभिन्न निर्वाचित राष्ट्रपति है। तावं-भीम ब्रह्मस्क भताधिकार का सूत्रपात, पृथक् साम्बद्धाधिक निर्वाचिक गणों और अस्पृश्यता का अन्त, समर्थनीय मूल अधिकारों का अनुदान तथा स्वतन्त्र न्यायपालिका का संचालन आदि तथ्य ऐसे हैं जो भारतीय संविधान के लोकतन्त्रात्मक आधार की पुष्टि करते हैं। संविधान का मुख्य उद्देश्य भारत के समस्त नागरिकों के लिए स्वतन्त्रता, समता और बन्धुता प्राप्त कराना है और इस उद्देश्य को प्रस्तावना में घोषित कर दिया गया है। भारत शिष्टि राष्ट्रमण्डल का सदस्य है, लेकिन इससे उसकी प्रभुत्व-शक्ति पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

**एकात्मक आत्मा-सहित संघीय संविधान—संविधान भारतवर्ष में संघीय राजतन्त्र की स्थापना करता है।** उसने निर्धारित किया है कि भारत, अर्थात् इण्डिया, राज्यों का संघ होगा। दूसरे संघों की तरह भारत में भी दो कोटि की सरकारें हैं—संघीय सरकार और राज्यों की सरकारें। संविधान शक्तियों का केन्द्र और अवधीनी एककों के बीच तीन सूचियों—संघ-सूची, राज्य-सूची और समवर्ती सूची में विलकुल

स्पष्ट रूप में विलक्षण करता है लेकिन यह स्पष्टत्व है कि यद्यपि भारतीय मध्य मध्य-शासन की सामान्य विशेषताएँ तो अवश्य विद्यमान हैं, वह एक आदर्श मध्य नहीं है। उसमें निश्चित हप में एकत्रित अभिनवति है। भारत यांत्रिक मध्य की अपेक्षा कठाधिक्षण मध्य के अधिक नमीय है।

**संसदीय शासन प्रणाली—**मविधान ने भारतवर्ष के लिए केन्द्र और राज्यों दोनों रथानों पर भमदीय शासन प्रणाली को घटीकृत किया है। भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों (अवधा राजप्रमुकों) में यह शासन की जाती है कि वे वैधानिक प्रबान के हप में कार्य करेंगे यद्यपि मविधान ने उनको मिथिति को विनकुल स्पष्ट नहीं किया है। तथापि, मन्त्री वैधानिक हटिंग में विधानगवड़न के निष्ठ गवन के प्रति उत्तरदायी है। यह बीज भविष्य के गर्भ में छिपी हुई है कि भारत की भमदीय-प्रणाली इसलैंड के अवधों का अनुगमन करेगी अवधा अपने एक नए आइंज का निर्माण करेगी।

**मूल अधिकार—**मविधान में एक अव्याध नागरिकों के मूल अधिकारों के लक्ष्य है। इन अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता और उन्हें भ्यायालयों द्वारा वाध्यता दी जा सकती है। उसका अभिप्राय यह है कि वह कानून अवधा अध्यादेश जो उनमें किमी अधिकार का अपहरण करता है और उच्च न्यायालयों व मर्दोंच न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। नागरिक इन अधिकारों में प्रवर्नन और भवधान के लिए मर्दोंच न्यायालय अवधा राज्यों के उच्च न्यायालयों की वरणा तक जा सकते हैं। मूलभूत अधिकारों (अनुच्छेद १२ में ३५ तक) में भारत के नागरिकों को यह गारंटी भी गई है कि वे कानून की हटिंग में विना भेदभाव के वरावर गमने जाएंगे, उन्हें भाषण, उपायना और अभिध्यक्षिति की स्वतन्त्रता रखेंगे, जानिषुर्वक अभार्त करने और समुदाय बनाने का उन्हें अधिकार रहेगा, उप के ममूर्ग राज्य-प्रेत में पूमवे-फिरने की, कही भी वयने की ओर किमी भी जीविका, वाणिज्य या अवधाय की स्वतन्त्रता का वे उपभोग करेंगे। मविधान ने मानव के पर्य और वनान् धर्म का प्रतिशोध कर दिया है और नागरिकों को अन्तकरण की तथा धर्म के अवाध मानने, प्रवरण और प्रचार करने की स्वतन्त्रता दी है। उसने प्रवर्य किया है कि अनामव्यक्तियों के हिन्दों का भवधान किया जायगा व उन्हें भिक्षा-स्वाधारों की स्वाधाना और प्राप्तामन करने का अधिकार होगा। मविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति कानून के प्राधिकार के विना यानी भव्यति में वंचित नहीं किया जाएगा और राज्य प्रतिकर दिए विना किमी भी वंचितक मध्यति को मार्वजनिक उपयोग के लिए वञ्जाहुन न करेगा।

**राज्य की नीति के निर्देशक तत्व—**भारतीय मविधान वी एक अपूर्व विशेषता राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ११३३ के यावरिंग मविधान में उकार नो गई है।

निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों में अन्तर यह है कि निर्देशक तत्वों को न्यायालयों द्वारा वाध्यता नहीं दी जा सकती, जबकि मूल अधिकारों को दी जा सकती है। तथ्यतः, इन सिद्धान्तों से केवल वह आशा की जा सकती है कि वे संघ व राज्य सरकारों की नीति का मार्ग दर्शन करें। सभी टीकाकारों के मतानुसार ये अस्पष्ट और अनिश्चित हैं और उनका संविधान में समावेश कोई व्यवहारिक महत्व नहीं रखता। इन सिद्धान्तों में कहा गया है कि राज्य का ध्येय एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को प्राप्त करना होगा, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधित हो तथा जिसमें समस्त नागरिकों को काम व जीविका के उचित साधन पाने का अधिकार हो। राज्य संविधान के एककों के रूप में आम-पंचायतों का संगठन करेगा, धर्मिकों के लिए निवाह-मजूरी आदि का प्रबन्ध करेगा, नागरिकों के लिए एक समान व्यवहार-संहिता बनाने के लिए प्रथलक्षील होगा और बालकों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का उपचार करने की जेटा करेगा।

संविधान का उद्देश्य भारत में धर्म-निरपेक्ष राज्य को स्थापना करना है—नए संविधान का लक्ष्य भारत में साम्प्रदायिक अथवा धर्म-सापेक्ष राज्य की वृद्धि को रोकना है। इसके स्थान पर उसका उद्देश्य भारतवर्ष में धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्रात्मक राज्य की स्थापना करना है। ऐसी व्यवस्था में राज्य न तो धार्मिक होता है, न अधार्मिक होता है, न धर्म-दिवोधी होता है अपितु धार्मिक मामलों में सर्वथा तटस्थ रहता है। हमारे संविधान ने समस्त नागरिकों को धर्म, वश और जाति के बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार प्रदान किए हैं। धर्म के सम्बन्ध में संविधान ने प्रत्येक नागरिक को अपने मनोवाचित धर्म का अवाध गति से पालन करने की स्वतंत्रता दे दी है। यदि किसी व्यक्ति का धर्म में विश्वास नहीं है, तो वह अपने धर्म-दिवोधी चिचारों को भी धारण कर सकता है। राज्य स्वयं को किसी धर्म विशेष से सम्बद्ध नहीं करता और सब धर्मों पर सम-हृष्ट रहता है। राज्य का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उन्नति करना है, अपनी आध्यात्मिक उन्नति का पथ व्यक्ति स्वयं प्रशस्त कर सकता है, वह उसका अपवृज्जित या वैयक्तिक मामला है।

#### ११४. नागरिकों के मूल अधिकार

‘अधिक विश्वास और यथार्थ’—भारत के संविधान ने नागरिकों को कई मूल अधिकार प्रदान किए हैं। अमेरिका, सोवियत रूस और बेल्जियम जैसे संसार के अन्यान्य देशों के संविधानों में भी एक आध्यात्म नागरिकों के मूल अधिकारों पर विचार मान है। इस प्रवार नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करना हमारे संविधान की कोई अपनी विजी विशिष्टा विशेषत नहीं है, लेकिन जैसा कि श्री अनन्तशयनम् आयंगर

ने कहा है, "वह भारतीय संविधान में जनता को गारण्टी किए गए मूल अधिकार दुमरे बहुत से देशों के संविधानों में पाए जाने वाले मूल अधिकारों से अधिक विशद और यथार्थ है।" चूंकि नए संविधान ने भारत की जनता को मूल अधिकारों से सर्वेता बच्चित ही, अतः इनका महत्व और भी यह जाता है। संविधान के भाग ३ को, जिसमें इन अधिकारों की एक लम्बी सूची दी गई है, भारत के 'मैन्यान-कार्ट' के नाम से पुकारा गया है।

अधिकारों को सात श्रेणियाँ—संविधान में वर्णित अधिकारों की सात श्रेणियाँ हैं—(१) समता-अधिकार; (२) स्वातन्त्र्य अधिकार; (३) योपल के विशुद्ध अधिकार; (४) धर्म-स्वातन्त्र्य का अधिकार; (५) संस्कृति और पिष्ठा सम्बन्धी अधिकार; (६) सम्पत्ति का अधिकार और (७) सर्वधार्मिक उपचारों के अधिकार।

(१) समता-अधिकार—समता-अधिकार में कानून के समक्ष समता धर्म, मूल-वंश, जाति, लिंग आदि स्वातन्त्र्य के भागार पर विभेद का प्रतिरोध और राज्यनीति नीकरी के विषय में अवसर-समता सम्मिलित है। संविधान अस्वदृष्टता का अन्त करके और दुर्घातां, नार्देजनिक भोजनालयों तथा स्नोरंजन के स्थानों से सब लोगों को समान स्थान में प्रवेश का; साताब, कुओं, रानानपाई, मडकों तथा सार्वजनिक सभागम के स्थानों के उपयोग का अधिकार देकर समता-अधिकार को व्यावहारिक बना देना है। समता-अधिकार में या विद्या सम्बन्धी उपचारों को छोड़कर देश उपचारों को समाप्त करता है। समता अधिकार पूर्ण है और यह नव नागरिकों को विना किसी अपवाह के प्राप्त है। फिर भी संविधान में इस बान का उल्लेख है कि हिंदू, यज्ञो और विद्युदे हुए वर्गों को समान धरातल पर लाने के लिए विद्या उपबन्ध विषय जा सकते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारत के संविधान का लक्ष्य भारत में समाजिक लोकतन्त्र की स्थापना करना है। अमेरिका संसार का सबसे प्रगतिशील नोक-तन्त्रात्मक देश है लेकिन वही भी राय के अधार पर विभेद की भावना को दण्ड योग्य अपराध नहीं माना गया। अतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान में जिन गमना अधिकारों का उल्लेख किया गया है, वे अमेरिका संविधान के समता अधिकारों की अरेका अधिक वास्तविक और विद्यात्मक हैं।

(२) स्वातन्त्र्य-प्रधिकार—स्वातन्त्र्य-अधिकार (यन्त्रित १६) इस बान की गारण्टी देता है कि यह नागरिकों को धार्म-स्वातन्त्र्य और अनिवार्यता स्वातन्त्र्य का धार्मित्युर्वक और निराशुश सम्मेलन का, यंस्था या भव बनाने का, भारत राज्य सेव में अवधार संचरण का, भारत राज्य धोन के किसी भाव में निवाप करने और प्रभ जाने का, गमना अधिकारों का उल्लेख किया गया है, वे अमेरिका संविधान के समता अधिकारों की अरेका अधिक वास्तविक और विद्यात्मक हैं।

(३) स्वातन्त्र्य-अधिकार पर प्रतिवन्ध—स्वातन्त्र्य अधिकार किसी भी प्रकार पूर्ण नहीं है। इनके ऊपर कई बड़े-बड़े प्रतिवन्ध लगे हुए हैं और इन प्रतिवन्धों की कई विधान विदारदों ने कड़ी आलोचना की है। उदादरणार्थ उनका कथन है कि निवारक-निरोध अधिनियम के अधीन, जिसे संविधान का सम्मोहन प्राप्त है किसी भी नागरिक को तीन महीने तक और संसद की स्वीकृति मिलने पर इससे भी अधिक समय तक विना परीक्षण के जेल में रखा जा सकता है। आलोचकों का मत है कि यह कातून स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र की भावना के प्रतिकूल है, इसकी आड़ में शासन अपने राजनीतिक विरोधियों को कुचल सकता है। इसके विपरीत राज्य की मान्यता यह है कि समाज विरोधी दत्त्वों का सामना करने के लिए ये प्रतिवन्ध अवश्यक हैं। भावतु और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर संविधान अधिनियम (प्रथम संशोधन) द्वारा जिसे संसद ने जून, ५१ में पास किया था और अधिक प्रतिवन्ध लगा दिए गए हैं। यह अधिनियम राज्य को ऐसे प्रत्येक कानून की निर्मिति का अधिकार देता है, “जो राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्री सम्बन्धों, सार्वजनिक व्यवस्था, सुशीलता व नीतिकता के हित में हो अवधारणा त्यायात्य की मानहानि, अधकीरित या अपराध की उत्तेजना के सम्बन्ध में हो !” आलोचकों ने इस संशोधन की कठोर आलोचना की है और इसे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर भवकर आधार बताया है। सत्तालोजुप शासक इस अधिनियम का प्रयोग कर जनता को उसकी आधारभूत स्वतन्त्रताओं से बंचित कर सकता है।

(४) शोषण के विरुद्ध अधिकार—‘शोषण के विरुद्ध अधिकार’ मानव के पाल्य और वेट-वेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात् धर्म का प्रतिवेद करता है व इस उप-वन्धु के उल्लंघन को अपराध ठहराता है जो कानून के अनुसार दण्डनीय है। संविधान इस बात का भी उपवन्ध करता है कि चौदह वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को किसी खान में नौकर न रखा जाएगा और न किसी दूसरी संकटमय नौकरी में लगाया जाएगा। इन अधिकारों का उद्देश्य भारत में एक ऐसी समाज-व्यवस्था को कायम करना है जिसमें कि सबल व्यक्ति निर्बल का शोषण न कर सकें। ये अधिकार नव-जात भारत राज्य को ‘लोक-संगमी राज्य’ का रूप प्रदान करते हैं।

(५) धर्म स्वातन्त्र्य का अधिकार—भारतवर्ष विभिन्न धर्मों की सुमिलन भूमि है। संविधान ने समस्त नायरिकों को ‘अन्तःकरण की स्वतन्त्रता का तथा धर्म के अदाय रूप से मालने, आचरण करने और प्रचार करने का’ समान अधिकार प्रदान किया है (अनुच्छेद २५)। इन अधिकारों के तुम्हारे में यह आवश्यक है कि इनका प्रयोग सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य आदि के अधीन रहते हुए किया जाए। संविधान ने यह भी निर्धारित किया है कि राज्य हारा घोषित शिक्षा संस्थाओं

में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और राज्य से अभिजात शिक्षा-संस्थाओं में जो राज्य की निधि से सहायता पाती है, किसी भी विद्यार्थी को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने अथवा धार्मिक उपचारों में संलग्न होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। तथापि मंविधान ने इस बात का उपबन्ध बार दिया है कि राज्य धार्मिक आचारण से गम्भीर किसी प्राचिक, वित्तीय, राजनीतिक अववा अन्य प्रकार की लोकिक कियाओं का विनियम अववा निर्वन्धन कर सकता है और हिन्दुओं की सार्वजनिक प्रकार 'की धर्म मंस्थाओं को हिन्दुओं के सब वर्गों और विभागों के लिए खोल सकता है।

(५) संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार—संविधान में संस्कृति और शिक्षा-मन्दन्यस्थी अधिकारों का भी उल्लेख है। अनुच्छेद २६ में कहा गया है कि भारत के नागरिकों के किसी विद्याग को, जिसकी अपनी विदेशी भाषा, लिपि या ग्रन्थि है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा और राज्य द्वारा पोषित अववा राज्य-निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा-संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, सूत्रवन, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी के आधार पर बचित न रखा जाएगा। अनुच्छेद ३० धर्म या भाषा पर आधारित सब अल्पमन्दन्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है व इस बात का उपबन्ध करता है कि शिक्षा-संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध इस आधार पर विभेद न करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पमन्दन्यक वर्ग के प्रबन्ध में है। ये अधिकार भारत में अल्पमन्दन्यक वर्गों के लिए एक नए युग का उद्घाटन करते हैं और उन्हे सांस्कृतिक स्वतंत्रता की मारणी देते हैं।

(६) सम्पत्ति का अधिकार—अनुच्छेद ३१ सम्पत्ति के अधिकार का विवरण करता है। मंविधान ने निरिचित किया है कि "कोई अजित कानून के प्राप्तिकार के द्विना अपनी सम्पत्ति में बचित नहीं किया जाएगा" और कोई भी सम्पत्ति सार्वजनिक उपयोग के लिए नुआवजा दिए दिना कठजाहत या अजित नहीं की जा सकती। इसके अतापि राज्य के विधानमण्डल द्वारा पास किया गया कोई भी ऐसा कानून जो सम्पत्ति के अनिवार्य अंजन का उपबन्ध करता हो, तब तक प्रमाणी नहीं होगा, जब तक कि उस पर राष्ट्रपति की अनुमति न मिल गई हो। चैयकिक सम्पत्ति से मध्यद मंविधान के उपबन्ध काफी विवादपूर्व रहे हैं। समाजवादी और साम्यवादी इन उपयोगों की बढ़ोर आनंदाभाना करते हैं। विधान-पारिषदों का भी यह मत है कि इन उपयोगों के कारण भारतवर्ष में 'समाजवाद के अनिवार्य सत्त्वों सहित भौतिकत्व' की स्थापना करना कठिन हो जाएगा, जमीदार और गम्भिराली वर्ग कृषि-गृहारों के मार्ग में रोड़ अटका मजते हैं। उसन आनंदाभाना निराधार नहीं है, यह इस बात में व्यष्ट है कि कनिष्ठ राज्यों द्वारा पाप किए गए जमीदारी-उम्मीद-कानूनों को बंध करने के लिए मंवि-

धान को संशोधित करना पड़ता है।

(७) संविधानिक उपचारों के अधिकार—संविधान उन संविधानिक उपचारों के अधिकारों का भी उपबन्ध करता है जिनके द्वारा उपर्युक्त अधिकारों को प्रवर्तित कराया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद ३२ प्रत्येक नागरिक को इस बात के लिए अधिकृत करता है कि वह संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए न्यायालयों की शरण ले सकता है। इन अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे आदेश या लेख, जिनके अन्तर्गत अन्धी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिवेद (Prohibition), अधिकार-गृच्छा (Quo-warranto) और उत्तेषण (Cretiorari) के प्रकार के लेख भी हैं, निकालने की शक्ति प्राप्त है।

आलोचनात्मक मूलयोक्तन—यह स्मर्त्तव्य है कि साधारण परिस्थितियों में संविधान द्वारा प्रदान किए गए नागरिकों के मूल अधिकारों को न्यायालयों द्वारा बाध्यता दी जा सकती है। दूसरे शब्दों में, यदि राज्य साधारण परिस्थितियों में नागरिकों के इन मूल अधिकारों के अतिक्रमण का प्रयास करे तो न्यायालय उनकी रक्षा में प्रवृत्त हो सकता है। अन्यथा लोकतन्त्रात्मक देशों में भी मूल अधिकारों की यही स्थिति है। इसके अलावा अमेरिका की तरह भारत में भी न्यायपालिका को यह अधिकार दे दिया गया है कि यदि संसद अथवा राज्य विधानमण्डल द्वारा पास किया गया कोई कानून मूल अधिकारों के प्रतिकूल हो, तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है।

लेकिन भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में कठिपय ऐसी बातें हैं, जिनके ऊपर उच्च वाद-विवाद उठ सका हुआ है। प्रत्येक अधिकार के ऊपर अनेक प्रतिबन्ध लगे हुए हैं। ये प्रतिबन्ध ऐसे हैं, जिनके बारे में कहा जा सकता है कि यदि संविधान एक हाथ से अधिकार देता है, तो दूसरे हाथ से उसे छीन लेता है। भारत के संविधान के विपरीत अमेरिका का संविधान नागरिकों के मूल अधिकारों का बिलकुल निर्भ्रान्ति दृग से निरूपण करता है। भारत में मूल अधिकारों के ऊपर जो प्रतिबन्ध लगाए गए हैं, उनकी बजह से कभी-कभी न्यायपालिका के लिए यह कठिन हो जाता है कि वह कार्यपालिका अथवा विधानमण्डलों के अतिक्रमणों के विरुद्ध उनकी रक्षा कर सके। सम्भवतः भारतीय संविधान द्वारा गारण्टी किए गए मूल अधिकारों का सबसे विवाद-स्पद पहलू यह तथ्य है कि इन अधिकारों में सबसे मूल्यवान अधिकार अर्थात् वे अधिकार जो भाषण, अभिव्यक्ति, शान्तिपूर्वक सम्मेलन और संचरण आदि को स्वतन्त्रता से सम्बन्ध रखते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस समय, जब कि वह आपात की उद्घोषणा निकालता है, स्थगित किए जा सकते हैं। इस प्रकार की उद्घोषणा की प्रवर्त्तन कालावधि में राष्ट्रपति न्यायालयों से इन मूल अधिकारों को लागू करने की शक्ति भी

ने गंभीर है। यह ठीक है कि मूल अधिकारों का उपग्रहन केवल थोड़े से काल के लिए ही हो सकता है, लेकिन इसके लिए किण् गए उपवन्ध पर आलोचनों ने कठोर आवोप किए हैं। उनका कहना है कि इन उपवन्धों की ओर मैं कार्यपालिका अपनी शक्ति का दुष्प्रयोग कर सकती है और जनता के ऊपर तारीशाही लाइ रखती है। यानन का इस उपवन्ध के समर्थन में यह कथन है कि राष्ट्रीय आपात की घटियों में मूल अधिकारों को स्वीकृत करने की शक्ति राज्य को सुरक्षा के लिए आवश्यक है और सर्वजनिक स्वतन्त्रता को बायम रखना व्यक्ति की स्वतन्त्रता से अधिक महसूस्यरूप है। ऐसी स्थिति में बहुत कुछ इस बात पर निभर है कि शासन अपनी आपात-शक्तियों का किस प्रकार प्रयोग करता है। यदि शासन राष्ट्रीय हित को सेवोपरि लक्ष्य में रखते हुए अपनी आपात शक्तियों का प्रयोग करता है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह सुरक्षा और व्यवस्था के नाम में जनता के स्वतन्त्र अधिकारों को अतिक्रमत करेगा।

मम्पति का प्रधिनार भी आलोचकों के वाक्यालों का आसपद रहा है। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया है कि यह अधिकार बुल्ल अधिकार नहीं, मूल अन्धाय है। इसके विपरीत सविधान के निर्माताओं का यह कहना है कि आज जिस अन्तर्गतीन दौर से भारत गुजर रहा है, उसने हमें एक-एक कदम मम्पति कर रखता है, जिसी प्रकार के उप उपायों का अवलम्बन राष्ट्रीय हित की हाफि रो वाघनीय न होगा।

## ११५. राज्य की नीति के निर्देशक तत्त्व

निर्देशक तत्त्वों का अभिप्राय—भारतीय सविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्त्वों का अमावेश एक ऐसी विवेषता है जो आवासेष्ट के सविधान में शहर की गई है। उन निर्देशक तत्त्वों का विलन करना राज्य के लिए सर्वस्य आवश्यक नहीं है, ये निर्देशक तत्त्व तो केवल आदर्श हैं। सविधान की प्रस्तावना में एक ऐसी समाज व्यवस्था की रधापना की बात कही गई है जिसमें जीवन के सभी धार्यिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समानता, स्वतन्त्रता और स्वाध दिव्यमान हों। राज्य की नीति के निर्देशक तत्त्व उन साधनों का मिलणा करते हैं जिनके द्वारा ऐसी समाज व्यवस्था कायम की जा सकती है। अनुच्छेद ३३ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उन उपवन्धों को किसी न्यायालय द्वारा वाध्यता न दी जा सकेगी, तो भी ये “देश के शासन में मूलभूत है और कानून बनाने में उनका प्रयोग करना राज्य का वस्तव्य होगा।” अनुच्छेद ३८ में कहा गया है कि राज्य सामाजिक, अर्थिक और राजनीतिक न्याय पर अधिरित समाज व्यवस्था की रधापना का प्रयत्न करेगा। राज्य की नीति के निर्देशक तत्त्वों का सधेष में यही मार है। सुविधा की हाफि में उनका निम्न प्रकार से वर्णित रूप किया जा सकता है—(क) अर्थिक मूलका और सामाजिक कल्याण में मम्पद निर्देशक

वान को संशोधित करना पड़ा है।

(७) संविधानिक उपचारों के अधिकार—संविधान उत्त संविधानिक उपचारों के अधिकारों का भी उपकथ करता है जिनके द्वारा उपर्युक्त अधिकारों को प्रबोधित कराया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद ३२ प्रत्येक नागरिक को इस बात के लिए अधिकृत करता है कि वह संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को प्रबोधित कराने के लिए न्यायालयों की सहायता है। इन अधिकारों में से किसी को प्रबोधित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे आदेश या लेख, जिनके अन्तर्गत वन्दी प्रलयकारण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतियोगि (Prohibition), अधिकार-पृच्छा (Quo-warranto) और उत्तेषणा (Cretiorari) के प्रकार के लेख भी हैं, निकालने की जकित प्राप्त है।

आज्ञोचनात्मक मूल्यांकन—यह स्मर्तव्य है कि साधारण परिस्थितियों में संविधान द्वारा प्रदान किए गए नागरिकों के मूल अधिकारों को न्यायालयों द्वारा बाध्यता दी जा सकती है। दूसरे शब्दों में, यदि राज्य साधारण परिस्थितियों में नागरिकों के इन मूल अधिकारों के अतिक्रमण का प्रयास करे तो न्यायालय उनकी रक्षा में प्रवृत्त हो सकता है। अन्यान्य सौकर्तन्त्रात्मक देशों में भी मूल अधिकारों की यही स्थिति है। इसके अलावा अमेरिका की तरह भारत में भी न्यायपालिका को यह अधिकार दे दिया गया है कि यदि संसद अथवा राज्य विधानमण्डल द्वारा पास किया गया कोई कानून मूल अधिकारों के प्रतिकूल हो, तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है।

लेकिन भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में कठिनपय ऐसी बातें हैं, जिनके ऊपर उग्र बाद-विवाद उठ खड़ा हुआ है। प्रत्येक अधिकार के ऊपर अनेक प्रतिबन्ध लगे हुए हैं। ये प्रतिबन्ध ऐसे हैं, जिनके बारे में कहा जा सकता है कि यदि संविधान एक हाथ से अधिकार देता है, तो दूसरे हाथ से उसे छीन लेता है। भारत के संविधान के विपरीत अमेरिका का संविधान नागरिकों के मूल अधिकारों का बिलकुल नियन्त्रित होने से निरुण्ण करता है। भारत में मूल अधिकारों के ऊपर जो प्रतिबन्ध लगाए गए हैं, उनकी बजह से कभी-कभी न्यायपालिका के लिए यह कठिन हो जाता है कि वह कार्यपालिका अथवा विधानमण्डलों के अतिक्रमणों के विरुद्ध उनकी रक्षा कर सके। समझवतः भारतीय संविधान द्वारा गारण्टी किए गए मूल अधिकारों का सबसे विवादास्पद पहलू यह तथ्य है कि इन अधिकारों में सबसे मूल्यवान अधिकार अधिकृति के अधिकार जो भाषण, अभिव्यक्ति, शान्तिपूर्वक सम्मेलन और संचरण आदि की स्वतन्त्रता से सम्बन्ध रखते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस समय, जब कि वह आपात की उद्घोषणा निकालता है, स्थिगित किए जा सकते हैं। इस प्रकार की उद्घोषणा की प्रवर्तन कालावधि में राष्ट्रपति न्यायालयों से इन मूल अधिकारों को लानू करने की शक्ति भी

ले सकता है। यह टीक है कि मूल अधिकारों का इधरगन केवल थोड़े से कान के लिए ही हो सकता है, लेकिन इसके लिए किए गए उपबन्ध पर आत्मोचकों ने बढ़ोर आक्रमण किए हैं। उनका कहना है कि इन उपबन्धों की आड़ में कायेपालिका अपनी शक्ति का दुष्यायोग कर सकती है और जनता के ऊपर तानाशाही लाद सकती है। शामन का इस उपबन्ध के मध्यमें यह कथन है कि राष्ट्रीय आपात की अद्विग्नों में मूल अधिकारों को स्वयंसित करने की भौति राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक है और सार्वजनिक स्वतन्त्रता को कायम रखना व्यक्ति की स्वतन्त्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में बहुत कुछ इग बात पर निर्भर है कि शारान अपनी आपात-शक्तियों का किस प्रकार प्रयोग करता है। यदि शासन राष्ट्रीय हित को सर्वोग्गिर लक्ष्य में रखते हुए अपनी आपात शक्तियों का प्रयोग करता है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह सुरक्षा और व्यवस्था के नाम में जनता के स्वातन्त्र्य अधिकारों को अतिक्रान्त करेगा।

सम्पत्ति का अधिकार भी आत्मोचकों के बाह्यवाणों का आसपद रहा है। कुछ ने तो यहाँ तक कह डाला है कि यह समिकार मूल अधिकार नहीं, मूल अन्याय है। इसके विपरीत सविधान के निर्माताओं का यह कहना है कि आज जिस ग्रन्तकालीन दौर में भारत गुजर रहा है, उसने हमें एक-एक फदम सम्हाल कर रखना है, विसी प्रकार के उग्र उपायों का अवलम्बन राष्ट्रीय हित की इच्छा से बांधनीय न होगा।

#### ११५. राज्य की नीति के निर्देशक तत्त्व

**निर्देशक तत्त्वों का अभिग्राह—भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्त्वों का समावेश एक ऐसी विशेषता है जो आवरण-एंड के सविधान में ग्रहण की गई है। उन निर्देशक तत्त्वों का पालन करना राज्य के लिए सर्वन्याय आवश्यक नहीं है, ये निर्देशक तत्त्व तो केवल आवश्य है। सविधान की प्रस्तावना ने एक ऐसी समाज व्यवस्था की स्थापना की बात कही गई है जिसमें जीवन के सभी अर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समानता, स्वतन्त्रता और न्याय विद्यमान हों। राज्य की नीति के निर्देशक तत्त्व उन साधनों का निरूपण करते हैं जिनके द्वारा ऐसी समाज व्यवस्था कायम की जा सकती है। अनुच्छेद ३७ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उन उपबन्धों को किसी न्यायालय द्वारा वाच्यता न दी जा सकेगी, तो भोवे “देश के मानन में मूलभूत हैं और कानून बनाने में उनका प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा।” अनुच्छेद ३८ में कहा गया है कि राज्य सामाजिक, अर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आपारित समाज व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करेगा। राज्य की नीति के निर्देशक तत्त्वों का संक्षेप में यही भार है। सुविधा की इच्छा ने उनका निम्न प्रकार से वर्णिकरण किया जा सकता है—(क) अर्थिक गुरुक्षा और सामाजिक कल्याण से सम्बद्ध निर्देशक**

तत्त्व, (क) न्याय, शिक्षा और लोकतन्त्र से सम्बद्ध निर्देशक तत्त्व तथा (ग) प्रकीर्ण निर्देशक तत्त्व।

(क) आर्थिक सुरक्षा और सांमाजिक कल्याण से सम्बद्ध निर्देशक तत्त्व— अनुच्छेद ३६, ४१, ४२, ४३, ४६, ४७ और ४८ मुख्यतः आर्थिक मामलों से सम्बद्ध हैं। अनुच्छेद ३६ में कहा गया है कि राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा जिसके फलस्वरूप नर और नारी सभी नागरिकों को जीविका के समान साधन उपलब्ध हो जाएं, समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियन्त्रण इस प्रकार बेंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो सके; आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का अहितकारी केन्द्रण न हो सके, पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिल सके, श्रमिक स्त्रियों और पुरुषों के स्वास्थ्य तथा शाश्वत और बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुप्रयोग न हो सके एवं आर्थिक विवशताओं से लाजार होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल न हों तथा शैशव और किशोर अवस्था का शोषण से और नैतिक व आर्थिक परिवर्याग से संरक्षण हो सके। अनुच्छेद ४१ वेकारी, बुद्धापा, अंगद्वानि तथा अन्य अनहूँ अभाव की दशाओं में नागरिकों के लोक-सहायता पाने के अधिकार को स्वीकार करता है। अनुच्छेद ४२ में कहा गया है कि राज्य काम की यथोचित और मानवोचित दण्डों को सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रगूति सहायता के लिए उपबन्ध करेगा। अनुच्छेद ४३ में कहा गया है कि राज्य श्रमिकों के लिए निवाह मधूरी आदि का प्रबन्ध करेगा और कुटीर-उद्घोगों की उन्नति के लिए चैट्टाशील होगा। अनुच्छेद ४६ में कहा गया है कि राज्य अनुमूलित जातियों के शिक्षा तथा अर्थ-सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा। अनुच्छेद ४७ में स्वीकार किया गया है कि आहार-पुष्टि-तंत्र और जीवन-स्तर को ऊँचा करने तथा राबंजनिक स्वास्थ्य के सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद ४८ में कहा गया है कि राज्य कृषि और पशुपालक को वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठन करेगा व गोवध का प्रतियेत्व करेगा।

(ग) न्याय, शिक्षा और लोकतन्त्र से सम्बद्ध निर्देशक तत्त्व— राज्य की नीति के निर्देशक तत्त्वों में कुछ ऐसे भी हैं जो न्याय की सुरक्षा, शिक्षा के विस्तार और लोकतन्त्र के प्रसार का उपबन्ध करते हैं। अनुच्छेद ४४ और ५० न्याय की सुरक्षा से सम्बन्ध रखते हैं। अनुच्छेद ४५ में कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान व्यवहार-संहिता प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। अनुच्छेद ५० में कर्यपालिका के न्यायपालिका के पृथक्करण की बात कही गई है। शिक्षा के विस्तार के सम्बन्ध में अनुच्छेद ४५ ने निर्वाचित किया है कि “राज्य, इस संविधान

के प्रारम्भ में दम वर्ष की कालाबधि के भीतर सब वालों को नीदहृ वर्ष की अवस्था यथाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपचार करने का प्रयास करेगा।" भारत ये लोकतन्त्रात्मक भावमाओं के प्रसार के लिए निर्देशक तत्वों में ग्राम-पञ्चायतों के संघटन की वात कही गई है। अनुच्छेद ४० ने निश्चित किया है कि "राज्य ग्राम-पञ्चायतों का संघटन करने के लिए अप्रसर होगा, तथा उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त भास्तु की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हाँ।"

(ग) प्रकीर्ण निर्देशक तत्व—अनुच्छेद ४६ और ५१ की हम प्रकीर्ण निर्देशक तत्वों में गणना कर सकते हैं। अनुच्छेद ४६ ये राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और भीजों के संरक्षण की बात कही गई है। राज्य का यह अभार होगा कि वह विनाश, व्यवन और निर्बात से इनकी रक्षा करे। अनुच्छेद ५१ अन्तर्राष्ट्रीय शास्त्र और सुरक्षा यो उन्नति से सम्बन्ध रखता है। इसमें कहा गया है कि—

“राज्य—

- (क) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की उन्नति का;  
 (ख) राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को बनाए रखने का,  
 (ग) सघटित लोगों के, एक दूसरे से व्यवहारों में अन्तर्राष्ट्रीय विविध और  
 मध्य वन्यतों के प्रति अद्वार बढ़ाने का; तथा  
 (घ) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता हारा निवारे के लिए प्रोत्ताहन देने  
 का, प्रयास करेगा।"

निर्देशक तत्त्वों का संविधानिक महत्व—राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों की इस आवार पर यात्रोचना की गई है कि इनमें केवल कुछ परिवर्तन इच्छाओं का ही उल्लेख-मात्र है। प्रियंग श्रीदाम दामों ने संविधान के अध्याद ४ की, जिसमें राज्य की नीति के निर्देशक तत्त्वों का वर्णन दिया गया है, यात्रोचना करते हुए लिखा है कि “इसमें कुछ उदात्त, प्रत्याप, बहुत-भी परिवर्तन इच्छाएँ और कुछ ऐसे अधिकार जिनकी मविधान ढारा गारण्टी दी जा सकती थी, समाविष्ट है”<sup>1</sup> स्त्रियों और पुरुषों को समाज काम के लिए समान वैतन दिये, इनकी न केवल संविधान ढारा गारण्टी ही दी जा सकती है, अगले इसे कानून ढारा परिवर्तित भी किया जा सकता है। इसी प्रकार प्रारम्भिक नियमुक्त अनियार्थ शिक्षा का उपर्युक्त निर्देशक तत्त्वों ने न होकर यदि मूल अधिकारों में समाविष्ट होता, तो कही अधिक व्यवस्थाएँ।

१. प्रिमियल थीराम यमा—“इष्टियन जर्नल प्रांक पालिटिकल साइट्स”, “सम आर्टेस्टन आफ दो दुर्णियत कल्टटीट्यून भाग ३०, यका ३”, प० १०।

राज्य की नीति के ये निर्देशक तत्त्व बहुत अस्पष्ट हैं। संविधान में इस बात का साफ़-साफ़ उल्लेख कर दिया है कि “इन उपक्रमों को किसी स्थायी भाव में द्वारा वाच्यता न दी जा सकेगी”, परन्तु इसके साथ-ही-नाथ यह भी माफ़-साफ़ कह दिया गया है कि ये तत्त्व “देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि वन्नते में इन तत्त्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा।” इस प्रसंग में ‘मूलभूत’ का क्या अभिप्राय है?

इनमें कोई सन्देह नहीं कि उक्त आलोचना में सत्य का एक बहुत बड़ा अंश है, लेकिन हमें यह भी नहीं भूल जाना चाहिए कि राज्य की नीति के इन निर्देशक-तत्त्वों में कुछ धोष आदर्श निहित हैं। इन आदर्शों का संविधान में समावेश राज्य को निरन्तर इस बात की स्मृति दिलाता रहेगा कि वह इन आदर्शों की सिद्धि के लिए जेप्टाइल हो, अपनी नीतियों को इस प्रकार निर्धारित करे ताकि ये आदर्श खाली आदर्श ही न रह जाएं अग्रिम सूत्रांक बारण कर सकें। ये आदर्श किसी भी सत्तारूढ़ दल की अच्छाई और बुराई की कसौटी ही सकते हैं। जों सत्तारूढ़ दल जितना ही इन आदर्शों को सूत्रांक देने में सफल हो, उसकी उतनी ही प्रबंधणता स्वतः स्पष्ट है जिनका किसी भी सत्तारूढ़ दल की नीतियों और कार्यों का सही-सही सूत्रांकन इन आदर्शों के प्रकाश में कर सकती है। इसके अलावा लोकतन्त्रात्मक शासन प्रणाली की यह अतिवार्य विशेषता है कि उसमें लोकमत समय-समय पर बदलता रहता है। परंतु: यदि आज एक दल जासून की बागड़ीर को सम्हाल रहा है, तो कल दूसरा दल जासून की बागड़ीर सम्हाल सकता है, यदि आज अनुदार प्रवृत्तियों का दल रात्तारूढ़ है तो कुछ समय पश्चात् क्रान्तिकारी प्रवृत्तियों का दल सत्तारूढ़ हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में राज्य की नीति के ये निर्देशक तत्त्व इस बात को समावृत्त करते रहेंगे कि अनुदार दल अपनी नीति के निर्धारण में इन तत्त्वों का पूर्णतः उल्लंघन न करे और इसके साथ-ही-नाथ क्रान्तिकारी दल अपने आर्थिक व अन्य कार्यक्रमों को कार्यरूप में परिणत करने के लिए यह न अनुभव करे कि इस संविधान में काट-छाट करने की आवश्यकता है। औ एम० सी० सीतलबाड़ के नवदो भें राज्य की नीति के निर्देशक-तत्त्वों के सम्बन्ध में संविधान-निर्माताओं का अवध्य ही “यह उद्देश्य था कि ये तत्त्व प्रज्ञविलित ज्योति के रूप में राज्य के सभी प्राधिकारियों का राष्ट्र-निर्माण के प्रयत्नों में मार्ग दर्जन करें और राष्ट्र जनै: जनै: समृद्धिजाली और जक्तजाली बने जिससे वह विश्व के अन्य देशों में अग्रना वेग स्वान प्राप्त कर सके।”<sup>1</sup>

१. औ एम० सी० सीतलबाड़—“भारतीय संविधान (भाषण माना) के अन्तर्में राज्य की नीति के निर्देशक-तत्त्व”, पृ० १४।

## ११६. भारत—एक धर्म-निरपेक्ष राज्य

धर्म-निरपेक्ष राज्य क्या है?—भारत के नए संविधान की एक मुख्य विशेषता यह ही है कि उसका उद्देश्य देश में धर्म-निरपेक्ष राज्य की स्थापना करना है। धर्म-निरपेक्ष राज्य की मान्यता आज के राजनीतिक दृष्टिकोण में एक विशेष महत्त्व रखती है। पश्चिम के लगभग सभी राज्य धर्म-निरपेक्ष हैं। धर्म-निरपेक्षता के आधार पर भारत के नए संविधान की रचना करके संविधान निभताधीनों ने भारत को संमार के प्रगतिशील राष्ट्रों की पनित में ला लड़ा किया है। कुछ सीमांचों की धारणा है कि धर्म-निरपेक्ष राज्य धर्म-विरोधी होता है, परन्तु वह धारणा अल्पकुल मिथ्या है। वस्तुतः यह राज्य, "न धार्मिक होता है, न अधार्मिक होता है अतिरुद्ध वह धार्मिक और अधार्मिक सर्वथा विमुक्त रहता है और इस प्रकार धार्मिक मामलों में उसके क्रियाकलाप पूर्णतः तटस्थ होते हैं।"<sup>१</sup>

धर्म-निरपेक्ष राज्य की विवरण—धर्म-निरपेक्ष राज्य में धर्म को एक वैयक्तिक मामला माना जाता है। किंगी व्यक्ति का गीता पर विश्वास है या कुरान पर, मुहम्मद पर या ईमा पर, इससे राज्य को बद्ध क्षेत्र लेना-देना? चाहे तो कोई व्यक्ति मस्जिद में नमाज पढ़े, गिरजे में अपना पाप स्वीकार करे अथवा मन्दिर में ध्यानप्रण हो, राज्य का इससे कुछ नहीं बनता-दियड़ता। व्यक्ति की पुनर्जन्म, आत्मा के अमरत्व और इतने-नकरे के विषय में क्या धारणा है, राज्य इसकी कोई चिन्ता नहीं करता। धर्म-निरपेक्ष राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्रतापूर्वक अपना धर्म पालने का प्रधिकार होता है, राज्य स्वयं को किसी धर्म विशेष से सम्बद्ध नहीं करता वयोंकि इसका अभिप्राय यह होगा कि अन्य धर्मों के विकास का पथ अवश्य हो जाएगा। राज्य का सब धर्मों के छापर नमान अनुग्रह रहे, यह धर्म-निरपेक्ष राज्य का मूल मिठान्त है। इस राज्य में धर्म किसी व्यक्ति की योग्यता का मापदण्ड नहीं होता।

धर्म-निरपेक्ष राज्य का उल्टा, धर्म सापेक्ष राज्य—मत तो यह कि धर्म-निरपेक्ष राज्य ही सोकलन्दात्मक राज्य है। इस राज्य का उल्टा धर्म-सापेक्ष या विद्वेष्टिक राज्य होता है। इस राज्य में धार्मन को ईद्दुर का अम माना जाता है। नागरिकों के लिए यह आवश्यक होता है कि वे धार्मन के प्रति इसी प्रकार निष्ठा रखें, उसे दीदवर के ममान पूजनीय मानें। विद्वेष्टिक राज्य एक धर्म विशेष से भवद्ध होता है और उसके कायदे-कानून धर्म-युस्तकों के अनुनार निर्मित होते हैं। पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही देशों में इस प्रकार के राज्य रहे हैं।

१. बैकटरमन—"ए ट्रीटाइज आन मेकुलर स्टेट", पृ० १।

भारत में धर्म-निरपेक्ष राज्य की आवश्यकता—भारतीय संविधान में धर्म-निरपेक्ष राजतन्त्र की पुरुस्थापना का मन्तव्य विलकृत स्पष्ट है। आजादी की लड़ाई के दौरान में जिस साम्प्रदायिक निशुल्क का यहाँ विकास हुआ और जिसके कारण देश खण्डित हुआ व मानव-रक्त की सरिता बही, उसकी सबसे बड़ी चेतावनी यही है कि धर्म और राजनीति का सम्बन्ध धर्म और राजनीति दोनों के लिए ही विनाशकारी है। इसके अलावा भारत में कई धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। ऐसी दशा में राज्य स्वयं को किसी एक धर्म विशेष, चाहे वह धर्म हिन्दू धर्म ही वयों न हो, के साथ कैसे सम्बद्ध कर सकता है? राज्य के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि वह सब धर्मों के प्रति सम-हास्पि रखे प्रधार्ति धर्म-निरपेक्षता के आदर्श को अपनाए।

धर्म-निरपेक्षता और भारतीय संविधान—भारतीय संविधान में धर्म-निरपेक्षता के सिद्धान्त को कहाँ तक अपनाया गया है? संविधान की प्रत्यावना में ईश्वर की कोई चर्चा नहीं है और न किसी धार्मिक भावना को ही कोई स्थान दिया गया है। भारतीय गणराज्य का उद्देश्य देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना निश्चित दिया गया है। केंच राज्यक्रान्ति के मूलमन्त्रों—स्वतन्त्रता, समता और बन्धुता-को भी प्रत्यावना में जोड़ दिया गया है। स्वतन्त्रता और समानता पावर्दों की तो वैधानिक महत्ता है और बन्धुता एक नैतिक मूल्य है। 'धर्म' शब्द युग-युगान्तर से हिन्दू विद्यान का उद्गम रहा है। प्रत्यावना में इसका कोई उल्लेख नहीं है।

नागरिकता का आधार धर्म नहीं—संविधान के भाग दो में नागरिकता के आधार और नियम का बर्णन किया गया है। नागरिकता धर्म, वंश और रंग के आधार पर नहीं अपितु प्राचीनिक आधार पर निर्भर है। संविधान ने भारत राज्य क्षेत्र में जन्म, अधिवास और निवास को ही नागरिकता की कसीटी माना है। संविधान के भाग तीन में नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख है। इन अधिकारों को समता अधिकार, स्वातन्त्र्य-अधिकार, संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार आदि विभिन्न भागों में बांट दिया गया है। इन अधिकारों में वे अधिकार अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें धार्मिक परम्पराओं द्वारा अतिरिक्त भेदभावों का अन्त कर दिया है।

धार्मिक भेदभावों का अन्त—अनुच्छेद १५ जाति, लिंग, मूलवंश आ जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिवेद करता है। सङ्कों, कुओं और स्तनधारों जैसे सार्वजनिक स्थानों के उपयोग का जनता के सभी वर्गों को अधिकार दे दिया गया है। यही सिद्धान्त राज्याधीन नौकरी के विषय में भी लागू होता है। अनुच्छेद १७ में वहा गया है कि "अस्पृश्यता का अन्त किया जाता है और उसका किसी भी रूप में ग्राहकरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपर्युक्ती किसी नियोगिता को लागू करना अपराध होगा जो विवि के अनुसार दण्डनीय होगा।" वास्तव में अस्पृश्यता भारतीय नमाज का और

विभेद रूप में हिन्दू नमाज का एक बहुत बड़ा कारंक रहा है। इसके अन्त करके संविधान ने धर्म-निरपेक्षता के मार्ग को एक बहुत बड़ी बाधा को दूर कर दिया है।

**धर्म-स्वतंत्र्य का अधिकार**—संविधान के अनुच्छेद २५-२८ धर्म-स्वतंत्र्य के अधिकारों ने गणवन्ध रखते हैं और इसलिए वे नए धर्म-निरपेक्ष राज्य की आधार-शिला हैं। मध्ये व्यक्तियों को अन्त करण की तथा धर्म के अवाव पाने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन राज्य को किसी प्रकार की लौकिक क्रियाओं के विनियम और नियन्त्रण में, चाहे वे धार्मिक आचरण में ही सम्बद्ध क्यों न हों, व्यक्ति रखा गया है। राज्य को ऐसे कानून घनाने वी यक्ति प्राप्त है जो “मामाजिक कल्याण और गुभार उपचानित करते हैं, अथवा हिन्दुओं को सार्वजनिक प्रकार की धर्म संस्थाओं को हिन्दुओं के सब वर्गों और विभागों के लिए खोलते हैं।” मिशनों को कृपाग्र धारणा करने का अधिकार दे दिया गया है। धार्मिक सम्प्रदायों और प्राइवेट धार्मिक संस्थाओं को सम्पत्ति के उपार्जन, स्वामित्व और प्रशासन करने का अधिकार दे दिया गया है। कोई भी नागरिक ऐसे करों को देने के लिए वाद्य नहीं किया जा सकता जिनके आगम किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक सम्प्रदाय की उन्नति या प्रोपर्टी में बग करने के लिए विशेष रूप से निनियुक्त कर दिए गए हैं। राज्यनिधि में पूरी तरह सं प्रोपित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं भी जा सकती। राज्य से अभिभाव अववा राज्यनिधि से सहायता पाने वाली शिक्षा-संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए अववा ऐसी शिक्षा-संस्था में की जाने वाली धार्मिक उपासना में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को वाद्य नहीं किया जा सकता लेकिन यदि वे स्वेच्छा में चाहे तो भाग ले सकते हैं।

**अत्यसंदर्भक वर्गों के हितों का संरक्षण—अनुच्छेद २६ और ३० में गण-संदर्भक वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए उपचान निर्धारित किए गए हैं।** नागरिकों के किसी विभाग की जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या भृत्यनि है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। राज्य द्वारा प्रोपित अववा राज्यनिधि में सहायता पाने वाली किसी शिक्षा-संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवर्ण, जाति, भाषा अववा इन्हें से किसी के आधार पर व्यक्ति नहीं किया जाएगा। धर्म या भाषा पर आधारित समस्त अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनका प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध इस आगार पर विभेद न करेगा कि वह विद्यालय धर्म या भाषा पर याधारित किसी गण-संदर्भक वर्ग के प्रवचन में है। इन सभी उप-वर्गों का वाद्य यही है कि धार्मिक वार्षिकों में विना किसी वाद्यना के ज्ञान-विज्ञान और शिक्षा का अविहायिक विस्तार हो न के।

अनुसूचितजातियों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध—संविधान के भाग १६ में  
अनुसूचितजातियों के सम्बन्ध में कतिपय विशेष उपबन्धों का उल्लेख है। कहा जा  
सकता है कि वे उपबन्ध धर्म-निरपेक्ष राज्य की विशुद्ध विचारधारा के प्रतिकूल पड़ते हैं।  
परन्तु इन उपबन्धों का उतना सैद्धान्तिक महत्व नहीं, जितना व्याधाहारिक महत्व है।  
ये उपबन्ध स्थायी नहीं रहेंगे। अनुसूचित जातियों बहुत पिछड़ी हुई हैं, वे ताना प्रकार  
की निर्यान्वयाओं की शिकार हैं। यदि उनके लिए विशेष उपबन्ध नहीं किए जाते तो  
फिर उनकी उन्नति कैसे होगी? जैसे ही वे उन्नति की दौड़ में भारत के शेष वर्गों को  
पकड़ सेगी, वे उपबन्ध समाप्त कर दिए जाएंगे।

### ११७. भारत-संघ

भारत में संघीय विचार की वृद्धि—यद्यपि विटिश शासन ने भारत में उच्च-  
कोटि की केन्द्रित, एकात्मक शासन-प्रणाली स्थापित कर दी थी, फिर भी यह बराबर  
अनुभव किया जा रहा था कि भारत जैसे विशाल देश के लिए जहाँ जातियाँ, धर्मों  
और भाषाओं की विभिन्नता विचारमान है, अतिशय केन्द्रीकरण किसी भी दशा में उप-  
युक्त नहीं है। माटेंग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ये भविष्य में भारत को राज्यों के एक संघ के  
रूप में भगठित करने की चर्चा की गई थी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में भारत को  
एक संघ के रूप में संगठित करने की बात पर स्पष्ट रूप से विचार किया गया था।  
१९३५ के भारत सरकार अधिनियम ने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का  
प्रस्ताव किया, लेकिन इस संघ का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। स्वतन्त्र भारत के संविधान निर्मा-  
ताओं ने संघवाद को देश के नए संविधान के ढांचे के आधार-रूप में स्वीकार किया।

भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएँ—संविधान संघ ने (Federation)  
शब्द का प्रयोग नहीं किया है। वह भारत को 'राज्यों की एक युनियन' कहता है।  
फिर भी उसमें संघीय राजतन्त्र की मुख्य विशेषताएँ विचारमान हैं। संविधान ने संघ-  
सरकार और अवयवीय राज्यों की सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण कर दिया है।  
संघ-सूची, राज्य-सूची और समवर्ती सूची ने प्रत्येक सरकार के क्षेत्र को निश्चित कर  
दिया है। साधारण परिस्थितियों में राज्य संघ-सरकार के नियन्त्रण अवबा हस्तक्षेप  
से बचतन्त्र है। दूसरे शब्दों में, राज्य भारत संघ के स्वायत्त एकक है। संघ और राज्य  
दोनों ही अपनी शक्तियों सीधे संविधान से प्राप्त करते हैं। दूसरे, संविधान देश का  
सर्वोच्च कानून है। उसके उपबन्ध संघ सरकारों के ऊपर लागू हैं और संघ सरकार

१. हिन्दी में Federation और Union दोनों के लिए 'संघ' शब्द का प्रयोग  
चालू है।

या राज्य सरकारों में से कोई भी उनका अतिक्रमण नहीं कर सकता। दूसरे घट्टों में, कोई सरकार केवल अपनी ही सत्ता पर शक्तियों के वितरण में हँरफेर नहीं कर सकती। तीसरे, मंविधान लिखित और बठीर है। चौथे, भारत को एक स्वतन्त्र न्याय-पालिका प्राप्त है जो मंविधान दी निर्बाचिका और अभिभाविका के हृष में कार्य करती है। यदि भूमधीय यसद अवका राज्य विधान मण्डलों द्वारा पाख किया गया कोई कानून मंविधान के उपचारों के प्रतिकूल पड़ता है, तो मर्दीच न्यायालय और उच्च न्यायालय उसे शस्त्रबंधानिक धोपित कर सकते हैं।

संविधान को सबल एकात्मक अनिनति—लैकिन हमारे संविधान ने भविकाद की निष्ठा मिदान्तों में इजाना फेरफार कर दिया है कि उसे केवल अर्थसंघीय संविधान ही कहा जा सकता है। भारत “दारभूत एकात्मक विदेशपताओं महित एकात्मक राज्य अधिक है।” यह स्मर्तंव्य है कि प्राकृत भविति ने संविधान को मधीय कहना पर्यन्त नहीं किया। इसके विवरीत उसने सोचा कि “भारत को यूनियन कहने में लाभ है यद्यपि संविधान देखने में संघीय हो सकता है।” इस प्रकार संविधान देखने ने संघीय, पर वास्तव में एकात्मक है। न केवल संविधान की भाषा ने ही, उसनु उसकी भावना में भी मुख्य बल एकात्मता पर दिया गया है जो राज्यों के मूल्य पर यूनियन को शक्तिशाली बनाती है। संविधान की सबल एकात्मक अधिनति निम्न विदेशपताओं से स्पष्ट है—

शक्तिशाली केन्द्र—सबसे पहली बात तो यह है कि संविधान एक शक्तिशाली केन्द्र का सूजन करता है। यह इसलिए किया गया, क्योंकि जिस समय संविधान बना, देश की स्थिति बड़ी खात्री थी और संविधान निर्माताओं के देश ने इतिहास की इस धिक्का को याद रखा कि “केन्द्र कमज़ोर होने पर हमारा नाम हो जाता है।” कलतः शक्तियों के लिहरे वितरण में भवने प्रहृत्यपूर्ण विषय संघभूची में रखे गए हैं। यह भूची तीनों मूल्यों में सबसे लम्बी भूची है और उनमें ६७ विषय शामिल हैं। इसके अलावा समवर्ती भूची में वे ४७ विषय शामिल हैं जिनके ऊपर संघ सरकार आवश्यकता पड़ने पर विधायक और प्रशासनिक अधिकार-क्षेत्र का प्रयोग कर सकती है और ऐसा करने में राज्य सरकारों की अधिकता का अतिक्रमण कर सकती है। संविधान अवशिष्ट शक्तियों केन्द्र में निश्चित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे टिप्पीकल संघ में अवशिष्ट शक्तियों अवयवी एककों को दो जाती हैं ताकि संघीय सरकार को अत्यन्त मर्यादित और उल्लिखित शक्तियों सीधी जाती है। भारतीय संघ अमेरिका नष्ट की ग्रामेधा बनाडिग्न संघ के अधिक निकट है।

संघ और राज्यों के लिए एक संविधान—दूसरी बात यह है कि भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की तरह अवयवी एककों को प्राप्तने निजी

संविधान बनाने का अधिकार नहीं दिया गया है। भारत की संविधान सभा संघ और राज्यों दोनों के लिए एकमात्र संविधान-संचिधायी सत्ता थी। डॉ० अम्बेदकर के शब्दों में “संघ और राज्यों दोनों का संविधान एक ही है जिससे कोई बाहर नहीं निकल सकता और जिसके अन्दर रहकर काम करना उनके लिए आवश्यक है।”<sup>१</sup>

दुहरी नागरिकता का अभाव - तीसरी बात यह है कि भारत का संविधान दुहरी नागरिकता को मान्यता नहीं देता। इस हिट से हमारा संविधान अमेरिका के संविधान में बिलकुल भिन्न है। अमेरिका में प्रत्येक नागरिक न केवल समग्र देश का ही नागरिक होता है अपिनु वह अपने विशेष राज्य की नागरिकता का भी उपभोग करता है। अमेरिका में राज्य बहुधा अपने नागरिकों के साथ पक्षपात करते हैं, उन्हें कठिपय ऐसे अधिकार और विशेषाधिकार दे देते हैं, जिन्हें वे उन व्यक्तियों को जो उनके नागरिक अवयव निवारी नहीं हैं, नहीं देते या कठिनता से देते हैं। भारत में हमें एकल नागरिकता के साथ दुहरा राजतन्त्र प्राप्त है। “भारतवर्ध में केवल एक नागरिकता है। वह भारतीय नागरिकता है। यही राज्य-नागरिकता नहीं है। प्रत्येक भारतीय को नागरिकता के एक से अधिकार प्राप्त है, चाहे वह किसी भी राज्य में क्यों न रहता हो।”

आपात-काल में संविधान एकात्मक हो सकता है—चीष्टी बात यह है कि आदर्शभूत संघ में दृढ़ता होती है, चाहे कौसी भी परिस्थितियाँ वर्षों न हों, उसे एकात्मक नहीं बनाया जा सकता। “इसके विपरीत भारतीय संविधान समय और परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार एकात्मक और संघीय दोनों प्रकार का हो सकता है।” साथारण परिस्थितियों में वह संघीय प्रणाली के रूप में कार्य करेगा। लेकिन युद्ध और दूसरे राष्ट्रीय संकट-कालों में उसे विना किसी धौपवारिक संशोधन की आवश्यकता के एकात्मक प्रणाली के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यह भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषता है। आपात की उद्घोषणा निकालकर भारत संघ का राष्ट्रपति ऐसी असम्भारण शक्तियाँ बारण कर सकता है जिसके फलस्वरूप राज्यों की स्वावलम्बन स्थगित हो सकती है। आपात की उद्घोषणा के प्रबर्त्तन-काल में संघ की कार्यपालिका शक्ति राज्यों तक विस्तृत हो जाती है और संसद राज्य-गूची में प्रगणित विषयों के ऊपर भी कानून बनाने में समर्थ हो जाती है। यदि किसी राज्य का राज्यपाल या राज-प्रमुख राष्ट्रपति से इस बात की रिपोर्ट कर दे कि राज्य में संविधान के उपवन्वों के अनुसार शासन नहीं चलाया जा सकता, तब भी यही प्रभाव होगा। तब राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा राज्य की सरकार के सब या कोई कुत्स अपने हाथ में ले सकता है

१. “कॉस्टीट्यूएण्ट असेम्बली डिवेट्स, भाग -”, पृ० ३४।

और घोषणा कर सकता है कि राज्य के विधान पञ्चल की अधिकारी मंसद के प्राधिकार के द्वारा या अधीन प्रयोग्यत्व होंगी। राष्ट्रपति मंघ और राज्यों के द्वीच अधिकारों के विवरण में ममद मंविधान के उपबन्धों को भी अधोधित कर सकता है।

साधारण परिस्थितियों में भी सब की अवित्यां बढ़ायी जा सकती है—पांचवीं बात यह है कि मंघ की विधायनी अधिक माध्यारणा परिस्थितियों में भी राज्यों के भूल्य पर बढ़ायी जा सकती है। माध्यारणन, राज्य-विधान मण्डलों को राज्य-मूर्खी में प्रगतिशील विषयों के ऊपर अपवर्जी अधिकार धोने प्राप्त है। लेकिन यदि राज्य-परिषद् दो-तिहाई बहुमत में गम्भीर प्रस्ताव के द्वारा यह घोषणा कर दे कि राष्ट्रीय हिन्दी हृष्टि में गम्भीर ममद का इन विषयों में में किसी के ऊपर बासून बनाना प्रावश्यक है, तो गम्भीर ममद इन विषयों में में किसी के ऊपर कानून बना सकती है।

संसद राज्यों के प्रदेशों का पुनर्वितरण कर सकती है—छठी बात है कि भारत मंघ के एकों के प्रदेश अलगनीय नहीं है। गम्भीर ममद (क) किसी राज्य से उसका कोई प्रदेश अन्वय करके अधिकारों या अधिक राज्यों को मिलाकर नया राज्य बना सकती है, (ख) किसी राज्य के धेन को घटा या बढ़ा सकती है, और (ग) किसी राज्य की नीमाओं या उसके नाम को बदल सकती है। नविधान के अनुच्छेद ३ में कहा गया है कि ये परिवर्तन उमी भवय किए जा सकते हैं। जब कि मंसद राष्ट्रपति द्वारा ममद-राज्य अववा राज्यों के विचारों को निश्चिन रूप ने जान लेने के पश्चात् उसकी गिफार्दिय पर इस प्रयोजन के लिए एक विशेषक पात्र कर दे।

राज्य परिषद् में राज्यों का प्रतिनिधित्व—गान्धी बता यह है कि नविधान ने राज्य-परिषद् में राज्यों को नमान प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। अमेरिका स्विट्जरलैण्ड, सौवित्यन रूम और दूसरे टिसोक्स मध्यों में अवववी एकों को नम्भीय विधान मण्डल के उच्च मदन में विस्तार और जनसभ्या के भेदों पर धिना कोई ध्यान दिए गमान मध्या में रथान देकर कानूनी समानता प्रदान की गई है।

राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों को नियमित—गान्धी बता यह है कि नविधान ने निर्धारित किया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होंगे। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रताद-पर्यन्त पद धारणा करेंगे। नविधान ने उपबन्ध न की हुई किसी आकस्मिकना में राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के नियंत्रण के लिए राष्ट्रपति जैसा उचित समझे, वैसा उपबन्ध बना सकेगा। यह एक और नव्य है जो केन्द्र को राज्यों के प्रशासन पर नियन्त्रण स्थापित करने की अविन देना है, और इसनिए मन्त्र भंधवाद की भावना में प्रतिनूल है। इस हृष्टि में भी भारतीय नविधान अमेरिकन नविधान की तुलना में कनाडियन नविधान के अधिक निकट है।

नविधान मूलभूत मामलों में एक हृष्टा रिपर करता है—नवी बता यह है कि

कतिपय संघों में दुहरा राजतत्व “कानूनों प्रशासन और न्यायिक संरक्षण में विविधता उत्पन्न कर देता है।” डाकटर अम्बेदकर के अनुसार “एक विशेष सीमा तक तो यह विविधता बुरी नहीं है। इसका स्वागत किया जा सकता है, एक ऐसी चेष्टा के रूप में जो सरकार की शक्तियों को स्थानीय आवश्यकताओं व परिस्थितियों के अनुरूप व्यवस्थित करती है। लेकिन निश्चित सीमा से आगे बढ़ने पर यही विविधता अव्यवस्था उत्पन्न कर देती है और इसने बहुत से संघीय राज्यों में अव्यवस्था उत्पन्न की है।” अमेरिका में औद्योगिक व्यवस्थापन के क्षेत्र में यह अव्यवस्था स्पष्ट है। भारत में संविधान उन समस्त मूलभूत मामलों में जो देश की एकता को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है, एकरूपता स्थिर करता है। यह तीन उपायों द्वारा किया गया है—(क) एक न्यायपालिका, (ख) मूलभूत, दीवानी और फौजदारी कानूनों की एकरूप प्रणाली, तथा (ग) सामान्य अखिल भारतीय रोकाण। हमारे संविधान के अधीन राज्यों के उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय एक अखण्ड न्यायपालिका का निर्माण करते हैं। दीवानी और फौजदारी कानून व प्रक्रिया की एकरूपता इन विषयों को समर्थी सूची में रखकर निश्चित की गई है। इसी प्रकार प्रशासनिक एकरूपता अखिल भारतीय सेवाओं के लादस्थों को संघ व राज्यों में मुख्य पदों पर रखकर और राष्ट्रीय महत्व के समस्त विषयों में संघीय सरकार व राष्ट्रपति को “पहल का पर्याप्त क्षेत्र देखर सुनिश्चित की गई है।”

भारत की संघीय प्रणाली में कठोरता नहीं है—दसवीं और अन्तिम बात यह है कि भारत की संघीय प्रणाली संसार के अधिकांश दूसरे संघीय राज्यों की तरह कठोर नहीं है। न उसे अतिशय कानूनबाद से पुर्वल ही बना दिया गया है। यह हम पहले देख ही चुके हैं कि हमारे संविधान के संघीय ढांचे को राष्ट्रीय आपात की दशाओं में बिना किसी औपचारिक सशोधन के किस प्रकार एकात्मक ढांचे में बदला जा सकता है। भारत के नियंत्रण में सशोधन करना अमेरिका के संविधान में संशोधन करने की गणेशा कहीं अधिक सरल है। संक्षेप में, भारत की संघीय पद्धति के बारे में अन्तिमता का कोई भाव नहीं है। इसलिए हम डाकटर डी० एन० जैनर्जी के स्वर में स्वर मिला कर कह सकते हैं कि “भारत का संविधान निश्चित एकात्मक अभिनवि सहित देखने में संघीय है।”

### संघीय कार्यपालिका

#### ११८. राष्ट्रपति

भारत-संघ की कार्यपालिका जितना भारत के राष्ट्रपति में निहित है और वह इसका प्रयोग संविधान के उपवच्चों के अनुसार या तो स्वयं पा अथवे अधीनस्थ पदा-

विकारियों के द्वारा कर गकता है।

**राष्ट्रपति का निर्वाचन—भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रयोग रीति ने** नामुपात प्रतिनिविल प्रगाली के अनुभार एकल मंत्रमण्डीय गत के द्वारा एक संघे निर्वाचकनगण के मदम्य करते हैं जिसमें नमद के दोनों मदनों के निर्वाचित सूचनात्मक राज्यों की विधान नभाग्यों के निर्वाचित मदम्य होते हैं। इस निर्वाचकनगण के प्रत्येक मदम्य द्वारा प्रयुक्त भतों की नह्या इस प्रकार तिर्थारित की जाती है कि नमद के दोनों मदनों की मन-मस्त्या ममस्त राज्यों की विधान नभाग्यों की मन-मस्त्या के नभाम हों। किमी राज्य की विधान भाग के प्रत्येक निर्वाचित गदरय के उत्तरे मन हैते हैं कि एक हजार के गुमिल, उस भागफल में हो जो राज्य की जनमस्त्या को उस भाग के निर्वाचित मदम्यों की मम्पूर्ण मह्या में भाग देते में आए। ममद के प्रत्येक मदन के प्रत्येक निर्वाचित मदम्य के भतों की भृत्या वही होती है जो ममस्त राज्यों की विधान नभाग्यों के मदम्यों के निर्वाचित मदम्यों की मम्पूर्ण मस्त्या में भाग देते में आए।

**प्रत्यक्ष निर्वाचन को न अपनाने के कारण—** यह कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए भगीरुत प्रगाली वैधानिक पद्धति के लिए एक मौलिक देन है। इस प्रश्न पर मवियान भाग में काफी प्रारंभिक दृष्टि। जलियन मदम्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित के पक्ष में थे। उसका तर्क आसान प्रकार भी प्रगाली अधिक नोकतन्त्रात्मक होगी और राष्ट्र राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव करने में मम्पत्ति हो सकेगा। लेकिन अब ऐसे में परोक्ष-प्रगाली को ही अपनाया गया। उसके कई कारण देने पर्याप्त हैं कि प्रत्यक्षन, निर्वाचित राष्ट्रपति मर्यादीय नोकतन्त्र के अनुकूल नहीं होता यद्यपि मगद नोकतन्त्र में वास्तविक कार्यपालिका-योनि उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल के द्वारा प्रयुक्त होती है। “राष्ट्रपति का व्याप्तक मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचन, जबकि उसे केवल वैधानिक प्रधान ही होता है, विलकृत व्यक्ति समझा गया।”<sup>१०</sup> मविधान निर्मालाओं को भव था कि हो सकता है कि प्रत्यक्षन: निर्वाचित राष्ट्रपति वैधानिक शासक-मात्र की स्थिति में बद्द हो। यदि कहीं उन्हें वास्तविक दातियाँ अपने हाथों में लेने की कोऽनन्द की तो मन्त्रिमण्डल के नाय उसका मतभेद हो जाएगा और इसके फलस्वरूप वैधानिक मनिरोध उत्पन्न हो जाएगा। इसके कलाप्य यह भी भय था कि १८ करोड़ मनुदाताओं वाले देश में राष्ट्रपति का गम्भीर प्रत्यक्ष निर्वाचन विषुल व्यावहारिक कठिनाई से भी कर देगा। तुम्ह विदेश यह सोचा गया था कि राष्ट्रपति अपने ममद द्वारा ही नियोजित हो नसना है। लेकिन यह

१०. के० मन्थनम्—“दी कार्मीद्युयन यांक दग्दिया”, प० ८८।

प्रस्ताव को भी अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि वह राष्ट्रपति को वहमत वाले दल के हाथों का खिलौना बना देता और उसे "स्वतन्त्रता व अधिकार के समस्त प्रदर्शन से वंचित कर देता।"<sup>१</sup> अतः संविधान में निविचित प्रणाली को इसलिए अपनाया गया क्योंकि इस प्रकार से निविचित राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेगा और साथ-ही-साथ वैधानिक शासक भी-बना-रहेगा।

अहंताएँ—संविधान ने निश्चित किया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पत्र न होगा जब तक कि वह (क) भारत का नागरिक न हो, (ख) ३५ वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो, (ग) लोकसभा के लिए सदस्य निर्वाचित होने की अहंता न रखता हो और (घ) भारत सरकार के अवधा विसी राज्य की सरकार के अधीन अवधा उक्त सरकारों में से किसी से नियन्त्रित किसी स्थानीय या अन्य प्राविकारी के अधीन कर्त्तव्य का पद न धारण किए हुए हो। इसका अभिप्राय यह है कि कोई सरकारी नीकर राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने का पात्र नहीं है। लेकिन वह नियम उस व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होता, जो संघ के राष्ट्रपति या उप-राष्ट्रपति अवधा किसी राज्य के राज्यगत या राजप्रमुख का पद धारण किए हुए है। (ङ) संविधान के अनुसार यह भी अवश्यक है कि राष्ट्रपति न तो संसद के किसी सदन का शांत न किसी राज्य के विधानमण्डल के सदन का, सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाए, तो वह समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद छोड़ा की तरीख से रिक्त कर दिया है।

उसको पदावधि और उपलब्धियाँ—राष्ट्रपति पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। परन्तु वह अपनी पूरी पदावधि की शुमारिये के पूर्व ल्यागपत्र दे सकता है अबदा महाभियोग द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र है। वह विभिन्न भर्तों के अलावा १०,००० रुपए प्रतिमास बेतन ग्राप्त करता है। उसे विना किराया दिए सुरकारी पुदाकात्र के उपयोग का भी हक है।

राष्ट्रपति की पद-क्रिया—जब तक कि राष्ट्रपति अपनी पदावधि की समाप्ति के पूर्व अपने पद से ल्यागपत्र न दे दे, उसे 'संविधान के अतिक्रमण के लिए' महाभियोग के अलावा अन्य किसी उपाय द्वारा अपेक्ष नहीं किया जा सकता। महाभियोग एक प्रकार का संसदीय मुकदमा है। दोपरों दो तिहाई वहमत से पास किए गए किसी प्रस्ताव में संसद के किसी भी सदन द्वारा उत्तिष्ठ किए जा सकते हैं। दूसरा सदन दोपारों की छान-बीन करेगा और यदि वह दो-तिहाई वहमत से पास किए गए

प्रस्तुत में यह सोचित कर दे कि दोपारोग सिद्ध हो गए हैं, तो राष्ट्रपति अपने पद को रिक्त कर देगा।

राष्ट्रपति की शक्तियाँ : (क) कार्यकारी शक्तियाँ—संविधान सभा की कार्यपालिका अक्षित राष्ट्रपति में निहित करता है। भारत सरकार के समस्त कार्यकारी कृत्य राष्ट्रपति की ओर से और राष्ट्रपति के नाम में सम्पादित होते हैं। राज्यों के राज्यपालों, भारत के राजदूतों और दूसरे यूटनीशक्ति प्रतिनिधियों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति व दूसरे न्यायाधीशों, भारत के महान्यायपाली और नियन्त्रक, महालेखाधीक तथा सभा लोक राजा-आयोग के प्रब्धश व सदस्यों आदि की नियुक्तियाँ राष्ट्रपति ही करता है। प्रथम अनुमूली के भाग (ग) के राज्यों का जासन प्रबन्ध राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कमिशनर अथवा लैफिटेंट गवर्नर करते हैं। राष्ट्रपति सरकार की कार्यवाही के सभ्यकृ मत्तालन के लिए नियम दबाना नकला है।

(ख) विधायिनी शक्तियाँ—संविधान राष्ट्रपति में विशाल विधायिनी शक्तियाँ भी निहित करता है। राष्ट्रपति घर में बम-सेक्युरिटी दो बार लंसद को आहत करता है। वह संसद के किसी भी सदन का नाशावसान और जोक्याभा का विषट्टन कर सकता है। यदि प्रसद के दोनों सदन किसी विषेषक पर एकमत न हो सके, तो वह उनकी संयुक्त बैठक आहत कर सकता है। राष्ट्रपति राज्य-परिषद् के १२ सदस्य भी प्रनोनीत कर सकता है। वह भाहे तो सदन के दोनों सदनों को पृथक् रूप में और चाहे तो उन्हें बद्युक्त रूप ये सम्बोधित कर सकता है। वह संसद के जिस सदन को चाहे सन्देश भेज सकता है। संसद के प्रत्येक सद ने प्रारम्भ होते पर राष्ट्रपति एक भाषण देता है। यह भाषण ब्रिटिश संसद द्वारा गरब में दिए गए भाषण के तुल्य होता है।

राष्ट्रपति का स्थगन-नियेषाधिकार—संसद द्वारा पास किया गया कोई विषेषक उस सभ्यता तक अधिनियम नहीं बन सकता। जब तक कि उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त न हो जाए। राष्ट्रपति किसी विषेषक पर, यदि वह घर विषेषक नहीं है, चाहे तो अपनी अनुमति दे सकता है और चाहे तो उसे रोक नकला है। लेकिन, यदि उस विषेषक को (जिस पर राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति नहीं दी है और जिसे उसने पुनर्विचार के लिए गम्भीर के पास भौटा दिया है) संसद के दोनों मदन राष्ट्रपति के सन्देश में मुझाए गए संदोषन के महिन या रहिन पुनः पास कर दे, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति देने के लिए आवश्यक है।

राष्ट्रपति की प्राप्तिदेश निकालने की शक्ति—संविधान ने संसद के विधानिकाल में राष्ट्रपति को प्रध्यादेश-प्रस्तावना की भी शक्ति प्रदान की है। प्रध्यादेश एक विदेश प्रकार का संकटकालीन कानून होता है। अध्यादेश का बन और प्रभाव संसद के अधिनियम के तुल्य ही होता है। किन्तु अध्यादेश के लिए यह आवश्यक है कि वह

संसद के पुनः समवेत होने पर उसके दोनों सदनों के समझ रखा जाए। अध्यादेश संसद के पुनः समवेत होने से छः सप्ताह की समाप्ति पर अथवा इस कालावधि से पूर्व दोनों सदनों द्वारा उसके निश्चयोदय का प्रस्ताव पास कर देने पर प्रबल्लन में नहीं रहता।

(ग) विस्तोष विभित्याँ—राष्ट्रपति को कतिपय महत्वपूर्ण वित्तीय विभित्याँ भी दी गई हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में राष्ट्रपति संसद के समझ 'वार्षिक वित्त-विवरण' अथवा उन्हें बजट जो भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राप्तकलित प्राप्तियों और व्यय को प्रकट करता है, रखवाता है। राष्ट्रपति की लिपारिति के बिना कोई भी धन विवेयक संसद में पुरस्थापित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति संघ और राज्यों के बीच करों के विवरण के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए समय-समय पर एक वित्त अखोड़ा भी नियुक्त कर सकता है।

(घ) कानूनी विमुक्तियाँ और न्यायिक परमाधिकार—राष्ट्रपति कतिपय कानूनी विमुक्तियों और न्यायिक परमाधिकारों का उपभोग करता है। वह अपने पद की शक्तियों और वर्तन्यों के लिए किसी न्यायालय के समझ उत्तराधारी नहीं है। वह केवल महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही सिद्धदोष ठहराया जा सकता है। उसकी पदाधिकि में उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की फौजदारी प्रतियाएँ नहीं लाई जा सकतीं। राष्ट्रपति को उन अवस्थाओं समेत जिनमें कि दण्डादेश मृत्यु का हो, कतिपय स्थितियों में सिद्धदोष व्यक्ति के दण्ड को क्षमा, प्रविलम्बन, विराम या परिहार करने की अथवा दण्डादेश का निलम्बन, परिहार या लम्बुकरण की शक्ति प्राप्त है। जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपति व न्यायाधीशों को नियुक्त करता है।

(इ) राष्ट्रपति की आपात-शक्तियाँ—नए संविधान के सर्वाधिक विवादास्पद विहलुओं में से एक संघीय कार्यपालिका में निहित विपुल आपात शक्तियों से सम्बन्ध रखता है। राष्ट्रपति तीन प्रकार की आपातों का सामना करने के लिए इन असाधारण शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, (१) युद्ध अथवा वाह्य आक्रमण अथवा आक्रमण-त्रिकूप अथवा अन्ति से उत्पन्न आपात, (२) राज्यों से वैधानिक तन्त्र विफल हो जाने से उत्पन्न आपात और (३) वित्तीय आपात।

(१) आपात की उद्धोषणा—पहले प्रकार की आपात के सम्बन्ध में संविधान ने निर्वाचित किया है कि यदि राष्ट्रपति का समराचार हो जाए कि गम्भीर आपात विद्यमान है जिससे कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या आक्रमण-त्रिकूप अथवा अन्ति से भारत या उसके राज्य के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह आपात की उद्धोषणा निकाल सकता है। पहले समर्तव्य है कि राष्ट्रपति इस प्रकार की उद्धोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण

या आमन्तरिक अधिनियम के घटिया होने के पूर्व भी निकाल सकता है। आपात की उद्घोषणा निकालते के राष्ट्रपति के दिग्युद्ध को बिली भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और कोई आपात उपरिभृत है या नहीं, इसका निर्णय एक-मात्र राष्ट्रपति के हाथों में है। लेकिन राष्ट्रपति ना प्रधिकार मनद के निवृत्तया का विषय है। आपात की उद्घोषणा को मनद के दोनों बदलों के मध्य रखा जाता है और उह दो भाग की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहती जब तक कि उसका उस कालावधि की गम्भीरता ने पहले भंगद के दोनों भदलों द्वारा मनमोदन न कर दिया जाए।

आपात को उद्घोषणा का प्रभाव—राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात को उद्घोषणा का सुदूरव्यापी व्यधानिक प्रभाव होता। जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है सबसे ज्ञानपूर्ण देश के लिए अधिकार उसके दिसी भाग के लिए उन विद्यों पर भी कानून बनाने का अधिकार होता जो कि राज्य-मूच्छी में प्रसारित है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका विस्तार किसी राज्य को दून विषय से निर्देश देने तक होता कि वह अपनी कार्यपालिका-विधियों को दून विषय से अद्योग करे। उद्घोषणे यद्यों में स्थायी विधान मण्डल और कार्यपालिका को राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा कार्यपालिकाओं के कार्य का नियन्त्रण और निरीक्षण करने की ज़िन्दित प्राप्त हो जाएगी। अपरच, आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने उपर और राज्यों के पीछे राजस्व के साधारण विनाश का संशोधन करने की ज़िन्दित दी दी। इस प्रकार आपात की उद्घोषणा के प्रभावन्वरुप राज्यों की स्वायत्ता स्थगित हो जाएगी तथा देश का संघीय दाचा एकात्मक दाचे के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इतना ही नहीं, आपात की उद्घोषणा संविधान द्वारा गारंटी दिए गए भारत के नागरिकों के कानूनी महत्वपूर्ण अधिकारों अर्थात् भारतीय तथा अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, नागरिकत्वांक सभा करने की स्वतन्त्रता, भारत के किसी भाग में निवास करने और वह जाने की स्वतन्त्रता, सुरक्षा के अधिन, धर्मन और पारस्य की स्वतन्त्रता तथा वृत्ति, डाजीविका, वारदात और व्यापार करने की स्वतन्त्रता जो स्थगित कर दी गई। साधारण परिस्थितियों में ये प्रधिकार मरमर्यनीय हैं और नागरिक उन्हें प्रवर्तित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय अवशा उच्च न्यायालयों की अद्युत तक ने सकते हैं। लेकिन उत्तर आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, राष्ट्रपति नागरिकों के इस अधिकार को स्थगित कर सकता है।

स्पष्ट है कि संविधान आपातों का मामला करने के लिए संघीय कार्यपालिका को घटात प्रबल ज़िन्दियों प्रदान करता है। आलोचकों का कहना है कि ये ज़िन्दियों सोकतप के प्रतिकूल हैं। जब आपात ज़िन्दियों से सम्बन्ध रखने वाले उपचरण वाले किए जा रहे, ये, विधान मभां के एक भद्रस्वयं से कहा था—‘यह लज्जा वा दिन है।’ इन्हर ही भारतीय जनता को बताए। एक यद्य सदरमय ने अनुच्छेद ३७३ के बारे में जो राष्ट्रपति को

नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रबलता का निष्पत्तन करने की शक्ति देता है, कहा कि “यह अनुच्छेद संविधान के सर्वाधिक प्रतिभासी अध्याय की शानदार पराकार्षा और सबसे बड़ी महिमा है।” आपात काल में नागरिकों को उनके मूल अधिकारों से वंचित करने की शक्ति के द्वारा देश के ऊपर तानाशाही शासन लादा जा सकता है। जर्मनी के तथाकथित लोकतन्त्रात्मक बीमर संविधान के अनुच्छेद ४८ ने जर्मन राष्ट्रपति को वह शक्ति दी थी कि वह और तंकट की स्थिति में नागरिकों के मूल अधिकारों को निलम्बित कर सकता है। हिटलर ने इस शक्ति का मनचाहा प्रयोग कर जर्मनी में आपने निरकृष्ण शासन की जड़ जमायी। तथापि यह स्मर्तव्य है कि आपातों से सम्बन्ध रखने वाले इस प्रकार के उपबन्ध वहाँ से लोकतन्त्रात्मक राज्यों के संविधानों में पाए जाते हैं। इनकी इत्त आधार पर प्रतिरक्षा की जाती है कि व्यवित के अधिकार अमर्यादित नहीं हैं और राज्य की सुरक्षा की तुलना में उनका महत्व कम है। बी०एन० शुक्ला ने लिखा है—“वे उपबन्ध कठोर मालूम हो सकते हैं, विशेष रूप से एक ऐसे राजिधान में जो लोकतन्त्र व मूल अधिकारों की नीत के ऊपर निर्मित होने की घोषणा करता है। लेकिन इन उपबन्धों का भारत के अतीतकालीन इतिहास के प्रकाश में अध्ययन करना चाहिए। जब कभी भारत की केन्द्रीय शक्ति कमज़ोर हुई, उसे दुरे दिनों का सामना करना पड़ा। यह अच्छा ही है कि संविधान विधान की शक्तियों की ओर से सचेत है। राज्य के अस्तित्व तक के लिए खतरा पैदा करने वाली घटनाएँ घटित हो सकती हैं और यदि इस प्रकार की आकस्मिकताओं के लिए संरक्षण न हों, तो राज्य उस सड़क साथ जिसे मूलभूत और अचल रखना है, समाप्त हो जाएगा।”<sup>१</sup>

(२) राज्यों में व्यवाधिक तत्व के विफल हो जाने से उत्पन्न आपात—संविधान ने निधीरित किया है कि वाहा आक्रमण और आम्बल्टरिक आवान्ति से रक्षा तथा राज्य की सरकार, संविधान के उपबन्धों के अनुसार चलायी जाए, यह सुनिश्चितकर्त्ता संघ का कर्तव्य है। भारत का राष्ट्रपति यद्यने इस कर्तव्य का अच्छी तरह से निवाह कर सके, इस उद्देश्य से उसे अनुच्छेद ३५६ के अधीन कर्तिपय विशेष शासितवां प्रदान की गई है। यदि किसी राज्य के राज्यपाल या राज्यप्रमुख से प्रतिवेदन निलगे पर या अत्यधा राष्ट्रपति का समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, जिसमें कि उस राज्य का शासन संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति इस आज्ञा की आपात की निकाल सकता है आपात की उद्दौपायग्राहनशोकसा निकालने पर राष्ट्रपति राज्य की सरकार के सब या कोई कर्तव्य तथा राज्यपाल या राज्यप्रमुख अवाना राज्य के किसी निकाय या आधिकारी में निहित या तद्वारा प्रयोक्तव्य सब या कोई शक्तियाँ

१. बी०एन० शुक्ला—“दी कांस्टीट्यूशन आफ इण्डिया”, पृ० ३३६।

अपने हाथ में ले मुकेगा और धोपित कर सकेगा कि राज्य के विकान मण्डल की अवितावौ मनद के प्राधिकार के द्वारा या अधीन प्रयोगतच्च होंगी। राज्य का उच्च न्यायालय इम सम्बन्ध में अनुबाद नहीं। इम प्रकार आगत की उद्घोषणा के समान ही राज्य में वैधानिक तत्त्व के विकल हो जाने की उद्घोषणा भी सम्बद्ध राज्य की स्वायत्तता को निम्नस्थित कर देगी और उसे समृद्ध विश्वासी और कार्यकारी भाष्वान में पूर्णतः सभ के प्राधिकार के अधीन कर देगी। यह उद्घोषणा दो महीने की समाप्ति पर प्रति यामद के दोनों गदनों के द्वारा अनुमोदित नहीं हो जाती, प्रबत्तन में नहीं रहेगी। यह उद्घोषणा एक बार में ६ महीने गे अधिक के लिए नहीं निकाली जा सकती लेकिन इसे इम नपन अवधि की समाप्ति पर प्रति बार ६ महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। जिसी बार इसकी प्रवृत्ति बढ़ायी जाय, उसी बार यमद के अनुमोदन की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ उद्घोषणा किसी भी अवधि में दोनों वर्षों में अधिक प्रयुक्त नहीं रहेगी।

अनुच्छेद ३५६ ने विभान गभा ने तीक्ष्ण दाव-विवाद सुठा कर दिया। आनुच्छेद को ने कहा कि यह १६३५ के भारत सरकार अधिनियम के विभाग ६३ का पुनरुत्थानियमन है। इम अनुच्छेद के समर्थन में कहा गया है कि इसके अधीन आचरण करता हुए राष्ट्रपति विभाग ६३ के प्रधीन आचरण करने वाले राष्ट्रपति ने सर्वेषां भिन्न होंगा। “राष्ट्रपति के बल सभ मौन्त्रमण्डल की सम्बोधन पर, जो समद के प्रति उत्तरदायी है, आचरण कर सकता है। स्वयं समद ने भी उस राज्य का प्रतिनिविल करने वाले मदस्य उपरिहित होगे, जिनका धासन इम अनुच्छेद के अधीन निलम्बित किया जा सकता है। अनुच्छेद ३५६ का सीधा-मादा फल यह हुआ कि उद्घोषणा की स्थिति में राज्य का धासन अस्वायी रूप में भव धासन में विनीत हो सकता है। वहाँ कही भी पर्याप्ति विविमों ने हवेच्छाचारिता का कोई प्रबन्ध नहीं उठाता। केवल राज्य की स्थायता पर ही कछु कान के लिए थोट पड़ मैलो है।”<sup>१३</sup>

(३) वित्तीय आपात—यदि राष्ट्रपति का मानवान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें भारत का वित्तीय स्थायित्व या प्रख्यात संकट से हो तो उह वित्तीय आपात की उद्घोषणा निकाल सकता है। इस प्रकार वी उद्घोषणा को प्रति दो साल की सम्पत्ति के पूर्व यमद के दोनों गदनों द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता, तो उह इम अवधि के गत होने पर प्रबत्तन में नहीं रहेगा। यह उद्घोषणा एक बार में इस महीने से अधिक के लिए प्रबत्तन में नहीं रहेगी, लेकिन इसे यमद के अनुमोदन महिने प्रति बार द्वा: महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, तथापि वह किसी भी अवस्था में तीन

१३. के सन्धानम्—“दी कांस्टीट्यूशन ग्राह इंडिया”, पृ० २८६।

साल से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगी।

उस कालावधि में जिसमें कि वित्तीय उद्घोषणा प्रबर्तन में है, राष्ट्रपति की कार्यपालिका-शक्ति का विस्तार विसी राज्य को वित्तीय औचित्य सम्बन्धी ऐसे सिद्धान्त का पालन करने के लिए निर्देश देने तक, जैसे कि निर्देशों में उल्लिखित हों और सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के सहित सरकारी नौकरों के बेतन में कमी के लिए आज्ञा देने तक होगा। वह इन बात की भाँग कर सकेगा कि विवेयक स्वीकृति के लिए उसके सम्मुख उपस्थित किया जाए। इसके अलावा देश के वित्तीय स्थायित्व को पुनः जमाने के लिए वह अन्य आवश्यक उपयोग भी कर सकता है।

#### ११६. राष्ट्रपति स्वेच्छाचारी है या व्यजमान शासक ?

राष्ट्रपति मन्त्रियों की मन्त्रणा पर आचरण करने के लिए कानूनतः वाध्य नहीं है—राष्ट्रपति ऊपर वर्णित शक्तियों का विस प्रकार प्रयोग करेगा? क्या ये उसकी वास्तविक शक्तियाँ हैं जिनका वह इच्छानुसार प्रयोग कर सकता है? अथवा ये शक्तियाँ उसे केवल आधिकारिक रूप में ही प्राप्त हैं जिनका वह अपने मन्त्रियों की मन्त्रणा के अनुसार प्रयोग करने के लिए वाध्य है। विशुद्ध न्यायिक दी हृषि रखने वाले कुछ दीकारारों ने कहा है कि यदि राष्ट्रपति चाहे तो स्वेच्छाचारी शासक बन सकता है। संविधान के अनुच्छेद ५३ (१) में कहा गया है, “संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति द्वारा विहित होगी तथा वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा।” डा० बी० एम० शर्मा के अनुसार “इससे राष्ट्रपति को यदि वह चाहे तो नघ का केवल व्यजमान शानक ही नहीं अपितु वास्तविक शासक बनने का प्राप्ति क्षेत्र मिल जाता है।”<sup>१</sup> यह ठीक है कि अनुच्छेद ७४ (१) ने निर्धारित किया है कि “राष्ट्रपति को आने कृत्यों का सम्पादन करने में सहायता और मन्त्रणा देने के लिए एक मन्त्रिपरिषद् होगी जिसका प्रधान प्रधानमन्त्री होगा।” लेकिन डा० डी० एन० बनर्जी के शब्दों में, “आवश्यक बात यह है कि क्या राष्ट्रपति अनुच्छेद ७४ (१) के अधीन अपनी मन्त्रिपरिषद् की मन्त्रणा को समस्त परिस्थितियों में स्वीकार करने के लिए कानूनतः वाध्य है? मेरा निवेदन यह है कि वह नहीं है।”<sup>२</sup> विधान-सभा के अध्यक्ष डा० राजेन्द्रप्रसाद जै भी यही मत व्यक्त

१. बी०एम०शर्मा०—“इंडियन जर्नल आफ पोलिटीकल सायंस” में ‘प्रेमीडेण्ट आफ इण्डिया’, भाग ११”, अंक ४, पृ० १।

२. डी० एन० बनर्जी—‘माडन रिप्पू’ में ‘पोजीशन आफ दी प्रेमीडेण्ट आफ इण्डिया’ दिसम्बर, १९५०”, पृ० ४५८।

किया था। उन्होंने कहा था, "अनुच्छेद ३६ (१) पर ह नहीं कहता कि राष्ट्रपति उस मन्त्रणा को मानने के लिए आवश्यक होगा।" उन्होंने एक ऐसे उल्लंघित उपचार के करने का मुकाबला नी दिया था जिसके अनुमार राष्ट्रपति को लिए मन्त्रिपरिषद् की मन्त्रणा स्वीकार करता अनिवार्य हो जाए। लेकिन इस मुकाबले को काबूलण्ड में परिणत नहीं किया गया।

संविधान के निर्माताओं का उद्देश्य—लेकिन यह कहता कि राष्ट्रपति ताना-चाह वह सकता है; संविधान का अविद्यकता से अधिक कानूनी हाफिकोण में निवेदन करना है। संविधान के निर्माताओं का उद्देश्य स्पष्ट है। उन्होंने भारतपर्यं के लिए पर्वान्त मानवविचार के पश्चात् रासीद-प्रणाली अग्रीकृत की। यह निर्णायक करते समय संविधान निर्माताओं ने मान लिया था कि सत्त्वदीय धरवदा मन्त्रिमण्डल शासन प्रणाली की समर्दीय शासन प्रणाली का यह सार है कि वास्तविक कायंपालिका नवित मन्त्रिमण्डल धरवदा मन्त्रिपरिषद् द्वारा प्रयोक्तव्य होनी चाहिए। मन्त्रिमण्डल विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उन्होंने सदैव राज्य के ध्वजमात्र अधिकारी प्रधान के नाम में आचरण करते हैं, परन्तु यह ध्वजमात्र कायंकारी प्रधान समस्त भागों ने अपने मन्त्रियों के परामर्श को स्वीकार करता है।

सत्त्वदीय-शासन के अभिसमय—भारत की विधान सभा के समक्त मन्त्री सौर मालेश्वर एम० एम० मुख्यमंत्री के अनुमार "संविधान के निर्माताओं ने संविधान में इस योग को स्पष्ट रूप से नहीं कहा है कि राष्ट्रपति सदैव विधान मन्त्रियों की मन्त्रणा पर आचरण करेगा।" उन्होंने इन बीज को इगलेण्ड की तरह अभिसमयों के ऊर छोड़ दिया है।<sup>१</sup> प्राह्य ममिति के उपाय्यस डॉ. अम्बेदकर के अनुसार, "राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो अधेंवी संविधान में मछाद की। वह कायंपालिका का नहीं, राष्ट्रपति का प्रधान है। वह राष्ट्र का शासन नहीं, समिति प्रतिनिधित्व करता है। वह नाथारणतः मन्त्रियों के परामर्श से बैठा होगा। वह न तो उम्मीद मन्त्रणा के बिना सौर न उनकी मन्त्रणा के प्रतिकूल ही कृद्य कर सकता है।"<sup>२</sup> भारत के राष्ट्रपति की स्थिति अमेरिका के राष्ट्रपति से भिन्न है। अमेरिका का राष्ट्रपति यास्तविक कायंकारी है प्रोर वह संविधान द्वारा अपने में निहित नवित्रियों का व्यविवेकानुमार प्रयोग करता है। उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह अपने मन्त्रियों की बात माने ही माने। राष्ट्रपति निरंकुश बायों नहीं हो सकता—कहने का सार मह है कि संविधान

१. 'दी हिन्दुस्तान टाइम्स, गणराज्य-दिप्यन परिषिष्ठांक', २६ जनवरी, १९५०।

२. "कास्ट्रोट्रूप्ट एसेम्बली दिविटन, भाग ७", पृ० ३३।

का उद्देश्य भारत के राष्ट्रपति को प्रभूत गौरवमण्डित, परन्तु वास्तविक शक्ति से हीन बनाना है। संसदीय शासन के अभियानों की बात छोड़ देने पर भी राष्ट्रपति निरुक्त नहीं हो सकता। इसमें कोई सन्देह नहीं कि भूले-भटके ऐरो अवारार आ सकते हैं जबकि राष्ट्रपति के लिए अपने मन्त्रियों की मन्त्रणा के प्रतिकूल आचरण करना समझद्वारा हो जाए, परन्तु यदि उष्णप्रतापुर्वक उनकी मन्त्रणा का उल्लंघन करता है, तो वे व्यापक देकर वैधानिक निरिरोध पैदा कर सकते हैं। यदि संसद में उनका बहुमत है और उन्हें समर्थ रूप से जनता का समर्थन प्राप्त है तो राष्ट्रपति को एक अवात्तिरिक मन्त्रिमण्डल की रखना कठिन हो जाएगा। इसके अलावा अत्यधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रपति की वृद्धि ठिकाने लगाने के लिए सहायियोग का अस्त्र विद्युमान है। यदि राष्ट्रपति और मन्त्रिमण्डल दो विरोधी राजनीतिक दलों से सम्बन्ध रखते हैं, तो कठिनाइयाँ उठ सड़ी हो सकती हैं, परन्तु साधारणतः यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति को वैधानिक प्रधान की तरह आचरण करना पड़ेगा।

## १२०. उपराष्ट्रपति

उसका निर्वाचित और अहंताएँ—नए संविधान के अधीन भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। वह एकल संक्रमणीय मत के द्वारा सानुपात्र प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित होगा। उप-राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी व्यक्ति के पास निम्न अहंताओं का होना आवश्यक है। (१) उसे भारत का नामिरिक होना चाहिए, (२) उसकी अवस्था पैतीस वर्ष से अधिक की होनी चाहिए, (३) उसमें राज्य परिषद के लिए सदस्य निर्वाचित होने की अहंता होनी चाहिए, (४) उसे भारत सरकार के अधिकार किसी राज्य की सरकार के अधीन आया उक्त सरकारों में से किसी से नियन्त्रित किसी स्थानीय या अन्य प्राविकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण किए हुए नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति को जो संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अवस्था किसी राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख या उप-राज-प्रमुख अवस्था संघ का या किसी राज्य का मन्त्री है, इस नियम से कूट रहेगी।

सके कृत्य—अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तरह भारत का उपराष्ट्रपति पदेन संघीय विधान मण्डल के उच्च सदन अवैत् राज्य-परिषद् चा सभापति होगा। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग, पदच्युति या बीमारी के कारण राष्ट्रपति का पद अस्थायी रूप से रिक्त हो जाए, तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। इस हित से वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति से भिन्न है वहोंकि अमेरिका का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की मृत्यु, पदच्युति या पद-त्याग के पश्चात् शेष राष्ट्रपति पदावधि के लिए स्वतः राष्ट्रपति हो जाता है। भारत का उप-राष्ट्रपति, यदि

यह स्वयं अपना पद त्याग न करे अथवा राज्य-परिषद् के पूर्ण बहुत से यास किए गए ऐसे प्रस्ताव के द्वारा, जिन पर लोक-न्याय ने भी अपनी स्पीकुलि दे दी हो, धर्मस्थ न कर दिया जाए, तो पाच वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है।

## १२१. मन्त्री-परिषद्

**मन्त्री-परिषद् और मन्त्रिमण्डल—**धूंकि राष्ट्रपति वैधानिक शासक है, इसलिए भारत सभ की वास्तविक कार्यपालिका मन्त्री-परिषद् है जो मिहान्ततः राष्ट्रपति में निहित अधिकारों का वास्तविक रूप में प्रयोग करती है। यहाँ हम मन्त्रिमण्डल और मन्त्री-परिषद् के बेद को समझ रखते हैं। संविधान में केवल मन्त्रि-परिषद् का ही उल्लेख है। मन्त्रिमण्डल एक अनुपचारिक निकाय है और उसमें सबके सब मन्त्री शामिल नहीं हैं। हमरे दबदों में वह मन्त्री-परिषद् का एक भाग है अथवा जैसे कि विद्युत मन्त्रिमण्डल के बारे में कहा जाता है, चक्र के अन्दर एक चक्र है। मन्त्री-परिषद् में ये कई छोटे मन्त्री (राज्य-मन्त्री और उपमन्त्री) भी शामिल रहते हैं, जिन्हे कि मन्त्रिमण्डल का स्तर प्राप्त नहीं होता। मन्त्रिमण्डल मन्त्री-परिषद् की वास्तविक नीति-निर्माणी समिति है और वह उन्हें गतिविधियों में विस्तर देता है।

**मन्त्री-परिषद् की रचना—**संविधान ने मन्त्री-परिषद् की रचना के लिए निम्न प्रक्रिया निश्चित की है। अनुच्छेद ३५ (१) कहता है, “प्रधान मन्त्री यों नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री की गवरणा पर करेगा।” राष्ट्रपति ने प्रधानमन्त्री की नियुक्ति में अपनी वैयक्तिक हित-हाविक के प्रयोग करने का अत्यन्त अवश्यक है। लोक-न्याय में जिग दल का बहुमत है, राष्ट्रपति उसके नेता को प्रधान मन्त्री नियुक्त करने के लिए वाद्य है। यदि लोक-न्याय ने कई दब हों, और उसमें से किसी को भी स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, उस स्थिति में राष्ट्रपति अवश्य अपनी योगी-भी रुचि-स्वातन्त्र्य का प्रयोग कर सकता है। प्रधानमन्त्री की नियुक्ति के पश्चात् राष्ट्रपति को उसके द्वारा तुम्हीं गई टीम स्वीकार करती पड़ती है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि समाज के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं है, मन्त्री नियुक्त किया जाता है तो उसे यह महीने की नवाचनि पर, यदि वह उसी दोनों में सदनों में से किसी एक का सदस्य निर्वाचित नहीं हो जाता, यसना पद छिपा करना पड़ेगा।

**मन्त्रिमण्डल के कृत्य—**सध-शासन ने मन्त्रिमण्डल की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण है। उसकी विकितवा और उत्तरदायित्व अत्यन्त व्यापक है। उसे प्रशासनिक, व्यवस्थात्मक और वित्तीय मामलों का प्रबन्ध करना पड़ता है। वह मन्त्रिमण्डल ही है जो कि भारत-संघ की नाधारण कार्यपालिका नीति निर्देशन करता है। वह ममूल

शासन का संचालन करता है। उसका प्रत्येक सदस्य एक या एक से अधिक विभागों का प्रधान होता है। मन्त्रिमण्डल संघीय विधान मण्डल के व्यवस्थात्मक कार्यक्रम को भी तंयार करता है। सरकारी विदेयकों को संसद में मन्त्री ही पुरस्थापित करते हैं। ये ही उन्हें पारा करवते हैं। लोक-सभा में वहुमत होने के कारण संसद में मन्त्रिमण्डल की स्थिति अत्यन्त प्रभावपूर्ण होती है। यदि कोई प्राइवेट सदस्य किसी विदेयक को उपस्थित करता है और इस विदेयक के पीछे मन्त्रिमण्डल का समर्थन नहीं होता, तो इसके पास होने की वहूत कम संभावना समझनी चाहिए। अपरंतु, मन्त्रिमण्डल को कई विनीय कुल्य भी करने पड़ते हैं। वह बजट तंयार करता है। वह इस बात का निश्चय करता है कि कौन-कौन से कर लगाए जाएंगे और संघ की आय किस प्रकार खर्च होगी। समस्त धन-विदेयकों का मन्त्रियों द्वारा पुरस्थापित किया जाना आवश्यक है। अंतशः मन्त्रिमण्डल भारत संघ की बैदेशिक नीति निर्धारित करता है और इसलिए यह निश्चित करता है कि भारत संघ के साथार के अन्य देशों के साथ क्या सम्बन्ध होंगे।

## १२२. मन्त्रिमण्डल की कार्यप्रणाली

राष्ट्रपति उससे बाहर है—मन्त्रिमण्डल शासन की कार्यप्रणाली उन कानूनों पर आधित है, जो इंगलैण्ड तथा स्वतंत्रता डोमिनियनों में धीरे-धीरे विकसित हुए हैं। पहली बात तो यह है कि यथापि सिद्धान्तातः मन्त्रिमण्डल का कार्य राष्ट्रपति को मन्त्रणा और सहायता देना है, लेकिन वस्तुतः राष्ट्रपति उससे बाहर रहता है। यह राष्ट्रपति की तटस्थित निश्चित कर देता है और उसे दलगत राजनीति से छुपर उठा देता है। मन्त्रिमण्डल द्वारा निश्चित किया गया प्रत्येक कार्य राष्ट्रपति के नाम से सम्पन्न होता है, लेकिन इस बात को हर कोई जानता है कि राष्ट्रपति का इस यामले में कोई उत्तरदायित्व नहीं होता। यदि शासन अच्छी तरह संचालित होता है, तो इसका थेव मन्त्रिमण्डल को मिलता है। इसके विपरीत यदि शासन में गड़बड़ी पैदा होती है, तो राष्ट्रपति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लिंग्वा समाट की तरह राष्ट्रपति कोई गलती नहीं कर सकता क्योंकि जो कार्य उसके द्वारा किया समझा जाता है, वह बास्तव में मन्त्रियों द्वारा किया जाता है। हो सकता है कि राष्ट्रपति परोक्त रीति से मन्त्रियों के निर्णयों पर अपना प्रभाव ढाल सके, लेकिन एक बार मन्त्रिमण्डल ने जहाँ किसी कार्य को करने का निश्चय कर लिया, राष्ट्रपति साथरहन्तःचिन्हित रेखा पर हस्ताक्षर कर ही देता है चाहे यह उसके मन के प्रतिकूल ही क्यों न हो।

मन्त्रिमण्डल और विधान मण्डल का सहयोग—दूसरी बात यह है कि मन्त्रि-

मण्डल विधान मण्डल के साथ सहयोगपूर्वक कार्य करता है। प्रत्येक मन्त्री संसद के किसी न किसी सदन का सदस्य होता है। मन्त्री ग्रासद के दोनों सदनों की बैठकों में उपस्थित होते हैं, विदेयकों को पुरस्त्वापित करते हैं और पास करते हैं, वाद-विवादों में भाग होते हैं, और अपनी नीतियों की प्रतिरक्षा करते हैं। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका लेते हैं और अपनी नीतियों की प्रतिरक्षा करते हैं। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का यह सहयोग संसदीय शासन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है। अमेरिकन अधिकाराएँ ग्राफ्टार्नीय शासन प्रणाली में, जो विविधों के पृथक्करण के सिद्धान्त पर आधित है, यह विशेषता नहीं पाई जाती।

**राजनीतिक सजातीयता—तीसरी बात यह है कि मसलीय शासन-प्रणाली के अधीन मन्त्रिमण्डल की एक प्रमुख विशेषता राजनीतिक सजातीयता होती है।** अधीन सापारणतः सारे मन्त्री एक ही राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं और इसलिए उनके सापारणतः सारे मन्त्री एक ही राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। भारत का पिछला कार्यकीय मन्त्रिमण्डल इस मिदान्त से बिलग मालूम पड़ रक्खा था यद्यकि उसके कुछ गदस्य गैर-मण्डल इस मिदान्त में लिए जाने के पूर्व गैर-कार्यकीय सदस्यों ने कार्यस कार्यों में थे। लेकिन मन्त्रिमण्डल में लिए जाने के पूर्व गैर-कार्यकीय सदस्यों ने कार्यस कार्यों में थे। लेकिन अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

**लोक-सभा के प्रति उत्तरदायित्व—चौथी बात यह है कि मन्त्रिमण्डल लोक-सभा के प्रति उत्तरदायी है।** इस उत्तरदायित्व का अभिप्राय यह है कि मन्त्रिमण्डल और इस हाइट से सम्पूर्ण मन्त्री-ग्रिहिय उनी समय तक सत्तासुलूक होती है जब तक कि उने लोक-सभा का विश्वास अर्थात् उसके सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। जैसे ही मन्त्रिमण्डल ने यह विश्वास खोया, सम्पूर्ण मन्त्रालय के लिए यह अवश्यक हो जाता है कि वह या तो वद रिक्त कर दे अथवा राष्ट्रपति को लोक-सभा विष्टन करते और नए साधारण निवाजियों का आदेश देने की मन्त्रणा प्रदान करे।

यह उत्तरदायित्व सामूहिक है—यह स्मरण्य है कि मन्त्रिमण्डल सामूहिक रूप से लोक-सभा के प्रति उत्तरदायी है। मन्त्रिमण्डल एक टीम है और उसके सदस्य साथ ही-साथ इन्हें अधिकार साथ-ही-साथ तंत्रित है। यदि एक मन्त्री कोई कार्य करता है तो वह सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल का कार्य समझा जाता है और विसी एक मन्त्री ने कोई गलती मम्र टीम का अधिकार कर लेती है। यदि लोक-सभा जिसी एक मन्त्री ने ऊपर विश्वास का प्रस्ताव पास कर देती है, सारे मन्त्रियों को त्यागपत्र देना चाहिए। यह भारतीय नविधान की एक प्रमुख विशेषता है कि उम्में लोक-सभा के प्रति मन्त्री-ग्रिहिय के सामूहिक उत्तरदायित्व को स्पष्ट रूप में और उन्निति स्वरूप उन्निति कर दिया गया है। इंग्लैण्ड और ओमिनियनों ने मन्त्रीय उत्तरदायित्व सम्पूर्णतः अभिमम्प पर आधारित है।

प्रधानमन्त्री का नेतृत्व—पांचवाँ बात यह है कि मन्त्रिमण्डल प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में कार्य करता है। संविधान ते अनुच्छेद ७४ (१) में यह निर्धारित करके कि एक मन्त्री-परिषद् होगी जिसका प्रबान प्रधानमन्त्री होगा, प्रधानमन्त्री की शीर्षस्थानीय स्थिति को औपचारिक मान्यता दी है। त्रिटिंश प्रधानमन्त्री की भाति, वह न केवल 'Primus inter pares' अर्थात् वरावर वालों के बीच में प्रथम ही है, अपितु 'Inter stellas luna minores' अर्थात् नक्षत्रों के बीच चन्द्रमा भी है। यह वह ही है जो दूसरे मन्त्रियों को छुनता है। यह वह ही है जो उनके बीच विभागों का वितरण करता है। यह वह ही है जो मन्त्रिमण्डल की बैठकों के कार्यक्रम को निश्चित करता है और उनकी अध्यक्षता करता है। वह किसी भी समय एक मन्त्री से त्यागपत्र की माँग कर और उसके स्थान पर किसी अन्य मन्त्री को नियुक्त कर मन्त्रिमण्डल में फेरफार कर सकता है। यदि प्रधानमन्त्री त्यागपत्र देता है तो इसका अभिप्राय यह है कि सब मन्त्रियों को त्यागपत्र देना पड़गा। यदि प्रधानमन्त्री और किसी अन्य मन्त्री के बीच मतभेद हो जाए, तो वह पश्चादुक्त ही है जिसे कि या तो त्यागपत्र देना पड़ता है या भुकना पड़ता है।

प्रधानमन्त्री की सर्वोच्चता मन्त्रिमण्डल के सामुदायिक उत्तरदायित्व के लिए आवश्यक गारण्टी है। डॉ० अम्बेदकर के शब्दों में, "हस्ट है कि सामुदायिक उत्तरदायित्व के लिए कोई कानूनी अनुज्ञित नहीं हो सकती। वह एकभाव अनुज्ञित जिसके द्वारा सामुदायिक उत्तरदायित्व को प्रभावी किया जा सकता है, प्रधानमन्त्री के द्वारा है। मेरे मत में सामुदायिक उत्तरदायित्व दो सिद्धान्तों द्वारा प्रभावी होता है। एक सिद्धान्त तो यह है कि कोई भी व्यक्ति मन्त्रिमण्डल के लिए उस समय तक मनोनीत नहीं होगा, जब तक कि प्रधानमन्त्री की मन्त्रणा न हो। दूसरा सिद्धान्त यह है कि यदि प्रधानमन्त्री कहे कि अमुक मन्त्री का अपने पद से हटना आवश्यक है, तो वह मन्त्रिमण्डल का सदस्य नहीं रहेगा।"

प्रधानमन्त्री मन्त्रिमण्डल और राष्ट्रपति के बीच मुख्य कठोर भी हैं। वह मन्त्रिमण्डल के निर्णयों को राष्ट्रपति तक पहुंचाता है। यदि राष्ट्रपति संघीय मामलों के प्रशासन से सम्बन्ध रखने वाली सूचनाओं तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रहस्तावों की माँग करे, तो इन चीजों को उसके पास पहुंचाना प्रधानमन्त्री का कर्तव्य है। ससद में प्रबान मन्त्री को साधारण नीति के मामलों पर आसन का मुख्य प्रबलता समझा जाता है। अपनी मूर्धन्य स्थिति के कारण प्रधानमन्त्री देश की घरेलू और वैदेशिक नीति के रूप-द्विविरण में निर्णायिक हाथ रखता है।

१. "कॉस्टीट्यूएंट एसेम्बली डिवेल्ट, भाग ७", पृ० १५६।

**अधिपति नहीं, नेता—**इस प्रकार प्रधानमन्त्री मन्त्रिमण्डल का वेदविनु है। लेकिन उसकी उच्चता का यह प्रभिप्राय नहीं ममझता चाहिए कि वह स्वेच्छाचारी है और दूसरे मन्त्री खाली उसके प्रत्युत्तर ही है। वह नेता है, अधिपति नहीं। मामारणतः मन्त्रिमण्डल के सदस्य दल के मुख्य नेता होते हैं और प्रधानमन्त्री उनके महयोग तथा मद्भावता के बिना अपनी स्थिति कायम नहीं रख सकता। वह जानता है कि मन्त्री उसके दाम नहीं, मायी हैं और उनके साथ इसी प्रकार का व्यवहार करना पड़ता है।

संघीय विधान मण्डल

१३३. संसद

नां मविधान के अधीन संप्रीय (केन्द्रीय) विधान मण्डल ममद कहना है। यह एक द्विसदीयात्मक विधान मण्डल है जो राष्ट्रपति तथा ममद के दोनों मदनों से मिल कर बना है। ये मदन क्रमाः राज्य परिपद् तथा लोक-सभा के नाम से प्रस्थान हैं। गविधान ने निर्धारित किया है कि ममद के मदनों का बर्पे में कम-गे-कम दो बार प्राहृत होता आवश्यक है और उनके एक सब की अन्तिम बैठक तथा आगामी सत्र की अन्तिम बैठक के लिए निश्चित तारीख के बीच ६ मास का अन्तर न होगा। इन उप-प्रधम बैठक के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति (१) मंसद के सदनों को अथवा किसी गदन को अन्य के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति (२) मदनों का गदावसान कर सकता है तथा (३) प्रावश्यकता पड़ने पर लोक-सभा का विषट्ठन कर सकता है।

१२४. राज्य-परिषद्

रद्धना—मध्य का उच्च मदन राज्य-परिषद् के नाम से प्रस्तुत होगा। जैसा कि इसके नाम से ध्वनित होता है, यह लदन राज्यों अवैत्त भारत-भूप के अग्रभूत ग्राकारों के प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगा। लेकिन जिन प्रकार अधिकार टिप्पीकन नघों के उच्च मदनों द्वारा विभिन्न अवयवी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है, वैसा भारत में नहीं किया गया है। नविदात ने राज्य-परिषद् की अधिक-न्म-अधिक सदस्य मध्या २५० निश्चित की है। इनमें से १३ मदस्यों को राष्ट्रपति नामनिवेदित करेगा। ये १२ सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें मालिक्य, विज्ञान, नसा और मानविक करेगा। ये १२ सदस्य एसे व्यक्ति होंगे जिन्हें मालिक्य, विज्ञान, नसा और मानविक सेवा के विषयों के बारे में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है। ये प्रस्तुत राज्यों के प्रतिनिधि होंगे। चतुर्थ अनुमूल्यों के अनुमार राज्यों के श्रीच स्थानों का वैद्यवाग निम्न प्रकार होता था—

भाग (क) राज्य	भाग (ख) राज्य	भाग (ग) राज्य			
आसाम	६	जम्मू और काश्मीर	४		
उड़ीसा	६	ब्रावनकोर-कोचीन	६		
पंजाब	८	पटियाला और पूर्वी	कुच-बिहार	१	
पश्चिमी बंगाल	१४	पंजाब-राज्य	३	दिल्ली	१
विहार	२१	मध्यभारत	६	विलासपुर	
मद्रास	२७	मैसूर	६	हिमाचल प्रदेश	१
मध्यप्रदेश	१२	राजस्थान	६	भोपाल	१
बंबई	१७	विन्ध्य प्रदेश	४	मनीपुर	
उत्तर प्रदेश	३१	सीराझू	४	त्रिपुरा	१
		हैदराबाद	११		
कुल	१५४	कुल	५३	कुल	७

परन्तु संविधान (सत्तर्वीं राष्ट्रोंका) अधिनियम, १९५६ के अनुसार अब राज्यों और क्षेत्रों के बीच स्थानों का बेंटवारा इस प्रकार कर दिया गया है—

राज्य	राज्य	राज्य	
आन्ध्र प्रदेश	१५	पंजाब	११
आसाम	७	राजस्थान	१०
विहार	२२	उत्तर प्रदेश	३४
महाराष्ट्र	१६	पश्चिमी बंगाल	१६
गुजरात	११	जम्मू और काश्मीर	४
केरल	६	क्षेत्र	
मध्य प्रदेश	१६	दिल्ली	३
मद्रास	१७	हिमाचल प्रदेश	२
मैसूर	१०	मनीपुर	१
उड़ीसा	१०	त्रिपुरा	१

कुल २२३  
राष्ट्रपति द्वारा नामजद १२

कुल २३५

सदस्यों की अर्हताएँ और निर्वाचन—राज्य परिषद् के सदस्य चुने जाने के लिए व्यवित्र में निम्न अर्हताएँ होनी आवश्यक हैं। उमे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी अवस्था कम-से-कम तीस वर्ष होनी चाहिए और उसमें ऐसी अन्य अर्हताएँ होनी चाहिए जो संसद-नियमित कानून के द्वारा निर्दित की जाएँ। राज्य परिषद् के लिए प्रतिनिधि परोक्ष रीति से चुने जाएँगे। राज्यों के प्रतिनिधि जनता के प्रत्यक्ष भत के द्वारा तहीं अपितु प्रत्येक राज्य की विधान सभा के द्वारा मानुषात प्रति-निवित्व प्रणाली के अनुगार एकल सत्रमणीय गत के द्वारा निर्वाचित किए जाएँगे। धेत्रों के प्रतिनिधि ऐसे ढंग से चुने जाएँगे, जैसा कि संसद निर्दित करे।

स्वायो सदन—राज्य परिषद् एक स्वायी सदन होगी। दूसरे धर्वां में उसका विषयटन नहीं होगा। परिषद् के बदस्य ६ वर्ष के सिए निर्वाचित होंगे लेकिन उनमें से एक तिहाई प्रत्येक द्वितीय वर्ष की ममाप्ति पर निवृत हो जाएँगे। भारत का उप-राष्ट्रपति पदेन राज्य-परिषद् का सभापति होगा। परिषद् अपने सदस्यों से किसी एक को उप-सभापति चुनेगी।

## १२५. लोकसभा

रचना और निर्वाचन—संसद का निम्न सदन लोक-सभा के नाम से प्रव्याप्त होगा। यह उन ५०० सदस्यों से मिलकर बनता था जो वयस्क मतापिकार के आधार पर वीवे जनता द्वारा निर्वाचित होते थे। परन्तु संविधान (सातवां मंशोधन) अधिनियम पारित होने के पश्चात् लोकसभा में राज्यों में बने प्रादेशिक निवाचित क्षेत्रों में से भीव जनता द्वारा चुने हुए सदस्य ५०० से अधिक न होंगे (जम्मू तथा काश्मीर राज्य के प्रतिनिधि उस राज्य के विधान मण्डल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होंगे) और सभ क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए २० से अधिक सदस्य न होंगे जो कि संमद के कानून द्वारा बताए हुए तरीके से चुने जाएंगे।

प्रत्येक राज्य को उतने स्थान दिए जाएं कि उनके प्रतिनिधियों तथा जन-महाया का अनुपात पथा सम्बद मधी के लिए एक जैसा हो।

जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा लोक-सभा में राजनों का वितरण निम्न प्रकार से किया गया था—

## भारतीय राजनीति और शासन

## भाग (क) राज्य

आसाम	१२
बिहार	५५
बंगाल	४५
मध्यप्रदेश	२६
मद्रास	७५
उड़ीसा	२०
पंजाब	१८
उत्तर प्रदेश	८६
पश्चिमी	
बंगाल	३४

## भाग (ल) राज्य

हैदराबाद	२५
जम्मू	
काश्मीर	६
मध्यभारत	११
मैसूर	११
पेसू	५
राजस्थान	२०
सौराष्ट्र	६
त्रावनकोर	
कोचीन	१२

## भाग (म) राज्य

अजमेर	२
भोपाल	२
विलासपुर	१
कुर्द	१
दिल्ली	४
हिमाचल	
प्रदेश	३
कच्छ	२
मनीपुर	२
त्रिपुरा	२
विन्ध्य प्रदेश	६

## भाग (घ) राज्य

गण्डमान	
निकोबार	
हींग समृह	
कुल	१

कुल ३७४

कुल

६६

कुल २६

कुल

१

परन्तु संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, १९५६ के अनुसार लोक-  
सभा में स्थानों का वितरण निम्न प्रकार होगा—

## राज्य

## स्थान

आन्ध्र प्रदेश	४३
आसाम	१३
बिहार	५३
महाराष्ट्र	४४
गुजरात	२२
केरल	१८
मध्य प्रदेश	३६
मद्रास	४१
मैसूर	२६
उड़ीसा	२०
पंजाब	२२

## राज्य

राजस्थान	२२
उत्तर प्रदेश	८६
पश्चिमी बंगाल	३६
जम्मू और काश्मीर	६
झेंश	
गण्डमान और निकोबार	१
दिल्ली	५
हिमाचल प्रदेश	४
लका हींग (नामजद)	१
मनीपुर	२
त्रिपुरा	२
आंखल भारतीय (नामजद)	२

कुल

५०५

नागा पहाड़ियाँ खुनसांग प्रदेश १ (रिवर)

कुल

५०६

नए नविधान ने पृथक् साम्प्रदाविक निर्बाचक-गणों का उन्मूलन कर दिया है लेकिन प्रतुगूचित जातियों और अनुगूचित जनों के हित का दस वर्ष की अवधि के लिए संरक्षण का प्रबन्ध किया है। उसने राष्ट्रपति को यह भी अधिकार दे दिया है कि यदि उसकी राय हो कि लोकसभा में ग्राम्य भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व गर्फ़ात नहीं है तो वह लोकसभा में उस समुदाय के दो ऐ अधिक सदस्य नामनिर्देशित कर सकता है। लोकसभा के लिए होने वाले निर्बाचितों के प्रयोजनार्थ राज्यों का प्रादेशिक निर्वाचन थे जो में इस प्रकार विभाजित कर दिया जाएगा जिसमें यह सुनिश्चित रहे कि प्रति ७,५०,००० जनसंख्या के लिए एक से ज्यादा सदस्य न होगा।

**सदस्यों की अर्हताएँ—** कोई व्यक्ति लोकसभा के लिए निर्बाचित होने के लिए तब तक अर्ह न होगा जब तक कि वह भारत का नाशिक न हो। कम-से-कम २५ वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो और ऐसी अव्य अर्हताएँ न रखता हो जो संसद-निर्मित किसी कानून के द्वारा या अधीन निश्चित की जाएँ।

**सदन की अवधि—** माध्याराहणतः लोकसभा की अवधि अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियुक्त तारीख से ५ वर्ष की है और इस कालावधि नमापित होने पर उसको विषट्ठित कर देना आवश्यक है। परन्तु लोकसभा को उसकी पूरी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भी विषट्ठित किया जा सकता है। जब आपत्ति की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, लोकसभा की इस कालावधि को एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उद्घोषणा के प्रवर्तन का अन्त हो जाने के छः बाब्द पश्चात् यह कालावधि नमाप्त हो जाएगी।

**अध्यक्ष (The Speaker)—** लोकसभा अपने दो सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। अध्यक्ष सदन की कार्यवाही का सचालन करेगा, उसमें अवस्था और अनुशासन कायदे रखेगा और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्खा करेगा। माध्याराहणतः अध्यक्ष को स्थिति द्वारा होगी जो विधिय कांगड़ सभा के सीकर की है। उसका भवित्व निष्पक्ष तथा दलगत भावनाओं में उच्च होना आवश्यक है। तथापि यह निश्चित नहीं है कि वे सब अभिभाव भारत में भी लान् होंगे और भारतीय लोकसभा का अध्यक्ष त्रिटिय स्वीकर की भाँति अपने दल का मदरस्य नहीं रहेगा तथा राजनीति में पृथक् हो जाएगा। आज जो स्थिति है, उसका थो जी० बी० मारबलकर ने निम्न शब्दों में सहराय दिया है—

“आज भारत में लोकसभा का अध्यक्ष त्रिटिय कांगड़-सभा के स्वीकर की तरह राजनीतिक अखाड़े में पूर्णतः बाहर नहीं है। जहाँ तक वर्तमान का मदरस्य है अध्यक्ष के लिए यह आवश्यक है कि वह राजनीतिज्ञ बना रहे हालांकि उसके क्रियाकलाप काफ़ी मर्यादित हों। वह अपने दल का मदरस्य बना रह सकता है लेकिन उसे

दल के मामलों में, विशेषकर ऐसे मामलों में जिनकी सदन के सम्मुख आने की सम्भावना हो, भाग न लेना चाहिए। कहने का सार यह है कि उसे किसी प्रकार के प्रचार के साथ स्वयं को एकल्प न करना चाहिए और न ऐसे मत व्यक्त करने चाहिए जिनसे कि उसके अव्यक्त पद के दलदल में फँसने की संभावना हो अथवा जिनसे इस बात का कि अव्यक्त पक्षावलम्बी है, भाव पैदा हीने की गुजायश रहे।”<sup>१</sup>

#### १२६. संसद के दो सदनों के पारस्परिक सम्बन्ध

धन-विधेयकों के सम्बन्ध में—संसद के दो सदनों की स्थिति समान नहीं है। वित्तीय व्यवस्थापन के रामबन्ध में लोक-सभा की स्थिति मूर्धन्य है और राज्य-परिषद् की जावितर्यां अत्यन्त मर्यादित है। संविधान ने निश्चित किया है कि धन-विधेयक के बीच लोक-सभा में ही पुरास्थापित किया जा सकता है। जैसे ही लोक-सभा उसे पास कर देती है वह सिफारिशों के लिए राज्य-परिषद् के पास भेजा जाता है। राज्य-परिषद् के लिए यह आवश्यक है कि वह विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित चौदह दिन के भीतर-ही-भीतर लोक-सभा के पास बापता लौटा दे। इसके पश्चात् लोक-सभा चाहे तो इन सिफारिशों में से किसी को स्वीकार करे अथवा अस्वीकार, विधेयक दोनों सदनों द्वारा पास किया हुआ समझा जाएगा। यदि राज्य-परिषद् चौदह दिन के भीतर ही भीतर विधेयक को लोक-सभा के पास बापता नहीं भेज पाती, तब भी वह दोनों सदनों द्वारा पास किया हुआ समझा जाएगा। इस प्रकार राज्य-परिषद् धन-विधेयक के अधिनियम में केवल दो सप्ताह की देरी कर सकती है। इस हृषि ने परिषद् विटिश लाई-सभा के तुल्य है। विटिश लाई-सभा भी धन-विधेयकों के बारे में सर्वथा शक्तिहीन है।

धन-विधेयकों से अन्य विधेयकों के बारे में—लेकिन धन-विधेयकों से अन्य विधेयकों के बारे में दोनों सदनों की जावितर्या समान है। कोई भी अविस्तीय विधेयक उस समय तक अधिनियम का रूप धारणा नहीं कर सकता, जब तक कि वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पास न कर दिया जाए। लोक-सभा को राज्य-परिषद् के निर्णय का उल्लंघन करने की जावित नहीं होगी। इस हृषि से राज्य-परिषद् विटिश लाई-सभा में स्वप्नतः भिन्न है। विटिश लाई-सभा धन-विधेयकों से अन्य विधेयकों के सम्बन्ध में भी, केवल विलम्ब करने वाले सदन के रूप में ही कार्य करता है।

संयुक्त बैठकों—कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि विसी अवित्तीय विधेयक के ऊपर लोक-सभा और राज्य-परिषद् में मतभेद हो जाए। ऐसी स्थिति में गतिरोध दूर

१. जी० वी० मावलंकर—“पार्लमेण्टरी अकेयसं” में पार्लमेण्टरी लाइफ इण्डिया”, भाग ४, अंक १, पृ० ११४।

करने के लिए दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक की जा रहती है। संयुक्त बैठक में यदि कोई निर्णय करना होता है, तो वह सीधे-साइरे व्युत्पत्ति के द्वारा किया जाता है। संयुक्त बैठक में लोक-सभा का बोलबाला रहेगा यद्योऽकि उसकी सदस्य-संस्था राज्य-परिषद् की सदस्य-संस्था से दुगुनी होगी। बूमरे शब्दों में, उच्च सदन उन मामलों में भी, जो कि धन से सम्बद्ध नहीं हैं, थाटे में रहेगा। भारतीय राज्य-परिषद् ब्रिटिश लोक-सभा की तरह जीए सदन नहीं होगी। फिर भी उसकी स्थिति लोक-सभा की तुलना में नीची रहेगी।

**कार्यपालिका के ऊपर नियन्त्रण—**संघीय कार्यपालिका के ऊपर दोनों सदनों का जो नियन्त्रण है, जिस सीमा तक नियन्त्रण है, उग धोव में भी यही बत दिखाई देती है। संविधान मंथी-परिषद् को दोनों सदनों के प्रति नहीं, अपिनु घड़ेने लोक-सभा के प्रति उत्तरदायी बनाता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि राज्य-परिषद् सरकार की नीति पर विचार-चिन्मयी कर सकती है, प्रद्दनों और 'कामरोबो' प्रस्तावों द्वारा उसके कपर कुछ प्रभाव भी ढाल सकती है। लेकिन सरकार के ऊपर अविद्याम का प्रस्ताव पूरा करके उगे अपवाह्य करना केवल लोक-सभा के द्वारे की ही बान है।

## १२७. संसद की शक्तियाँ और मर्यादाएँ

(क) विधायिकी शक्तियाँ—संविधान सभा मूँची और समवर्ती मूँची व प्रभागित समस्त विषयों पर कानून बताने की शक्ति संसद में निहित करता है। मा० १२३ न वह राज्य-मूँची यें सम्मिलित विषयों पर कानून बनाने के लिए नक्षम नहीं है। नो० ३ न यदि राज्य-परिषद् घोषणा कर दे कि इन विषयों में से कोई विषय राष्ट्रीय है, तो यही गया है, तो संमेल उसके सम्बन्ध में कानून बना सकती है। संसद या० ३ न घोषणा के प्रवर्तन-काल में अथवा राज्य में संविधानिक सभा के विफल हो जा- ने उद्घोषणा के प्रवर्तन-काल में भी राज्य-विषयों के ऊपर कानून बना सकती है।

**साधारणता:** राज्य-विषय संसद की सक्षमता से बाहर है—संसद भी गतियों पर एक प्रतिवन्ध यह है कि उसे पूर्ण और अवर्जी संविधान नविधायी शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। वह राज्यों के विधान मण्डलों पर नहमति के बिना संविधान में महन्दपूर्ण उपवर्णों को संशोधित नहीं कर सकती।

संसद प्रभुत्वसम्पन्न कानून नियमित नहीं है—इससे भागीय समद और ब्रिटिश संसद के बीच के एक स्पष्ट अन्तर का पता चलता है। ब्रिटिश संसद प्रभुत्वसम्पन्न विधान मण्डल है, उसे पूर्ण संविधान नविधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं और यह देश के संविधान को जिस ढंग से जाहे, नशोधित कर सकती है। इसके अलावा भारतीय सराइ द्वारा पाग किए गए कानून न्यायिक पुनरोधण के विषय है। उन

कानूनों को जो संविधान के विन्ही उपबन्धों के प्रतिकूल पड़ते हैं, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालय अवैधानिक घोषित कर सकते हैं। द्वितीय संसद इस प्रकार के किसी प्रतिबन्ध के अधीन नहीं है।

राष्ट्रपति का नियेधाधिकार—यहाँ हम संसद की शक्तियों के ऊपर एक अन्य प्रतिबन्ध की चर्चा कर सकते हैं। प्रत्येक विवेयक के लिए राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने पर ही उसे संविधि-पुस्तक में दर्ज किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, राष्ट्रपति संसद द्वारा पास किए गए किसी विवेयक पर अपनी अनुमति देना अस्वीकार कर सकता है और उसे पुनर्विचार के लिए संसद के पास आपस भेज सकता है। सेक्रिट कार्यपालिका का यह नियेधाधिकार केवल निलम्बन (Suspensory) ही है, अन्तिम नहीं। राष्ट्रपति विवेयक के अविनियम में खाली देर कर सकता है, उसकी हस्तांतरण नहीं कर सकता। संसद के दोनों सदन विवेयक को दुवारा सीधे सादे बहुमत से पास करके राष्ट्रपति के नियेधाधिकार का अतिक्रमण कर सकते हैं।

(ज) द्वितीय शक्तियाँ—संसद को विषुल वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। वह संसद की थीलों को नियन्त्रित करती है। जब तक संसद का अनुमोदन न हो, जनता के ऊपर कोई कर नहीं लगाए जा सकते और न किसी प्रकार का कोई व्यय ही किया जा सकता है। तथापि, व्यय की कुछ ऐसी मद्दें अवश्य हैं, जिन पर संसद में मतदान नहीं हो सकता। हाँ! विचार-विमर्श अवश्य हो सकता है। इन मद्दों का व्यवधार संसद के अनुमोदन सहित भारत सचित-निधि के ऊपर पड़ता है।

(ग) संसद का संघीय कार्यपालिका के ऊपर नियन्त्रण—बूँकि भारतवर्ष में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, अतः संघीय मन्त्री-परिषद् संसद के नियन्त्रण में रहकर कार्य करती है। इस नियन्त्रण का प्रयोग लोक-सभा के द्वारा किया जाता है, जिसके प्रति मन्त्री-परिषद् सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। यदि मन्त्री-परिषद् लोक-सभा का विश्वास खो देती है तो लोक-सभा उसे (१) सीधे अविश्वास का प्रस्ताव पार करके, (२) किसी सरकारी विवेयक को अस्वीकार करके अवश्वा (३) सरकारी विवेयक में ऐसा संज्ञोधन पास करके जिससे सरकार सहमत न हो, अवदस्थ कर सकती है। संसद प्रश्नों और कामरोंको प्रस्ताव आदि के माध्यम से प्रशासन के ऊपर सतर्क हृष्ट रख सकती है और जनता का घ्यान सरकार के क्रियान्कलापों की ओर आकुण्ठ कर सकती है। संसद का कोई भी सदस्य सरकार के कार्यों और नीतियों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रश्न पूछ सकता है। निसर्गतः यह सरकार की नीतियों को प्रकाश में लाने के लिए अवश्वा उसे सार्वजनिक महत्व के ऐसे भास्त्रों में अवश्यक कदम उठाने के लिए विवश करने के लिए, जिनकी उसने उपेक्षा की है, शक्तिशाली

जाय है। 'कामरोको' प्रस्ताव मदन के माधारणे कार्य-व्यापार को दबित करने का, ताकि रेल-दुर्घटना, जलम पर पुलिस की गोली-बर्पे अथवा भीषण उपद्रव आदि सार्वजनिक महत्व के मामलों पर विवार किया जा सके, प्रस्ताव है। कामरोको प्रस्ताव का वास्तविक उद्देश्य प्रवासन की भ्रष्टता और दुर्बलता तथा कार्बपालिका की नीति की गमतियों को प्रकाश में लाना है। मगद का नियन्त्रण कार्बपालिका को मनके रखना है और उसे स्वेच्छानारी ढंग में काम करने से रोकता है।

### संघीय न्यायपालिका

#### १२८. भारत का सर्वोच्च न्यायालय

संघ में न्यायपालिका की विशेष स्थिति—जोकलात्मक दामन-प्रणालों में भवल, स्वतन्त्र और मुसंगठित न्यायपालिका का अस्त्यन्त महान्वपूर्ण स्थान है। उसका कर्तव्य है कि वह मरकार को अपनी विविध के स्वेच्छानारी ढंग में प्रयोग करने से रोके और नागरिकों के अधिकारों और स्वतन्त्रताओं की रक्षा करे। सधीय गामन-प्रणाली के अधीन न्यायपालिका का कार्य और भी महान्वपूर्ण होता है, वह मविधान के अभिभावक का कार्य करती है। मध्याद में सधीय मरकार और अवयवी पक्को अवृत्त राज्यों की सरकारों के बीच जक्षियों का वितरण होता है। ऐसी पद्धति में श्रीवाचिकार के प्रह्लों पर मनमेद अवृत्त विवाद उठ जड़े होना सर्वेषां भम्भाव्य है। इसके अलावा, सधीय सविधान यायन के विभिन्न घंगों की जाकियों और कृत्यों का स्पष्ट-रूप से निहपण कर देता है तथा उनकी मर्यादाएँ वांछ देता है। इसलिए यदि भासने की कोई विकेप यावा, अपने प्राधिकार की सीमाओं से आगे बढ़ती है, तो विवाद उठ जड़े हो जाते हैं। केवल एक जाकियानी न्यायपालिका ही ऐसे विवादों को मुलझा मजली है और भासन के विभिन्न घंगों को अपने लिए विहित घंगों के भीतर रख राकती है। भारत का नया सविधान स्वरूप में सधीय है। इसी के अनुसार इस प्रकार के विवादों को मुलझाने के लिए और सविधान के अभिभावक व अन्तिम निवाचक के रूप में कार्य करने के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है।

सर्वोच्च न्यायालय का गठन—नए सविधान के अपील संस्थापित पर्वतिन न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायमण्डल है। वह देश की न्यायपालिका के विस्तर पर आधीन है। उम्हा गठन १९३५ के भारत मरकार अधिनियम के उपबन्धों के अधीन स्थापित सधीय न्यायालय के स्टेट्स को अंका उठाकर और उसे आर खदापिकार प्रदान कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय दोबारी और फौजदारी परीक्षा की उन विविधों का प्रयोग करती है, जिनका पहले पिंडी कीमिल प्रयोग वर्ती थी।

१. सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के साथ भारत का प्रियो कीमिल में गावन्य दृढ़ गया है।

कुछ मामलों में इन शक्तियों को पर्याप्त बढ़ा दिया गया है।

नए संविधान की अनुच्छेद १२४ के अनुसार भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधिपति तथा बबत तक संसद कानून द्वारा घटाए-बढ़ाए नहीं, सात अन्य न्यायाधीश होते हैं। अन्य न्यायाधीशों की संख्या सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, १९५३ द्वारा बढ़ाकर दस कर दी गई थी और १९६० में इसकी संख्या १३ कर दी गई है।

हमारे नविधान में (a/l hoc) न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए भी कहा गया है। यदि दियी समय अधिकेशन करने अथवा जारी रखने के लिए संख्या पूरी न हो तो मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर तथा उस उच्च न्यायालय के नुस्खे की सलाह से वहाँ के कियी भी न्यायाधीश को बैठकों पर बुला सकता है। परन्तु अभी ऐसे न्यायाधीश राष्ट्रोच्च न्यायालय का दावह्य बनने की योग्यता रखते हैं और उन्हें वही भत्ते मिलेंगे जो कि एक सर्वोच्च न्यायालय के सदस्य को मिलते हैं।

न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा अहंताएँ—संविधान ने यह स्पष्ट उपचरण कर दिया है कि संसद कानून द्वारा न्यायाधीशों की संख्या को घटा या बढ़ा सकती है। सर्वोच्च न्यायालयों के तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करके, जिनसे इस प्रयोजन के लिए परामर्श करता राष्ट्रपति आवश्यक समझे, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधिपति को नियुक्त करता है।

सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से करता है। मर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कोई व्यक्ति तब तक अहं न होगा जब तक कि वह (१) भारत का नागरिक न हो, (२) राज्य के किसी उच्च न्यायालय में पांच वर्ष से अध्यून काम न कर चुका हो, (३) विसी उच्च न्यायालय का दस वर्ष से अध्यून अधिकता न रह चुका हो और (४) अथवा राष्ट्रपति उसे पारंगत विवित्ता न समझता हो।

न्यायाधीशों के वेतन आदि—सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को विना किराया दिए पदावास के उपयोग का हक है। मुख्य न्यायाधिपति को ५,००० रु० प्रतिमास और दूसरे प्रत्येक न्यायाधीश को ४,००० रु० प्रतिमास वेतन मिलता है। न्यायाधीश जहाँ एक बार नियुक्त हुए, फिर उनके भत्तों, उपलब्धियों और विदेशाधिकारों में उनके लिए अलाभकारी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। न्यायाधीशों को तौकरी की गारण्टी दी जाती है। उनके सेवा-मित्रता होने की आयु ६५ वर्ष मिसिन्त की गई है।

न्यायाधीशों की पदध्यति—सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपने पद से

केवल उसी समय हटाया जा सकता है जबकि सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के लिए उसके हटाए जाने हेतु संभव के दोनों सदनों ने राष्ट्रपति के सम्मुख एक समावेदन रख दिया हो और राष्ट्रपति ने उसके हटाए जाने का आदेश दे दिया हो। समावेदन के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रत्येक सदन की समस्त-सदस्य मंडल्या के बहुमत ढारा और उपरिषत ज मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो तिहाई बहुमत के ढारा पास किया गया हो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश योंबा निवृत्त होने के पश्चात् किसी न्यायालय में अध्यवा किसी प्राधिकारी के समक्ष बकालत करने अथवा उपरिषत होने ने बंचित कर दिए गए हैं।

**सर्वोच्च न्यायालय को शक्तियाँ**—भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक शक्तिशाली निकाय है। उसकी शक्तियाँ अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के सहित किसी अन्य संघ की मर्कोच्च न्यायिक सत्ता की शक्तियों से अधिक है। वह एक अभिलेख-न्यायालय है और उसे अपने अधिमान के लिए दण्ड देने की शक्ति के सहित ऐसे न्यायालय की भव शक्तियाँ प्राप्त हैं।

(क) **अभिलेख न्यायालय**—अभिलेख न्यायालय वह उच्च न्यायालय होता है जिसके निरुपयों और न्यायिक कार्यवाहियों को नित्य रक्षण के लिए विवर लिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय से अभिलेखों का साध्यात्मक मूल्य होता है और जब किसी न्यायालय के सम्मुख उन्हें उपरिषत दिया जाता है तब उनकी साधी पर विसी प्रकार का कोई सन्देह नहीं किया जा सकता।

(ल) **सर्वोच्च न्यायालय का प्रारम्भिक धोनाधिकार**—सर्वोच्च न्यायालय प्रारम्भिक, अनीलीय और परामर्शीय धोनाधिकारों का प्रयोग करता है। उसका अप्रारम्भिक धोनाधिकार (१) भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच बर्जी प्रारम्भिक धोनाधिकार (२) भारत सरकार और कई राज्य या राज्यों तथा दूमरी और एक या के; (३) एक योर भारत सरकार और कई राज्य या राज्यों के बीच के, किसी अधिक अन्य राज्यों के बीच वे, अथवा (४) दो या अधिक राज्यों के बीच के, किसी विवाद में, यदि और जहाँ तक ऐसा कोई प्रश्न अन्तर्यास्त है (चाहे कानून का ही, चाहे तथ्य का) जिस पर किसी कानूनी अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है, वहाँ तक होता है। मैक्सिन सर्वोच्च न्यायालय के प्रारम्भिक धोनाधिकार का विस्तार उग तक होता है जो पूँछकालीन देवी राज्यों के साथ की गई सन्तुष्टियों के उपर्यन्त से सम्बन्ध रखता है और जिसमें कोई राज्य एक पक्ष है।

(ग) **सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय धोनाधिकार**—सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय धोनाधिकार में तीन तरह के मामले आते हैं—(क) दंघानिक, (ख) दीवानी और (ग) फौजदारी। दंघानिक मामलों में, किसी उच्च न्यायालय के चाहे तो कोज़ारी विषयक और चाहे दीवानी कार्यवाही में दिए गए, निर्णय की अपील सर्वोच्च

न्यायालय में हो सकती है यदि वह उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि उस भागलों में संविधान के निर्वचन का कोई सारबान् विधि-प्रश्न अन्तर्गत है। बीवानी मामलों में, उच्च न्यायालय के किसी निर्णय, आवृत्ति या अंतिम आदेश की अपील सर्वोच्च न्यायालय में होगी यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करे कि विवाद-विषय की राशि का मूल्य २०,००० हॉ से कम नहीं है अथवा अपील में कोई सारबान् विधि-प्रश्न अन्तर्गत है। फौजदारी मामलों में किसी उच्च न्यायालय के दिए हुए निर्णय की सर्वोच्च न्यायालय में अपील होगी यदि उस उच्च न्यायालय ने (१) अपील में किसी अभियुक्त व्यक्ति या विमुचित के आदेश को पलट दिया है तथा उसको मृत्युदण्डादेश दिया है, (२) अपने ग्रन्थीन न्यायालय से विसी मामले को परीक्षण करने के हेतु अपने पास बंगा लिया है तथा ऐसे परीक्षण में अभियुक्त व्यक्ति को सिद्ध-दोष ठहराया है और मृत्यु-दण्डादेश दिया है, अथवा (३) प्रमाणित किया है कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील किए जाने लायक है। सरद, कानून के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकती है।

मविधान ने सर्वोच्च न्यायालय की कतिपय परामर्शीय कृत्य भी दिए हैं। यदि राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि कानून या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है, जो संवैधानिक महत्व का है, तो उस पर वह सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त कर सकता है। इस क्षेत्राधिकार के अधीन राष्ट्रपति उन विवादों को भी सर्वोच्च न्यायालय को राय देने के लिए सीधे सकता है जो पूर्वकालीन देशी राज्यों के साथ की गई समिश्रीयों और समझौतों के निर्वचन को अन्तर्गत करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय और मूल अधिकार—सर्वोच्च न्यायालय भारत के नागरिकों की स्वतन्त्रताओं और मूल अधिकारों का रक्षक है। यदि किसी विधान मण्डल द्वारा पास किया गया कोई कानून उन मूल अधिकारों का उलंघन करता है जो संविधान ने जनता को प्रदान किए हैं, तो न्यायालय उसको शून्य घोषित कर सकता है। निवारक निरोध अधिनियम के खण्ड १४ के मामले में यह किया गया था, राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश निरालकर इस खण्ड को अपर्मार्जित कर दिया। अभी हाल ही में राज्यों के उच्च न्यायालयों ने और सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद १४ और ३१ के प्रतिकूल पड़ने वाले कतिपय कानूनों को निष्कल किया है।

संविधान का अभिरक्षक और निर्वचक—सर्वोच्च न्यायालय वही प्रत्यक्षी-करण और मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सेवा निकाल सकता है। इस प्रकार ग्रन्थिका के सर्वोच्च न्यायालय की तरह भारत के सर्वोच्च न्यायालय को विधान मण्डलों द्वारा पास किए गए कानूनों का पुनरीनण करने और उन्हें, यदि के संविधान के किसी उपक्रम के पिछले हों, अवैध घोषित करने की शक्ति दे दी गई है। दूसरे शब्दों में

सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अभिरक्षक और निर्वचक है।

सर्वोच्च न्यायालय की स्वतन्त्रता—संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को निषणशक्ति और स्वतन्त्रता को सुनिश्चित करने व उसे कार्यपालिका या व्यवस्थापिका के हमलेषेप्रथम प्रभाव में दूर रखने का उचित उपचार कर दिया है। न्यायाधीश जहाँ एक बार नियुक्त हुए, किंतु उस्हे एक अत्यन्त कठिन प्रक्रिया के अलावा अन्य किसी रीति में अपदस्थ नहीं किया जा सकता। उसके अलावा, न्यायधीशों के बोरान और सर्वोच्च न्यायालयों के प्रगासनिक व्यवहारों का भार भारत की मतिज निधि के ऊपर पड़ता है। ये अवसर्षीय विधान गद्दी के मतानुकी नहीं हैं।

### सारांश

भारत के नए संविधान की रूपना मन्त्री-मिशन बोरान के उपवर्त्ती के अधीन १९४६ में निर्णित संविधान सभा ने की थी। यह सभार का राखने वाला और विधान वैधानिक प्रबोल है। इसमें आठ अनुमूलिकों के अलावा ३६५ अनुच्छेद हैं। यह कठोर भी है परंपरा अमेरिका के संविधान से कम कठोर है। यह देखने में गधीर है लेकिन इसकी आत्मा एकान्त्रिक है। इसमें भारतवर्ष के लिए मसदीय जास्तन प्रगतिशीली को गमी-कृत किया है। इसमें नागरिकों के भूल अधिकारों के ऊपर एक अध्याय है। ये अधिकार समर्थनीय हैं। लेकिन इसमें से कुछ महत्वपूर्ण अधिकारों को अपातकालीन स्थिति किया जा सकता है। हमारे संविधान की एक अतुल विशेषता राज्य-नीति के निर्देशक तत्व है। इन तत्वों को न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकती। ये तत्व उन व्यक्तियों के लिए जो राज्य की सत्ता का प्रबोल करते हैं, नेतृत्व विकासी के रूप में हैं। संविधान ने भारतवर्ष में धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना की है। ऐसे राज्य में सब धर्मों को समान हुए में देखा जाता है।

भारतीय संविधान में संघीय शासन-के विशिष्ट लक्षण विद्यमान हैं। राज्यों और संघ के बीच संवितयों का स्पष्ट वितरण है, संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और संविधान के अभिनवता तथा विर्वचन के स्तर में न्यायपालिका का योग्य विशेष कार्य है। लेकिन गविधान में सबल एकात्मक अभिनवता याई जानी है और वह केवल अद्वैतीय ही है। केन्द्र को अवधिष्ठान जनितयों महिल व्यापार विकासी दी गई है। जापारण परिस्थितियों तक में केन्द्र राज्यों की न्यायालया में हमलेषेप कर सकता है। आपसों में संविधान को दिना किसी ओपरार्क गजोधन के प्रबल्लक बनाया जा सकता है।

संघीय कार्यपालिका—भारत-संघ की कार्यपालिका घटित राष्ट्रपति भें विहित ही गई है। वह राज्यों की विधान सभाओं नया समाज के दोनों भवनों के निर्वाचित

सदस्यों द्वारा परोक्षतः निर्वाचित होता है। संविधान ने राष्ट्रपति को दिपुल कार्य-पालिका, विधायितो, वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ प्रदान की हैं। लेकिन साधारणतः राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग मन्त्रियों की मन्त्रणा पर करता है। वह वैधानिक शासक है और उसकी स्थिति लिटिश शासक के समान है। कुछ अधिकारी विद्वानों का कहना है कि चूंकि राष्ट्रपति सब मामलों में मन्त्रियों की मन्त्रणा को ज्ञानने के लिए कानूनतः वाच्य नहीं है, अतः वह कृतिपूर्ण परिस्थितियों में वास्तविक् शासक अथवा तानाशाह बन सकता है।

लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में, जिसे कि भारत में अपनाया गया है वास्तविक कार्यपालिका मन्त्री-परिषद होती है। यदि मन्त्री-परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और दूसरे मन्त्री प्रधानमन्त्री की मन्त्रणा पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मन्त्री-परिषद प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में विधान मण्डल के साथ सहयोगपूर्वक कार्य करती है।

संघीय विधान मण्डल—अथवा संसद द्विसदनात्मक है। उच्च सदन (राज्य-परिषद) राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा परोक्षतः निर्वाचित होता है। उसकी अधिकतम सदस्य-संख्या २५० है, १२ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम-निर्देशित होते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य-संख्या ५०० थी परन्तु अब ५२० कर दी गई है। इसके सदस्य वयस्क मताधिकार और संयुक्त निर्वाचिक-गणणों के आधार पर जनता द्वारा सीधे निर्वाचित होते हैं, लोकसभा की साधारण कालाधिक ५ वर्ष है। राज्य-परिषद स्थायी सदन है। उसके सदस्य ६ वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, परन्तु तिहाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष निवृत्त हो जाते हैं। सदन के दोनों सदन शक्तियों और प्रभाव की हाईट से समान नहीं हैं। वित्तीय मामलों में लोकसभा परमेष्ठ है लेकिन अ-वित्तीय मामलों में दोनों सदन बराबर है।

संघीय न्यायपालिका—संविधान ने एक सर्वोच्च न्यायालय का उपबन्ध किया है। यह न्यायालय राष्ट्र का अन्तिम निवेदक है। इसके साथ ही साथ वह देश का सर्वोच्च न्यायमण्डल भी है। वह भारत के मुख्य न्यायाधिपति और ७ दूसरे न्यायाधीशों से मिलकर बनता है। वह प्रारंभिक और अंतिम धेनाधिकार का प्रयोग करता है। उसके अनीलीय धेनाधिकार में वैधानिक, दीवानी और फौजदारी के मामले शामिल हैं। तथ्य या कानून के विषी महत्वपूर्ण प्रबन्ध पर राष्ट्रपति उसने परामर्श भी ले सकता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सभार के सबसे अधिक शक्तिशाली निकायों में से है।

## भारत का नया संविधान—क्रमशः (राज्य की सरकार)

### १२६. भारत-संघ के राज्य

भारत-संघ के राज्य-क्षेत्र में राज्यों के राज्य-क्षेत्र समाविष्ट हैं। भारत-संघ में अण्डमान और निकोबर-द्वीपों के अलावा राज्यों की थेगियाँ हैं और वे नए संविधान की प्रथम अनुमति में उल्लिखित हैं। उन्हें निम्न तालिका में दिखाया गया है—

भाग (क)	भाग (ख)	भाग (ग)	भाग (घ)
राज्यों के नाम	राज्यों के नाम	राज्यों के ताप	राज्यों के नाम
१. आमान	१. जम्मू और काशीर	१. अजमेर	अण्डमान
२. उडीगा	२. जावहारकोट	२. कच्छ	और निकोड़ार
३. पंजाब	३. कोचीन	३. कूच-विहार	हाप सागूह
४. गढ़िचमी चमान	४. पटियाला तथा पूर्वी पंजाब	४. कुर्ग	
५. विहार		५. प्रिपुरा	
६. मध्यग	६. राज्य संघ	६. दिल्ली	
७. मध्य प्रदेश		७. बिलासपुर	
८. बम्बई	८. मध्य भारत	८. भोपाल	
९. उत्तर प्रदेश	९. भैरू	९. भनीपुर	
	१०. राजस्थान	१०. हिनाचल प्रदेश	
	११. विन्ध्य प्रदेश		
	१२. नीराट		
	१३. हैदराबाद		

भाग (क) राज्य पूर्वकालीन भारतीय प्रान्तों के ताप्त्यानों हैं और भाग (ग) तथा (ग) प्राचीन देशी राज्यों के या उनके मंचों के अंग पूर्वकालीन मुख्यप्राप्तियों के प्रान्तों के ताप्त्यानों हैं।

नए संविधान के अधीन राज्यों का पद—नया संविधान भारत को एक संघ बनाता है। कलतः राज्य जो संघ के अधिकारी एकक हैं, एक स्वायत्त स्टेट्स का उपभोग करते हैं। संविधान संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट वितरण करता है। साधारण परिस्थितियों में कलिय विषय राज्यों के अपवर्जी अधिकार में आते हैं लेकिन संविधान में ऐसे कुछ उपकरण विधान हैं जो संघ सरकार को उन विषयों पर भी, जो फि राज्य-सूची में प्रगति हैं कानून बनाने और नियन्त्रण रखने की शक्ति प्रदान करते हैं। यह प्रबन्ध भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए किया गया है। इसलिए नया संविधान केन्द्रवाद और संघवाद के बीच समझौता है।

### १३०. संघ तथा राज्यों के सम्बन्ध

शक्तियों का वितरण—संविधान व्यवस्थापन के विभिन्न विषयों को तीन सूचियों—संघ-सूची, राज्य-सूची और समवर्ती सूची—में वांटता है। ये भूचियों सातवीं अनुसूची में दी हुई हैं। संघ-सूची में वे विषय हैं जिनके ऊपर संघीय (केन्द्रीय) सरकार को अपवर्जी अधिकार प्राप्त हैं और जिनके कानून वह कानून बना सकती है।

(१) संघ सूची—संघ सूची में ६७ विषय हैं। प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, देशीयकरण तथा अन्य देशीय, रेलवे, राष्ट्रीय राज्य पथ, खालील, ठंकण और विधिभाल्य, विदेशी विनियम, भारत का रिजर्व बैंक, डाकघर बचत बैंक, विदेशी बाणिज्य, बीमा आदि विषय संघ सूची में सम्मिलित हैं।

(२) राज्य सूची—राज्य सूची में सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, जेल, रथानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, शिक्षा, कृषि, वन, मीन-अंडा, उद्योग और राज्य की लोक-सेवा एवं आदि के सहित ६६ विषय हैं। संविधान में उल्लिखित केवल उन परिस्थितियों को छोड़कर, जबकि संघ सरकार इन विषयों को अपने हाथ में ले सकती है, राज्य सरकार को इनके ऊपर अपवर्जी व्यवस्थात्मक तथा प्रशामनिक धोथाधिकार प्राप्त है।

(३) समवर्ती सूची—गमवर्ती सूची फीजदारों कर्त्यवाही विवाह और लगाक, संविधाएँ, दीवानी कार्यवाही, अधिक नष्ट, अधिक वन्याश, मूल्य नियन्त्रण, कारखाने, आधिक और सामाजिक योजना, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक भीमा, विद्युत, समाचार-पत्र, पुस्तके और सुदृश्यालय आदि को मिलाकर ४९ विषय प्रगति करती है। समवर्ती सूची ने उल्लिखित विषयों के ऊपर कानून बनाने के लिए सघ सरकार और राज्यों की सरकारे—दोनों ही सधूम हैं। लेकिन इसमें एक वार्त है और वह यह कि यदि किसी समवर्ती विषय पर राज्य के विधान मण्डल हारा निर्मित कानून उसी विषय पर असद द्वारा निर्मित कानून के प्रतिकूल पड़ता है, तो असद द्वारा निर्मित

कानून अभिभावी होगा तथा राज्य ने विद्यान मण्डल द्वारा निर्मित कानून विरोध की यात्रा तक शुरू होगा।

**प्रविष्ट शक्तियाँ—**ये तीनों यूनियों द्वारा विद्या है। लेकिन ही गहरा है कि भवित्व में पैरे विभी विवर का पता चले जो कि इनमें ने किसी भी सूची में सम्मिलित न किया गया है। सविधान के उपचारों के प्रनगार पैरे नव विषय मध्य मरकार के धोनाधिकार में आगर पहेंगे। दूसरे शब्दों में अवगिरु शक्तियाँ मध्य में निहित की गई हैं।

मह स्पष्ट है कि नए सविधान के अधीन किए गए शक्तियाँ के वितरण का उद्देश्य केन्द्र को ग्राम्यन्त शक्तिवाली बनाना है। अवगिरु शक्तियाँ को केन्द्र के हाथों में सीधे देते कर्ता भी पढ़ी उद्देश्य है। अंग्रेजिका और स्वदूजरन्ड जैसे इंग्रीकल मध्यों में प्रविष्ट शक्तियाँ व्यवस्थी एक ही में निहित की गई हैं। भारत में उन सम्बन्धों में भी जो सभ मरकार को राज्यों के धोनाधिकार का अतिरिक्त करने और राज्य-गृही में प्रगतिशील विधायी पर कानून बनाने की शक्ति देते हैं, केन्द्र को अधिकाधिक नवाने की आवाज़ा प्रकट होती है। सभ और राज्यों के विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय सम्बन्धों का परिवेशग्र इस कथन की सत्यता को सपाठ करने के प्रकट करता है।

**विधायी सम्बन्ध—**जहाँ तक सभ और राज्यों के विधायी सम्बन्धों का प्रश्न है, सभ और राज्यों के बीच शक्तियों के उत्तर वितरण में यह प्रकट है कि सभ की मरकार और राज्य को मरकारों यज्ञों-धर्मने क्षेत्र में बहुत कुछ स्वतंत्र है। लेकिन यहाँ यह सम्बन्ध है कि जहाँ राज्य का विद्यान मण्डल सभीव ममद के धोनाधिकार का विनी भी इसा में अतिरिक्तग्र नहीं कर सकता, सभीय ममद निम्न दसाओं में राज्य-गृही में प्रगतिशील विधायी पर कानून बना सकती है—(१) यदि राज्य परियद दो निहाई बहुमत में इस आदेश का एक प्रमाणपात्र कर दे कि यमुख विषय-गतीय भवन्त्र का है, तो ममद उस विषय पर कानून बना सकती है। (अनुच्छेद २८८)। (२) अत्यात की उद्धोषणाः के प्रबन्धन कान में गणद राज्य-गृही में प्रगतिशील ग्राम्य विषयों पर कानून बना सकती है। (अनुच्छेद २५०)। (३) यदि दो या दो में अधिक राज्य ममद में इस बात की प्रार्थना करे तो वह विभी राज्य-विषय पर उसके विधायी कानून बना दे, तो ममद उस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है। (अनुच्छेद २५२)। (४) ममद को किसी अन्य देश या देशों के साथ यो हुई विधि या कानून के परिवालन के लिए राज्य विद्यान मण्डल के धोनाधिकार में बनाने वाले विधायी पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। (अनुच्छेद २५३)। (५) यदि ममद द्वारा निर्मित कानवों में अमर्गति हो, तो ममद द्वारा और राज्यों के विद्यान मण्डलों द्वारा निर्मित कानवों में अमर्गति हो, तो ममद द्वारा

निमित कानून, चाहे वह राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा निमित कानूनों के पहले या पीछे पास हुआ हो, अभिभावी होगा और राज्यों के विधान मण्डल द्वारा निमित कानून विरोध की मात्रा तक शून्य होंगे। (अनुच्छेद २५४)। (६) राज्यों में वैधानिक तन्त्र के विफल हो जाने की अवस्था में राष्ट्रपति राज्य के विधान मण्डल के अधिकार अपने हाथों में लेकर संसद को दे सकता है और उस दशा में उसके सब अधिकारों का प्रयोग संसद करेगी। (अनुच्छेद २५६)। (७) राज्य विधान मण्डल द्वारा पास किए गए कुछ विवेक ऐसे हैं जिनमें राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रोक सकता है और जो राष्ट्रपति की स्वीकृति पाने पर ही कानून बन सकते हैं। (अनुच्छेद २०१)।

**प्रशासनिक सम्बन्ध**—संविधान ने यह व्यवस्था की है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका-शक्ति का इस प्रकार प्रयोग होगा जिससे संसद द्वारा निमित विधियों का, तथा जिन्हीं वर्तमान विधियों का, जो उस राज्य में लाये हैं, पालन सुनिश्चित रहे। संघ को अधिकार है कि वह इस सम्बन्ध में राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकता है। (अनुच्छेद २५६)। इसके साथ-ही-साथ संघ राष्ट्रीय महत्व के अतिरिक्त सम्बन्ध के साथमों के निर्माण तथा उनकी रक्षा करने के लिए राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकता है। (अनुच्छेद २५७)। राष्ट्रपति राज्य-सरकार की अनुमति से राज्य के कर्मचारियों को संघीय सरकार के विसी भी काम को करने का आदेश दे सकता है। (अनुच्छेद २५८)। संसद को उन्तरार्थियक नियमों तथा नदी की घाटियों के सम्बन्ध में उठने वाले भगड़ों के निवारण के लिए कानून बनाने का अधिकार है। (अनुच्छेद २६२)। यदि विभिन्न राज्यों के मध्य अवलो राज्यों और संघ के मध्य ऐसे विधियों के ऊपर कोई विवाद उठे, जिनमें सामान्य हित हो, तो राष्ट्रपति उसकी परीक्षा करने तथा उस पर सिफारिश करने के लिए एक अन्तरार्थियक परिषद् का निर्माण कर सकता है। (अनुच्छेद २५९)। देशी राज्यों के पास संविधान प्रारम्भ होने से पूर्व जो सेनाएँ थीं, वे उनके पास उस समय तक बनी रहेंगी, जब तक संसद कानून द्वारा उनकी कोई ग्रन्थ व्यवस्था न कर दे। ऐसी सभी सेनाएँ भारतीय सेनों का अग्र समझी जाएंगी और उन पर सघ सरकार का नियन्त्रण रहेगा। (अनुच्छेद २६६)। अत्यात की उद्दोषणा के प्रथमन काल में राज्यों की स्वायत्ता स्थगित हो जाएगी और सघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को इस विषय में निर्देश देने तक होगा कि यह अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस रीति से प्रयोग करे। (अनुच्छेद ३५३)। संघ और राज्यों के प्रशासनिक सम्बन्धों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि अवधत राज्यों को अपने लेत्र में पूर्ण अधिकार प्राप्त है, फिर भी संघ सरकार उनके प्रशासन में पर्याप्त हस्तक्षेप कर सकती है। इसके अतिरिक्त हितीय

थेणो के राज्यों पर तो संघ सरकार का संविधान प्रारम्भ होने के दस वर्ष बाद तक काफी नियन्त्रण रहेगा।

**दितीय सम्बन्ध**—नए संविधान ने संघ और राज्यों के बीच आधिक खोलों का छोटकारा बहुत कुछ १६३५ के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार ही किया है। कुछ कर तो पूर्ण रूप में संघ के हाथों में है और कुछ राज्यों के। कुछ कर संघ लगाना है लेकिन यह एकत्रित करता है। कुछ कर से मैं हैं जिन्हे संघ लगाना और संग्रहीत करना है परन्तु राज्यों को दे देता है। निम्नलिखित कर पूर्ण रूप में संघ के हाथ में है—हृषि को छोड़कर अन्य आव पर कर, सीमा-भूलक जिसके अन्तर्गत नियंत्रित घूलक भी है, भारत में नियंत्रित या उत्पादित तमाङ्कु तथा मानव-उत्पाद के गत्य मारिक पानी, अकीम, यांग और अन्य धीनक लाने वाली शौपधियों तथा मन्त्रपक्षों को छोड़कर, किन्तु ऐसी श्रीपद्धीय और प्रमाधनीय मामधी को अन्तर्गत करके जिनमें मन्त्रमार का कोई पदार्थ प्रत्यक्षिण हो, अन्य सब वस्तुओं पर उत्पादन-घूलक, नियंत्रक, व्यक्तियों या समवायों की आक्षित में से हृषि-भूमि को छोड़कर उसके मूलधन-मूल्य पर कर, समवायों के मूलधन पर कर, हृषि-भूमि को छोड़कर अन्य सम्पत्ति के उत्पादिकार के बारे में यूलक, रेव या ममूद या बायुपान गे जे जाए जाने वाली वस्तुओं या वातियों पर सीमा-कर, रेव के जन-भाइंडे और वस्तु-भाइंडे पर कर, मुद्राक-मून्क को छोड़कर थंडिं चत्वर और बादाव-जार के भोदों पर कर, विनियन-पत्रो, चैको, बचन-पत्रो, बहन-पत्रो, प्रत्यय-ग्रन्थो, बीमा-पत्रो, अंशों के दृस्तान्तराग, क्रूर-पत्रो, प्रति-पत्रियो और द्याप्तियों के सम्बन्ध में लगाने वाले मुद्राक-घूलक की दर, समाचार-पत्रों के क्रप या विक्रप पर तथा उनमें प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों पर कर। (संघ मूल्य ८२-६३)।

निम्नलिखित कर पूर्ण रूप में राज्यों की सरकारों के द्वाय के बोल है—हृषि आव पर कर, हृषि-भूमि के उत्पादिकार के विषय में यूलक, हृषि-भूमि के विषय में मध्यनि घूलक, भूमि और भवनों पर कर, समद में विधि द्वाग सनिज-विकास के मध्यन्द में नगराई गई परिस्थितियों के अधीन रहने हुए खनिज-अधिकार पर कर, अकीम और भाग पर कर, विद्युत के उपभोग या विक्रप पर कर, गमाचार-पत्रों को छोड़कर अन्य वस्तुओं के भाव या विक्रप पर कर, गमाचार-पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को छोड़कर अन्य विज्ञापनों पर कर आदि आदि। (गणव-मूल्य ८५-६१)।

निम्नलिखित घूलक और कर भारत सरकार द्वाग यारेपिंग और नप्रहील दिए जाएंगे किन्तु राज्यों को नहीं दिए जाएंगे—हृषि-भूमि में अन्य सम्पत्ति के उत्पादिकार विषयक-घूलक, हृषि भूमि में अन्य मध्यनि-विषयक नप्रहील-घूलक, रेव, ममूद या बायु में वातित वस्तुओं या वातियों पर मीमांकर, रेव-भाइंडे और वस्तु-भाइंडे पर कर,

अधिक-चत्वरों और बायदा बाजारों के सीदों पर मुद्रांक-शुल्क से अन्य कर; समाचार-पत्रों के क्रय-विक्रय तथा उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर। (अनु० २६६)।

संविधान ने निश्चय किया है कि कृषि-ग्राम से अतिरिक्त अन्य आय पर करों को भारत सरकार द्वारा उद्दृढ़ीत और संहीत किया जाएगा तथा संब और राज्यों के बीच में वितरित कर दिया जाएगा। (अनु० २७०)।

अनुच्छेद २६६ और २७० में किसी बात के होते हुए भी संसद उन अनुच्छेदों में निर्दिष्ट शुल्कों या करों में से किसी की भी किसी समय संघ के प्रयोजनों के लिए अभिधार द्वारा बृद्धि कर सकेगी तथा ऐसे किसी अभिधार के समस्त आवाम भारत की संचित निधि के भाग होंगे। (अनु० २७१)।

संघ-मूच्ची में वर्णित अधिकारीय तथा प्रसाधन-सामग्री पर उत्पादन-शुल्क से अन्य संब-उत्पादन-शुल्क भारत सरकार द्वारा उद्दृढ़ीत और संग्रहीत किए जाएंगे किन्तु यदि संसद विधि द्वारा यह उपचारित करे तो शुल्क लगाने वाली विधि जिन राज्यों को लागू होती हो उन राज्यों को भारत की संचित निधि में से उस शुल्क के बहु आगमों के पूर्ण अधिकार किसी भाग के बराबर राशि दी जाएगी और वे राशियाँ उन राज्यों के बीच विधि द्वारा सूच-बद्ध वितरण-सिफारिशों के अनुसार वितरित की जाएंगी। (अनु० २७२)।

आसाम, उडीसा, बिहार और पश्चिमी बंगाल पटसन और पटसन से बनी वस्तुओं पर नियत शुल्क के स्थान में सहायक-अनुदान प्राप्त करेंगे। (अनु० २७३)।

ऐसी राशियाँ जो संसद विधि द्वारा उपचारित करे, उन राज्यों के राजस्वों के सहायक अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष भारत की संचित निधि पर भारित होंगी जिन राज्यों के सम्बन्ध में संसद यह विधारित करे कि उन्हें सहायता की आवश्यकता है, तथा भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न राशियाँ नियत की जा सकेंगी। इसके अतिरिक्त किसी राज्य के राजस्वों के सहायक अनुदान के रूप में भारत की संचित-निधि में से वैसी मूल तथा आवर्तक राशियाँ दी जा सकेंगी जैसी कि उस राज्य को उस विकास योजनाओं के खंडों के उठाने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो, जो उस राज्य के अन्तर्गत अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण की उन्नति करने के प्रयोजन के लिए अवधार उस राज्य के अन्तर्गत अनुसूचित जेत्रों के प्रशासन-स्तर को उस राज्य के जेप क्षेत्रों के प्रशासन स्तर तक उन्नत करने के प्रयोजन के लिए उस राज्य ने भारत सरकार के अनुयोदन से हाथ में ली हों। (अनु० २७५)।

किसी राज्य के विधान मण्डल की ऐसे करों सम्बन्धी कोई विधि जो उस राज्य या किसी नगरपालिका, जिला-मण्डली, स्थानीय मण्डली अधिकार उसमें अन्य स्थानीय प्राधिकारी के हित साधन के लिए बृतियों, व्यापरों, आजीविकाशों या नीकारियों के बारे

में लागू होती है, उस आधार पर अमान्य न होगी कि वह आगकर है। राज्य को अवश्य इसमें की किसी एक नमरणालिका, जिला-मण्डली स्थानीय मण्डली या अन्य स्थानीय प्राधिकारी को किसी एक व्यक्ति के बारे में दृनियों, व्यापारों आजीविकाओं और नौकरियों पर करों द्वारा देव ममस्त राजि दो सौ एचास रुपए प्रतिवर्ष से अधिक न होगी। इस भम्बन्ध में विविधों बनाने की राज्य के विधान नण्डल की ज़िक्र का यह अर्थ नहीं होगा कि दृनियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नौकरियों से प्रोद्भुत या उद्दम्भ श्राय पर करों के विषय में विविधों बनाने की मंदद की शक्ति किसी प्रकार सीमित की गई है। (अनु० २७६)।

## राज्य की कार्यपालिका

### १३१. राज्यपाल

राज्यपाल की नियुक्ति, पदावधि, अर्हताएं और उपलब्धियाँ—तरह संविधान के अधीन भारत (क) राज्य की कार्यपालिका-शक्ति राज्यपाल में निहित की गई है। राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है<sup>१</sup> और उसके प्रयाद पर्यन्त पद धारण करता है। इस उपवन्ध के अधीन रहते हुए उसकी पदावधि पांच वर्ष होती है। कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने के लिए उस समय तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो और ३५ वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो। अपनी पदावधि में उसे लाभ के किसी अन्य पद को धारण करने से विचित कर दिया जाता है जब तक वह राज्यपाल का पद धारण करता है, उसके लिए यह आवश्यक है कि वह समद के किसी भद्रन का अवश्य राज्य के किसी विधान मण्डल का मदस्प न हो। जब तक समद इस सम्बन्ध में अन्यथा उपवन्ध न करे, राज्यपाल को विना किराया दिए पदावास के उपयोग तथा अपने पद के कांब्जों का सुविधा और

१. यद्यपि राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित होता है, लेकिन यह नहीं समझता चाहिए कि वह राज्य-मन्त्रालय के ऊपर साद दिया जाएगा। १९६० और १९६१ के बीच परम्परा यह रही है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को अन्तिम रूप में चुनने के पूर्व मण्डल राज्य के मुख्य मन्त्री ने परामर्श कर लेता है। नए मविधान के अधीन इस परम्परा का चालू रहना अनिवार्य है। कें० मथानमन्त्र—“दी कास्टीट्यूशन आफ इंडिया”, पृ० १६२।

प्रतिष्ठा के साथ और निर्वहन करने के लिए यात्रा व व्यव सम्बन्धी दूसरे भजों<sup>1</sup> के अलावा ५, ५०० रु० प्रति मास देतन का हक होगा ।

**राज्यपाल की शक्तियाँ—संविधान राज्यपाल को कई शक्तियाँ प्रदान करता है ।** इन शक्तियों को चार शीर्षकों में वर्णा जा सकता है । (क) कार्यपालिका, (ख) विधायिनी, (ग) विस्तीर्ण और (घ) धार्यिक । जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति का भण्डार ही और वह इस शक्ति का मा तो स्वयं और या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के हारा संविधान के अनुसार प्रयोग करता है ।

**(क) कार्यपालिका शक्तियाँ—**राज्यपाल की कार्यपालिका-शक्तियाँ उन सब विषयों के प्रशासन से सम्बन्ध रखती हैं जो राज्य-सूची में प्रगणित हैं और जिनके सम्बन्ध में कानून बनाने के लिए राज्य का विधान मण्डल सक्षम है । समवर्ती भूची में प्रगणित मामलों के सम्बन्ध में राज्यपाल की कार्यपालिका-शक्तियाँ राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के अधीन हैं ।

**विधायिनी शक्तियाँ—अपनी विधायिनी शक्तियों के बल पर राज्यपाल राज्य के विधान मण्डल को अद्वृत कर सकता है, सदन या सदनों का सत्रावसान कर सकता है और विधान-सभा का विघटन कर सकता है । यदि राज्य का विधान मण्डल द्विसंसाधनात्मक है, तो वह विधान-परिषद् के लिए कुछ सदस्यों को नामनिर्देशित भी कर सकता है । वह राज्य के विधान मण्डल के किसी सदन को अथवा राज्य परिषद् के साथ सम्बैत दोनों सदनों को सम्बोधित कर सकता है । राज्य के विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के प्रारम्भ में राज्यपाल विधान-सभा को अथवा राज्य में विधान परिषद् होने की अवस्था में साथ सम्बैत हुए दोनों सदनों को सम्बोधित कर सकता है । राज्यपाल का यह सम्बोधन लिटिचा संसद में सज्जाद् द्वारा दिए गए भाषण का तत्त्वानी है । राज्य के विधान मण्डल द्वारा पास किया गया कोई भी विधेयक उस समय तक कानून नहीं बनता, जब तक कि उस पर राज्यपाल की अनुमति प्राप्त न हो जाए । राज्यपाल यदि चाहे तो विधेयक पर अपनी अनुमति दे सकता है, चाहे तो उसे रोक सकता है और चाहे तो उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित कर सकता है । राज्यपाल किसी विधेयक को, यदि वह धन-विधेयक नहीं है तो पुनर्विचार के लिए राज्य के विधान मण्डल के**

१. अतंमान काल में यू० एि० का राज्यपाल अपने देतन के अलावा निम्न भत्ते प्राप्त करता है । व्यव सम्बन्धी भत्ते १६,००० रु० ( वार्षिक ); मैनिक-मन्त्री और व्यवितगत कर्मचारी मण्डल १६,००० रु० ( धार्यिक ), पदावाम की मामली और सजावट १५,००० रु० ( वार्षिक ), सजावट का नया सामान १३,००० रु० ( पांच बर्षों में ); मुमञ्जा वा भत्ता ( नियुक्ति पर ) १६०० रु० । मनोरंजन-भत्ते ५,००० रु० ( वार्षिक ) ।

पास थापन भेज सकता है। यदि विधेयक दुवारा पास कर दिया जाता है, तो राज्यपाल उस पर अपनी अनुमति नहीं दीक मिलता। कोई भी वज्र विधेयक राज्यपाल को सिफारिश के बिना विधान-गभा में पुरस्थापित नहीं किया जा सकता।

राज्यपाल की साधारणा निकालने की शक्ति— सविधान ने राज्य के विधान मण्डल के विधानिकाल में राज्यपाल को अध्यादेश निकालने की शक्ति प्रदान की है। राज्यपाल द्वारा निकाले गए अध्यादेश का वही वज्र होता है जो राज्य के विधान मण्डल के अधिनियम का होता है लेकिन वह विधान मण्डल के पुनः समवेत होते भेद्यः सप्ताह को समाप्ति पर अवधा उस कानूनबधि को समाप्ति से पूर्व विधान मण्डल द्वारा उसके निरन्माण का प्रस्ताव पाग किए जाने पर प्रबन्धन में नहीं रहता। कृष्ण अवधारणाओं में राज्यपाल राष्ट्रपति के अध्यादेशों के बिना अध्यादेश नहीं निरानन्मता।

**विनीय शक्तियाँ—** प्रत्येक विनीय वर्ष के प्रारम्भ होने से पूर्व राज्यपाल (मन्त्रियों के द्वारा) राज्य के विधान मण्डल के सभी 'वाधिक विन विवरण' रखता है। इसमें उस राज्य की उस वर्ष के लिए प्राविन्नित प्राचिन्यों और व्ययों का विवरण होता है। किंतु भी अनुदान-मौग (प्रथमन् राज्य के राजस्व के लिए भाग जो यर्जन करने की शक्ति की मौग) अवधा करारोप के प्रभाव को, मिथाय इसके कि राज्यपाल के नाम में काले हुए सभी उपस्थित करे, आख इसी प्रकार में उपस्थित नहीं किया जा सकता।

**व्याधिक शक्तियाँ और उन्मुक्तियाँ—** राज्यपाल को कनिपप व्याधिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। वह जिला-न्यायाधीयों और दूसरे न्यायिक पदाधिकारियों की नियुक्तियों, पदस्थापनाओं और पदोन्नति जा निर्णय कर सकता है। उसे विधि-न्यायालयों द्वारा गिर्द दोष व्यक्तियों को खापा देने और उनके दावादेश को कम करने की भी शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल अपनी पदाधिकी में सभाम को जदारी दीवानी और प्रक्रियाओं में विवितक उन्मुक्ति का उपरोग करता है। दूसरे घटों में देश के किसी भी न्यायालय में लिंगों भी अपराध के लिए उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

### १३२. राज्यपाल की शक्तियों का किस प्रकार प्रयोग होता है ?

**आपारणतः** उसे शक्ति प्रदानी को मन्त्रलाल पर आचरण करना चाहता है— जिस प्रकार कि भारत के राष्ट्रपति के मम्बन्ध में मिडान और अवहार के दीर्घ व्यवधान है, वही मिथति राज्य के राज्यपाल की है। मिडानल, राज्यपाल नामक कार्यालयीकालीन शक्तियों का एक है लेकिन अवहारतः वह एक वैदानिक नामक है और उसे राज्यान्यत, घण्टे मन्त्रियों की गवर्नरा पर आचरण करना पड़ता है। मविधान का कथन है, "जिन वालों में दस मविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल में यह अपेक्षा

की जाती है कि वह अपने कृत्यों अथवा उनमें से किसी को स्वविवेक से करे उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का निर्वहन करने में सहायता और मन्त्रणा देने के लिए एक मन्त्री-परिषद् होगी।” [ अनुच्छेद १६३ (१) ]

साधारण परिस्थितियों के अधीन थोड़ी-सी स्वविवेकी शक्तियाँ—यह एक महत्वपूर्ण उपबन्ध है। भारत के राष्ट्रपति के सम्बन्ध में इसका तत्परानी कोई उपबन्ध नहीं है। लेकिन साधारण परिस्थितियों में संविधान यह छोड़कर कि आसाम का राज्यपाल वातिपय आदिम जाति जनकों और सीमान्त भूखण्डों के प्रशासन के सम्बन्ध में स्वविवेक से कार्य कर सकता है, राज्यपाल को थोड़ी ही शक्तियाँ देता है। यह ऐसा इतिहास है कि उसे भारत के राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में इन क्षेत्रों और भूखण्डों का प्रशासन करना पड़ता है। राज्य का राज्यपाल मुख्यमन्त्री को नियुक्त करने में, विधान सभा का विधटन करने में और राज्य में वैधानिक तत्व की विफलता का राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देने में, स्वविवेक से कार्य कर सकता है। लेकिन इनमें से किसी भी मामले में संविधान की वास्तविक क्रियान्विति में राज्यपाल की अपनी वैधविक रुचि-दृश्यि का कोई स्थान न होगा।

**साधारणत:** राज्यपाल को वैधानिक शासक होना चाहिए—इस प्रकार, साधारण परिस्थितियों में राज्यपाल से यह आशा की जाती है कि वह प्राप्त समस्त मामलों में अपने मन्त्रियों की मन्त्रणा पर कार्य करेगा अथवा दूसरे शब्दों में राज्य-प्रशासन का वैधानिक या अवैधानिक शासक होगा। यह ठीक है कि संविधान ने इस बात को स्पष्ट रूप से नहीं कहा है कि राज्यपाल के लिए अपने मन्त्रियों की मन्त्रणा रखीकार करना अनिवार्य है। लेकिन संसदीय शासन प्रणाली के अधीन, जिसे कि भारत में केन्द्र और राज्यों—दोनों स्थानों पर अंगीकृत किया गया है, यह अपरिहार्य है कि केवल कुछ उल्लिखित अपवादों को छोड़कर राज्यपाल अपने मन्त्रियों की जो विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, मन्त्रणा के अनुसार कार्य करे। उसका वास्तविक कार्य “मन्त्रणा देना, वेतावनी देना और फिर भुक्त जाना” है। राज्यपाल के नाम से जो भी कार्य किया जाता है, उसका उत्तरदायित्व मन्त्रियों के सिर पड़ता है। इसलिए यह सबका स्वाभाविक ही है कि जो उत्तरदायित्व को वहन करते हैं, वे शक्ति का भी प्रयोग करें। चूंकि राज्यपाल का कोई उत्तरदायित्व नहीं है, इसलिए वह किसी शक्ति का प्रयोग नहीं करता। हमारे संविधान निर्माताओं का उद्देश्य राज्यपाल को अवैधानिक शासक बनाना था, यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि उन्होंने जनता के प्रत्यक्ष मतदान द्वारा उसके निर्वाचन का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और इसके स्थान पर यह निश्चित किया कि वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यह सोचा गया कि “जनता द्वारा निर्वाचित राज्यपाल और विधान मण्डल के प्रति उत्तर-

दायी मुख्य मन्त्री का एक साथ होना तत्त्व और उसके फलस्वरूप प्रयासन में दुर्बलता उत्पन्न कर सकता है ।<sup>१</sup>

वे परिस्थितियाँ जिनके अधीन राज्यपाल अपने मन्त्रियों की मन्त्रिलाइ पर आचरण करने के लिए विवश न होगा—तेकिन ऐसी कठिपय उत्सुखित परिस्थितियाँ हैं जिनके अधीन राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के निर्देशन में आ जाएगा और उस सीमा तक अपने मन्त्रियों की मन्त्रगां को स्वीकार करने के लिए बाह्य नहीं होगा। उदाहरणार्थ यदि राष्ट्रपति आपात की उद्धोषणा निकाल देता है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति का अभिकर्त्ता बन जाता है और अपने मन्त्रियों की मन्त्रगां पर कार्य न करके उसके ग्रनुदेशों के प्रधीन कार्य करता है। यही प्रभाव उस समय होगा जबकि अनुच्छेद ३५६ के अधीन उद्धोषणा द्वारा राष्ट्रपति उस बात की उद्धोषणा कर देता है कि राज्य का वासन संविधान के उपबन्धों के अनुमार नहीं चलाया जा सकता और उसने न्यायालय के कार्यों को छोड़कर राज्य-मरकार के समस्त या कोई कार्य अपने हाथ में से लेता है। इस प्रकार वी उद्धोषणा के फलस्वरूप राज्य की मन्त्री-परिषद् का विष-टन कुर दिया जाएगा और भारत के राष्ट्रपति वी योर से राज्य का मामन मीपे राज्यपाल करेगा। यह एक अराधारणा दिवित है और संविधान नभा में उसकी कट्ठ आनोचना हुई थी। आनोचनों का कथन था कि यह तो १६३५ के भारत मरकार अधिनियम के दृष्टसापूर्ण विभाग ६३ का पुनराविनियमन है और इसलिए नाग्राज्य-वादी अतीत का एक अवशेष है। संविधान के आपान-उपबन्धों के फलस्वरूप राज्य की स्वायत्ता स्वित हो सकती है और राज्य सरकार प्रस्थायी हूँ पर संघ-मरकार में विवर हो सकती है। दूसरे शब्दों में संविधान राज्यों में पूरी उत्तरदायी शमन की स्वतन्त्रा नहीं करता।

### १३२. मन्त्री-परिषद्

**नियुक्ति-प्रक्रिया**—संविधान ने उपवन्ध किया है कि जिन बातों में संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह प्रवेश की जाती है कि वह अपने अधिकार उनमें से विभी को स्पष्टियेक में करे उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कुत्यों का निवंहन करने में गहापता और मन्त्रगां देने के लिए एक मन्त्री-परिषद् होगी। मन्त्री-परिषद् की नियुक्ति के लिए निम्न प्रक्रिया निर्धारित की गई है। राज्यपाल मुख्य-मन्त्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमन्त्री को नियुक्त करते समय राज्यपाल को इन बात का व्याप रखना पड़ता है कि इस व्यक्ति को राज्य की विधान नभा में व्याया

१. ड्रापट करटीट्यून, ३५ पाद टिप्पसी।

बहुमत तो प्राप्त है न ? तूसे मन्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमन्त्री की मन्त्रणा से करता है। समस्त मन्त्रियों के लिए यह आवश्यक है कि विधान मण्डल के सदस्य हों। ऐसा कोई व्यक्ति जो राज्य के विधान मण्डल का सदस्य न हो, मन्त्री नियुक्त किया जा सकता है, परन्तु वह छः महीने की समाप्ति पर मन्त्री नहीं रहेगा, यदि वह इसी वालावधि में राज्य के विधान मण्डल के लिए नियुक्त नहीं हो जाता। मन्त्रियों के चीज़ विभागों का ब्रितर ए राज्यपाल भूख्यमन्त्री की मन्त्रणा से करता है।

**मन्त्री-परिषद् और राज्यपाल के सम्बन्ध—राज्य की वास्तविक वार्यपालिका मन्त्री-परिषद् है।** यद्यपि प्रशासन राज्यपाल के नाम में संचालित होता है, लेकिन वास्तविक निर्णय भिन्नियों द्वारा लिए जाते हैं। राज्य के मुख्यमन्त्री का यह कर्तव्य है कि राज्य के मामलों के प्रशासन से सम्बद्ध मन्त्री-परिषद् के निर्णयों को, व्यवस्थापन प्रस्तावों को तथा ऐसी सूचना को जो राज्यपाल माँगे, राज्यपाल के पास पहुँचाए। यदि किसी मामले का निर्णय किसी व्यक्तिगत मन्त्री के द्वारा किया गया है तो राज्यपाल इस बात की माँग कर सकता है कि वह मामला संग्रह परिषद् के सम्पूर्ण उपस्थित किया जाए। इस तरह राज्यपाल का यह अधिकार है कि उसे सब प्रकार की सूचना मिलती रहे। मन्त्रियों द्वारा विचारित किसी कार्यक्रम के सम्बन्ध में उन्हें चेतावनी लिया भवित्व मन्त्रणा देकर राज्यपाल उनके मार्ग-दर्शक और मित्र के रूप में भी कार्य कर सकता है। लेकिन जहाँ मन्त्रियों ने एक बार किसी बात का निश्चय कर लिया, राज्यपाल केवल उन थोड़े से अपवादों को छोड़कर, जिनका हम पहले ही बर्तन कर चुके हैं, उनके निर्णयों को मानने के लिए बाध्य है। संविधान का कहना है कि मन्त्री राज्यपाल के प्रसादर्थ्यन्त अपने पद धारण करेंगे। इस प्रकार सिद्धान्तः राज्यपाल यहि चाहे तो वह किसी मन्त्री को अपदस्थ कर सकता है सेकिन मन्त्री-परिषद् का राज्य को विधान सभा के ब्रति सामूहिक उत्तरदायिक देखते हुए राज्यपाल सामान्यः अपनी इस शक्ति का व्यवहार में प्रयोग नहीं करेगा।

**मन्त्री-परिषद् और राज्य विधान मण्डल के सम्बन्ध—संविधान ने इस बात का उपबन्ध करके कि मन्त्री-परिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी [ अनुच्छेद १६४ (२) ] राज्य विधान मण्डल के साथ मन्त्री-परिषद् के सम्बन्ध का निरूपण किया है। इसका अभिप्राय यह है कि मन्त्री-परिषद् उसी समय तक पदारूप रह सकती है, जब तक कि उसे विधान-सभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है। मन्त्री राज्य विधान मण्डल के सदस्य हैं। उन्हें उसकी बैठकों में उपस्थित होने और उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है। वे सरकारी विवेयकों को पुरस्त्वापित करते हैं और उन्हें पास करवाते हैं।**

राज्य का विधान मण्डल मन्त्रियों के कार्य का कई तरह से नियन्त्रण और

निरीक्षण कर सकता है। विधान मण्डल के शास्य मूल्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य में प्रधन और पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। बजट वादविवादों के दोसरा में वे प्रगामन के विषय जनता की विकादतों की आवाज को बुलाव कर सकते हैं। वे अतिगम्य नार्वनिक महत्व के मामलों पर 'कामरोको' प्रस्ताव उपस्थित कर सकते हैं। इन प्रकार के प्रस्तावों द्वारा सरकार की नीतियों को प्रकाश में लाया जा सकता है और उसकी गलतियों की आलोचना की जा सकती है। अघतः सामुदायिक प्रतिनिधित्व के गिरावळ के कारण विधान सभा किसी सरकारी विवेदक को पास वरना अस्वीकार करके किसी ऐसे गैर-सरकारी विवेदक को पास करके जिम्मा मन्त्रियों ने विरोध किया हो, मन्त्रियों द्वारा उपस्थित की गई बजट की माँगों में कमी करके अपवा मन्त्री-परिषद् के विषय अविद्याम का भीषण प्रस्ताव पास करके, मन्त्री-परिषद् को पदब्ध्यत कर सकती है। कहने का मार यह है कि विधान मण्डल मन्त्रियों को बना या विगड़ कर सकती है। दूसरी और मन्त्री भी विधान मण्डल को अपने नियन्त्रण और प्रभाव में रख सकते हैं। वे बहुमत वाले दल के नेता होते हैं। इस बहुमत का ममत्वन मिलने के कारण माधारणतः वे अपने विधायी प्रस्तावों को पास करवाने में सफल हो जाते हैं। यदि दल का अनुशासन कठोर है और उसका विधान मण्डल में पूर्ण बहुमत है तो मन्त्री-परिषद् विधान मण्डल को अपने हाथ की कठपुतली बना सकता है। विधान मण्डल पदारूढ़ दल को उसी मध्य अपदम्य कर सकता है जबकि इन का बहुमत मदिय हो अथवा उसके गदस्थों में फूट हो।

### राज्य का विधान मण्डल

#### १३३. एक सदनात्मक और द्विसदनात्मक राज्य विधान मण्डल

मन्त्रिवान ने निश्चित किया है कि प्रथम अनुभूची के भाग (क) में के प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान मण्डल होगा जो राज्यपाल तथा विधान मण्डल के यथारिति एक या दो सदनों ने मिलकर बनेगा। पंजाब, पश्चिमी बगान, विहार, बम्बई, मद्रास और उत्तर प्रदेश के राज्यों में दो सदन होंगे। भाग (क) के दोष राज्यों में एक मदनात्मक विधान मण्डल होंगे। द्विसदनात्मक विधान मण्डल वाले राज्य में उच्च मदन विधान परिषद् और निम्न सुदन विधान सभा के नाम से प्रस्ताव होंगा। यदि राज्य का विधान मण्डल एक सदनात्मक है, तो वह विधान सभा कहलाएगा। राज्यों को द्विसदनात्मक विधान मण्डल देने के प्रश्न पर विधान सभा में खूब जोर-दार वहस हुई थी। कहनः किसी राज्य में द्विसदनात्मक विधान मण्डल हो या न हो, इस बात का निश्चय उन राज्य के प्रतिनिधियों के मतानुसार किया गया। तीन

राज्यों—आसाम, मध्य-प्रदेश और उड़ीसा ने द्वितीय सदन का समर्थन नहीं किया। उसके बिपरीत भाग (क) के शेष छः राज्यों ने द्वितीय सदन का समर्थन किया। इसलिए अनुच्छेद १६८ इन राज्यों के लिए द्विसदनात्मक विधान मण्डलों का उपबन्ध करता है।

द्वितीय सदनों के उत्साहन के लिए उपबन्ध—लेकिन अनुच्छेद १६८ ने निश्चित किया है कि द्विसदनात्मक विधान मण्डल वाले राज्य के उच्च सदन का उत्साहन किया जा सकता है यदि राज्य की विधान सभा ने इस उद्देश्य का प्रस्ताव सभा की सामस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और भव देने वाले मदस्यों की संख्या के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पास कर दिया हो।

#### १३४. विधान सभा

रचना और निर्वाचन—संविधान ने निर्वाचित किया है कि किसी राज्य की विधान सभा ५०० से अधिक और ६०<sup>३</sup> से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। विधान सभा की सादस्यता के लिए सार्वभौम व्यस्तक मताधिकार और संयुक्त निर्वाचक गणों के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन होंगे।

क्षतिपूर्ण वर्गों के लिए स्थानों का संरक्षण—संविधान ने पृथक् साम्प्रदायिक निर्वाचक गणों का उत्साहन कर दिया है, लेकिन विधान सभा में क्षतिपूर्ण अस्त-संस्करक वर्गों के प्रतिनिवित्व के लिए उपबन्ध कर दिया है। अनुच्छेद ३३२ ने निश्चित किया है कि विधान सभा में (क) अनुसूचित जातियों के लिए तथा (ख) आसाम के आदिम जाति जंत्रों में की अनुसूचित आदिम जातियों को छोड़कर अन्य आदिम जातियों के लिए स्थान संरक्षित रहेंगे। संविधान ने आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए भी विशेष उपबन्ध किया है। यदि किसी राज्य के राज्यपाल वीर राय हो कि उस राज्य की विधान सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिवित्व आवश्यक है और पर्याप्त नहीं है, तो उस विधान सभा में उस समुदाय के जितने सदस्य वह समूचित

१. जनता के प्रतिनिवित्व-अधिनियम (१९५०) ने श्रेष्ठ राज्य की विधान-मभा की सदस्य-संख्या निम्न प्रकार से निश्चित की है—

भाग (क) राज्य—आसाम १०८, विहार ३३०, बम्बई ३१५, मध्य प्रदेश २३२, मद्रास ३७५, उड़ीसा १४०, पंजाब १२६, उत्तर-प्रदेश ४३०, पश्चिमी बंगाल २३८।

भाग (ख) राज्य—हैदराबाद १७५, मध्यभारत ६६, मैसूर ६७, मेघ ६०, राजस्थान १६०, सौराष्ट्र ६०, यावतकोर-कोचीन १०८।

समझे नाम-निर्देशित कर सकता है। लेकिन यह स्मरणघ्र है कि अनुमूलिक जातियों, आदिम जातियों तथा आंग्ल-भारतीयों के लिए स्थानों के सरदारण मन्दिरों ये विशेष उपचरण्य मन्दिरान के प्रारम्भ से दस वर्ष की कालावधि की गमानि पर प्रभावी न रहेंगे और उस समय तक नहीं बढ़ाए जाएंगे जब तक कि याविधान में मणो-धन न हो।

**सदस्यों की अर्हताएँ**—किसी राज्य की विधान सभा में के किसी स्थान के लिए चुने जाने के लिए सविधान के निम्न अर्हताएँ निश्चित की हैं। प्रत्याशी के लिए यह आवश्यक है कि (क) वह भारत का नागरिक हो, (ख) २५ वर्ष की वयस्था पूरी कर चुका हो, और (ग) ऐसी अन्य अर्हताएँ रखता हो जो इन बारे में राज्य के विधान-मण्डल द्वारा निर्मित किसी कानून के द्वारा या अधीन निश्चित की जाएँ। राज्य की विधान सभा अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और दूसरे को उपाध्यक्ष निर्वाचित करती है।

**विधान सभा की अवधि**—प्रत्येक राज्य की विधान सभा की अवधि, यदि उम्मका पहले ही विघटन न कर दिया जाए तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियुक्त तारीख से ५ वर्ष की होगी। परन्तु इस कालावधि को, जब तक आपात की उद्धोषणा प्रवर्तन में है, सम्बद कानून द्वारा किसी कालावधि के लिए बढ़ा सकती है, जो एक बार एक वर्ष से अधिक न होनी तथा किसी व्यवस्था ने भी उद्धोषणा के प्रवर्तन का अस्त हो जाने के पश्चात् छः मास की कालावधि से अधिक विस्तृत न होगी।

### १३५. विधान-परिषद्

**रचना**—द्विमदनारम्भ विधान मण्डल वाले राज्य की विधान-परिषद् के सदस्यों की समस्त संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की समस्त संख्या की एक चौथाई से अधिक न होगी। तथापि यह निर्धारित कर दिया गया है कि किसी व्यवस्था में भी किसी राज्य की विधान-परिषद् के सदस्यों की समस्त संख्या चारोंमें कम न होगी।<sup>१</sup> जब तक सम्बद कानून द्वारा अन्यथा उपचरण्य न करे, विधान परिषद् को रचना निम्न रीति से होयी—(क) तृतीयांश राजनीय निकायों के मध्यों द्वारा

१. जनता के प्रतिनिधित्व-अधिनियम (१९५०) के अधीन विभिन्न राज्यों की विधान-परिषदों की सदस्य-संख्या निम्न प्रज्ञार में निश्चित है—भाग (र) के राज्य—विहार ७२, बम्बई ७२, मद्रास ७२, पंजाब ४०, उत्तरप्रदेश ३२, पटिक्कारी बंगाल ५१। भाग (ख) के राज्य—मंसूर ४०।

निर्वाचित होगा, (ख) द्वादशांश ऐसे व्यक्तियों द्वारा निर्वाचित होगा जो किसी विश्वविद्यालय के कम-से-कम तीन वर्ष से स्नातक हैं, (ग) द्वादशांश ऐसे व्यक्तियों द्वारा निर्वाचित होगा जो राज्य के भीतर माध्यमिक पाठ्यालयों से अनिम्न स्तर की शिक्षासंस्थाओं में पढ़ाने के काम में कम-से-कम तीन वर्ष से लगे हुए हैं, (घ) तृतीयांश राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से निर्वाचित होगा जो सभा के सदस्य नहीं है और (ङ) शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा उन व्यक्तियों में से नाम-निर्देशित किए जाएंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आन्दोलन और सामाजिक सेवा के विषयों के बारे में विशेष ज्ञान या अवधारिक अनुभव है। विधान परिषद के लिए तमाम निर्वाचित एकल संक्रमणीय मत के द्वारा सानुपात्र प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होगे।

सदस्यों की अहंताएँ—विधान परिषद के लिए निर्वाचित में खड़े होने वाले व्यक्ति में निम्न अहंताओं का होना आवश्यक है—(क) उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, (ख) उसकी आयु कम-से-कम तीस वर्ष की होनी चाहिए, और (ग) उसमें ऐसी अन्य अहंताएँ होनी चाहिएं जो संसद इस बारे में कानून के द्वारा या अधीन नियन्त्रित करे। राज्य की विधान परिषद् अपने ही सदस्यों में से एक सभापति और एक उप-सभापति निर्वाचित करेगी। विधान परिषद् स्थायी निकाय होगी और उसका विषट्टन नहीं किया जाएगा। विधान परिषद् के सदस्य ६ वर्ष के लिए निर्वाचित होंगे और तिहाई सदस्य प्रति द्वासरे वर्ष हट जाया करेंगे।

राज्य के विधान मण्डल के सब्र—राज्य के विधान मण्डल के सदन या सदनों को (यास्थिति) राज्यपाल एक वर्ष में कम-से-कम दो बार अधिवेशन के लिए आहूत करेगा और उनके एक सब की अन्तिम बैठक तथा आगामी सब की बैठक के लिए नियुक्त तारीख के बीच ६ मास वर्ष अन्तर न होगा। इस उपवन्ध के अधीन रहते हुए राज्यपाल, सभय-समय पर सदन या सदनों को आहूत कर सकेगा, उनका सत्रावसान अथवा विधान सभा का विषट्टन कर सकेगा।

#### १३६. राज्य-विधान मण्डल की शक्तियाँ और उसके कृत्य

विधायिनी शक्तियाँ—राज्य के विधान मण्डल को राज्य सूची में प्रगणित समृद्ध विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। इस द्वेष में राज्य विधान मण्डल साधारणतः अपवर्जी क्षेत्राधिकार का उपभोग करता है। राज्य विधान मण्डल समवर्ती सूची में प्रगणित विषयों के सम्बन्ध में भी कानून बना सकता है। लेकिन इस द्वेष में उमका क्षेत्राधिकार अपवर्जी नहीं है। इन विषयों पर संसद भी कानून बना सकती है और यदि किसी समवर्ती विषय पर राज्य के विधान मण्डल द्वारा निर्मित

कानून उसी विषय पर समव द्वारा निर्मित कानून के विरुद्ध है, तो समव द्वारा निर्मित कानून, चाहे वह उसके अधिनियमन के पहले या पौछे पास हुआ हो, अभिभावी होगा और राज्य के विधान मण्डल द्वारा निर्मित कानून विरोद की मात्रा तक पूँज्य होगा। लेकिन यदि किसी समवनी विषय ने सम्बद्ध राज्य के कानून के ऊपर, उसे राष्ट्रपति के विचारार्थे रखिये किए जाने के पश्चात् राष्ट्रपति की श्रेनुमति मिल सई है तो वह उसी विषय पर पास किए गए मधीय कानून के ऊपर अभिभावी होगा।

**वित्तीय दायित्वी—** राज्य का विधान मण्डल राज्य के वित पर भी नियन्त्रण ग्रहना है। इस द्वेष में यदि राज्य का विधान मण्डल हि-सदनात्मक है, तो विधान-सभा भी भिन्नति नहींच होती है। राज्य के राजस्वों पर भारित व्यय के आलावा, जिस पर राज्य का विधान मण्डल बाद-विधाद कर सकता है, पर सदानन नहीं दे सकता, सभीन व्यय-प्रस्तावों का अनुशासन मार्गों के स्वप में विधान सभा के सम्मुख उपनियन किया जाना अनिवार्य है। विधान सभा मार्ग को स्वीकार या छाप्योकार अधिकार उसको राजि को कर सकती है। इसी प्रकार विधान सभा के अन्वेषित के बिना कोई भी कर नहीं लगाया जा सकते।

**कार्यपालिका के ऊपर नियन्त्रण—** नए मविधान ने ऐन्ड और प्रान्तों दोनों स्थानों पर समीप गामन प्रवानी की स्थापना की है। कलन राज्य की बास्तविक कार्यपालिका मन्त्री-परिषद् को विधान सभा के प्रति नामूलिक त्वय में उनरदावी यना किया जाता है। इस प्रकार विधान मण्डल मन्त्री-परिषद् के ऊपर नियन्त्रण और निरी-करण तथा भक्ता है तथा उसके ऊपर अधिकार का प्रस्तावन पास करके उसे कानूनी रूप सकता है। इसके आलावा जेमा कि हम ऊपर वह जुके हैं विधान मण्डल के नदस्य प्रदनों, यजट के बाद-विधार्दों तथा 'कामरोको' प्रमाणी के द्वारा गामन वी गवानियों को जनना के गामने ला सकते हैं।

### १३७. राज्य विधान मण्डल के दो सदनों के सम्बन्ध

**विधान सभा को परमेष्ठता—** द्विसदनात्मक विधान मण्डल वाले राज्य में निम्न नदन प्रयोग, विधान सभा को मूर्धन्य स्थान दिया गया है। उच्च नदन (प्रधान-विधान परिषद्) न वेबन द्विनीय नदन ही है अग्रिम नीला नदन भी है। विनीय मामनों में विधान सभा को ही पूरी और प्रतिनिम नसा प्राप्त है।

**उन विधेयकों के सम्बन्ध में—** उन विधेयक के लिए यह प्रावधार है कि वह विधान सभा में ही पुरस्त्वापन कर दिया जाता है, नद वह विधान परिषद् के पास भेजा जाता है। परिषद् के पास भेजे जाने के १५ दिन के पश्चात् वह विधेयक चाहे इन चंगे में परिषद् ने उन पास किया हो या न किया हो, राज्यपाल उन म्होड़ति

## भारतीय राजनीति और शासन

मिल जाने पर कानून बन जाता है। इसके अलावा अनुदान मार्गों पर केवल विधान नभा ही मत दे सकती है।

धन्यवाच विधेयकों के सम्बन्ध में—एस विधेयकों को छोड़कर, अन्य विधेयकों के नम्बन्ध में भी विधान सभा विधान परिषद् की अवैश्वा महत्वर शक्तियों का उपभोग करती है। यदि विधान परिषद् वाले राज्य की विवाल तभा द्वारा बन विधेयक से किसी अन्य विधेयक के पास किए जाने तथा विधान परिषद् के पास पहुँचाएँ जाने के पश्चात्—(क) परिषद् द्वारा विधेयक अवैश्वीकार कर दिया जाता है, (ख) परिषद् के तमस विधेयक रखे जाने की तारीख से उसके विधेयक के पास किए विना तीव्र मास से अधिक यथम अवैती हो जाता है; अथवा (ग) परिषद् द्वारा विधेयक ऐसे संशोधनों सहित प्रस्तावित संशोधनों सहित प्राप्ति पास किया जाता है जिससे सभा बहुमत नहीं होती, तो विधान सभा विधेयक को उभी या किसी अलानी राव में विवाल परिषद् द्वारा प्रकार पास किए गए विधेयक को विधान परिषद् लक पहुँचा सकती है। यदि विधान सभा द्वारा विधेयक को इस प्रकार दोबारा पास किए जाने तथा विधान परिषद् लक पहुँचाएँ जाने के पश्चात्—(क) परिषद् द्वारा विधेयक अवैश्वीकार कर दिया जाता है; अथवा (ख) परिषद् के नम्बन्ध विधेयक रखे जाने की तारीख से उसके पास हुए विना एक मास से अधिक समय अवैती हो जाता है; अथवा (ग) परिषद् द्वारा विधेयक ऐसे संशोधनों सहित प्राप्ति पास किया जाता है, जिससे सभा सहमत नहीं होती; तो विधेयक राज्य के विधान मण्डल के दोनों नदमों द्वारा उच रूप में पास किया समझा जाएगा जिसमें कि वह विधान सभा द्वारा हम्मरी बार पास किया जाय था।

कार्यपालिका के ऊपर नियन्त्रण रखने के सम्बन्ध में—राज्य की कार्यपालिका का नियन्त्रण विधान सभा के हाथ से रखा गया है और यदि किसी राज्य में डिलीव चबन है तो विधान परिषद् लूचना आदि प्राप्त करने के अलावा इस जिवित में कोई हिस्सा नहीं रखती। नविधान में मन्त्री-परिषद् की सामूहिक रूप से बोलते विधान सभा के प्रति उत्तरदायी बनाया है। हास्रे शब्दों में विधान परिषद् नहीं, अपितु विधान सभा ही मन्त्री-परिषद् को अप्रत्यक्ष कर सकती है।

### १३८. राज्य के विधान मण्डल की शक्तियों पर प्रतिक्रिया

कानून विधेयकों की पुनःस्वापना के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी—ज्या नविधान राज्य विधान मण्डलों को उन जिवितों की अपेक्षा कही अधिक व्यापक अस्तित्वी देता है जिनका प्रान्तीय विधान मण्डल १९३५ के भारत सरकार अग्रिमियम अधीन उपभोग करते थे। जावारु परिस्थितियों के अवीन अपने निवित्त केन्द्र में

वे कर्णीव-करीब प्रभुत्व-नमूल हैं लेकिन उनकी सक्षमता के ऊपर लगाए गए कुछ प्रतिवर्त्य हमारे सविधान की एकात्मक भावना को प्रकट करते हैं। पहली बात यह है कि कुछ विधेयक भारत के राज्यपति की पूर्व मदूरी के बिना राज्य के विधान मण्डल में प्रस्ताचित नहीं किए जा सकते। उदाहरणार्थे यह इस उन विधेयकों के ऊपर लगाए होती है जो राज्य के भीतर या दूसरे राज्यों के साथ वासिन्य, व्यापार और समाजम की स्वतन्त्रता पर प्रतिवर्त्य आरोपित करते हैं। (अनुच्छेद ३०६)। दूसरी बात यह है कि राज्य विधान मण्डल द्वारा पास किए गए कुछ विधेयक उम्मीदवारों के लिए जाने के एकात्म उनकी स्वीकृति प्राप्त न करते। इस कोटि अं (१) राज्य द्वारा भव्यति के अंतर्गत में सम्बद्ध विधेयक (अनुच्छेद) और (२) समवर्ती भागलों में सम्बद्ध वे विधेयक जो समझ द्वारा पास किए गए वर्तमान वास्तुओं के प्रतिकूल हो जाते हैं (अनुच्छेद २१८)। वे विधेयक भी जो समझ द्वारा गमुदाय के जीवन के लिए आवश्यक घोषित की गई वस्तुओं के अन्य या विकल्प पर करारोपण करते हैं, राज्यपति के विचार के लिए रक्षित किए जाने पर उनकी अनुमति दिना प्रभावी नहीं हो सकते (अनुच्छेद २५६)।

राज्य परिषद् सम्मद को राज्य-मूर्ची में प्रगतिशील विधयों के ऊपर कानून बनाने को शक्ति दे सकती है—तोतरी बात यह है कि सविधान ने सम्मद को राज्य-मूर्ची में को विधयों के शारे में कानून बनाने की शक्ति दी है। यदि राज्य परिषद् उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की दी तिहाई ने मन्त्रून मस्त्या द्वारा समर्थित प्रभाव द्वारा यह घोषित कर दें कि राज्यपति हित में यह आवश्यक या इष्टकर है कि सम्मद को राज्य-मूर्ची में प्रगतिशील विधयों के ऊपर कानून बनाना चाहिए। तो समझ उन विधयों के ऊपर कानून बना सकती है (अनुच्छेद २४६)। इस उपर्यन्थ की कठोर आलोचना की गई है। आलोचकों का कहना है कि यह उपर्यन्थ राज्यों की स्वायतता के ऊपर कठोर अधिकार है। नकारात्मक है कि राज्य-मूर्ची में के किसी विधाय को सम्मद के विधायी देशाधिकार को सौंप देने की राज्य परिषद् की शक्ति अब आजात व्यष्टस्थापन तक भवांदित है। इस उपर्यन्थ के अधीन सम्मद द्वारा पास किए गए कानून के बालं एक परिग्रन्थ अवधि के लिए ही प्रभावी होंगे।

आपात कात में सत्रद राज्य-मूर्ची के विधयों पर भी कानून बता सकती है— खोयी बात यह है कि जब तक भाग्याव दी उद्योगसाम्बन्ध विधेय के लिए राज्य-मूर्ची में प्रगतिशील विधयों में में किसी के बारे में कानून बना सकती है (अनुच्छेद २५०)। इस उपर्यन्थ के अधीन सम्मद द्वारा पास किया कानून उद्योगसाम्बन्ध दी नमानि के पद्धति द्वारा या पास की भानावधि दी समाप्ति पर प्रवर्तन में न रहेगा। पौनर्गं बात है कि सम्मद राज्यों में

वैधानिक तन्त्र के विफल हो जाने वी घोषणा के प्रबल्लन काल में भी राज्य-सूची में प्रगणित विषयों पर कानून बना सकती है। यदि तक ऐसी उद्धोषणा प्रबल्लन में है राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है कि राज्य के विधान मण्डल की अधित्यां नसद के प्राधिकार के द्वारा या अधीन ग्रामो-राज्य होंगी (ग्रामच्छेद ३५६)।

### १३६. भाग (ख) राज्य

संविधान की ग्रथम ग्रन्थानुसारी के भाग (ख) में उल्लिखित राज्यों में से प्रत्येक के राज्य-क्षेत्र में वह राज्य ऐसा रागाधिक है जो संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले स्वतन्त्र भारत की बड़ी सफलताओं में से एक तत्स्थानी देशी राज्य में रागाधिक हा। स्वतन्त्र भारत की बड़ी सफलताओं में से एक इन राज्य-क्षेत्रों का भारत-संघ के एकत्रों के रूप में जाठ भाग (ख) राज्यों में और पाँच भाग (ग) राज्यों में विलीनीकरण तथा भाग (क) राज्यों में अभिभावी परिस्थितियों के अनुकूल लोकतन्त्रीकरण है।

**राज्यप्रमुख**—नए संविधान के अधीन भाग (ख) में के राज्यों के शासन-तन्त्र को भाग (क) राज्यों के शासन-तन्त्र के पद-चिन्हों पर ले आया गया है। लेकिन इस सम्बन्ध में कुछ महसूलपूर्ण अन्तर है। इदाहरणार्थ इन राज्यों में से प्रत्येक का कार्य-कारी प्रधान राज्यपाल नहीं राज्यप्रमुख कहलाता है। यद्यपि वह नरेश वर्ग का एक रादस्य है और उसकी उपलब्धियाँ एक भिन्न आवार पर निश्चित होती हैं किंतु भी उसपरी वैधानिक स्थिति भाग (क) के राज्यपाल की वैधानिक स्थिति के समान है। निजी थेली के रूप में राज्यप्रमुख को दिए गए भत्ते सम्बद्ध राज्य के राजस्वों पर भारित न होकर जैसा कि भाग (क) राज्य के राज्यपाल के बेतन व भत्तों के बारे में हैं, संघ के राजस्वों पर भारित होते हैं।

**विधान मण्डल**—संविधान ने उपर्यन्त किया है कि इन राज्यों में से प्रत्येक का एक विधान मण्डल होगा जो राज्यप्रमुख और (क) भैसूर राज्य में दो नदनों व (ख) द्वातरे राज्यों में एक तदन से मिलकर बनेगा।

**न्याय पालिका**—इन राज्यों में न्यायपालिका का संगठन उसी रीति से किया गया है जैसा कि भाग (क) राज्यों में है। लेकिन भाग (क) के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बेतन जहाँ संविधान द्वारा निश्चित किए गए हैं, वहाँ भाग (ख) राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बेतन, भत्ते, युद्धी और निवृत्ति-बेतन के नियम सम्बद्ध राज्यप्रमुख से परामर्श करते के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा निश्चित किए जाते हैं।

**केन्द्र से सम्बन्ध (क) विधायी**—केन्द्र से भाग (ख) राज्यों के सम्बन्ध व्यावहारिक; भाग (क) राज्यों के सम्बन्धों की तरह ही है। जहाँ तक सम्बतीं सूची में प्रयोगित विषयों का प्रश्न है, उनके ऊपर उनका उन प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए

जो भाग (क) राज्यों के विधान मण्डलों पर लागू होते हैं, यामान्य धोन्नाधिकार होगा।

जम्मू और काश्मीर—लेकिन जम्मू और काश्मीर के राज्य के बारे में विशेष उपचरन्य कर दिए गए हैं। इस राज्य के बारे में सधीय संसद की कानून बनाने की प्रवित (क) नघ मूची और ममवर्ती मूची में प्रगतिशील केवल उन विषयों तक जो प्रवेश नियन्त्रित द्वारा केन्द्र को दिए गए हैं तथा (ख) उन विषयों तक जो राज्य की सरकार की महाप्रति में राष्ट्रपति उन्निवेशित कर दे, सीमित होंगी।

(ख) प्रशासनिक सम्बन्ध—भाग (क) राज्यों की वैधानिक स्थिति से भाग (ख) राज्यों को वैधानिक स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण अन्तर इन राज्यों के केन्द्र के माध्य प्रशासनिक सम्बन्धों में निहित है। भाग (क) राज्यों के विषयों भाग (ख) राज्य मध्यीय सरकार के माध्यरण नियन्त्रण और नियन्त्रण में हैं। इन राज्यों की सरकारों में यह अधेक्षा की जाती है कि ये उन विशेष नियन्त्रों का जो राष्ट्रपति सभग मध्य पर प्रलग्नापिल कर सकता है, पालन करें। इस उपचरन्य को भविधान के प्रारम्भ होने से इस धर्यों की अवधि के लिए किया गया है लेकिन वही सदा चाहे तो इस पटा या बड़ा नकली है। इसके अलावा राष्ट्रपति को इस बात की शक्ति प्राप्त है कि वह भाग (य) में के निम्नी राज्य को केन्द्र के माध्यरण नियन्त्रण में सम्बद्ध उपचरन्य से छुटकारा दे सकता है।

केन्द्रीय नियन्त्रण का धोन्नाधिकार—कठिपय टीकाकारों ने मध्यीय सरकार के इस नियन्त्रण की धारोधना की है और इसे 'तई परमेष्ठता' बताया है। स्पष्टतः इसके कानून भाग (ख) राज्यों की स्वायतता भाग (क) राज्यों को दी गई स्वायतता से कम हो जाती है। लेकिन भाग (ख) राज्यों के ऊपर मध्यीय सरकार के इस साधारण नियन्त्रण का इस प्राधार पर कि ये राज्य पिछड़े हुए हैं और अधिकाशत, इनमें सुमित्रित प्रशासनिक व न्यायिक प्रणाली का अभाव है एक अस्तर्कालीन उपचरन्य के रूप में धोन्नाधिकार मिल किया है। इन राज्यों के प्रशासन व सर्वजनिक जीवन-मानों को (क) राज्यों के धरानन् एवं आनें में कुछ भवय लायेगा। जब नह ऐसा होता है, उनके ऊपर केन्द्रीय सरकार का धोन्ना नियन्त्रण होना आवश्यक है।

(य) वित्तीय सम्बन्ध—भाग (क) राज्यों और केन्द्र के वित्तीय नियन्त्रों का नियमन करने वाले नियन्त्रण के माध्यरण उपचरन्य भाग (ख) राज्यों के ऊपर भी लागू होंगे।

कठिपय मामलों के सम्बन्ध में विशेष धर्यान्दा—लेकिन भविधान ने नियन्त्रित किया है कि मध्यीय सरकार नियन्त्रित मामलों के सम्बन्ध में भाग (ख) राज्यों की सरकारों के माथ कोई भी समझौता कर सकती है; (१) पैमें राज्य में भारा सरकार द्वारा उद्योगों द्वारा दाने वाले नियों कर या युन्क का उदयहरण तथा मध्यह करना प्रेर उम्में

आगम का वितरण करना; (२) भारत सरकार द्वारा संविधान के अधीन उद्योगहीत किए जाने वाले किसी कर या खुला से अथवा अन्य किन्हीं स्रोतों से जो राजस्व राज्य पाता था, उसकी हानि के लिए ऐसे राज्य को केन्द्र द्वारा वित्तीय राहायता अनुदान करना और (३) भाग (स) राज्य द्वारा शासकों की निजी धैर्य के रूप में किन्हीं राशियों की करमुक्त देनगी के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को दिला जाने वाला अंशदान।

### १४०. भाग (ग) राज्य

केन्द्र द्वारा जासित क्षेत्र—प्रथम अनुसूची के भाग (ग) राज्यों में पूर्वकालीन मुख्य आयुक्तों के प्रान्त (जैसे दिल्ली) और कतिपय पूर्वकालीन देशी राज्यों (जैसे हिमाचल प्रदेश और झोपाल) के राज्यक्षेत्र समाविष्ट हैं। संविधान ने निश्चित किया है कि इन राज्यों में से प्रत्येक का शाशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और वह उस द्वारे में अपने द्वारा नियुक्त किए जाने वाले मुख्य आयुक्त या उपराज्यपाल के अथवा पड़ोसी राज्य को सरकार के द्वारा कार्य करेगा।

भाग (ग) राज्यों में स्वशासन—भाग (ग) राज्यों में स्वोकलन्वास्तक स्वशासन की स्थापना के बारे में पर्याप्त ध्यानोलन होता रहा है। संसद संविधान द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के अधीन काम करती हुई एक ऐसे विधेयक पर विचार कर रही है जिसके द्वारा इन राज्यों में विधान मण्डलों, भूनी-परिषदों और परामर्शदाताओं का सुजन किया जा सके।

### १४१. भाग (घ) राज्य-क्षेत्र

प्रथम अनुसूची के भाग (घ) में अष्टमान और निकोबर द्वीप समाविष्ट हैं। इनका और इस अनुसूची में अनुलिखित दूसरे राज्य-क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति करता है और वह इस द्वारे में अपने द्वारा नियुक्त किए जाने वाले मुख्य आयुक्त या अन्य पदाधिकारी के द्वारा कार्य करता है। राष्ट्रपति ऐसे किसी राज्य-क्षेत्र में जान्ति और सुशासन के लिए तथा संसद-निर्मित किसी कानून का अथवा किसी वर्तमान कानून का जो उस पर लागू है, निरसन या संशोधन करने के लिए विनियम बना सकता है।

## सारांश

भारत राज्यों का संघ है। संविधान ने इन राज्यों का तीन विभिन्न कोटियों में वर्गीकरण किया है। संघीय पद्धति के अधीन ये राज्य अर्ध-स्वायत्त स्टेट्स का उप-भोग करते हैं लेकिन सामारण्य परिस्थितियों में इन्हे अपने उल्लिखित क्षेत्र के भीतर वास्तविक प्रभुत्व शक्ति प्राप्त है। आपातों में उनकी स्थायतात्ता को स्थगित किया जा-

मना है।

भाग (क) राज्य की कार्यपालिकानवित और नारिक स्पष्ट में राज्यपाल और निहित है। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और पौंछ वर्षे तक एवं धारणा करता है। उसे व्यापक कार्यपालिका, विधायिकी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। लेकिन वह वंधानिक शक्ति है और साधारणतः अपने मन्त्रियों की मन्त्रगता पर कार्य करता है। यह केवल थोड़ी-मी उत्तिलिखित अवस्थाओं की ही बात है, जब राज्यपाल केन्द्र का अभिकर्ता हो जाता है और अपने विवेक के अनुमान लाये करता है।

राज्य की वास्तविक कार्यपालिका मन्त्री-परिषद् है। मन्त्री-परिषद् सामूहिक स्पष्ट में राज्य के विधान मण्डल के प्रति (अवधा यदि राज्य में द्वितीय मदन है तो केवल विधान मभा के प्रति) उत्तरदायी है। राज्य की मन्त्री-परिषद् सभा की मन्त्री-परिषद् के पद-चिन्हों का अनुमतण करती हुई ही कार्य करती है।

प्रत्येक राज्य में एक विधान मण्डल है। भाग (क) के छ राज्यों और भाग (ख) के एक राज्य में द्विमदनात्मक विधान मण्डल है। उच्च मदन (विधान परिषद्) परोक्षन नियांपित और नामगिरेशित भदस्यों ने मिलकर बनता है। विधान मभा की तुलना में विधान परिषद् मर्वभा अधिकारीन है। यह इयाई गवर्नर है। उग्री अवधि ए वर्षे है लेकिन प्रति दूसरे वर्षे उसके निहाई भदस्य निरूप्त हो जाने हैं। विधान मभा जनता का मदन है। यह वयस्क मताधिकार और नयुक्त निर्वाचिकमणों के आधार पर प्रत्यक्षत निर्वाचित होती है। नाधारणत राज्य-नूची में प्रशिलित विधेयों के ऊपर राज्य के विधान मण्डल को अवधीन अधिकार प्राप्त है लेकिन कुछ परिस्थितियों में यह क्षेत्राधिकार ममद को हमान्तरित किया जा सकता है। राज्य का विधान मण्डल (द्विमदनात्मक विधान मण्डलों वाले राज्यों में विधान मभा) राज्य के विनो वो निर्वाचित करती है और मन्त्री-परिषद् के नाये का निरीक्षण करती है।

भाग (ख) राज्य का प्रधानमन्त्री वाधारणत भाग (क) राज्य के प्रधानमन्त्री का तस्यानी है परन्तु कुछ महत्वपूर्ण अन्तर है। भाग (ख) राज्य में राज्यपाल के स्थान पर राजप्रभुत्व होता है। चूंकि इनमें में अधिकार राज्य पिछे हूए है और इनमें कुप्राप्तित प्रधानमन्त्रिक व न्यायिक कर्त्र का अधिकार है, अतः उस वर्षे वो यन्त्रविनियोग अवधि के लिए केन्द्रीय मरकार को उन राज्यों के ऊपर नाधारणत निरीक्षण रखने और नियन्त्रण करने की ज़िन्दगी दे दी गई है। यह आपा नी जानी है कि इस अवधि नी नमायिता पर इन राज्यों के प्रधानमन्त्री व नायेविनियोग के मान भी भाग (क) राज्यों के प्रधानमन्त्री पर आएंगे।

भाग (ग) के राज्य केन्द्र द्वारा शासित होते हैं। राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त मुख्य आयुक्तों अथवा उप-राज्यपालों के द्वारा इनका शासन करता है। संसद ऐसे उपायों पर विचार कर रही है जिनसे इन राज्यों में विधान मण्डलों, परामर्शदाताओं व मन्त्री-परिषदों की स्थापना के द्वारा लोकतात्त्वात्मक स्वशासन को कायम किया जा सके।

## देशो राज्य : उनका विलोनीकरण और लोकतन्त्रीकरण

### १२. देशों राज्यों की पृष्ठभूमि

विदिशा भारत और देशों राज्य—आज भारत में “राज्य” शब्द भारत-भूमि के अवयवीय एवं कों के लिए प्रयुक्त होता है। लेकिन विटिथ नामन-कान में यह शब्द देशों नामेशों के अधीनस्थ प्रदेशों के लिए लागू होता था। देशों राज्यों की संख्या ५६२ थी। ये राज्य भूम्पूर्ण देश में फैले हुए थे। इनमें सारे देश वा ८५ प्रतिशत देश और उनकी कुल जन-भूम्पा का २६ प्रतिशत भाग आ जाता था। विस्तार, जनसंख्या और अविनयों की हास्ति में उनमें पर्याप्त अलंकर था। “एक और नो हैदरगाहाद था, जिसकी आवादी १ करोड़ ६५ लाख व वार्षिक आय १० करोड़ रुपये थी, दूसरी ओर वावरी था, जिसकी आवादी २७ और वार्षिक आय ८० रु० थी। चालियाखाड़ से २८३ राज्य थे। इनमें ६ राज्यों की तो अर्थिक स्थिति कुछ अच्छी थी, जाको २७८ राज्यों की कुल वार्षिक आय १३५ लाख रुपये थी। इस राज्य को २७८ शामक-परिवारों द्वा गालन करना पठता था और इसमें ग्रामों की जाती थी कि यह २३८ पूर्यक् अर्थ-स्वतन्त्र राज्यों के प्रशासनों का सचालन करे।”

राज्यों को उत्पत्ति—देशी राज्यों को उत्पत्ति विभिन्न रीतियों से हुई। कुछ राज्य बहुत पुराने थे। उदाहरणार्थ, कूचविहार, जावणकोर और कोधीन का इनिहाम काफी पुराना था। नेमूर, जोधपुर और उदयपुर जैसे कुछ दूसरे राज्य भारत ने विटिथ नामन की स्थापना के काषी पूर्व में बर्तमान थे। यहूत भूमि राज्य मुग्न-मस्तिन के पतन के पश्चात् उत्पन्न हुए। विटिथ नामन को जड़ जमने के पूर्व भारत पूर्क अस्त्रवृद्ध देश नहीं था अपितु स्वतन्त्र राज्यों का एक समुदाय था। जब ईस्ट इंडिया कम्पनी ने उन राज्यों के पारस्परिक सघों में हस्तधोर करना शुरू किया, तब उनमें से यहुती को विजय अपना दूसरे अधिक कारण उपर्योग द्वारा अपने देश में कर लिया। मैरिन ऐंग भी यहूत में राज्य वाली बन यए जिन्हे यरेंजो ने प्रत्यक्ष अपने अधीन नहीं किया। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी कामीमियों को भारत में बाहर करने के लिए यरेंजो को उनकी सद्भावना नथा सहीयता की ग्रावियता थी। एकत उन्होंने उन-

राज्यों से नन्दि की ओर उत्तर पर्याप्त स्वतन्त्रता देकर अपना 'स्वामिभक्त मित्र' बना लिया। बहुत में उन भारतीयों को, 'जिन्होंने अंग्रेजों को भारतीय उप-महाद्वीप के ऊपर अपना अधिकार जमाने में महायता दी, ईस्ट इंडिया कम्पनी ने जागीरें प्रदान कीं। इन रीति में भी अनेक राज्यों को उत्पत्ति हुई। स्पष्टतः इस रूप में प्रादुर्भूत राज्य अपने अलिल्ले के लिए मीवे ईस्ट इंडिया कम्पनी के छहसौ हैं।

देशी राज्यों की अधोगति—देशी राज्य अधोगति के मर्ते में डूबे हुए थे। राजनीतिक ईट ने वे मामलायाद और प्रतिक्रियायाद के रख थे। अधिकांश राज्यों के नरेश न्यैच्छाचारी वीर भावि शासन करते थे। राज्य के यथासन में जनता की कोई अत्वाज नहीं थी और वह राजनीतिक अधिकारों से मर्वंभी बंचित थी। कुछ राज्यों में विधान मण्डल वे परम्परा उनका कार्यपालिका के ऊपर कोई नियन्त्रण नहीं था। आवनकोर, कोचीन, वडोदा और न्यालियर जैसे कुछ राज्यों का शासन प्रबन्ध न्यूनाधिक रूप से प्रगतिशील था, लेकिन उनकी सलाहा बहुमत कम थी। आधिक हृष्टि ने भी राज्य अनुन्नन पे। केवल थोड़े से राज्यों को छोड़कर, जेप राज्यों में औद्योगिक विकास की पूर्ण अपेक्षा वीर गई थी और उनमें सिर से पैर तक सामन्ती अर्थ-व्यवस्था वर्तमान थी। किसानों की दशा बड़ी दद्दीय थी। जमीदार व जारीरदार उनका निर्देशतापूर्वक जोखल और दमन करते थे। राज्यों के माध्यन-खोल अत्यन्त सीमित थे। जासक आकड़ विलासना ने मन रहते थे। उनके विलास के उपकरण जुटाने में ही राज्यों का आर्थिक मेरुदण्ड टूट जाता था, फक्त राट्र-निमाण और सामाजिक सेवा के कार्यों के लिए कोप में अत्यन्त बनराजि बच पाता थी। अधिकांश राज्यों में जनता की शिक्षा अथवा चिकित्सा मन्दन्ती सुविधाएँ विलकुल प्राप्त नहीं थी। केवल तीन राज्यों में विज्ञविद्यालय व और डिग्री कालिज केवल तीम राज्यों में थे। राज्यों में कुल मिलाकर केवल ३ प्रतिशत जनता साक्षात् थी। यह ठीक है कि इस सम्बन्ध में कुछ राज्य अपवाद-स्वरूप भी थे। उदाहरणार्थ आवनकोर और कोचीन में, भारत में सबसे अधिक ४० प्रतिशत यात्रारता थी।

### १४३. सार्वभौम सत्ता

सार्वभौम सत्ता का अभिप्राय—देशी राज्य किसी भी प्रकार प्रभुत्व मम्पन्न राज्य नहीं थे। इसके विपरीत वे विटिश सम्बाद की सार्वभौम सत्ता के अधीन थे। 'सार्वभौम सत्ता' चब्द की सामोपांग व्याख्या कभी नहीं की गई लेकिन साक्षरता रूप से इसका अकाश वह था कि देशी राज्य विटिश सम्बाद के भार्वभौमत्व के अधीन है और इस सार्वभौमत्व का प्रयोग भारत में सम्बाद के प्रतिनिधि अध्यमराय करते हैं। देशी राज्यों के सम्बन्ध में विटिश सम्बाद की सार्वभौम अथवा सर्वान्वित भत्ता का १६७६ में लार्ड

रीडिंग ने हैदराबाद के निजाम को लिये गए अपने वज्र में स्पष्ट हप में निवापना किया था। उन्होंने सिखा था, "भारत में ब्रिटिश सम्रांट की प्रभुत्व-विवित सर्वोच्च है और इसलिए देशी राज्य का कोई भी शासक ब्रिटिश मरकार में समानता के आधार पर यातचीत करने का दावा उपस्थित नहीं कर सकता।"

इसलिए भार्वभीम सत्ता का अधिकार था कि देशी राज्य वास्तविक आशय में राज्य नहीं थे। हीटर के अनुसार मलराष्ट्रीय कानून में उनकी कोई स्थिति नहीं थी। वे अधीनस्थ अथवा रक्षित राज्य थे। वे न तो युद्ध की घोषणा कर सकते थे और न विदेशी राज्यों के लाभ लोने सम्बन्ध स्थापित कर सकते थे क्योंकि उनके बदेशिक सम्बन्ध पूर्णतः ब्रिटिश मरकार हारा मचालित होते थे। राज्यों की आनन्दिक दीव में भी यदीमित स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं होती थी। भास्त्राज्य, न्याय अथवा मुदामन के हितों के अन्तर्गत होने पर सचाट् उनके मामलों में हस्तखेत कर सकते थे। ब्रिटिश मरकार देशी राज्यों के परेलू मामलों में जब चाहे तब हस्तखेत कर देती थी। कभी-कभी वह प्रशासक नरेशों को अधिकारच्युत तक कर देती थी। उडाहरणार्थ, १९३१ में मनोपुर के सेनापति को फासी दे दी गई। १९३६ में नाभा के महाराजा को पदब्धन दोगे बिरक्तार किया गया। १९३६ में यलवर के नाभा दो विवरण किया कि वह २८ घण्टे के भीतर-ही-भीतर अपना राज्य छोड़कर चले जाएँ। किमी राज्य के उन नाधिकार को निश्चित करने और दलकंचहरण के सम्बन्ध में वह आदेश था कि नाभा दो अनुगति प्राप्त कर ली जाएँ। उत्तराधिकार के सम्बन्ध में मनमेद पैद होने पर अन्तिम निर्णय मस्ताट के हाथों में रहता था। ब्रिटिश भार्वभीमत्व की अधीनता में देशी राज्यों की स्थिति गुलामों के ममान ही था।

#### १४४. १९३५ के अधिनियम के अधीन प्रस्तावित संघ

भारत के आधुनिक इतिहास में १९३५ के अधिनियम ने प्रथम बार राज्यों और ग्रामों को एक अविल भारतीय नये के अन्तर्गत गामान्य श्रमामन के अधीन नाने वा प्रस्ताव किया। नवापि, यह निश्चित कर दिया गया था कि संघ का आविभाय उम्मी समग्र होगा जबकि तेमें देशी राज्यों के लामक जिनकी जनसंख्या समस्त राज्यों की कुल जनसंख्या की आपी में अन्यून हो और जो प्रस्तावित भार्यों विधान मण्डन के उच्च गदन में देशी राज्यों के लिए नियत स्थानों में कम ते कम आये घानों के लिए हकदार हों, ताकि मैं गम्भीर होने के लिए प्रस्तुत हो जाए। राज्यों वा संघ में प्रत्येक नियंत्रण वहों के लामन के ऊपर छोड़ दिया गया था।

योजना की वस्तकता — यह योजना कार्यान्वित न हो सको तो विभिन्न भारतीय

लोकमत के प्रत्येक वर्ग ने जिसमें देशी नरेश भी सम्मिलित थे, इसका विरोध किया भारतीय जनता को यह सन्देह था कि जब तक राज्यों के आन्तरिक प्रशासन का लोक-तन्त्रीकरण नहीं हो जाता, वे मध्य में प्रतिक्रियावादी रुख ग्रहण करेंगे और त्रिटिश सांचाज्यवाद की बगमगाती हुई नौका के लिए अवलम्ब तुल्य सिद्ध होंगे। कांग्रेस ने इन सम्बन्ध में राष्ट्रजन्मादी हृष्टिकोण को फरवरी, १९३८ में पास किए गए प्रस्ताव में स्पष्ट किया, “एक सच्चे मध्य के लिए यह आवश्यक है कि वह स्वतन्त्र एककों से मिलकर बने। ये एकक लोकतन्त्रात्मक निवाचन पद्धति द्वारा न्यूनाधिक रूप से एक-सी स्वतन्त्रता, नामांकित स्वाधीनता तथा प्रतिनिवित्व का उपभोग करते हों।” नरेजों ने इस योजना को इसलिए अस्वीकार कर दिया, यद्योंकि उन्हें भय था कि यह उन्हें संत्राद और मधीय सरकार द्वा राज्यांगियों की अधीनता में पटक देगी।

#### १४५. स्वतन्त्रता के बाद देशी राज्य

भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम द्वारा उत्पन्न की गई उलझत—भारतीय स्वतन्त्रता अपने साथ कई नई समस्याएँ लाई। इन समस्याओं में सबसे जटिल समस्या देशी राज्यों की थी। भारत मंध के साथ उनका वया सम्बन्ध होने को था? भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम ने एक बड़ी खतरनाक स्थिति पैदा कर दी थी। अधिनियम ने घोषणा की थी कि राज्यों के ऊपर जो त्रिटिश संत्राद की सार्वभौम सत्ता थी, वह देश की नई केन्द्रीय सत्ता को हस्तान्तरित हुए बिना ही समाप्त हो गई। इससे भयंकर उलझत पैदा हो गई। औपचारिक रूप से राज्य स्वतन्त्र हो गए और उनकी वही स्थिति हो गई, जो अंगरेजों की अधीनता में आने के पूर्व थी। कानूनी तौर से राज्य दीनों डोमिनियनों (भारत या पाकिस्तान) किसी में भी सम्मिलित होने अवश्य अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा करने के लिए स्वतन्त्र थे। स्पष्ट है कि वह भारत की एकता को भंग करने और उसकी नव-प्राप्त स्वतन्त्रता को भंग करने की एक चेष्टा थी।

राज्यों का भारत संघ में द्रव्येश—यदि कहीं अधिकांश राज्य अपने उक्त अधिकार का प्रधोग कर लेते, स्वर्य को स्वतन्त्र घोषित कर देते, तो भारत की राष्ट्रीय एकता और शक्ति को तीव्र आघात पहुंचता। निसर्गेतः भारत इस बात के लिए तैयार नहीं था कि ५०० प्रभुत्व सम्पन्न सामन्ती राज्य उसकी सीमाओं के भीतर विचमान रहे। ये राज्य राजनीतिक और प्रशासनिक हृष्टि से किस प्रकार भारत में मिलाए जा सकते थे ताकि भारत एक प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य का रूप बारण कर सकता? बिना किसी रक्तपात के पारस्परिक सहयोग के द्वारा इन समस्या का समाधान किस प्रकार सम्भव था? राज्यों से वंचित भारत विस्कुल लूजपूज हो जाता।

लेकिन भरतीय पटेल जैसे भारतीय नेताओं के प्रयासों और कई नेताओं की देश-भक्ति के कलस्वरूप अधिकारी राज्य भारत सभा में सम्मिलित हो गए। जावगांडोर और हैदराबाद जैसे कुछ अपवाह भी थे। लेकिन बाद में इन राज्यों की भी भारत सभा में सम्मिलित कर दिया गया, पहले को तो शान्तिपूर्ण दबाव के द्वारा और दूसरे को अवित्त द्वारा। जूनापृष्ठ के नवाब ने अपने राज्य की भौतिकीय स्थिति और जनता की इच्छाओं की उपेक्षा करने हुए उसके पाकिस्तान में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी। लेकिन जनता के हड्ड मंकर्त्त ने आमतः को कुचेटा को तिक्कल कर दिया। काश्मीर के स्थायी प्रबोध का प्रदर्श अभी अनिवार्य है। लेकिन भारत ने अपने अटल नियम्य की घोषणा कर दी है कि इस प्रदर्श का नियंत्रण राज्य की जनता ही करेगी।

**दूहोकरण (राज्यों का विलोनीकरण)**—भारत सभा में गठनों वा प्रवेशमात्र तो समस्या के समायोजन में फूला कदम था। १५२ राज्यों को उसी स्थिति में, जिसमें वे विट्ठि यासन की अविनता ने थे, छोड़ देना मुश्वेलपूर्ण था। लगभग उन सबके पास गठन साधन-स्रोतों का अभाव था जिनमें कि वे एक प्रगतिशील यासन भड़कति कायम रख मरुतं और भारत सभा के पूर्व तिकमिल प्रकक नहीं रहते। इसनिए राज्यों को योद्धे में 'विशेषकार्य और जीने योग्य' एकको के रूप में समर्हित कर देना आवश्यक था। इस लक्ष्य को विलोनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा पूरा किया गया। मुख्य रूप से इस कार्य को तीस तरह में किया गया है।

**राज्यों का प्रान्तों में विलोनीकरण**—विलोनीकरण की पहली प्रक्रिया लाटे-छोटे राज्यों को पहली प्रान्तों से मिला देने की थी। यह प्रक्रिया १ जनवरी, १९८८ को शुरू हुई जब उडीना और छत्तीसगढ़ के ३६ राज्यों को (जिनका क्षेत्रफल ५६,००० वर्गमील और आबादी ३० लाख थी) डोमां और यी पी के प्रान्तों में सम्मिलित कर दिया गया। १६ फरवरी, १९८८ को एक कोल्हापुर यो छोटकर दर्दिखाम के भूपक्ष राज्यों को वस्त्रिय प्रेमीडेसी ने मिला दिया गया। १० जून, १९८८ को मुजरान के राज्य, ताल्लुक और आने, जिनकी सम्बद्धि १५३, क्षेत्रफल ११३०० वर्गमील और आबादी २३ लाख थी, वस्त्रिय प्रेमीडेसी के भाग बने गए।

**राज्यों का संघों में विलोनीकरण**—राज्यों के विलोनीकरण की दूसरी प्रक्रिया वह थी कि वह बड़े-बड़े राज्यों की संघों (यूनियनों) के रूप में समर्हित कर दिया गया ताकि वे जीने योग्य प्रशासनिक एकक बन सकें। सबसे पहले काठियावाड़ अवधि और गोराटु के राज्यों का एक संघ बनाया गया। यह युनियन १५ फरवरी, १९८८ को पूरा हुआ। इस संघ में ३० राज्य समिल हैं। इसका क्षेत्रफल ३१८२५ वर्ग मील और जन-मंडल्य ३५ लाख में ऊपर है। स्थानीयक रूप में सोराष्ट्र के ही आदमों

पर देश के दूसरे भागों में राजस्थान, मध्यभारत और पेष्टू जैसे संघों का निर्माण हो गया है।

चौक कमिइनरों के प्रान्तों में विलीनीकरण—तृतीयतः कुछ राज्यों अथवा राज्य समूहों को चौक कमिइनरों के प्रान्तों (भाग ग राज्यों) में मिला दिया गया। इन प्रान्तों का शासन-प्रबन्ध सीधे केन्द्रीय सरकार की देख-रेख में होता है। इस प्रकार शिमला पहाड़ी के २२ राज्यों को (जिनका क्षेत्रफल ११,२५४ वर्ग मील और जन-संख्या १०.४६ लाख थी) हिमाचल प्रदेश के रूप में संगठित किया गया। विष्णु-प्रदेश, भोपाल, विलासपुर, कच्छ और मनीपुर-त्रिपुरा इसी कोटि के राज्य हैं। इनका शासन-प्रबन्ध सीधे केन्द्रीय सरकार करती है।

लोकतन्त्रीकरण—स्वतन्त्रता के स्वर्णोदय के पश्चात् अधिकांश राज्यों में स्वेच्छाचारिता का अन्त करने और उनकी संस्थाओं व प्रशासन का लोकतन्त्रीकरण करने के समानान्तर लक्ष्य को सिद्ध कर लिया है। नए संविधान की प्रथम अनुसूची के भाग ख में सम्मिलित राज्य-संघों अथवा राज्यों के राजप्रमुख वैधानिक शासक हो गए हैं और उनकी स्थिति भाग (क) राज्यों के राज्यपालों के समान ही है। मूलभूत अधिकारों और नागरिक स्वतन्त्रताओं के सम्बन्ध में इन राज्यों की जनता और प्रान्तों की जनता में कोई भेद नहीं है। भाग (ख) राज्यों को १० वर्ष के लिए केन्द्रीय शासन की देख-रेख में रखा गया है ताकि अन्तर्राज्य के दौरान में इनके प्रशासन का नवीनीकरण हो सके। प्रथम अनुसूची के भाग ग में जो पूर्वकालीन देशी राज्य सम्मिलित हैं उनमें लोकतन्त्र की वहुत कम उन्नति हुई है लेकिन अब इस बुटि को दूर करने के बयासम्बद्ध उपाय किए जा रहे हैं।

रक्तहीन क्रान्ति—१५ अगस्त, १९४७ के पश्चात् देशी राज्यों में जो परिवर्तन हुआ है, उसे एक गौरवपूर्ण रक्तहीन क्रान्ति कहा गया है। हैदराबाद, जूनागढ़ और काश्मीर को छोड़कर शेष देशी राज्यों के विलीनीकरण और लोकतन्त्रीकरण की दोहरी प्रक्रिया विलकुल शान्तिपूर्वक, लगभग अलंकृत भाव से घटित हो गई है। यह सही है कि नरेशों के सहयोग को प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ी है। इनको निजी खर्च के तौर पर कुल मिलाकर लगभग आठ करोड़ रुपए प्रति वर्ष दिए जाते हैं। भारत जैसे गरीब देश के लिए यह व्यय भार असह्य है। नरेशों को अपनी उपाधियाँ बनाए रखने और विशेषाधिकारों का उपयोग करने की भी आज्ञा दे दी गई है। उनमें से कुछ को राजप्रमुख और उपराजप्रमुख बना दिया गया है। लेकिन अधिकांश लोगों की राय में राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति को देखते हुए, जिसका शेष सरदार पटेल की दृढ़ और दूरदर्जिनी राजनीतिज्ञता की जाता है, यह उत्सर्जन अनुचित नहीं है।

उपरोक्त प्रबन्ध के बहुत परिमिति का सम्मान करने के लिए किए गए थे। इस अद्यत्स्था से भारतीय नष्ट के विभिन्न प्रगतिकालीन एकांकों का न तो यतुलन यथा भगवन हो सका और न ही उनके वीच की सांख्यानिक अगमानता ही हूर हुई। कार्यम दल द्वारा स्वीकार किए हुए प्रस्ताव के अनुगार एक भाषा बाले धोरों को मिलाकर नए राज्यों की रचना करने की मांग भी पैदा हो गई थी। देश में राष्ट्रीय आयोजन का कार्यक्रम आरम्भ किए जाने पर राज्यों के पुनःभगवन की आवश्यकता का भी अनुभव किया गया। परन्तु इस समस्या पर यात्ति तथा धर्म के साथ यह पिंडोर के सामने रखकर विचार करना था कि प्रत्येक प्रगतिकालीन एकांक के विविधों में साथ-साथ मध्यस्थीर देश की जगता का भी हिंग होना चाहिए।

**राज्य पुनःसंगठन आयोग—** अन्त राज्य के पुनःभगवन पर विचार करने तथा इसके माध्यम में वरकार को सुभाव देने का कार्य एक राज्य पुनःसंगठन आयोग को मौपा गया। यह आयोग २६ दिसंबर, १९५३ को संयुक्त फैजल अली की अव्याखता में नियुक्त किया गया। थी हृदयनाथ कुजरू तथा थी के० एम० पण्डिकर इसके अन्य मदस्य थे।

**संगठित एकांकों का रूप—** आयोग ने भुक्ताव दिया कि पुनःभगवन के आवश्यक परिणाम के रूप में भारतीय नष्ट के प्रगतिकालीन एकांकों के वीच सांख्यानिक अगमानता नहीं होनी चाहिए। इसके अनुगार भारतीय नष्ट के नियंत्रित एकांक ये होंगे

- (१) 'राज्य'—भारत के प्रगतिकालीन एकांक, तथा
- (२) 'धोर'—केन्द्र द्वारा प्रशासित

**राज्य प्रोटोलोग—** आयोग ने आनंद, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू नधा काशीर, कर्नाटक, केरल, हैदराबाद, मध्य प्रदेश, मद्रास, उडीमा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर-प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों के, तथा दिल्ली, मणिपुर और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूहों के केन्द्र द्वारा प्रशासित धोरों के नियंत्रण का सुझाव दिया।

**पुनःसंगठित रूप—** भारतीय नष्ट में यद्य १५ राज्य तथा ६ धोर हैं। अगम, उडीमा, उत्तर प्रदेश, जम्मू नधा काशीर के सम्बन्ध में कोई धोरीय परिवर्तन नहीं किया गया है। केरल, मद्रास, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान तथा पंजाब के नाम भी परिवर्तन नहीं किए गए हैं। कर्नाट भाषा-भाषी धोरों को जिम्मे मिलाकर एक कर दिया गया है, यद्य 'मैसूर' नाम दे दिया गया है। वह आनंद राज्य को जिम्मे हैदराबाद तथा आधि के राज्य भिला दिए गए हैं, "आनंद प्रदेश" यहाँ जाना है। आयोग द्वारा प्रस्तावित विदर्भ तथा बम्बई के दो राज्यों को मिला रख तथा बम्बई राज्य बना दिया गया था परन्तु किर उसे दो भाषों द्वारा दिया गया है और इन दो राज्यों के नाम महाराष्ट्र और गुजरात हैं।

हिमाचल प्रदेश, विधुरा और लकड़ादीव, मिनीकाय तथा अमीनदिवी द्वीप-समूह भी सधीय क्षेत्र घोषित कर दिए गए हैं। दिल्ली, मणिपुर तथा अण्डमान और निकोबार द्वीपों को मिलाकर ६ ज़िले हैं।

## सारांश

ब्रिटिश आरान काल में भारत दो भागों—देशी और ब्रिटिश भारत में विभाजित था। देशी भारत में ५६२ देशी राज्यों के प्रदेश सम्मिलित थे। राज्य राजनीतिक हृष्टि से बहुत पिछड़े हुए थे और उनका जामन सामन्ती नरेश स्वेच्छाचारी ढंग से करते थे।

देशी राज्य किसी भी प्रकार प्रभुत्व-सम्पन्न स्वतन्त्र राज्य नहीं थे। वे ब्रिटिश नग्नाद की सार्वभौम मत्ता के अधीन थे। उनका अभिप्राय यह था कि ब्रिटिश सरकार उनके बैदेशिक मस्तकों को पूर्णत वियक्षित करती थी और कभी-कभी उनके घरेलू मामलों में भी ठाग अदा देती थी।

जब भारत स्वतन्त्र हुआ, राज्यों ने एक कठिन और जटिल समस्या उपस्थित की। कानूनी हृष्टि से राज्य भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित होने या स्वयं को स्वतन्त्र घोषित कर देने के लिए स्वतन्त्र थे। निम्नर्नत यदि कहीं बहुत रो प्रभुत्व सम्पन्न राज्य बनने के आपने कानूनी अधिकार का प्रयोग कर देंते, तो मारे देश में अव्यवस्था फैल भक्ती थी। यह सरदार पटेल जैसे नेताओं की राजनीतिज्ञता और नरेंद्रों की देश भक्ति के प्रति अद्वाजलि है कि भारत की एकता के ऊपर मड़रने वाला यह खतरा राज्यों के भारत-सघ में प्रवेश करने से दूर हो गया। उम कार्य को तीन तरह से पूरा किया गया। कई छोटे-छोटे राज्यों को पढ़ोमी प्रान्ती में मिला दिया गया। कुछ बड़े राज्यों के साथ बना दिए गए ताकि वे जीने योग्य प्रशासनिक एकक हो सके। कुछ राज्यों अथवा राज्य-समूहों को चीफ कमिशनरों के प्रालों के हृष में (भाग ग राज्य) केंद्रीय सरकार के प्रशासन में ले आया गया।

राज्यों के विलीनीकरण के साथ ही साथ उनका नोकरन्तीकरण भी होना गया है। देशी राज्यों के स्वरूप-परिवर्तन और उनके फलस्वरूप प्राच्य होने वाली भारतीय एकता को एक गोरक्षपूर्ण और रक्तहीन कान्ति कहा गया है।

परन्तु उपरोक्त परिवर्ति कान्ति का पहला दार था। मार्वानिक असमानता को हट करने तथा राष्ट्रीय आयोजन के हृष्टिकोण से राज्यों का पुनर्गठन करने के निए एक राज्य पुनर्गठन अधोग नियुक्त हुआ जिसकी विकारिता के अधार पर अनिट एककों का हृष यह था—जो 'राज्य' भारत के प्रशासनिक पृष्ठक होगे तब वे उन्होंनो केंद्र द्वारा प्रशासित होंगे।

भारतीय मध्य में थब १५ राज्य और ६ क्षेत्र हैं। उनके नाम ये हैं :—

राज्य—ग्रन्थ, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ग्राम्य प्रदेश, विहार, पश्चिमी बंगाल, नेमूर, केरल, मद्रास, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर और पश्चात् ।

क्षेत्र—दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, ग्रण्डामान तथा निकोवार और नक्काशीब, पिनीकाश तथा अमीरदिवी ।

## महात्मा गांधी और उनका सन्देश

१४६ गांधी जी : राजनीतिक नेता के रूप में

तेतुल्य और समन्वयकार—आधर कोएस्टिलर ने अपने ग्रन्थ 'दी योगी एण्ड दी कमीजार' में लिखा है कि मानव-सम्भवता का भविष्य मानव-मन के पुनर्गठन पर निर्भर है। 'आज की परिस्थिति में न तो सन्त ही हमारी रक्षा कर सकता है और न ज्ञानिकारी ही। दोनों के समन्वय में विश्व का कल्याण है।' महात्मा गांधी इस समन्वय के थेष्ठ प्रतीक थे। वह सन्त भी थे और ज्ञानिकारी भी। सन्त के रूप में उनकी तुलना कृष्ण, बुद्ध और ईसा से की जाती है। ज्ञानिकारी के रूप में वह वाचिगठन, मेजिनी और लेनिन के सहश ठहरते हैं। गांधीजी के सन्त और ज्ञानिकारी रूपों के समन्वय का ही यह फल है कि उन्होंने आध्यात्मिक और ऐहिक का सुन्दर मेल मिलाया तथा दोनों का एक साथ निर्वाह किया। अरनेस्ट वारकर ने गांधीजी के समन्वयशील व्यक्तित्व के सम्बन्ध में यह ठीक ही लिखा है कि "मैंने उनमें सन्त कांसिस को पाया, जिसने समस्त विश्व के साथ सामूजिक और विश्व की सब वस्तुओं के साथ प्रेम अनुभव करते हुए गरीबी की सादी जिन्दगी विताने की प्रतिज्ञा कर रखी थी, मैंने उनमें सन्त धार्म संवित्त को भी पाया, जो मंसार का एक महान् विचारक और दार्शनिक ही गया है और जो बड़ी-बड़ी दलीलें देने में समर्य आ तथा विचारों में सब तोड़-मोड़ों में उन वारीकियों से भली-भाँति परिचिन था। इन दोनों के अलावा मैंने उनमें एक व्यावहारिक मनुष्य को भी पाया, जिसके पास अपनी व्यावहारिकता को मजबूत बनाने के लिए कानून की शिक्षा भी सौजन्य थी और जो अपनी कुबल रखाह से लोगों का पथ-प्रदर्शन करने के लिए पहाड़ पी चोटी में घाटी में भी उत्तराफ़र आ सकता था।"

**धर्मप्राण राजनीतिज्ञ**—महात्मा गांधी स्वभावत् धर्मप्राण व्यक्ति थे, उन्हें राजनीतिज्ञ तो आवश्यकता के कारण बनाया पढ़ा। गांधीजी का राजनेतृत्व उस विशाल प्रसाद की भाँति था जिसका मूल आधार धर्म ही। मर्वंपनी राजाकृष्णन के शब्दों

१. अरनेस्ट वारकर —सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा मध्यादित "गांधी अभिनन्दन-ग्रंथ" में, पृ० ४७-४८।

मेरे 'राजनीतिक लोग आम तौर पर धर्म की महाराई में नहीं जाते वर्षोंकि एक जाति का दूसरी जानि पर राजनीतिक प्रानियत्य और निर्वन तथा निर्धन मनुष्यों का ग्राहिक गोपण आदि जो लक्ष्य राजनीतिकों के मामले रहते हैं, वे शार्मिक लक्ष्यों में स्पष्ट ही इतने भिन्न तथा अमन्बद्ध हैं कि वे लोग गम्भीरता में इन पर ठीक-नीक चिन्तन कर ही नहीं सकते।<sup>१</sup> महात्मा गांधी इस कथन के अगवाद हैं। उनके लिए तो मध्यूग्न जीवन एक और अभेद वस्तु था। उन्होंने स्वयं निश्चा है, "जिसे मर्त्य की मरणघातक विद्व-भावना का माध्यकार करना हो, उसे जगत के निम्नतम प्राणी को आत्मघृत प्रेम करना चाहिए और जिसकी ऐसी महत्वाकांक्षा है, वह जीवन के हिसी भी क्षेत्र से अपने को पृथक् नहीं रख सकता। यही कारण है कि मर्त्य का पुजारी होने के कारण मुझे राजनीति में आना पड़ा है और मैं यिन तनिक भी मङ्गोच के तथा पूर्ण वस्त्रता में कह नक्ता हूँ कि जो तोग यह नहते हैं कि राजनीति का धर्म में कोई मन्दिर नहीं, वे नहीं जानते कि धर्म का धर्म तया है।"<sup>२</sup> और, "मुझे नमार के नदर वैभव की जाह नहीं है, मैं तो धर्म के मात्राज्य अर्थात् प्रान्यातिक मुक्ति के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ".....अत. भरी देवभक्ति भी, अनन्त मान्ति और स्वनम्भता के देव और भरी यात्रा का एक पठाव-मात्र है। इसी प्रकट है कि मेरे लिए धर्म में रहिन राजनीति की कोई मना नहीं। राजनीति धर्म का माथन-मात्र है। धर्म-रहित राजनीति गृह्य का जान है क्योंकि उसमें यात्रा का हनन होता है।"<sup>३</sup>

राजनीति को माधारण्तः गन्दा खेल माना जाता है। महान्या गांधी को इस दावे का थेंथ प्राप्त है कि उन्होंने राजनीति के धोत्र ऐं आत्मान्मिकता का समावेश किया। छपनी उमी प्रूनि के फलस्वरूप महात्मा गांधी मात्र और साधन के दीच कोई विभजन नहीं मानते थे। उनका कथन था कि हमें थोड़ा माधनों का प्रयोग करना चाहिए। यदि इसारे साधन दूषित होंगे, तो अधृद-मन-अधृद मात्र के ऊपर उनसी वास्ती शूष्या का पड़ना अवश्यम्भावी है। गांधीजी के अनुमार ".....गाधन दीज तै और मात्र तूझ, उमनित जो मन्बन्ध चीज और तूथ भेजे, वही मन्बन्ध माधन और मात्र ये हैं। मैं अनात भी उसमता करके ईश्वर-भजन का करन नहीं पाएकर्ना।"<sup>४</sup>

१ गवालनी राधाकृष्णन—'गांधी अभिनन्दन यन्त्र', पृ० ३।

२ गी० ए० पृ० ३५३ ज "महात्मा गांधी लिज यानि रटोरी", पृ० ३५३-३५४।

३ गी० ए० पृ० ३५३ ज "महात्मा गांधी लिज यानि रटोरी", पृ० ३५३।

४ गमनाथ नृसंग 'गांधीगांधी' पृ० १०८।

**व्यावहारिक आदर्शवादी**—महात्मा गांधी कवि शैली की उस चिह्निया (स्कॉइलार्क) की भाँति नहीं थे जो पृथ्वी पर स्थित अपने नीड़ की सुध-चुब भूलकर अनन्त आकाश में पर फैलाए उड़ती रहती है, वह कवि वर्द्धस्वर्थ की उस चिह्निया के समकक्ष थे जिसे आकाश में उड़ते समय भी पृथ्वी पर स्थित अपने नीड़ का निरन्तर ध्यान बना रहता है। दूसरे शब्दों में, वह व्यावहारिक आदर्शवादी थे। उनका मत था कि आदर्शवाद को यथार्थ का रूप धारण करने के लिए व्यावहारिक होना आवश्यक है। वह भावात्मक सत्य को उस समय तक विलकूल व्यर्थ मानते थे, जब तक कि वह व्यवितयों के जीवन में प्रकट नहीं होता। उनके सन्तत्व ने उन्हें आदर्शवादी बनाया और सगम्बन्ध-क्षमता ने यथार्थवादी । १९२० में उन्होंने अपने एक लेख में लिखा था, “मैं स्वप्न नहीं देखा करता। मैं एक व्यावहारिक आदर्शवादी होने का दावा करता हूँ। अहिंसा का धर्म केवल चृदियों और महात्माओं के लिए नहीं है। वह जनसाधारण के लिए भी है। जिस तरह मे हिंसा पशुओं का जीवन-सिद्धान्त है, उसी तरह अहिंसा हम मानको का ॥”<sup>१</sup>

१. “हरिजन सेवक—३१-३-३३”, पृ० ३।

२. जवाहरलाल नेहरू—“राष्ट्रपिता”, पृ० ४३-४४।

अहिंसा के देवदूत गांधीजी के ये वचन कि "जब मेरे मामने केवल दो दिक्षाल्प रह जाएंगे—कायरता और हिंसा—तो मैं हिंसा के लिए सलाह दूँगा। इसके बजाए कि भारत कायरतापूर्वक अपने ही अममान का विकार बने या बना रहे मैं यह प्रमद कहेंगा कि वह अपने सम्मान की रक्षा के लिए हथियार उठाए।" अबवा "मंसार निरंतरके तर्क से ही मासिन नहीं होता। इस जीवन में ही धोषी-घट्टह दृष्टि अनर्थस्त है और हमें न्यूनतम हिंसा का मार्ग चुनना है", उनके व्याकहारिक आदर्शवाद के ही छोतक हैं। अचार्य जै० वी० कृपलानी के शब्दों में—"महात्मा गांधी इस बात को भली-भांति जानते थे कि कब इह रक्षा जाए और कब सुका जाए, कब और किन दस्तुओं में महयोग किया जाए तथा किन में असहयोग, कब प्रहार किया जाए और कब शान्त पड़ा रहा जाए।"<sup>३</sup> महात्मा गांधी ने मत्य और अहिंसा की अपनी नीति देश के सम्मुख एक राजनीतिक यात्रा, स्वराज्य प्राप्ति के एक प्रभावशाली और मत्वर उत्थाय के रूप में उपस्थित की थी। इसे मस्तन्ध में उनकी रक्ष्य अपनी माझी मिलती है, "मैं इस मत पर अटल हूँ कि मैंने अहिंसा को कायेम के सम्मुख एक लाभ-प्रद उत्करण के रूप में उपस्थित कर अच्छा ही किया। यदि मुझे उनका राजनीति में गमावेश करना था, तो मेरे निए धन्य कोई चारा ही नहीं था—दक्षिणा अफ्रीका में भी मैंने उसे लाभप्रद उत्करण के ही रूप में उपस्थित किया था।" यदि मैं ऐसे व्यक्तियों के साथ अपने कार्य को प्रारम्भ करता, जो अहिंसा को धर्म के स्वरूप में स्वीकार करते, तो उसको मानने चाला अकेला भी ही रह जाता। चूँकि मैं स्वयं अपूर्ण हूँ अत भैं मैंने प्रशुल्ल स्थी-पुरुषों के राथ अपना कार्य प्रारम्भ किया और एक अपरिचित मनुष्ठ री पाता की।"

**प्रबोल्ल सेनापति**—गहात्मा गांधी ने अपने ५० वर्षों में अधिक के राजनीतिक जीवन में इस बात को भली-भांति सिद्ध कर दिया कि वह राष्ट्रीय स्वतन्त्रता-ममत के प्रबोला सेनापति थे। प्रबोला सेनापति में यह आवास की जाती है कि वह थुद की प्रत्येक स्थिति को अच्छी तरह भसके और नदनुगार ही प्रत्यरुग करे वयोऽकि उम्रका एवं भी गवन कदम गरे राष्ट्र को विनाश के गर्ते थे दक्षेत भसता है। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के सेनापति होने के नाते महात्मा गांधी इस क्षमोटी पर पुरी तरह गरे उनमें है। प्रथम विश्व-युद्ध के पश्चात् जब उन्होंने भारत के राजनीतिक जीवन में विभिन्न प्रवेश किया, देख भी स्थिति उम जनानामूर्ती के नुस्ख थीं जो बस पूर्ण पहुँचे चाला ही हों। गीलट पक्का, पजाव हस्याकाण्ड और गिनाल-प्रगति भी नेतृत्व देख में प्रभृष्ट

<sup>३</sup> अचार्य जै० वी० कृपलानी "गांधी दि संटद्यमंत्र ५० १०।

असन्तोष के बादल घुमड रहे थे। यदि उस समय महात्मा गांधी असहयोग आनंदोलन प्रारम्भ न करते, तो यह निश्चित प्रायः था कि विष्वविदावी मैदान में आ जाते और सारा देश शोशित के नद में डूब जाता। इसी प्रकार जब १९२२-२३ में स्वराजवादियों व अपरिवर्तनवादियों के बीच कौसिल प्रवेश की समस्या पर मतभेद उठ खड़ा हुआ था, महात्मा गांधी ने स्वराजवादियों को निर्वाचिनों में भाग लेने और अपरिवर्तनवादियों को रचनात्मक कार्य ज्ञान में जुटे रहने का परामर्श देकर राष्ट्रीय शक्तियों के सम्भाव्य विघटन को रोक दिया। पुनर्ज्ञ, १९२८ में कांग्रेस के अन्दर ही जबाहरलाल और सुभाष चोहे के नेतृत्व में 'इण्डिपेंडेंस' लीग की स्थापना के अनन्तर देश के राजनीतिक थर्मासीटर का तापक्रम एक बार फिर ऊँचा चढ़ा। साइमन-कमीशन की असफलता के कारण देश की जनता रोपानता से प्रदीप्त हो रही थी। परिणामस्वरूप विष्वविदाद और पकड़ रहा था। ऐसी अवस्था में गांधी जी ने सत्याग्रह-आनंदोलन प्रारम्भ करके देश के समस्त वर्गों—तमणों और दृढ़ों, वामपक्षियों और दक्षिणपक्षियों, उदारवादियों और उपरवादियों को कंधे-से-कंधा मिलाकर राष्ट्र-सुवित संघर्ष में समान रूप से सक्रिय भाग लेने वालों सिवाही बना दिया। आवार्य जे० वी० कृपलानी के अनुसार "इतनी विभिन्न विचारधाराओं और भावनाओं वाली विभिन्न शक्तियों को एक स्थान पर ला एकत्रित करना एक प्रबोल राजनीतिक कलाकार का कार्य था!"<sup>१</sup> बस्तुतः महात्मा गांधी एक प्रबोल राजनीतिक कलाकार थे। सत्याग्रह-आनंदोलन साल-भर तक चला। इसके उपरान्त उसकी शक्ति कीण होने लगी। महात्मा गांधी ने इस ब्रह्म को तुरन्त भाँप लिया। फलतः जैसे ही सरकार ने कांग्रेस के साथ समझौता करने की इच्छा व्यक्त की, गांधी जी ने उसे चट से मान लिया। 'गांधी-इविन-समझौता' इसी का फल था। इसी प्रकार जब हितीय विश्वव्युद में जापान के कूद पढ़ने पर लड़ाई भारत के सभीप आती प्रतीत हुई और क्रिया-मिशन का कोई फल न निकला, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के सामने 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव रखा। विदेशी आक्रमणों से अपनी रक्षा करने पर असमर्थ भारतीय जनता की असहायता को देखकर गांधीजी विचलित हो गए थे। परिणामस्वरूप उन्होंने देश को 'करो या मरो' का संदेश दिया। "यदि गांधीजी उस समय इस प्रकार का पर्याप्त न उठाते, तो भारत के राष्ट्रीय संघर्ष की अन्तिम सफलता इतनी शीघ्र और अहिसक न होती। उचित समय पर कार्यवाही करके उन्होंने इगलैण्ट को यह विश्वास दिला दिया कि अपनी स्वतन्त्रता के लिए भारत सब कुछ उत्सर्ज करने को प्रस्तुत है तथा भविष्य में क्रान्तिकारी एवं विद्रोही भारत को केवल टमन और

१. जे० वी० कृपलानी—"गांधी दी स्टेट्यामेंट", पृ० ३८।

महात्मा स्वामी के बल में शामता में नहीं रखा जा सकता ।<sup>१</sup>

**महान् प्राणितकारी—महात्मा गांधी अपनी नैतिक और आध्यात्मिक विराटता के अतिरिक्त विद्व-इतिहास के सबसे महान् क्रान्तिकारी राजनीतिक नेताओं में से एक थे ।** “क्रान्तिकारी नेता का प्रथम चिह्न इस तथ्य को पहचानना है कि वह परिस्थिति जिसका उसे सामना करना पड़ रहा है, क्रान्तिकारी है, उसका विकासवाद की पीभी प्रक्रिया और भान्-यन्मवाद से परिहार नहीं किया जा सकता, परम्परावाल समझान समरणशालों को मुलभारण बिना स्थिति को स्तोर बिगड़ देगा तथा ज्ञानित को जब वह अपरिहार्यता गाती है, अधिक नुशास्न, कठोर और निर्देष व अपने रोपानल की भोंक में वहुत-सी ऐसी थेंड वस्तुओं का विवरण बना देगा जिसके पुनर्निर्माण के लिए एक नूतन, अधिक एक प्रति क्रान्ति अथवा एक दीर्घ एवं पीड़ापूर्ण विकास-प्रक्रिया की आवश्यकता होगी ।”<sup>२</sup> क्रान्तिकारी नेता के रूप में महात्मा गांधी की यह सफलता पी कि उन्होंने १९१६ में भारतीय राजनीतिक जीवन में प्रवेश करते समय देश की क्रान्तिकारी परिस्थिति को ठीक-ठीक पहचान लिया और उसका एक गच्छ क्रान्तिकारी के मामान प्रत्यक्ष कार्यवाही से सामना किया यद्यपि उनकी यह प्रत्यक्ष कार्यवाही थी अहिमात्मक । बस्तुतः एक ऐसी निहत्यी जनता के लिए जो आधुनिक महात्माओं में पूर्णतः भृत्यजित शक्तिशाली विदेशी साम्राज्यवाही के विरोध में यड़ी हो, पर्हिसक अमहोपोग भवान्धिक उपयुक्त प्रणाली थी । दूसरे, क्रान्ति को एक-दो समुदाय अथवा व्यक्ति नहीं लाते, क्रान्ति तो जन-साधारण का आनंदोलन है । हो सकता है कि आदि में जन-साधारण आनंदोलन से बिलग रहे, लेकिन किसी-न-किसी स्थिति पर उसका आनंदोलन में सक्रिय योगदान अपरिहार्य है । क्रान्तिकारी नेता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आनंदोलन को जन-साधारण का आनंदोलन बना दे । महात्मा गांधी ने भारत में यही किया था । उन्होंने भारतीय स्वतन्त्रता-प्रान्दोलन को जो उनके पूर्व मध्यवर्गीय वृद्धिजीवियों का ही आनंदोलन था, देश के कोटि-कोटि नगे और भूगंग लोक-समूह का आनंदोलन बना दिया । क्रान्तिकारी नेताओं के मध्यमें तीसरी शात यह है कि वे सदैव ‘अभी या कभी नहीं’ की भावना में काम करते हैं । उनका विचार होता है कि “यदि हम बर्नमान भमाज-व्यवस्था को तुरन्त नहीं बदल देते तो भमाज विनाश के गवन में जा गिरेगा ।”<sup>३</sup> महात्मा गांधी ने अपने मधुगंग राजनीतिक जीवन में इसी ‘अभी या कभी नहीं’ की भावना में काम किया । १९२० में उन्होंने वहा धा—“मुझे एक वर्ष

१. आनंद ज० वी० कृपलानी—“गांधी दी मेटमर्सन”, पृ० ५६ ।

२. आनंद ज० वी० कृपलानी—“गांधी दी मेटमर्सन”, पृ० ६८ ।

३. आनंद ज० वी० कृपलानी—“गांधी दी मेटमर्सन”, पृ० ८२ ।

के अन्दर स्वराज चाहिए।" कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को भलीभांति समझ सकता था कि एक वर्ष के अन्दर स्वराज को प्राप्त करने की बात पागलपन के मिवाय कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी एक वर्ष के अन्दर स्वराज्य प्राप्त करने का बचत देकर महात्मा गांधी ने जनता में वह प्रश्नर प्राणज्वाला फँक दी कि जनता सब कुछ खूल गई और उसने अन्दोलन में इस ढंग से भाग लिया मानो उसका सम्पूर्ण जीवन ही इस स्वप्न की पूर्ति पर निर्भर हो। १९३० में उन्होंने पुनः 'अभी या कभी नहीं' का जय-घोष उच्चारित किया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं अपने आश्रम को तभी बापस लौटूँगा जब भारत स्वतन्त्र हो जाएगा। इस बार वह पुनः असफल हुए। १९४२ में उन्होंने देश को फिर एक बार 'अभी या कभी नहीं', 'करो या मरो' का मन्त्रज्ञ दिया। अन्तश्च: क्रान्तिकारी नेता अपने सम्मुख अपने ध्येय को सर्वोच्च रखता है। वह जिस काम में भी हाथ डालता है, उसका एकमात्र उद्देश्य अपने लक्ष्य की पूर्ति होती है। गांधीजी के जीवन में इस तथ्य की स्पष्ट साक्षी मिलती है। उनका प्रत्येक कार्य, उनका क्रान्तिकारी जीवन-लक्ष्य भारत की स्वतन्त्रता से सम्बन्ध रखता था। चाहे तो हम उनका चर्खा ले लें, चाहे अद्युतोद्धार, चाहे स्वदेशी ले लें, चाहे शामोत्थान, अपने इन समस्त कार्यकलापों में उनका एक मात्र लक्ष्य-विन्दु स्वराज की एकनिष्ठ माध्यमा करता था। चर्खे को वह आर्थिक उत्पादन का एक आधार नहीं समझते थे, उसपे उन्हें स्वराज के दर्शन होते थे। अस्पृश्यता उनके लिए एक सामाजिक अभिशाप ही नहीं था, उसे वह भारत के राजनीतिक विदास के मार्ग में प्रचण्ड वावा मानते थे। जब तक उनका नाश नहीं हो जाता, स्वराज का उनकी हृषि में कोई भूल्य नहीं था। उनके लिए स्वदेशी देश की अर्थ-व्यवस्था को सम्हालने का उपायमात्र नहीं, उसे वह स्वराज के सारतत्व के रूप में प्रहरण करते थे। शामोत्थान को श्रामों की शोचनीय स्थिति सुधारने के साधनमात्र के रूप में ही नहीं देखते थे, वह उनके मह से आदर्श स्वराज-व्यवस्था तक पहुँचने का एक अनिवार्य सोयान था। और तो और महात्मा गांधी के अपनी प्रार्थना-सभाओं तक का जनता को अनुशासित करने और राजनीतिक शिक्षा देने के लिए प्रयोग किया। उन्होंने अपनी कठिपण्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण घोषणाएँ प्रार्थना सभाओं में की थी।

नव-मानवता के शिल्पी—भारत के राष्ट्रीय आनंदोलन के नेता। होने के मात्र साथ महात्मा गांधी नव मानवता के शिल्पी थे। उनकी 'बसुधैव कुदुम्बकम्' के पूर्णीत सिद्धान्त में अचल निष्ठा थी। वह कट्टर राष्ट्रवादी थे, पर यह भी अनुशव्वकरने थे कि मुझे राष्ट्रपूर्ण संसार को एक सन्देश देना है। उनका विदास था यि सच्चा राष्ट्रवाद अन्तरिष्ट्रीयता का विरोधी नहीं, प्रत्युत पूरक होता है। उनके मत से राष्ट्रवाद म्बयं बुराई नहीं, बुराई तो संकुचितता, स्वार्थ-भावना और वर्जनाशीलता है। वे विष्णु ८२-

वता की बेदी पर देश का व्यासदान करने के लिए सर्वव प्रमुख रहते थे। उन्होंने कहा था, “राष्ट्रीयता के स्वतन्त्र में मेरा विचार यह है कि मेरा देश स्वतन्त्र हो जाए, लेकिन यदि आवश्यकता पड़े, तो मानव-भाँति को जीवित रखने के लिए वह मारा-कामारा नष्ट हो जाए। इसमें जातीय पूर्णा को कोई स्थान नहीं। हमारी गांधीनियता ऐसी होनी चाहिए।”<sup>१</sup> महात्मा गांधी ऐसे भारत का स्वप्न देखते थे जो कि अपूर्ण भवार के लिए नाभकारी हों। वह यह महन करने के लिए प्रत्यतु नहीं थे कि भारत दूसरे राष्ट्रों के ध्वनावंशों पर उल्टि करे। उन्हे अपने मिशन का पूरा जान था। उनका कहना था, “मेरा मिशन केवल भारत की स्वतन्त्रता नहीं है यद्यपि आज वह निस्मन्देह मेरे मध्यमें जीवन और मध्यम भवय को ने लेता है... मेरे भारत की स्वतन्त्रता को प्राप्त करने के भाव्यमें मानव-भावत्व के मिशन को साधात्कृत और इस्तगत करना चाहता हूँ।”<sup>२</sup> महात्मा गांधी का यह हृदय विश्वास पा दि में भारत की सेवा करने के माध्यम समूहों मानवता की सेवा कर रहा है। उन्होंने भारत के गम्भीर राजनीतिक आनंदोलन की गत्य और ग्रहिणा की आत्मिक अवित के ऊपर आधारित किया था। उनका मन था कि जहाँ दूसरे आनंदोलन ने भारत में अपनी उपर्योगिता मिठ की, भम्पूर्म भवार पर उसका प्रभाव पहला अवश्यकभावी है। मेरि विवित और उच्चासित नश्वर की अपेक्षा विश्वास-अवित में अधिक-आत्मा रहता है। यदि इस आनंदोलन में जिनका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ कुछ शक्ति है और उमेरदर्वी यादीर्वाद प्राप्त है, तो वह मेरी भौतिक उणस्थिति के बिना ही समार के विभिन्न भागों में ध्याप्त हो जाएगा।”<sup>३</sup> महात्मा गांधी को विश्व-आनंदि की उत्पट योग्यता की ओर उनकी दूरदर्शी परिवर्ती हुई। उन्होंने इस वाल को भली-भाँति देश निया था कि मानव-तुलनी ही यहाँ वर्दं व्याप्ति गिराविक जययत्रा का एकमात्र मन्त्र हो और आम्य-नाय अंदी-न्यायित राज्यों का विद्युत मप ही है, “विशाल गज्यों का नक्षम पृथक स्वतन्त्रता नहीं अपितु स्वेच्छित अननिमंरता है। समार के उन्नतमना अवित आज एक दूसरे ने उड़ने वाले पूरांतः स्वतन्त्र राष्ट्रों की डरक्का नहीं करते, प्रत्युत भिषणायुर्ग पर दूसरे पर निर्भर राज्यों का गष चाहते हैं।”<sup>४</sup> महात्मा गांधी ने वियह और अद्यानित में उत्तरित

१. निर्मल कुमार दंम—“मेनेकडान्स फॉम गांधी”, पृ० ६३।

२. आर०क० प्रंभु और गू०आर०गव “दो माइण्ड आफ महात्मा गांधी”, पृ० १६०।

३. आर०क० प्रंभु और ग०आर०गव “दो माइण्ड आफ महात्मा गांधी”, पृ० १५६।

४. आर०क० प्रंभु और ग०आर०गव “दो माइण्ड आफ महात्मा गांधी”, पृ० १६१।

मानवता को मत्याग्रह की अपूर्व धर्मित से दुर्घट अत्याचार और अन्याय का प्रतिकार करने की विलक्षण युक्ति प्रदान कर भविष्य के लिए एक तृतीन आलोक-पथ का निर्देश किया है।

### १४७. महात्मा गांधी के राजनीति-दर्शन ।

महात्मा गांधी के राजनीति-दर्शन का स्वरूप—जब हम महात्मा गांधी के राजनीति-दर्शन के सम्बन्ध में विचार करते हैं, हमें यह प्रारम्भ से ही समझ लेना चाहिए कि वह जास्तीय अर्थों में राजनीतिक दार्शनिक नहीं थे। उन्होंने किसी राजनीति-दर्शन का सांगोषणग और तर्क-सम्मत निरूपण नहीं किया है। महात्मा गांधी प्रारम्भ से ही असली सुधारक और कर्मयोगी पुरुष थे। उनकी स्थिति प्राचीन काल के उन पैगम्बरों और समाज-सुधारकों की भाँति थी जिन्हे रीजमर्टा की व्यावहारिक कठिनाइयों का नामना करना पड़ता था और जिन्होंने इसके लिए अपने आपको किन्तु अपरिवर्तनीय प्रणालियों में न फँसाकर अपने अनुयायियों के लिए कठिनय नैतिक और मनोवैज्ञानिक निष्ठान्त रिधर कर दिए थे। महात्मा गांधी अपने जीवन-काल में यह बार-बार कहा करते थे कि “गांधीवाद जैसी कोई चीज़ मेरे दिमाग में नहीं है। मैं कोई राम्प्रदाय-प्रवर्तक नहीं हूँ। तत्कालीन होने का मैंने कभी दावा भी नहीं किया है। मेरा यह प्रश्न भी नहीं है।”<sup>१</sup> वह यह मानते थे कि “मैंने किसी नए सत्य का आविष्कार नहीं किया है, बल्कि सत्य को जैसा मैं जानता हूँ उसी के अनुसार चलने का और लोगों को बदलने का प्रयत्न करता हूँ। हाँ ! कठिनय प्राचीन सत्य सिद्धान्तों पर नया प्रकाश डालने का मैं दावा अवश्य करता हूँ।”<sup>२</sup>

राजनीति-दर्शन जीवन-दर्शन का एक भाग—महात्मा गांधी समूर्ण जीवन को एक इकाई मानते थे। उनके अनुसार जीवन को आधिक, राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक आदि विविध खेत्रों में नहीं बांटा जा सकता। उनके लिए जीवन के सभी पहलू एक-दूसरे के माथ लुड़े हुए थे। इसलिए महात्मा गांधी का राजनीति-दर्शन उनके जीवन-दर्शन का एक भाग था। निसर्गतः गांधी जी के राजनीति-दर्शन को समझने के लिए उनके जीवन-दर्शन को समझना अत्यन्त आवश्यक है।

गांधीजी का जीवन-दर्शन—महात्मा गांधी ने एक बार श्री पोलक से कहा था, “जिन धार्मिक व्यक्तियों से मैं मिला हूँ, उनमें से अधिकांश छापवेश में राजनीतिज्ञ हैं। सेकिन मैं जिसने राजनीतिज्ञ का छापवेश धारण कर रखा है, हृदय से धार्मिक व्यक्ति

१. रामनाथ सुमन—“गांधीवाणी”, पृ० २४३।

२. “यंग इण्डियर, २५-८-२१”, पृ० २६३।

है।<sup>१</sup> वस्तुतः महात्मा गांधी की मम्मूर्ण राजनीतिक विचारधारा उनके धार्मिक और नैनिक विश्वायों पर आधारित है।

(१) ईश्वर और महात्मा सम्बन्धी मतव्यता—महात्मा गांधी का ईश्वर और महात्मा में अंतिग विश्वास था। वह कहा करते थे कि जिस व्यक्ति का ईश्वर और महात्मा में विवाद नहीं है, उसका पूर्णांतर विकास अपम्भव है। वह इस बात को कहते हुए कभी नहीं थकते थे कि “ईश्वर में आम्भा रखे बिना कोई व्यक्ति मच्चा मत्या-यही नहीं हो सकता।”<sup>२</sup> महात्मा गांधी द्वारा प्रचारित मम्मूर्ण मत्यात्मक-दर्शन उसी मिदान्त पर आधित है कि आनंदा मदन्द अपराजेय है और मूर्छिट के अधम-से-अधम प्राणी में कुछ-न-कुछ दैवी अश्व बन्हान है जो मद्य और प्रेमपूर्ण ध्यवहार के द्वारा अपने उत्कृष्टतम् रूप में प्रकट हो सकता है।

(२) मत्य—महात्मा गांधी की हृषि में मत्य और ईश्वर पर्यावरण थे। उनके वज्रों में “मंसार मत्य की मुहूर नीव पर ठहरा हुआ है। अमन्य का अर्थ अमन् अर्थात् (अभाव) ‘न रहना’ है और मत्य का अर्थ है सत् भाव, ‘जो है।’ जब अमन्य का भाव अर्थात् अस्तित्व ही नहीं, तब उसकी विजय का नो ग्रन्थ ही नहीं उठ सकता। और मत्य का नो अर्थ ही है वह ‘जो है’ (जिसका अस्तित्व है) इसलिए उसका नाम नहीं हो सकता।”<sup>३</sup> गांधीजी मत्य का अन्यमत दिशद् ग्रंथ करते थे। उनकी दृष्टि में मत्य का अभिप्राय था, मनसा, वाचा, कर्मणा, मत्य का दातवरण। वह मत्य को राजनीति ममवेत जीवन के ममस्त द्वेषी में ममाविष्ट मानते थे।

(३) अहिंसा—गांधीजी के अनुमार मत्य के घादम् को प्राप्त करने के लिए अहिंसा यादव थी। अहिंसा का नाशिक अर्थ है ‘न रातना’, परन्तु गांधीजी मत्य की भाँति इसे भी अत्यन्त ध्यात्मक स्वर में प्रहरण करते थे। उनके अनुगार “जब कोई आदमी अहिंसक होने का दावा करता है, तो उसमें आज्ञा की जानी है कि वह उस आदपी पर भी कोय नहीं करेगा। जिसने उसे चोट पहुँचाई हो। वह उसको कोई बुराई नहीं चाहेगा, वह उसकी कल्याणा कामना करेगा”<sup>४</sup> वह गलती करते वाले द्वारा दी जाने वाली नव प्रकार की यन्त्रणा महल करेगा”<sup>५</sup> पूर्ण अहिंसा ममस्त जीव-धारियों के प्रति दुर्भावना का पूर्ण अभाव है। इसलिए वह मानवेतर प्राणियों, यहाँ तक कि विष्वर कीहों और हिमक जानवरों तक का अभिगत रखता है।<sup>६</sup>

१. “स्टोनेज एण्ड राइटरझ फ्रांक महात्मा गांधी (जी० १० नवम्बर, मदाग, १९२२) एंडेडिशन” पृ० ४०।

२. “हरिजन — तृतीय ३.२६, पृ० १६६।

३. भी० एक० एड्जू. — “महात्मा गांधी, हिंदूओं स्टोरी, पृ० २२३।

४. रामनाथ मुसन — “गांधीवाची”, पृ० ३३।

**महात्मा गांधी के राजनीति-दर्शन के मूलतस्व (१) धार्मिक तथा नेत्रिक आधार—** ऊपर महात्मा गांधी के राजनीति-दर्शन के स्वरूप, जीवन-दर्शन, नैतिक और धार्मिक विश्वासों का जो सक्षिप्त विवेचन किया गया है, उससे उनके राजनीति-दर्शन के मूल-तत्त्वों का सुगमता पूर्वक विश्लेषण किया जा सकता है। महात्मा गांधी के राजनीति दर्शन की मब्दें प्रमुख विशेषता उनके नामिक आधार ऐ दिखाई देती हैं। जेफरसन की भावित महात्मा गांधी भी राजनीति को धार्मिक भित्त-भूमि पर आश्रित करना चाहते थे। उनके अनुसार “धर्महीन राजनीति ऐ कोई नीज नहीं। राजनीति धर्म की अनुष्ठान है। धर्म-हीन राजनीति को एक फासी ही समझिए। वह आत्मा का नाशकर देती है।”<sup>१</sup> महात्मा जी यदि राजनीति ऐ भाग लेते थे तो इसलिए कि उसने हमारे जीवन को चारों ओर से ऐसा परावृत्त कर रखा है कि हम उनसे बचकर नहीं निकल सकते। गांधीजी धर्म को किसी सम्प्रदाय विशेष से एकान्वित नहीं करते थे। उनका धर्म हो वह धर्म था जो सब धर्मों के मूल में विद्यमान है, जो व्यक्ति को ऊँचा उठाता है, उसे पवित्रता की गिरावट देता है। गांधी जी का धर्म लिलक लगाने आर मला केरवे बाला धर्म न होकर सकार के शोधिनों, दलितों और लुटिलों की सेवा करने वाला धर्म था।

(२) साध्य और साधन का अभेद—वैकिं महात्मा गांधी का राजनीति दर्शन धार्मिक आधार-भूमि पर स्थित था, इसलिए उनकी राजनीति पद्धति में दृष्टिकोण कोई स्थान नहीं था। उनका विश्वास था कि थ्रेट साध्य की प्राप्ति के लिए थ्रेट साधनों का प्रयोग आवश्यक है। वह कैटिल्य और मैकियावेली के समान अच्छे साध्यों की प्राप्ति के लिए बुरे साधनों का उपयोग ठीक नहीं समझते थे।

(३) व्यक्ति और समाज का सम्बन्ध—महात्मा गांधी व्यक्ति और समाज ऐ कोई विरोध न मानते थे; उनका कहना था कि मनुष्य मनव-समाज का मूल है स्वतन्त्रता और प्रगति का मापदण्ड है। वह इस सिद्धान्त में विश्वास रखते थे कि समाज के द्वितीय मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। महात्माजी के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि वह अपने ऊपर समाज के झगड़ों को स्वीकार करे आर अपने भाइयों की सेवा द्वारा उसे जुकाने में प्रवृत्त हो।

(४) आदर्श की व्यावहारिकता—महात्मा गांधी का राजनीति-दर्शन केवल कल्पना-लोक की बस्तु नहीं है, यद्यपि वह प्लेटो के तुल्य पवें यादर्शवादी ऐ और सदैव स्वराज्य का स्वर्ण देखा करते थे, किर भी उनके राजनीति-दर्शन के व्यावहारिक होने में कोई सन्देह नहीं किया जा सकता। उन्होंने ददिया अफीका और भारत में अपने

१ रामनाथ सुमन—“गांधीवासी”, पृ० २३७।

राजनीति-दर्शन का मफलतापूर्वक उपयोग कर उसकी क्रियात्मकता भली प्रकार सिद्ध कर दी। उनके लिए प्रत्येक मिडाल उम नमय तक निष्प्रयोजन आ जब तक कि उस पर आनंदण नहीं किया जा सकता। महात्माजी का यह दावा था कि मेरा राजनीति-दर्शन केवल कुछ लोगों के लिए न होकर सम्पूर्ण समार के लिए है।

(५) स्वतन्त्रता सम्बन्धी धारणा—महात्मा गांधी स्वतन्त्रता के एकनिष्ठ माध्यक थे। उनके अनुमार स्वतन्त्रता का वास्तविक प्रयोजन जीवन का नवीनीण अभ्युत्थान करना है। उनकी हाइट में मच्ची स्वतन्त्रता में राजनीतिक, प्रार्थिक और नेतृत्व की तीनों प्रकार की स्वतन्त्रताएँ समाविष्ट हैं। स्वतन्त्रता के इन तीनों पहलुओं का विवेचत करते हुए उन्होंने लिखा था, “राजनीतिक स्वतन्त्रता का अभिप्राय यह है कि देश पर विद्यि मेनाघों का किसी भी रूप में कोई भासन न रहे। आर्थिक स्वतन्त्रता का अभिप्राय विदिग पूंजीपतियों और विदिग पूंजी के साथ ही उनके प्रतिष्ठप भारतीय पूंजीपतियों और भारतीय पूंजी में पूर्ण दुष्टकारा पाना है। दूसरे दब्दों में, छोटे-में-छोटे आदमी के बराबर है...” नेतृत्विक स्वतन्त्रता का अर्थ देश की मुरदाएँ के लिए रखी गई मध्यस्थ मेनाघों में दुष्टकारा पाना है। रामराज्य जी मेरी कल्पना में विद्यि फौजी हुक्मत की जगह राजीय फौजी हुक्मत को विटा देने की गृजायम नहीं।”<sup>१</sup> महात्मा गांधी की स्वराज्य-कल्पना अत्यन्त उद्घात थी। अपने मपनों के मारन का चित्र खीचते हुए उन्होंने लिखा था, “स्वराज्य में राजा ने लेकर रंक तक का एक भी अग्र अविक्रियत रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उगमें कोई किमी का धनु न हो, यद्यपि अपना-अपना काम करे, कोई निरधार न रहे, उनरोतर लक्ष्यके ज्ञान की वृद्धि होनी जाए, नारी प्रजा को कम-में-न-म वीमारियाँ हों, कोई भी दरिद्र न हो, परियम करने वाले को बराबर काम मिलता रहे, उसमें उप्रा, चोरी, मदगान और व्यभिचार न हो, बां-विधय न हो, धनिक अपने पन का विकेन्प्रवृद्ध उपभोग करे...” यह नहीं होना चाहिए कि मुट्ठी-भर धनिक मीनाकारी के महनों में रहे और हजारों अथवा लाखों लोग हवा और प्रकाश-रहित कोठरियों में।<sup>२</sup>

लोकतन्त्र सम्बन्धी धारणा—महात्मा गांधी स्वभाव में नी लोकतन्त्रवादी थे। उनकी लोकतन्त्र मध्यस्थी पारणा में नीन वामें विदेश स्थ ने हाटध्य है। प्रथमन गहात्मा गांधी केन्द्रीयकरण और लोकतन्त्र को एक दूसरे का विरोधी मानने थे। उनका विश्वास था कि गच्छे लोकतन्त्र की स्वास्थ्य के लिए राजीवीय मना या विकेन्द्री धरण आवश्यक है। दूसरे गांधीजी के अनुमार लोकतन्त्र और हिंग का नायनत्य धरण आवश्यक है।

१. गहनाव मुद्रन—“गांधीवाली”, पृ० १८५-१८६।

२. ‘हरिजन सेवक’, १८-१२-३६”, पृ० ३६।

निबीह नहीं हो सकता। उन्होंने लिखा था, “लोकतन्त्र वलप्रवर्ती उपर्यों द्वारा विकसित नहीं हो सकता। लोकतन्त्र की भावना बाहर में नहीं लादी जा सकती। वह तो भीतर से आती है।”<sup>१</sup> चूंकि इंगलैण्ड घरेलू धोत्र में अहिंसक पर वैदेशिक धोत्र में हिस्क है, अतः वह सच्चा लोकतन्त्रात्मक देश नहीं है। गांधीजी का विचार यह कि पश्चिमी देशों के जनतन्त्र केवल तथाकथित ही क्योंकि हैं, “इसमें ठीक जनतन्त्र के नमूने के कुछ कीटाणु व तत्त्व अवश्य हैं। मगर वह सच्चे अर्थों में जनतन्त्र तभी हो सकता है जब हिसारहित हो जाएगा और इसमें व वदशमली व खुराकात अदृश्य हो जाएंगे।”<sup>२</sup> तीसरे, गांधीजी के मतानुसार ग्रामोचन-प्रत्यालोचन लोकतन्त्र का प्राण-तत्त्व है। उनकी लोकतन्त्र सम्बन्धी धारणा में समाज के प्रत्येक सदस्य को शासन की आलोचना करने का अधिकार है।

**राज्य सम्बन्धी धारणा**—महात्मा गांधी ने अपनी रचनाओं में अहिंसक राज्य की रूपरेखा पर विस्तृत प्रकाश नहीं डाना है। इस सम्बन्ध में वह काँड़िनल न्यूमैन की ‘One step enough for me’ उकित के उपासक थे। फिर भी हम उनके विभिन्न भाषणों, वक्तव्यों और लेखों के अनुशीलन द्वारा उनकी राज्य-सम्बन्धी धारणा का घोड़ा-भा परिचय पा सकते हैं।

अहिंसा के देवदूत महात्मा गांधी के लिए हिंसा के प्रतीक राज्य को विरिक्त की हृष्टि से देखना सर्वथा स्वाभाविक था। उनका विश्वास था कि राज्य की दबाव डालने की प्रवृत्ति नैतिकता की दृष्टि से घातक है क्योंकि कोई भी ऐसा कृत्य जो एच्छिक नहीं है, नैतिक नहीं कहा जा सकता। महात्माजी के विचार से आदर्श समाज-व्यवस्था राज्य-विहीन लोकतन्त्र है। “ऐसे राज्य ने प्रत्येक व्यक्ति अपना शासक है। वह अपना शासन इस तरह करता है कि अपने पड़ोसी के लिए कभी विघ्न नहीं बनता।”<sup>३</sup> गांधीजी की आदर्श समाज-व्यवस्था में ग्राम-संघ तथा ग्राम-समाज दोनों ही एच्छिक आधार पर संगठित होंगे। ऐसी समाज-व्यवस्था में राजकीय शक्ति विकेन्द्रित रहेगी।

गांधीजी राज्य को स्वर्य ही एक साध्य न मानकर जनता की अधिकतम कल्याण-साधना का एक उपाय मानते थे। वे हीगेल की इस मान्यता के विरुद्ध थे कि राज्य मानवीय संगठन का अन्तिम लक्ष्य है, अपने ये ही एक साध्य है और नैतिकता-अनैतिकता की भावना से ऊपर है। उनकी हृष्टि थे तो राज्य जनता की कल्याण

१. निर्मलकुमार बोस—“सेलेक्शन्स फाम गांधी”, पृ. ४२

२. हरिजन सेवक ३-६-३८; पृ. २२८

३. प्र०० जी० एन० धावन द्वारा—“पोलिटिकल पिलासफी आक महात्मा गांधी, मैं उद्धृत, पृ. २६६-२६७

माधवना के लिए बहुत से माधवनों में से एक भावन था। गांधीजी बहुवादियों और प्रराजकतावादियों की भावि राज्य के निरकृप प्रभुत्व-मिदान का प्रतिवाद करते थे। उक्का विशुद्ध नेतृत्व प्राधिकार पर आधारित जनता के प्रभुत्व में विज्ञान था। गांधी जी का मत था कि अविक्त को राज्य के आदेश उसी समव तक भावने चाहिए जब तक कि वे उचित और न्यायपूर्ण हों।

महात्मा गांधी राज्य के कार्यक्षेत्र की न्यूयर्टम रखने के पक्षपाता थे। उनके अनुगार स्वराज्य का अर्थ “भासन के नियन्त्रण में स्वतन्त्र होने का अनावरत प्रयत्न” है। उनके मत ने राज्य के अधिकार कृप्य एवं विद्युत ममुदायों द्वारा नाप्राप्ति होने नाहिए। गांधीजी का कहना था कि अहिंसक राज्य के लिए विदेशी आकर्षणों का मामना भी, जहाँ तक हो सके, अहिंसक रीति में ही करना बाढ़नीय है।

महात्मा गांधी और विद्व-जानिति-प्राधुरिक युग की भवने वाली समस्या जानित की भवस्या है। अब वह विद्वान् दिन-प्रतिनिधित्व वल पकड़ता जा रहा है कि पदि मनुष्य ने अन्तर्राष्ट्रीय भागों की युद्ध के द्वारा मुन्हाना नहीं ल्याया, तो सम्मुर्म मानव-मस्कृति और मानव-जाति का विनाश हो जाएगा। विद्व-जानिति के व्यवस्थ में माधवीजी का विचार या कि अब तक मनुष्य ने अपनी मासूहिक समस्याओं वो गलत आधार पर, हिमा, पूर्णा, द्वेष और विश्रह आदि के द्वारा मुन्हाने का प्रयास किया है। उनका मत था कि जीवन को प्रत्येक धोष में, वहाँ वह व्यविनियत हो या मामाजिप राजनीतिक हो या आर्थिक, बुराई का परिहार बुराई में नहीं किया जा सकता, ठीक उसी तरह मेरे जैसे कि जीवन जीवन को नहीं हटा सकता। गांधीजी वहा करते हैं कि आज की अव्यवस्था का मूल कारण मनुष्य के व्यविनियत प्रोटो सामूहिक जीवन में समजस्थ का न होना है। उनके अनुगार विद्व-जानिति की भवस्या का स्वार्थी होने भी निफन्त सकता है जबकि मनुष्य के व्यविनियत और सामूहिक जीवन में मनुष्यने स्थानित हो जाए। वे नेतृत्व मापदण्ड जो मनुष्य के व्यविनियत जीवन का नियमन करते हैं, अन्तर्राष्ट्रीय धेष्ठ में भी प्रयुक्त किये जाने चाहिए। यदि व्यविनियत जीवन में कोई मनुष्य थम, काट और हिला ग्राहि अनुग्री वृत्तियों का आधार नेता ह, तो वह किन्तु का पात्र भाता जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय धेष्ठ में भी इसी ही व्यांने न हों। गांधीजी के मत में यहिमा और भव्य के मिदान व्यविनियत सामरण्य के ही मिदान न बनार ममुदायों और शास्त्रों के अव्वरण के मिदान बनने चाहिए।

मनुष्य ने प्राक्को-युग-युग द्वारा जयमाता में अव्याचार और अन्याय हा समना करने के लिए अब तक हिमा यों ल्याया और अन्याय और देव वा ही नहार दृष्टा नीरा है।

महात्मा गांधी ने संसार को अन्धाय और अत्यधिकार का सामना करने के लिए सत्याग्रह के रूप में एक अभिनव पद्धति का सफलतापूर्वक प्रयोग कर इसकी व्यावहारिक उपयोगिता को भलि भाँति सिद्ध कर दिया।

महात्मा गांधी का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम भी विश्व ज्ञानित का सावक है। आर्थिक क्षेत्र में गांधीजी विकेन्द्रित उद्योगों के पक्षपाती है यदि उद्योगों का पूँजीवादी आचार पर केन्द्रीकरण होता है, तो इससे शोषण और साम्राज्यवाद बढ़ता है। यदि उद्योगों का साम्यवादी आचार पर केन्द्रीकरण किया जाता है, तो इससे नौकरशाही बढ़ती है। ऐसी स्थिति में गांधीजी का विकेन्द्रीकरण-सिद्धान्त ज्ञानित की दृष्टि से सर्वथा युक्तिकर है। सामाजिक क्षेत्र में गांधीजी ने कंच और तीव्र के समस्त भेदभाव हटाकर ज्ञानित की साराहृतीय सोधना की है। राजनीतिक क्षेत्र में गांधीजी लोकतन्त्र के समर्थक थे। लेकिन उनके लोकतन्त्र में स्थानीय स्वायत्ता का बड़ा महत्व है। सखेयतः 'साधनों के अत्यधिक मान, अहिंसा और सत्य के आचार पर सामूहिक और राजनीतिक जीवन में नैतिकता का पुट देकर, विद्यार्थी का हत करने के लिए रात्पायह को अपनाकर, शोषण से उन्मुक्त प्रादेशिक अर्थतन्त्र तथा विकेन्द्रित उद्योगों के ऊपर अबलम्बित रूपनालमक कार्यक्रम, ग्राम पंचायतों के माध्यम से स्वस्थ और ज़कियावाली स्थानीय स्वशासन तथा सबसे बड़कर उपयोगी कर्म में निरत व्यक्ति व समाज के योगयुक्त जीवन के हारा महात्मा गांधी नैतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में समर्जन्य तथा संश्लेषण लाना, प्रभावशाली लोकतन्त्र की स्थापना करना और विड-वशान्ति की साधना करना चाहते हैं।<sup>१</sup>

वहा गांधीजी का राजनीति-दर्शन क्रान्तिकारी है?—महात्मा गांधी के राजनीति-दर्शन पर समाजवादी और साम्यवादी तुल्य वास्तवक्षीय आलोचकों ने यह बार-बार अल्पेष किया है वह सुधारवादी है, प्रतिक्रियावादी है और क्रान्ति का विरोधी है। गांधीजी के राजनीति-दर्शन का निष्पक्ष मूल्यांकन इस आलोचकों ने निराधार सिद्ध करता है। उनके राजनीति-दर्शन के क्रान्तिकारी स्वरूप का निर्णय करने में पूर्व 'क्रान्ति' शब्द पर विचार कर लेना बाछलीय है। 'क्रान्ति' का सर्वतम्भत अर्थ पूर्ण अथवा सत्त्वर परिवर्तन है। क्रान्ति के लिए वह विलकुल आवश्यक नहीं है कि परिवर्तन हिसक और रक्तिम ही हो। सामाजिक और राजनीतिक घोरों में क्रान्ति का अभिप्राय यह होता है कि प्राचीन जीर्णवीर्य मान्यताएँ ब्वस्त हो जाएँ और उनका

<sup>१</sup> आचार्य जे. वी. कृष्णन—“गांधीयन प्रसिद्ध फॉर चर्ल्डपीस,” (दी हिन्दु-स्तान टाइम्स; जनवरी ८, १९५३)

इथान तुलन उच्चतर नैतिक मानवताएँ ग्रहण करें। गांधीजी का गांधीनीति-दर्शन इस कमोडी पर पर्याप्त जाने पर अनदिग्ध स्थान में क्रान्तिकारी ठहराता है। “यदि हम लाभिकारी में किसी ऐसी वस्तु का अभियाच ग्रहण करें, जो जनता के हाथियों में युपानग आती है, जनता की परिवर्तन मन विद्यि और मानवताओं का तुलन मुश्यावन जाती है, तो गांधीजी द्वारा प्रसिद्धित विचार व्यापकातम ग्रहों में लाभिकारी है।”<sup>१</sup> कहा जा नकारा है कि गांधी के विचार मीठिक नहीं है नहीं, पुराने ही है, किंतु लाभिकारी कर्ते हुए? इस मनवत्त्व में यह अवर्त्तन है कि विचारों के लाभिकारी होने के लिए उनका मीठिक होना अनिवार्य है। ग्रान्ति की मच्छी बर्मीटों विचारों द्वारा नहीं, बल् परिवर्तन की विजेपता है। इस हार्ट में महात्मा गांधी ने विचार-दर्शन में जो क्रान्ति उत्पन्न की है, वह गवंधा अनुत्पूर्व है। इसका प्रभाव भारत तक ईर्ष्यामित रहने वाला नहीं है, वह दूसरे देशों को भी यात्री और निवासिः आदाएँ करता। महात्मा गांधी की नमाम के गांधीनीति-दर्शन को देन यह नहीं है कि उन्होंने छिड़ी जल गम्यों का आविकार किया, प्रन्युत यह है कि उन्होंने ग्रान्ति-मम्यों का यात्रने यह की मम्य, ग्रां के समाधान में शब्दोंग लिया। गांधी जी के गर्वोदय तत्त्व-दर्शन से एक अवक्षात्तिक प्रयोग ग्रान्तावं विनोदा भाव के भूदान-वज्र ग्रान्तावत्त में दिखाई देता है। भूदान-वज्र-ग्रान्तोदयन ने अब तक जो यष्टियों प्राप्त की है, इसमें उम्मी भावों सम्भावनाएँ दृश्यमान अपापूर्ण प्रतीत होती हैं। वह देश में एक द्याहिमक वानिन का एक प्रशमन कर रहा है। यदि उसे अपने लक्ष्य ने पूर्ण यक्षण लिया जाता है, तो गांधी-दर्शन मानवता के लिए अनुगम लाभिकारी मिल देता।

#### १८८ गांधीवाद और मानसंवाद : एक तुलनात्मक विवेचन

ग्रान्ती-नन्नी यह यत्तमा जाता है कि गांधीवाद और मानसंवाद में नोई-प्रवाद-भूत भद्र नहीं है, दोनों ‘तुल्या भाई’ हैं, दोनों के बाब्त उद्देश्य पूर्ण हैं। यदि दोनों में खोदा-सा अन्तर है भी, तो वह केवल माध्यन-प्रणाली का है। नेतृत्व उसे किसी भी प्रकार ग्रान्ताभूत नहीं रहा जा सकता। इस गति के प्रक्रियादारी से बदला है यि हिंगा और प्रहिंगा के खीन भद्र की रूपता अन्तर गृह्य है विंतेर। महात्मा गांधी ने अब यह लिया यह हि “जर्दी मिके कार्यता और हिंगा के चौथे रिसां एह के नुसार को बात हो, वहाँ मेरे हिंगा के पश्च में गाय दृग्मा।”<sup>२</sup> गांधीवाद और मानसंवाद के मनवत्त्व में

१ डा० ए० के पांचालन—“गांधीवाद प्रोग्रेसिविट किताम है। तो इट ग्रिंडो तूसन हो?”  
बोन्गूब १०, न० १ तवा २, दू. ३०।

२. “यह इण्डिया, ११ परम्परा, १०”, दू. ३।

इस प्रकार का मत-विभ्रम दुभाग्यपूर्ण है। यह ठीक है कि दोनों के आदर्श में थोड़ी-सी समानता दिखाई पड़ती है और वह यह है कि दोनों ही समाज के दलितों और शोषितों के प्रति अत्यधिक सद्य है, दोनों ही एक ऐसी समाज-व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं जिसमें मनुष्य का मनुष्य के हारा शोपण न हो सके और सबको बिना किसी भेदभाव के अपने विकास की समान सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें। इस सामाजिक आदर्श को छोड़कर दोनों में अन्य कोई समानता नहीं है। आवश्यक है कि दोनों के हिंट-भेद का सही-सही मूल्यांकन किया जाए। गांधी-दर्शन के प्रकाण्ड पंडित थी किशोरी लाल मशरूवाला ने अपनी कृति 'गांधी एण्ड मार्क्स' में गांधीवाद और मार्क्सवाद के हिंटभेद का तुलनात्मक विवेचन करते हुए लिखा है कि "गांधीवाद और मार्क्सवाद एक दूसरे से इतने ही भिन्न हैं जैसे कि लाल से हरा भिन्न होता है वर्द्धपि हम जानते हैं कि आखिर के उस रोधी की जिसे रमभेद की पहचान नहीं होती, दोनों समान प्रतीत हो सकते हैं।"<sup>१</sup> उक्त पुस्तक की भूमिका गांधीजी के प्रमुख शिष्य आचार्य विनोदा भावे ने लिखी है। उन्होंने भी गांधीवाद और साम्यवाद में हिंटभेद पर ऐसा ही मत व्यक्त किया है। उनके शब्दों में "दोनों विचार धाराएँ बेमेल हैं, उनका अन्तर मूल-भूत है" और "दोनों एक दूसरे की कट्टर विरोधी हैं।"<sup>२</sup>

**दार्शनिक आधार—**सामर्सवाद का दार्शनिक आधार द्विंदात्मक भौतिकवाद (Dialectical Materialism) है। वह 'थीसिस, एटी थीसिस और सिन्थीसिस' की पढ़ति पर आधित है। द्विंदात्मक भौतिकवाद के अनुसार जगत का जो कुछ कार्य-व्यापार हमें इन्द्रियगोचर होता है वह आत्मा-परमात्मा जैसी किसी चेतन-सत्ता की लीला नहीं है। उसका विश्वास है कि भौतिक पदार्थ ही वह आदिम धीज-भूत है जिसका रूपान्तर यह त्रियमान जगत है। आचार्य नरेन्द्रदेव की शब्दावली में 'भावसंवादी दर्शन जह और चेतन की पृथक्-पृथक् स्वतन्त्र सत्ता द्वैतवाद नहीं मानता, वह बनलाता है कि आदिम अवस्था से अब तक पदार्थ का जो रूपान्तर हुआ है उसके क्रम से ही' अवस्था विशेष में चेतन का प्रादृभव होता है, अर्थात् चेतना विकासमान पदार्थ का एक गुण है।<sup>३</sup>

गांधीवाद इससे बिलकुल उल्टा है। वह सूषिट के नियन्ता परमेश्वर में और आत्मा को परमेष्ठा में आद्या रखता है। गांधीजी का कहना था कि "जो लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करना नहीं चाहते, वे अपने असीर के सिद्धा और किसी

१. किशोरीलाल मशरूवाला—'गांधी एण्ड मार्क्स', पृ० ३८।

२. किशोरीलाल मशरूवाला—'गांधी एण्ड मार्क्स', पृ० १६-१७।

३. आचार्य नरेन्द्रदेव—'राष्ट्रीयता और समाजवाद', पृ० ४४३।

बहस्तु के अभिन्नत्व में विश्वास नहीं करते।"<sup>१</sup> अबबा "मेरा अपना अनुभव तो मुझे इसी ज्ञान पर ने जाता है कि जिसके नियमानुगार मारे विश्व का यंचालन होता है, उस व्याप्तिवत् नियम में अद्वल विश्वास रखे विंग पूर्णतम जीवन सम्भव नहीं है। इस विष्वास में विहीन व्यक्ति तो मण्ड्र में अनग या पड़ते वाली उम बूँद के समान है जो नष्ट होकर हो रहती है।"<sup>२</sup> मार्क्सवाद जहाँ चेतना का पदार्थ की द्याया मानता है, वहाँ गांधीवाद पदार्थ को चेतना की द्याया मानता है। याधीजो के अनुमार 'मूल भूत गिरावच पदार्थ नहीं, चेतना है। जिसे हम प्राणहीन पदार्थ कहते हैं, वह भी चेतना में और जैनता के द्वारा भी व्याप्ति नहीं रखता है। उसकी चेतना में स्वतन्त्र विचिदाति लोई नहीं नहीं है। शृंगि चेतना में उक्ति होती है, चेतना में विद्यमान रहती है, और चेतना ने अध्य होती है।"<sup>३</sup>

इस प्रश्नार, यह स्पष्ट है कि जहाँ मार्क्सवाद प्रधानतः भीनिरुद्धादी है, वहाँ गांधीवाद प्रधानतः प्रध्यात्मवादी है।

बर्गे सत्यर्थ का रिक्वान्त—मार्क्सवादी दर्शन की एक महत्वपूर्ण मात्रिता वर्ग-सत्यर्थ का मिदान है। मार्क्सवाद बर्गे का उल्लेख नमाज में प्रचलित उन उत्तादन सम्बन्धी को ध्यान में रखकर करता है जिन पर नमाज की आर्थिक प्रणाली आधिन होती है। नुभासिन के शब्दों में "सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों का समूह है जो सामाजिक उत्तादन में एक प्रकार का कार्य करते हैं और उत्तादन के फ़ल में नये हुए दूसरे व्यक्तियों के नाम उनका सम्बन्ध भी पक-पा हो जाता है। यह एक-ज्ञा सम्बन्ध धर्म के भावनाएँ के सम्बन्ध में भी लागू होता है।"<sup>४</sup> मार्क्सवाद के अनुमार आधार रूप में हर नमाज में थोड़ी वर्ग रहते हैं, एक तो ऐ नोंग जिनका स्थान नमाज में मानिकी रहा होता है और जो उत्तादन सम्बन्धी पर एकत्वात् आधिकार्य ता उपभोग करते हैं; दूसरे वे नोंग जिनका कार्य प्रादेश-पालन करना हो जाता है और जो प्रथमोत्त वर्ग द्वारा नाना प्रशार में घोषित होते हैं। इन दोनों वर्गों के हित एक-दूसरे से सर्वेषा निन्म है और उनमें प्रथम या परोदा रूप में अनवर्तन स्थिर जारी रहता है। मार्क्सवाद मानव विकास के महत्वपूर्ण इनिहाय को द्वीप वर्ग-सत्यर्थ की द्याया मानता है। प्रबोल कान में ये विशेष वर्ग स्वतन्त्र मानिक घोर दान के रूप में थे, मध्यकाल में सामन् गण घोर

<sup>१</sup> 'इतिहास संबर', १० फ़ूल, १६३६', पृ० १३२।

<sup>२</sup> 'हाँरता भेदबद', २५ अप्रैल, १६३६', पृ० ३६।

<sup>३</sup> किंद्रीजीवान नगरवाला - गारी एड मार्क्स, पृ० ४३-४४।

<sup>४</sup> नुभासिन - "हम्मोरिहन भट्टिरियानियम" यारा नगेन्द्रेश द्वारा

राष्ट्रीयका और नमाजबादी में उठन, पृ० ८१।

कृपक दास के रूप में भी और आजकल पूँजीपति व श्रमिकों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। वैसे तो समाज में इन आधारभूत वर्गों के अतिरिक्त अन्य कई प्रकार के वर्ग भी पाए जाते हैं परन्तु इन वर्गों के हित अन्ततोत्तमा इन्हीं आधारभूत वर्गों पे से किसी एक के साथ सम्बद्ध होते हैं। मार्क्सवाद उन समस्त साधनों के उपयोग का कटूर समर्थक है जिनके द्वारा वर्ग-संघर्ष को उत्तेजना मिलती है। जो कृत्य वर्ग-संघर्ष की आग पर पानी डालते हैं, मार्क्सवाद उन्हें प्रतिक्रियावादी ठहराता है।

गांधीवाद वर्ग-संघर्ष का नहीं, प्रत्युत वर्ग-सामजस्य का पुजारी है। वह समाज को स्थाथी रूप से दो परस्पर विरोधी वर्गों पे विभाजित नहीं भान्ता। गांधीजी के सर्वोदय-आदर्श में पूँजीपतियों और श्रमिकों दोनों के हितों के सरक्षण और विकास की समान व्यवस्था है। गांधीजी जिस रामराज्य का स्वप्न देखते थे उसमें वह राजाओं और भिखारियों दोनों के अविकारों की रक्षा की बात कहते थे। वह उन्हें और नीचे वर्गों की समस्या का बलाधिग-वर्ग के द्वारा मुलभाना चाहते थे। पूँजीपतियों और श्रमिकों वे समन्वय स्थापित करने की हृषिक से गांधीजी कहा करते थे, “पूँजीपतियों और श्रमिकों को एक-दूसरे का पूरक बन जाना चाहिए। उन्हें एक ऐसे विशाल परिवार के समान होना चाहिए जिरामे वे एकता और सामजस्य के साथ निवास कर सके।”<sup>१</sup> उनका मत था कि “मैं किसी ऐसे समय की कल्पना नहीं कर सकता। जिसमें एक व्यक्ति दूसरे से अधिक धनी नहीं होगा। लेकिन मैं ऐसे समय की कल्पना अवश्य करता हूँ जब अनीर आदमी गरीबों का जोपण कर अग्रीर बनने से घृणा कर देंगे और गरीब आदमी अमीरों से घृणा करनी बन्द कर देंगे।”<sup>२</sup> महात्माजी पूँजीपतियों का नहीं, पूँजीवाद का ही विवर चाहते थे। पूँजीपतियों के लिए परामर्श था कि आपको श्रमिकों का टूस्टी बन जाना चाहिए यथवा आचार्य दिनोवा भावे की शब्दाली में “विवरत वृत्ति से काम लेना चाहिए।”

साधन प्रणाली का भेद—गांधीवाद और मार्क्सवाद में एक प्रधान अन्तर साधन-प्रणाली के भेद को लेकर है। मार्क्सवादी विचारकों के अनुसार यदि हमारे माध्य श्रेष्ठ हैं तो हम उनको प्राप्त करने के लिए कैसे भी साधनों का प्रयोग क्यों न करे, सब क्षम्य है। यही कारण है कि मार्क्सवाद के अनुशासी अपने आदर्शों की सिद्धि के लिए छल, असत्य और हिंसा आदि बुरे समझे जाने वाले उपायों का आश्रय लेना भी अवाक्षणीय नहीं समझते। वैसे तो मार्क्सवादी अपने उद्देश्य लाभ के लिए शान्ति-पूर्ण और वैधानिक कार्यकारियों का भी सर्वथा तिरस्कार नहीं करते, परन्तु उनका

१. “यम इण्डिया, १९२० अगस्त, २५”, पृ० २८५।

२. “यम इण्डिया, १९२१ जुलाई”, २१, पृ० २२८।

विद्वात् है कि सता-च्युत पूँजीवति वर्ग की क्रान्ति विरोधी प्रतिक्रियावादी हलचनों को नष्ट करने के लिए किसी न किसी स्तर पर रक्षणात् और हिमा का उपयोग अवश्यम्भावी है।

गांधीवाद थ्रेट सत्य की प्राप्ति के लिए थ्रेट सत्यों का प्रधापती है। वह पर्हिमा तथा मला का एक निष्ठ पुजारी है और आपने कटूर-मे-कटूर दबु के प्रति भी सदय अवहार का समर्थन करते हैं। चूंकि गांधीवाद की धारणा है कि सूर्णित के प्रत्येक जीव में ईश्वर का अंश है, उसलिए वह मनुष्य के हृदय-परिवर्तन में आसाध रखता है। गांधीजी का मत था कि उनके सत्य और अहिमा के मिलतों का सर्वव सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। वह कहा करते थे कि "हिंगा के ऊपर इसी भी स्थायी वस्तु का निर्माण नहीं किया जा सकता।"<sup>१</sup>

लोकतन्त्र की धारणा—सारसंवाद यिद्धात लोकतन्त्र के बिद्धात की रुप आलोचना करते हैं। उसके भत्ते में यह एक विशुद्ध पूँजीवादी धारणा है जिसका मर्यादा वर्ग के लिए कोई उपयोग नहीं है। द्वारकी ने लिखा था—"लोकतन्त्र एक निकामा और निरर्थक स्वाग है। हम मर्यादा वर्ग के नाम में इसका प्रतिकार करते हैं। लोकतन्त्र के द्वारा शक्ति प्राप्त करने का इरादा यिनकुल वेकार है।"<sup>२</sup> सारसंवाद के अनुवापी 'लोकतन्त्रात्मक केन्द्रवाद' (Democratic Centralism) के बिद्धात भा धनुनश्च अर्थात् करते हैं। वे अपने विरोधियों को भावसु अववा द्रेस आदि तो नोर्मतन्त्रात्मक स्वतन्त्रताएँ प्रदान करने के लिए निक भी अस्तु नहीं<sup>३</sup>। सारसंवादी आपने लक्ष्य-बेध की मुविधा के विचार में चुनावों में भाग भवे ही में से पर उनकी सामाजिक नीति नो भूमिगत धार्यवादियों और समस्त क्रान्ति वा समर्थन करने की है। स्टालिन के पढ़दों जे "दीत और सौदा वह कहता है कि सादोप सभवं त्री समदूरों का मुख्य सधरं है?" या उन्हाम यह गिरे नहीं करना कि समद के बग गहायक के त्वं में हमारी क्रान्ति की माध्यम है और मालदूरों की समस्याएँ इन्हाल व समस्य प्राप्ति के द्वारा ही हल दो यही है?<sup>४</sup> सारसंवादी बेद्वित रूपतन्त्रता को उप समय तक कोई महत्व नहीं देने जब तक कि उसके माध्य प्रार्थित मुख्या गम्भीर न हों।

महात्मा गांधी जन्मजान नोर्मतन्त्रात्मकी थे। उनका भत्ता यह हि "ममली लोक-

१. 'एक डिगिवा, १५ नवम्बर, १९३८' पृ० ३८।

२. एक लोकतन्त्र द्वारा "गांधीज्य एड वन्ड्वित्रम" लेख में उद्दृत, भाइन रिक्सू, नवम्बर, १९५०", पृ० २२।

३. स्टालिन - "प्रोलेटर्स आक नेतिनित्रम" पृ० २३।

न.व नो अहिंसा की ही जात हो सकता है।<sup>१</sup> वह लोकतन्त्रात्मक भारणाओं को व्यक्तिगत के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यविद्यक मानते थे। उनका कहना था कि लोकतन्त्र और वैयक्तिक स्वतन्त्रता के अभाव में 'रामराज्य' की स्थापना असम्भव है। गांधीजी की आदर्श ममत्ज-व्यवस्था में धूंढ़ से धूंढ़ व्यक्ति को महतो महीयत व्यक्ति की उन्मुखत आलोचना करने का अधिकार प्राप्त था। गांधीजी प्रत्येक नवुप्य के लिए आर्थिक नुरका को बहुत अवश्यक स्वीकार करते थे, परन्तु उसकी देवी पर वैयक्तिक स्वतन्त्रता का विलिदान करने के लिए प्रस्तुत नहीं है।

**केन्द्रीकरण, विकेन्द्रीकरण—** मावसंवाद सर्वाधिकारवादी राज्य की मान्यता पर आधारित है। वह सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद का प्रतिपादन करता है। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद में प्रशासनिक और औद्योगिक जकियों का अधिकाधिक केन्द्रोन्मुखी होना सर्वथा नैसर्गिक है। मावसंवाद का अन्तिम आदर्श राज्यविहीन दमाज की स्थापना करना है, पर इतना ठच्चतः केन्द्रोन्मुखी राज्य जैसा आज रुस में देखा जा रहा है, केंद्रे तिरोहित हो जाएगा, वह आमानी से समझ में नहीं आता।

गांधीवाद विकेन्द्रीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। गांधीजी केन्द्रीकरण और लोकतन्त्र को एक दूसरे के विलक्षुल प्रतिकूल मानते थे। उनका कहना था विकेन्द्रीकरण से हिंसा और सर्वाधिकारवाद को प्रोस्थाहन मिलता है। यही कारण था कि महात्मा गांधी बड़े-बड़े उद्योगों, मशीनों और केन्द्रोन्मुखी राजसत्ता के विरोधी थे। रुस में जिस विशाल पैमाने पर औद्योगीकरण और केन्द्रीकरण हुआ, वह गांधीजी को डूष्ट नहीं था। इस सम्बन्ध में उन्होंने लिखा था, "जब मैं रुस की ओर देखता हूँ जहाँ औद्योगीकरण अपने सर्वोच्च विकास पर पहुँच गया है, तब मुझे वहाँ का जीवन प्रभावित नहीं करता। वाडियन की भाषा में यदि मनुष्य अपनी आत्मा को खोकर संसार भी प्राप्त कर ले, तो उसे बया लाभ होगा।"<sup>२</sup> गांधीजी अधिक से अधिक आत्मनिर्भरता और विकेन्द्रित राजसत्ता महित आम पंचायतों की स्थापना का समर्यन करते थे। उनका विश्वास था कि सर्वथेठ जानन तो बही है जो न्यूनतम जासन करता है।

#### १४६. भारत के राष्ट्रवादी आन्दोलन को महात्मा गांधी की देन

**भारतीय राष्ट्रवाद के प्रतीक—** १९११ के पश्चात से भारत के राष्ट्रवादी आन्दोलन का इतिहास महात्मा गांधी वी जीवन-गाथा है। प्रायः तीस वर्षों तक भारत के राष्ट्रवादी द्वी रंगभंच पर महात्मा गांधी ने अपना एकछच्चन आविष्ट्य जमाए रखा।

१. निर्मल कुमार चमु—“सेलेक्शन्स फ्राम महात्मा गांधी”, पृ० ४३।

२. “हरिजन सेवक, २८ जून, ३६”, पृ० ४३८।

इस मध्यमं घबरि में वे मारतीय राष्ट्रवाद के एकमात्र नवचं प्रतीक, प्रणेता और प्रेरक थे। उनके एक-एक कृत्य और वकनवा में स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए अश्रु भाव में संघर्षशील भारत की आत्मा बोलती थी। उनके विद्युमय नेतृत्व और चुम्बकमय व्यक्तित्व ने भारत के स्वातन्त्र्य-भवान को एक नूतन दिशा दी और उसे योग्यता दी गई। इसमें कोई मन्देह नहीं कि महिलाओं की दासतानिका को स्वाग अगड़ाई नेकर उठाये हुए भारतीय राष्ट्र ने महात्मा गांधी के हृष में अपनी भवन्त राष्ट्रीय ग्राकालादों को याकार प्रतिमूर्ति प्राप्त की।

**महात्मा गांधी के पूर्व भारत की राजनीति—भारत के राष्ट्रवादी ग्रान्डोलन को महात्मा गांधी द्वारा महान् देन है,** उसका ठीक-ठीक मूल्याकृत करने के लिए उनके पूर्व की भारतीय राजनीति का धृष्टिज्ञ विहगावलीकर अत्यन्त आवश्यक है। जिस गमय गहान्वा गांधी दिक्षिण याकीका के गव्यावह-गमयर में विजय प्राप्त कर भारत लोटे, उस गमय यहाँ दो राजनीतिक दलों-उदारवादी दल और उपरवादी दल की तृतीय बोल रही थी। उदारवादी दल अपने राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वैधानिक श्रोत ग्रान्डोलन ग्रान्डोलन में विद्याम रखता था। उससा राजनीतिक लक्ष्य उस प्रकार की शासन-प्रणाली को प्राप्त करना था जिसका उपभोग प्रिटिश भारतीय के स्वामानित ऊर्मीनियन करने है। उपरवादी दल विद्युत यापन का कटु अलोचक था। वह अपने राजनीतिक लक्ष्य के सम्बन्ध में विलकून स्पष्ट और निश्चिन नहीं था। उससा 'स्वराज' का लक्ष्य उदारवादियों के 'स्वदानन्द' में बहुत भिन्न नहीं था। उपरवादियों की शासन-प्रणाली में भी प्रस्तुत्या की भलतर मिलती है। आचार्य गुप्तलाली के अवज्ञा में, "ये यह अनुभव करने थे कि परिसिथिति को देखने हुए कुछ वानिकारी कार्यवाही करने की आवश्यकता है, परन्तु वह कानिकारी कार्यवाही क्या होनी चाहिए, इसे बैन नो जानने ही थे, न नियर्सिल ही कर सकते थे।"<sup>१</sup> भक्षेषण महात्मा गांधी के भारतीय राजनीतिक रथमें पर अवनरग के पूर्व देश के राज न कोई रूप्त रायेकर्म था और न कोई निश्चिन राजनीतिक लक्ष्य। ग्रान्डोलन ग्रान्डोलन केवल कुछ मध्यस्थीय विधित जनों तक ही सीमित था यों "हमारी जनता उत्तमा, पांडा और गद्यर मध्य में भरे हुए कुछ दंतेन्द्रियों द्वारा गया था और योग्यता हुई इनी गहरी पृष्ठें नुस्खों थीं कि उसमें इमारं गामाजिह जावन रा गामार राहन् विषाक्त हो गया था, ठीक उमी भवरार गंगा ही नग्न जो फँकड़ों के बन्दुओं से पा जाता है और मनुष्य रा धीरे-पीरे

<sup>१</sup> जॉ. बी० गुप्तलाली "गांधी द्वारा स्वदानन्द", पृ० ६।

किन्तु निश्चित रूप से अल्प कर देता है।<sup>१</sup>

निर्भयता का संदेश— किसी भी संग्राम के सिपाही के लिए निर्भयता अत्यन्त आवश्यक है। भारत के महान् राजनीतिक विचारक चारणक्य और याज्ञवल्य ने लिखा है कि लोकनायकों का सबसे बड़ा कर्तव्य जनता को अभयदान देना है। उन देशों में जहाँ राष्ट्रीय सरकारें विद्यमान हैं, जनसाधारण की निर्भयता भाषण-स्वातन्त्र्य में अभिव्यक्त होती है। यदि जनता सरकार की नीति को बुरा समझती है तो, उसकी निर्भय कठ से आलोचना करती है, उमे किसी प्रकार के दण्ड की शंका नहीं होती। लेकिन उन देशों में जो पराधीनता के पाश में जकड़े होते हैं, जनता को भाषण की अथवा सरकार की मनजाही आलोचना करने की कोई स्वतन्त्रता नहीं होती। भारत में भी यही बात थी। यहाँ “सबसे प्रमुख भावना भय की थी—एक सर्वव्यापी, दुखदायी और गला बोटने वाला भय—फौज का भय, पुलिस का भय, अफसरों का भय, दमनकारी कानूनों का भय, जमीदार के गुमाईते का भय, महाजन का भय और उस वेकारी तथा भूख का भय जो हर समय मुहबाये खड़ी रहती थी।”<sup>२</sup>

महात्मा गांधी ने भय के इन बादलों को तीव्र मास्त के बेग से छिन्न-भिन्न कर दिया। उन्होंने भारतीय जनता को निर्भयता का सन्देश देते हुए घोषणा की, “वह राष्ट्र महान् है जो सदा मृत को तकिया बनाकर सोता है।”<sup>३</sup> वाइकाउण्ट सेम्यूनिल के अनुसार गांधीजी ने भारत को, “अपनी कमर सीधी करना सिखाया, अपनी आँखें ऊपर उठाना सिखाया और सिखाया अविचल दृष्टि से परिस्थितियों का सामना करना।”<sup>४</sup> गांधीजी ने अपने निर्भय नेतृत्व से ‘पूर्वीय दब्दूपन’ के शिकार भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम के सैनिकों को जिस कठिन असिधारा-न्रत पर साहसपूर्वक चलने की प्रेरणा दी, उसमें केवल आकर्षण का ही नहीं, प्रत्युत ग्राम-रक्ता का भी अधिकार वर्जित है।

आन्दोलन का नैतिक आधार—संसार के इतिहास में इस बात का एक भी उदाहरण नहीं मिलता जब कि किसी राष्ट्र ने विदेशी शासन से हिसाँ और रक्तपात के बिना स्वतन्त्रता हस्तगत की हो। इटली के एकीकरण, अमेरिका के स्वातन्त्र्य-युद्ध और आयरलैण्ड के राष्ट्रीय आन्दोलन—सबसे एक ही सत्य मुख्यर होता है कि यदि किसी देश को विदेशी शासनज्यसाही से मुक्ति प्राप्त करनी है, तो हिसाँ और रक्तपात अपरिहार्य है। स्वयं हमारे देश में तिलक जैसे उप्रबादी नेता इस बात का भयंकर

१. जवाहरलाल नेहरू—“राष्ट्रगिता”, पृ० १४।

२. जवाहरलाल नेहरू—“राष्ट्रपिता”, पृ० १५-१६।

३. महात्मा गांधी—“हिन्द स्वराज्य”, पृ० ७३।

४. सर्वपल्ली राधाकृष्णन—“गांधी-अभिनन्दन-ग्रन्थ” पृ० २२८-२९।

करते थे कि माध्य के सम्मुख साधन भविष्य है। उनका कहना था कि यदि हम धेष्ठ आदारों की प्राप्ति के लिए हीन उपायों का यात्रय लेते हैं, तो विनकूल अनुचित नहीं है।

महात्मा गांधी इस विचार के अनुयायी नहीं थे। वह साध्य और साधन में अन्योन्याधित-स्वनन्य मानते थे। उनका विश्वास था कि धेष्ठ माध्य भी प्राप्ति के लिए साधन भी थेहुं होने नहीं हैं। वह भारत की स्वतंत्रता के लिए मनोब उत्सुक थे, लेकिन इसके लिए हिमा, छाल, कपड़ और अगत्य आदि जष्य उपायों का यात्रय लेना उन्हें कठापि इतन नहीं था। उन्होंने एक बार कहा था, “मेरे जीवन-इर्द्दिन में गांधी और साधन का सन्तर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि साधन नों याधिर साधन ही है। मैं कहूँगा कि साधन ही तो यात्रिर नव कुछ है। जैसे साधन होगे, वैसा ही साध्य होगा। हिंगक साधन हिमक स्वराज्य देंगे। वह संसार के लिए और स्वयं भारत के लिए एक नवरा होगा।”<sup>१</sup> गांधीजी ने भारत के राष्ट्रवादी आनंदीन को आज्ञालिक प्रश्ना प्रदान की। उन्होंने देशभक्ति को “पूर्ण आत्मोत्पर्य और गहन धार्मिक उत्साह की उत्तेजित पर उठा दिया।”<sup>२</sup> गांधीजी के नेतृत्व इटिकोग का ही, जिसका उन्होंने राजनीति से अड़िग भाव से पालन किया, वह फल था कि जहाँ उनमें कोई बड़ी भूमि हुई, उन्होंने उसे निस्मकोच भाव से नार्वेजिक स्पष्ट में अपनी ‘हिमालय-नुम्ब भूमि’ कहकर स्वीकार किया, दूनरी के दोपो को भी अपने घोड़ पर से नेने से कभी ग्राम-गोद्धा नहीं गोना, बार करने से दूर्व शव की मर्दव खेनबनी ही और कठोर-मै-फठोर मर्द की घड़ी में भी अपने विरोधी का घपकार नहीं चाहा। उन्हे अपनी दुर्बलताओं और चुराइयों को भी नव के मासमें खोलकर रख देने में हिलक नहीं होती थी। वह ईंगा और चुद्द की भाँति वास से घृणा करने थे, पारी ने नहीं, अन्याय से पृणा करने थे, अन्यायी में नहीं। उन्होंने भारतीय स्वनन्यता नशाम के मिपाहियों का मर्दव यही उपदेश दिया कि वे ख्रिटिय साधारणतावाद के विरोधी बने, ख्रिटिय जाति के लड़ी। उनका कहना था, “मेरे धेष्ठों के विरुद्ध नहीं हैं, धेष्ठों के खिलाफ नहीं हैं, भरतार के विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन अमरत के विरुद्ध हैं, पार्वण के विरुद्ध हैं, अमरत के विरुद्ध हैं।”<sup>३</sup>

जनता का साम्बोधन भारतीय राजनीति में वाधीजी के मुभागमन के पूर्व हमारा राष्ट्रीय स्वनन्यता नशाम के तनु अवधारणावाले लोगों नहीं लोकित

१. “यदि इविड्या—२६ दिसम्बर, १९२१” पृ० १२१।

२. नोन्दुनाथ गुण—“गांधी एड गांधीजी” पृ० २।

३. भारत के प्रभु और वृ० चार० गवर्नर री मार्टिन आक महात्मा गांधी”, पृ० १३५।

था। जन-साधारण से उसका कोई सीधा सम्पर्क नहीं था। भारतीय राष्ट्रवाद की बाह्य कांग्रेस अंग्रेजी पढ़े-लिखे व्यवितरणों की संस्था थी। उनकी सम्पूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी में मंचालित होती थी। उसके समस्त उद्देश्य शिक्षित वर्गों के अधिकारों से सम्बन्ध रखते थे। वह जास्त के ऊंचे पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की माँग करती थी, पर भारतीयों से उसका आश्व अंग्रेजीदाँ शिक्षित भारतीय बर्ग ही होता था। राष्ट्रवादी नेता भारत के ओर्डोगिक पुनरुत्थान की वात अवश्य करते थे, लेकिन इस ओर्डोगिक पुनरुत्थान का आर्थिक आधार क्या हो, इस सम्बन्ध में उनकी कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं थी। उन्हें भारतीयों की निर्धनता का ज्ञान अवश्य था, लेकिन वह ज्ञान उन्होंने पुस्तकों से प्राप्त किया था। वे “उन्नीरा सी भील सम्बे और पल्लह सी भील चौडे भू-तल पर छाए सात लाख गांवों में जगह-जगह विखरे पड़े करोड़ों अधभूलों” की ज्वलत समस्याओं और कठिनाइयों में व्यवहारतः विलकुल ही अपरिचित थे। संक्षेपतः: “उन दिनों की सम्पूर्ण कांग्रेस राजनीति भावनामय और अव्यार्थ थी।”<sup>१</sup>

महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेते ही उक्त गारी रिक्ति को बदल डाला। वह सच्चे अर्थों में जनता के नेता थे। उनकी उटनों तक की धोती भारत की निर्वनता की साक्षात् प्रतीक थी। उन्हें भारत की श्राम-समस्याओं का ठीक परिचय था। उनके गतिजीव तेतूत में राष्ट्रीय आन्दोलन जनता का आन्दोलन बन गया। गांधी जी ने कांग्रेस के संविधान में इस प्रकार संशोधन किया जिससे वह जनता की संस्था बन सके। उनकी प्रेरणा से कांग्रेस की सारी कार्यवाही अंग्रेजी के स्वानन्द पर हिन्दुस्तानी में होने लगी। गांधीजी ने कहा कि असली भारत तो गांवों में वसा हुआ है। उन्होंने कांग्रेस के स्वयंसेवकों को गाँवभर्त्व जाकर काम करने का परामर्श दिया। इस तरह भारत के स्वतन्त्रता-संग्राम की आवाज एक-एक गांव में, एक-एक घर में पहुंच गई। गांधीजी ने जनता को आन्दोलन से लक्ष्य का जान कराया। उन्होंने कहा—“मेरा स्वराज्य तो मरीबों का स्वराज्य है। जीवन की अविद्यकताएँ नरेशों तथा बनिकों के सम्बन्ध-साथ आपको भी मिलनी चाहिए...” मैं इस सम्बन्ध में गतसन्देह हूँ कि स्वराज्य उस समय तक पूरी स्वराज्य नहीं है जब तक आपकी इन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती।<sup>२</sup> गांधीजी ने अपने प्राणवन् नेतृत्व से उस “पतित, कायर और निराश जनता को जिसे अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए सभी प्रमुख दल पीड़ित और पददलित करते थे और जिसमें विरोध की जमित ही नहीं रह गई थी, ऐसा बना दिया जिसमें आत्म-सम्मान की भावना जाग उठी, जिसे अपने पर भरोसा होने लगा, जो

१. ज० वी० कृपलानी—“गांधी दी स्टेट्समैन”, पृ० ७७

२. “शंग इण्डिया, २३ मार्च, १९३१”, पृ० ४६।

अन्याचार का विरोध करने लगी और जिसमें मिलकर काम करने लड़ा एक दंड हिन्दू के लिए त्याग करने की मामत्त्व आ गई।<sup>१</sup>

**क्रान्तिकारी आनंदोलन—**महात्मा गांधी को दृष्टि बात का थय प्राप्त है कि उन्होंने भ.रत के राष्ट्रीय आनंदोलन को लोक-आनंदोलन ही नहीं बनाया, परन्तु उन्होंने “आनंदिकारी आनंदोलन के दृष्टि में भी बदल दिया।”<sup>२</sup> उनमें पूर्व राष्ट्रीय आनंदोलन विशुद्ध वैयानिकवाद तक ही रूपांतरित था। राष्ट्रवादी नेता प्रस्ताव पास करने पर, लेकिन निष्ठने थे, धुग्धाधार भावण देते थे, कभी-कभी सरकार की हल्की-झुज्जवी निरथंक आनंदोचना भी कर बैठते थे। अपने नश्य को प्राप्त करने के लिए ठोण कार्यवाही करने वा उन्हें कोई विचार नहीं सूझता था। गांधीजी दूसरी भानु के बने हुए थे। उनकी “आवाज जान्त और धीरी आवाज थी, लेकिन वह जनता की चीज़ से ऊपर मुनाफ़ देनी थी। यह आवाज कोमल और मधुर थी, लेकिन उसमें कहीं-न-कहीं फीनाशी स्वर दिखा रुक्खा था।”<sup>३</sup> गांधी जी ने जनता को गन्देश दिया कि “वहि हम स्वतन्त्र श्री-गुहणों की भाँति रह नहीं सकते, तो हमें मरमें में मनोष-नाम करना चाहिए।”<sup>४</sup> उनका कहना था, “स्वराज्य एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के लिए दान करायि नहीं है। यह वह शिधि है जिसे राष्ट्र के नर्वेंट्रेट रक्त से खरीदा जाना है।”<sup>५</sup> उन्होंने जनता में यह दी दूक दान कह दी थी कि “स्वराज्य की जप्यतामा में हृष्ण जनियावाना वाग के हुन्याकाण्ड जैसे अन्यायों की वारम्यार आवृत्तियों के लिए तंगार रहना चाहिए।”<sup>६</sup> गांधीजी की राजनीति ने अपने पूर्ववर्ती नेताओं की राजनीति में प्रदान विभिन्न किया। उनकी राजनीति आराम की नहीं, कष्ट की, पनायन की, नहीं, दूखते की, दान की नहीं, कम की राजनीति थी।

## १५०. महात्मा गांधी और समाज-सुधार

**पृष्ठ भूमि—**प्रायः पिछले एक सहस्र वर्षों में भारतीय समाज ऐसी अनंत भीषण नामाजिक कुरींतयों गे पौर्विक रहा है जिन्होंने उनकी उन्नति के मार्ग में अनुच्छेदीय रोड़े घटाकरा दी है। इन वीच में समय-समय पर भारत-भूमि में तोंसे बहुन-

१. जवाहरलाल नेहरू “राष्ट्रपति”, पृ० २०।

२. झूलजैड—“इण्डिया, ए रिमेट्मेंट”, पृ० १८।

३. जवाहरलाल नेहरू—“राष्ट्रपति”, पृ० ५।

४. “यम इण्डिया—५ जनवरी, १९२२”, पृ० १।

५. “यम इण्डिया—५ जनवरी, १९२२”, पृ० १।

६. “यम इण्डिया—१२ फरवरी, १९२०” १००।

से समाज-सुधारकों का प्रादुर्भाव होता रहा है जिन्होंने उन सामाजिक कुरीतियों को मिटाने की प्राणपरण से चेष्टा की। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उन्हें थोड़ी बहुत सफलता भी मिली, पर समयतः सामाजिक कुरीतियों ने भारतीय जनता का पिण्ड नहीं छोड़ा। जित समय भारत में विटिश साम्राज्य की स्थापना हुई, वहाँ कन्या-वद, वाल-चिवाह, शिशु-हत्या, दास-प्रथा, सती-प्रथा और अस्पृश्यता जैसी धातक सामाजिक कुरीतियों अपने निकृप्ततम रूप में विद्यमान थीं। विटिश शासकों ने हमें दो सी बर्पों तक अपने पराधीनता-पाल में ज़फ़े रखा। इसके लिए हम उन्हें चाहे चिल्ठना ही पानी पी-पीकर कोसें, हमें इस बात के लिए उनका हृदय से आभार मानना ही चाहिए कि उन्होंने हमारे सामाजिक जीवन का सुधार करने में महत्वपूर्ण भाग लिया। पालचात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से भारतीयों में दूतन जागृति उत्पन्न हुई और उन्होंने सत्वर सामाजिक-सुधारों की आवश्यकता का यमुनव किया। लाई विलियम वैटिक ने सती-प्रथा, वाल-वद और ठगी का, लाई एलेनबरो ने दास-प्रथा का और लाई डलहौजी ने धार्मिक पूजा के स्थानों पर नर-वलि का अन्त किया। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रह्म-समाज, आर्य-समाज और रामकृष्ण मिशन प्रभृति जो विविध धार्मिक आन्दोलन उड़े, उनका भी भारतीय समाज सुधार के क्षेत्र में अमूल्य योगदान है। गांधीजी ने अपने जनशार व्यक्तित्व से जहाँ राजनीति-क्षेत्र को आलोकित किया, वहाँ समाज-सुधार का क्षेत्र भी उनकी प्रतिभा के प्रकाश से जगभग उठा। उनके हाथों भारतीय समाज-सुधार की दीपशिखा अपने उज्ज्वलतम रूप में प्रकट हुई।

**जय बुधारक**—प्रह्लादमाणि गांधी ने समाज-सुधार के प्रकृत को साधारण मिद्दरी की भाँति नहीं, प्रत्युत उग्र सुधारक की भाँति हल किया। उन्होंने जनता के मन में यह बात बैठा दी कि जिन्हें हम सामाजिक कुरीतियों कहते हैं, वे केवल सामाजिक विध्वन नहीं हैं, प्रत्युत राजनीतिक विध्वन हैं, जब तक हम उनका निवारण नहीं करते, हमारे राष्ट्रीय जीवन का कोई उत्थान नहीं हो सकता। उन्होंने ६ अगस्त, १९२१ को ‘यंग इण्डिया’ में लिखा था, “मेरा समाज-सुधार का कार्य मेरे राजनीतिक कार्य से किसी भी प्रकार कम या हीन नहीं था। तथ्य यह है कि जब मैंने देखा कि मेरा समाज सुधार का कार्य राजनीतिक कार्य की सहायता बिना नहीं चल सकता, मैंने राजनीतिक कार्य को अपने हाथ में लिया और उसी दीमा तक जहाँ तक उसने समाज-सुधार के कार्य में सहायता दी। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मुझे समाज या इस प्रकार की अन्तःशुद्धि राजनीतिक कार्य की अपेक्षा सौगुनी अधिक प्रिय है।”<sup>१</sup> गांधीजी का विश्वास था कि जितनी छोड़ हम यह समझ लेंगे कि हमारी बहुत-सी सामाजिक

१. अन्तर्वार्य कृपलनी द्वारा “गांधी दी स्टेट्स मैन” में उछृत पृ०, २३।

कुरीतियों हमारी याधा को अबरुद्ध करती है, उतनी ही शीघ्रता से हम प्रयत्ने प्रिय सत्य की ओर पग बढ़ाने में वर्षे होते हैं। वह कहा करते थे कि समाज-सुधार को स्वराज्य-प्राप्ति के काल तक स्थगित करना स्वराज्य का भर्त न जानना है।

**अन्तर्राष्ट्रीयादिक एकता—** मने सामाजिक कार्यक्रम में याधीजो अन्तर्राष्ट्रीयादिक एकता को स्थापना को बढ़ावे उपयोगी मार्य ममभते थे। देश ने शान्ति और सुखवस्था के लिए सम्प्रदायिक एकता की महत्ता को जितना उन्होंने समझा था, याद नहीं थी किसो ने नमझा हो। वे साम्प्रदायिक एकता को राजनीतिक हाइट में ही आवश्यक नहीं मानते थे वह भारत की साम्प्रदायिक एकता को मानवता के लिए एक मिसान बना देंगे के आकांक्षी थे। गांधीजी ने इस तथ्य को अच्छी तरह से हृदयंगम कर लिया था कि भारतवर्ष नाना धर्मों, जातियों और गाधनाओं दा देना है, जब तक उनमें परस्पर सहानुभूति और सहिष्णुता का भाव नहीं रहेगा, देश उन्नति नहीं कर सकता। गांधीजी विभिन्न धर्मों के दीर्घ वयन और धनुभव के पश्चात् इस निष्काय पर पहुँचे थे, “(१) सभी धर्म सच्च हैं, (२) सभी धर्मों में कुछन-कुछ गलती है, (३) सभी धर्म मुझे हिन्दू धर्म की भावि प्रिय है”<sup>१</sup>।

महात्मा गांधी की अहिन्दित यही कामना रहती थी कि उनके भवनों का भारत एक ही सनोहर उणवन के तुल्य बने जिसमें विभिन्न धर्मों और सम्प्रदाय सुवर्णित गुरुओं की भाँति सुरक्षित हों। इस यादवं वी भिदि के लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शक्ति की। वह सम्प्रदायिक एकता का धर्य हृदय को वह सच्ची एकता मानते थे जो तोड़ने में भी न हो सके। उनके मन में इन एकता को स्थापित करने की सर्वप्रथम शर्त यह थी कि “हर एक कांग्रेसजन, जाहे वह किसी भी धर्म का वयो न हो, अपने आप में हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, जग्युती, यहूदी आदि का, यांने एक वास्तव म हर एक हिन्दू और वेर हिन्दू का प्रतिनिवि बने”<sup>२</sup>। इनके लिए हर एक कांग्रेसजन को दूनमें धर्म के व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत मित्रता पायन करनी और बदानी चाहिए। उसे भूमि धर्मों के प्रति उतना ही प्राइर रखना चाहिए जितना हि प्राप्त धर्म के प्रति।<sup>३</sup> भारतीय राजनीति में जिस विवास साम्प्रदायिक विभुज का विकास हुआ, उनके लिए गांधीजी मुख्य रूप में रिटार्ड प्राप्त को ही दोषी ढूँडते थे।

महात्मा गांधी भारतवर्ष को एक पध्दी तथा हिन्दुओं और मुसलमलों को उग्रे दो पर बनावा चारते थे। यन् ३६३ में उन्होंने कहा था, “प्राप्त व दानों पर्य याग दी। गांत है और पर्यायाम में उड़कर स्वनन्दना या आरोग्यवद् व मुद्दे तथा नेने म प्रक्षम ।

१ निम्नलिखित चन् - “मेवेदशनम् काम गांधी”, पृ० २२६-२२७।

२ रामनाथ गुप्त - “गांधी-नानी”, पृ० २२८।

है।<sup>१</sup> स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय जब समूर्ण भारत साम्राज्याधिक उपद्रवों वी ज्वाला से भस्मीभूत होने लगा था, गांधीजी को नर्मातक वेदना पहुँची थी और उन्होंने अपनी ढलती आँख और स्वास्थ्य की ओर चिलकुल ध्यान न देते हुए उपद्रवप्रस्त खेत्रों (बिहार और नोआखाली) की पैदल यात्रा की तथा साम्राज्यिक आग पर पानी डालने का प्रयास किया। गांधीजी में आपने जीवन का अन्तिम उपवास (१३ जनवरी, '४८ से १८ जनवरी, '४८ तक) साम्राज्यिक एकता की स्थापना के ही लिए किया था। मह उनके सावंभीम व्यवितर्त्व का ही फल था कि कांग्रेस देश में धर्म निरपेक्ष प्रजातन्त्र की नीव डालने में समर्थ हुई।

**अस्पृश्यता निवारण**—महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता-निवारण के लिए जो प्रक्रिया सर्वर्थ किया, वह उनके राष्ट्र-निर्माण सम्बन्धी सबसे प्रभावशाली कृत्यों में से एक है। गांधी जी अस्पृश्यता को हिन्दू धर्म का कोड़ मानते थे। उनकी कटूरवादियों को चेतावनी थी कि यदि अकूतों के साथ होने वाले अन्यओं का प्रतिकार न किया गया, तो हिन्दुओं का नाश हो जाएगा। भारत के अकूतों को जिग सामाजिक विहिकार का राष्ट्रना करना पड़ता था, उन्हे निम्न से निम्न कार्य करने के लिए विवश होना पड़ता था, उन्हे नन्दिरूपवेश, कुएं से पानी भरने और सावंजनिक स्थानों के स्वच्छन्द प्रयोग जैसे मानवीय अधिकारों से विवित कर दिया गया था, यह सब गांधी जी सहन नहीं कर सकते थे।

ऐतिहासिक हृष्टि से अस्पृश्यता आयों की भारत-विजय का सामाजिक फल था। आयों ने इस देश पर विजय प्राप्त करने के बाद बहुत में विजितों को अपने गुट में मिला लिया। विजितों में ये जो सबसे मिछड़े हुए लोग थे, वे अकूत रह गए।<sup>२</sup> कालान्तर में अस्पृश्यता प्रथा को भास्त्रिक सम्मोहन प्राप्त हो गया। बुँद, रामानुज, रामानन्द, कवीर, नानक, चैतन्य, तुकाराम और दयानन्द, प्रभुति लोकनायकों ने समय-समय पर इस प्रथा को पानी कर देने की चेष्टा की, पर वे अपने लक्ष्य में पूर्ण सफल न हो सके।

महात्मा गांधी अस्पृश्यता-निवारण के लिए कितने आतुर थे, वह इस तथ्य में जाना जा सकता है कि व्यापि धर्म उनके लिए सब कुछ था, फिर भी वह यह कहते हुए नहीं थकते थे कि यदि कोई यह सिद्ध कर दे कि अस्पृश्यता हिन्दू धर्म का एक अनिवार्य ग्रंथ है, तो मैं हिन्दू धर्म को त्याग दूँगा। वह कहा करते थे कि यदि भारत दूसरे देशों

१. हिन्दी नवजीवन—२-११-१९२४, पृ० ६५।

२. ए० आर० देमाई—“सोशल वैकल्पिकउण्ड औफ डिल्यूयन नेशनलिज्म”, पृ०

के द्वारा पददनित किया जा रहा है, तो इसका भूल कारण यही है कि भारत ने अद्यतां के रूप में अपनी पंचमांश जनमंस्यता को पददनित कर रखा है। जब तक हम उन्हें उनकी हीनावस्था में मुक्त नहीं करते, स्वतन्त्रता असम्भव है। उन्हें यह कहने दूष मंकोच नहीं होता या कि “यदि हिन्दू धर्म ने अस्तुश्यता को नहीं ल्याया, तो उसका पर जाना ही श्रेष्ठस्कर है।”<sup>१</sup> दसित जनों के प्रति उनके दूषय में जो प्रशास्त्र प्रेम था निम्न उद्धरण उसका एक परिचय देता है, “मैं फिर गे बन्म लेना गही चाहता, लेकिन यदि मुझे फिर मे जन्म लेना ही पड़े, तो ऐसे एक अद्यत के रूप में जन्म ग्रहण करना चाहूँगा ताकि मैं उनके लेन्डों, कट्टों तथा अपमानों में भाग ले सकूँ सीर इन दर्जनीय परिस्थितियों में स्वयं अपने को लेया उन्हें उद्यार मक्। उसकिए मेरी प्रारंभना है कि यदि मुझे फिर से जन्म ग्रहण करना पड़े तो मुझे ग्राहणग, धार्मोय, वंश्य अपवा घुड़ के रूप में नहीं, प्रत्युत श्रति घूढ़ के रूप में जन्म मिलना चाहिए।”<sup>२</sup>

महात्मा गांधी ने अद्यतां के लिए ‘हिन्जन’ शब्दित् ‘ईश्वर के जन’ शब्द गढ़ा था। १९३२ में जब भारत का नया संविधान बनाने भवित्व ब्रिटिश नागरिकादियों में निर्वाचन के लिए अद्यतां को हिन्दुओं से अन्तर करने का कुचले रखा, गांधीजी ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर पूना पैकड़ द्वारा ब्रिटिश नागरिकादियों के दम कुप्रश्नन को विफल कर दिया। गांधीजी द्वारा सभ्यापिन हिन्जन नेवक मघ ने अद्यतांद्वार की दिशा में न्युत्प्रयाप्ति किया है। हृषि की बात है कि भारत के लाल संविधान न अस्तुश्यता का अनुत्त कर दिया है।

**नारो-जागृति—अर्थात् भारतीय द्रितिहाय की एक रूढ़िव्य विरोधता नारियों की अभूतपूर्व जागृति है।** ब्रिटिश पूर्व भारत में सुल्तान गजिया, नाद खीरी, मुरजहो और यहिन्यादाई होम्कर आदि कुछ उनी-गिनी राजमहिलाओं को छोड़कर दियों सावान्यत पर वी चाहारवीवारी में ही बद रहनी थी। आज भारतीय नारियों में जिन अभूतपूर्व जागरण के दर्जन हो रहे हैं, वे महिलों की मस्ता में राजनीति में भाग लेती, उच्च में उच्च विद्या प्राप्त करती और जीवन के ग्रन्थ थोक में अपने पुण्य भाऊ के साथ कर्म से कथा मिलाकर आगे बढ़ती दियाई दे रही है, उसका बहुत कुछ धर्य महात्मा गांधी को प्राप्त है।

महात्मा गांधी ने भारतीय नारियों की उन्नति दे लिए अवधारितों चेल्टा दी। नारी जाति के प्रति उनके दूषय में अरार भव्यता नहीं भावना थी। वह नारी को एक दामी नहीं, नाथिन गानते थे। उनका विवाह वा फि भानगिर शब्द, यां भी इष्टि

<sup>१</sup> “यम इष्टिया”, २५ मई, २११२, ११।

<sup>२</sup> “यम इष्टिया”, ८ मई, २२, ११।

से नारी नर से किसी प्रकार घटकर नहीं है। वह इस बात का हड़ समर्थन करते थे कि नारी को नर के समान ही आत्मविकास के समलैंग अवसर सुलभ होने चाहिए। उनके अनुसार, “स्त्री अहिंसा की मूर्ति है। अहिंसा का अर्थ है अनन्त प्रेम और उसका अर्थ है कष्ट सहने की अनन्त शक्ति। पुरुष की मात्रा, स्त्री से बढ़कर इस शक्ति का परिच्य अधिक-से-अधिक मात्रा में और कहाँ मिल सकता है?..... युद्ध में फंसी हुई दुनिया आज शान्ति का अमृतपान करने के लिए तड़प रही है। यह शान्ति-कला सिखाने का काम भगवान् ने स्त्री को ही दिया।”<sup>१</sup>

महात्मा गांधी चाहते थे कि स्त्रियों स्वयं को अवला कहना छोड़ दें और अपने सम्मुख सीता, मैथेदी, अमुमुड़ी तथा दमयन्ती जैसी उदात्त सतियों के महनीय आदर्श रखें। उनका कहना था कि “वह स्त्री जो हड़तापूर्वक यह मानती है कि उसकी पवित्रता ही उसके सतीत्व की सर्वांच्च ढाल है, उसका बील सर्वथा सुरक्षित है। ऐसी स्त्री के तेजमान से परमुण्ड चौधिया जाएगा और लाज से गड़ जाएगा।”<sup>२</sup> गांधी जी नारी जाति को जिस प्रकार अद्वा की हृष्टि से देखते थे, निम्न अवतरण उस पर समुचित प्रकाश डालता है, “स्त्री को अवला कहना उसका अपमान करना है। उसे अवला कहकर पुरुष उसके साथ अन्यथा करता है। यदि शक्ति का अभिप्राय पाश्विक शक्ति है, तो निस्तान्देह पुरुष की अपेक्षा स्त्री में कम पशुता है। परन्तु यदि इसका अभिप्राय नैतिक शक्ति है, तो निश्चिततः पुरुष की अपेक्षा स्त्री अधिक जीवितशालिनी है। यदि अहिंसा हमारे जीवन का मूलमन्त्र है, तो कहना होगा कि इस देश का भविष्य श्रियों के हाथ में है।”<sup>३</sup>

महात्मा गांधी को हिन्दू-विवाहार्थी की दमनीय दशा देखकर अपार बेदना होती थी। यद्यपि वह आत्मसंयत और मनोनिप्राह के धोर पक्षपाती थे, परन्तु उन्हें विवाह विवाह अवबोधन की ही आपत्ति नहीं होती थी। वह बाल-विवाहार्थी को कुवारियों ही मानते थे क्योंकि उनकी हृष्टि में बाल-विवाह कोई विवाह ही नहीं था। उन्होंने द्वेष-प्रवा के विरुद्ध भी अनन्ती आवाज उठाई थी और लिखा था, “जब वर कन्या के पिता से, विवाह करने को दया के लिए दण्ड लेता है तब नीचता की हड़ हो जाती है। परंतु के लालच से किया गया विवाह विवाह नहीं है, एक नीच सीदा है।”<sup>४</sup> गांधीजी वरदे भी भत्तमेना करते थे। उनका मत था कि पवित्रता परदे की ग्राह

१. “हरिजन सेवक,” २४-२-४०, पृ० १६।

२. “हरिजन सेवक,” १३-३-४२, पृ० ६७।

३. “हिन्दी नवजीवन,” १०-४-३७, पृ० ३५७।

४. “हिन्दी नवजीवन,” ६-६-२८, पृ० २४।

में रखने से नहीं गनप मिलती, वह तो मन को घुड़ रखने में प्रभावी है। गांधीजी अपनी पतित बहनों को भी नहीं भूल सके। उन्होंने उन्हें पवित्र जीवन-प्रयत्न की प्रेरणा दी। वह मानते थे कि वेद्यावृत्ति उतनी ही पुरातत है जितनी यह दुनिया, पर वह आजकल वीं तरह नगर-जीवन का निवासित प्रगत जायद ही कभी रही हो। उन्होंने भविष्यवासी की थी, "हर हाल में वह समय आएँ जिना नहीं रख सकता जब तक मानव-जाति इस पाप के विशुद्ध आवाज उठाएँ और वेद्यावृत्ति को भूतकाल वीं पन्ना बना देगी।"<sup>१</sup>

**गिरान्तुर्मंडन—**महात्मा गांधी ग्रामीण निकाश-प्रणाली के खटु अनोनक थे। भारतीय विद्यविद्यालयों के सम्बन्ध में उनका विचार था कि इनमें "दिव्य-पिद्यालयों" जैसी कोई विद्येषता नहीं। वे तो परिचमी विद्यविद्यालयों की एक निम्नेज और निप्राण नहल-भर है। यदि हम उन्हें परिचमी मध्यना का स्थानीयोत्त मान करें, तो जायद बेजा न होगा।<sup>२</sup> गांधीजी भारत की अंतमान शिक्षा-प्रणाली को नीन कारणों में सदोष मानते थे—(१) यह देशी सस्तुति की दुर्गं उपेक्षा कर दिएशी सस्तुति पर ध्यान देता है, (२) यह हृदय और हाथ की शिक्षा पर ध्यान नहीं देता तथा अपने को केवल मस्तिष्क वीं शिक्षा तक ही भीमित रखती है।<sup>३</sup>

महात्मा गांधी की हापि में शिक्षा का सच्चा धर्य मन्त्र के दशीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास है। यह शिक्षा का चरम नद्य व्याप्ति का चरित्र-गढ़न मानते थे। उनका विद्याम था कि "माहित्यिक शिक्षा व्यक्ति की नैतिक उंचाई में एक दूर की भी दूँड़ि नहीं करती और चरित्र-निर्माण माहित्यिक शिक्षा में व्यवन्न होता है।"<sup>४</sup> गांधीजी ने जनसाधारण के गाम्भृतिक जागरूण के लिए चुनियादी तात्त्वीय व्यवसा वर्षा-शिक्षा-योजना भी नीब ढानी। उनका मन था कि ग्रामीण निवासी तो सभी आम सर्वी हैं जबकि दशीर के व्यवस्थों हाथ, कान, नाक यदि में इस्तर काम शिक्षा जाए। वर्षा-शिक्षा-योजना में इस भिन्नान्म वा प्रस्त्री भरह में गमांग है। इस शिक्षा-योजना की एक प्रमुख विधेयता यह है कि यह द्यावों की आर्थिक आनंदनिभरना प्रदान करती है।

अंतमान शिक्षा-नद्यति देती भागांशों के शिक्षान के द्वारा उदारीक है। गांधीजी को यह इस्ट नहीं था। उनका कहना था कि हम भानी देनी भागांशों के उन्धान सी

१. "हिन्दी नवीनीयन," २५-५-२५, पृ० २२५।

२. "हरितन मेवर, २१-१-२५," पृ० ६।

३. "यम दण्डिया, १-६-२१," पृ० २३१।

४. "यम दण्डिया, १-६-२१," पृ० २३२।

ओर ध्यान देने की प्रचुर आवश्यकता है। उन्होंने लिखा था, “यह स्पष्ट है कि जब तक हम इस काम को आगे नहीं बढ़ाते, हम अपने स्त्री-पुरुषों के बीच और अपने बर्गों तथा जनता के बीच बढ़ती हुई वौद्धिक और सांस्कृतिक खाई को दूर नहीं कर सकेंगे। यह भी निश्चित है कि देशी भाषाओं का माध्यम ही अधिक-से-अधिक लोगों में मौलिक विचारधारा उत्पन्न कर सकता है।”<sup>१</sup> लेकिन इसका यह आशय कदापि नहीं था कि गांधीजी दूसरी भाषाओं और संस्कृतियों के अनुशील को वर्जित करना चाहते थे। वह तो इस सिद्धान्त के उपासक थे कि, “मैं यह नहीं चाहता कि मेरे घर के चारों ओर दीवारें खड़ी हों और मेरी लिंगियाँ बन्द हों। मैं चाहता हूँ कि सब देशों की संस्कृतियाँ मेरे घर के आसपास वथासम्भव स्वतन्त्रतापूर्वक बहें, परन्तु उनमें से कोई भी मेरे पैरों को उखाड़ दे, यह मैं अस्वीकार करता हूँ।”<sup>२</sup> गांधीजी कहा करते थे कि उच्च कोटि के विद्वान् पुरुषों को अद्वेजी भाषा का ही व्या, अन्यान्य समृद्ध विदेजी भाषाओं का भी अध्ययन कर उनकी चुनी हुई पुस्तकों का देशी भाषाओं में अनुवाद प्रस्तुत करना चाहिए।

हमारे वर्तमान शिक्षा-नियंत्रण में एक भारी त्रुटि यह है कि इसमें छात्रों को नैतिक शिक्षा देने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि आज के युग में राजनीतिक और सामाजिक जीवन के प्रासाद को नैतिक आधार पर खड़ा करना अतीव आवश्यक है। गांधीजी इस त्रुटि को दूर करने के लिए विचालयों में धार्मिक शिक्षा के पक्षपाती थे। धार्मिक शिक्षा से उनका यह अभिप्राय कदापि नहीं था कि वच्चों को धर्म विशेष की रुद्धियों का ज्ञान कराया जाए। धार्मिक शिक्षा से उनका मन्त्रव्य यही था कि छात्रों को सत्य, अर्हिसा, अपरिहर्त्व और वृह्यचर्य आदि उन सार्वभीम नैतिक सिद्धान्तों का ज्ञान कराया जाए जो सब धर्मों के मूल में समान रूप से विद्यमान हैं।

**मद्य-निषेध**—गहात्मा गांधी शराब, अफीम, गांजा आदि मादक द्रव्यों के घोर विरोधी थे। उनकी इच्छा थी कि लोग शराब धीना छोड़ दें क्योंकि मद्यपान विषयान से भी अधिक घातक है। विष तो जारीर की हत्या करता है पर मद्य आत्मा को मार डालता है और भनुध्य को पशु बना देता है। गांधीजी मद्यपान को दुरुण की अनेका दीमारी अधिक मानते थे। उनका कहना था, “मैं ऐसे बहुत से व्यक्तियों को जानता हूँ जो यदि शराब को छोड़ सकते, तो सहीं छोड़ सकते। मैं कुछ ऐसे व्यक्तियों को जानता हूँ जिन्होंने कहा था कि यदि हमसे मद्यपान का लालच दूर कर दिया जाए, तो हम मद्यपान को आवश्य छोड़ देंगे। मद्यपान का लालच उनसे दूर किया गया किर भी के

१. “यंग इण्डिया, २५-४-२०”, पृ० ४६५।

२. “यंग इण्डिया, १-६-२१”, पृ० १७०।

सुक-छित्कर मत्तुपान करते हैं…… रोगी व्यक्तियों को स्वयं अपने ही विशद उपचार की प्रावश्यकता है।<sup>१</sup> गांधीजी का भरकार के लिए परामर्श था कि वह ऐसे विधानित-गृह खोले, जहाँ थके-मर्दे मजदूरों को चिकित्सा दिते और उनके लाकड़ गेले गेलने का प्रबंध प्रबन्ध हो। इस योजना का आवश्यक लोगों को स्वतः मध्यनियेष की ओर प्रवृत्त करेगा। गांधीजी का विचार था कि मध्यनियेष में जनता का शारीरिक, मानसिक और नैतिक सब प्रकार का कल्याण होगा। गांधीजी द्वारा प्रतीति अमहूयोग और मविनय अवज्ञा आनंदोलनों में शराब की दुकानों पर धरना देना एक जरूरी कार्यक्रम रहता था। १९३३ में जब भारत के घारह प्रान्तों में काश्यमी मन्त्रिमण्डलों की स्थापना हुई, उन्होंने गांधीजी के इंगत पर प्रार्थिक हानि को गहरे हुए भी कई स्थानों पर मध्यनियेष की योजना को कार्यनिवत किया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् राज्यों की कायेक मरकारे मध्यनियेष के कार्यक्रम को धर्मभव पूरा करने का प्रयास कर रही है।

#### १५१. गांधीजी की आर्थिक विचारधारा

एक विशिष्ट 'स्कूल'—जिस अर्ब में हम ऐडम सिम्ब और मार्गेल को धर्म-शास्त्री कहते हैं, महात्मा गांधी उस अर्ब में धर्मशास्त्री नहीं थे, फिर भी उनके वर्मीप धर्मने नियंत्रण देवादामियों की सहायता करने के लिए एक व्यावहारिक आर्थिक कार्यक्रम था। यद्यपि महात्मा गांधी ने अर्वशास्त्र पर कोई स्वतन्त्र पोधी नहीं लिखी है, पर जब हम उनकी प्रक्रियां रखनामी का अनुसूतन करते हैं, तभी तभी उनकी आर्थिक विचारधारा का एक सर्वीन चित्र उपस्थित हो जाता है। महात्मा गांधी ने शास्त्रीय हृष्टि ने अर्वशास्त्री न होते हुए भी भारतीय अर्वशास्त्र पर व्यापक प्रभाव डाला है और "धीरे-धीरे हम देखते हैं कि मेवात्राम की विनोत देवी में धर्मशास्त्र का एक ऐसा विनिष्ठ 'स्कूल' पतनपान जा रहा है जो गांधीजी के आर्थिक विचारों को जलवद करने और एक वैज्ञानिक आधार देने में प्रयत्नरत है।"<sup>२</sup> यह दोनों हैं कि गांधीजी की धर्म-शास्त्र अभी शैदायवस्था में ही है और नमधनमय पर उनकी 'व्यव-नीति' भी होती रही है। इनमें पर भी भारत के आर्थिक जीवन में उनका जो महत्वपूर्ण स्थान दून गया है, उसे प्रचलित नये-नुये आर्थिक मिदानों की मध्यांशी डाग नहीं नापा जा सकता जबकि वह इन प्रचलित नये-नुये आर्थिक मिदानों की मूलभूत भाग्यालों को ही गुली चुम्बी देना है।

धर्मशास्त्र प्रोट नैतिकता—महात्मा गांधी और धर्मशास्त्र ममन्त्री मानव-

१. "ब्रह्म ईण्डिया, ६-३-२१", पृ० २१०।

२. डॉ० एच० जॉ० फॉ० धीरामन—“ऐडम मनि गानिष्ठन कानेप्ट प्राक् इस्तीमिति (अमृत वाजार, ११-५-२३)।”

पश्चिम के 'कलासिकल' कहे जाने वाले अर्थशास्त्रियों से विलकुल ग्रलग थी। वह अर्थशास्त्र को न तो मार्शल की भाँति "जीवन के सामान्य व्यवहार में मानव जाति का अध्ययन" मानते थे और न प्रो० केनन की तरह "उन साधारण कारणों की जिन पर मानव प्राणियों का भौतिक कल्याण निर्भर है, व्याख्या" ही स्वीकार करते थे। महात्मा गांधी की इष्टि में तो अर्थशास्त्र जीवन के अन्यान्य सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक आदि पहलुओं से सम्बन्ध था। उनकी आर्थिक विचारधारा का मूलाधार उनकी नैतिक सम्बन्धी भावना है। वह अर्थशास्त्र और नैतिकता के बीच कोई विभाजन रेखा नहीं खीचते थे। उनका विचार था कि वह अर्थशास्त्र जिससे किसी व्यक्ति या राष्ट्र की नैतिकता को घबका पहुँचता है, शत वार त्याज्य है। अर्थशास्त्र और नैतिकता के प्रगाढ़ सम्बन्धों का विवेचन करते हुए उन्होंने लिखा था, "वह अर्थशास्त्र जो नैतिक मूल्य की ओळका और अवहेलना करता है, मूठा है।"<sup>१</sup> उनके मत से "सच्चा अर्थशास्त्र नैतिक भाष्यदण्डों के कभी विरुद्ध नहीं होना। ठीक उसी प्रकार जैसे कि समस्त सच्चे नीतिशास्त्र का थेष्ठ अर्थशास्त्र होना भी आवश्यक है। वह अर्थशास्त्र जो कुवेर की उपासना सिखाता है और दुर्बल के मूल्य पर सबल को धन बटोरने में समर्थ करता है, एक भूठा और हीन विज्ञान है। सच्चा अर्थशास्त्र तो सामाजिक न्याय का प्रतिपादन करता है, दुर्बलतम व्यक्ति के सहित सबका समान रूप से भला चाहता है और ऊँचे जीवन के लिए अपरिहार्य है।"<sup>२</sup>

आर्थिक आदर्श—यद्यपि महात्मा गांधी अपने लिए निर्धनता को ही श्रेयस्कर मानते थे, पर उनकी यह अहिन्दा छच्छा रहती थी कि जन-साधारण का दारिद्र्य मिटे। वह इसके लिए कठिन श्रम भी करते थे। आज समाज में धन का जो विषम विभाजन है, महात्मा गांधी उसे एक गहरी सामाजिक दुराई के रूप में देखते थे। उनके अनुसार "किसी स्वस्थ समाज के अन्दर चन्द आदियों में धन का केन्द्रित हो जाना और लाखों का बेकार होना एक महान सामाजिक अपराध या रोग है जिसका इलाज अवश्य होना चाहिए।"<sup>३</sup> महात्मा गांधी आर्थिक रामानता को अहिसक स्वतन्त्रता की गुरुकृजी मानते थे। उन्होंने लिखा था, "आर्थिक समानता के प्रयत्न के माने पूँजी और श्रम के शाश्वत विरोध का परिहार करना है। उसके माने ये है कि एक तरफ से जिन भुट्ठी-भर धनांडों के हाथ में राष्ट्र की सम्पत्ति का अधिकाश एकत्रित हो गया है, वे नीचे को उतरे, और जो करोड़ों नगे और भूखे हैं, उनकी भूमिका ऊँची उठे। जब

१. "यग इष्टिया—२६ दिसम्बर, १९२४", पृ० ४२१।

२. "हरिजन—६ अक्टूबर, १९३७", पृ० २६२।

३. 'हरिजन सेवक—८ जून, १९४०", पृ० १३८।

तक मालदार और भूखो जनता के बीच यह नीड़ी खाई भीमुद है, तब तक अहिंसक राज्य-प्रवृत्ति सर्वथा अवश्यक है\*\*\* अगर सम्पत्ति का और सम्पत्ति से होने वाली सत्ता का मुक्ति ने त्याग नहीं किया जाएगा और सर्वेजनिक हित के लिए उनका सविभाग नहीं किया जाएगा, तो हिंगक भ्रान्ति और रक्तपात्र यजरायम्भावी है।"<sup>१</sup> महात्मा गांधी ने भारत के सार्वजनिक गंगाटन का वित्त सौचते हुए कहा था कि "उनमें भोजन और कपड़े की किमी को कमों नहीं रहेगी।"<sup>२</sup> उनका विचार था कि यदि उत्पादन के माध्यमों और जीवन की प्रारम्भिक आवश्यकताओं पर जनता का नियन्त्रण हो जाए, तो ये ग्रामीण सर्वथा शास्त्र किए जा सकते हैं। वह कहा करते थे, "ये बस्तुएँ सबको टीक उनी प्रकार प्राप्त होनी चाहिएँ जिस प्रकार कि इस्तर की वायु और पानी सबको प्राप्त हैं अथवा होने चाहिएँ। उन्हें हमरों के शोषण का साधन बना सेना उचित नहीं है।"<sup>३</sup> महात्मा गांधी के मन में उत्पादन के माध्यमों और जीवन की प्रारम्भिक आवश्यकताओं पर किमी देख जानि या जननमूल का एकाधिकार सर्वथा अन्यायपूर्व है।

'गांवों की ओर चलो'—भारत जैसे महादेश के लिए निष्पत्ती ६०% जनसूखा गावों में बहनी है, गांवों को उपेक्षा की दृष्टि में देखना आत्मधात के समान ही है। प्राचीन काल में भारतीय गांव जीवन भी प्रारम्भिक आवश्यकताओं में स्वाधीनी होने थे, वचायतों-प्रथा के द्वारा अपनी शास्त्र भार करते थे और देश के धार्यिक व नास्कृतिक जीवन के मेष्ठात्तु बने हुए थे। महात्मा गांधी का इटिम शास्त्र पर एक गम्भीर प्राक्षेप यह था कि उमने भारत के माल वाले गांवों को मरणामन्त्र स्थिति में गढ़ना दिया है। उन्होंने देशवानियों को 'हे अपमा हिन्दुस्तान वहाँ, वह बगा हमारे गांवों में' पाठ वास्तव्यार पढ़ाया। उनका मन्देश था कि देश के मास्कृतिक, भासानिक, धार्यिक और राजनीतिक जीवन पर धरधार में विद्युत एक जगह गड़ रहने वाले मजदूर यां का नहीं, अर्य-दिवान भाजन या अराजी समाज का नहीं, प्रत्युत यर्जन स्वभाव प्राप्तीय जनता का प्रभुत्व होना चाहिए। इमीं उद्देश्य को सामने रखकर उन्होंने 'गांवों की ओर चलो' का नारा उठाया था। भारत के गांव अविभान्न-पथ-रूपों और सर्वीयों इटिमों जैसे अनश्वा ध्यायियों ने बीड़ित है। गांधीजी ने नींगों न पलाया कि वे गम्भीरनामय हृदय जैकर गांवों में जाएं, वहाँ के निवायियों के नुग दृ में एकरम होकर चुन्ने-मिलें, उनकी सम्प्यायों को महानुभूति में नमन करों और उन समाजमें प्रवृत्त हों। गांधी जी नारा यह विश्वास था कि यदि गांव नष्ट हो जा-

१. गांधीजी—'कस्टुविटव प्रोग्राम इटम बीनिय ग्रॅड ब्यैम', पृ० १८।

२. "दग ट्रॉपिका, १५ नवम्बर, १९३८", पृ० ३८।

३. "दग इण्डिया, १५ नवम्बर, १९३८", पृ० ३८।

भारत नष्ट हो जाएगा, भारत के अस्तित्व के लिए ग्रामों का उत्थान अतीव आवश्यक है। वह कहा करते थे, “अब तक हमें जीवित रखने के लिए सहस्रों गांव मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। अब हमें उनको जीवित रखने के लिए मृत्यु को प्राप्त होना चाहिए।”<sup>१</sup> उनकी ग्राम-स्वराज की मान्यता ऐसे पूरण सणराज्य की मान्यता थी जो अपनी बड़ी-बड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने पड़ोसियों से स्वतन्त्र हो, लेकिन ऐसी बहुत-सी बस्तुओं में जिनमें अन्योन्याधित होना आवश्यक है, अन्योन्याधित भी हो।

**मशीनों का विरोध**—मशीनें जो आवृनिक सम्यता की केन्द्रविन्दु हैं, गांधीजी की हृष्टि में महापाप हैं, क्योंकि वे “सांप के बिल हैं जिनके भीतर एक नहीं सैंकड़ों सांप होते हैं। एक के पीछे दूसरा निकलता ही आता है। जहाँ कल-कारखाने होंगे, वहाँ बड़े चहर होंगे ही। जहाँ चहर होंगे वहाँ रेल और ट्राम होनी ही चाहिए। विजली की दीशनी की जहरत भी वही होती है। आप सच्चे बैद्य-डाक्टर से पूछें तो वे आपको बताएंगे कि जहाँ रेल, ट्राम आदि बड़ी हैं, लोगों की तनुष्ठानी बिगड़ गई है।”<sup>२</sup>

भारत की आर्थिक प्रवृत्ति में कल-कारखानों की मार का बहुत बड़ा हाथ रहा है। मैचेस्टर की मार ने भारत को जो हानि पहुँचाई है, उसकी कोई हद नहीं। भारत के हस्तकला-कौशल जो प्रायः समाप्त हो गए, वह मैचेस्टर की ही कृपा है। गांधीजी के अनुसार भारत में मिलें खड़ी करने से वह अधिक अच्छा होगा कि हम मैचेस्टर को पैसा दें और उसका रही-रही माल इस्तेमाल करें क्योंकि “उसका कपड़ा काम में लाने से तो हमारा केवल पैसा ही जाएगा” जबकि “हिन्दुस्तान में मैचेस्टर बनाने से हमारा पैसा तो हिन्दुस्तान में रहेगा पर वह हमारा खून लेगा क्योंकि वह हमारे चरित्र का नाश करेगा...यह मानना नासमझी ही होगा कि अमेरिका के राकफेलर से हिन्दुस्तान का राकफेलर अच्छा होगा।”<sup>३</sup>

मशीनों के ऊपर गांधीजी का मुख्य आक्षेप यह है कि “वे अम की इतनी बचत कर डालती हैं कि हजारों को भूखों मरना पड़ता है और उन्हें तन ढकने तक को कुछ नहीं मिलता।”<sup>४</sup> समय और परिवर्ष का बचाव गांधी जी भी चाहते थे लेकिन “वह मुट्ठी-भर आदमियों के लिए नहीं विक्क सारी मानव-जाति के लिए...आज यन्त्रों के कारण लोगों की पीठ पर मुट्ठी-भर आदमी रवार हो बैठे हैं और उन्हें गता रहे-

१. “यंग इंडिया: १७ अप्रैल”, २४, पृ. १३०।

२. गांधी जी—“हिन्दु स्वराज्य” (हिन्दी, सस्ता साहित्य मण्डल, ४७)

पृ. १०६-११०।

३. गांधी जी, “हिन्दु स्वराज्य” पृ. १०७।

४. “हिन्दी नवजीवन, २ नवम्बर, २४”, पृ. ६०।

है वयोंकि इन यन्त्रों के चलाने के मूल में लोभ है, धनतृप्ति है, जन-कल्याण की भावना नहीं।<sup>१</sup>

लेकिन गांधीजी यन्मत्र के विरोधी नहीं थे वयोंकि "मैं जानता हूँ मेरा शरीर ही एक बड़ा नालुक यन्त्र है। मेरा विरोध यन्त्रों के सम्बन्ध में फँसे दीवानगन के साथ है, यन्त्रों के साथ नहीं।"<sup>२</sup> गांधीजी सिंगर की मणीन जैसी उपयोगी मणीनों का कोई विरोध नहीं करते थे। उनका कहना था कि हमें उन परेलू मणीनों में जिनका प्रयोग लाखों हजार-पुरुष कर सकें, हर प्रकार के मुद्दार का स्वागत करना चाहिए।

कुटीर-उद्योगों का जीर्णोद्धार—गांधीजी की आर्थिक विचारधारा में कुटीर उद्योगों के जीर्णोद्धार को बहुत आवश्यक स्थान प्राप्त है। उनके अनुसार अहिंसा और केन्द्रित उद्योगों का एक नाश निर्वाह नहीं हो सकता। विशाल पैदावार प्रकृति और मनुष्य दोनों का शोपण करता है। फलतः गांधीजी भारत के श्रोद्योगीकरण के विरोधी थे। इस सम्बन्ध में डग्होंमें यह स्पष्ट तिखा था, जब भारत का उद्योगीकरण हो जाता है और वह दूसरे राष्ट्रों का शोपण प्रारम्भ कर देता है जैसा कि उनके श्रोद्योगीकरण पर भवश्यमभावी ही है, तब वह दूसरे राष्ट्रों के लिए एक अभियाप, संसार के लिए एक खतरा बन जाएगा। क्या श्राप स्थिति को यह दुर्घटना नहीं देखते हैं कि हम अपने तीस लाख बेकार लोगों के लिए काम पा सकते हैं लेकिन इंगलैण्ड आने तीन लाख बेकार लोगों के लिए काम नहीं पा सकता और एक ऐसी समस्या में घिरा हुआ है कि जिसके भवाधान में नहीं के बड़े-बड़े औद्योगिक दिग्मजों की बुढ़ि हैरान है... पदि उद्योगीकरण का भविष्य परिचय के लिए अधिकारमय है, तो क्या वह भारत के लिए और अधिक अन्धकारमय नहीं होगा।<sup>३</sup>

गांधी जी भारत में नादी और चरते के प्रचार को भव्यधिक महत्व देने थे। वे खादी को मूलिकतात और चरते को स्वराज्य का मवसे बड़ा हवियार कहा करते थे। चरम्भा उनके अहिंसक समाज की बुनियादी इंट था। गांधीजी वो हृष्टि में चरखा उनके रचनारमण का योग्यकरण के प्रहमपड़न में गूँजे के भूमा था। उन्होंने बनाया कि जिस प्रकार भारत के किमान अपने देट के लिए अनाज पैदा करके स्वाधीनी बने हुए हैं, उसी तरह वे अपने मेनों में पैदा की हुई कपास को अवकाश में बानकर बगड़ा तैयार कर सकते हैं और विदेशों में जाने जाने करोड़ों ग्रामीं को बचा सकते हैं। मनुष्य की दो ही बड़ी आवश्यकताएँ हैं, रंटी और कपड़ा। जब ये उमे मृत ग्राज हो जाएँगी

<sup>१</sup> "हिन्दी नवजीवन, २ नवम्बर, २६", पृ. ६०।

<sup>२</sup> "हिन्दी नवजीवन, २ नवम्बर, २६", पृ. ६०।

<sup>३</sup> "दग इंडिया, १० नवम्बर, २४", पृ. ३८६।

उसे दूसरों के मुँह की ओर न ताकना पड़ेगा, वह स्वावलम्बी और स्वाक्षरी बन जाएगा। खादी के सम्बन्ध में उन्होंने स्पष्ट घोषणा की थी, "स्वराज्य के समान खादी भी राष्ट्रीय जीवन के लिए इवास जितनी ही आवश्यक है। जिस तरह हम स्वराज को नहीं छोड़ सकते, उसी तरह खादी को भी नहीं छोड़ सकते। खादी छोड़ देने के माने होंगे भारत की जनता को बेब देना, भारत की आत्मा को बेच देना।" <sup>१</sup> महात्मा गांधी ने खादी और चरखे के प्रचार के लिए चरखा संघ की स्थापना की थी। चरखा संघ की शाखाओं-प्रशाखाओं ने सारे भारत में फैलकर लाखों लोगों को खादी-चरखे का भवत बनाया।

अम और पूँजी—महात्मा गांधी साम्यवादी विचारकों द्वारा प्रतिपादित वर्ग-संघर्ष के लिङ्गान्त में विश्वास न रखकर वर्ग-सहयोग और वर्ग-सामंजस्य के सिंहान्त में विश्वास रखते थे। उन्हें श्रमिकों द्वारा पूँजीपतियों का उन्मूलन इष्ट नहीं था क्योंकि उनकी धरणा थी कि पूँजीपतियों का भी, चाहे वे कितनी ही शोषक-वृत्ति के क्यों न हों, हृदय परिवर्तन हो सकता है। गांधीजी के मत से यदि पूँजीपति श्रमिकों के प्रति पितृतामक भाव अपना लें और उन्हें अपने धनोंप्रभोग में सहभागी बना लें तो वे भी समाज के प्रति अपूर्व उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। अपने एक वक्तव्य में उन्होंने कहा था, "श्रमिकों को पैदावार के सावनों का सेवक होने के स्थान पर, जैसा कि वे आजकल हैं, स्वामी होना चाहिए। पूँजी को श्रम का दास होना चाहिए, स्वामी नहीं।" <sup>२</sup> गांधीजी की श्रमिकों और पूँजीपतियों [दोनों] के लिए यह सलाह उचित ही थी कि उन्हें एक और तो एक दूसरे का तथा दूसरी और उप-भोक्ताओं का दृस्टी बन जाना चाहिए। यदि वे ऐसा कर सकें, तो उनके श्रापसी विवाद नाममात्र को ही रह जाएंगे।

महात्मा गांधी का विचार था कि श्रमिकों को उद्योगों के प्रबन्ध और नियमन में भाग लेने का, उचित अवकाश, अच्छा वेतन पाने का अधिकार मिलना चाहिए। वर्तमान काल में व्यक्तियों की जो दशनीय स्थिति है, उससे उन्हें अपार झोभ होता था और उनका यह बार-बार कहना था कि श्रमिकों के नेतृत्व और वीद्धि विकास के लिए भगीरथ कोशिश करते की प्रचष्ट आवश्यकता है। यदि पूँजीपति श्रमिकों की न्याययुक्त मार्गों को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार तैयार न हों, तो गांधीजी के अनुसार श्रमिकों को अहिंसक हड़ताल करने का पूरा अधिकार है।

<sup>१</sup> "हिन्दी नवजीवन—१९ जनवरी, २८", पृ. १७३।

<sup>२</sup> डा० धावन द्वारा उद्दृत—"पोलिटिकल फिलासफी और महात्मा गांधी"

## अनुक्रमणिका

- अधिकार, नागरिकों के मूल, ३४०-४५  
 अधिनियम, १८५८ का भारत-भरकार,  
 ११-४  
 के प्रमुख उपचर्य, ११-३  
 की समीक्षा, १३-४  
 अधिनियम, १८६१ का भारत परिवद्  
 १५-८  
 की पृष्ठभूमि, १५-६  
 के प्रमुख उपचर्य, १६-३  
 की समीक्षा, १७-८  
 अधिनियम, (१८४३) भारत स्वतंत्रता,  
 ३२७-२८  
 अन्तरिम भरकार, ३२३-२५  
 अरविन्द पोप, १२-३  
 असी, मीलाना मुहम्मद, १४६  
 असहयोग आन्दोलन, १६६-२१७  
 पर कांग्रेस की स्वीकृति, २१०-११  
 का कार्यक्रम, २१०-१४  
 का मूल्यांकन, २१५-१३  
 आजाद, अबुल कलाम, १८५-८६  
 आजाद हिन्द फौज, ३२६-३२  
 आन्दोलन, वहिकार और स्वदेशी, ६३-४  
 भारत छोड़ी, (१८४२) २६६-३०२  
 इण्डिया कौमिल, १६४-६६  
 इण्डियन एमोसिएशन, २१-२  
 इण्डियन कौमिल एकट (१८८२ का) ३१-३  
 इल्वट विल, २२-३  
 उत्तर राष्ट्रीयता, ७५-१०२  
 बंगल में, ६०-६४  
 महाराष्ट्र में, ८४-८०  
 के निदान और माध्यन, ६५-८
- और कांग्रेस, ६६-१०१  
 और मालै मिष्टी मुधार, १०२  
 और जातन, १०१-२  
 और हिन्दु विचारधारा पर वल,  
 १२५-२६  
 और हिन्दु पुनर्ष्वान, ६८-८  
 उत्तराधिकार के कारण, ३६-८३  
 उदार राष्ट्रीयता, ५८-६२  
 का मूल्यांकन, ५८-६०  
 की मनोवृत्ति और कार्यपद्धति, ५४-८  
 उत्तराधिकार, ३६६-६३  
 ओडियर, मर माइकेल, २०५  
 क्षाम ग्रायात्रकर, २०  
 कर्जन का प्रतिगामी शाश्वत, ३६-८१  
 कलकत्ता कारपोरेशन एकट, ८०  
 क्रान्तिकारी राष्ट्रवाद, १०२-३  
 का प्रथम चरण, १०३-५  
 का उत्तरकाल, १०१-३  
 की प्रकृति और साधन-प्रयुक्ति, १०५-८  
 पंजाब में, १०४  
 बंगाल में, १०६  
 बिहारी में, १०६-७  
 लिप्प मिशन, २६५-६६  
 कांग्रेस, देश में एक अफिल, ८८-  
 का प्रारम्भिक रूप और कार्यक्षेत्र,  
 ४६-५०  
 के कार्य का विवाचनोरुज, ५०-५८  
 कांग्रेस-स्वीकारक ममकोना (१८९१),  
 १८८-८६, १५२  
 कार्यकारिणी परिवद्,  
 गवर्नर जनरल री, १३१-१३

- कार्यकारिणी, प्रात्तीय, १८३-८५  
 निषेधालिका, संघीय (१९३५),  
 २६१-६४  
 केवल, डाकटर, २०६  
 केन्द्रीय व्यवस्थापिका, १७४-१८०  
 हैविमेट निशान, ३२०-२३  
 हिलाकत प्रश्न, २०८-९  
 गणपति-उत्तम, ८४  
 गवर्नर, १८५-८७, २७०-७३  
 की विशेष कवितायाँ, १७७-७८  
 के विशेष उत्तरदायित्व, २७२-७३  
 और उसकी कार्यकारिणी परिषद्,  
 १८५-८६  
 गवर्नर जनरल, १६८-७१  
 की कार्यकारिणी परिषद्, १७१-७४  
 शुहू-सरकार (१६१६), १५६-६६  
 शुहू-सरकार (१६३५), २७८  
 गांधी-इविन पैकट, २४४-४५  
 मोखले, गोपालकृष्ण, ६७-८  
 गोलमेज परिषद्, २४२-४४  
 धोथ, अरविन्द, ६२-३  
 धोषणा-ग्रन्थ, दिल्ली का, २३६  
 धोषणा, २० अगस्त १९१७ की, १५३  
 ए अगस्त १९४० की, २६२-६३  
 महारानी चिपटोरिया की, १४-५  
 लाड़ इविन की, २३६  
 चेस्सफोड़, लाड़, १५१  
 जला, मोहम्मद अली, १४६-४७  
 की जोदह गांते, २३४-३५  
 नियंत्रिता का हत्याकाण्ड, २०६-७  
 यूक-न्यायेवन पत्र, १५२-५३  
 पट्टी-जाता, २३६
- डाकर, जनरल, २०६  
 लिलक, बालगंगाधर, ८४-९०  
 और गांधी, ८८-९०  
 और गोखले, ८८  
 और सूरत की फूट, ८५-६  
 और होमखल आन्दोलन, ८६  
 का चरित्र और हृष्टिकरण, ८६-९५  
 तंयबली, बद्रुदीन, ७१  
 दादाभाई, नौरोजी, ६५-७  
 दिलाया, एदलजी वाचा, ७०  
 देशी राज्य, ४०६-१६  
 का जोकतन्त्रीकरण, ४१४  
 का विलीनीकरण, ४१३-१४  
 की पुष्टमूलि, ४०६-१०  
 और सार्वभीम सत्ता, ४१०-११  
 स्वतन्त्रता के बाब, ४१२-१५  
 धर्म-निषेध राज्य, भारत एक, ३४६-५२  
 धार्मिक पुनर्जीवन और राष्ट्रीयता,  
 ३२-४०  
 न्यायालय, संघीय (१९३५), २६७-६८  
 न्यायालय, सर्वोच्च, भारत का, ३७६-८३  
 नाइट्रीत पेमोरेण्डम, १५१-५२  
 निर्देशक तथ्य, राज्य की नीति के,  
 ३४५-४७  
 नेहरू रिपोर्ट, २३२-३५  
 पंजाब की दुर्घटनाएँ, २०५  
 पद-ग्रहण, २८३-८८  
 प्रधान मन्त्री, ३७०-७१  
 पाकिस्तान का विरोध, ३१७-१८  
 की मांस के कारण, ३०८-१२  
 के लिए आन्दोलन, ३१६-१७  
 क्रिया योजना और, ३१६

- |  |  |
|--|--|
| पाल, विपिनचन्द्र, ६२                                   | का भारतीय राजनीति में<br>प्रवेश, २०२-५         |
| प्रान्तीय कार्यकारिणी<br>(दृष्ट जासुन प्रणाली), १६३-८५ | का ढाढ़ी कूच, २३८                              |
| प्रान्तीय सरकार (१६३५), २६८-३५                         | का राजनीति दर्शन, ८७६-३३                       |
| प्रान्तीय व्यवस्थापिका, १८०                            | के ग्राहिक विचार, ४५१-५६                       |
| प्रान्तीय विधान मण्डल (१६३५), २७५-३३                   | के समाजिक विचार, ४४३-४५                        |
| प्रान्तीय स्वायत्तता, २६८-३०                           | और अहिंसा, ४२७                                 |
| पार आचरण, २८२-८७                                       | और मावर्मवाद, ४३३-३८                           |
| पृथक्कृतावाद में पृथक्करण की ओर, ३०७                   | और विद्व-गान्ति, ४३१-३२                        |
| परिषद्, मुसलमान रथा, ११८-१२                            | गुनः मैदान में, २२३                            |
| बंगाल विभाजन (१६०५), ८१-३, ११६                         | भारत के राष्ट्रीय आनंदोलन<br>को देन, ४३८-४३    |
| वेक, प्रिसिपल, ११५-१७                                  | राजभक्त से राजदीही, २०४                        |
| वैनर्जी, उमेशचन्द्र, ७०                                | राजनीतिक तेता के हप में, ४१८-२१                |
| वैनर्जी, मुरेन्द्रनाथ, ६२-४                            | महायुद्ध, प्रथम, और वेधानिक मुद्दार,<br>१५०-५५ |
| वीसेन्ट, शीमली, १३६-४८                                 | और भारतीय राष्ट्रीयना, १६६-२०१                 |
| योस, सुभाष, ३२६-३२                                     | के बीच भारतीय राजनीति,<br>१३७-४५               |
| बहिष्कार और स्वदेशी आनंदोलन, ६३, ६८                    | महायुद्ध, द्वितीय और भारत, २८८-८०              |
| भारत छोड़ी आनंदोलन, २६६-३०२                            | माटोग्यू-जेम्सफोर्ड प्रतिवेदन, १५८-१५          |
| भारत मन्त्री, १६०-६८, २७८                              | माटोग्यू-जेम्सफोर्ड योजना, १२३-१६              |
| भारत शासन मन्त्रियो एकट (१६१६),<br>१५३-६८              | मालै-मिट्टी-गुप्तार, १२८-३५                    |
| भारत संघ, ३५२-४६                                       | मुमनयान रथा परिषद्, ११८-१८                     |
| भारत परिषद् अधिनियम (१८६१ का),<br>१५०-१८               | मुहिम मिट्ट-मण्डन, ११६-२०                      |
| भारतीय राष्ट्रीयता का जनकरण, १८-२८                     | मूल धरितार, नागरिकों के,<br>३६०-६२             |
| क्रिटिक घासन की देन, ८१-२                              | मैठस, किरोनगाह, ३००-१                          |
| भारत-विजय, धर्मेंजो की १-१                             | गवर्नोरानानारी वा प्रस्ताव, ३१८-२०             |
| भारतीय विद्रोह, २-१०                                   | रानाई, महारेड गोमिन्द, ११                      |
| भारतीय विद्विविश्वास्य एकट (१६०५), ५०                  | राज्य, भारत गप के, ३८५-८८                      |
| मन्त्री परिषद्, २३३-३४, २६३-६८                         | वा मन्त्रीमण्डन, ३६१-६३                        |
| की पायं-प्रगती, ३६८-३९                                 |  |
| महायुद्ध गांधी, २०२-१, ८१८                             |  |

- का विधान मण्डल, ३६७-६८  
 की कार्यपालिका, ३६१-४०२  
 भाग (क) के, ३८५-४०७  
 भाग (ख) के, ४०४  
 भाग (ग) के, ४०६  
 राज्यपाल, ३६१-६५  
 राज्य परिषद्, ३७१-७६  
 राष्ट्रीयता, धार्मिक पुनर्जीवितण  
 और, ३२-४०  
 राष्ट्रीय आनंदोलन के कारण, २६-४०  
 राष्ट्रीय महासभा का जन्म, ४२-३  
 राष्ट्रीय सम्मेलन, २३-४  
 राष्ट्रपति, ३५६-६६  
 का निर्वाचन, ३५७-५८  
 की अहंकारी, ३५८  
 की पदच्युति, ३५८-५९  
 की शक्तियाँ, ३५९-६०  
 की आपातकाल शक्तियाँ, ३६०-६४  
 स्वेच्छाचारी या ध्वजमात्र  
 आसक ?, ३६४-६६  
 लेट एक्ट, २०१-२  
 खनन एक्ट १४८-४४  
 राजपत्राय, लाला, ४४-५  
 यवित्तमत सत्याग्रह, २६४  
 आचा, दिनशा एदलजी, ७०  
 बेंद्रोह, १८५७ का भारतीय, ५-१०  
 बदेशी शासन के दोष, ३-५  
 विद्येयक, भारतीय शस्त्र, १६  
 वर्नावियुलर प्रेस, १६-२०  
 विविन्दनद पाल, ६२  
 विभाजन, वगाल का (११०५), ११-४  
 विरोधी आनंदोलन, ६१  
 का अन्त, ६४  
 विविच्यालय एक्ट भारतीय (११०४), ८०  
 वैविल योजना, ३०२-३०४  
 वैधानिक परिवर्तन, विद्रोह के पश्चात्,  
 १०-१८  
 शिवली, गोलाना, १४७  
 शिमला सम्मेलन, ३०२-३०४  
 शिवाजी उत्ताव, ८४-५  
 संघीय कार्यपालिका (१६३५), २६१-६४  
 संघीय कार्यपालिका, ३५६-७१  
 संघीय न्यायालय, २६७-६८, ३७६-८३  
 संघ तथा राज्यों के सम्बन्ध, ३८६-९१  
 सत्यपाल, डाक्टर, २०६  
 सत्याग्रह अवित्तन, २१४  
 सत्यद अहमद खां, ११५-१७  
 सरकार, राज्य की, ३८५-४०८  
 सर्वोच्च न्यायालय, ३७६-८३  
 सविधान की विशेषताएँ, नए, ३३८-४०  
 सविधान सभा, ३३५-३८  
 ससद, ३७१-७६  
 की शक्तियाँ और भवित्वाएँ, ३७७-८३  
 के दो सदनों के पारस्परिक  
 सम्बन्ध, ३७६-७७  
 स्वराज्य दल, २१७-२२  
 और कौमिल प्रवेश, २१७-२०  
 की सफलताएँ, २२०-२१  
 के सिद्धान्त और कार्यक्रम, २१६-२०  
 साइमन कमीशन, २२८-३१  
 का उद्देश्य, २२६  
 का बहिष्कार, २२६-३१  
 की नियुक्ति, २२८  
 की रिपोर्ट, २३०-३१  
 साम्प्रदायिक और विशेष निवाचन,  
 १३३-३४  
 साम्प्रदायिकता, भारत में, १०८-२६  
 सविनय अवज्ञा आनंदोलन, २३८-४१  
 का कार्यक्रम, २३८-४०  
 की तैयारी, २३८-३९  
 और भारतीय मुसलमान, २४१  
 हैटर कमेटी, २०७-८  
 हास्म, ऐलन आनटेचिन, ४२-३  
 हाई कमिशनर, भारत का, १६६-६७  
 हीमलल आनंदोलन, १३८-४३

# सहायक ग्रन्थों की सूची

## BIBLIOGRAPHY

- Adhikari, G. :** Pakistan and National Unity  
**Ahmad, J. :** The Indian Constitutional Tangle  
**Aiyer, Sir P. S. S. :** Indian Constitutional Problems.  
**Ali, C. Rahmat :** The Millat and the Mission  
**Ambedkar, B. R. :** Pakistan  
**" :** Thoughts on Pakistan  
**Anantnarayan, P. K. :** Pakistan  
**Ashraf, K. M. (Ed.)** India, Bound and Free  
**Ashraf, Mohammad :** Pakistan  
**Banerjee, A. C. :** Cabinet Mission and After  
**" :** Indian Constitutional Documents 3 vols.  
**Bannerjee, A. K. :** The Constitution of the Indian Republic  
**Bannerjee, D. N. :** Study of the New Constitution of India  
**Bannerjee, H. N. :** Some Aspects of the New Constitution  
**Bannerjee, Surendranath :** India's New Constitution  
**Basu, B.D. :** A Nation in Making  
**Besant, Annie :** India Under the British Crown  
**Beverley, Nicholas :** Rise of Christian Power in India  
**Bose, Subhas C. :** How India Wrought for Freedom  
**Bose, N. K. :** Verdict on India  
**Bowen, H. C. :** The Indian Struggle  
**Brailsford, H. N. :** Selections from Gandhi  
**Erockway, A. Fenner :** Mahammedanism in India  
**Buch, M. A. :** Rebel India  
**Casey, R. G. :** Subject India  
**Chakravarti, A. :** A Week in India  
**" :** Rise of Indian Nationalism  
**Chatterjee, A. C. :** An Australian in India  
**Chintamani, C. Y. :** Call it Politics !  
**Chintamani and Masani :** Hindus and Mu-salmans in India  
**Chirol V. :** India's Struggle for Freedom  
**Indian Politics Since 1947**  
**Mutiny**  
**Indian Constitution at Work**  
**Indian Unrest**

Coatman, J. :	The Indian Riddle
Cobban, A. :	The Years of Destiny
Cotton, H. :	National State and Self-determination
Coupland, R. :	New India
"	The Indian Problem 1833-1935
"	Indian Politics 1836-42
Dalal Sir A. :	The Future of India
Datta, K. K. :	India, A Restatement
Desai, A. R. :	An Alternative to Pakistan
Dhawan, G. N. :	India's March to Freedom
Durrani, F. M. :	Social Background to Indian Nationalism
Dutt, R. P. :	The Political Philosophy of Mahatma Gandhi
Edib. Hilde :	The Meaning of Pakistan
Fischer, Louis :	India Today
"	Inside India
Friedmann, W. :	Imperialism
Fox, Ralph :	A Week with Gandhi
Gadgil, D. R. :	The Life of Mahatma Gandhi
Gandhi, M. K. :	The Crisis of National State
"	Colonial Policy of British Imperialism
"	The Industrial Development of India in Recent Times
"	My Experiments with Truth
"	Hind Swaraj
Garrat, G. T. :	Satyagraha
Hamza, El. :	To the Protagonists of Pakistan
Hoyland, J. S. :	Delhi Diary
"	An Indian Commentary
Hunter, Sir W. :	Pakistan a Nation
Iqbal, Sir Mohd. :	Indian Dawn
Irwan, Lord :	Gopal Krishna Gokhale, His Life & Speeches
Innah, M. A.	The Indian Mussalmans
Ones, G. E.	Letters of Jinnah
Oishi, G. N. :	Some Aspects of the Indian Problem
Tabir, Hamayun :	Speeches and Writings
Han, The Aga :	Tumult in India
Hau, Sir Sikandar Hayat :	The Constitution of India
Leith, A.B. :	Muslim Politics 1905-42
	India in Transition
	Outlines of a Scheme of Indian Federation
	A Constitutional History of India

Krishna, K. B. :	The Problem of Minorities
Lajpat Rai :	Young India
Latif, S. A. :	The Muslim Problem in India
Lele, R. P. :	Constituent Assembly
Lovett, V. :	History of the Indian Nationalist Movement
Macartney, C. A. :	National States and National Minorities
Macdonald, J. Ramsay :	The Awakening of India
Macnicol, N. :	The Making of Modern India
Majumdar, B. :	Indian Political Thought from Ram Mohan to Dayanand
Manshardt, C. :	The Hindu Muslim Problem
Mazumdar, A. C. :	Indian National Evolution
Mehta and Patwardhan :	The Communal Triangle in India
Mitchell, Kate :	India, an American View
Moon, P. :	Strangers in India
Mukherjee, Radha Kamal :	An Economist Looks at Pakistan
Mukherjee, Radha Kumud :	A New Approach to the Communal Problem
Munshi, K. M. :	I Follow the Mahatma
"	The Changing Shape of Indian Politics
Narain, Jai Prakash :	Towards Struggle
Naik, V. N. :	Indian Liberalism
Nehru, Jawaharlal :	Autobiography
"	Unity of India
"	Discovery of India
"	Independence and After (Speeches)
Noaman, M. :	Muslim India
Pal, B. C. :	The New Spirit
"	Memories of My Life and Times
Palande, M. R. :	Indian Administration
Paranjpye, R. P. :	The Crux of the Indian Problem
Payne, Robert :	The Revolt of Asia
Phillip, H. C. :	India
Pithwala, M. A. :	An Introduction to Pakistan
Polak, Brailsford and Pethick-Lawrence :	Mahatma Gandhi
Prabhu, R. K. Lobo :	The Mind of Mahatma Gandhi
Pradhan, R. C. :	India's Struggle for Swaraj
Prasad, Beni :	India's Hindu-Muslim Problem
Prasad, Rajendra :	India Divided
"	after 1947
"	Pakistan
"Punjabi, A" :	The Confederacy of India

- Punnish, K. M. : India's Constitutional History  
 Rai, Ganpat (Ed.) : Pakistan X-rayed  
 Rajput, A. B. : The Muslim League  
 Run, K. S. : The Crisis in India  
 Rezul Karim : Pakistan Examined  
 Raghuvanshi, V. P. S. : Indian National Movement and Thought  
 Ramaswami, M. : The Constitution of Indian Republic  
 Santhanam, K. : The Constitution of India  
 Sayyid, H. M. : Mohammad Ali Jinnah  
 Sen, D. K. : Revolution by Consent ?  
 Shah, K. T. : Why Pakistan, Why Not ?  
 Sharma, Sri Ram : The Constitutional History of India  
 Shevulkar : The Problem of India  
 Shukla, V. N. : The Constitution of India  
 Singh, Gurmukh Nihal : Landmarks in Indian Constitution and National Development  
 Sitaramayya, P. : भारत का वैद्यानिक एवं राष्ट्रीय विकास  
 " : The History of the Indian National Congress—2 vols  
 " : कांग्रेस का इतिहास  
 Smith, Robert A. : The History of the Nationalist Movement of India  
 Smith, W. C. : Divided India  
 Smith, W. R. : Modern Islam in India  
 Spear, Percival : Nationalism and Reform in India  
 Spratt, Phillip : India, Pakistan and the World  
 Symonds, R. : Gandhism  
 Thompson, E. : The Making of Pakistan  
 " : The Other Side of the Medal  
 " : The Reconstruction of India  
 " : Enlist India for Freedom  
 Tropia, L. N. : The Growth and Development of Nationalist Thought in India  
 Venkataraman, T. S. : A Treatise on Secular State  
 Williams, Rushbrooke : What about India ?  
 Zacharias, H. C. E. : Renascent India  
 Zimmaern, A. E. : Nationality and Government